लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No 75
Dated 23 Jan 2009

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)

अंक 13, शुक्रवार, 14 मार्च, 2008/24 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-42
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 224, 227 और 228	1-42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	42-486
तारांकित प्रश्न संख्या 225, 226 और 229 से 240	42-85
अतारांकित प्रश्न संख्या 2139 से 2368	85-486
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सभा का कार्य	487-489
सभा पटल पर रखे गए पत्र	489-507
राज्य सभा से संदेश	
और	507-508
राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक	
लोक लेखा समिति	
25वां, 26वां, 32वां, 37वां, और 39वां प्रतिवेदन	508-509
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
21वां और 22वां प्रतिवेदन	509
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	509-510
(एक) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री हंस राज भारद्वाज	509
(दो) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्यन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	510
सभा का कार्य	511-515

*माननीय सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

सदस्यों द्वारा निवेदन **516-522**

हज यात्रियों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में 516-518

सामान्य बजट (2008-09) - सामान्य चर्चा **523-720**

लेखा अनुदानों की मांगे (सामान्य) (2008-09) **523-720**

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) (2007-2008) **523-720**

श्री खारबेल स्वाईं 523-530

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 530-533

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल 533-534

श्री रमेश दूबे 534-535

श्री फ्रांसिस्को कोएमी सारदीना 535-536

डा. टोकचोम मैन्या 536-538

श्रीमती जयाप्रदा 538-541

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 541-543

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 543-546

श्री आर.एल. जालप्पा 546-550

श्री प्रहलाद जोशी 550-553

श्री अधीर चौधरी 553-559

श्री राजनरायन बुधौलिया 560-563

श्री सुकदेव पासवान 564-565

डा. शफीकुर्रहमान बर्क 565-568

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 568-572

श्री के.वी. तंगबालु 572-576

श्री हंसराज गं. अहीर 577-581

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील 581-583

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 584-586

श्रीमती तेजस्विनी गौडा 586-590

श्रीमती नीता पटैरिया 590-594

श्री फ्रांसिस फैन्थम 594-597

प्रो. चन्द्र कुमार 597-600

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 600-603

प्रो. रासा सिंह रावत 600-603

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 603-608

श्री सीताराम सिंह ..... 608+611

श्री धर्मेन्द्र यादव 613-616

श्री विक्रम केशरी देव 616-620

श्री किरेन रिजीजू 620-624

श्री अरूण यादव 623-629

श्री हरिकेवल प्रसाद 630-632

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 632-634

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 634-636

श्रीमती अर्चना नायक 636-637

डा. राम लखन सिंह 637-642

श्री मनोरंजन भक्त 642-644

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव 644-646

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 646-649

डा. के.एस. मनोज 649-652

श्री हरिसिंह चावड़ा 652-653

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 653-654

डा. अरूण कुमार शर्मा 655-656

श्री मंजुनाथ कुन्नुर 656-665

श्री अशोक अर्गल 665-666

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 666-672

श्री अशोक प्रधान 672-673

श्री निखिल कुमार 674-677

श्री रामदास आठवले 677-679

श्री पी. चिदम्बरम 679-720

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 719-721

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2 से 4 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

विनियोग विधेयक, 2008 721-722

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

कर्नाटक विनियोग, (लेखानुदान) विधेयक, 2008 723-724

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

कर्नाटक विनियोग विधेयक 724-725

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

अनुबंध-I 737-744

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 737

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 738-744

अनुबंध-II 745-748

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 745-746

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 746-748

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 14 मार्च, 2008/24 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 221, श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़।

विकास दर

+

*221. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :***

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 2008 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार कि भारत की आर्थिक विकास दर कम हो गई है, के बारे में विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक विकास संबंधी नई रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र 'नवभारत टाइम्स' ने 11 जनवरी, 2008 को विश्व बैंक की 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स : टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन इन डेवलपिंग वर्ल्ड 2008' नामक रिपोर्ट का जिक्र किया है तथा 2008 और 2009 में भारत की आर्थिक वृद्धि के मंद हो जाने की संभावना को रेखांकित किया है। इस रिपोर्ट में चीन के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में संभावित मंदी का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) गत दो वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9.4 और 9.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई थी। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठनों के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय वर्ष 2007–08 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.7 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न रिपोर्टों से मालूम पड़ता है कि वर्तमान में, विश्व की अर्थ–व्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार आर्थिक वृद्धि दर को बनाये रखने के लिए क्या कदम उठा रही है और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, 2007–08 के उत्तरार्द्ध में सचमुच में कमी आई जिसका संकेत मैंने बजट भाषण में दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, विचारकों तथा अनुसंधान संगठनों आकलन के अनुसार 2007–08 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत से अधिक रखी गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुमान के अनुसार यह 8.7 प्रतिशत रहेगी। सामान्य रूप से 8.5 प्रतिशत तथा 8.7 प्रतिशत को खराब 3 उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। गत वर्ष के 9.6 प्रतिशत से निश्चित रूप से यह कम है। भारत की वृद्धि दर को बढ़ाने में निवेश तथा उपभोग की भूमिका है। हमने निवेश तथा उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कई कदमों के बारे में बजट भाषण में बताया गया था। इनमें से कुछ के बारे में विस्तार से बाद में आम बजट पर चर्चा के उत्तर में बताऊंगा। लेकिन यदि भारत के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने वाले निवेश तथा उपयोग हैं तो जब तक इनमें गति और विश्वास रहता है भारत की विकास दर 8.5 प्रतिशत से ज्यादा बनी रह सकती है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, अर्थ–व्यवस्था में मंदी की आशंका के कारण शेयर बाजार दिन–पर–दिन नीचे गिर रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार शेयर बाजार में स्थिरता लाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : शेयर बाजार एक महत्वपूर्ण संकेतक है लेकिन हमें शेयर बाजार को भारत की अर्थव्यवस्था का एकमात्र संकेत नहीं मानना चाहिए। आखिरकार, सेन्सेक्स केवल 30 स्टॉकों के शेयर मूल्यों की गति तथा निफ्टी 50 या 100 स्टॉकों के शेयर मूल्यों को दर्शाते हैं। भारत का शेयर बाजार संपूर्ण विश्व के घटनाक्रम को दर्शाता है। वास्तव में यह विकसित तथा एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। लेकिन हमारे पास सुस्थापित नियामक प्रणाली है तथा

नियामक प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि शेयर बाजार में अत्यधिक अस्थिरता न हो। लेकिन जब अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उथल–पुथल हो रही हो तो कुछ अस्थिरता हो सकती है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हमारी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 2000 में 23.4 प्रतिशत से घटकर 2005 में 18.3 प्रतिशत तथा 2006 में 17.5 प्रतिशत रह गई है। इस परिस्थिति में क्या सकल पूंजी निर्माण 16 प्रतिशत हो पाएगा जिससे बजट में परिकल्पित 4 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की जा सके? क्या छोटे तथा सीमांत किसानों की ऋण माफी तथा संबंधित उपाय कृषि का पुनरुद्धार कर पाएंगे जबकि कोर क्षेत्र की बदहाली आर्थिक मंदी का मूल कारण है?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, यह मेरा प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, ऋण माफी से संबंधित प्रश्न मूल प्रश्न से काफी हट कर है। इस पर हम बजट पर बहस के उत्तर के दौरान बात करेंगे। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि 11वीं योजना में कृषि में सकल पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद के 16 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक है तभी हम 4 प्रतिशत के लक्षित वृद्धि दर को प्राप्त करेंगे। 2003–04 में जी डी पी की तुलना में जी सी एफ 10.2 प्रतिशत थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तीन वर्षों में हमने 2006–07 में इसे 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाया तथा 2007–08 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। हमें इन आंकड़ों की प्रतीक्षा करनी होगी लेकिन यही रूख रहा तो 11वीं योजना के अंत तक 16 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। जब तीन वर्षों में 10.2 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत हो गया तो यदि आप प्रयास करें तो 11वीं योजना के अंत तक 16 प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह अपने आप नहीं हो जाएगा। यह तभी होगा जब सरकार सरकारी निवेश के लिए ठोस उपाय करे तथा निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दें।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न 221 में सप्लीमेंट क्वैश्चन पूछना चाहते हैं?

श्री निहाल चन्द : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न 222 पूछना चाहता हूं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इंवेस्टमेंट ग्रोथ के लिए **प्री–कंडीशन** है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन–चार साल से इंवेस्टमेंट में कमी हुई है और इंवेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण जैसे मामले के लिए क्या सिंगल विन्डो व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर बनाने की सोच रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे इसका कोई लेना–देना नहीं है। कृपया साफ–साफ बात रखें। आप एक प्रभावशाली सदस्य हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैंने अभी बताया कि जी डी पी की तुलना में जी सी एफ में वृद्धि हो रही है। यह 2003–04 में 10.2 प्रतिशत था तथा 2006–07 में यह बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा किया गया निवेश भी शामिल है। मैं पूरा श्रेय केन्द्र सरकार को नहीं दे रहा हूं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा किसानों द्वारा निजी निवेश सभी सकल पूंजी निर्माण में शामिल हैं। इसलिए निवेश बढ़ रहा है। हमें वर्ष–दर–वर्ष कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार सजग प्रयास करना होगा ताकि 11वीं योजना के अंत तक 16 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

एडवोकेट सुरेश कुरूप : यह सर्वमान्य तथ्य है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी है। इस बात की पूरी आशंका है कि यह मंदी हमारे देश को भी प्रभावित करेगी। हमारा रुपए का मूल्य बढ़ा है तथा इसने हमारे निर्यातकों, विशेषरूप से वस्त्र तथा आई टी क्षेत्र को प्रभावित किया है।

अतएव, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य दो बातों का उल्लेख कर रहे हैं जो घटित हो रहा है। पहला मंदी है जो अमेरिका में आ सकती है। स्पष्ट रूप से, मैं इससे नहीं निपट सकता। इससे अमेरिका को निपटना है तथा इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं।

जहां तक रुपए पर प्रभाव का संबंध है – रुपए की वास्तविक प्रणाली विनिमय–दर – यह केवल अमेरिकी मंदी के कारण नहीं है। यह कई कारकों का परिणाम है जैसे भारत में श्रम उत्पादकता तथा पूंजी कारक उत्पादकता; भारत में पूंजी प्रवाह तथा अन्य देशों की तुलना में भारत में मुद्रास्फीति अमेरिकी डालर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है जबकि डालर अमेरिकी कारणों से कमजोर हुआ है। लेकिन रुपया उसी तरह से यूरो या येन की तुलना में मजबूत नहीं हुआ है।

अतएव, भारतीय रिजर्व बैंक वास्तविक प्रभावी विनिमय दर का निर्धारण कई एजेंसियों की तुलना में करती है। इसके दो सूचकांक हैं – एक पांच या छह करेंसियों का बास्केट है तथा इसका मेरे विचार

में 30 करेंसियों का बास्केट है। कुछ मजबूती है लेकिन मीडिया में जो दर्शाया जा रहा है वह डालर की तुलना में बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया। रुपया यूरो या येन की तुलना में उस सीमा तक मजबूत नहीं हुआ है। हम विनिमय दर के बारे में राय नहीं बता सकते हैं। प्रतिस्पद्धी विनिमय दर चाहते हैं जो निर्यातक तथा आयातक दोनों की सहायता करे तथा भारतीय उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाए। पूंजी के आगम की निगरानी के लिए कई कदम उठाए गए तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी उपायों के जरिए अन्य कई कदम उठाए गए हैं। जब हम पाते हैं कि राजकोषीय कदम आवश्यक हैं तो हम राजकोषीय कदम उठाते हैं। बजट में भी कुछ राजकोषीय कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

+

*222. **श्री अधीर चौधरी :**

डा. टोकचोम मैन्या :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन. आर.ई.जी.एस.) के कार्यान्वयन के समय से अब तक राज्यवार सामुदायिक श्रेणी की कितनी परिसंपत्तियों का सृजन किया गया तथा उनका मूल्य कितना है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने झूठी उपस्थिति नामावली, धनराशि के गबन तथा ठेकेदारों को बढ़ाकर किए गए भुगतान, इत्यादि के विशेष संदर्भ में एन.आर.ई.जी.एस. के गलत कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) से (घ) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एनआरईजीए के अंतर्गत, 2006–07 के दौरान 2.1 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था तथा चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 2008 तक 3.02 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया है। इस रोजगार से समुदायिक परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं। अधिनियम के शुरू होने से अब तक 2330053 कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें से 1171353 कार्य जल संरक्षण (50.27%), 328886 कार्य भूमि विकास (14.11%), 441388 कार्य ग्रामीण संपर्कता (18.94%) तथा 307850 कार्य (13.21%) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारों तथा भूमि सुधार और आईएवाई के लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधा और बागवानी के प्रावधान से संबंधित है। सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए एनआरईजीए के अंतर्गत शुरू किए गए राज्यवार कार्य, सृजित लाभ तथा उन पर किए गए खर्च के ब्यौरे अनुबंध–I में दिए गए हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता कहे जाने वाले स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं तथा मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों के माध्यम से एनआरईजीए की सतत् निगरानी करता है। मंत्रालय ने सीएजी से भी चरण–I के 68 जिलों में वर्ष 2006–07 के लिए एनआरईजीए के निष्पादन की लेखा परीक्षा करने का आग्रह किया था। एनआरईजीए के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताओं की जानकारी मिली है। ये मुख्य रूप से रोजगार के आवेदन, तारीखयुक्त रसीदें जारी करने, जॉब कार्ड फार्मेट, मस्टररोलों, रिकॉर्ड रजिस्टरों के रखरखाव जैसी प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा, एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न स्थानों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों के राज्यवार विवरणों के साथ इस पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को वेबसाइट www-nrega.nic.in पर डाला गया है जिसका नाम "शिकायतें" हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। एनआरईजीए के अनुचित कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:–

(1) पारदर्शिता

(i) श्रमिकों को बैंक/डाकघर के माध्यम से मजदूरी का भुगतानः

(क) राज्य सरकारों को इस बात के अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग के साथ समन्वय करें कि मजदूरी के भुगतान के लिए बैंकों/डाकघरों में एनआरईजीए श्रमिकों के खाते खोले जाएं तथा वे 2008–09 के दौरान पूरी तरह से क्रियाशील हो सकें।

(ख) डाकघर खातों के माध्यम से श्रमिकों को आसानी से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों तथा डाक विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है

(ग) कुछ राज्यों में बैंकों/डाकघरों में श्रमिकों के खाते खोले गए हैं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, तथा कर्नाटक ने इस दिशा में अच्छी प्रगति दिखाई है। अब तक प्रगति की सूचना देने वाले राज्य हैं – बिहार, केरल,

तमिलनाडु, प. बंगाल तथा मध्य प्रदेश। इन राज्यों में अब तक कुल 11028779 खाते खोले गए हैं। शेष राज्य इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं।

(ii) राज्यों को तीन माह के भीतर एनआरईजीए के प्रत्येक कार्य की सामाजिक लेखा–परीक्षा कराने का परामर्श दिया गया है। 76000 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई जा चुकी है।

(iii) नागरिक सूचना बोर्ड लगाने का काम शुरू किया गया है। यह बोर्ड महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया जाएगा। इससे स्थानीय समुदाय को एनआरईजीए के अंतर्गत शुरू किए जा रहे कार्यों की जानकारी मिलेगी और कार्यक्रम के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने में भी मदद मिलेगी।

(2) जागरूकता सृजन

एनआरईजीए के बारे में जागरूकता सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

(i) राज्य सरकार द्वारा की गई पहलें:

(क) ग्राम सभाएं तथा ब्लॉक स्तर पर सभी सरपंचों का एक दिवसीय अभिमुखीकरण।

(ख) स्थानीय भाषा में पर्चे और पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ग) जिला दलों द्वारा ग्राम शिविर आयोजित किए गए हैं तथा स्व–सहायता समूहों को जागरूकता सृजन से जोड़ा जा रहा है।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई–

(क) कर्पाट को जागरूकता सृजन अभियान से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों को प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया है।

(ख) भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार नामक पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ग) मीडिया, टीवी स्पॉट, रेडियो जिंगल्स, विज्ञापन, फिल्मों का उपयोग।

(घ) ब्राउचर और जन–प्रवेशिका का विकास और प्रचार–प्रसार।

(3) सतर्कता एवं निगरानी

(i) एनआरईजीए अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी की जाती है। राज्य तथा जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। स्थानीय संसद सदस्य जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के सदस्य होते हैं। स्थानीय निगरानी के लिए ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य निभिन्न जिलों का क्षेत्र दौरा भी करते हैं। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं और क्षेत्र अधिकारी अधिनियम की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं। अब तक राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं ने चरण–I तथा चरण–II के जिलों के 331 दौरे किए हैं।

(ii) मस्टररोलों का सत्यापन एक अभियान के रूप में किया जाना होता है और समेकित रिपोर्टें मंत्रालय को भेजनी होती हैं। अब तक 4621120 मस्टररोलों का सत्यापन किया गया है। 1126914 मस्टररोल वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

(4) एनआरईजीए की नियमित समीक्षा

(i) राज्य सरकारों के साथ समीक्षा

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान, सभी राज्यों की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय समीक्षा समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। ये बैठकें भुवनेश्वर (16–17 सितम्बर), जयपुर (24–25 सितम्बर) और गुवाहाटी (09–10 अक्टूबर) को हुई थीं।

(ख) सभी राज्यों के राज्य सचिवों (ग्रामीण विकास) के साथ दिल्ली में 18.12.07 को समीक्षा बैठक की गई थी।

(ग) नई दिल्ली में 16–17 जनवरी, 2008 को निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक हुई थी।

(घ) सीएजी रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के राज्य सचिवों (ग्रामीण विकास) के साथ दिल्ली में जनवरी, 2008 को एक बैठक हुई थी।

(ii) राज्य विशिष्ट समीक्षा

पांच राज्य विशिष्ट समीक्षा बैठकें हुई हैं। ये बैठकें झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के साथ हुई थीं।

(iii) जन प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक वार्ता

20–23 अगस्त, 2007 तथा 5–6 सितम्बर, 2007 के दौरान संसद सदस्यों के साथ पारस्परिक संवाद सत्र में एनआरईजीए की प्रगति की समीक्षा की गई थी।

ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चार पत्र तथा संसद सदस्यों को तीन पत्र भेजे हैं जिनमें उन्हें समय–समय पर अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी दी गई है।

(5) एमआईएस/ई-नॉलेज नेटवर्क

(i) वेब आधारित एक व्यापक एमआईएस www-nrega.nic.in तैयार की गई है जिसमें सभी आंकड़े सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे जाते हैं। ये आंकड़े श्रमिकों की हकदारी जैसे – पंजीकरण, जॉब कार्ड, मस्टररोल, मांगे तथा दिए गए रोजगार; कार्य संबंधी आंकड़े जैसे – कार्यों की स्वीकृत सूची, कार्यों का आकलन, चल रहे कार्य, कार्यों की माप; वित्तीय संकेतक जैसे – उपलब्ध/खर्च की गई निधियां, मजदूरी के रूप में दी गई राशि, सामग्री और प्रशासनिक व्यय से संबंधित होते हैं। रिकार्डों की पुनः जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े संबंधी साफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। 25001781 जॉब कार्डों तथा 1126914 मस्टररोलों का ब्यौरा वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ई–नॉलेज नेटवर्क शुरू किया है। देश भर में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यस्थल पर अभिनव परिवर्तन और स्थानीय समाधान काफी मददगार है। ई–नॉलेज नेटवर्क इन स्थानीय समाधानों के प्रसार, विशेषकर जिला कार्यक्रम समन्वयकों के बीच, में सहायता प्रदान करता है। नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य पेशेवरों को आपस में अंतर्संबंध स्थापित करने तथा सूचना, विचारों और उत्कृष्ट रीतियों के आदान–प्रदान के माध्यम से तेजी से बनाए गए नॉलेज पूल के माध्यम से मांग के आधार पर समाधान उपलब्ध कराना है।

अनुबंध-I

एनआरईजीए के अंतर्गत अब तक सृजित सामुदायिक परिसम्पत्तियां (फरवरी, 06 से फरवरी, 08 तक)

क्रम सं.	राज्य	जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण				अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूमि सुधारों के लाभार्थियों, आईएवाई के लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा की व्यवस्था				सूखा–रोधन			
		क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
		कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)	कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)	कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	254783	39.41	704.6707	60524.81	36289	5.61	0.1084	8167.53	83458	12.91	3.9169	14526.50
2	असम	1919	7.90	5.3079	5766.43	634	2.61	0.0017	1356.07	819	3.37	0.0388	2788.09
3	बिहार	28717	21.37	79.4271	29599.31	1110	0.83	0.0031	1254.47	3573	2.66	0.1699	2983.45
4	गुजरात	12303	44.12	34.0240	5749.02	4736	16.98	0.0122	2519.86	4523	16.22	0.2196	1080.74
5	हरियाणा	1009	25.16	2.7908	2030.39	9	0.22	0.0000	18.12	222	5.53	0.0108	424.26
6	हिमाचल प्रदेश	2192	8.73	6.0624	1244.45	262	1.04	0.0008	299.94	554	2.21	0.0262	345.52
7	जम्मू एवं कश्मीर	796	11.11	2.2014	706.31	433	6.04	0.0011	544.52	175	2.44	0.0083	223.81
8	कर्नाटक	13306	35.06	36.8043	15977.42	2588	6.82	0.0066	2570.72	4220	11.12	0.2002	5026.57
9	केरल	3540	25.66	9.7900	2160.27	230	1.67	0.0006	190.21	255	1.85	0.0123	250.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	अरूणाचल प्रदेश	39	7.51	0.1079	27.41	0	0.00	0.0000	0.00	226	43.55	0.0101	109.19
11	मध्य प्रदेश	109290	24.03	302.3086	131676.76	155937	34.28	0.4210	96549.34	35196	7.74	1.6752	32192.56
12	महाराष्ट्र	10980	51.86	30.3715	15826.13	62	0.29	0.0002	15.25	4322	20.41	0.2025	4584.77
13	मणिपुर	833	19.79	2.3040	867.86	0	0.00	0.0000	0.00	556	13.21	0.0260	717.78
14	मेघालय	1631	20.63	4.5112	1053.36	55	0.70	0.0001	33.83	1411	17.84	0.0670	1171.82
15	मिजोरम	27	1.88	0.0747	168.68	0	0.00	0.0000	0.00	0	0.00	0.0000	0.00
16	नागालैंड	216	31.76	0.5973	369.24	0	0.00	0.0000	0.00	17	2.50	0.0008	211.81
17	उडीसा	30364	28.20	83.9658	15214.56	11984	11.13	0.0244	16714.69	2967	2.76	0.1383	3629.82
18	पंजाब	33	0.98	0.0912	45.27	0	0.00	0.0000	0.00	473	14.01	0.0231	114.93
19	राजस्थान	27019	33.08	74.7258	64721.61	24667	30.20	0.0733	9751.15	2295	2.81	0.1083	6427.58
20	सिक्किम	22	3.61	0.0608	23.26	0	0.00	0.0000	0.00	10	1.64	0.0005	4.00
21	तमिलनाडु	4417	18.84	12.2155	12941.30	0	0.00	0.0000	0.00	7	0.03	0.0003	15.80
22	त्रिपुरा	2749	5.47	7.6042	2421.24	487	0.97	0.0014	250.13	1411	2.81	0.0682	1413.64
23	उत्तर प्रदेश	27875	13.43	77.0918	32587.78	7961	3.84	0.0231	5348.00	17197	8.29	0.8218	11316.71
24	पश्चिम बंगाल	16829	14.34	46.5453	16500.96	2364	2.01	0.0063	1737.41	18883	16.09	0.8952	12097.30
25	छत्तीसगढ़	12019	11.58	33.2411	23802.78	10677	10.29	0.0315	4185.27	10437	10.06	0.4923	21365.17
26	झारखंड	79640	38.55	220.2523	59639.26	47183	22.84	0.1264	33481.84	4118	1.99	0.1999	3156.13
27	उत्तरांचल	6249	39.05	17.2847	4000.52	182	1.14	0.0005	108.38	2210	13.81	0.1036	1631.47
	कुल	648797	27.84	1794.4324	543712.98	307850	13.21	0.8427	175193.85	199535	8.56	9.4359	148825.80

एनआरईजीए के अंतर्गत अब तक सृजित सामुदायिक परिसम्पत्तियां (फरवरी, 06 से फरवरी, 08 तक)

क्रम सं.	राज्य	लघु सिंचाई कार्य				बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा				पारम्परिक जल निकायों का पुनरुद्धार			
		क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
		कार्यों की सं.	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)	कार्यों की सं.	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)	कार्यों की सं.	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	37151	5.75	0.1832	9672.82	5149	0.80	0.7829	3756.68	47114	7.29	378.1809	39863.64
2	असम	1676	6.90	0.0082	4352.61	2916	12.00	0.4829	15482.24	584	2.40	4.6877	2200.80
3	बिहार	7385	5.50	0.0362	8151.63	6183	4.60	0.9922	7179.49	10944	8.15	87.8468	10809.95
4	गुजरात	132	0.47	0.0006	133.98	904	3.24	0.1434	533.37	1129	4.05	9.0624	815.18
5	हरियाणा	386	9.62	0.0019	610.77	91	2.27	0.0140	164.18	418	10.42	3.3553	875.68
6	हिमाचल प्रदेश	2022	8.06	0.0099	1175.79	2281	9.09	0.3620	1352.89	897	3.57	7.2001	559.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	जम्मू एवं कश्मीर	478	6.67	0.0024	535.92	2252	31.43	0.3556	2132.43	208	2.90	1.6696	230.56
8	कर्नाटक	1315	3.46	0.0064	1903.22	2029	5.35	0.3340	2501.61	2397	6.32	19.2405	2354.38
9	केरल	1578	11.44	0.0078	924.25	3579	25.95	0.5623	1816.58	2198	15.93	17.6432	1473.62
10	अरूणाचल प्रदेश	3	0.58	0.0000	5.68	13	2.50	0.0020	37.34	0	0.00	0.0000	0.00
11	मध्य प्रदेश	11314	2.49	0.0555	9328.98	1745	0.38	0.2876	3497.36	10366	2.28	83.2073	18043.85
12	महाराष्ट्र	43	0.20	0.0002	45.63	165	0.78	0.0271	359.15	963	4.55	7.7300	874.48
13	मणिपुर	329	7.82	0.0016	467.26	60	1.43	0.0093	142.17	23	0.55	0.1846	35.20
14	मेघालय	392	4.96	0.0019	351.24	164	2.07	0.0264	238.45	931	11.77	7.4731	474.88
15	मिजोरम	0	0.00	0.0000	0.00	21	1.46	0.0037	131.20	0	0.00	0.0000	0.00
16	नागालैंड	38	5.59	0.0002	223.46	12	1.76	0.0019	795.41	50	7.35	0.4013	74.01
17	उड़ीसा	1745	1.62	0.0083	3084.20	936	0.87	0.1562	1219.47	6381	5.93	51.2193	8126.20
18	पंजाब	0	0.00	0.0000	0.00	125	3.70	0.0203	332.68	1071	31.72	8.5969	1250.38
19	राजस्थान	1735	2.12	0.0085	4717.30	908	1.11	0.1428	2271.60	8607	10.54	69.0877	24123.72
20	सिक्किम	78	12.79	0.0004	157.26	223	36.56	0.0361	409.37	19	3.11	0.1525	7.93
21	तमिलनाडु	4536	19.35	0.0223	12009.95	129	0.55	0.0206	284.89	10685	45.58	85.7678	29884.30
22	त्रिपुरा	2448	4.87	0.0121	1120.28	825	1.64	0.1299	779.83	4258	8.48	34.1789	659.09
23	उत्तर प्रदेश	6160	2.97	0.0299	6594.54	9140	4.40	1.4710	9806.78	29074	14.01	233.3748	37131.24
24	पश्चिम बंगाल	6808	5.80	0.0334	5841.63	10763	9.17	1.7152	10943.48	12961	11.04	104.0370	13970.84
25	छत्तीसगढ़	3085	2.97	0.0152	13605.72	586	0.56	0.0932	1888.02	9569	9.22	76.8099	18575.66
26	झारखंड	3010	1.46	0.0149	2016.92	887	0.43	0.1380	823.52	10796	5.23	86.6586	7887.71
27	उत्तरांचल	1440	9.00	0.0071	1314.43	3137	19.60	0.5004	2595.95	868	5.42	6.9674	517.12
	कुल	95287	4.09	0.4680	88063.64	55223	2.37	8.8111	66080.19	172511	7.40	1384.7337	216474.97

एनआरईजीए के अंतर्गत अब तक सृजित सामुदायिक परिसम्पत्तियां (फरवरी, 06 से फरवरी, 08 तक)

क्रम सं.	राज्य	भूमि विकास				ग्रामीण सड़क संपर्क				ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलाप		
		क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग
		कार्यों की सं.	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)	कार्यों की सं.	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)	खर्च (लाख रु. में)	कार्यों की सं.	कुल कार्यों की तुलना में %	इकाई (लाख घनमीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	178075	27.54	6.7560	51499.78	4475	0.69	0.0583	4034.93	0	0.00	0.00
2	असम	3335	13.73	0.1263	9576.08	11565	47.61	0.1520	47838.15	843	3.47	3168.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	बिहार	3128	2.33	0.1187	2812.78	54560	40.61	0.7146	57842.19	18759	13.96	19966.64
4	गुजरात	328	1.18	0.0124	281.97	3709	13.30	0.0486	3222.70	124	0.44	20.59
5	हरियाणा	451	11.24	0.0171	927.13	1422	35.45	0.0186	2637.59	3	0.07	6.53
6	हिमाचल प्रदेश	695	2.77	0.0264	472.73	14130	56.31	0.1847	7485.36	2062	8.22	763.62
7	जम्मू एवं कश्मीर	1096	15.30	0.0416	1164.01	1724	24.06	0.0225	1634.86	2	0.03	3.00
8	कर्नाटक	2418	6.37	0.0918	2506.54	8773	23.11	0.1151	9590.75	908	2.39	1205.01
9	केरल	1667	12.08	0.0633	6245.23	741	5.37	0.0097	354.07	6	0.04	0.82
10	अरूणाचल प्रदेश	0	0.00	0.0000	0.00	74	14.26	0.0010	47.82	164	31.60	73.19
11	मध्य प्रदेश	64893	14.27	2.4635	23233.09	65493	14.40	0.8568	124166.41	594	0.13	654.08
12	महाराष्ट्र	542	2.56	0.0206	678.46	2264	10.69	0.0296	3954.42	1831	8.65	3271.07
13	मणिपुर	815	19.36	0.0309	892.68	1593	37.85	0.0208	1685.27	0	0.00	0.00
14	मेघालय	489	6.18	0.0185	370.15	2834	35.84	0.0370	3021.90	0	0.00	0.00
15	मिजोरम	21	1.46	0.0008	10.71	628	43.76	0.0082	4112.27	738	51.43	411.20
16	नागालैंड	16	2.35	0.0006	181.03	250	36.76	0.0033	1113.52	81	11.91	0.00
17	उड़ीसा	362	0.34	0.0137	475.62	48186	44.75	0.6310	57640.03	4748	4.41	5994.34
18	पंजाब	323	9.57	0.0122	386.09	1351	40.02	0.0177	2437.17	0	0.00	0.00
19	राजस्थान	1845	2.26	0.0700	3001.11	14315	17.53	0.1873	39615.73	282	0.35	886.40
20	सिक्किम	15	2.46	0.0006	15.16	227	37.21	0.0030	265.09	16	2.62	48.99
21	तमिलनाडु	0	0.00	0.0000	0.00	3869	15.65	0.0478	8652.15	0	0.00	0.00
22	त्रिपुरा	4069	8.10	0.1546	2396.61	7829	15.59	0.1021	6720.12	26157	52.07	3889.92
23	उत्तर प्रदेश	12376	5.96	0.4697	10135.83	88114	42.46	1.1525	104441.79	9612	4.63	6889.20
24	पश्चिम बंगाल	9534	8.12	0.3618	7010.74	37609	32.05	0.4917	36531.46	1599	1.36	1465.38
25	छत्तीसगढ़	30822	29.69	1.1694	31105.92	24814	23.91	0.3243	49665.15	1788	1.72	3683.74
26	झारखंड	11339	5.49	0.4304	3978.12	39845	19.29	0.5204	39371.33	9768	4.73	5088.88
27	उत्तरांचल	232	1.45	0.0088	200.30	1194	7.46	0.0157	867.22	491	3.07	295.44
	कुल	328886	14.11	12.4798	183560.73	441388	18.94	5.7741	562886.43	80576	3.46	50689.60

एनआरईजीएं के अंतर्गत अब तक सृजित सामुदायिक परिसम्पत्तियां (फरवरी, 06 से फरवरी, 08 तक)

क्रम सं.	राज्य	कुल जल संरक्षण कार्य			कुल कार्य	
		कार्यों की संख्या	कुल कार्यों की तुलना में प्रतिशत	खर्च (लाख रु. में)	कार्यों की संख्या	खर्च (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	427655	66.15	128344.45	646494	192046.69
2	असम	7914	32.58	30590.18	24291	92528.96
3	बिहार	56802	42.28	58723.83	134359	140599.92
4	गुजरात	18991	68.10	8312.29	27888	14357.41
5	हरियाणा	2126	53.00	4105.28	4011	7694.65
6	हिमाचल प्रदेश	7946	31.66	4677.89	25095	13699.53
7	जम्मू एवं कश्मीर	3909	54.56	3829.02	7164	7175.41
8	कर्नाटक	23267	61.30	27763.20	37954	43636.22
9	केरल	11150	80.83	6625.30	13794	13415.63
10	अरूणाचल प्रदेश	281	54.14	179.61	519	300.62
11	मध्य प्रदेश	167911	36.92	194739.51	454828	439342.43
12	महाराष्ट्र	16473	77.81	21690.15	21172	29609.35
13	मणिपुर	1801	42.79	2230.27	4209	4808.22
14	मेघालय	4529	57.28	3269.74	7907	6715.62
15	मिजोरम	48	3.34	299.88	1435	4834.07
16	नागालैंड	333	48.97	1673.93	680	2968.48
17	उड़ीसा	42393	39.37	31274.25	107673	112098.93
18	पंजाब	1702	50.41	1743.25	3376	4566.51
19	राजस्थान	40564	49.67	102261.80	81673	155516.19
20	सिक्किम	352	57.70	601.81	610	931.05
21	तमिलनाडु	19774	84.35	55136.24	23443	63788.39
22	त्रिपुरा	11691	23.27	6394.09	50233	19650.87
23	उत्तर प्रदेश	89446	43.10	97437.05	207509	224251.86
24	पश्चिम बंगाल	66244	56.45	59354.21	117350	106099.20
25	छत्तीसगढ़	35696	34.39	79237.35	103797	167877.44
26	झारखंड	98451	47.66	73523.54	206586	155443.72
27	उत्तरांचल	13904	86.88	10059.49	16003	11530.83
	कुल	1171353	50.27	1063157.58	2330053	2035488.18

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को जानकारी है कि यूपीए सरकार के फ्लैगशिप प्रोगाम के अंतर्गत नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया जिस के तहत सारे हिन्दुस्तान में रोजगार की सुरक्षा का बंदोबस्त किया जा रहा है। यह प्रोग्राम यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की मस्तिष्क उपज है। पहली अप्रैल से हिन्दुस्तान के 596 जिलों में यह प्रोग्राम लागू होगा। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में विस्तार से चर्चा की है लेकिन दो–चार चीजें सामने आ रही हैं जिनके बारे में मंत्री जी से विस्तार से जवाब चाहूंगा। जैसा कि मैंने पूछा कि एनआरईजीए के तहत जो काम हुए हैं, उनकी मनी ट्रम्स में वैल्यू क्या है, कितने जॉब कार्ड्स अब तक इशू हुए हैं और कितनी एप्लीकेशन्स अब तक रिसीव हुई हैं? ये सब बातें जवाब में नहीं दी गई हैं। इसमें एक और डिसक्रिपैंसी है और एक अन्य चीज रैफर की जानी चाहिए थी। अब तक तीन करोड़ दो लाख हाऊस होल्ड्स को इसके तहत काम दिया गया है लेकिन केवल 1,10,28779 एकाउंट्स खोले गए हैं। इसका मतलब यह है कि जितने हाऊस होल्ड्स को काम मिलता है, उतने लोगों का बैंक एकाउंट्स खुल नहीं पाया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में एनआरईजीए का नेशनल एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज में जाति स्तर पर कितने वर्क डेज हैं?

इसके साथ–साथ मैं खास तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि तीन कम्युनिस्ट स्टेट्स त्रिपुरा, केरल और बंगाल में कितने लोगों को अब तक काम दिया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : काश वे कम्यूनिस्ट स्टेट्स होते।

श्री अधीर चौधरी : क्योंकि इस समय कम्युनिस्ट छद्म क्रांतिकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा कहने से आपको संतोष मिलता है तो ठीक है किन्तु फिर भी आप पश्चिम बंगाल में संकट में हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के मूल उत्तर में ही हमने साफ किया है कि तीन करोड़ दो लाख परिवारों को 330 जिलों में अभी तक रोजगार मिला है और 120 करोड़ से ज्यादा मनी डेज सृजित हुए हैं। अभी पीक सीजन चल रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए और हेरा–फेरी न हो, इसलिए हमने पूरी तत्परता से काम किया है। राज्य सरकारों को कहा है कि 31 मार्च तक जहां बैंकों की शाखाएं निकट हैं, वहां से भुगतान किया जाए लेकिन जहां बैंकों की शाखाएं निकट नहीं हैं, उनका पोस्ट आफिसेज में अनिवार्य रूप से खात खोल दिया जाए। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों ने सभी लोगों के एकाउंट्स खुलवा दिए हैं। इसके अलावा इसकी झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में भी शुरूआत हो गई है। हमने कहा है कि 31 मार्च तक सभी भुगतान बैंकों की शाखाओं या पोस्ट आफिसेज की शाखाओं में खोले गए खातों से ही हों। मूल उत्तर में ही हमने कहा है कि तीन करोड़ दो लाख लोगों को रोजगार दिए गए और करीब एक करोड़ दस या बारह लाख खाते खुल गए हैं। इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। सभी राज्य सरकारों ने आदेश जारी कर दिए हैं, पोस्टऑफिसों में कहीं–कहीं कठिनाई हुई है और इसमें भी लगे हुए हैं कि 31 मार्च तक भुगतान हो जाए। इन्होंने सवाल उठाया है कि जातिगत क्या काम हुआ है? वर्ष 2008–09 में शैड्यूल कास्ट्स को करीब 25 फीसदी और शैड्यूल ट्राइब्स को 36 फीसदी काम मिला है।

श्री अधीर चौधरी : नेशनल एवरेज बताएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अभी बताते हैं, वूमेन को 40 फीसदी और अन्य को 38 फीसदी काम मिला है। इस तरह से हमने कानून बनाते समय दावा किया था कि कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए लेकिन इसमें एक तिहाई से अधिक, 40 फीसदी हैं और 36–38 परसेंट शैड्यूल ट्राइब्स और 25–26 परसेंट शैड्यूल कास्ट्स के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह योजना पूरी तरह से सफलता की ओर जा रही है। हमारा उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार मिले और लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी तक दुनिया में इतना बड़ा वेज इम्पलायमेंट प्रोग्राम नहीं हुआ है। इन्होंने लेफ्ट रूल्ड स्टेट के बारे में भी पूछा, मैं स्पेसिफिक बंगाल के बारे में बताता हूं, 39 लाख 84 हजार परिवारों को पश्चिम बंगाल में काम मिला है। इस बारे में कतिपय कहीं–कहीं शिकायतें आई हैं और पीपुल्स पार्टिसिपेशन यानी जन भागीदारी, पीपुल्स अवेयरवेस यानी जानकारी, स्टेट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटिबिलिटी, पांच सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है। इसमें एनजीओ, सिविल सोसायटी की सहायता ले रहे हैं और इनका उपयोग जरूरी है। माननीय सदस्यों का भी सहयोग जरूरी है हमने ई–मेल से सभी को मन्थली प्रोग्रस रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है, केवल एनआरईजीएस के बारे में ही नहीं बल्कि सभी ग्रामीण विकास की योजनाओं से 385 माननीय सदस्यों को ई–मेल मन्थली प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। हम डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी हेडेड बाए लोकल एमपी की अनवरत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉस पार्टिसिपेशन चूंकि सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अन्वेक्षण अभी तक बहुत दिनों से सुना जा रहा था, असल में सोशल ऑडिट के लिए नियम बनाकर सभी राज्यों को कहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी को चार–चार बार पत्र लिखा है कि इस पर स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करना पड़ता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करना पड़ता है। इसके साथ अवेयरनेस अधिकारियों और कर्मचारियों की भी कमी है, इसके बारे में भी राज्य सरकारों को कहा है, इसलिए कुछ वेरी करता है, कुछ जिलों में तो एक्जाम्पलरी काम देखने को मिला है। विशेषज्ञ और जानकार बताते हैं कि आने वाले समय में पानी का संकट होगा लेकिन

एनआरईजीए का कमाल है, रोजगार गारंटी कानून की क्रांतिकारिता है कि वाटर हार्वेस्टिंग का 50 फीसदी काम जल संचयन के संबंध में हुआ है। रूरल वाटर बॉडीज, जल संचयन, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडीशनल वाटर बॉडीज़, प्रोवीजन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज, सभी काम हैं, इसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों को हर सेशन में प्रतिवेदन दे रहे हैं। अगर माननीय सदस्यों की भागीदारी होगी, तो यह क्रांतिकारी कानून सही में गरीबी हटाने की तरफ जाएगा ताकि गरीबों को रोटी मिले, काम मिले, डिस्ट्रेस पलायन रूके, हम इस सफलता की ओर जा रहे हैं। नई योजना का दूसरा वर्ष पूरा किया है और तीसरे वर्ष में देश भर के सभी जिलों में लागू करने जा रहे है इसलिए सभी की भागीदारी और साझेदारी जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पूरा उत्तर बोल दिया है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है लेकिन मैं आपसे उनका 10 परसेंट समय मांगता हूं। पहली बात यह है कि मैंने आपसे पूछा नेशनल एवरेज क्या है, मतलब 100 दिन के अंदर अभी नेशनल एवरेज में कितना काम किया जा रहा है और यह एवरेज बंगाल, त्रिपुरा और केरल में कितनी है? आपने इसके बारे में जवाब नहीं दिया।

दूसरी बात यह है कि आपने सीएजी को नियुक्त किया था, सीएजी में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नीकल खामियों के बारे में आपको बताया है, जिसमें मास्टर रोल, जॉब कार्ड राज्य सरकार का रोजगार का जो रेट है, जो मिनिमम वेज है, वह भी नहीं दिया जा रहा है। आपने कहा कि यह क्रांतिकारी है। सही मायनों में यह एक साइलेन्ट रिवोल्यूशन बन गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए, यह डिबेट नहीं है।

श्री अधीर चौधरी : इस क्रांति को कम करने के लिए किसी किसान को खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए * जैसी घटना नहीं घटी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। यह वाद–विवाद नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। कृपया अत्यधिक संवेदनशील न बनें।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उससे कुछ नहीं होता। अगर उन्हें ऐसा बोलकर थोड़ा आराम मिलता है तो आराम दीजिए।

श्री अधीर चौधरी : सर, मंत्री जी ने कहा कि सारे एम.पीज. को इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं बंगाल से एक एम.पी. हूं, वहां विपक्ष ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आपका क्वैश्चन नहीं है, आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : वहां एक * हम जानते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं होनें दूंगा।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह बहुत प्रासंगिक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसे सविस्तार बताया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि. चौधरी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी : बंगाल में विपक्षी दल के एम.पीज. को कोई मौका नहीं दिया जाता, जिससे कि वे एन.आर.ई.जी.एस. अपना योगदान कर सकें। अभी कहां फंड जाने वाला है, कहां फंड रिलीज होने वाला है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। किसी मॉनिटरिंग कमेटी के हम लोग हैड नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, अब मैं एक सीधा प्रश्न पूछता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है अब तक सभी अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछे जा रहे थे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो आप समझे हैं, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सौ दिनों के रोजगार के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। मैं बताना चाहता हूं कि 22 लाख परिवारों को सौ दिनों का रोजगार मिला है। लेकिन पिछले साल का एवरेज 44 दिन, इस साल अभी तक 41 दिन है, लेकिन अभी पीक सीजन चल रहा है, यह भी आगे जायेगा। इस तरह से अभी तक इतने लोगों को रोजगार मिला है। *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आप बंगाल के आंकड़े दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अलग–अलग राज्यों का बताएंगे। यह हम देश का एवरेज बता रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? यह बहुत विचित्र बात है।

[हिन्दी]

क्या जवाब मांगने का यही तरीका है?

[अनुवाद]

कृपया ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी एक भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्होंने खुद सवाल उठाया है, यह एवरेज जानना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुनने के लायक नहीं है। आप शॉर्ट में बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने बताया कि 22 लाख परिवारों को सौ दिनों का रोजगार मिला। राज्यवार इन्हें अलग से बताया जायेगा। *...(व्यवधान)* विजिलैन्स मॉनिटरिंग कमेटी *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : पहले बंगाल की एवरेज बताइए।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह दूसरी बात है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यही बात है। आप यहां क्या करना चाहते हैं? क्या आप कृपया बैठेंगे?

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह जानना मेरा वैध अधिकार है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अलग–अलग राज्यों का हम इन्हें भेज देंगे।

श्री अधीर चौधरी : आप अभी बताइए *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : नेशनल एवरेज मूल प्रश्न में नहीं था। इनका सवाल था कि असैट क्या सृजन हुआ और करैक्टिव मेजर्स क्या लिए गए। अब यह नेशनल एवरेज का प्रश्न उठा रहे हैं, हमने उसका भी उत्तर जबानी दे दिया। लेकिन राज्यवार ब्यौरे का उत्तर कागज देखे बिना देना संभव नहीं है, हम आपको अलग से बता देंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : आपने बंगाल में अनइम्पलायमेंट अलाउन्स दिया नहीं, यह बताइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा में बाधा पहुंचाई जा रही है यह एक मजाक की बात लग रही है और कुछ माननीय सदस्य इसका आनन्द उठा रहे हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठेंगे? आप भी बाधा पहुंचा रहे हैं। कृपया जिम्मेदारीपूर्ण आचरण करें।

[हिन्दी]

यह मजाक की जगह नहीं है।

[अनुवाद]

मैं रोज देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस काल का दुरुपयोग किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरे पास 25 माननीय सदस्यों की सूची है जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसकी मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं इस विषय पर पूरी चर्चा को अनुमति देने के लिए पुनः तैयार हूं। मैं ऐसा करूंगा। कृपया नोटिस दीजिए जिसे मैं अनुमति दूंगा और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री चर्चा के लिए सहमत होंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? हमने दो प्रश्न भी पूरे नहीं किए हैं और 27 मिनट बीत गए हैं। कृपया बैठ जाइए। यह मुझ पर निर्भर है आप पर नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, मैं आपको अब अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप अपने स्थान पर नहीं बैठे तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। आप बाहर जाएंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा से बाहर जाएं। कृपया बाहर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जिसका जो मन चाहता है, वो आप सब करते हैं।

...(व्यवधान)

मुद्रास्फीति

+

*223. **श्री काशीराम राणा :**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति रोकने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तिमाही आधार पर तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के बढ़ने की आशंका व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार मुद्रास्फीति को काबू में रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसे निरंतर मॉनीटर किया जाता है और इसकी प्रतीक्षा की जाती है। डब्ल्यूपीआई द्वारा यथामापित शीर्षस्थ मुद्रास्फीति 23 जनवरी, 2008 को 5.02 प्रतिशत के स्तर पर एक वर्ष पूर्व के 6.20 प्रतिशत से कम थी। प्राथमिक वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की मौजूदा मुद्रास्फीति दर भी एक वर्ष पूर्व दर्ज की गई क्रमशः 11.58 और 6.11 प्रतिशत से कम होकर 6.28 और 4.33 प्रतिशत हो गई। ईंधन और विद्युत समूह की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 24 जनवरी, 2007 से बढ़कर 5.64 प्रतिशत हो गई लेकिन, यह समूह समग्र मूल्य वृद्धि में एक चौथाई से कम का योगदान करता है।

(ख) औसत थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्षानुवर्ष तिमाही मुद्रास्फीति नीचे सारणी में दी गई हैं:

सारणी : थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित
तिमाही मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत)

वर्ष/तिमाही	सभी वस्तुएं	प्राथमिक वस्तुएं	ईंधन समूह	विनिर्मित उत्पाद
1	2	3	4	5
2006–07				
अप्रैल–जून	4.6	6.0	8.8	2.4
जुलाई–सितम्बर	5.1	6.2	7.0	3.9
अक्टूबर–दिसम्बर	5.6	8.0	4.5	5.0
जनवरी–मार्च	6.4	11.1	2.3	6.3
2007–08				
अप्रैल–जून	5.4	9.8	0.3	5.7

1	2	3	4	5
जुलाई–सितंबर	4.1	8.9	-2.0	4.8
अक्टूबर–दिसम्बर	3.4	4.7	0.5	4.1
जनवरी–फरवरी (अ)	4.3	4.5	4.3	4.2

अ – अनंतिम

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मुद्रास्फीति–रोधी मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार की मुद्रास्फीति–भिन्न विकास नीति का समर्थन करता है।

सरकार की मुद्रास्फीति–रोधी नीतियों में राजकोषीय अनुशासन अपनाना, आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाना, उदार टैरिफ तथा व्यापार नीतियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी आपूर्ति–मांग का प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की नीतियां एक दूसरे की अनुपूरक होती हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश मे इंफ्लेशन रेट हर रोज बढ़ती जा रही है। जो जनवरी में 4.11 प्रतिशत थी, वह अभी फरवरी में 5.02 प्रतिशत हो गई है और बजट के बाद यह इंफ्लेशन रेट और भी बढ़ी है। इसकी वजह से जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 11.6 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत हो गया है। हमारी जो मैन्युफैक्चिरिंग ग्रोथ 12.3 प्रतिशत थी, वह 5.9 प्रतिशत हो गई है और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, वह 5.3 प्रतिशत से –3.1 प्रतिशत हो चुकी है।

[अनुवाद]

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की बढ़ती प्रवृत्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की असह्य मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए गठित किए गए प्रभावी उपायों के बारे में जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए लेकिन यह सप्लीमेंट्री का समय है। ये सब लोग भाषण देते हैं। इररेलेवेंट क्वैश्चन पुट करते हैं।

[अनुवाद]

यह ऐसा है कि यहां सब लोग अध्यक्षपीठ को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य का उनके अनुपूरक के लिए आभारी हूं।

मुद्रास्फीति ऐसा मामला है जो प्रत्येक सरकार के लिए चिंता का विषय है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। निश्चय ही हम सबको चिंता करनी चाहिए कि मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अप्रैल 2001 से अक्टूबर 2007 के बीच थोक मूल्य सूचकांक 6.28 प्रतिशत से घटकर 3.11 प्रतिशत हो गया। उसके बाद से थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी हुई है और मैं चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है जिसके कारण थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी हुई है उसे पढ़ते समय माननीय सदस्यगण मेरे साथ सहयोग करें।

उदाहरणार्थ वर्ष 2004 में कच्चे तेल का औसत मूल्य 37 प्रति बैरल था; अप्रैल 2007 में यह 65 डालर प्रति बैरल था; फरवरी 2008 में यह 93 डालर प्रति बैरल था; और आज यह 110 डालर प्रति बैरल है। मैं पाम आयल का उदाहरण देना चाहूंगा जो एक बेंचमार्क खाद्य तेल है और यह सभी अन्य तेलों की कीमतों को प्रभावित करता है। वर्ष 2004 में पाम ऑयल की कीमत 471 डालर प्रति मीट्रिक टन थी; अप्रैल 2007 में 710 डालर प्रति मीट्रिक टन थी; फरवरी 2008 में यह 1,177 डालर प्रति मीट्रिक टन थी; और विगत 15 दिनों में इसमें प्रति मीट्रिक टन 100 डालर की वृद्धि हुई है। इसका आयात मलेशिया तथा इंडोनेशिया से किया जाता है। मैं एक और उदाहरण चावल का दूंगा। 2004 में थाइलैंड चावल, एफ.ओ.बी. की कीमत 225 डालर प्रति मीट्रिक टन थी; अप्रैल 2007 में यह 296 डालर प्रति मीट्रिक टन थी, जनवरी 2008 में यह 364 डालर प्रति मीट्रिक टन थी; और आज इसकी लागत 510 डालर प्रति मीट्रिक टन है।

आज मुद्रास्फीति कमोडिटी कीमतों के कारण बढ़ रही है। बजट भाषण में मैंने अन्य गैर–खाद्य कमोडिटी का उल्लेख किया था, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता, यथा तांबा, टिन, जिंक, इस्पात इत्यादि। यह कमोडिटी कीमतों के कारण बढ़ रही है और कमोडिटी कीमतों में यह प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के कारण बढ़ रही है।

अब जबकि हम किसानों को गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 1000/– रुपए का भुगतान कर रहे हैं और वे जिसके हकदार हैं, यह खुदरा कीमतों में भी प्रतिबिम्बित होगा। आज जब धान के लिए 740 रुपए प्रति क्विंटल की वर्तमान कीमत की तुलना 1000/– रुपए दिए जाने की मांग की जा रही है, तो यह घरेलू कीमतों में भी प्रतिबिम्बित होगी। राज्य द्वारा खनिजों के लिए अधिक रायल्टी की मांग भी घरेलू कीमतों में प्रतिबिम्बित होगी।

कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मामले हमारे नियंत्रण के अंतर्गत

हैं। उदाहरणार्थ, विनिर्मित उत्पादों का मुद्रास्फीति में योगदान काफी कम है। यह अभी भी 3.5 प्रतिशत से कम है। इसे मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन विश्व भर में खाद्य तथा ईंधन की कीमतें हमारी वित्तीय नीति अथवा मौद्रिक नीति से प्रभावित नहीं होती हैं मौद्रिक नीति से तो निश्चित रूप से नहीं, यद्यपि कुछ हद तक वित्तीय नीति से प्रभावित होती हैं। हमने शुल्कों में कटौती की है। हमने आयात शुल्कों में तथा उत्पाद शुल्कों में कटौती की है ताकि इन वस्तुओं पर कर के कारण कठिनाई न हो। खाद्य वस्तुओं पर शायद ही कोई कर है।

मैं सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं, कमोडिटी कीमतों में विशेषकर खाद्य कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से बढ़त का रूझान है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतों से स्वयं को अलग रखने का केवल एक रास्ता कुछ वस्तुओं यथा गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेलों तथा दालों के मामले में आत्म–निर्भर होना है। चावल में हम लगभग आत्मनिर्भर हैं, गेहूं का आयात मामूली मात्रा में किया जाना है; लेकिन हम खाद्य तेलों तथा दालों के प्रमुख आयातक हैं। जब तक हम आयातों पर निर्भर हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अधीन हैं।

इस संबंध में हमने क्या कदम उठाए हैं उस बारे में मैं बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि आपने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : जी हां, मैंने स्पष्ट किया है।

हम मौद्रिक तथा वित्तीय कदम उठा रहे हैं। मौद्रिक कदम हमारे उत्तर में दर्ज हैं; और वित्तीय कदमों की घोषणा बजट में की गई है। मैं मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए कोई अन्य वित्तीय कदम उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक सभा को यह बताना चाहता हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतों से अलग नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं और जिनकी मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती हैं, उनका सीधा असर मूल्य वृद्धि पर होता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे क्रूड ऑयल, पॉम आयल इम्पोर्ट करते हैं तो स्वाभाविक है कि उससे मूल्य वृद्धि होगी लेकिन जो फूडग्रेन्स हैं या जो डोमैस्टिक ऑयल्स हैं, उन सब का मूल्य इतना बढ़ गया है। स्टील का भाव एक हफ्ते में 10 रुपए किलो बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ा है उससे महंगाई बढ़ जाती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह फिसकल मैजर्स ले रहे हैं और अभी पिछले सप्ताह उन्होंने कहा कि इंटरैस्ट रेट कम करने के बारे में आर.बी.आई. सोचे या जिस प्रकार से कॉमौडिटीज फारवर्ड ट्रेडिंग है ...*(व्यवधान)* जिन चार चीजों पर सरकार ने बैन किया है, क्या इनके बारे में सरकार कोई स्टैप्स लेने जा रही है या नहीं? माननीय मंत्री जी ने अनाऊंसमेंट किया लेकिन कोई इफैक्टिव मैजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ फर्दर स्टैप्स लेंगे या इंटरेस्ट रेट कम करने के विषय में कुछ कदम उठाएंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य सरकार में किसी मंत्री से यह बेहतर समझते हैं कि ब्याज दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के सर्वाधिक कारगर उपायों में से एक है। यही कारण है कि यह मौद्रिक प्रबंधन का भाग है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारक प्रवृत्तियां अथवा मुद्रास्फीतिकारक संभावनाएं दृश्यमान हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक को अनिवार्य रूप से ब्याज दर साधन का उपयोग करना पड़ेगा। यदि मुद्रास्फीति संभावनाओं को नियंत्रित किया जाता है तो निःसंदेह ब्याज दर में कटौती की जा सकती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति संभावनाएं विद्यमान हों तब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दर साधन के उपयोग पर ही भरोसा करना पड़ेगा। यह एक स्वीकार्य अवधारणा है और हमें यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक पर छोड़ना पड़ेगा कि संकेत अथवा नीतिगत दरें क्या होंगी।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में यह लाना चाहूंगी कि सरकारी सूचकांकों में मुद्रास्फीति की दर में केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई है जबकि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सतत वृद्धि हुई है जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से वांछित परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठा रही है?

श्री पी. चिदम्बरम : प्रश्न के अंतिम भाग पर माननीय कृषि मंत्री ने अनेक अवसरों पर विस्तारपूर्वक तथा मेरे बजट भाषण में संक्षेप चर्चा हुई है। जैसा कि मैंने कहा भारत जैसा कोई भी विशाल देश खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के आयात पर निर्भर नहीं कर सकता है क्योंकि इससे हम अपने देश में मुद्रास्फीति का भी आयात करेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना है और इसी कारण हमने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की घोषणा की है। पहले मद में 25,000 करोड़ रुपए और दूसरे में 4882 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। हमें आशा है कि हम अगले तीन से चार वर्षों में चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन; गेहूं के उत्पादन में 8 मिलियन टन तथा दलहनों के उत्पादन में दो मिलियन टन की वृद्धि करेंगे और ऐसी स्थिति में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

जहां तक सूचकांक के संबंध में प्रथम प्रश्न का संबंध है तो मैंने सूचकांक में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह वही सूचकांक है जो कि पिछले दस वर्षों या इससे अधिक अवधि से बना हुआ है। यह वही सूचकांक है जो आज है। इसे उसी एजेंसी से बनाया जा रहा है। मैं सूचकांक में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। यही वही सूचकांक जो यह प्रदर्शित करता है कि थोक मूलय सूचकांक में कमी आई है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही काशीराम राणा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि यह 6 प्रतिशत से कुछ अधिक के स्तर से घटकर 3.2 प्रतिशत पर आ गया है। अब यह 3.2 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 5 प्रतिशत हो रहा है। यह वही सूचकांक है। तथापि, एक समूह है जो उपभोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से वर्तमान समूह को प्रतिबिम्बित करने वाले एक संशोधित सूचकांक बनाने का प्रयास कर रहा है। जब वह सूचकांक उपलब्ध हो जाएगा तो वह आपके दृष्टिकोण से तथा हमारे दृष्टिकोण से – इसे अधिक यथार्थपूर्वक बताएगा कि बाजार में क्या हो रहा है। लेकिन मैं उस सूचकांक का उपयोग कर रहा हूं जो कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 से 15 वर्षों से उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह उत्तर पूर्ण है और बजट पर वाद–विवाद जारी है। अतः, अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

श्री जे.एम. आरुन रशीद – उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत सिंह।

तटवर्ती क्षेत्रों में पवन ऊर्जा

+

*224. **श्री दुष्यंत सिंह :**

श्री जे.एम. आरुन रशीद :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटवर्ती क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के दोहन की अपार संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसके दोहन के लिए क्या कार्य योजना/रणनीति तैयार की गई है?

[हिन्दी]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। तथापि, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तटवर्ती क्षेत्रों में 71 स्थानों पर किए गए पवन सर्वेक्षणों में पवन ऊर्जा के दोहन हेतु 27 स्थानों पर संभाव्यता पाई गई है।

(ख) संभावित तटवर्ती क्षेत्रों सहित देश में दिनांक 31.12.2007 के अनुसार 7,844 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संभावित तटवर्ती क्षेत्रों सहित देश में 10,500 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता के लक्ष्य की योजना बनाई गई है। 11वीं योजना के दौरान विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर जैसे कि पवन विद्युत जनरेटर के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से सृजित आय पर दस वर्षीय कर–अवकाश, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से ऋण आदि द्वारा निजी क्षेत्र निवेश के माध्यम से पवन विद्युत परियोजनाओं के संवर्धन हेतु कार्यनीति जारी रखी गई है। आगे और संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन के माध्यम से, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी–वैट) के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी संभावित राज्यों में पवन विद्युत के लिए अपेक्षाकृत उच्च शुल्क–दर उपलब्ध कराया जाता है।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह : आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पवन ऊर्जा के जरिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि की आपार संभावनाएं हैं लेकिन पवन ऊर्जा के लिए निर्धारित की गई धनराशि बहुत ही कम है। वर्ष 2007–08 के लिए बजट आबंटन केवल 15.5 करोड़ रुपए ही रखा गया है। चालू वर्ष के लिए आबंटन केवल 22.5 करोड़ रुपए है। उन्होंने किस प्रकार से ग्यारहवीं योजना के अंत तक 10500 मेगावाट पवन ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने का अनुमान लगाया है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की इस सैक्टर के बारे में जो कल्पना है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पवन ऊर्जा में जो भी इनवेस्टमेंट हुआ है, वह निजीकरण से हुआ है। इसमें मंत्रालय द्वारा दोहन का कोई कार्य नहीं होता। हमारे देश में 45 हजार मेगावाट का पोटेंशियल है और अब तक हमने साढ़े आठ हजार मेगावाट, तकरीबन 20 प्रतिशत एचीवमेंट किया है। अब एक व्यवस्था निर्माण हो गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र से लोग आते हैं और इससे हमारा जो बजट है, उस बजट में से हम कोई दोहन का कार्य नहीं करते। इसमें जो भी इनवेस्टमेंट एवं बढ़ोत्तरी हो रही है, वह निजीकरण से हो रही है। इसलिए हमारा जो 11वीं योजना का दस हजार पांच सौ मेगावाट का टारगेट है, उससे भी ज्यादा एचीव करने की क्षमता रखते हैं।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह : हमारे पूर्व राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने पांचवें पवन ऊर्जा सम्मेलन में अपतटीय क्षेत्रों में पवन फार्मों की प्रक्रिया के अध्ययन के बारे में कुछ बातें कहीं थी। क्या सरकार, विशेषकर जब हमारे पास लगभग 7000 किलोमीटर का समुद्रतटीय क्षेत्र है, स्थगित करने पर विचार कर रही है? क्या हम पवन ऊर्जा की लागत 2.50 रु. से तथा 3.50 रु. से कम कर 1 रुपया तथा 2 रुपए करने की सोच रहे हैं? क्या सरकार हमारे पूर्व राष्ट्रपति की बातों पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो 45 हजार मेगावाट का पोटेंशियल है, वह हमारे देश में ही उपलब्ध है, जो ओन श्योर और ओफ श्योर का पोटेंशियल है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने जो बात कही थी, वह भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समुद्र के अंदर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर जाना पड़ता है और उसकी केपिटल कास्ट ज्यादा है। हम और अंदर जाते हैं तो उससे जेनरेशन ज्यादा मिलता है, लेकिन उसकी केपिटल कास्ट ज्यादा है। प्रायोजित तौर पर हम भी कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव आता है तो प्रायोजित स्तर पर हम करके देखेंगे। देश के अंदर टैक्नोलॉजी डेवेलप हुई है और निजीकरण में भी टैक्नोलॉजी डेवेलप हुई है, वे भी अपने अलग–अलग प्रयोग करते रहते हैं।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल : भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण पवन ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए रियायती धनराशि उपलब्ध करवाकर नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं की सहायता करता है। मैं जानना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 2008 तक निजी निवेश के जरिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल कितनी रियायती धनराशि उपलब्ध कराई गई।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसके लिए कुछ धनराशि प्रदान कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस इरेड़ा के बारे में उल्लेख किया है, यह हमारे मंत्रालय द्वारा केवल अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल व्यवस्था की गई है और यह तब था जब हमारे कमर्शियल बैंक्स सामने नहीं आते थे, लेकिन अब खुद कमर्शियल बैंक भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में फाइनेंस करने के लिए सामने आते हैं। हमारे पास जो कोई भी प्रपोजल अक्षय ऊर्जा के प्रमोशन के लिए हो तो उन्हें इरेडा से ऋण मिलता है।

श्री हरिभाऊ जावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। तटवर्ती क्षेत्रों की पवन सुरक्षा में पवन ऊर्जा के दोहन हेतु, जिन 27 स्थानों पर संभवत: पाई गई है, उसमें महाराष्ट्र के कितने और कौन से स्थान हैं और कितने स्थानों पर पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है?

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महाराष्ट्र से संबंधित जो लिस्ट मांग रहे हैं, वह हम इन्हें दे देंगे, लेकिन पवन ऊर्जा का इतना बड़ा विपुल क्षेत्र है और तटवर्तीय क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा है कि यह सब कुछ निजीकरण में होता है और जब हम उसका मैपिंग करते हैं, तो उसके मुताबिक 71 स्थानों पर हमने उसका परीक्षण किया, जिसमें से 27 स्थान हमने उपयुक्त पाए। इसे अभी हमारी वैबसाइट और मैप पर रखा हुआ है और जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है, वह इसका उपयोग करके वहां अपनी विंड मशीन लगा सकता है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, तटवर्ती क्षेत्रों में पवन ऊर्जा बढ़ाने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है और ऊर्जा मंत्रालय से संबंधी दो मंत्री श्री शिंदे और विलास मुत्तेमवार जी महाराष्ट्र से हैं। भारत में विकास के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। तटवर्ती क्षेत्रों में आपने 71 क्षेत्रों का सर्वे किया है और 27 जगहों पर पवन ऊर्जा बनाने वाले हैं, उसमें महाराष्ट्र और गोवा भी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक साल के अंदर कितनी पवन ऊर्जा निर्माण करने का आपका प्लान है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महाराष्ट्र के बारे में जानना चाहते है।

श्री रामदास आठवले : महोदय, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा स्थल है, उसके बारे में पूछा था। महाराष्ट्र में विजय दुर्ग है और वहां की पोटेंशियल 78 मेगावाट है। जैसा कि मैं बार–बार बता रहा हूं कि यह सब कुछ निजीकरण में हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 225 श्री रशीद मसूद – उपस्थित नहीं।

श्रीमती मनोरमा माधवराज – उपस्थित नहीं।

प्रश्न 226 श्री हरिसिंह चावड़ा – उपस्थित नहीं।

श्री मोहन सिंह

प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं लेकिन सदस्यगण रुचि नहीं ले रहे हैं।

[हिन्दी]

बड़ी संख्या में राजस्व अधिकारियों द्वारा नौकरी छोड़ना

*227. **श्री मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक आयकर, सेवाकर, सीमा और उत्पाद शुल्क विभागों के समूह 'क' तथा 'ख' के कितने अधिकारी स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़कर चले गए;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारण की जांच की है तथा क्या बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ने के कारण विभाग के कार्यकरण तथा करों की वसूली प्रभावित हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सहायक आयकर आयुक्तों के रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है और सहायक आयुक्त तथा इसके ऊपर के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क विभागों में कार्यरत समूह 'क' के कुल 247 अधिकारियों ने विगत वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी है। जहां तक समूह 'ख' के अधिकारियों के बारे में सूचना का संबंध है, यह एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बड़ी संख्या में अधिकारी सेवा छोड़कर नहीं जा रहे हैं। सेवा से त्यागपत्र देने/स्वैच्छिक आधार पर सेवा निवृत्ति लेने की केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू संगत नियमों के तहत अनुमति है। इससे किसी भी तरह से विभाग के कार्यकरण अथवा करों की वसूली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक नौकरी छोड़ने के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पदों को लागू भर्ती-नियमों के अनुसार प्रति वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नतियों द्वारा, जैसा भी मामला हो, भरा जा रहा है।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति अनुसार, सहायक आयकर आयुक्तों के रिक्त पदों की संख्या संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

सहायक आयकर आयुक्त के ग्रेड में रिक्ति संबंधी स्थिति

31.3.2005 (2004-05)	31.3.2006 (2005-06)	31.3.2007 (2006-07)
231	247	298

उपर्युक्त रिक्तियों के प्रति भर्ती संबंधी कार्रवाई पूरी हो गई है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के मंत्रालयों में आयकर विभाग, आबकारी विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग और सीमा शुल्क विभाग, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिनके माध्यम से भारत सरकार अधिकांश वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा करती है। लेकिन विगत तीन वर्षों में उनकी सेवा शर्तों में गिरावट के चलते बड़े पैमाने पर इस विभाग के अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बाहर जा रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शीघ्रताशीघ्र पदोन्नति के कार्यों को तीव्र करने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए क्या भारत सरकार कोई कार्य योजना बना रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर अधिकारी नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे सभी आंकड़े देखने होंगे। राजस्व विभाग में, आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर स्कंधों में समूह 'क' अधिकारियों के कुल 7007 पद स्वीकृत हैं। तीन वर्ष ग्यारह महीनों में 48 अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए तथा 199 अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ली जो कुल मिलाकर 247 अधिकारी हुए। इनका वार्षिक औसत लगभग 60 या 65 है। 7007 कुल पदों में से एक प्रतिशत अधिकारियों ने नौकरी छोड़ने को बड़े पैमाने पर नौकरी छोड़ना नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः निजी क्षेत्र में नौकरी छोड़ने की दर काफी अधिक है तथा जब रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, जब निजी क्षेत्र में बेहतर वेतन मिलता हो एवं लोग नौकरी करने विदेश जाते हों, तो हम यह आशा कर सकते हैं कि लोग नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि नौकरी छोड़ने की एक प्रतिशत की दर अधिक है। वस्तुतः निजी क्षेत्र जहां कुल नौकरी छोड़ने वाले लोगों की संख्या कई बार 10 प्रतिशत से अधिक होती है, की तुलना में यह बहुत ठीक है।

पदोन्नतियों के लिए एक सुस्थापित प्रक्रिया है। जहां हमें संघ लोक सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता है। हम संघ लोक सेवा आयोग को भेज देते हैं तथा संघ लोक सेवा आयोग पदोन्नति करता है। मैंने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बात की है तथा उनसे पैनल को अन्तिम रूप देने एवं हमें पदोन्नति सूची देने में कम

समय लेने का अनुरोध किया है। सदस्य प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन समूह 'क' के लिए पदोन्नति हेतु हम पूर्णतया संघ लोक सेवा आयोग पर निर्भर है।

जहां तक अन्य वर्गों का संबंध है, हम इससे तेजी लाने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन हम स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कमिश्नर और चीफ कमिश्नर लेवल पर जो तरक्की के अवसर हैं, उसमें लम्बे पैमाने पर वृद्धि की और कमिश्नरेट तो बहुत बड़ी संख्या में खुले। लेकिन इन विभागों की जो रीढ़ हैं, इन्सपेक्टर और सैक्शन आफिसर, उनके डिपार्टमेंट प्रमोशन के मामले में डिपार्टमेंट कुछ शिथिल सा है। उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को कुछ नहीं करना है, विभाग और मंत्रालय को जिस स्तर के प्रमोशन करने हैं, उस प्रमोशन में काफी शिथिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्सपेक्टर लेवल और उससे ऊपर की तरक्की में इनका मंत्रालय शीघ्रताशीघ्र उन सारे पदों को भरने का प्रयास करेगा?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, चूंकि प्रश्न पदोन्नति से संबंधित नहीं है, गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हुई पदोन्नतियों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं आंकड़े आसानी से ला सकता था एवं सदस्यों को बता सकता था, लेकिन गलती मेरी ही है, मैं इसे सुधारूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना सदस्य को भिजवा दीजिए।

[हिन्दी]

विद्युत सम्मेलन

+

*228. **डा. शफीकुर्रहमान बर्क** :

श्री रमेश दूबे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा दिल्ली में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का एक दिन का सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में चालू पंचवर्षीय योजना के अंत तक "सभी के लिए विद्युत" सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, विद्युत क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 19 फरवरी, 2008 को राज्यों एवं संघ राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई –

(i) त्वरित क्षमता अभिवृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना की सारी परियोजनाओं के आदेश देने के कार्य मार्च, 2008 तक पूरे कर दिए जाने हैं।

(ii) संपूर्ण तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियों का घटा कर 15 प्रतिशत तक लाना।

(iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन।

(iv) पारेषण एवं वितरण में खुली पहुंच का क्रियान्वयन।

(v) राज्य क्षेत्रों के तहत अंतःराज्य पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

(ग) और (घ) सम्मेलन का उद्देश्य था, विभिन्न चिह्नित मुद्दों के संबंध में, राज्यों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को समझना ताकि चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें सुलझाया जा सके।

इस बात पर आम सहमति थी कि केन्द्र एवं राज्यों दोनों के समन्वित प्रयत्नों के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 78577 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है यदि इस कार्यक्रम के तहत चिह्नित सारी परियोजनाओं के आदेश, राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2008 तक दे लिए जाएं।

यह पाया गया कि राज्य वितरण यूटिलिटीज़ को समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को घटा कर 15 प्रतिशत तक लाने के लिए और ज्यादा संयुक्त प्रयत्न करने होंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के त्वरित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कहा गया था कि वे ग्रामीण विद्युतीकरण की गति बढ़ाएं ताकि ग्रामीण घरों में विद्युत की पहुंच प्रदान किए जाने के कार्य को 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जा सके। सभी राज्यों से पारेषण, उप–पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को विकसित करने के लिए शीघ्र ही योजनाएं बनाने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित आधारभूत सुविधाएं तथा निवेश कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के अनुरूप हो

सके। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के स्वतंत्र कार्य को शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित करें तथा उन पद्धतियों को नियंत्रित करें जो प्रतिस्पर्धा तथा विद्युत के अप्रतिबंधित प्रवाह के लिए सहायक नहीं है तथा संस्वीकृत एवं क्रियान्वित मामलों के परिप्रेक्ष्य में खुली पहुंच का मूल्यांकन करें। राज्यों से विशेष तौर पर कहा गया है कि वे खुली पहुंच के लिए लगाए गए प्रभारों को युक्तिसंगत रखें।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने प्लान में वर्ष 2009 तक हर गांव का विद्युतीकरण करने और वर्ष 2012 तक हर गांव को बिजली से जोड़ने की जो बात कही है, क्या वह टारगेट राज्यों और यूनियन टेरटरीज़ में सर्वे करवाकर किया गया है? यदि हां, तो उसकी डिटेल क्या है, यदि नहीं तो क्यों?

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مراد آباد): محترم جناب اسپیکر صاحب، میں عزت مآب منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اپنے پلان میں سال 2009 تک ہر گاؤں کا وھیوتی کرن کرنے اور سال 2012 تک ہر گاؤں کو بجلی سے جوڑنے کی جو بات کہی ہے، کیا یہ ٹارگیٹ صوبوں اور یونین ٹیریٹریز میں سروے کروا کر کیا گیا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, इसका केवल सर्वे ही नहीं, रेगूलर मॉनीटरिंग भी होती है, जिस पर प्रश्न पूछा गया है। ऑल इंडिया लेवल पर हमने चीफ सेक्रेटरीज़ की बैठक बुलाई थी और 78577 मेगावाट का हमने ग्यारहवें प्लान में टारगेट दिया था। जिस दिन हमने यह बैठक ली थी, उस दिन तक लगभग 64–65 हजार मेगावाट के हमारे सारे आर्डर्स प्लेस हो गए थे। ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसके लिए हमने सभी राज्यों के सेक्रेटरीज़ को बुलाया था और उनसे कहा था कि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक यह टारगेट पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी में रेगूलर प्रोसेस चलता है कि कहां से प्रोजेक्ट लाए, चाहे हाइड्रो में हों या थर्मल में हों, काम रेगूलर बेसिस पर चलता रहता है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्ष 2009 तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हमने आश्वासित किया है और मेरे विभाग को एक लाख देहातों की बिजली लाने का टारगेट पूर्ण करना है। अभी तक हमने 45 हजार गांवों को पूरा किया है। जिस दिन तक का हमने टारगेट दिया है, उस दिन तक सभी गांव पूर्ण हो जाएंगे।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : माननीय मंत्री जी, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। क्या सरकार ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बिजली की बेहद खराब हालत का जायजा लिया है, जहां अभी हजारों गांव और कस्बे बिजली से महरूम हैं? पिछले दिनों इसी खराब हालत की वजह से वेस्टर्न यूपी में बिजली की रेलगाड़ियां रास्तों में रुकी खड़ी रहीं। लिहाजा मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2008–09 के लिए यूपी को कितने मेगावाट बिजली देने का प्लान है और वह कब तक पूरा हो जाएगा।

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مراد آباد): محترم منتری جی، ابھی میرے سوال کا جواب نہیں آیا ہے۔ کیا سرکار نے ملک کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش میں بجلی کی بے حد خراب حالت کا جائزہ لیا ہے۔ جہاں اب بھی ہزاروں گاؤں اور قصبے بجلی سے محروم ہیں۔ پچھلے دنوں اسی خراب حالت کی وجہ سے مغربی یوپی میں بجلی کی ریل گاڑیاں راستوں میں رکی کھڑی رہیں۔ لہذا میں جاننا چاہتا ہوں کہ سال 2008-2009 کے لئے یوپی کو کتنے میگاواٹ بجلی دینے کا پلان ہے، اور وہ کب تک پورا ہو جائے گا

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली निर्माण का काम बीते 10–12 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा कैपसिटी एडीशन हुआ है। यहां लोगों को बिजली के लिए बड़ी दिक्कत आती है। हम बार–बार उनको कह रहे हैं कि कैपसिटी एडीशन करना होगा। यह एक कन्करेंट सबजैक्ट है, जैसे एजुकेशन का सबजैक्ट है। लेकिन पूरे देश में यह समझा जा रहा है कि जो बिजली निर्माण का काम है, वह भारत सरकार को करना है। यह तो गलत बात है। अपने राज्य में जितनी बिजली की खपत है, उसका असेसमेंट करके हर राज्य को अपने लोगों को बिजली देने का काम करना चाहिए। हमारा काम सप्लीमेंटरी काम है। अभी भी हम तैयार हैं, जितनी बिजली उनको चाहिए, उसमें कुछ भी हमारी मदद चाहिए, वह करने के लिए हम तैयार हैं। हम भी आज कह रहे हैं कि सैण्ट्रल प्रोजेक्ट्स से जितनी बिजली हम देते हैं, उससे स्टेट की बिजली कुछ निर्माण नहीं हो रही है। मैं सम्माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप एक अच्छे और बड़े पावरफुल नेता हैं, जरा आप भी हमारी मदद करें और अपने राज्य को कहिए कि जरा बिजली निर्माण का काम करें।

श्री रमेश दूबे : महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, भारत सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सब को बिजली देने की बहुत बड़ी योजना बनाई है। यह बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सच्चाई के धरातल पर इस लक्ष्य को परखें तो यह एक असम्भव कार्य लगता है। इस सरकार के पास बहुत पैसा है, परन्तु बिजली उपकरण, जैसे ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, खम्भे नहीं हैं। भारत सरकार का उपक्रम भेल उपकरणों की मांग पूरी करने में असमर्थ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीजिए।

श्री रमेश दूबे : राज्यों को तो छोड़िये, दिल्ली और आसपास बिजली की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि बहुत सारे सरकारी और निजी पावर प्लांट्स कोयले की कमी के चलते बंद

पड़े हैं और उनमें बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है, इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, यह कोयले की वजह से नहीं है, कोयला तो हमारे पास बहुत है और कोयले की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यह अभी–अभी बताया है। श्री दूबे जी महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से चुनकर आ गए हैं। उनको उत्तर प्रदेश की चिन्ता है, मुझे पूरा पता है, लेकिन आप दोनों सदस्यों को मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली निर्माण का काम बहुत कम हो गया है। ऐसा गये 10–12 साल से हो गया है। आप एक काम करिए, भारत सरकार के पास उसके लिए काफी पूंजी है और अभी–अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमें 11वें प्लान में राजीव गांधी ग्रामीण निर्माण के लिए 28 हजार करोड़ रुपया हमें दे दिया है। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हंसराज अहीर। आप सभी को इन्हें देखना चाहिए। श्री अहीर नोटिस देते हैं, शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, उन्हें अवसर मिलता तथा वे समय का सदुपयोग करते हैं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि चीफ सैक्रेटरीज़ की बैठक ली गई, उसमें निश्चित ही अपने देश में जो बिजली की कमी है, उस पर चिन्ता और कुछ ऐसा मार्ग निकालने का प्रयास किया होगा। मैं मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूं कि देश में सभी राज्यों में बिजली की कमी है और महाराष्ट्र में विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि 6500 मेगावाट बिजली की कमी की आपसे मांग की गई है, सूचना भेजी गई है। आप निश्चित ही बिजली की मांग करने का महाराष्ट्र को आपके पास से अधिकार है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि क्या हम पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीद कर, प्राप्त करके हमारे देश में अन्य राज्यों को बिजली देने के लिए सरकार कुछ प्रयास कर रही है? साथ ही मैं यह भी पूछूंगा कि जो बिजली की क्षमता वाले जो पावर प्लांट हैं, जो राज्यों द्वारा परिचालित होते हैं, उनमें अनेक प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे कि चन्द्रपुर में जो 2340 मेगावाट का प्लांट है, वहां पर 1200–1300 मेगावाट ही बिजली बनती है, तो ऐसे प्लांट, जो क्षमता से कम बिजली का उत्पादन करते हैं, उन प्लांटों के लिए क्या केन्द्र सरकार अपने कब्जे में लेकर उन प्लांटों को चलाने का प्रयत्न करेगी?

श्री सुशील कुमार शिंदे : इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए हमारा ए.पी.जी.आर.पी. जो योजना है, उसमें तो काफी मदद होती है। लेकिन चन्द्रपुर वन और टू में नया करना था। पहले तो 500 मेगावाट करने का था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कहती है कि वहां सुपर क्रिटीकल मशीन्स बिठाना चाहते हैं, उसके लिए वहां दिक्कते हैं। लेकिन मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि आप विदर्भ के हो, आपके महाराष्ट्र की बिजली कम है, इसको देखते हुए हमने एन.टी.पी.सी. की तरफ से 1000 मेगावाट का मौदा में वहां एक प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं और उसकी मशीनरी के ऑर्डर भी अभी 15 दिन में जाएंगे, इतना फास्ट काम वहां चल रहा है। यही मालूमात मैं इस सदन को देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री पी. करूणाकरन। कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछिए। आधा मिनट भी नहीं बचा है।

श्री पी. करुणाकरन : धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप अगली बार प्रश्न पूछ लीजिए। अब, प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बच्चों को गोद लेना

***225. श्री रशीद मसूद :**
श्रीमती मनोरमा मादवराज :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों को गोद लेने हेतु नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से कर्नाटक में बड़ी संख्या में दम्पत्ति दत्तक ग्रहण केन्द्रों की सीमित संख्या को देखते हुए बच्चों को गोद लेने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोद लेने की आड़ में कई बच्चे गलत हाथों में चले जाते हैं तथा उनसे अवैध कार्य कराए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और

संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, बच्चे के लिंग, धर्म, जाति अथवा इसके प्रत्याशित माता–पिता के कारण दत्तक ग्रहण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नोडल एजेंसी है। इसके द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के बारे में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। देश के अन्दर दत्तक ग्रहण के बारे में वर्ष 2004 तथा अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के बारे में वर्ष 2006 में नवीनतम दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाने और दत्तक ग्रहण के नाम पर बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इन दिशा–निर्देशों की नियमित समीक्षा की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के कानूनी दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है तथा केवल राज्य सरकारों द्वारा मान्यता–प्राप्त एजेंसियां ही देश के अन्दर तथा देश के बाहर बच्चों का दत्तक ग्रहण करा सकती हैं। एजेंसियों द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता के बारे में गहराई से छानबीन किए जाने के बाद ही बच्चों तक दत्तक ग्रहण किया जाता है। कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों के गलत हाथों में पड़ने तथा उनसे गैर–कानूनी कार्यकलाप कराने की कोई सूचना मंत्रालय को नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

शेयर बाजार में विदेशी कंपनियों की भागीदारी

***226. श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति में पिछले कुछ समय में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए अक्तूबर, 2007 में अनुमोदित उपायों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। भारतीय स्टॉक बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और प्रचालनरत उप–खातों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले छः महीनों में, उनकी संख्या सितम्बर–अंत 2007 में पंजीकृत 1100 विदेशी संस्थागत निवेशकों और 3388 उप–खातों से बढ़कर फरवरी अंत, 2008 में 1303 विदेशी संस्थागत निवेशक और 3877 उप–खाते हो गई।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि उसने भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को सुप्रवाही बनाने के लिए अक्तूबर, 2007 में उसके द्वारा अनुमोदित उपायों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है।

(ग) अक्तूबर, 2007 में सेबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं :

1. विदेशी संस्थागत निवेशक और उनके उप–खाते तत्काल प्रभाव से व्युत्पादों के रूप में आफशोर व्युत्पाद लिखतों (ओडीआई) को जारी/नवीकृत नहीं करेंगे। उनसे 18 महीनों में वर्तमान स्थिति को परिसमाप्त किया जाना अपेक्षित है और इस अवधि के दौरान सेबी समय–समय पर स्थिति की समीक्षा करेगा।

2. विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप–खातों द्वारा ऑफशोर व्युत्पाद लिखतों का और निर्गम तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। उनसे 18 महीनों में वर्तमान स्थिति को परिसमाप्त किया जाना अपेक्षित है और इस अवधि के दौरान सेबी समय–समय पर स्थिति की समीक्षा करेगा।

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों, जो वर्तमान में ऑफशोर व्युत्पाद लिखतों को भारत में उनके एयूसी के प्रतिशत के रूप में 40% से कम के ऑफशोर व्युत्पाद लिखतों के बकाया (व्युत्पादों को छोड़कर) कल्पित मूल्य पर जारी करते हैं, को भारत में उनके एयूसी के केवल 5% की वृद्धि दर पर 40% की सीमा के अंदर ऑफशोर व्युत्पाद लिखतें जारी करने की अनुमति होगी।

4. वे विदेशी संस्थागत निवेशक, जिनका पार्टिसिपेटरी नोट्स बकाया (व्युत्पादों को छोड़कर) का कल्पित मूल्य, भारत में उनकी एयूसी के प्रतिशत के रूप में 40% से अधिक है, समान राशि के विद्यमान पार्टिसिपेटरी नोट्स के केवल एह/विमोचन/बंद होने पर ही पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद

***229. श्री अमिताभ नन्दी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान अब तक लक्ष्य की तुलना में कितना सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया गया;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त करने की गति धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर कीमतों (1999–2000) पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2006–07 में 28,64,310 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2007–08 में 31,14,452 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। तदनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2006–07 में 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2007–08 के दौरान 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार वर्ष–विशेष में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित नहीं करती।

(ग) वर्ष 2007–08 में वृद्धि दर में गिरावट बिजली, सामुदायिक सेवाओं और "व्यापार, होटल, परिवहन और संचार" की संयुक्त श्रेणी को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों में आई सामान्य मंदी के कारण आई थी। कृषि क्षेत्र के विकास में आई कमी रबी फसलों की वृद्धि में हुई मंदी के कारण कही जा सकती है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में आई मंदी का सबसे महत्वपूर्ण कारक थी। कुल मिलाकर, सरकारी और निजी उपभोग की वृद्धि धीमी रही जिसने सेवा क्षेत्र, जिसमें निर्माण क्षेत्र भी शामिल हैं, के विकास को प्रभावित किया।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना–वधि (2007–2012) में सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष औसत 9 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदंडों में छूट

*230. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज :**
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कुछ अनुचित मानदंडों के कारण राज्य सरकारें पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य कराने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तेजी से कराने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तथा भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत बसावटों की कवरेज के मानदंडों में शिथिलता दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 तथा अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटें कवरेज के लिए पात्र हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में 250 तथा अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटें कवरेज के लिए पात्र हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1000 तथा अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटें कवरेज के लिए पात्र हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में 500 तथा अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटें कवरेज के लिए पात्र हैं।

(ख) और (ग) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में पहाड़ी राज्यों के सामने आने वाली विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर और शिथिलताएं दी जाती हैं। ये शिथिलताएं निम्नानुसार हैं :–

i मूल कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार 500 मीटर की परिधि (पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 1.5 कि.मी. की पैदल दूरी) के अंदर आने वाली सभी बसावटों को जनसंख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से एक साथ मिला दिया जाता है। इस समूह दृष्टिकोण से बसावटों, विशेषकर पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में, की एक बड़ी संख्या को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस समूह दृष्टिकोण के प्रावधान को हाल ही में संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार पहाड़ी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पास के खंडों (गृह मंत्रालय द्वारा दी गई पहचान के अनुसार) में 10 कि.मी. की पैदल दूरी में आने वाली सभी बसावटों को एक समूह माना जाएगा।

ii दुर्गम क्षेत्रों, प्रतिकूल मौसम तथा अपेक्षाकृत छोटे कार्य मौसम के कारण पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए चरण–I के कार्यों की पूर्ति के लिए पहले के 9 से 12 महीने के स्थान पर अब 18 महीने के समय की अनुमति दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने के लिए 9 से 12 महीने की अवधि की अनुमति है।

iii एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर ज्यामितीय रूपरेखा की समीक्षा की गई है तथा पहाड़ी राज्यों में अब 100 मोटर वाहन प्रति घंटा से कम के यातायात वाली सड़कों के लिए पहले के 3.75 मीटर कैरिजवे तथा 6 मीटर रोडवे के स्थान पर 3 मीटर कैरिजवे तथा 5.5 मीटर रोडवे के निर्माण की अनुमति है।

iv जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा मौजूदा 1 करोड़ रु. के पैकेज आकार को घटाकर 50 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

निजी/बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

*231. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितनी ऋण राशि स्वीकृत एवं संवितरित की गई; और

(ख) उसकी अदायगी की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित लक्ष्यों (वास्तविक) और उनके द्वारा संस्वीकृत और संवितरित ऋणों की कुल संख्या और राशि का बैंक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में राज्य–वार जानकारी, अपेक्षित तरीके से पृथक रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में, पीएमआरवाई के तहत ऋणों की मांग और वसूली का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में पीएमआरवाई के अंतर्गत ऋणों का लक्ष्य, संस्वीकृति और संवितरण

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	वास्तविक लक्ष्य (संख्या)	संस्वीकृत (संख्या)	संवितरित (संख्या)	संस्वीकृत (संख्या)	संवितरित (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
			2004-05			
1	आईसीआईसीआई बैंक	1158	1156	250	145.02	31.42
2	बैंक आफ राजस्थान लि.	2042	619	421	359.57	232.61
3	भारत ओवरसीज बैंक लि.	234	126	126	85.44	84.57
4	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	1661	1040	966	477.97	433.70
5	धनलक्ष्मी बैंक लि.	945	884	660	455.68	359.42
6	फेडरल बैंक लि.	2836	2101	1315	1181.62	720.42
7	जे एंड के बैंक लि.	1797	1120	841	1229.61	888.84
8	कर्नाटक बैंक लि.	870	499	332	297.49	209.40
9	करूर वैश्य बैंक लि.	1207	736	726	324.22	312.07
10	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0	565	450	177.96	140.23
11	रत्नाकर बैंक लि.	398	230	217	153.43	139.35
12	सांगली बैंक लि.	943	126	56	60.13	29.35
13	साउथ इंडियन बैंक लि.	1637	1574	1339	649.72	562.02
14	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	0	692	542	394.96	302.75
15	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	1566	692	514	436.21	332.04

1	2	3	4	5	6	7
16	आईएनजी वैश्य बैंक	2165	1285	1112	753.88	647.27
17	नैनीताल बैंक लि.	450	368	368	248.24	248.24
18	सिटी यूनियन बैंक लि.	526	426	426	196.79	195.07
19	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	311	297	157	160.56	80.75
	कुल गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	20746	14536	10818	7788.50	5949.52
			2005-06			
1	आईसीआईसीआई बैंक	1574	1625	1376	320.73	268.22
2	बैंक आफ राजस्थान लि.	2054	1040	762	572.39	411.92
3	भारत ओवरसीज बैंक लि.	262	165	165	97.36	96.40
4	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	1755	1277	1035	632.56	460.15
5	धनलक्ष्मी बैंक लि.	998	701	611	303.49	264.05
6	फेडरल बैंक लि.	3272	2865	2375	1709.32	1057.77
7	जे एंड के बैंक लि.	1747	1098	786	1223.82	830.42
8	कर्नाटक बैंक लि.	1794	1232	1210	841.63	823.88
9	करूर वैश्य बैंक लि.	1070	887	880	384.86	378.22
10	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0	668	589	268.95	251.92
11	रत्नाकर बैंक लि.	387	220	181	123.70	106.46
12	सांगली बैंक लि.	0	94	29	45.57	14.67
13	साउथ इंडियन बैंक लि.	2372	1685	1602	615.00	576.00
14	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	0	754	666	406.62	358.38
15	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	1957	802	767	485.49	422.73
16	आईएनजी वैश्य बैंक	2449	1507	1187	817.98	688.81
17	नैनीताल बैंक लि.	514	469	469	346.01	346.01
18	सिटी यूनियन बैंक लि.	526	512	512	213.67	212.93
19	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	398	325	258	140.42	108.31
	कुल गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	23129	17926	15460	9549.57	7677.25

1	2	3	4	5	6	7
			2006-07			
1	आईसीआईसीआई बैंक	1906	2110	1815	568.93	487.29
2	बैंक आफ राजस्थान लि.	2027	1716	1424	1018.82	789.76
3	भारत ओवरसीज बैंक लि.	251	75	75	42.84	42.45
4	यूटीआई बैंक लि./एक्सिस बैंक	0	399	320	265.17	208.15
5	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	1756	1380	1093	569.47	449.12
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1049	968	803	398.19	348.27
7	फेडरल बैंक लि.	3231	2981	2188	1644.22	1137.44
8	जे एंड के बैंक लि.	1892	1251	886	1547.85	1009.31
9	कर्नाटक बैंक लि.	1804	1521	1426	906.58	849.99
10	करूर वैश्य बैंक लि.	1324	814	813	349.27	348.46
11	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0	792	704	296.26	265.04
12	रत्नाकर बैंक लि.	444	194	185	102.85	97.50
13	सांगली बैंक लि.	0	56	84	24.55	38.95
14	साउथ इंडियन बैंक लि.	2267	1834	1499	778.37	611.51
15	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	0	859	771	508.08	471.02
16	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	1318	444	309	241.10	183.17
17	आईएनजी वैश्य बैंक	2424	1469	1045	844.52	594.93
18	नैनीताल बैंक लि.	724	75	70	58.73	53.31
19	सिटी यूनियन बैंक लि.	611	491	491	189.05	188.11
20	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	447	230	192	103.85	88.94
	कुल गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	23475	19659	16193	10458.70	8262.72

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण-II

गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में पीएमआरवाई के अंतर्गत ऋणों की मांग और वसूली

क्रम सं.	बैंक का नाम	31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार		
		मांग (लाख रुपए)	वसूली (लाख रुपए)	वसूली मांग के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5
1	आईसीआईसीआई बैंक	42.36	28.54	67.37
2	बैंक आफ राजस्थान लि.	952.96	493.28	51.76

1	2	3	4	5
3	भारत ओवरसीज बैंक लि.	61.37	22.39	36.48
4	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	507.94	165.22	32.53
5	धनलक्ष्मी बैंक लि.	438.21	192.88	44.02
6	फेडरल बैंक लि.	1598.39	468.72	29.32
7	जे एंड के बैंक लि.	1461.04	408.39	27.95
8	कर्नाटक बैंक लि.	1242.53	660.44	53.15
9	करूर वैश्य बैंक लि.	301.24	155.78	51.71
10	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	267.52	64.80	24.22
11	रत्नाकर बैंक लि.	255.05	113.38	44.45
12	सांगली बैंक लि.	121.79	40.95	33.62
13	साउथ इंडियन बैंक लि.	963.02	333.31	34.61
14	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	402.15	253.64	63.07
15	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1259.57	283.37	22.50
16	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	673.21	195.08	28.98
17	नैनीताल बैंक लि.	212.00	148.00	69.81
18	सिटी यूनियन बैंक लि.	127.60	55.32	43.35
19	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	144.46	85.37	59.10
	कुल गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	11032.41	4168.86	37.79

क्रम सं.	बैंक का नाम	31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार		
		मांग (लाख रुपए)	वसूली (लाख रुपए)	वसूली मांग के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5
1	आईसीआईसीआई बैंक	29.04	19.58	67.42
2	बैंक आफ राजस्थान लि.	1175.88	667.28	56.75
3	भारत ओवरसीज बैंक लि.	43.72	25.25	57.75
4	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	622.27	275.23	44.23
5	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1221.51	515.40	42.19
6	फेडरल बैंक लि.	1527.72	456.83	29.90
7	जे एंड के बैंक लि.	1696.31	772.93	45.57

1	2	3	4	5
8	कर्नाटक बैंक लि.	1529.63	931.12	60.87
9	करूर वैश्य बैंक लि.	323.33	156.79	48.49
10	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	279.95	66.33	23.69
11	रत्नाकर बैंक लि.	248.84	91.24	36.67
12	सांगली बैंक लि.	121.32	42.35	34.91
13	साउथ इंडियन बैंक लि.	922.69	370.13	40.11
14	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	481.48	312.47	64.90
15	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1264.89	238.83	18.88
16	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	533.59	258.99	48.54
17	नैनीताल बैंक लि.	65.43	42.65	65.18
18	सिटी यूनियन बैंक लि.	260.39	168.26	64.62
19	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	62.99	36.42	57.82
	कुल गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	12410.98	5448.08	43.90

क्रम सं.	बैंक का नाम	31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार		
		मांग (लाख रुपए)	वसूली (लाख रुपए)	वसूली मांग के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5
1	आईसीआईसीआई बैंक	122.08	70.18	57.49
2	बैंक आफ राजस्थान लि.	1210.28	748.50	61.85
3	भारत ओवरसीज बैंक लि.	64.55	21.94	33.99
4	यूटीआई बैंक लि./एक्सिस बैंक	8.39	5.67	67.55
5	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	772.46	315.79	40.88
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	559.90	243.75	43.53
7	फेडरल बैंक लि.	2316.64	1036.97	44.76
8	जे एंड के बैंक लि.	1432.20	650.28	45.40
9	कर्नाटक बैंक लि.	1529.63	931.12	60.87
10	करूर वैश्य बैंक लि.	344.45	173.70	50.43
11	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	269.28	75.91	28.19
12	रत्नाकर बैंक लि.	249.42	81.05	32.50

1	2	3	4	5
13	सांगली बैंक लि.	119.75	42.29	35.32
14	साउथ इंडियन बैंक लि.	822.39	356.90	43.40
15	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	390.71	210.65	53.91
16	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	सू. नहीं	सू. नहीं	सू. नहीं
17	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	547.33	207.08	37.83
18	नैनीताल बैंक लि.	141.50	98.20	69.40
19	सिटी यूनियन बैंक लि.	165.57	77.97	47.09
20	लार्ड कृष्ण. बैंक लि.	105.39	59.13	56.11
	कुल गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	11171.92	5407.08	48.40

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक सू. नहीं = सूचित नहीं

विद्युत संयंत्रों हेतु गैस की कमी

*232. **श्री उदय सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के अनेक विद्युत संयंत्र गैस आपूर्ति में कमी के कारण ठप पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों हेतु गैस आपूर्ति में हो रही कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) कुल संस्थापित क्षमता 3605 मे.वा. के एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत केन्द्र के वर्तमान में गैस की कमी के कारण पूरी तरह उपयोग नहीं किए जा रहे हैं।

इन संयंत्रों के प्रचालन हेतु 90% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर अनुमानित गैस आवश्यकता लगभग 17.35 मिलियन मानक घन मी. प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) है। उपर्युक्त छः गैस आधारित केन्द्रों के लिए अधिशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) के तहत 12.93 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति हेतु गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) के साथ दीर्घावधि करार किए गए हैं। हालांकि गैस की कमी के कारण दी गई मात्रा अनुबंधित मात्रा की अपेक्षा कम है।

अप्रैल 2007 से फरवरी, 2008 के दौरान इन स्टेशनों के लिए औसत एपीएम गैस आपूर्ति केवल 9.06 एमएमएससीएमडी रही है। जिसकी वजह से इष्टतम गैस आधारित उत्पादन में कमी हुई।

अप्रैल 2007 से फरवरी, 2008 के दौरान द्रव ईंधन/पुनः जैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) पर उच्चतर लागत उत्पादन का लेखा-जोखा रखने के बाद ईंधन कमी के कारण विद्युत उत्पादन में केन्द्र-वार निवल कमी निम्नानुसार है –

केन्द्र	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	गैस की कमी के कारण उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट)
अंता	2496	568
औरैया	3691	1067
दादरी	4795	1078
फरीदाबाद	2388	576
कवास	3265	1581
गंधार	3588	1131
कुल	20223	6001

(ग) से (ङ) गैस की कमी को आंशिक तौर पर पूरा किया गया है जैसे एनटीपीसी लि. ने बड़े घरेलू आपूर्तिकर्ताओं नामतः अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल), इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल), गुजरात स्टेट पेट्रोलियम

कारपोरेशन (जीएसपीसी), हजीरा एलएनजी लि. (एचएलपीएल) से आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर महंगी तत्काल आरएलएनजी की व्यवस्था की है। अप्रैल, 07 से फरवरी, 08 के दौरान औसत तत्काल आरएलएनजी आपूर्तियां 2.71 एमएमएससीएमडी रही है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू बाजार के लिए गैस आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं –

(i) घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एंड पी) गतिविधियों में तेजी लाना;

(ii) कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) गैस का दोहन;

(iii) हाइड्रेट संसाधनों के मूल्यांकन हेतु नैचुरल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम (एनजीएचपी) का कार्यान्वयन तथा उनका संभावित वाणिज्यिक दोहन;

(iv) द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात; तथा

(v) ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइनों द्वारा गैस स्रोतीकरण।

शहरी स्थानीय निकाय

***233. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक ने शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकर उपर्युक्त रिपोर्ट के मद्देनजर शहरी स्थानीय निकायों के बजट में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा विश्व बैंक के निष्कर्षों पर आगे क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने "सिंथेसिस स्टेडी ऑफ पब्लिक फाइनेंसियल मेनेजमेंट एण्ड एकाउंटेबिलिटी (पीएफएमए) इन अर्बन लोकल बाडीज" नामक प्रकाशन प्रकाशित किया है। इस अध्ययन की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :– शहरी स्थानीय निकायों के बजट को बेहतर ढंग से तैयार करना, मॉडल लेखांकन नियम और मेनुअल तैयार करना, शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना तथा उसे सुदृढ़ करना, क्षमता निर्माण, खरीददारी को बेहतर बनाना, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन रिपोर्ट कार्ड लागू करना, विधायी अनुपालन का सुनिश्चय करने हेतु स्थापित तंत्र को सुदृढ़ करना तथा सार्वजनिक निरीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) लागू किया है जिसमें 7 वर्ष की मिशन अवधि (2005–12) के दौरान 50,000 करोड़ रुपये की सहायता की व्यवस्था है। जिसका उद्देश्य परियोजनाओं और सुधारों के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता देना है।

(ङ) इस अध्ययन की सिफारिशों से संबंधित पत्रों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु अवगत करा दिया गया है। वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए जेएनएनयूआरएम के अधीन भी उपाय किये जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :– आधुनिक, एक्रुयल बेस्ड डबल इंट्री लेखांकन प्रणाली अपनाना, भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ सम्पत्ति कर व्यवस्था को बेहतर बनाना, उचित प्रयोक्ता प्रभार लगाना, स्थानीय निकाय में आंतरिक अभिनिर्धारण, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक सुधार एवं ई–गर्वनेंस।

[हिन्दी]

रक्षित विद्युत उत्पादन

***234. श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री सूरज सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न रक्षित संयंत्रों की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता उनकी अधिष्ठापित क्षमता से काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में रक्षित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता उनकी संस्थापित क्षमता से अधिक नहीं हुई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2006–07 के दौरान लगभग 5200 मिलियन यूनिट अधिशेष विद्युत ऊर्जा ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से यूटिलिटीज को निर्यात की गई है।

31.3.2007 के अनुसार 1 मेगावाट से अधिक के औद्योगिक क्षेत्र के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता लगभग 22,300 मेगावाट थी। वर्ष 2006–07 के दौरान कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन लागत 81,800 मि.यू. था जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक था।

इन संयंत्रों से उच्च पीएलएफ प्राप्त करने की तथा अधिशेष विद्युत को ग्रिड में भेजे जा सकने की स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन संभव है। यह अनुमान है कि भाप एवं गैस आधारित कैप्टिव पावर संयंत्रों से (यदि उनका औसत पीएलएफ बढ़कर क्रमशः 75% एवं 80% हो जाता है) 24,300 मि.यू. अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) सरकार ने कैप्टिव उत्पादन तथा अधिशेष क्षमता के उपयोग को आसान बनाने के लिए कई विधायी, नीति तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत् ग्रुप कैप्टिव सहित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई है। अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन कर सकता है तथा पारेषण लाइनों को दे सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है तथा ऐसे संयंत्र का अनुरक्षण तथा प्रचालन करता है, उसे अपने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से अपने प्रयोग के स्थान तक विद्युत ले जाने के लिए खुली पहुंच का अधिकार होगा जो पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन है।

फरवरी, 2005 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति भारत में अनेक कैप्टिव और वैकल्पिक विद्युत उत्पादन केन्द्रों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमता को निरंतर या निश्चित समयावधि के दौरान ग्रिड को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल देती है।

जनवरी, 2006 में अधिसूचित टैरिफ़ नीति में कहा गया है कि कैप्टिव विद्युत उत्पादन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा विद्युत विनियामक आयोगों से एक ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करने को कहता है जिससे कैप्टिव संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने को प्रोत्साहन मिले।

मई, 2007 में विद्युत क्षेत्र के मामलों पर आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता ग्रिड को देने में सुगमता लाने तथा समयबद्ध रूप से प्रतिबंधात्मक शुल्कों, करों एवं विनियमों का समाप्त करने का प्रयत्न करने का संकल्प लिया गया।

विद्युत मंत्रालय खुली पहुंच, क्रॉस सब्सिडी आदि पर प्रभारों/करों को नियंत्रित करने में सक्रिय रूप से कार्यरत है। स्टेकडोल्डरों के साथ विभिन्न सम्मेलन तथा संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं जिनमें आम सहमति कायम करने तथा संबंधित मामलों पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए 5.11.2007 को आयोजित विनियामक मंच की गोलमेज तथा 19 फरवरी, 2008 को विद्युत क्षेत्र मामलों पर मुख्य सचिवों का सम्मेलन शामिल है।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकीय मानदंडों के अनुरूप भवन

***235. श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के प्रभाव को सहने में सक्षम आधुनिक भवनों के निर्माण के संबंध में योजना आयोग से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) शहरी विकास मंत्रालय को योजना आयोग से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी विद्युत वितरक कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किया जाना

***236. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न विद्युत बोर्डों और निजी विद्युत वितरक कंपनियों द्वारा विद्युत चोरी के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों अथवा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन के लिए अब तक किसी विद्युत वितरक कंपनी के निदेशक मंडल के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उक्त कंपनियों के चंगुल से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत की चोरी के नियंत्रण के लिए उपबंध किए गए हैं। विद्युत एक समवर्ती विषय है। अतः इन उपबंधों का कार्यान्वयन

संबंधित संगठनों अर्थात संबद्ध राज्य सरकार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी), वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अधिकार प्राप्त न्यायालय अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाना है।

उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने के लिए, अधिनियम के विद्युत की चोरी के अपराध से संबंधित उपबंधों में समुचित रक्षोपाय भी सम्मिलित किए गए हैं जिनका सार निम्नानुसार है :–

- धारा 135 में उपबंध किया गया है कि तलाशी के दौरान तलाशी वाले स्थान का कब्जेदार अथवा उसकी और से कोई व्यक्ति उपस्थित रहेगा और ऐसा तलाशी के दौरान जब्त समस्त वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और उस कब्जेदार अथवा व्यक्ति को दी जाएगी जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा; आगे किसी भी घरेलू स्थान अथवा घरेलू परिसर पर काबिज कोई पुरूष सदस्य यदि उपस्थित न हो, तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच ऐसे परिसर की जांच, तलाशी अथवा जब्ती नहीं की जाएगी। धारा 135 के उपबंधों में आगे व्यवस्था दी गई है कि तलाशी एवं जब्ती से संबंधित अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक संभव हो, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत तलाशियों एवं जब्ती पर लागू होंगे।

- अधिनियम की धारा 135 (1क) में उपबंध किया गया है कि अधिनियम के उपबंधों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अनुज्ञप्तिधारक अथवा आपूर्तिकर्त्ता जैसा भी मामला हो, विद्युत की ऐसी चोरी का पता लगने पर, विद्युत की आपूर्ति तुरंत काट सकता है, बशर्ते कि अनुज्ञप्तिधारक अथवा आपूर्तिकर्त्ता का केवल वह अधिकारी जो उचित आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया हो अथवा अनुज्ञप्तिधारक अथवा आपूर्तिकर्त्ता का ऐसे प्राधिकृत अधिकारी से ऊंचे स्तर का कोई अन्य अधिकारी ही विद्युत की आपूर्ति लाइन काटेगा। कथित धारा में आगे उपबंध किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारक अथवा आपूर्तिकर्त्ता का अधिकारी ऐसा अपराध होने के संबंध में क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में चौबीस घंटे के भीतर लिखित शिकायत दर्ज कराएगा। धारा में यह उपबंध भी है कि निर्धारित राशि जमा अथवा भुगतान करने पर, अनुज्ञप्तिधारक अथवा आपूर्तिकर्त्ता, शिकायत दर्ज कराने की बाध्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे जमा अथवा भुगतान के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत की आपूर्ति लाइन पुनः चालू कर देगा।

- धारा 152 उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक लिखित राशि के भुगतान पर चोरी के अपराधों के शमन हेतु प्रणाली की व्यवस्था करता है और एक बार यदि व्यक्ति विनिर्दिष्ट राशि जमा कर देता है तो उसे, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और किसी भी आपराधिक न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जाएगी।

- अधिनियम की धारा 153 व्यवस्था करती है कि राज्य सरकार, विद्युत की चोरी सहित अधिनियम की धारा 135 से 139 में विनिर्दिष्ट अपराधों की शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्र और क्षेत्रों हेतु उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी जितने आवश्यक हों।

अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत, समुचित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एमईआरसी) के पास अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों, नियमों अथवा विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन हेतु वितरण कंपनियों पर दंड लगाने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत, सक्षम न्यायालय के पास अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश या आदेशों का पालन न करने, या किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उल्लंघन या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उल्लंघन या उल्लंघन के प्रयत्न या प्रोत्साहन की स्थिति में दंड और जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

चोरी से संबंधित मामलों रहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर समय–समय पर विभिन्न स्रोतों से विद्युत मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त किऐ जाते हैं। जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है कि चोरी से संबंधित मामलो में परेशानी से संबंधित शिकायतों में कार्यवाही संबंधित प्राधिकरण/एजेंसी/न्यायालय द्वारा की जाएगी। इसीलिए केन्द्र सरकार के पास संबंधित राज्य सरकार, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों अथवा न्यायालयों द्वारा व्यक्तिगत मामलों में की गई कार्यवाहियों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कर वसूली

***237. श्री अबु अयीश मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त कर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्धारित कर जमा नहीं किया है तथा इस समय इनमें से प्रत्येक कंपनी पर अनुमानतः कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) आयकर विभाग बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसी श्रेणियों के संबंध में अलग से ब्यौरा नहीं रखता है। आयकर

अधिनियम में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि उपलब्ध रिकार्डों से गत दो वर्षों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से 25 करोड़ रुपए से अधिक वसूले गए कर की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार 25 करोड़ रुपए से अधिक बकाया मांग की सूची संलग्न विवरण–II में है। सूची में ऐसे मामले शामिल हैं जहां 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार भुगतान के लिए मांग देय नहीं हुई है।

(ग) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा विहित बकाया कर देयों की वसूली सांविधिक उपायों (बैंक खाता, डेटर आदि की कुर्की, अचल सम्पत्ति आदि की कुर्की एवं बिक्री सहित) के अलावा, प्रत्यक्ष कर बकायों की त्वरित वसूली के लिए निम्नलिखित विशेष कदम भी उठाए जा रहे हैं :

i) कार्य बल द्वारा बड़े मामलों में बकाया वसूली की मानीटरिंग।

ii) आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित पर्याप्त बकाया राशि के मामले की पहचान तथा इन प्राधिकारियों से इन अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनुरोध करना ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही मांग संग्रहीत की जा सके।

iii) आयकर अधिनियम की धारा 254(2क) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, 180 दिन से अधिक मांग स्थगन की अनुमति न देने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष से अनुरोध करना।

iv) अधिक मांग वाले मामलों को तेजी से निपटने के लिए समझौता आयोग से अनुरोध करना।

विवरण-I

केवल 25 करोड़ रुपए से अधिक की बहु–राष्ट्रीय कंपनियों से कर वसूली (रुपए करोड़ में) :

क्र.सं.	कर निर्धारिती का नाम	मु.आ.आ. (संवर्ग नियंत्रक क्षेत्र)	कर वसूली	
			निर्धारण वर्ष 2006–07	निर्धारण वर्ष 2007–08
1	2	3	4	5
1.	मै. एमवे इंडिया एंटरप्राइजिज	दिल्ली	53.48	53.08
2.	मै. सिटीफाइनेन्सियल कंजूमर फाइनेन्स इंडिया लि.	दिल्ली	98.14	122.00
3.	मै. जे सी बी इंडिया लि.	दिल्ली	72.15	110
4.	एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लि.	दिल्ली	124.69	90.49
5.	मै. मदरसन सूमी सिस्टम्स (प्रा.) लि. (बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी)	दिल्ली	4.92	28.83
6.	माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन (आई) (प्रा.) लि.	दिल्ली	20.60	35.67
7.	मैं. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक (प्रा.) लि.	दिल्ली	42.50	63.00
8.	सोनी इंडिया (प्रा.) लि.	दिल्ली	24.10	46.47
9.	डेन्सो हरियाणा (प्रा.) लि.	दिल्ली	46.83	45.5
10.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	दिल्ली	47.25	अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं
11.	गेल (इंडिया) लि.	दिल्ली	944.03	764.00
12.	मै. ओरेकल (आई) प्रा. लि.	दिल्ली	102.38	141.83

1	2	3	4	5
13.	मै. नोकिया टेलिकम्युनीकेशन प्रा. लि.	दिल्ली	96.19	289.87
14.	मै. नेस्ले (आई) लि.	दिल्ली	184.74	225.92
15.	मै. नोर्टल नेटवर्क्स (आई) प्रा. लि.	दिल्ली	14.48	43.47
16.	सिटीबैंक एन.ए.	मुम्बई	530.28	697.00
17.	डयूश बैंक	मुम्बई	178.75	238.00
18.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड कंपनी	मुम्बई	515	790
19.	स्टार इंडिया प्रा. लि.	मुम्बई	41.17	64.71
20.	कैडबरी इंडिया लि.	मुम्बई	40.10	35.05
21.	एबोट इंडिया लि.	मुम्बई	28.20	अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं
22.	एसेन्टयोर सर्विसेज प्रा. लि.	मुम्बई	14.98	45.54
23.	कैस्ट्रॉल इंडिया लि.	मुम्बई	56.39	89.64
24.	एवेन्टिस फार्मा लि.	मुम्बई	50.60	78.80
25.	ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मा लि.	मुम्बई	175.05	258.83
26.	नोवार्टिस इंडिया लि.	मुम्बई	44.06	54.37
27.	प्रोक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स लि.	मुम्बई	28.20	अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं
28.	प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हैल्थकेयर लि.	मुम्बई	49.43	अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं
29.	सिमेन्स लि.	मुम्बई	114.08	190.73
30.	एसएपी इंडिया सिस्टम्स एप्लीकेसंस एंड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	बंगलौर	58	46
31.	एचपी इंडिया सेल्प (प्रा.) लि.	बंगलौर	171.18	114.02
32.	बोस्क लि. (पहले माइको लि.)	बंगलौर	199.25	303.31
33.	एबीबी लि.	बंगलौर	129.28	187.47
34.	आईबीएम इंडिया (प्रा.) लि.	बंगलौर	55.44	74.25
35.	टैक्सास इंस्ट्रूमेन्ट्स इंडिया (प्रा.) लि.	बंगलौर	21.18	41.32
36.	3एम इंडिया लि.	बंगलौर	25.08	32.21
37.	केन्नामेटल वाइडिया इंडिया (प्रा.) लि.	बंगलौर	20.67	29.55

1	2	3	4	5
38.	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स (प्रा.) लि.	बंगलौर	10.01	26.98
39.	वोडाफोन एस्सार लि.	चंडीगढ़	अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं	43.20
40.	मै. ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंजूमर्स हैल्थकेयर लि.	चंडीगढ़	64.21	67.72
41.	जिलट इंडिया लि.	जयपुर	70.54	46.86
42.	मदूरा कोट्स लि.	चेन्नई	14.34	27.50
43.	अरेवा टी एंड डी इंडिया लि. (एल्सटन)	चेन्नई	60.50	83.07
44.	विस्टयोन ऑटोमोटिव सिस्टम्स	चेन्नई	46.51	30.00
45.	हुंडई मोटर्स इंडिया लि.	चेन्नई	278.24	129.36
46.	कॉगनीजेन्ट टैक्नालॉजी इंडिया प्रा. लि.	चेन्नई	42.25	78.19
47.	वेस्टास विंड टैक्नालॉजी इंडिया प्रा. लि.	चेन्नई	60.55	76.13
48.	अबान ऑफशोर लि.	चेन्नई	53.00	50.50
49.	जनरल मोटर्स इंडिया प्रा. लि.	अहमदाबाद	34.33	42.48
50.	गुजरात गैस कंपनी लि.	अहमदाबाद	34.81	40.48
51.	नीको रिर्सोसेस लि.	अहमदाबाद	28.25	34.04
52.	मै. एबीएन एमरो बैंक एन.वी.	कोलकाता	192.2	346.36
53.	मै. माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसिंग जी.पी.	दिल्ली	56.8	60.00
54.	मै. माइक्रोसॉफ्ट रीजनल सेल	दिल्ली	170.00	180.00
55.	मै. मितसुबीशी कार्पोरेशन	दिल्ली	27.70	28.10
56.	मै. होन्डा सियेल कार्स लि.	गाजियाबाद	90.60	133.50
57.	कोका कोला इंडिया प्रा. लि.	पुणे	57.96	39.80
58.	कॉमिन्स इंडिया लि.	पुणे	91.01	116.44
59	कुमिन्स सेल्स एंड सर्विसेस इंडिया प्रा. लि.	पुणे	22.51	24.58

विवरण-II

बहुराष्ट्रीय कंपनियों से 25 करोड़ रुपए से अधिक बकाया कर (रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	कर निर्धारिती का नाम	मु.आ.आ. (संवर्ग नियंत्रक क्षेत्र)	31.12.2007 के अनुसार बकाया कर
1	2	3	4
1.	नाईको रिसोरसिज़ लिमिटेड, बड़ोदा	अहमदाबाद	139.72
2.	स्कांसका सिमेंटेसन इन्टरनेशनल, लिमिटेड	अहमदाबाद	27.07
3.	मैसर्स नाइक इंक कर निर्धारण वर्ष 99–2000 से 2006–07 तक	बंगलौर	45.73

1	2	3	4
4.	मैसर्स गैलिलीयो नेडरलैंड बी वी (जी एम बी वी) कर निर्धारण वर्ष 2003–04 से 2005–06	बंगलौर	50.28
5.	मैसर्स अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लि.	दिल्ली	29.48 करोड़
6.	मैसर्स कारगिल इंडिया, प्रा. लि.	दिल्ली	25.21 करोड़
7.	मैसर्स सेमसंग इंडिया इलैक्ट्रानिक्स, प्रा. लि.	दिल्ली	132.84
8.	पैनासोनिक इंडिया, प्रा. लि.	दिल्ली	47.52
9.	डेवू मोटर्स इंडिया लि.	दिल्ली	442.72
10.	गेल (इंडिया) लि.	दिल्ली	52.94
11.	ए पी मोलर	मुम्बई	113.10
12.	एशियन ब्रॉडकास्टिंग	मुम्बई	101.18
13.	कार्टियर शिपिंग कं. लि.	मुम्बई	174.79
14.	डी एच एल ऑपरेशन्स बी वी, नीदरलैंड्स	मुम्बई	50.04
15.	क्लिफार्ड चान्स	मुम्बई	40.31
16.	बी 4 यू, इंटरनेशनल होल्डिंग, लि.	मुम्बई	43.66
17.	फेडरल एक्सप्रेस कारपोरेशन	मुम्बई	51.27
18.	बैकटेल, इंटरनेशनल इंक	मुम्बई	48.65
19.	एम फैब्रिकेंट एंड संस इंक	मुम्बई	70.67
20.	स्टार इंडिया प्रा. लि.	मुम्बई	178.42
21.	एक्सेंचर सर्विसेज प्रा. लि.	मुम्बई	26.19
22.	प्रोक्टर एंड गेम्बल, होम प्रोडक्ट लि.	मुम्बई	53.62
23.	प्रोक्टर एंड गेम्बल, हाइनीज एंड हेल्थ केयर लि.	मुम्बई	29.19
24.	रेशनल साफ्टवेयर कारपोरेशन, प्रा. लि.	बंगलौर	55.86
25.	एच पी इंडिया सेल्स प्रा. लि.	बंगलौर	47.25
26.	आई बी एम ग्लोबल सर्विसेज लि.		31.62
27.	कोका कोला इंक टावर उद्योग विहार, फेस– V गुडगांव	चंडीगढ़	29.8
28.	आई बी एम इंडिया, (प्रा.) लि.	बंगलौर	45.14
29.	ई. फन्डस कारपोरेशन	दिल्ली	40.94
30.	ईरिक्सन ए वी	दिल्ली	472.10

1	2	3	4
31.	ग्रेकोमेक कोकून	दिल्ली	136.49
32.	गैलीलियों इंट इंक	दिल्ली	.39.93
33.	एशिया सेटेलाइट टेलिकोम, लि.	दिल्ली	56.11
34.	एनाडिब्ज़ गोलबल ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन	दिल्ली	27.22
35.	बैंक ऑफ टोकियो	दिल्ली	61.94
36.	मैसर्स मितसुई एंड कं.	दिल्ली	49.00
37.	इनटेलसैट ग्लोबल, सेल्स एंड मार्केटिंग लि.	चेन्नई	26.58
38.	वेरिज़ोन कम्यूनिकेशन्स, सिंगापुर प्रा. लि.	चेन्नई	28.26
39.	अनासाल्डो एनर्जिया स्पा	चेन्नई	40.68
40.	मैसर्स होन्डा शिल कार्स लि.	गाजियाबाद	31.64
41.	कोका कोला इंडिया, प्रा. लि.	पुणे	424.75

[हिन्दी]

कुपोषण की समस्या

***238. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में महिलाएं और बच्चे कुपोषण से पीड़ित हो रहे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने पोषण हेतु नए मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय मानदंडों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के इन संशोधित मानदंडों के अनुरूप बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत इस समय कौन–कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, बच्चों (3 वर्ष से कम आयु) में कुपोषण का स्तर वर्ष 1992–93 में 53.4% से घटकर वर्ष 2005–06 में 46% हो गया, जबकि सामान्य से कम बाडी मास इन्डेक्स वाली महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 1998–99 में 36.2% से घटकर वर्ष 2005–06 में 33% रह गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छः देशों, नामतः ब्राजील, घना, भारत, नार्वे, ओमन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के 8,440 स्तनपान करने वाले स्वास्थ्य शिशुओं एवं छोटे बच्चों पर कराए गए बहु–केन्द्रक अध्ययन के माध्यम से बाल देखरेख, पोषण तथा स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मानकों पर आधारित नए बाल विकास मानक तैयार किए हैं। इन मानकों को अप्रैल, 2006 में जारी किया गया।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बाल विकास मानकों के अंगीकरण पर विचार–विमर्श करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर "विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बाल विकास मानकों का अंगीकरण" विषय पर 8–9 फरवरी, 2007 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस.) में विश्व स्वास्थ्य संगठन के इन नए बाल विकास मानकों को अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

(घ) भारत सरकार बच्चों में कुपोषण की समस्या के निवारण के लिए देश में निम्नलिखित स्कीम क्रियान्वित कर रही है।

(i) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषणीय एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना;
- बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना;
- मत्यु, रुग्णता, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने के मामलों की संख्या में कमी लाना;
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के मामले में कारगर समन्वय स्थापित करना; और
- बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमताओं को बढ़ाना।

स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

(i) पूरक पोषण,

(ii) प्रतिरक्षण,

(iii) स्वास्थ्य जांच,

(iv) रैफरल सेवाएं,

(v) स्कूल–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, तथा

(vi) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सेवा प्रदायगी को और अधिक कारगर बनाने के लिए हाल ही में किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

- दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में स्कीम का दो बार विस्तार किया गया।
- सरकार ने पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को दोगुना करके 1/–रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 2/–रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कर दिया है।
- पूरक पोषण की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की जाने वाली लागत में वर्ष 2005–06 से 50% की भागीदारी।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निरंतर जोर दिया जाता रहा है कि वे :
- स्कीम के मानकों के अनुसार पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें।
- विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षित पेयजल सेवाओं का कारगर संकेद्रण सुनिश्चित करें।
- पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करें।

(ङ) आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत निर्मुक्त राशि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I एवं II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2005–06 से 2007–08 में आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06 में निर्मुक्त राशि	2006–07 में निर्मुक्त राशि	2007–08 में निर्मुकत राशि (10.03.2008 तक)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	14750.69	21877.67	24015.86
2	बिहार	5036.11	20976.12	15660.39
3	छत्तीसगढ़	4412.01	4561.5	9498.18
4	गोवा	373.53	397.96	507.00
5	गुजरात	9917.54	12732.62	11050.69
6	हरियाणा	5312.47	6015.49	7115.76

1	2	3	4	5
7	हिमाचल प्रदेश	3480.88	2882.29	2565.16
8	जम्मू व कश्मीर	4989.19	5410.99	5201.09
9	झारखंड	4288.33	7845.37	9191.01
10	कर्नाटक	14176.11	19122.28	13934.16
11	केरल	5725.65	8115.91	13369.29
12	मध्य प्रदेश	9498.48	13002.16	15367.06
13	महाराष्ट्र	16808.92	20433.15	25105.71
14	उड़ीसा	10600.69	12137.96	13506.53
15	पंजाब	5591.61	5861.62	4019.54
16	राजस्थान	7459.77	13809.14	12885.03
17	तमिलनाडु	15212.94	12786.6	11171.43
18	उत्तरांचल	2861.67	1676.39	2360.95
19	उत्तर प्रदेश	31989.58	24768.42	37189.40
20	पश्चिम बंगाल	19391	17182.73	23845.30
21	दिल्ली	1290.03	1379.78	1569.21
22	पांडिचेरी	233.684	195.22	234.36
23	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	212.824	174.11	175.55
24	चंडीगढ़	156.87	163.41	189.39
25	दादरा व नगर हवेली	70.1	62.33	51.70
26	दमन व दीव	47.736	56.78	48.00
27	लक्षद्वीप	42.67	38.34	64.63
28	अरूणाचल प्रदेश	1780.28	3145.86	2006.05
29	असम	22462.56	16077.475	8582.93
30	मणिपुर	1664.87	3631.405	1843.42
31	मेघालय	2158.35	2114.925	1289.14
32	मिजोरम	1476.66	1573.255	1008.16
33	नागालैंड	2531.64	2471.22	1465.77

1	2	3	4	5
34	सिक्किम	354.75	782.6	253.31
35	त्रिपुरा	2779.91	4475.41	1463.76
36	जीवन बीमा निगम	800.00	1200.00	200.00
	कुल	229940.10	269138.48	278004.92

विवरण-II

वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में पूरक पोषण हेतु निर्मुकत राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06 में निर्मुक्त राशि	2006–07 में निर्मुक्त राशि	2007–08 में निर्मुकत राशि (10.03.2008 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4745.42	9052.04	13718.25
2.	बिहार	8260.92	11828.92	13548.40
3.	छत्तीसगढ़	3133.33	2953.64	3515.24
4.	गोवा	115.13	175.41	169.52
5.	गुजरात	3339.82	4297.21	3855.01
6.	हरियाणा	1810.62	2829.56	5216.72
7.	हिमाचल प्रदेश	660.00	629.63	1017.58
8.	जम्मू व कश्मीर	343.56	653.20	917.69
9.	झारखंड	761.49	11154.47	6997.88
10.	कर्नाटक	7379.97	9407.65	6787.71
11.	केरल	1738.28	3666.11	3520.80
12.	मध्य प्रदेश	5457.86	5770.97	10320.67
13.	महाराष्ट्र	9869.23	8443.33	16770.11
14.	उड़ीसा	6697.98	6646.40	6295.06
15.	पंजाब	1246.53	3138.07	819.66
16.	राजस्थान	5534.27	8571.57	6067.07
17.	तमिलनाडु	3703.59	3451.94	3521.89

1	2	3	4	5
18.	उत्तरांचल	18125.13	41902.48	45232.09
19.	उत्तर प्रदेश	705.72	1347.89	344.87
20.	पश्चिम बंगाल	6348.24	5916.07	11021.60
		89977.09	141836.56	159657.82
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	80.39	93.67	67.45
22.	चंडीगढ़	76.33	154.76	46.17
23.	दादरा व नगर हवेली	22.59	22.59	96.57
24.	दमन व दीव	13.74	13.74	
25.	लक्षद्वीप	7.52	39.91	27.75
		200.57	324.67	237.94
26.	दिल्ली	737.49	694.29	516.47
27.	पांडिचेरी	85.72	55.03	200.64
		823.21	749.32	717.11
28.	अरूणाचल प्रदेश	113.41	879.60	461.37
29.	असम	3066.67	3711.54	3376.61
30.	मणिपुर	664.58	914.32	645.08
31.	मेघालय	687.17	1023.42	1007.99
32.	मिजोरम	471.24	488.97	535.20
33.	नागालैंड	929.07	1188.71	824.82
34.	सिक्किम	118.48	95.77	64.68
35.	त्रिपुरा	407.06	707.69	759.54
		6457.68	9010.02	7675.29
	कुल	97458.55	151920.57	168288.16

वन अधिकार अधिनियम, 2006

***239. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमों को अभी लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनजातियों तथा वन निवासियों के भू-अधिकार क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख)

इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम, 2008 दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित किए गए हैं।

इस अधिनियम तथा इन नियमों की प्रतियां जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इस अधिनियम के अध्याय 2 में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार उल्लिखित हैं।

[अनुवाद]

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

*240. **श्री एस.के. खारवेनथन :***
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किसी समस्या का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनका निर्माण कार्य अब तक आरंभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी), प्रत्येक लगभग 4000 मेगावाट क्षमता का विकास करने हेतु कदम उठाए है। ये परियोजनाएं बनाओं, अपनाओं और चलाओं के आधार पर विकसित की जा रही है तथा परियोजना विकासकर्त्ताओं का चयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाता है, जो परियोजना विशेष शैल कपंनियों, द्वारा प्रारंभ की गई है/की जानी है। ये कंपनियां पावर फाइनेंस कारपोरेशन की पूर्णतः सहायक कंपनी के रूप में बनाई गई हैं, जो इस कार्य हेतु एक चयनित नोडल एजेंसी है। इन परियोजनाओं का 12वीं योजना में पूरा होने का अनुमान है।

राज्यों के साथ परामर्श से स्थल चयन के उपरांत इन चार अल्ट्रा मैगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) से संबंधित बोली प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया था और तीन परियोजनाओं में पूरा कर लिया गया है, ब्यौरे निम्नानुसार है –

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थल	राज्य	स्थिति
1.	सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	सीधी जिले में सासन गांव के निकट	मध्य प्रदेश	बोली प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को अंतरित किया गया है।
2.	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	कच्छ जिले में तुंडावांडा गांव के पास	गुजरात	बोली प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को अंतरित किया गया है।
3.	कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	नैल्लोर जिले में कृष्णापटनम गांव	आंध्र प्रदेश	बोली प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को अंतरित किया गया है।
4.	तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	हजारी बाग जिले में तिलैया बांध के उत्तर–पूर्व में बारही के निकट स्थान	झारखंड	वर्तमान में बोली प्रक्रिया प्रगति पर है।

उड़ीसा में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) की स्थापना हेतु, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य सरकार की एजेंसियों से परामर्श करके सुंदरगढ़ जिले के निकट भेडाबहल ग्राम में स्थान निश्चित किया है। हालांकि, उड़ीसा सरकार ने प्रस्तावित यूएमपीपी के लिए निश्चित

स्थान और जल आबंटन के लिए अब तक अनुमोदन नहीं किया है। छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए राज्य सरकार के परामर्श से सरगुजा जिले में सल्का और खमरिया गांवों के पास एक स्थान का चयन किया गया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में यूएमपीपी की स्थापना हेतु बोली प्रक्रिया को आरंभ करना और साइटों को अंतिम रूप देना संबंधित राज्य सरकारों से आवश्यक इनपुट/स्वीकृतियों पर निर्भर है।

(घ) उपर्युक्तानुसार, तीन यूएमपीपी के बारे में बोली प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर लिया गया है। चयनित बोलीकर्त्ताओं को विद्युत क्रय करारों, जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (एसपीवी) के अंतरण की तारीख से प्रभावी हो गए हैं, में विनिर्दिष्ट समय सारणी का अनुपालन करते हुए परियोजनाओं को चालू करना है। अब तक, इन तीनों यूएमपीपी के कार्यान्वयन कार्यक्रम में किसी विचलन की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार एक परियोजना अर्थात् गुजरात में मुंद्रा यूएमपीपी, जिसके एसपीवी को सर्वप्रथम अभिनिर्धारित परियोजना विकासकर्त्ता को अंतरित किया गया था, के बारे में साइट पर निर्माण संबंधी गतिविधियां आरंभ हो गई हैं।

[हिन्दी]

किशोर न्यायालयों की स्थापना

2139. श्री कैलाश मेघवाल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में बाल अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग गठित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अनुसार, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु बाल–न्यायालय के रूप में राज्य सरकारा से प्रत्येक जिले में एक न्यायालय पदनामित करने की अपेक्षा की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल–न्यायालय पदनामित करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है। तथापि, इस संबंध में किसी भी राज्य ने इस बारे में कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है।

(घ) से (च) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अनुसार, राज्य सरकारों से अपने–अपने राज्यों में बालक अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन करने की अपेक्षा की जाती है। मंत्रालय ने राज्य आयोगों का गठन करने हेतु राज्य सरकारों को लिखा है। तथापि, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, अब तक सिर्फ गोवा ने ही राज्य आयोग का गठन किया है।

[अनुवाद]

करों की ई-फाइलिंग

2140. श्री के.सी. पल्लामी शामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित करदाताओं के लिए करों की ई–फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कर संग्रहण में कोई वृद्धि देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप कोई समस्या खड़ी हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों के करदाताओं के लिए करों की इलेक्ट्रानिक माध्यम से अदायगी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है:–

(i) सभी निगमित कर निर्धारिती

(ii) सभी कर निर्धारिती (कम्पनी से भिन्न) जिन पर आयकर अधिनियम की धारा 44कख के उपबंध लागू हैं।

इस संबंध में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले ही 23 जनवरी, 2008 को एक प्रेस विज्ञप्ति सं. 402/92/2006–एम सी (2008 की 05) जारी कर दी है।

(ग) और (घ) करों की इलेक्ट्रानिक अदायगी के नए प्रावधान को दिनांक 01.04.2008 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए इस पहल के कारण करों के संग्रहण में किसी वृद्धि का पूर्वानुमान लगा पाना असामयिक होगा।

(ङ) और (च) आयकर विभाग इस निर्णय के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दिबांग घाटी पनबिजली परियोजना

2141. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिबांग घाटी में एक पनबिजली परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा कौन-कौन से राज्य इससे लाभांवित होंगे?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) दिबांग नदी पर 3000 मेगावाट क्षमता की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना विकास के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) को सौंपी गई हैं। यह बाढ़ नियंत्रण आदि के आनुषांगिक लाभों वाली बहुउद्देशीय परियोजना है और अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी के साथ आशुपानी नदी के संगम के लगभग 1.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर स्थापित है। इस परियोजना के निवेश अनुमोदन के पश्चात् 9 वर्षों में पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 23.01.2008 को परियोजना को सहमति प्रदान की है। लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने 28.01.2008 को हुई अपनी बैठक में नवंबर, 2007 मूल्य स्तर पर 15,886.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर परियोजना की सिफारिश की है। परियोजना को निवेश अनुमोदन एनएचपीसी द्वारा सभी वैधानिक स्वीकृतियों जैसे कि पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति आदि प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रदान किया जाएगा। परियोजना से विद्युत की आपूर्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा उत्तर-पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में कमी वाले राज्यों को भी किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बंद डी-मेट एकाउन्ट्स

2142. श्री अनिवाश राय खन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने डी-मेट एकाउन्ट बंद पड़े हैं तथा उनमें कितनी राशि शामिल है;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ग्राहकों द्वारा पैन नम्बर संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एक साल के अंदर कितने डी-मैट एकाउन्ट जारी किए गए तथा इसमें कितनी राशि शामिल है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) 8 मार्च, 2008 के अनुसार पैन अपेक्षा के अनुपालन के कारण बंद किए गए खातों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

निक्षेपागार	बंद खातों की संख्या (लाखों में)	बंद खातों में प्रतिभूतियों की संख्या (करोड़ रुपए)
एनएसडीएल	15.25	51,750
सीडीएसएल	3.42	10,981

निक्षेपागार में बंद किए गए खातों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) 1 जनवरी, 2007 से 8 मार्च, 2008 के दौरान खोल दिए गए खातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

निक्षेपागार	बंद न किए गए खाते (लाख में)	बंद न किए गए खातों में प्रतिभूतियों की संख्या (करोड़ रुपए)
एनएसडीएल	22.19	4,51,000
सीडीएसएल	2.65	1,52,916

विवरण

8 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार निक्षेपागारों में बद किए गए खातों की राज्य–वार संख्या

राज्य	एनएसडीएल	सीडीएसएल
1	2	3
अंडमान और निकोबार	102	44
आंध्र प्रदेश	1,50,357	23,782
अरूणाचल प्रदेश	38	16
असम	8,499	1,928
बिहार	34,305	6,540
चण्डीगढ़	2,817	85
दमन और दीव	21	–
दिल्ली	1,12,296	13,966
गोवा	4,001	420
गुजरात	1,38,301	38,772
हरियाणा	29,437	8,025
हिमाचल प्रदेश	4,825	1,026
जम्मू व कश्मीर	10,407	472
कर्नाटक	1,07,567	14,644
केरल	67,910	20,087
लक्षद्वीप	2	–
मध्य प्रदेश	41,308	17,108
महाराष्ट्र	2,00,548	72,821
मणिपुर	72	–
मेघालय	248	78
मिजोरम	6	–
नागालैंड	132	13
उड़ीसा	17,607	3,126
पांडिचेरी	1,857	145
पंजाब	37,189	9,521
राजस्थान	30,502	23,876
सिक्किम	166	29
तमिलनाडु	1,66,005	19,226
त्रिपुरा	978	59
उत्तर प्रदेश	1,23,358	39,126
पश्चिम बंगाल	79,300	12,323
अन्य	1,55,271	15,124
कुल	15,25,432	342,382

[अनुवाद]

निर्धारित समय-सीमा से पूर्व जमा राशि का आहरण

2143. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा निजी बैंक निर्धारित समय–सीमा से पूर्व जमा राशि के आहरण पर कोई ब्याज नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैंकों द्वारा क्या इस निदेश का पालन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ बैंक ग्राहकों को नियमित सावधि जमाराशियों के अतिरिक्त निश्चित अवरुद्धता अवधियों, विभेदी ब्याज दरों, निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समय–पूर्व निकासी न किए जाने, निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समय–पूर्व निकासी के मामले में ब्याज का भुगतान न किए जाने, आदि

जैसी विशिष्ट विशेषताओं वाली विशेष सावधि जमा योजनाओं का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसके उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अक्तूबर, 2007 के अपने परिपत्र के तहत बैंकों को परामर्श दिया है कि कुछ बैंकों द्वारा शुरू की गई निश्चित अवरुद्धता अवधियों और ऐसी अन्य विशेषताओं वाली विशेष योजनाएं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं और बैंकों को इन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने और उसके अनुपालन की सूचना देने का परामर्श दिया गया है। परिपत्र की प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंक को, जमाकर्ता के अनुरोध पर, धनराशि जमा करने के समय तय की गई जमा की अवधि के पूरा होने से पूर्व सावधि जमाराशि के आहरण की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। बैंक को, सावधि जमाराशियों की समय–पूर्व निकासी की स्वयं अपनी दंडात्मक ब्याज दर निर्धारित करने की छूट होगी। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ–साथ लागू दंडात्मक दर की जानकारी प्रदान की जाए। किसी जमाराशि को समय से पूर्व बंद करते समय, जितनी अवधि के लिए जमाराशि बैंक के पास रही है उस पर ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा जितनी अवधि तक जमाराशि बैंक के पास थी न कि पहले तयशुदा दर पर। निर्धारित न्यूनतम अवधि के पूरा होने से पहले जमाराशियों की समय–पूर्व निकासी करने पर कोई ब्याज देय नहीं है। तथापि, बैंक अपने विवेकानुसार व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों को छोड़कर संस्थाओं द्वारा धारित बड़ी जमाराशियों की समय–पूर्व निकासी करने से मना कर सकता है। तथापि, बैंक को समय–पूर्व निकासी की अनुमति न देने की अपनी नीति की सूचना ऐसे जमाकर्ताओं को अग्रिम रूप से अर्थात् ऐसी जमाराशियां स्वीकार करते समय देनी चाहिए।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के किसानों को ऋण

2144. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के किसानों को सरकार द्वारा छह प्रतिशत ब्याज की दर से दिया गया ऋण केवल एक वर्ष के लिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के सभी किसानों को छह प्रतिशत की ब्याज दर से ही ऋण देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2006–07 के दौरान 6% की दर पर फसल ऋण (प्रति किसान 3 लाख रुपए तक) उपलब्ध करवाने के लिए ऋण एजेंसियों को समर्थकारी बनाने के लिए 1 प्रतिशत दर पर ब्याज सहायता उपलब्ध करवाने की योजना की शुरूआत की है, जो वर्ष 2007–08 के दौरान भी जारी रही। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना विदर्भ क्षेत्र सहित संपूर्ण राज्य को कवर करती है।

राज्य सरकार की यह योजना, भारत सरकार की योजना के साथ–साथ चल रही है और यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि वर्ष 2006–07 से, अधिकतम 3 लाख रुपए तक की मूल राशि पर महाराष्ट्र के किसानों को 6% की दर से अल्पावधि ऋण मिले। सरकारी क्षेत्र के बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनकी अपनी सम्मिलित निधि पर 2% की दर पर ब्याज सहायता दी जा रही है। इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार, नाबार्ड को, आरआरबी और सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता देती है। भारत सरकार की योजना वर्ष 2007–08 और वर्ष 2008–09 के लिए भी जारी है। 6% की दर पर किसानों को ऋण देने के लिए एजेंसी को समर्थकारी बनाने के लिए राज्य सरकार इनके द्वारा प्रदान किए गए चालू फसल ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु धनराशि जारी करने में विलंब

2145. श्री तथागत सत्पथी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत धनराशि जारी करने में कोई विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस योजना के अंतर्गत तुरंत धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (घ) एनआरईजीए मांग आधारित कार्यक्रम है। उपलब्ध संसाधनों के कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग को दर्शाने वाला उपयोग प्रमाण–पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज के साथ निधियों की रिलीज के लिए जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां रिलीज की जाती हैं।

दसवीं योजना के दौरान कर रियायत

2146. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान कितनी कर रियायत दी गई;

(ख) क्या यह कर रियायत समृद्ध लोगों के लिए थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) प्रति वर्ष, बजट में, बड़ी संख्या में शुल्कों में वृद्धि अथवा कमी की जाती है। इन सभी कमियों को कर रियायतें माना जा सकता है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने, चुनींदा सैक्टरों में विकास को प्रोत्साहन देने, कतिपय सैक्टरों आदि को सहायता उपलब्ध करवाने आदि के लिए किसी भी संख्या में संशोधन लाए जाते हैं। इन सभी को भी कर रियायतों के रूप में माना जा सकता है। कभी–कभी वर्ष के दौरान भी परिवर्तन किए जाते हैं जिन्हें भी रियायतें ही माना जा सकता है। इनमें आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि शामिल होंगे। ऐसी उन सभी रियायतों की संख्या बता पाना कठिन होगा जो पांच वर्षों से अधिक की अवधि में दी गई है। तथापि, इन रियायतों से व्यक्तियों को बचत करने, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास करने, आचार–संरचनात्मक सुविधाओं को जुटाने, रोजगार, ग्रामीण विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास आदि को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। कर रियायतों संबंधी निर्णय सरकार द्वारा मुख्यतया सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर ही लिए जाते हैं तथा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रोत्साहन केवल अमीरों को ही लाभ पहुंचाने के लिए ही दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

दलालों का लाभ

2147. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी का विचार ऐसे कानून बनाने का है जिसमें निवेशकों द्वारा दलाल को केवल एक बार लाभ अदा करना होगा;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में लाभ बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में समग्र पुनरीक्षा करने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में यदि कोई अन्य कार्रवाई की गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं। सेबी ने एक्सचेंजों द्वारा दलालों से संग्रहित किए जाने वाले मार्जिन निर्दिष्ट किए हैं। तथापि, ग्राहकों से मार्जिनों के संग्रहण की प्रमात्रा, स्वरूप और विधि दलालों के विवेकाधीन है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सेबी ने सूचित किया है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समग्र समीक्षा करने का उसका कोई विचार नहीं है।

(च) सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दलाल प्रत्येक ग्राहक को दैनिक रिपोर्ट दें, जिसमें उसके मार्जिन दायित्वों को स्पष्ट किया जाए। उसने एक्सचेंजों को मार्जिन प्रणाली पर विशेष फोकस के साथ सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी कहा है।

[अनुवाद]

बाजार माध्यस्थों का अनिवार्य प्रमाणन

2148. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को बाजार मध्यस्थ के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या निवेशकों को उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सेबी ने निवेशकों के धन को संभालने वाले तथा उनके लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले ऐसे सभी बाजार सहभागियों के लिए प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सेबी के इस कदम से निवेशक किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) स्टॉक एक्सचेंजों की मान्यता के लिए मानदंड प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(ख) और (ग) सेबी (प्रतिभूति बाजार में संबद्ध व्यक्तियों का प्रमाणन) विनियम, 2007 के तहत सेबी समय-समय पर संबद्ध व्यक्तियों की श्रेणियां अधिसूचित करेगा, जिनसे यह अपेक्षित होगा कि वे प्रमाणन और ऐसी प्रमाणिकता के लिए आवश्यक तिथि भी प्राप्त करें।

(घ) प्रमाणन से मध्यस्थता की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा निवेशकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होगी।

[हिन्दी]

आदिवासी उप-योजना क्षेत्र का विस्तार

2149. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के विस्तार हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) कब तक उक्त प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन मिल जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान राज्य सरकार ने जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के विस्तार हेतु अनुरोध किया है, जिसमें संशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच (माडा) ब्लॉक तथा माडा क्लस्टर शामिल हैं। इसकी जांच कर ली गई है तथा राजस्थान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित हैं। कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करने में विलम्ब

2150. श्री नवीन जिन्दल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धनराशि की प्राप्ति में विलम्ब के संबंध में जिलों तथा पंचायतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि को शीघ्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों को कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और जिला परिषदों आदि के लिए अधिकांशतः दो किस्तों में केन्द्रीय अंश रिलीज करता है। यदि विगत वर्ष के दौरान दूसरी किस्त की रिलीज बिना किसी शर्त के की गई थी तो पहली किस्त अप्रैल-मई के दौरान रिलीज की जाती है। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई पहली किस्त सहित 60% उपलब्ध निधियों का उपयोग करने और दूसरी किस्त की रिलीज के लिए निर्धारित अन्य प्रक्रियाविधियों को पूरा करने के बाद दूसरी किस्त रिलीज की जाती है। मंत्रालय ने निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण सहित केन्द्रीय अंश की रिलीज में तेजी लाने के लिए अनेक उपाए किए हैं। निधि रिलीज करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। नकद प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, 2007-08 के लिए बजट अनुमान का 67% 31.12.2007 तक रिलीज कर दिया जाना चाहिए। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 67% के लक्ष्य की तुलना में 75.17% राशि रिलीज की थी।

बंगलौर के लिए विकास योजना

2151. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने महत्वाकांक्षी सप्तवर्षीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन के अंतर्गत बंगलौर तथा मैसूर के लिए तैयार की गई 20 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ संगठनों का चयन इसके लिए किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) बंगलौर और मैसूर द्वारा क्रमशः 49 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और 8 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिनमें से 37 परियोजनाएं बंगलौर के लिए और 3 परियोजनाएं मैसूर के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन घटक (यूआईजी) के अंतर्गत अनुमोदित की गई है।

(ग) से (ङ) नगरों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का के.लो.नि.वि., केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग तथा पर्यावरण संगठन और इस मंत्रालय के शहरी परिवहन प्रभाग जैसी तकनीकी मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद उन पर मॉनीटरिंग तथा संस्वीकृति समिति द्वारा विचार किया जाता है।

गांधीनगर में फ्लूरोसिस शमन केन्द्र

2152. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांधीनगर में क्षेत्रीय फ्लूरोसिस शमन केन्द्र (रिजनल फ्लूरोसिस मिटिगेशन सेन्टर) की स्थापना के संबंध में गुजरात सरकार से आवश्यक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में इलेक्ट्रानिक माध्यम

2153. श्री राकेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बैंकों से नकदी के आहरण हेतु इलेक्ट्रानिक माध्यम के उपयोग को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ,

(ग) बैंक–वार तथा स्थान–वार एटीएम केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार और एटीएम केन्द्रों की स्थापना करने तथा ट्रंकेटेड चेक प्रणाली का कार्यान्वयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक धन–अंतरण और नकदी आहरण हेतु एटीएम के प्रयोग के लिए इलेक्ट्रानिक भुगतान माध्यमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता रहा है। एटीएम के व्यापक प्रयोग को सुकर बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एक दृष्टिकोण पत्र दिया गया है, जिस पर जनता की टिप्पणियां मांगी गई हैं। इस पत्र में यह प्रस्ताव है कि ग्राहकों द्वारा सेवा–शुल्क का भुगतान किए बिना किसी भी बैंक के एटीएम का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे ग्राहक का बैंक कोई भी क्यों न हो।

धन–अंतरण हेतु इलेक्ट्रानिक भुगतान माध्यमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस दृष्टिकोण पत्र में यह प्रस्ताव किया गया है कि 01 अप्रैल, 2008 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं अर्थात बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के बीच 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक के सभी भुगतान लेन–देन इलेक्ट्रानिक तरीके से ही किए जाने अनिवार्य हैं। इससे न केवल कागज–आधारित बड़े मूल्य थोक भुगतानों को सुरक्षित इलेक्ट्रानिक तरीके को अंतरित करके जोखिम कम किए जाएंगे, बल्कि इससे भुगतान व्यवस्थाओं में अधिक कुशलता आएगी और यह ग्राहकों के लिए सुविधाजनक होगा।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य–वार एटीएम विनियोजन के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) बैंकों द्वारा एटीएम विनियोजन संबंधी निर्णय अलग–अलग बैंकों द्वारा लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित की जा रही चेक ट्रंकेशन व्यवस्था 01 फरवरी, 2008 से 10 पायलट बैंकों में शुरू की गई है। नई दिल्ली में इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद, यह प्रस्ताव है कि इस व्यवस्था को देश में अंतर–शहर चेक संग्रहण हेतु कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण

31 दिसम्बर, 2007 को ए टी एम स्थापित करने का राज्य वार ब्यौरा

क्रम सं.	बैंकों के नाम सरकारी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक	अंडमान और निकोबार	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	चण्डीगढ़	छत्तीसगढ़	दादरा, नगर हवेली	दमन	दिल्ली	दीव	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर
1	इलाहाबाद बैंक	0	6	0	4	8	3	3	0	0	17	0	0	3	5	0	1
2	आन्ध्रा बैंक	0	470	0	0	0	3	1	0	0	23	0	4	4	2	0	0
3	बैंक आफ बड़ौदा	1	43	0	5	10	0	13	2	1	75	0	10	220	23	4	2
4	बैंक आफ इंडिया	0	25	0	0	10	2	3	0	0	30	0	8	39	7	0	1
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	0	12	0	0	0	2	4	0	0	19	0	7	16	11	1	0
6	केनरा बैंक	2	93	0	3	28	15	7	1	0	112	0	19	39	34	6	4
7	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	0	26	0	2	17	7	7	0	0	28	0	3	28	7	0	1
8	कार्पोरेशन बैंक	0	60	0	1	4	5	8	0	0	101	0	22	58	25	3	1
9	देना बैंक	0	7	0	0	1	1	8	0	1	14	0	2	99	6	0	0
10	इण्डियन बैंक	0	42	0	7	1	3	0	0	0	21	0	2	24	5	0	1
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक	0	59	0	1	2	2	0	0	0	34	0	2	15	10	0	2
12	ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स	0	95	0	3	2	14	8	0	1	62	0	6	31	43	6	4
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
14	पंजाब नेशनल बैंक	0	34	0	5	28	19	28	0	0	180	0	3	38	78	42	25
15	सिंडिकेट बैंक	1	97	1	1	6	4	2	0	0	67	0	10	25	20	2	1
16	यूको बैंक	0	12	0	7	3	2	7	0	0	17	0	1	9	2	4	1
17	यूनियन बैंक आफ इंडिया	0	75	0	9	10	11	16	0	0	55	0	6	67	21	5	1
18	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	0	1	0	6	2	1	0	0	0	9	0	1	2	0	0	0
19	विजया बैंक	0	21	0	0	0	3	1	0	0	14	0	1	14	3	0	0
	स्टेट बैंक समूह																
20	स्टेट बैंक आफ इंडिया	7	686	4	152	172	44	135	1	0	205	0	44	249	74	33	26
21	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	0	2	0	0	2	2	0	0	0	16	0	0	4	7	0	0
22	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0	358	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	3	0	0
23	स्टेट बैंक आफ इंदौर	0	2	0	0	0	1	18	0	0	7	0	0	5	1	0	0
24	स्टेट बैंक आफ मैसूर	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
25	स्टेट बैंक आफ पटियाला	0	1	0	0	1	18	0	0	0	18	0	0	2	84	43	1
26	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0	3	0	0	0	0	1	0	0	5	2	0	179	1	0	0
27	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
	अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक																
28	आई डी बी आई लि.	0	26	1	2	5	6	12	1	0	57	0	8	41	15	3	1
	कुल	11	2270	6	206	312	170	282	5	3	1205	2	160	1215	492	152	73

विवरण

31 दिसम्बर, 2007 को ए टी एम स्थापित करने का राज्य वार ब्यौरा

झारखंड	कर्नाटक	केरल	लक्षद्वीप	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	पुडुचेरी	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	कुल
12	5	1	0	11	12	0	0	0	0	7	0	7	7	0	11	0	63	5	20	211
1	21	6	0	3	33	0	0	0	0	19	1	1	0	0	30	0	3	0	7	632
14	34	23	0	39	157	0	3	0	0	15	1	20	82	0	65	0	144	16	56	1078
16	22	8	0	24	127	0	0	0	0	7	1	5	5	0	28	0	15	1	27	411
0	14	1	0	14	187	0	0	0	0	2	1	12	5	0	7	0	16	1	12	344
18	357	168	0	31	173	0	0	0	0	14	4	46	12	0	334	1	99	9	38	1667
7	6	12	0	27	44	0	0	0	0	7	1	7	12	1	25	0	44	3	24	346
3	265	48	0	14	102	0	1	0	0	9	1	18	15	1	82	0	56	4	34	941
0	13	3	0	13	72	0	0	0	0	1	1	5	5	0	16	0	15	1	4	288
1	21	24	0	3	45	0	0	0	0	4	13	5	9	0	257	0	10	0	18	516
1	14	27	0	2	19	0	0	0	0	7	5	13	6	0	179	0	23	2	14	439
1	42	8	0	29	77	0	0	0	0	10	0	78	31	2	42	0	82	18	31	726
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
13	21	37	0	65	90	0	1	0	0	20	1	129	96	1	33	1	187	67	51	1293
7	183	68	1	16	66	0	1	1	1	10	3	15	6	1	96	0	72	7	24	815
6	13	10	0	15	15	0	0	0	0	35	3	9	13	1	16	1	14	3	35	255
17	60	94	0	67	202	0	0	0	0	25	1	20	24	1	95	0	91	7	56	1036
6	2	1	0	0	9	1	1	0	0	6	0	0	0	2	3	2	7	0	99	161
0	59	16	0	3	27	0	0	0	0	1	0	7	2	0	13	0	12	1	5	203
108	330	173	0	274	605	4	15	3	5	299	11	128	110	6	647	9	443	123	444	5569
0	2	1	0	4	11	0	0	0	0	0	0	8	319	0	5	0	3	1	4	391
0	42	1	0	0	55	0	0	0	0	2	0	0	0	0	13	0	0	0	3	488
0	1	0	0	220	15	0	0	0	0	0	0	1	8			4	0	7	4	294
0	260	1	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	0	1	0	5	315
0	2	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	215	10	0	3		19	3	2	432
0	2	0	0	3	4	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	3	1	0	210
0	8	286	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	33	0	2	0	2	348
14	16	12	0	38	190	0	0	1	1	10	0	17	27	2	53	1	41	7	20	628
245	1815	1029	1	919	2361	5	22	5	7	512	49	767	807	18	2113	15	1472	280	1039	20047

[अनुवाद]

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम

2154. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज (सीजीटीएसआई) में शामिल बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी और विदेशी बैंक भी इस योजना से जुड़ सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख तक सीजीटीएसआई योजना से कितने निजी और विदेशी बैंक जुड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना से जुड़ने के लिए निजी और विदेशी बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) लघु उद्योग ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएसआई) जो वर्तमान में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के नाम से जानी जाती है, में शामिल बैंकों के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। आज की तारीख तक 13 निजी बैंकों ने इस योजना में भाग लिया है।

(घ) निजी और विदेशी बैंकों सहित सभी पात्र बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को इस योजना के ब्यौरे के साथ-साथ इस योजना में शामिल होने के लाभों के बारे में भी बताया जाता है।

विवरण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

29 फरवरी, 2008 को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट की सदस्य ऋणदायी संस्थाएं

कुल सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या = 57

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (संख्या – 20)

(1) इलाहाबाद बैंक

(2) आंध्रा बैंक

(3) बैंक ऑफ बड़ौदा

(4) बैंक ऑफ इंडिया

(5) बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(6) केनरा बैंक

(7) सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(8) कार्पोरेशन बैंक

(9) देना बैंक

(10) आई डी बी आई लि.

(11) इंडियन बैंक

(12) इंडियन ओवरसीज बैंक

(13) ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स

(14) पंजाब एंड सिंध बैंक

(15) पंजाब नेशनल बैंक

(16) सिंडिकेट बैंक

(17) यूको बैंक

(18) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(19) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(20) विजिया बैंक

(ii) भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंक (संख्या - 8)

(1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(2) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर

(3) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

(4) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर

(5) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

(6) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

(7) स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर

(8) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

(iii) निजी क्षेत्र के बैंक (संख्या-13)

(1) एच डी एफ सी बैंक लि.

(2) आई सी आई सी आई बैंक लि.

(3) आई एन जी वैश्य बैंक लि.

(4) इंडुसइंड बैंक लि.

(5) द जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लि.

(6) द नैनीताल बैंक लि.

(7) द साउथ इंडियन बैंक लि.

(8) द बैंक ऑफ राजस्थान लि.

(9) एक्सिस बैंक लि.

(10) कोटक महिंद्रा बैंक लि.

(11) द फेडरल बैंक लि.

(12) तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.

(13) कर्नाटक बैंक लि.

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संख्या-13)

(1) आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा, आंध्र प्रदेश

(2) बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली, उ.प्र.

(3) चिकमंगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक

(4) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुन्तूर

(5) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

(6) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक, हरियाणा

(7) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

(8) नैनीताल–अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी, उत्तरांचल

(9) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक

(10) प्रथम बैंक, मुरादाबाद, उ.प्र.

(11) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर, आंध्र प्रदेश

(12) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम

(13) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

(ग) ऋणदात्री संस्थाएं (संख्या-13)

(1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.

(2) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.

(3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

नाबार्ड के मौसमी कृषि कार्य

2155. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि नाबार्ड के मौसमी कृषि कार्यों हेतु अल्पकालीन पुनर्वित्त पोषण को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना चाहिए ताकि किसानों की उच्च ब्याज दर वाले राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा अन्यों पर निर्भरता को इसी अनुपात में कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के मौसमी कृषि कार्यों हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए।

नाबार्ड का पुनर्वित्त पूरक प्रकृति का है और यह अपनी निधि संबंधी बाध्यताओं के कारण ग्राहक बैंकों की ऋण आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण पूरा करने में असमर्थ है। इस समय नाबार्ड अपने अल्पावधि मौसमी कृषि कार्य (एसटी–एसएओ) पुनर्वित्त के लिए बाजार संबंधित दरों पर बाजार से ऋण पर पूर्णतः निर्भर है और नाबार्ड किए गए अनुरोध के अनुसार पुनर्वित्त की मात्रा बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा होते हुए भी राज्य सहकारी बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर पर निर्भर करते हुए पुनर्वित्त की मात्रा वर्ष 2005–06 के दौरान वास्तविक उधार कार्यक्रम (आरएलपी) के 30% से बढ़ाकर वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान आरएलपी का 35%/40% कर दी गई है।

नाबार्ड को अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं को अधिक पुनर्वित्त देने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, वर्ष 2008–09 के बजट में नाबार्ड में 500 करोड़ रुपए की राशि से एक निधि बनाने की घोषणा की गई है।

निहित भूमि का कब्जा

2156. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री क्रमशः कब्जा के वारंट की तामील तथा ग्राम सभा में निहित कृषि भूमि के बारे में 24.08.2005, 1.3.2005 तथा 10.5.2005 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न सं. 3828, 177 और 6594 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्राम सभा में निहित भूमि का कब्जा लेने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना के कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। दिनांक 24.8.2005, 1.3.2005 और 10.5.2005 के उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 3828, 177 तथा 6594 के संबंध में सूचना एकत्र करके कार्यान्वयन रिपोर्टें क्रमशः 11.1.2008, 18.2.2008 तथा 29.1.2008 को संसदीय कार्य मंत्रालय के पास भेज दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार जिला उपायुक्त (दक्षिण) ने कब्जे के तीन वारंट तामील करके भूमि का कब्जा ले लिया। तथापि वसंत विहार और नजफगढ़ के तहसीलदारों ने कब्जे का कोई वारंट तामील नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को कब्जे के वारंट तामील करने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं क्योंकि यह अत्यधिक घना निर्मित क्षेत्र है। तथापि कब्जे के सभी वारंटों को तामील करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वसंत विहार और नजफगढ़ के तहसीलदारों ने विगत तीन वर्ष के दौरान कब्जे का कोई वारंट तामील नहीं किया है। ब्लाक विकास अधिकारी (बीडीओ दक्षिण) द्वारा तामील किए गए कब्जा वारंटों का ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

कुल 383 कब्जा वारंट तामील हेतु लंबित है जिनमें से ब्लॉक विकास अधिकारी, दक्षिण के पास 180 तहसीलदार, वसंत विहार के पास 98 और तहसीलदार, नजफगढ़ के पास 105 कब्जा वारंट तामील हेतु लंबित हैं। ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

उपायुक्त (दक्षिण), जिला कार्यबल के साथ मासिक तथा पखवाड़े के आधार पर बैठकें ले रहे हैं ताकि ग्राम सभा भूमि का कब्जा वापिस लिया जा सके। इन बैठकों में राजस्व विभाग, ब्लॉक विकास अधिकारी (दक्षिण), दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली यातायात पुलिस जैसी अन्तर संबद्ध विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सैनिक फार्मों के संबंध में 61 कब्जा वारंट तामील के लिए लंबित है जिनमें नेव सराय के लिए 22, देवली के 30 तथा खानपुर के लिए 9 कब्जा वारंट शामिल है। इनका ब्यौरा विवरण–III के रूप में संलग्न है। इसी प्रकार राजस्व सहायक, हौजखास के पास कब्जा वारंट जारी करने हेतु 149 तामील मामले लंबित थे जिनका ब्यौरा विवरण–IV के रूप में संलग्न है।

तथापि, राजस्व सहायक, वसंत विहार के पास कोई कब्जा वारंट लंबित नहीं है। कब्जा वारंटों को जारी करवाने के उद्देश्य से जल्दी–जल्दी नियमित सुनवाई तथा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) उत्तर के उपर्युक्त (क) और (ख) भागों में दी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

ब्लाक विकास अधिकारी (दक्षिण जिला) द्वारा जारी कब्जे के आदेशों का ब्यौरा

क्रम सं.	मामला सं.	कब्जों का आदेश जारी करने की तारीख	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र (बीघा–बिसवा)
1	24/आरए/एचके/2000	07.01.04	महरौली	9/12/2	(0–7)
				9/18	(2–5)
				9/19	(4–16)
				9/22	(4–16)
				9/23	(4–8)
					कुल 16 बीघा 12 बिसवा
2	285/आरए/एचके/2002	07.01.04	महरौली	10/14	(4–16)
				10/17	(4–16)
				10/24	(4–7)
				10/25	(4–16)
				16/2	(2–4)
				10/7	(4–6)
					कुल 25 बीघा 5 बिसवा
3	275/आरए/एचके/2002	07.01.04	महरौली	10/6/2	(3–0)
					कुल 3 बीघा
				सकल योग – 44 बीघा 17 बिसवा	

विवरण-II

तहसीलदार (वसंत विहार, नजफगढ़) तथा बीडीओ (दक्षिण) के समक्ष लंबित कब्जे के आदेशों का ब्यौरा

क्रम सं.	मामला सं.	मामले का शीर्ष	कब्जे के आदेश जारी करने की तारीख/वर्ष
1	2	3	4
गांव छतरपुर			
1.	77/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम शांति देवी	23.09.04
2.	75/आरए/02	जी.एस. बनाम. अर्तेदेर पाल	23.09.04
3.	76/आरए/02	जी.एस. बनाम रजिंदर कुमार	23.09.04
4.	286/आरए/05 एवं 142/आरए/99	जी.एस. बनाम शांति देवी	23.09.04
5.	–	जी.एस. बनाम एल.के. बेदि	14.10.04
गांव असोला			
6.	–	जी.एस. बनाम कन्नि राम एवं ओर्स	11.07.01
7.	6/आरए/2000	जी.एस. बनाम राजश्री पवार	2003
8.	217/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम मास्टर गुरप्रीत सिंह	11.07.01
9.	172/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम लाल चंद्र	2002
10.	22/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम विधि कंस्ट्रक्शन	2003
गांव सतबारी			
11.	85/आरए/02	जी.एस. बनाम विनोद कृष्ण खन्ना	08.01.04
गांव सैदुलज़ब			
12.	12/आरए/03	जी.एस. बनाम मंगल सिंह एवं ओर्स	2004
13.	–	ज्ञान प्रकाश	16.11.04
14.	–	राम सिंह एवं ओर्स	23.09.04
15.	99/आर/ए/एचके/02	रन सिंह	23.09.04
16.	236/आर/ए/01	जी.एस. बनाम बिशन सिंह बेदि	20.09.04
17.	238/आर/ए/01	जी.एस. बनाम अरूण जैन एवं ओर्स	05.06.04
18.	467/आर/ए95	जी.एस. बनाम ब्रह्म प्रकाश एवं ओर्स	29.07.02
19.	493/आर/ए86	जी.एस. बनाम गयसि	2002
20.	269/आर/ए02	जी.एस. बनाम अशोक कुमार फैमेली ट्रस्ट	23.09.04

1	2	3	4
विलेज फतेहपुर बेरी			
21.	16/आरए/03	जी.एस. बनाम अमित कुमार अग्रवाल एवं ओर्स	23.09.04
विलेज आया नगर			
22.	262/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम धरम्विएर एवं ओर्स	07.01.04
23.	263//आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम लक्ष्मी चंद एवं ओर्स	07.01.04
24.	264/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम हरि राम एवं ओर्स	07.01.04
25.	–	जी.एस. बनाम प्रेम पाल मल्होत्रा एवं ओर्स	01.03.02
26.	–	जी.एस. बनाम चंदु	12.09.02
27.	261/आरए/95	जी.एस. बनाम राम कली	08.01.04
28.	–	जी.एस. बनाम दया राम एवं ओर्स	12.09.02
29.	–	जी.एस. बनाम महेंदर एवं ओर्स	04.04.03
30.	–	जी.एस. बनाम जग्गि एवं ओर्स	04.04.03
31.	–	जी.एस. बनाम राजपाल एवं ओर्स	04.04.03
32.	–	जी.एस. बनाम मॉर्डर्न मतेउ हिते सैत्य	04.04.03
33.	–	जी.एस. बनाम धरम पाल	01.11.02
34.	261/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम तरिफ एवं ओर्स	07.01.04
35.	269/आरए/एचके	जी.एस. बनाम नाथी राम	08.01.04
36.	124/आरए/97	जी.एस. बनाम आनंद नायडू	29.05.03
37.	267/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम राम नाथ एवं ओर्स	01.03.02
38.	208/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम इम्पेरियल संपदा पीवीटी. लिमिटेड	12.02.02
39.	–	जी.एस. बनाम चज्जुह	07.08.03
40.	168/आरए/02	जी.एस. बनाम गिरधारी एवं ओर्स	01.03.02
41.	269/आरए/95	जी.एस. बनाम करतार सिंह	01.03.02
42.	272/आरए/01	जी.एस. बनाम एसएमटी. प्रेम कुमार	01.03.02
43.	271/आरए/02	जी.एस. बनाम हुकम सिंह	01.03.02
44.	140/आरए/02	जी.एस. बनाम चंद्र एवं ओर्स	01.03.02
45.	139/आरए/02	जी.एस. बनाम धरम पाल एवं ओर्स	12.09.02

1	2	3	4
46.	143/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम गनगि राम एवं ओर्स	12.09.02
47.	240/आरए/02	जी.एस. बनाम दया राम उदय राम	12.09.02
48.	140/आरए/02	जी.एस. बनाम राम नाथ एवं ओर्स	12.09.02
49.	–	जी.एस. बनाम भोपंदेर कुर	12.09.02
50.	–	जी.एस. बनाम छोतु	12.09.02
51.	265/आरए/02	जी.एस. बनाम सतीश एवं ओर्स	07.01.04
52.	–	जी.एस. बनाम इमर्त एवं ओर्स	04.04.03
53.	–	जी.एस. बनाम कन्नि एवं ओर्स	04.04.03
गांव भाटी			
54.	319/आरए/96	जी.एस. बनाम कृष्ण लाल	04.04.03
55.	151/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम पमेला रोच्क्स	16.11.04
56.	178/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम एसएमटी.थलन डब्ल्यू/ओ अफलातुन	16.11.04
57.	176/आरए/02	जी.एस. बनाम रुमलि एवं ओर्स	23.09.04
58.	185/आरए/02	जी.एस. बनाम नाथु	23.09.04
59.	187/आरए/02	जी.एस. बनाम नथ्य एवं ओर्स	23.09.04
60.	184/आरए/02	जी.एस. बनाम मोहित नहत थ्रोउघ आशा नहत	23.09.04
61.	183/आरए/02	जी.एस. बनाम रेश एस/ओ संत राम	23.09.04
62.	174/आरए/02	जी.एस. बनाम सुदन एवं ओर्स	23.09.04
63.	169/आरए/02	जी.एस. बनाम श्रृषि	23.09.04
64.	179/आरए/02	जी.एस. बनाम एसएमटी.नथ्य डब्ल्यू/ओ पत राम	23.09.04
65.	168/आरए/02	जी.एस. बनाम सुर्घ	23.09.04
66.	188/आरए/02	जी.एस. बनाम किशन एवं ओर्स	23.09.04
67.	126/आरए/03	जी.एस. बनाम श्री जैन	2003
68.	181/आरए/02	जी.एस. बनाम श्रृषि एवं ओर्स	2003
69.	182/आरए/02	जी.एस. बनाम कुशम एवं ओर्स	2003
70.	175/आरए/02	जी.एस. बनाम बनाम चंदु	2003
71.	170/आरए/02	जी.एस. बनाम पहलाद एवं पवन	2003

1	2	3	4
गांव देवली			
72.	163/आरए/02	जी.एस. बनाम बुधु एवं ओर्स	12.09.02
73.	47/आरए/03	जी.एस. बनाम राकेश आनंद	24.07.03
74.	130/आरए/2000	जी.एस. बनाम दिल्ली टॉवर्स पीवीटी. लिमिटेड	24.07.03
75.	44/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम दिल्ली टॉवर्स पीवीटी. लिमिटेड	24.07.03
76.	215/आरए/01	जी.एस. बनाम करतार सिंह	24.07.03
77.	131/आरए/2000	जी.एस. बनाम संजीव कोहली	24.07.03
78.	162/आरए/02	जी.एस. बनाम सूरज नारायण	12.09.02
79.	205/आरए/02	जी.एस. बनाम नीलू चद्ध	10.01.03
80.	148/आरए/02	जी.एस. बनाम सरोज कुमार अग्रवाल	12.09.02
81.	158/आरए/02	जी.एस. बनाम मनदीप सिंह	12.09.02
82.	160/आरए/02	जी.एस. बनाम प्रदीप सिंह	12.09.02
83.	157/आरए/02	जी.एस. बनाम निखिल डी सिन्हा एवं ओर्स	12.09.02
84.	156/आरए/02	जी.एस. बनाम एसएमटी. कांता एवं ओर्स	12.09.02
85.	155/आरए/02	जी.एस. बनाम दैविक अग्रवाल	12.09.02
86.	207/आरए/02	जी.एस. बनाम गयनि ऐस्सेन	10.01.03
87.	208/आरए/02	जी.एस. बनाम एसएमटी. बल्लर एवं ओर्स	10.01.03
88.	154/आरए/02	जी.एस. बनाम मनोहर सिंह एवं ओर्स	12.09.02
89.	164/आरए/02	जी.एस. बनाम मनित रग्तोगि	12.09.02
90.	153/आरए/02	जी.एस. बनाम राजेश कपुर	12.09.02
91.	203/आरए/02	जी.एस. बनाम नफे सिंह	10.01.03
92.	202/आरए/02	जी.एस. बनाम राम कला एवं ओर्स	10.01.03
93.	295/आरए/91	जी.एस. बनाम कप्तान सिंह	–
94.	220/आरए/89	जी.एस. बनाम वी/एस कप्तान सिंह	06.06.03
95.	159/आरए/02	जी.एस. बनाम मनीष रेहन	12.09.02
96.	161/आरए/02	जी.एस. बनाम एसएमटी. भगवती	12.09.02
97.	147/आरए/02	जी.एस. बनाम देवेन्दर नाथ	12.09.02

1	2	3	4
98.	149/आरए/02	जी.एस. बनाम देवेंदर नाथ	12.09.02
99.	150/आरए/02	जी.एस. बनाम कमलदीप कौर	12.09.02
100.	152/आरए/02	जी.एस. बनाम बलदेव सिंह मोहन	12.09.02
101.	151/आरए/02	जी.एस. बनाम रेखा बत्तर एवं ओर्स	12.09.02
गांव नेब सराय			
102.	4ए/आरए/एचके/96	जी.एस. बनाम रंजीत सिंह	16.11.04
103.	–	जी.एस. बनाम साहेब सिंह	27.12.04
104.	5ए/आरए/96	जी.एस. बनाम ब्रह्म सिंह एवं ओर्स	16.11.04
105.	07/आरए/99	जी.एस. बनाम रामावतार एवं ओर्स	16.11.04
106.	27/आरए/02	जी.एस. बनाम रवेंदेर सिंह एवं ओर्स	16.11.04
107.	6ए/आरए/02	जी.एस. बनाम दलीप बोर	16.11.04
108.	8ए/आरए/02	जी.एस. बनाम जग्देव सिंह एवं ओर्स	16.11.04
109.	2ए/आरए/96	जी.एस. बनाम संदि सवितरि	16.11.04
110.	3ए/आरए/96	जी.एस. बनाम करन सिंह	16.11.04
111.	467/आरए/96	जी.एस. बनाम दीप चंद	16.11.04
112.	468/आरए/96	जी.एस. बनाम मंग्तु	16.11.04
113.	466/आरए/96	जी.एस. बनाम लक्ष्मण सिंह	16.11.04
114.	205/आरए/01	जी.एस. बनाम देवी सिंह	23.09.04
115.	362/आरए/02	जी.एस. बनाम कुलदीप सिंह	23.09.04
116.	364/आरए/02	जी.एस. बनाम दयावती एवं ओर्स	23.09.04
117.	363/आरए/02	जी.एस. बनाम किशन	23.09.04
118.	101/आरए/09	जी.एस. बनाम रमावती एवं ओर्स	23.09.04
119.	282/आरए/02	जी.एस. बनाम सुसान सिंह	23.09.04
120.	283/आरए/02	जी.एस. बनाम साहिब सिंह एवं ओर्स	23.09.04
121.	287/आरए/02	जी.एस. बनाम दयावती	23.09.04
122.	91/आरए/99	जी.एस. बनाम ओम प्रकाश	23.09.04
123.	3ए/आरए/96	जी.एस. बनाम करन सिंह	16.11.04

1	2	3	4
गांव सुल्तानपुर			
124.	452/आरए/96	भोहिया राम	16.11.04
125.	431/आरए/96	नारायण दास	16.11.04
126.	40/आरए/02	नरजीत कौर	23.09.04
127.	4316/आरए/02	महेश कुमार लालधानी	2004
128.	230/आरए/एचव02	रणजीत सिंह	22.01.05
गांव खापुर			
129.	110/आरए/03	जी.एस. बनाम लक्ष्मी नारायण	07.08.03
130.	115/आरए/03	जी.एस. बनाम एस.सी. कनवर	07.08.03
131.	111/आरए/03	जी.एस. बनाम कैलाश चंद	07.08.03
132.	112/आरए/03	जी.एस. बनाम सीएपीटी सुरेन्दर कुमार	07.08.03
133.	108/आरए/02	जी.एस. बनाम एसएमटी जैलिंदेर कौर '	07.08.03
134.	116/आरए/03	जी.एस. बनाम लक्ष्मी नारायण एवं ओर्स	07.08.03
135.	113/आरए/03	जी.एस. बनाम शिव लाल	07.08.03
136.	114/आरए/03	जी.एस. बनाम मेजर हरीश कुमार धवन	07.08.03
137.	117/आरए/03	जी.एस. बनाम लाखी राम एवं ओर्स	07.08.03
गांव महरौली			
138.	275/आरए/02	भीम सिंह	07.01.04
139.	91/आरए/02	हेम चंद गुप्ता एवं ओर्स	07.01.04
140.	289/आरए/एचके/02	राम नारायण	06.01.04
141.	254/आरए/एचके/01	अशोक कुमार सुरी	08.01.04
142.	90/आरए/97	बिशन सिंह एवं ओर्स	08.01.04
143.	71/आरए/92	शुल सिंह	07.01.04
144.	465/आरए/95	उषा मेहता	–डीओ–
145.	–	विनीत जैन	08.01.04
146.	89/आरए/97	रेनू	06.01.04
147.	277/आरए/02	नीरज अग्रवाल	–डीओ–

1	2	3	4
148.	181/आरए/00	लक्ष्मी एजेंसी	--डीओ--
149.	242/आरए/02	जय भगवान अग्रवाल	07.01.04
150.	24/आरए/00	एम/एस राजीव (पी) लिमिटेड	08.1.04
151.	14/आरए/92	संजीव नंदा	06.01.04
152.	279/आरए/02	सलेक चंद जैन	08.01.04
153.	364/आरए/93	जगिनि लाल	--डीओ--
154.	139/आरए/02	वीर सिंह एवं ओर्स	06.01.04
155.	115/आरए/02	विनोद कुमार अग्रवाल	--डीओ--
156.	117/आरए/02	गुरदेव गिल	--डीओ--
157.	42/आरए/94	महिंदर सिंह	07.01.04
158.	394/आरए/02	सचिन गनदास	08.01.04
159.	143/आरए/89	जोगी राम	06.1.04
160.	116/आरए/02	उमा रानी	06.01.04
161.	23/आरए/00	रतन लाल भगारिया	08.01.04
162.	367/आरए/93	एसएमटी, सोमा	08.01.03
163.	368/आरए/93	अनिल कुमार	06.01.04
164.	354/आरए/02	सुनील दास	06.01.04
165.	90/आरए/02	गोच फशिओन पीवीटी लिमिटेड	अगस्त, 04
166.	359/आरए/93	शेर सिंह	अगस्त, 04
167.	27/आरए/92	प्रेम चंद एवं ओर्स	23.09.04
168.	230/आरए	उषा जैन	23.09.04
गांव डेरामंडी			
169.	259/आरए/02	जी.एस. बनाम भुलेय	07.01.04
170.	357/आरए/02	जी.एस. बनाम वींक सेथ	07.01.04
171.	245/आरए/01	जी.एस. बनाम कृष्ण चंद्र	07.01.04
172.	248/आरए/02	जी.एस. बनाम गिरि राज	07.01.04
173.	240/आरए/02	जी.एस. बनाम कृष्ण किशोर	07.01.04

1	2	3	4
174.	258/आरए/02	जी.एस. बनाम टी.ए. भुखरि	07.01.04
175.	247/आरए/एचके/01	जी.एस. बनाम रति राम	07.01.04
176.	241/आरए/02	जी.एस. बनाम महेंद्र कुमार	07.01.04
177.	243/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम विक्रम कश्यप	07.01.04
178.	244/आरए/02	जी.एस. बनाम एसएमटी मलिक कपूर	07.01.04
179.	249/आरए/02	जी.एस. बनाम लेख राम	07.01.04
180.	246/आरए/02	जी.एस. बनाम सूरज जैन	07.01.04
182.	348/आरए/2000	जी.एस. रंगिपुर व्स आर.के.जय कंस्ट्रक्शन पीवीटी लिमिटेड	28.05.2001
183.	347/आरए/2001	जी.एस. रंगिपुर बनाम, रमेश के.आर. अग्रवाल	28.05.2001
184.	357/आरए/2001	जी.एस. बग्दोल बनाम महेन्द्र सिंह	28.05.2001
185.	353/आरए/2001	जी.एस. बम्नोलि बनाम नफे सिंह	28.05.2001
186.	358/आरए/2001	जी.एस. पोचनपुर बनाम दया सिंह एवं ओर्स	28.05.2001
187.	350/आरए/2001	जी.एस. समल्क बनाम अनिल कुमार के.एच.एन.ओ. 56/21	28.05.2001
188.	356/आरए/2001	जी.एस. समल्क बनाम एवर साईन अग्रो केएच.एन.ओ.25/17/2(4–0), 56/15(1–10)	28.05.2001
189.	352/आरए/2001	जी.एस. भर्थल बनाम एसएसटी. ओम	28.05.2001
190.	354/आरए/2001	जी.एस. बम्नोलि बनाम लख्कराम	28.05.2001
191.	362/आरए/2001	जी.एस. भर्थल बनाम महावीर प्रसाद	28.05.2001
192.	360/आरए/2001	जी.एस. धुल्सिरस बनाम रतन	28.05.2001
193.	349/आरए/2001	जी.एस. बम्नोलि बनाम नारायण सिंह	28.05.2001
194.	355/आरए/2001	जी.एस. धुल्सिरस बनाम मीर सिंह	28.05.2001
195.	438/आरए/2001	जी.एस. अम्बेर्ई बनाम हितेश भारद्वाज	19.11.01
196.	422/आरए/2001	जी.एस. कपशेर बनाम पोइदार	19.11.01
197.		चौंत्रिबुतिओन	19.11.01
198.	418/आरए/2001	जी.एस. रजोकरि बनाम प्द्ज प्रोपेर्तिएस	19.11.01
199.	417/आरए/2001	जी.एस. कपशेर व्स मोती राम	19.11.01

1	2	3	4
200.	431/आरए/2001	जी.एस. बनाम श्रृषि क्र	19.11.01
201.	439/आरए/2001	जी.एस. बनाम जी.डी. सिद्धु	19.11.01
202.	435/आरए/2001	जी.एस. बिज्वसन बनाम पुश्पंजलि फर्म्स	19.11.01
203.	421/आरए/2001	जी.एस. बनाम बिहारी सरन मेहरा	19.11.01
204.	433/आरए/2001	जी.एस. बनाम पुश्पंजलि फर्म्स	19.11.01
205.	434/आरए/2001	जी.एस. बनाम पुश्पंजलि फर्म्स	19.11.01
206.	440/आरए/2001	जी.एस. बनाम राज सिंह	19.11.01
207.	416/आरए/2001	जी.एस. भथल बनाम ममता देवी अग्रवाल	19.11.01
208.	423/आरए/2001	जी.एस. महिपालपुर बनाम श्री चंद एवं ओर्स	19.11.01
209.	427/आरए/2001	जी.एस. रंगपुरि बनाम धनपति	19.11.01
210.	425/आरए/2001	जी.एस. रजोकरि बनाम सत प्रकाश एवं ओर्स	19.11.01
211.	432/आरए/2001	जी.एस. बनाम अजय केआर. सूद	19.11.01
212.	424/आरए/2001	जी.एस. रंगपुरि बनाम इम्रति देवी	19.11.01
213.	430/आरए/2001	जी.एस. रजोकरि बनाम अशरफ एवं कं. पी.वी.टी. लिमिटेड	19.11.01
214.	43/आरए/2002	जी.एस. सल्हपुर बनाम प्यारे एवं ओर्स	15.05.02
215.	41/आरए/2002	जी.एस. मसुदपुर बनाम अमृत लाल	15.05.02
216.	38/आरए/2002	जी.एस. बिज्वसन बनाम उमेद सिंह	05.08.02
217.	257/आरए/2000	जी.एस. समल्क बनाम पेपर प्रॉडक्ट कम्पनी	4.9.02
218.	273/आरए/2000	जी.एस. रंगपुरि बनाम करतार सिंह	4.9.02
219.	25/आरए/2003	जी.एस. घितोर्नि बनाम दया राम	4.9.02
220.	58/आरए/2003	जी.एस. बनाम चंद्र	4.9.02
221.	50/आरए/2003	जी.एस. बनाम भुघ	4.9.02
222.	62/आरए/2003	जी.एस. बनाम रमेश्वरी	4.9.02
223.	54/आरए/2003	जी.एस. बनाम धरमवीर शर्मा	15.05.02
224.	61/आरए/2003	जी.एस. महिपलपुर बनाम कंवलजीत कोचर	15.05.02
225.	60/आरए/2003	जी.एस. बनाम श्याम सुंदर अग्रवाल	05.08.02
225.	51/आरए/2003	जी.एस. बिज्वसन बनाम एम/एस ग्रीन वल्लेय रेसोर्त	04.9.02

1	2	3	4
226.	53/आरए/2003	जी.एस. अम्बैरे बनाम कुरे राम एवं आदर्स	4.9.02
227.	52/आरए/2003	जी.एस. रजोकरि बनाम देव कृपा डेव्हलपर्स	24.2.03
228.	55/आरए/2003	जी.एस. रंगपुरि बनाम एम/एस चेव्येन इंवेस्तोर्स	15.9.03
229.	57/आरए/2003	जी.एस. समल्ख बनाम चंद्र सिंह	15.9.03
230.	56/आरए/2003	ग्स्घितोर्नि बनाम रोहताश	15.9.03
231.	59/आरए/2003	जी.एस. रंगपुरि बनाम राजेंदर कुमार	15.9.03
232.	6/आरए/2003	जी.एस. महिपलपुर बनाम हरि दास	15.9.03
233.	8/आरए/2003	जी.एस. बनाम हवा सिंह	15.9.03
234.	7/आरए/2003	जी.एस. महिपलपुर बनाम मनीष	15.9.03
235.	10/आरए/2003	जी.एस. बनाम स्वरूप सिंह	15.9.03
236.	9/आरए/2003	जी.एस. बनाम देश राज	15.9.03
237.	15/आरए/2003	जी.एस. बनाम दयां सिंह	15.9.03
238.	16/आरए/2003	जी.एस. बनाम तीर्थराम एवं आदर्स	15.9.03
239.	18/आरए/2003	जी.एस. बनाम सुरजान सिंह	15.9.03
240.	11/आरए/2003	जी.एस. बनाम जीराम सुधार सेवा समिति	15.9.03
241.	13/आरए/2003	जी.एस. बनाम सुलतान सिंह	24.2.03
242.	12/आरए/2003	जी.एस. बनाम राम रतन	24.2.03
243.	19/आरए/2003	जी.एस. बनाम ब्रह्म एवं आदर्स	24.2.03
244.	17/आरए/2003	जी.एस. बनाम सुले चंद	24.2.03
244.	14/आरए/2003	जी.एस. बनाम दयां सिंह एवं ओर्स	24.2.03
245.	22/आरए/2003	जी.एस. समल्ख बनाम डी.पी. शर्मा	24.2.03
246.	23/आरए/2003	जी.एस. रजोकरि बनाम धनपति	24.2.03
247.	21/आरए/2003	जी.एस. बम्नोलि बनाम अमरजीत एवं आदर्स	24.2.03
248.	24/आरए/2003	जी.एस. रजोकरि बनाम रंजन राहुल	24.2.03
249.	20/आरए/2003	जी.एस. बिज्वसन बनमा एम/एस.सी. लाल एवं कं.	24.2.03
250.	18/आरए/2004	जी.एस. रजोकरि बनाम पद्मा देवी	24.2.03
251.	19/आरए/2004	जी.एस. सलहपुर बनाम स्तर स्टेट मैनेजमॅट	24.2.03

1	2	3	4
252.	103/आरए/2004	जी.एस. बनाम प्रेम नाथ भाटिया	24.2.03
253.	21/आरए/2004	जी.एस. मसुदपुर बनाम छोटु एवं ओर्स	24.2.03
254.	38/आरए/2004	जी.एस. घितोर्नि बनाम जगमल एवं आदर्स	24.2.03
255.	39/आरए/2004	जी.एस. बनाम सुरजो देवी	24.2.03
256.	20/आरए/2004	जी.एस. बनाम चंद्रो एवं आदर्स	24.2.03
257.	37/आरए/2004	जी.एस. बनाम लक्ष्मिरि एवं आदर्स	24.2.03
258.	43/आरए/2004	जी.एस. बनाम रिशाल एवं आदर्स	24.2.03
259.	41/आरए/2004	जी.एस. बनाम शांति एवं आदर्स	16.2.04
260.	104/आरए/2004	जी.एस. रजोकरि बनाम शीश राम	30.7.04
261.	101/आरए/2004	जी.एस. कपशेर बनाम बी.पी. कंधरि	30.7.04
262.	102/आरए/2004	जी.एस. बनाम जगदीश एवं आदर्स	30.7.04
263.	100/आरए/2004	जी.एस. बनाम अरूण कुमार एवं ओर्स	16.2.04
264.	99/आरए/2004	जी.एस. बिज्वसन बनाम प्यारे लाल	19.3.04
265.	40/आरए/2004	जी.एस. घितोर्नि बनाम सुरेंदर कुमार	19.3.04
266.	42/आरए/2004	जी.एस. बनाम पर्मलि	16.2.04
267.	36/आरए/2004	जी.एस. बनाम राम पाल	19.3.04
268.	52/आरए/2004	जी.एस. अम्बेरै बनाम गुरचरण लाल	19.3.04
269.	53/आरए/2004	जी.एस. बनाम शीश राम	19.3.04
270.	54/आरए/2004	जी.एस. बनाम जगेराम	30.07.04
271.	55/आरए/2004	जी.एस. अमेबेरै बनाम रिशाल सिंह	30.07.04
272.	56/आरए/2004	जी.एस. बनाम मीर सिंह	30.7.04
273.	429/आरए/2001	जी.एस. घिटोरनी बनाम फिरू और सुखराम	19.11.2001
274.	437/आरए/2001	जी.एस. बनाम बाबू	–वही–
275.	436/आरए/2001	जी.एस. बनाम बालू	–वही–
276.	351/आरए/2001	जी.एस. बनाम धरमपाल	27.9.04
277.	34/आरए/2001	जी.एस. बिजवासन बनाम पुष्पांजलि	11.12.01
278.	115/आरए/2002	जी.एस. बनाम बालू राम और अन्य	20.05.02

1	2	3	4
279.	1751/2000	जी.एस. सुरेहड़ा बनाम मांगे राम	07.10.02
280.	496/99	जी.एस. मुंडेला खुर्द बनाम कितास सिंह	14.08.03
281.	95/89	जी.एस. केर बनाम मोहिन्दर सिंह	07.10.02
282.	520/99	जी.एस. झालीझुली बनाम समर	07.10.02
283.	284/2000	जी.एस. जाफरपुर बनाम रंधीर	07.10.02
284.	285/2000	जी.एस. जाफरपुर बनाम सरोज	07.10.02
285.	287/2000	जी.एस. जाफरपुर कला बनाम रणवीर	07.10.02
286.	288/2000	जी.एस. जाफरपुर कला बनाम योगेन्द्र	07.10.02
287.	286/2000	जी.एस. जाफरपुर कला बनाम होशियार	07.10.02
288.	514/2000	जी.एस. सरसपुर बनाम पृथी	22.05.03
289.	303/2000	जी.एस. झड़ौदा कला बनाम इंदर	07.10.02
290.	317/2000	जी.एस. छावला बनाम चंदर	14.08.03
291.	236/2000	जी.एस. दिचाऊं बनाम मामचंद	07.10.02
292.	179/88	जी.एस. गोयला खुर्द बनाम आरएल सिंह	07.10.02
293.	318/2000	जी.एस. छावला बनाम रमेश कुमार	14.08.03
294.	310/2000	जी.एस. छावला बनाम सूरजमल	29.04.03
295.	173/2003	जी.एस. छावला बनाम दरियाव सिंह	07.10.02
296.	319/2000	जी.एस. छावला बनाम राम किशन	21.05.03
297.	168/02	जी.एस. छावला बनाम प्रदीप	07.10.02
298.	313/02	जी.एस. छावला बनाम बलबीर	07.10.02
299.	314/2000	जी.एस. छावला बनाम बलबीर	07.10.02
300.	105/2000	जी.एस. ताजपुर बनाम दयानंद	07.10.02
301.	218/2000	जी.एस. रोशनपुर बनाम यशवीर	07.10.02
302.	25/2000	जी.एस. झदौड़ा कला बनाम मूल	07.10.02
303.	130/2000	जी.एस. दिचाऊं कला बनाम	
304.	24/2000	जी.एस. गोयला खुर्द बनाम उमेद सिंह	07.10.02
305.	216/2000	जी.एस. काकरोला बनाम श्रीभगवान	21.05.03

1	2	3	4
306.	217/2000	जी.एस. काकरोला बनाम सरोज	07.10.02
307.	246/2000	जी.एस. नंगली सकरावती बनाम रामकुमार	07.10.02
308.	243/2000	जी.एस. नंगली सकरावती बनाम कांतिराम	07.10.02
309.	257/2000	जी.एस. गोयला खुर्द बनाम आनंद सिंह	21.5.2003
310.	260/2000	जी.एस. मुंडेला कलां बनाम राजेन्द्र	21.5.2003
311.	261/2000	जी.एस. मुंडेला कलां बनाम श्री किशन	07.10.02
312.	262/2000	जी.एस. मुंडेला कलां बनाम रामकुमार	07.10.02
313.	263/2000	जी.एस. मुंडेला कलां बनाम साहिब सिंह	21.5.2003
314.	87/01		14.8.2003
315.	104/2000	जी.एस. दिचांऊ कला बनाम मामचंद	07.10.02
316.	237/2000	जी.एस. दिचांऊ कला बनाम मोहिन्द्र सिंह	07.10.02
317.	11/01	जी.एस. बकरगढ़ी बनाम हरि सिंह	14.08.03
318.	320/02	जी.एस. मलिकपुर बनाम रतन सिंह	07.10.02
319.	310ए/2000	जी.एस. छावला बनाम भगवान सिंह	14.08.03
320.	41/2000	जी.एस. दिचाऊं कला बनाम रामंद	14.08.03
321.		जी.एस. बकर बनाम चरंदर	14.08.03
322.	84/01	जी.एस. कुतापुर बनाम रोहताश	07.10.02
323.	85/01	जी.एस. कताबपुर बनाम खेन इत्यादि	07.10.02
324.	125/2000	जी.एस. कताबपुर बनाम अभयराम	05.05.03
325.	173/01	जी.एस. झड़ौदा बनाम हरि सिंह	05.05.03
326.	196/01	जी.एस. झड़ौदा बनाम	
327.	192/01	जी.एस. कताबपुर बनाम दरियाव सिंह	05.05.03
328.	172/01	जी.एस. मुंडेला कलां बनाम श्री किशन	22.02.03
329.	189/01	जी.एस. मसौदा बाद बनाम राजेन्द्र	05.05.03
330.	190/01	जी.एस. मसौदाबाद बनाम आशागोयला	05.05.03
331.	193/01	जी.एस. झड़ौदा कला बनाम अभयराम	05.05.03
332.	210/01	जी.एस. मुंडेलाकला बनाम सदाराम	29.04.03

1	2	3	4
333.	211/01	जी.एस. मुंडेलाकला बनाम उमेद सिंह	29.04.03
334.	141/2000	जी.एस. दिचाऊं कला बनाम अराधनावेल	22.05.03
335.	110ए/02	जी.एस. कतिबाबाद बनाम हरि अग्रवाल	03.10.03
336.	538/99	जी.एस. मसोदाबाद बनाम विपन कुमार	12.12.03
337.	530/99	जी.एस. मसोदाबाद बनाम सूरज प्रकाश	12.12.03
338.	287/01	जी.एस. छावला बनाम सूधन	21.05.03
339.	15/02	जी.एस. पंडवाली कला बनाम चेतराम	14.08.03
340.	289/01	जी.एस. कताबपुर बनाम प्रहलाद	14.08.03
341.	124/02	जी.एस. प्रदवाला खुर्द बनाम विक्रम	14.08.03
342.	227/02	जी.एस. ताजपुर खुर्द बनाम चंदीर	14.08.03
343.	229/02	जी.एस. दीनपुर बनाम जगदीश	14.08.03
344.	291/02	जी.एस. छावला बनाम दीपक	05.05.03
345.	139/02	जी.एस. शुकरपुर बनाम तीरथराम	12.12.03
346.	140/02	जी.एस. शुकरपुर बनाम कलावंती	12.12.03
347.	119/02	जी.एस. दिचाऊं कला बनाम खजान	12.12.03
348.	206/02	जी.एस. पंडवाली कला बनाम सरदेर	12.12.03
349.	/02	जी.एस. छावला बनाम भूप सिंह	03.11.03
350.	120/02	जी.एस. दिचाऊं कला बनाम रामंद	03.11.03
351.	258/02	जी.एस. दिनपुर बनाम पेठा	12.12.03
352.	243/02	जी.एस. हैबतपुर बनाम मजरउमराव सिंह	03.11.03
353.	255/02	जी.एस. गोयला खुर्द बनाम रंधीर	03.11.03
354.	314/02	जी.एस. ताजपुर बनाम सरोज	03.11.03
355.	272/2000	जी.एस. नांगली सकरावती बनाम हरजीत	12.12.03
356.	270/2000	जी.एस. नंगली सकरावती बनाम गुरमिन्दर	12.12.03
357.	27/03	जी.एस. कताबपुर बनाम मंदेर	12.12.03
358.	28/03	जी.एस. कताबपुर बनाम दयाचंद	12.12.03
359.	41/2000	जी.एस. छावला बनाम बोशबहार	12.12.03

1	2	3	4
360.	52/2000	जी.एस. छावला बनाम भगवान सिंह	12.12.03
361.	50/2000	जी.एस. छावला बनाम दीपक भारद्वाज	12.12.03
362.	02/2000	जी.एस. छावला बनाम एसवीएम कंस्ट्रक्शन	12.12.03
363.	02/2000	जी.एस. खेरा बनाम श्री किशन	12.12.03
364.	03/2000	जी.एस. खेरा बनाम सीताराम	12.12.03
365.	26/2000	जी.एस. मसोदाबाद बनाम अरविंद	12.12.03
366.	521/99	जी.एस. जाफाली बनाम महेन्द्र	12.12.03
367.	411/99	जी.एस. मलिकपुर बनाम अमर सिंह	12.12.03
368.	218/2000	जी.एस. ककरोली बनाम मांगे	12.12.03
369.	08/01	जी.एस. ककरोली बनाम महेन्द्र	12.12.03
370.	55/01	जी.एस. छावला बनाम शौकीन	12.12.03
371.	391/89	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम मुरारी	31.01.04
372.	392/89	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम हरद्वारी लाल	31.01.04
373.	369/89	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम प्रीतमी	
374.	348/89	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम भ्रम	
375.	234ए/2000	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम कृष्णचन्द	04.03.04
376.	349/88	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम राजेन्द्र सिंह	04.03.04
377.	97/91	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम जगदीश	04.03.04
378.		जी.एस. खरखड़ी जटवाल	04.03.04
379.	128/88	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम रणबीर सिंह	04.03.04
380.	128/88	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम हरचंद	04.03.04
381.	444/97	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम बलवान सिंह	04.03.04
382.	447/98	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम सुरेन्द्र सिंह	04.03.04
383.	394/88	जी.एस. खरखड़ी जटवाल बनाम किशन चंद्र	03.01.04

विवरण-III

सैनिक फार्म के संबंध में लंबित कब्जे के वारंट का विवरण ब्यौरा

गांव देवली

1	163/आरए/02	जी.एस. बनाम बुद्धू और अन्य	12.09.02
2	47/आरए/03	जी.एस. बनाम राकेश आनंद	24.07.03
3	130/आरए/2000	जी.एस. बनाम दिल्ली टॉवर्स प्रा. लि.	24.07.03

1	2	3	4
4	44/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम दिल्ली टॉवर्स प्रा. लि.	24.07.03
5	215/आरए/01	जी.एस. बनाम करतार सिंह	24.07.03
6	131/आरए/2000	जी.एस. बनाम संजीव कोहली	24.07.03
7	162/आरए/02	जी.एस. बनाम सूरज नारायण	12.09.02
8	205/आरए/02	जी.एस. बनाम नेलू चड्ढा	10.01.03
9	158/आरए/02	जी.एस. बनाम सरोज कुमार अग्रवाल	12.09.02
10	158/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम मंदीप मलिक	–वही–
11	160/आरए/02	जी.एस. बनाम प्रदीप सिंह	–वही–
12	157/आरए/02	जी.एस. बनाम निखिल डी सिन्हा और अन्य	–वही–
13	156/आरए/02	जी.एस. बनाम श्रीमती कविता कांता और अन्य	–वही–
14	155/आरए/02	जी.एस. बनाम देविका अग्रवाल	–वही–
15	207/आरए/02	जी.एस. बनाम ज्ञानी रेसेन	10.01.03
16	208/आरए/02	जी.एस. बनाम श्रीमती बल्लर और अन्य	10.01.03
17	154/आरए/02	जी.एस. बनाम मनोहर सिंह और अन्य	12.09.02
18	164/आरए/02	जी.एस. बनाम मंजीत रस्तोगी	–वही–
19	153/आरए/02	जी.एस. बनाम राजेश कपूर	–वही–
20	203/आरए/02	जी.एस. बनाम नफे सिंह	10.01.03
21	202/आरए/02	जी.एस. बनाम राम कला और अन्य	10.01.03
22	295/आरए/91	जी.एस. बनाम कप्तान सिंह	–
23	220/आरए/89	जी.एस. बनाम कप्तान सिंह	06.06.03
24	159/आरए/02	जी.एस. बनाम मनीष रेहेन	12.09.02
25	161/आरए/02	जी.एस. बनाम श्रीमती भगवती	–वही–
26	147/आरए/02	जी.एस. बनाम देवेन्द्र नाथ	–वही–
27	149/आरए/02	जी.एस. बनाम देवेन्द्र नाथ	–वही–
28	150/आरए/02	जी.एस. बनाम कमलादीप कौर	–वही–
29	152/आरए/02	जी.एस. बनाम बलदेव सिंह मोहन	–वही–
30	151/आरए/02	जी.एस. बनाम रेखा बत्रा और अन्य	–वही–

1	2	3	4
गांव मेवसराय			
31	4ए/आरए/एचके/96	जी.एस. बनाम रंजीत सिंह	16.11.04
32	–	जी.एस. बनाम साहब सिंह	27.12.04
33	5ए/आरए/96	जी.एस. बनाम ब्रहम सिंह और अन्य	16.11.04
34	07/आरए/99	जी.एस. बनाम रामअवतार और अन्य	–वही–
35	27/आरए/02	जी.एस. बनाम रविन्द्र सिंह और अन्य	–वही–
36	6ए/आरए/02	जी.एस. बनाम दलीप बोरा	–वही–
37	8ए/आरए/96	जी.एस. बनाम जगदेव सिंह और अन्य	–वही–
38	2ए/आरए/96	जी.एस. बनाम सांदी सावित्री	–वही–
39	3ए/आरए/96	जी.एस. बनाम करण सिंह	–वही–
40	467/आरए/96	जी.एस. बनाम दीप चन्द्र	
41	468/आरए/96	जी.एस. बनाम मंगतू	16.11.04
42	466/आरए/96	जी.एस. बनाम लक्ष्मण सिंह	–वही–
43	205/आरए/01	जी.एस. बनाम देवी सिंह	23.09.04
44	362/आरए/02	जी.एस. बनाम कुलदीप सिंह	–वही–
45	384/आरए/02	जी.एस. बनाम दयावती और अन्य	–वही–
46	363/आरए/02	जी.एस. बनाम किशन	–वही–
47	101/आरए/99	जी.एस. बनाम रामवती और अन्य	–वही–
48	282/आरए/02	जी.एस. बनाम सुशान सिंह	–वही–
49	283/आरए/02	जी.एस. बनाम साहब सिंह और अन्य	–वही–
50	287/आरए/02	जी.एस. बनाम दयावती	–वही–
51	91/आरए/99	जी.एस. बनाम ओम प्रकाश	–वही–
52	3ए/आरए/96	जी.एस. बनाम करण सिंह	16.11.04
गांव खापूर			
53	110/आरए/03	जी.एस. बनाम लक्ष्मी नारायण	07.08.03
54	115/आरए/03	जी.एस. बनाम एस सी कंवर	–वही–
55	111/आरए/03	जी.एस. बनाम कैलाशचंद	–वही–

1	2	3	4
56	112/आरए/03	जी.एस. बनाम कैप्टन सुरेन्द्र कुमार	–वही–
57	108/आरए/03	जी.एस. बनाम श्रीमती जैलेन्द्र कौर	–वही–
58	116/आरए/03	जी.एस. बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य	–वही–
59	113/आरए/03	जी.एस. बनाम शिवलाल	–वही–
60	114/आरए/03	जी.एस. बनाम मेजर हरिश कुमार धवन	–वही–
61	117/आरए/03	जी.एस. बनाम लखीराम और अन्य	–वही–

विवरण-IV

आरए (हौजखास) द्वारा लंबित कब्जे के संबंध में जारी किए जाने वाले वारंट का ब्यौरा

गांव छतरपुर

1	177/आरए/2000	जी.एस. बनाम धनवंती पुत्री जयदयालनाथ	13.02.03
2	38/आरए/2000	जी.एस. बनाम इंपीरियल ऐस्टेट प्रा. लि.	15.02.03
3	148/आरए/2000	जी.एस. बनाम देशराज, बलबीर और अन्य	2003
4	76/आरए/2000	जी.एस. बनाम राहुल भाटिया	13.02.03
5	179/आरए/2000	जी.एस. बनाम सियोराज, बलबीर और अन्य	13.02.03
6	19/आरए/2000	जी.एस. बनाम अनिल कुमार	18.02.03
7	44/आरए/एचके/04	जी.एस. बनाम ब्लू स्काई एस्टेट प्रा. लि.	18.02.03
8	6/आरए/एचके/04	जी.एस. बनाम ग्रीन लीफ प्रापर्टीज	04.10.03
9	8/आरए/एचके/04	जी.एस. बनाम रेड विक्स प्रा. लि.	22.09.04

गांव असोला

10	267/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम ओरिएंटल प्रोमोटर्स	04.02.04
11	103/आरए/99	जी.एस. बनाम प्रहलाद इत्यादि	2001
12	175/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम प्रहलाद	06.07.01
13	243/आरए/93	जी.एस. बनाम बी डी शर्मा	–वही–
14	180/आरए/99	जी.एस. बनाम शिवदयाल	–वही–
15	146/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम हरि चंद	–वही–
16	178/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम मूर्ति और अन्य	–वही–
17	148/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम रामकरण	–वही–

1	2	3	4
18	151/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम वीरवती	–वही–
19	155/आरए/99	जी.एस. बनाम भूले	–वही–
20	163/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम होराम	–वही–
21	171/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम बिन्नी और अन्य	–वही–
22	157/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम रघुबीर	–वही–
23	154/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम भूले	–वही–
24	149/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम मंगल	–वही–
25	141/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम अमीचंद	–वही–
26	174/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम बी बी अग्रवाल	–वही–
27	184/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम अमीचंद	–वही–
28	142/आरए/डीसी/99	जी.एस. बनाम मणि	–वही–
29	150/आरए/99	जी.एस. बनाम प्रहलाद	–वही–
30	140/आरए/99	जी.एस. बनाम शीशराम	–वही–
31	235/आरए/06	जी.एस. बनाम धीरज	–वही–
गांव सतवारी			
32	216	जी.एस. बनाम चंदगीराम और अन्य	13.02.03
गांव सैदुल्लाजाब			
33	263/आरए/01	जी.एस. बनाम जयपाल सिंह	13.02.03
34	102/आरए/02	जी.एस. बनाम मंजीत सिंह	2003
35	163/आरए/एचके	जी.एस. बनाम आर डी नांगई चेरिटेबल एजुकेशन सोसायटी	18.02.03
36	80/आरए/एचके/02	मैसर्स शोभा प्रोजेक्ट प्रा. लि.	09.07.04
37	–	राजीव गुप्ता	09.07.04
गांव मैदानगढ़ी			
38	108/आरए/02	जी.एस. बनाम तारादेवी	11.02.04
39	136/आरए/01	जी.एस. बनाम महासिंह	13.02.03
40	293/आरए/02	जी.एस. बनाम सीरियल इंजीनियरिंग प्रा. लि.	02.09.03
41	163/आरए/95	जी.एस. बनाम जगीराम, पूर्ण सिंह इत्यादि	20.04.04

1	2	3	4
गांव जोनापुर			
42	235/आरए/01	जी.एस. बनाम आकाश जैन	13.02.03
43	232/आरए/01	जी.एस. बनाम प्रार्वती देवी	2003
44	233/आरए/01	जी.एस. बनाम कमलकपूर रतन	2003
45	230/आरए/01	जी.एस. बनाम सुधीर ओबराय	2003
46	64/आरए/00	जी.एस. बनाम श्रीमती शांतिदेवी जैन	18.02.03
47	61/आरए/00	जी.एस. बनाम श्रीमती उमेश कुमारी	–वही–
48	57/आरए/00	जी.एस. बनाम श्रीमती गुरिमोहन	–वही–
49	59/आरए/00	जी.एस. बनाम नरेन्द्र कुमार	–वही–
50	15/आरए/00	जी.एस. बनाम अरुणा कपूर	–वही–
51	14/आरए/99	जी.एस. बनाम इंदू खन्ना	–वही–
52	62/आरए/00	जी.एस. बनाम बनाम श्याम साहनी	–वही–
53	170/आरए/00	जी.एस. बनाम राजीव बल	18.04.03
गांव फतेहपुर बेरी			
54	473/आरए/96	जी.एस. बनाम प्रहलाद पुत्र श्री रुमल	18.2.03
55	474/आरए/96	जी.एस. बनाम छतन सिंह नेपाल इत्यादि	–वही–
56	आरए/एचके/96	जी.एस. बनाम जयपाल	–वही–
57	266/आरए/02	जी.एस. बनाम रामनाथ	2003
58	1008/आरए/02	जी.एस. बनाम रामनाथ	–वही–
59	17/आरए/03	जी.एस. बनाम रणसिंह	–वही–
60	1009/आरए/02	जी.एस. बनाम सरगम फार्म प्रा.लि. कंपनी	–वही–
61	256/आरए/02	–वही–	–वही–
62	147/आरए/04	जी.एस. बनाम हरपाल इत्यादि	2004
63	146/आरए/03	जी.एस. बनाम जसरथी	06.09.03
64	145/आरए/03	जी.एस. बनाम जगदीश इत्यादि	–वही–
गांव आयानगर			
65	98/आरए/97	जी.एस. बनाम मैसर्स रिज फार्म डेवलपिंग	2003

1	2	3	4
66	–	जी.एस. बनाम छज्जू	05.07.03
67	एसडीएम/आरए/एचके	आनंद कुमार बनाम जीएस आया नगर	2002
68	189/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम राजेश गोयल	2003
69	269/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम श्रीमती गंगा देई	12.2003
70	190/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम राजेन्द्र पंकज	2003
71	188/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम अमरेन्द्र सिंह	01.2004
72	48/आरए/02	जी.एस. बनाम खीमा	2001
73	40/आरए/02	जी.एस. बनाम धरमपाल और अन्य	11.2001
74	31/आरए/02	जी.एस. बनाम करमबीर पुत्र उदमी राम	11.12.01
75	49/आरए/02	जी.एस. बनाम धरमपाल और अन्य	2001
76	01/आरए/02	जी.एस. बनाम धरमपाल	11.12.01
77	45/आरए/02	जी.एस. बनाम श्रीमती मिशरी	11.12.01
78	199/आरए/02	जी.एस. बनाम के आर संस दर्शन इनवसमेंट	2001
79	3/आरए/एचके/02	जी.एस. बनाम कृष्ण कुमारी	नवम्बर, दिसम्बर, 2001
80	47/आरए/02	जी.एस. बनाम नवरंग कार्मिसियल कं.	–वही–
81	145/आरए/02	जी.एस. बनाम जग्गी राम और अन्य	अगस्त, सितम्बर, 2002
82	160/आरए/02	जी.एस. बनाम मॉर्डन इंडिया प्रा.	–वही–
83	144/आरए/एचके	जी.एस. बनाम राद पाल और अन्य	–वही–
84	147/आरए/02	जी.एस. बनाम इमरती	–वही–
85	191/आरए/91	जी.एस. बनाम महेन्द्र और अन्य	–वही–
86	146/आरए/02	जी.एस. बनाम कन्नू और अन्य	–वही–
87	176/आरए/01	जी.एस. बनाम हरी चंद	2002
88	279/आरए/95	जी.एस. बनाम जगत सिंह	2002
89	194/आरए/03	जी.एस. बनाम सिद्धार्थ रस्तोगी	2001
90	–	जी.एस. बनाम गिधनस करम वशिष्ट	2003
91	279/आरए/95	जी.एस. बनाम जगत सिंह अतर सिंह	2001
92	–	जी.एस. बनाम नीति प्रकाश	2002

1	2	3	4
गांव भाटी			
93	137/आरए/94	जी.एस. बनाम विमल कपूर	2003
94	177/आरए/02	जी.एस. बनाम सालू राम और अन्य	20.04.04
95	180/आरए/02	जी.एस. बनाम खेम चंद और अन्य	2003
96	139/आरए/03	जी.एस. बनाम ग्रुप बेनिफिट ट्रस्ट	2004
97	309/आरए/02	जी.एस. बनाम कृष्णलाल बग्गा	2003
98	310/आरए/02	जी.एस. बनाम चंदा	05.07.03
गांव नेब सराय			
99	214/आरए/01	जी.एस. बनाम छोटू राम जगराम और अन्य	12.02.03
100	–	जी.एस. बनाम हरी चंद	2003
101	85/आरए/02	जी.एस. बनाम अमीत सुरेश सेठी	15.02.03
102	96/आरए/02	जी.एस. बनाम प्रमोद कुमार जैन	15.02.03
103	86/आरए	जी.एस. बनाम बी बी चोपड़ा	15.02.03
104	84/आरए	जी.एस. बनाम मिस अफसाना भारवा	15.02.03
105	202/आरए	जी.एस. बनाम देवी सिंह और अन्य	15.02.03
106	227/आरए/01	जी.एस. बनाम महा सिंह, जसवंत सिंह	15.02.03
107	–	जी.एस. बनाम सुरेन्द्र सिंह जगेन्द्र इत्यादि	2003
108	206/आरए/01	जी.एस. बनाम देवी सिंह	15.02.03
109	139/आरए	जी.एस. बनाम सुनीता जैन	–वही–
110	130/आरए	जी.एस. बनाम सुनीता जैन	–वही–
111	131/आरए/99	जी.एस. बनाम हिला राम चंदर परयान	–वही–
112	98/आरए	जी.एस. बनाम कुमारी मिरनवाच	–वही–
113	135/आरए	जी.एस. बनाम अनील मित्तल	–वही–
114	483/आरए/98	जी.एस. बनाम राम दास	2003
115	136/आरए	जी.एस. बनाम राम सिंह	15.02.03
116	138/आरए	जी.एस. बनाम छोटू जगराम	–वही–
117	137/आरए	जी.एस. बनाम स्नेहलता गुलिया और अन्य	–वही–

1	2	3	4
118	40/आरए	जी.एस. बनाम दस राम	22.06.91
119		जी.एस. बनाम सरबती	2002
120	306/आरए/02	जी.एस. बनाम वीरा	2003
121	103/आरए/02	जी.एस. बनाम ब्रहमपाल	28.01.04
122	–	जी.एस. बनाम राज कुमार	21.07.04
123	–	जी.एस. बनाम राम पाल	2004
124	98/आरए/एचके/99	जी.एस. बनाम सुनिल चोपड़ा और अन्य	30.09.04
गांव सुलतानपुर			
125	469/आरए/96	दया राम	09.07.4
126	34/आरए/02	सुमित्री और अन्य	20.04.04
127	258/आरए/01	जधीर और अन्य	13.02.03
128	228,'आरए/01	नारायण सिंह	13.02.03
129	315/आरए/95	गोपी राम	07.08.03
130	185/आरए/01	महेन्द्र सिंह	11.02.04
131	35/आरए/02	कुशुम अग्रवाक	21.07.04
132	36/आरए/एचके/02	आर एल काडिया	21.07.04
गांव लाढ़ा सराय			
133	221/आरए/03	जी.एस. बनाम सत्य प्रकाश	2004
134	864/आरए/03	जी.एस. बनाम विजय कुमार कालरा	2004
135	177/आरए/03	जी.एस. बनाम कन्हैया लाल कनोडा	2004
गांव खानपुर			
136	109/आरए/02	जी.एस. बनाम शांति कृष्ण मोहन	05.07.03
137	149/आरए/03	जी.एस. बनाम जय राम	07.2004
138	150/आरए/03	जी.एस. बनाम श्रीमती नेहा कौर	2004
139	76/आरए/97	जी.एस. बनाम सतीश चांद मलहोत्रा	09.07.04
गांव मेहरौली			
140	356/आरए/93	अरुण कपूर	2003
141	868/आरए/एचके/03	अनिल कुमार, विनोद कुमार, कमल कुमार	2003

1	2	3	4
गांव चंदन होला			
142	5/आरए/एचके/03	जी.एस. बनाम रमेश चंद	20.04.04
गांव डेरामंडी			
143	–	जी.एस. बनाम श्रीमती चंद्र काला गौर	09.07.04
144	358/आरए/03	जी.एस. बनाम श्रीमती सरोज जैन	2003
145	359/आरए/04	जी.एस. बनाम लाजवीन साहनी और अन्य	20.04.04
146	360/आरए/04	जी.एस. बनाम सुनिल कुमार टंडन	20.04.04
147	248/आरए/02	जी.एस. बनाम गिरीराज	2003
148	257/आरए/02	जी.एस. बनाम रंजीत	2003
149	860/आरए/एचके	जी.एस. बनाम जगत सिंह	2003

उत्पाद शुल्क अपवंचन

2157. श्री हितेन बर्मन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ इस्पात कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का चीन दौरा

2158. श्री मिलिन्द देवरा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आगामी राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संदर्भ में आठ से दस वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को बीजिंग, चीन भेजने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एमसीडी के पास कितनी परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु लम्बित हैं तथा इनकी अद्यतन स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के संबंध में दिल्ली नगर निगम द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1	विवेक विहार रेलवे स्टेशन के निकट जीटी रोड से आईआईटी विवेक विहार को जोड़ने के लिए रेलवे लेवल क्रासिंग पर आरयूबी	कार्य प्रगति पर है (वास्तविक प्रगति–5 प्रतिशत)
2	प्रमुख सड़कों का सुधार (i) रिंग रोड से थाम्पसन मार्ग तक जेएलएन मार्ग (ii) महरौली, गुड़गांव रोड, सीरी फोर्ट व एशियाई खेलगांव के निकट सड़कें।	प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति दे दी गई है।

1	2	3
3	पुरानी व नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास सुधार, पार्किंग क्षेत्र, बस स्टैंड का सुधार	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन–निविदा तैयार की जा रही है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन–कार्य सौंपा जा रहा है।
4	50 मैकेनिकल स्वीपर, फैंसी डस्टबिन, कर्मचारियों के लिए फ्लोरोसेंट ओवरकोट	ईओआई तैयार किया जा रहा है।
5	फेस लिफ्टिंग व सौंदर्यीकरण	मानक विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

यूएलआईपी

2159. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलआईसी एजेंट शून्य निवेश योजना पर विद्यमान यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी धारकों को 200 प्रतिशत प्रति लाभ का झूठा वायदा कर लुभा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त पालिसी के बारे में एजेंट एलआईसी का लोगो मुद्रित पत्र परिचालित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आईआरडीए ने प्रिंट मीडिया में यह परामर्श जारी करके एजेंटों के झूठे दावों का खंडन किया है कि यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी पर लाभ गारंटीशुदा नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उसे एलआईसी अभिकर्ताओं द्वारा यूनिट लिंक्ड सेवाओं पर अधिक लाभ दर्शाने वाले पर्चे वितरित किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक पर्चे में एलआईसी के यूनिट लिंक्ड प्लान पर लाभ सहित 20% की संभावित वृद्धि दर दर्शाई गई है, जबकि दूसरे पर्चे में एलआईसी के मनी प्लस प्लान पर 25.5% की वार्षिक वृद्धि दर्शाई गई है।

आईआरडीए ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट लिंक्ड सेवाओं पर अधिक लाभ प्राप्ति का वचन देने के संबंध में एलआईसी के लोगो सहित प्रकाशित, अनुमोदन रहित बिक्री संबंधी साहित्य को परिचालित किए जाने के संबंध में उसे अभिकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। आईआरडीए ने सूचित किया है उसने 01 मार्च, 2007 को एक प्रेस विज्ञप्ति में जनता को अनुमोदन रहित बिक्री संबंध साहित्य से गुमराह न होने की चेतावनी दी है और बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत रूप से किए गए प्रकटनों के आधार पर भली–भांति जानकारी लेकर ही निर्णय लेने को कहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम ने समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया है कि यूनिट लिंक्ड सेवाओं पर लाभ प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं है।

सामाजिक बैंकिंग

2160. डा. के.एस. मनोज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय रूप से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में लाने के लिए कई पहल किए हैं। इन पहलुओं में प्रमुख हैं, कम अथवा शून्य न्यूनतम शेष के साथ एक आधारभूत बैंकिंग "अतिरिक्त सुविधारहित (नो फ्रिल)" खाता उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों को सलाह देना, खाता खुलवाने के लिए सरल "अपने ग्राहक को जानें" प्रक्रिया, ग्रामीण और अर्ध–शहरी बैंक शाखाओं में 25,000 रुपए तक की सामान्य उद्देश्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा की शुरूआत, 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए एक जिला की पहचान करने के लिए राज्य स्तरीय बैंककारी समिति (एसएलबीसी) को सलाह, इत्यादि। इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्य–दलों ने कुछ कम विकसित राज्यों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में, वित्तीय समावेशन, वित्तीय संस्थानों को सशक्त करने और मुद्रा और भुगतान व्यवस्था को सशक्त करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें की हैं।

इसके अलावा, वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति ने भी 4 जनवरी, 2008 को भारत सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है। इस बीच, इस समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख कदमों में से एक है प्रवर्तक और विकासात्मक मध्यक्षेपों के खर्चे को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का और प्रौद्योगिकी अपनाने के खर्चे को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि, प्रत्येक 500 करोड़ रुपए के समग्र कॉरपस के साथ, का गठन, जिसमें प्रारंभिक अंशदान केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।

सूक्ष्म और लघु विद्युत परियोजनाएं

2161. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म तथा लघु पनबिजली परियोजनाओं का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में परिचालन में ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार सूक्ष्म तथा लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) मिनी/माइक्रो/लघु पनबिजली परियोजनाओं हेतु संभाव्य स्थलों की पहचान और उनका सर्वेक्षण, संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा किया जाता है। पहचान किए गए संभाव्य स्थलों की संख्या और उनकी अनुमानित संभाव्यता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) अब तक देश में समग्र रूप से 2108 मेगावाट की 615 लघु पनबिजली परियोजनाएं (25 मेगावाट तक) स्थापित की जा चुकी हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) मिनी/माइक्रो/लघु पनबिजली परियोजनाएं (25 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक) स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से किसी अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

विवरण-I

पहचान किए गए संभाव्य स्थलों की राज्यवार संख्या और उनकी अनुमानित संभाव्यता (25 मेवा. क्षमता तक)

क्रम सं.	राज्य का नाम	पहचान किए गए स्थलों की संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	489	552.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	566	1333.04
3.	असम	60	213.84
4.	बिहार	94	213.75
5.	छत्तीसगढ़	164	706.62
6.	गोवा	9	9.10
7.	गुजरात	292	196.97
8.	हरियाणा	33	110.05
9.	हिमाचल प्रदेश	547	2268.41
10.	जम्मू कश्मीर	246	1411.72
11.	झारखंड	103	208.95
12.	कर्नाटक	128	643.16
13.	केरल	247	708.10
14.	मध्य प्रदेश	99	400.58
15.	महाराष्ट्र	253	762.58
16.	मणिपुर	113	109.10
17.	मेघालय	102	229.81
18.	मिजोरम	75	166.94
19.	नागालैण्ड	99	196.98
20.	उड़ीसा	222	295.47
21.	पंजाब	234	390.02
22.	राजस्थान	67	63.17
23.	सिक्किम	91	265.54

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	176	499.31
25.	त्रिपुरा	13	46.86
26.	उत्तर प्रदेश	220	292.16
27.	उत्तराखंड	458	1609.25
28.	पश्चिम बंगाल	203	393.79
29.	अंडमान एवं निकोबार	12	7.91
	कुल	5,403	14,294.24

विवरण-II

एसएचपी परियोजनाओं की राज्यवार संख्या और समग्र क्षमता (25 मेगावाट तक) (दिनांक 29.2.2008 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	संस्थापित परियोजना	
		संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	59	180.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	68	45.240
3.	असम	4	27.110
4.	बिहार	7	50.400
5.	छत्तीसगढ़	5	18.050
6.	गोवा	1	0.050
7.	गुजरात	2	7.000
8.	हरियाणा	5	62.700
9	हिमाचल प्रदेश	63	162.615
10.	जम्मू कश्मीर	32	111.830
11.	झारखंड	6	4.050
12.	कर्नाटक	72	464.00
13.	केरल	16	98.120
14.	मध्य प्रदेश	10	71.160
15.	महाराष्ट्र	29	211.325
16.	मणिपुर	8	5.450
17.	मेघालय	4	31.030
18.	मिजोरम	16	17.470
19.	नागालैण्ड	10	28.670
20.	उड़ीसा	6	7.300
21.	पंजाब	29	123.900
22.	राजस्थान	10	23.850
23.	सिक्किम	14	39.110
24.	तमिलनाडु	14	89.700
25.	त्रिपुरा	3	16.010
26.	उत्तर प्रदेश	9	25.100
27.	उत्तराखंड	89	82.620
28.	पश्चिम बंगाल	23	98.400
29.	अंडमान एवं निकोबार	1	5.250
	कुल	615	2108.34

ओवरहेड वाटर टैंक

2162. श्रीमती जयाप्रदा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीडीए ने रोहिणी आवासीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ नए सेक्टरों में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बनाये हैं जिसके कारण कम जल दबाव से आवंटियों को बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन क्षेत्रों में डीडीए द्वारा कब तक ओवरहेड वाटर टैंक बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि (दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा) डीडीए रिहायशी पॉकेटों में ओवरहेड पानी के टैंक बनाने का अनुमोदन नहीं किया गया है। तथापि, क्षेत्र में पानी के कम दबाव

की समस्या से निपटने के लिए रिहायशी क्षेत्रों में अधिक पंप क्षमता वाले भूमिगत टैंकों का निर्माण किया जा सकता है।

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम

2163. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम प्रवृत्त हो गये हैं;

(ख) क्या इसमें कोई कमी सरकार के ध्यान में आई है/लाई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें भारी खामियां थी। इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों को संशोधित करने के उपरान्त ही अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

(ग) भारी खामियों वाले क्षेत्रों के संबंध में विधि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है एवं उनकी सलाह से दूर किया गया है। बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के संशोधन हेतु विधेयक का मसौदा एवं मंत्रिमंडलीय टिप्पणी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

पेयजल

2164. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में पेयजल जरूरतों का विश्लेषण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जल संसाधनों की समग्र आयोजना से संबंधित विषय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट 1999 के अनुसार विभिन्न वर्षों के लिए जल की मांग का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :-

घरेलू और नगरपालिका उपयोग हेतु
राष्ट्रीय जल की मांग (किमी.[5] में मात्रा)

परिदृश्य	वर्ष 2010	वर्ष 2025	वर्ष 2050
निम्न मांग-कुल	42	55	90
उच्च मांग-कुल	43	62	111

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पेयजल की कमी

2165. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पेयजल की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर में पानी की आपूर्ति बढ़ाने हेतु अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में धानीकेरी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में अंडमान व निकोबार द्वीप प्रशासन के प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्रालय ने तकनीकी व प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है।

(ग) अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति के लिए नियत धनराशि गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के समाने दिखाई गई है जो सभी संघ शासित प्रदेशों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय है। अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के संबंध में अगले वित्त वर्ष की अनुदान मांगें संसद में प्रस्तुत करने के बाद वर्ष 2008-09 के लिए धनराशि नियत की जाएगी।

भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाना

2166. डा. बाबू राव मिडियम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्तियों में कटौती से सरकार के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) रिक्तियों का सृजन और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके लिए संबंधित विभाग समय-समय पर अनुदेशों/नियमों के मौजूदा ढांचे में तथा पदों की कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

अनुसूचित जनजाति कोटा के अंतर्गत आरक्षण

2167. श्री के. सुब्बारायण : क्या **जनजातीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण कर ईसाई धर्म अपना लेने वाले लोग अनुसूचित जनजाति कोटा के अंतर्गत आरक्षण हेतु कानूनी तौर पर पात्र बने रहते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उन्हें अनुसूचित जनजाति कोटा के अंतर्गत आरक्षण हेतु पात्र बनाने के लिए किसी संशोधन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संशोधन कब तक प्रभावी होंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में यातायात अड़चनें

2168. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री अबु अयीश :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर तथा बडे शहर बहुत बड़ी यातायात अड़चनों का सामना कर रहे हैं जिससे सड़क पर भीड़-भाड़, प्रदूषण तथा इससे जुड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं;

(ख) क्या सरकार इन मामलों से निपटने के लिए विभिन्न विकल्प तलाश रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शहरी परिवहन राज्यों का विषय है। तथापि, शहरी परिवहन की तेजी से बढ़ती हुई समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2006 में राष्ट्रीय परिवहन नीति (एनयूटीपी) का अनुमोदन किया है। नीति में राज्यों/नगरों को अपनी शहरी परिवहन नीतियां तैयार करने के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं।

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), अवस्थापना तथा बजट सहायता में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की वित्त मंत्रालय की योजना आदि के माध्यम से शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शहरी परिवहन के विभिन्न मुद्दों पर सुझाव देते हुए पत्र जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक परिवहन में निवेश, गैर-मोटरीकृत परिवहन के साधनों, सरकारी निजी भागीदारी आधार पर नगर बस सेवा के परिचालन, भूउपयोग तथा परिवहन आयोजना के एकीकरण, पार्किंग नीति तैयार करना तथा परिवहन के विभिन्न साधनों में एकीकरण हेतु आधुनिक परिवहन प्रणाली के उपयोग और यातायात प्रबंधन आदि को प्राथमिकता दी जाए।

ऊर्जा सुरक्षा

2169. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक ऊर्जा सुरक्षा पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऊर्जा सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा सुरक्षा मामलों पर विचार करने के लिए वैज्ञानिकों की कोई बैठक/सम्मेलन आयोजित नहीं किया है।

बहरहाल योजना आयोग ने एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए सदस्य, (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, उसने एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अगस्त, 2006 में जारी की है और यह रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। आईईपी ऊर्जा सुरक्षा के मामलों पर व्यापक जोर देती है।

आईईपी भारत की ऊर्जा सुरक्षा विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक जरूरतों के लिए केवल ऊर्जा उपलब्ध कराने की सामर्थ्य पर ही

महत्वपूर्ण रूप से निर्भर नहीं है बल्कि सभी परिवारों को जीवन यापन परक आधुनिक व्यावसायिक ऊर्जा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर देती है। तदनुसार, ऊर्जा सुरक्षा, अन्य बातों के साथ–साथ इन कारकों पर निर्भर करेगी। बहरहाल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऊर्जा के सभी स्वदेशी स्रोतों के विकास को और समयबद्ध तरीके से सभी परिवारों को ऊर्जा उपलब्ध कराने को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति संबंधी विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

2170. श्री रामदास आठवले : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति संबंधी विद्यमान अधिनियमों/कानूनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो के लिए पृथक विद्युत उप-केन्द्र

2171. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई भाडम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल को विद्युत आपूर्ति करने हेतु एक पृथक विद्युत उप–केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या प्रस्तावित विद्युत उप–केन्द्र से नजदीक स्थित कॉलोनियों को भी विद्युत की आपूर्ति की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि दिल्ली मेट्रो के फेज–II के लिए 8 पॉवर रिसीविंग सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

(ख) डीएमआरसी लि. चूंकि लाइसेंसधारी नहीं है इसलिए वह आसपास की कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति के लिए अधिकृत नहीं है। यह बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डीएमआरसी लि. की उपकेन्द्रों (सब स्टेशनों) को सितंबर, 2010 तक प्रगामी रूप से चालू करने की योजना है।

ग्रामीण विकास योजनाएं

2172. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री रामचन्द्र पासवान :
डा. राम लखन सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्य–निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन में किन खामियों का पता चला है;

(ग) क्या सरकार को देश के कुछ भाग में इन योजनाओं के अनुचित कार्यान्वयन के बारे में निगरानी एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी समीक्षा बैठकों का उद्देश्य ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुभवों का आदान–प्रदान, निचले स्तर पर कठिनाइयों और उनके संभाव्य समाधान का जायजा लेना है। राज्यों के साथ हुई कार्यक्रम–वार समीक्षाओं के अतिरिक्त, दिनांक 12–13 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में सभी राज्यों के लिए पीआरसी बैठक हुई और 17 एवं 18 सितम्बर, 2007 को भुवनेश्वर में, 24 एवं 25 सितम्बर, 2007 को जयपुर में, 9 एवं 10 अक्तूबर, 2007 को गुवाहाटी में क्षेत्र–वार बैठक हुई और फिर सभी राज्यों के लिए 17 एवं 18 जनवरी, 2008 को नई दिल्ली में बैठक हुई। ग्रामीण विकास मंत्री ने भी लखनऊ और मुम्बई में एनआरईजीए के कार्यान्वयन की विशेष समीक्षा की। इन समीक्षा बैठकों में यह पाया गया है कि स्टाफ की कमी और प्रशिक्षण के अभाव के कारण कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावित होता है। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्य अपने–अपने राज्य में वित्तीय संसाधन की कमी से राज्य अंश देने में

कठिनाइयों का सामना करते हैं। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं और जन प्रतिनिधियों के चुनाव जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निधियों के उपयोग में विलम्ब होता है।

निगरानी एजेंसियों द्वारा और मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही समीक्षा बैठकों में अधिकांश राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का निष्पादन संतोषजनक पाया गया।

(ङ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक उपाय करें।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु एसपीवी

2173. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने देश में विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और करार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) दोनों कंपनियों के लिए एसपीवी किस प्रकार से लाभप्रद रहेगा; और

(घ) एसपीवी के अंतर्गत आने वाले ऐसे संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र द्वारा कब तक विद्युत उत्पादन किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) एनटीपीसी लि. और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने कोयला ब्लॉकों और एकीकृत कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रचालन एवं देखरेख को संयुक्त रूप से करने के लिए 15 मार्च, 2007 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। किंतु किसी भी संयुक्त उद्यम करार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। समझौता ज्ञापन का ब्यौरा/मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं –

- एनटीपीसी लि. और सीआईएल, कोयला ब्लॉकों तथा एकीकृत कोयला आधारित विद्युत परियोजना के संयुक्त विकास, प्रचालन एवं देखरेख के उद्देश्य से एक या अधिक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों का सहयोग एवं प्रोत्साहन करेंगी।
- पृथक विस्तृत करार के माध्यम से स्थापित की जाने वाली चिह्नित परियोजनाओं का निष्पादन।
- जब तक कि अन्यथा आपसी सहमति न हो, दोनों पक्षों की संयुक्त उद्यम कंपनी में 50% प्रत्येक की इक्विटी होगी।
- संयुक्त उद्यम कंपनियां, एनटीपीसी लि. और सीआईएल का सहारा लिए बिना परियोजना के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था करेंगी।
- ये पक्ष संबंधित संयुक्त उद्यम कंपिनयों के बोर्ड में बराबर की संख्या में निदेशकों को मनोनीत करेंगे।

प्रस्तावित उद्यम विद्युत उत्पादन एवं कोयला खनन के संबंधित कोर क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संयुक्त प्रचालन हेतु दोनों कंपनियों के बीच सहक्रिया के उपयोग के माध्यम से एनटीपीसी लि. और सीआईएल को लाभ पहुंचाएगा।

नर्मदा परियोजना की ब्याज लागत पर अनुदान

2174. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :
श्री पी.एस. गढ़वी :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात में कई गांवों को पेयजल की आपूर्ति कर रही नर्मदा परियोजना की भारी ब्याज लागत के लिए एकमुश्त अनुदान देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटर वाहन बीमा

2175. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर बीमा के पॉलिसीधारकों को अपने वाहन की चोरी के मामले में बीमा कंपनियों से अपने दावे का निपटान होने का कितनी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है;

(ख) इस संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से "कोई सुराग नहीं" प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस प्राधिकारियों से यह प्रमाण–पत्र देने की समयावधि को कम करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ (जिप्सा) ने सूचित किया है कि पॉलिसीधारकों के वाहन की चोरी संबंधी दावे को निपटाने के लिए प्रतीक्षा के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, जांचकर्ता की रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), पुलिस प्राधिकारियों को अंतिम रिपोर्ट अथवा पुलिस की न्यायालय द्वारा अनुमोदित अंतिम रिपोर्ट, राज्यों/संघ राज्यों, जहां वाहन चोरी हुआ है, के प्रचलन के अनुसार, प्राप्त होने पर दावों को निपटाया जाता है। सामान्यतया, पुलिस प्राधिकारियों से "लापता प्रमाणपत्र" प्राथमिकी दर्ज कराने के 30 दिनों के बाद प्राप्त होता है। जबकि, मोटर वाहन के दावों को निपटाने के लिए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

2176. श्री राम कृपाल यादव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कुछ विद्युत परियोजनाएं बिहार में स्थापित की जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) 11वीं योजना में शामिल, केन्द्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले संगठनों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित वृहत विद्युत नीति दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां, जैसा कि अनुबंध से देखा जा सकता है कि बिहार में निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं –

क्र.सं.	परियोजना/एजेंसी का नाम	क्षमता (मे.वा.)	टिप्पणी
(i)	कहलगांव एसटीपीएस एसटी-II (पीएच-I और पीएच-II) – यूनिट 5, 6 और 7 एनटीपीसी	3 x 500	यूनिट-5 – मार्च 2007 में शुरू, अन्य दो यूनिटें निर्माणाधीन हैं।
(ii)	बाढ़ एसटीपीएस एसटी-I एनटीपीसी	3 x 660	निर्माणाधीन
(iii)	बाढ़ एसटीपीएस एसटी-II एनटीपीसी	2 x 660	नई परियोजना
(iv)	नबीनगर टीपीपी, एनटीपीसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम	4 x 250	निर्माणाधीन

विवरण

मेगा विद्युत नीति संबंधी दिशानिर्देशों की क्षमता को पूरा करने वाली 11वीं योजना में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	ईंधन	क्षमता	चालू होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6
अरूणाचल प्रदेश					
1.	सुबानसिरी लोअर 8x250 = 2000 मे.वा.	एनएचपीसी	हाइड्रो	2000	2011-12
2.	कामेंग 4x150 = 600 मे.वा.	नीपको	हाइड्रो	600	2011-12
हिमाचल प्रदेश					
3.	पार्वती चरण-II 4x200 = 800 मे.वा.	एनएचपीसी	हाइड्रो	800	2011-12

1	2	3	4	5	6
4.	पार्वती चरण–III 4x130 = 520 मे.वा.	एनएचपीसी	हाइड्रो	520	2010–11
5.	कोलडेम 4x200 = 800 मे.वा.	एनटीपीसी	हाइड्रो	800	2009–10
	जम्मू कश्मीर				
6.	बलीहार–I 3x150 = 450 मे.वा.	जेकेएसपीडीसी	हाइड्रो	450	2008–09
	सिक्किम				
7.	तीस्ता चरण–V 3x170 = 510 मे.वा.	एनएचपीसी	हाइड्रो	510 (एक यूनिट चालू)	मार्च, 08
	उत्तरांचल				
8.	लोहरीनागपाला 4x150 = 600 मे.वा.	एनटीपीसी	हाइड्रो	600	2011–12
9.	तपोवन विष्णुगढ़ 4x130 = 520 मे.वा.	एनटीपीसी	हाइड्रो	520	2011–12
	बिहार				
10.	कहलगांव एसटीपीएस चरण–II फेज I और II 3x500	एनटीपीसी	कोयला	1500	यू5–मार्च, 2007– (पहले ही चालू) यू 6–2007–08 यू 7–2008–09
11.	बाढ़ एसटीपीएस चरण–I 3x660	एनटीपीसी	कोयला	1980	यू–1–2009–10 यू–2–2010–11 यू–3–2010–11
12.	बाढ़–II 2x660	एनटीपीसी	कोयला	1320	यू–1–2011–12 यू–2–2011–12
13.	नबीनगर टीपीपी 4x250	रेलवे और एनटीपीसी का जेवी	कोयला	1000	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12 यू–3–2011–12 यू–4–2011–12 (सर्वोत्तम प्रयास)
	छत्तीसगढ़				
14.	सिपत एसटीपीसी चरण–I 3x660	एनटीपीसी	कोयला	1980	यू–1–2008–09 यू–2–2008–09 यू–3–2009–10

1	2	3	4	5	6
15.	सिपत एसटीपीसी चरण–I 2x500	एनटीपीसी	कोयला	1000	यू–1–चालू यू–2–2008–09
पश्चिम बंगाल					
16.	दुर्गापुर स्टील 2x500	डीवीसी	कोयला	1000	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12
17.	मेजिया विस्तार 2x500	डीवीसी	कोयला	1000	यू–1–2009–10 यू–2–2009–10
18.	रघुनाथपुर टीपीपी फेज–I 2x600	डीवीसी	कोयला	1200	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12
झारखंड					
19.	मैथन राइट बैंक 2x525	डीवीसी	कोयला	1050	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12
20.	कोडरमा टीपीएस 2x500	डीवीसी	कोयला	1000	यू–1–2010–11 यू–2–2010–11
*21.	नार्थ करनपुरा एसटीपीसी 3x660	एनटीपीसी	कोयला	1980	यू–1–2011–12 यू–2–2012–13 यू–3–2012–13
आंध्र प्रदेश					
22.	सिम्हाद्री टीपीपी 2x500	एनटीपीसी	कोयला	1000	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12
असम					
23.	बोगाईगांव 3x250	एनटीपीसी	कोयला	750	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12 यू–3–2011–12
तमिलनाडु					
24.	एन्नौर टीपीएस 2x500	टीएनईबी और एनटीपीसी का जेवी	कोयला	1000	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12
*25.	तूतीकोरिन संयुक्त उद्यम 2x500	टीएनईबी और एनएलसी का जेवी	कोयला	1000	यू–1 और 2–2011–12
हरियाणा					
26.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी (झज्झर) 3x500	हरियाणा और दिल्ली सरकार एवं एनटीपीसी का जेवी	कोयला	1500	यू–1–2010–11 यू–2–2010–11 यू–3–2010–11

1	2	3	4	5	6
27.	हिसार टीपीपी 2x600	एचपीजीसीएल	कोयला	1200	यू–1–2009–10 यू–2–2009–10
महाराष्ट्र					
*28.	मौदा 2x500	एनटीपीसी	कोयला	1000	यू–1–2011–12 यू–2–2011–12
29.	भुसावल विस्तार 2x500	महाजेनको	कोयला	1000	यू–1–2011–12 यू–2–2011–12
मध्य प्रदेश					
*30.	मालवा टीपीपी 2x600	एमपीपीजीसीएल	कोयला	1200	यू–1–2010–11 यू–2–2011–12
उत्तर प्रदेश					
31.	अनपरा डी 2x500	यूपी आरवीयूएनएल	कोयला	1000	यू–1–2010–11 यू–2–चालू
त्रिपुरा					
*32.	त्रिपुरा गैस	त्रिपुरा पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लि. आईएल और एफएस, ओएनजीसी और त्रिपुरा सरकार का जेवी. त्रिपुरा	गैस	750	2011–12
राजस्थान					
*33	कालिसिंध 2x500	आरआरवीयूएनएल	कोयला	1000	2011–12
		कुल		35210	

* निर्माण कार्य जो अभी शुरू होना है

प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

एनएचपीसी	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
नीपको	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
एनटीपीसी	एनटीपीसी लि.
जेकेएसपीडीसी	जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन
डीवीसी	: दामोदर वैली कारपोरेशन
एचपीजीसीएल	: हरियाणा पावर जेनरेशन कंपनी लि.
महाजेनको	: महाराष्ट्र पावर जेनरेशन कंपनी लि.
एमपीपीजीसीएल	: एमपी पावर जेनरेटिंग कंपनी लि.
यूपीआरवीयूएनएल	: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
आरआरवीयूएनएल	: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.

दिल्ली में विद्युत की आपूर्ति

2177. श्री एम. अप्पादुरई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विद्युत की भारी कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में विशेषकर वर्ष 2010 में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विद्युत की निर्बाध आपूर्ति करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) दिल्ली में अप्रैल, 2007 – फरवरी 2008 की अवधि के दौरान सीमांत ऊर्जा तथा व्यस्ततम कमी क्रमशः 0.5% तथा 1.1% की रही है।

(ग) संविधान के तहत विद्युत समवर्ती विषय होने के नाते, राज्य में विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटीज के क्षेत्राधिकार में आते हैं। भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं की कमीशनिंग द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। विभिन्न केन्द्रीय उत्पादन यूटिलिटीज जैसे एनटीपीसी, दामोदर घाटी निगम, नेशनल हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन तथा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन से विद्युत

लेने हेतु दिल्ली द्वारा समझौता ज्ञापनों/विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कॉमनवेल्थ खेल, 2010 तक दिल्ली संयुक्त उपक्रम अरावली पात विद्युत परियोजना (टीपीपी) (संस्थापित क्षमता 1500 मे. वा.), मेजिया विस्तारण टीपीपी (संस्थापित क्षमता 1000 मे.वा.), कोडरमा टीपीपी (संस्थापित क्षमता 1000 मे.वा.), दामोदर घाटी निगम में दुर्गापुर टीपीपी (संस्थापित क्षमता 1000 मे.वा.), तथा एनटीपीसी के दादरी–II विस्तारण (संस्थापित क्षमता 980 मे.वा.), से विद्युत प्राप्त करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार 1500 मे.वा. का प्रगति चरण–II (बवाना परियोजना) तथा 750 मे.वा. का प्रगति चरण–III (बमनौली परियोजना) स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का शेयर बाजार में प्रवेश

2178. श्री संतोष गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजार में उतार–चढ़ावा को देखते हुए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शेयर बाजार में प्रवेश न करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंक अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक/प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, शेयरों का क्रय/विक्रय करते हैं।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण कार्य में विलंब

2179. श्री इलियास आजमी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के अंतर्गत किन–किन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यां है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं पर काम के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित की जाती हैं तथा राज्य से यह अपेक्षित होता है कि वह ऑन–लाइल प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के संगत माड्यूल में डाटा संबंधी सभी जानकारी "ऑन–लाइन" भेजे। अनुमोदित सड़क कार्यों की सूची वेबसाइट www.pmgsyonline.nic.in पर उपलब्ध है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति का ब्यौरा वेबसाइट www.pmgsy.nic.in तथा www/omms.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चरण–IV के लिए 1007.76 करोड़ रु. का परियोजना प्रस्ताव 2310 सड़क कार्यों जिसकी लंबाई 4230.69 कि.मी. है, अनुमोदित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, 3086.86 कि.मी. की लंबाई के 1724 सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा 763.92 करोड़ रु. खर्च हुए हैं। राज्य सरकार ने अब यह जानकारी दी है कि लगभग 186 सड़कों को छोड़ने की आवश्यकता है। अब लगभग 135 सड़कें हैं जिनके निर्माण का ठेका अभी दिया जाना है। राज्य सरकार ने यह बताया है कि इन सड़कों पर एक माह के भीतर काम शुरू होने वाला है।

[अनुवाद]

पेजयल के बारे में विश्व बैंक का सर्वेक्षण

2180. सुश्री इम्प्रिड मैक्लोड : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक ने दिल्ली के जल प्रबंधन और उसकी उपलब्धता को अन्य शहरों से बदतर बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली की जलापूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु कोई गंभीर प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि प्राइस वॉटर हाउस कूपर द्वारा वर्ष 2004 में अध्ययन किया गया था। एक अन्य अध्ययन टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स द्वारा वर्ष 2003–04 में किया गया था। अध्ययन में दिल्ली के जल प्रबंधन को कोई रैंकिंग नहीं दी गई।

(ग) और (घ) टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स द्वारा किए गए अध्ययन में राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति के पुनर्गठन के लिए दिल्ली में 53 अतिरिक्त भूमिगत टैंकों तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण का सुझाव दिया गया है। इनमें से करीब 14 भूमिगत टैंक चालू हो गए हैं। अन्य 9 भूमिगत टैंक इस वर्ष चालू होने की संभावना है। भूमिगत टैंक चालू होने के बाद पानी की सप्लाई भूमिगत टैंकों के माध्यम से की जाएगी तथा मुख्य लाइन से सीधे टैपिंग को हटा दिया जाएगा।

दिल्ली जल बोर्ड ने जल प्रबंधन में सुधार के अतिरिक्त सभी प्रमुख वितरण स्थलों पर 305 बल्क मीटर लगाने हेतु आपूर्ति आदेश दिए हैं तथा इन बल्क मीटरों के लग जाने के बाद पानी का हिसाब रखा जा सकेगा तथा जल प्रभार प्राप्त न होने वाले क्षेत्रों का पता मिल सकेगा।

खराब मीटरों के कारण भी गैर–राजस्व पानी की मात्रा बढ़ रही है। मीटर न होने के कारण आपूर्ति के बिल समान दर आधार पर तैयार किएजा रहे हैं जिससे पानी के बिल वास्तव में उपभोग किए गए पानी से काफी कम है। घरेलू मीटर प्राप्त करने के उपाय भी शुरू किए गए हैं।

दिल्ली जल बोर्ड ने बारही स्रोतों से रखरखाव जिसमें पानी की लाइन (लगभग 500 कि.मी. लंबी) का रिसाव प्रबंधन भी शामिल है, के लिए सर्वेक्षण व दस्तावेज तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता भी नियुक्त किया है। आशा है कि कार्य सौंपने के बाद पानी की लाइन से रिसाव का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा।

दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए/प्रस्तावित अल्पकालीन/दीर्घकालीन विभिन्न अन्य उपायों में मुनाक से हैदरपुर तक एक अलग नहर का निर्माण, रिसाइक्लिंग संयंत्रों का निर्माण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्यूबवैलों का निर्माण, रावी–व्यास से अतिरिक्त जल नियतन, ऊपरी (अपस्ट्रीम) स्टोरेज निर्माण परियोजना आदि शामिल है।

शेयर जारी करना

2181. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंपनियों द्वारा दिनांक 29.11.2007 की अधिसूचना सं. फेमा/170/2007–आरबी के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को कितने आवेदन दिए गए हैं;

(ख) क्या कंपनियां धनराशि और इक्विटी प्राप्त करने के 180 दिनों की समाप्ति के बाद भी कतिपय मामलों में शेयर जारी नहीं कर पाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या आरबीआई उन मामलों में कंपनियों को इक्विटी शेयर जल्दी जारी करने में सहायता करेगा जिनमें पूरे ब्यौरे सहित इक्विटी आवंटन की स्पष्ट कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों, जिनमें आरबीआई द्वारा विशेष अनुमोदन किया गया हो, का ब्यौरा क्या है; और

(च) मामले–वार उठाए गए प्रश्नों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पंचायती राज से जोड़ना

2182. श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं और उनकी कार्यान्वयन स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार कितनी महिला लाभार्थियों की सहायता की गई;

(ग) क्या सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से स्व–सहायता समूहों को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने के लिए कोई कार्य योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के सबसे उपेक्षित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुसार, स्वरोजगारियों में कम से कम 40% महिलाएं होंगी (प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए स्व–सहायता समूहों में से 50% केवल महिलाओं के लिए होनी चाहिए)। पंचायती राज संसथाओं (पीआरआई), बैंकों, लाइन विभागों और गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा एसजीएसवाई को कार्यान्वित किया जाता है। डीआरडी एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यक्रम के प्रभावी

कार्यान्वयन हेतु समन्वय करें। लाभार्थियों की पहचान कर लाभार्थी सूची का अनुमोदन, मुख्य गतिविधियों का निर्धारण, स्वरोजगारियों द्वारा बैंक ऋणों की वापसी के साथ–साथ उनके निष्पादन की निगरानी, सामान्य बोर्ड बैठकों में एसजीएसवाई के निष्पादन की समीक्षा आदि कार्यों के द्वारा योजना के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को आत्म–निर्भर बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से स्व–सहायता समूहों को पंचायती राज संस्थाओं के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय के पास कोई कार्य–योजना नहीं है।

(घ) 2004–05, 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (जनवरी, 2008 तक) के दौरान राज्य–वार/संघ राज्य/क्षेत्र–वार सहायता दी गई महिला स्वरोजगारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2004–05, 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (जनवरी, 08 तक) एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता दिए गए कुल महिला स्वरोजगारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जनवरी, 08 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	69780	120032	621600	85019
2	अरूणाचल प्रदेश	582	914	897	222
3	असम	38121	33769	49549	37041
4	बिहार	31111	40311	43988	25464
5	छत्तीसगढ़	12315	10413	16091	17043
6	गोवा	410	368	453	397
7	गुजरात	10377	11220	10912	8362
8	हरियाणा	8543	9865	10376	6832
9	हिमाचल प्रदेश	5454	5049	3917	3193
10	जम्मू व कश्मीर	2237	2534	3477	163
11	झारखंड	25572	43619	45452	33717
12	कर्नाटक	44984	42010	40094	45606
13	केरल	19089	17770	17357	15654
14	मध्य प्रदेश	22899	29114	28818	26360
15	महाराष्ट्र	53177	59005	70356	50974
16	मणिपुर		1572	2783	2279
17	मेघालय	2994	1139	1738	446
18	मिजोरम	629	962	6558	3441
19	नागालैंड	1165	1528	2143	1026

1	2	3	4	5	6
20	उड़ीसा	55952	57307	63126	45574
21	पंजाब	2712	3304	6319	5182
22	राजस्थान	16701	16836	22582	14243
23	सिक्किम	883	847	907	804
24	तमिलनाडु	72642	37977	50838	70407
25	त्रिपुरा	5897	1946	5728	5200
26	उत्तर प्रदेश	76790	88707	88959	81279
27	उत्तरांचल	6777	10490	6981	4806
28	पश्चिम बंगाल	16577	12701	23741	13140
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	360	587	85	362
31	दमन और दीव				
30	दादरा नगर हवेली	23		8	
32	लक्षद्वीप	2	3	6	37
33	पांडिचेरी	1386	865	1293	1019
	कुल	606141	662764	1247132	605292

[अनुवाद]

गरीबों के लिए आवास निर्माण

2183. श्री एल. राजगोपाल :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री गणेश सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2008–09 तक बेघर गरीबों के लिए 60 लाख आवास बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो बनाए जाने वाले प्रस्तावित आवासों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार राज्य सरकारों के समन्वय से बेघर लोगों के लिए कोई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। 'भारत निर्माण' कार्यक्रम के अंतर्गत 2005–06 से 2008–09 तक 4 वर्षों की अवधि में ग्रामीण बीपीएल परिवारों के 60 लाख मकान बनाने पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम को इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। बजट आबंटन के आधार पर वर्ष–वार राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 2005–06 से 2007–08 तक आईएवाई के अंतर्गत निर्धारित राज्य–वार वास्तविक लक्ष्यों और निर्मित मकानों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) इंदिरा आवास योजना पहले से चल रही आबंटन आधारित योजना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी और गरीबी अनुपात के आधार पर राज्य–वार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर सूचित आवासीय कमी को ध्यान में रखा जाता है। इस संबंध में राज्य सरकारों से किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है।

(ङ) और (च) ग्रामीण आवास नीति का एक मसौदा तैयार किया गया है तथा राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

विवरण

वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान आईएवाई के अंतर्गत मकानों के राज्य–वार लक्ष्य और निर्मित मकान

(इकाई सं. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005–06		2006–07		2007–08#	
		मकानों का लक्ष्य	निर्मित मकान	मकानों का लक्ष्य	निर्मित मकान	मकानों का लक्ष्य	निर्मित मकान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	130130	132521	138342	146403	192148	144433
2.	अरूणाचल प्रदेश	4603	5327	4939	4600	6765	3699
3.	असम	101790	104353	109214	125441	149593	92416
4.	बिहार	384111	331651	408350	349053	567171	333448
5.	छत्तीसगढ़	20124	26578	21393	20818	29714	3502
6.	गोवा	801	615	852	1115	1183	636
7.	गुजरात	63819	65602	67846	65195	94234	64299
8.	हरियाणा	8960	9743	9526	10375	13231	7067
9.	हिमाचल प्रदेश	2873	3031	3054	3317	4242	1875
10.	जम्मू – कश्मीर	8924	8231	9487	10667	13177	7124
11.	झारखंड	34261	75403	36423	57246	50589	30814
12.	कर्नाटक	50136	56944	53299	49088	74029	30194
13.	केरल	27880	36413	29639	30817	41167	19528
14.	मध्य प्रदेश	40022	59420	42548	54544	59096	38383
15.	महाराष्ट्र	78478	94274	83430	78427	115879	58624
16.	मणिपुर	3996	4962	4287	3460	5872	3379
17.	मेघालय	6959	6678	7467	4183	10228	1758
18.	मिजोरम	1483	2182	1591	2178	2180	1250
19.	नागालैंड	4605	7949	4941	6321	6768	5628
20.	उड़ीसा	75465	87070	80228	81345	111431	84430
21.	पंजाब	11081	7868	11780	8250	16362	9754
22.	राजस्थान	32070	38471	34094	33397	47354	18331

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	881	1296	945	1554	1294	1063
24.	तमिलनाडु	52101	66434	55389	27919	76932	88837
25.	त्रिपुरा	8967	11902	9621	10612	13178	1622
26.	उत्तर प्रदेश	172527	185541	183414	165469	254750	173893
27.	उत्तरांचल	7863	21722	8359	17239	11611	10998
28.	पश्चिम बंगाल	104098	99259	110667	128838	153709	70065
29.	अंडमान निकोबर द्वीप समूह	1238	90	1316	62	1828	159
30.	दादरा व नगर हवेली	206	101	219	77	305	0
31.	दमन व दीव	92	6	98	8	136	11
32.	लक्षद्वीप	80	48	85	88	118	92
33.	पाण्डिचेरी	617	238	655	261	910	66
	कुल	1441241	1551923	1533498	1498367	2127184	1305378

12.03.2008 की स्थिति के अनुसार

उड़ीसा में कन्निहा विद्युत परियोजना के विस्थापित

2184. श्री जुएल ओराम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा देश में ताप विद्युत संयंत्रों के विस्थापितों को रोजगार देने हेतु नियत किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा में कन्निहा राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र के विस्थापितों को कोई रोजगार दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) एनटीपीसी लि. के विद्युत संयंत्र अधिकांशतः स्वचालित एवं अत्याधुनिक हैं तथा इन्हें चलाने के लिए उच्चस्तरीय कौशल तथा इसके प्रचालन, अनुरक्षण एवं अन्य सहायक कार्यों के लिए सीमित संख्या में ही लोगों की आवश्कता होती है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से तैयार विशिष्ट परियोजना के अनुमोदित पुनर्वास कार्य योजना/समझौता ज्ञापन के अनुसार विस्थापितों को रोज़गार देने पर विचार किया जाता है।

(ख) से (घ) एनटीपीसी लि. ने सूचित किया है कि मुख्यमंत्री, उड़ीसा के साथ 9.8.1991 को आयोजित की गई बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं लिए गए निर्णय के अनुरूप उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार यथासंभव तालचेर-कन्निहा परियोजना के विस्थापितों को रोज़गार प्रदान किया गया है। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार पुनर्वास के अनेक विकल्पों पर विचार किया गया, जिसमें एक प्रावधान नौकरी देना था। इस प्रावधान के आलोक में तालचेर-कन्निहा में 435 प्रभावित व्यक्तियों को सीधी नौकरी दी गई है। इसके अलावा, ठेका एजेंसियों के जरिए भी प्रभावित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

नोटरी पब्लिक

2185. श्रीमती पी. सतीदेवी :

श्रीमती सी.एस. सुजाता :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने नोटरी पब्लिक हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर केरल में ऐसे नोटरियों की संख्या में कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नाबार्ड की भू-जल पुनर्भरण योजनाएं

2186. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने भू-जल पुनर्भरण योजनाओं के लिए 1,800 करोड़ रुपए दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जल संसाधन मत्रालय भारत सरकार, भूमिगत जल पुनर्भरण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के लिए निधियां, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है। अभी तक, इस योजना के अंतर्गत, नाबार्ड को कोई फंड जारी नहीं किया गया है।

योजना को देश के साथ कठोर चट्टानों वाले राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के सभी अत्यधिक दोहित महत्वपूर्ण तथा कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना है। ब्लॉक/मंडल/तालुकाओं की कुल संख्या जिन्हें इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाना है, निम्नवत है :

राज्य	कम महत्वपूर्ण	महत्वपूर्ण	अत्यधिक दोहित	कुल
आंध्र प्रदेश	175	77	219	471
गुजरात	69	12	31	112
कर्नाटक	14	3	65	82
मध्य प्रदेश	19	5	24	48
महाराष्ट्र	23	1	7	31
राजस्थान	14	50	140	204
तमिलनाडु	57	33	142	232
कुल	371	181	628	1,180

अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) खाद्यान्नों पर वैट

2187. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत खाद्यान्नों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर लगाने से राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के फलस्वरूप राज्य के भीतर माल के विक्रय एवं क्रय पर लगाये जाने वाला कर होने के कारण मूल्यवर्धित कर, राज्य का विषय है। राज्य मूल्यवर्धित कर से संबद्ध सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने व निर्णय लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। अधिकार प्राप्त समिति मूल्यवर्धित कर से संबंधित सभी मामलों की मॉनिटरिंग करती है। इस संबंध में केन्द्र सरकार की एक सुसाध्यकर्ता के अतिरिक्त कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा

2188. श्री निखिल कुमार :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
डा. के.एस. मनोज :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत परियोजनाओं के सामाजिक लेखा परीक्षा रोक दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) :

(क) और (ख) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम तैयार किए हैं। ये हैं – (i) जागरूकाता सृजन (ii) जन भागीदारी (iii) पारदर्शिता (iv) जवाबदेह–ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा–परीक्षा (v) कड़ी निगरानी एवं मूल्यांकन

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्यों को निदेश दिया गया है कि एनआरईजीए के प्रत्येक कार्य की सामाजिक लेखा–परीक्षा तीन महीनों के भीतर दिया जाना चाहिए और सामाजिक लेखा–परीक्षा के परिणामों से मंत्रालय को अवगत कराया जाए। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य सक्रिय रूप से सामाजिक लेखा–परीक्षा में भाग ले रहे हैं।

सौर ऊर्जा

2189. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री चंद्रभूषण सिंह :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य–वार कितने सोलर फोटावोल्टिक (पीवी) सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम और सोलर थर्मल सिस्टम स्थापित किए गए;

(ख) आज की तारीख के अनुसार उनकी कुल अधिष्ठापन क्षमता कितनी है और उनसे कुल कितनी ऊर्जा पैदा की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने बड़े आकार के ग्रिड–इंटरएक्टिव और विद्युत संयंत्र की एक नई योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा इस पर अनुमानतः कितना विदेशी निवेश किया जाएगा?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 74,203 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, 11,328 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां, 83,378 सौर लालटेन, 659 सौर पंप, 956 किवा. पी. क्षमता के सौर पीवी संयंत्र और 57,532 सौर कुकर संस्थापित किए गए हैं। इन प्रणालियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सौर जल तापकों पर कार्यक्रम को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता हैं, इसलिए राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लगभग 10 लाख वर्ग मीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र, मुख्यतया सौर जल तापकों हेतु संस्थापना की गई है।

इन प्रणालियों से एक वर्ष में लगभग 608 मिलियन यूनिट बिजली की बचत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी हां। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश में 50 मेगावाट की अधिकतम क्षमता तक की मेगावाट आकार की ग्रिड–इंटरएक्टिव सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सहायता करने के लिए एक प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की है। परियोजना विकासकर्ता के रूप में एक पंजीकृत कंपनी बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पात्र होंगी। प्रत्येक परियोजना विकासकर्ता से प्रस्ताव, 5 मेगावाट की अधिकत समग्र क्षमता के साथ एक परियोजना अथवा न्यूनतम 1 मेगावाट की अनेक परियोजनाओं, पर विचार किया जाएगा।

एक राज्य में अधिकतम 10 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। उन राज्यों से परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जहां राज्य बिजली विनियामक आयोगों (एसईआरसी) ने सौर विद्युत हेतु शुल्क–दर की घोषणा कर दी है अथवा घोषित करने की प्रक्रिया में हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक अनुमोदित और कमीशन की गई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय एसईआरसी अथवा यूटीलिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई शुल्क–दर पर विचार करने के पश्चात् सौर विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा ग्रिड को फीड की जाने वाली सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत के लिए 12 रु. प्रति किवा. घंटा और सौर तापीय विद्युत हेतु 10 रु. प्रति घंटा तक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय संबंधित यूटीलिटी और राज्य नोडल एजेंसी को भी प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा जो उस राज्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में शामिल होगा।

(ङ) 11वीं योजना अवधि के दौरान 50 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा लगभग 1,000 करोड़ रु. के निवेश की आशा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एसपीवी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार एसपीवी संस्थापनाएं (वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां			स्टैंड अलोन ग्रिड कनेक्टिड			
		सड़क रोशनी प्रणाली संख्या	घरेलू रोशनी प्रणाली संख्या	सौर लालटेन संख्या	सौर संयंत्र (केडब्लूपी)	सौर संयंत्र (केडब्लूपी)	सौर पंप संख्या	सौर कुकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	154	163	3000	0	2	6	918
2	अरूणाचल प्रदेश	183	1020	5000	25	0	15	
3	असम	0	0	0	0	0	0	
4	बिहार	571	990	5490	0	0	0	
5	छत्तीसगढ़	1226	4645	0	0	0	47	64
6	गोवा	144	170	0	0	0	0	
7	गुजरात	2482	1200	0	0	5	11	46060
8	हरियाणा	1729	5600	0	0	2	0	5700
9	हिमाचल प्रदेश	1300	3000	0	0	0	0	814
10	जम्मू – कश्मीर	0	3330	9136	0	4	0	
11	झारखंड	248	1500	0	0	0	0	
12	कर्नाटक	270	4786	0	0	2	55	
13	केरल	0	0	1500	0	0	0	
14	मध्य प्रदेश	340	1630	0	0	0	0	
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	203
16	मणिपुर	120	2750	5000	0	0	0	
17	मेघालय	0	4200	20000	0	0	0	
18	मिजोरम	0	1400	0	0	9	0	
19	नागालैंड	0	200	2345	0	0	0	
20	उड़ीसा	256	1008	1146	0	0	3	250
21	पंजाब	371	1350	0	25	25	0	
22	राजस्थान	900	10466	0	100	0	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	सिक्किम	0	1000	0	0	14.7	0	
24	तमिलनाडु	184	0	4000	0	0	0	
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	उत्तर प्रदेश	200	0	0	25	0	509	2294
27	उत्तराखंड	500	8627	20000	50	0	8	1229
28	पश्चिम बंगाल	150	11625	0	0	200	0	
29	अंडमान एवं निकोबार	0	0	5500	0	0	0	
30	चंड़ीगढ़	0	0	0	0	0	0	
31	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	
32	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0		
33	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	
34	लक्षद्वीप	0	0	0	100	0	0	
35	पांडिचेरी	0	0	1261	25	0	0	
36	अन्य	0	3543	0	0	342.3	0	
	कुल	11328	74203	83378	350	606	659	157532

[हिन्दी]

ऋण का संवितरण

2190. श्री पुष्प जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संवितरित किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार/संघ क्षेत्र–वार कुल कितने आवेदन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना के पटल पर रख दी जाएगी।

फास्ट ट्रैक न्यायालय

2191. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री पी. मोहन :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विचारण न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों का फास्ट ट्रैक न्यायालय के माध्यम से निपटान किए जाने के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से निर्देश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु संरचनात्मक सुधार करने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने, अंतरण मामला (सिविल) सं. 22/2001, बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, जो अन्य बातों के साथ, ऐसे त्वरित निपटान न्यायालयों से संबद्ध विषयों से संबंधित हैं जिन्हें लंबे समय से लंबित सेशन मामलों के निपटान के लिए गठित किया गया है, अपने आदेश, तारीख 20.11.2007 में निम्नलिखित उल्लेख किया है :

"श्री नरसिम्हा, विद्वान वाद मित्र और भारत के विद्वान महा सालिसिटर को सुनने पर, हमारी यह राय है कि ऐसे चार्टों को, तो पूर्व कथित द्वारा प्रदान किए गए हैं, दांडिक से सिविल में मामलों के और विशिष्टतया ऐसे मामलों के अंतरण के संबंध में, जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं, त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटान के लिए किसी विनिश्चय पर पहुंचने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा आधार माना जा सकेगा....."।

सरकार विषय की समीक्षा कर रही है और उसने त्वरित निपटान

न्यायालयों की संख्या, इन न्यायालयों में पदो की संख्या, लंबित दांडिक मामलों की संख्या, अवसंरचना की उपलब्धता, आदि के संबंध में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से विस्तृत जानकारी मांगी है।

(ग) और (घ) सरकार ने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी को सुकर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि करने का विनिश्चित करना, त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आय–कर अपील अधिकरण जैसे विशेष अधिकरणों की स्थाना करना आदि है। मामलों के शीघ्रतर निपटान को सुकर बनाने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की एक स्कीम भी सरकार के कार्यान्वयना–धीन है। मध्यकता, बातचीत और माध्यस्थम सहित निपटान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा दिया गया है। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के विचार से, अन्य बातों के साथ, किसी पक्षकार को मंजूर किए गए जा सकने वाले आस्थगनों की संख्या को सीमित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया है और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से "सौदा आंभेवाक" की अवधारणा प्रारंभ की गई है। ग्राम न्यायालय विधेयक के माध्यम से यह प्रस्तावित है कि मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर 5,000 से अधिक न्यायालयों का सृजन करके ग्रामीण जनता के घर तक न्याय पहुंचाया जाए और इस प्रकार लंबित मामलों की संख्या को कम किया जाए।

जल विद्युत उत्पादन हेतु पानी की कमी

2192. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में जल विद्युत उत्पादन करने वाले बड़े बांध यथा भाखड़ा, पोंग, थीन, रिहंद, माताटीला, गांधीसागर, बनसागर, इंदिरा सागर और बारागी इत्यादि में जल स्तर में काफी कमी दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बांधों की विद्युत उत्पादन क्षमता जल स्तर में गिरावट की वजह से प्रतिकूलतः प्रभावित हुई है;

(ग) इन बांधों की विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा पिछले छह महीनों के दौरान इनके विद्युत उत्पादन में कितने मेगावाट की कमी आयी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। वर्तमान वर्ष में भाखड़ा, पोंग, थीन, रिहन्द, गांधीसागर, बानसागर, इंदिरासागर तथा बारगी में जल का स्तर माताटीला को छोड़कर पिछले वर्ष के इसी दिन की तुलना में कम हैं। इन बांधों के संबंध में जल स्तर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं –

क्र.सं.	बांध का नाम	जलाशय स्तर (फीट)		जलाशय स्तर (फीट)		विगत वर्ष की तुलना में स्तर में परिवर्तन (–)/(+) (फीट)
		दिनांक	स्तर	दिनांक	स्तर	
1.	भाखड़ा	6.3.08	1553.53	6.3.07	1596.10	(–)42.57
2.	पोंग	6.3.08	1297.98	6.3.07	1344.69	(–)46.71
3	थीन, (रंजीतसागर)	6.3.08	1632.02	6.3.07	1648.98	(–)16.96
4.	रिहन्द	6.3.08	842.00	6.3.07	843.70	(–)1.70
5.	माताटीला	5.2.08	997.11	5.2.07	994.19	(+)2.92
6.	गांधीसागर	6.3.08	1273.98	6.3.07	1291.21	(–)17.23
7.	बानसागर	28.2.08	1079.13	28.2.07	1084.78	(–)5.65
8.	इंदिरासागर	6.3.08	815.94	6.3.07	817.78	(–)1.84
9.	बारगी	23.2.03	1353.35	23.2.07	1356.96	(–)3.61

(ख) जी नहीं। चालू वर्ष में पोंग, गांधीसागर और इंदिरासागर के मामले में फरवरी, 08 तक उत्पादित विद्युत पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक थी, जबकि भाखड़ा, थीन (रंजीत सागर), रिहंद, माताटीला, बानसागर और बारगी के मामले में विद्युत उत्पादन गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में कम था। इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं –

क्र.सं.		कुल उत्पादन (मि.यू. में)		गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन
		2007–08 फरवरी, 08 तक	2006–07	
1.	भाखड़ा	4778.98	5093.00	(–)314.02
2.	पोंग	1702.58	1366.00	(+)336.58
3.	थीन, (रंजीतसागर)	1453.19	1589.28	(–)136.09
4.	रिहन्द	542.20	890.54	(–)348.34
5.	माताटीला	65.91	124.63	(–)58.72
6.	गांधीसागर	478.19	397.15	(+)81.04
7.	बानसागर	1185.86	1263.46	(–)77.60
8.	इंदिरासागर	2637.72	2514.02	(+)123.70
9.	बारगी	414.09	496.77	(–)82.68
		15257.72	15733.85	

जलाशय आधारित जल विद्युत केन्द्रों से वार्षिक उत्पादन वर्षा तथा बर्फ पिघलने के उपरांत जमा पानी तथा मशीनों के जरिए सिंचाई के लिए जारी जल की मात्रा पर निर्भर है। वर्ष के अंत में जलाशय का स्तर सिंचाई/विद्युत उत्पादन के लिए छोड़े गए जल की मात्रा एवं प्राप्ति पर निर्भर है। यदि सिंचाई हेतु मशीन के जरिए छोड़े गए जल की मात्रा अधिक है तो जलाशय आधारित विद्युत केन्द्र से विद्युत उत्पादन अधिक होगा और इससे जलाशय स्तर में कमी होगी।

(ग) इन बांधों की विद्युत उत्पादन क्षमता (संस्थापित क्षमता) तथा उपलब्ध क्षमता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं –

क्र.सं.	बांध का नाम	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	वर्तमान में उपलब्ध क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	भाखड़ा	1325	1325
2.	पोंग	396	396
3.	थीन, (रंजीतसागर)	600	600
4.	रिहन्द	300	250
5.	माताटीला	30.60	30.60
6.	गांधीसागर	115	115
7.	बानसागर	425	425
8.	इंदिरासागर	1000	1000
9.	बारगी	90	90

रिहन्द के मामले में एक यूनिट व्यापक बंदी के अधीन है, अतः उसकी क्षमता उपलब्ध नहीं है। पिछले छह महीने में इन बांधों की उत्पादन क्षमता में कोई कमी दर्ज नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्वास्थ्य बीमा

2193. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी/विदेशी बीमा कंपनियों अपने अस्पष्ट दिशानिर्देशों की वजह से स्वास्थ्य बीमा के अपने उपभोक्ताओं को धोखा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं जैसा कि दिनांक 30 नवम्बर, 2007 के "द इकॉनोमिक्स टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन दिशानिर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि किसी बीमा कंपनी द्वारा स्वास्थ्य बीमा उपभोक्ताओं को धोखा देने का कोई दृष्टांत उनके सामने नहीं आया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य बीमा कारोबार आईआरडीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसने स्वास्थ्य बीमा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में समितियों का गठन किया था और वर्तमान में वह इन समितियों की रिपोर्ट की जांच कर रहा है। आईआरडीए ने सभी पणधारकों को सम्मिलित

करके एक परामर्शदायी प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र ही स्वास्थ्य बीमा के लिए पृथक दिशानिर्देश तैयार करने की योजना बनाई है।

आवास योजनाएं

2194. श्री सुभाष महरिया : क्या **आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के छोटे शहरों में आवास सुविधा मुहैया कराने हेतु केन्द्र प्रायोजित कोई नई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जवाहल लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) वर्ष 2005 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 63 निर्दिष्ट शहरों तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों के लिए आवास और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को आवास ऋण मुहैया कराने के लिए ब्याज दर सब्सिडी स्कीम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

भूटान में जलविद्युत परियोजना की स्थापना

2195. श्री गुरजीत सिंह राणा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में जल विद्युत उत्पादन की काफी क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूटान सरकार के सहयोग से भूटान में क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता, निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि तथा प्रति यूनिट विद्युत खरीद समझौते का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। भूटान में जल विद्युत शक्यता 30,000 मेगावाट के आसपास होने का आकलन किया गया है, जिसमें से लगभग 16,000 से 20,000 मेगावाट तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) भारत और भूटान के बीच सहयोग काफी सफल और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए रहा है। हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्टों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत का भारत को निर्यात किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2006 में हुए द्विपक्षीय करार के अंतर्गत वर्ष 2020 तक भूटान से 5000 मे.वा. विद्युत की खरीद हेतु सहमति हुई है।

भूटान में भारत सरकार द्वारा समर्थित जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है –

परियोजना का नाम	चालू होने का वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	कुल लागत (करोड़ रुपये में)	विद्युत विक्रय टैरिफ (रुपये/यूनिट)
चुखा	1986	4x84=336 मेगावाट	247	2.00
कुरिछू	2001	4x15=60 मेगावाट	560	1.80
ताला	2007	6x170=1020 मेगावाट	4327	1.80
पुनातसंगछू–I	निर्माणाधीन	6x182.5=1095 मेगावाट	3514.08 (केवल अनुमानित लागत)	अभी निश्चित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

2196. श्री अजीत जोगी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही/पूरी हुई पेयजल परियोजनाओं का राज्य–वार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु वहां से कितनी वित्तीय सहायता/धनराशि प्राप्त हुई है और ऐसी सहायता/धनराशि के उपयोग की स्थिति क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ में अनेक पेयजल परियोजनाएं विश्व बैंक से विशेष सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) देश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही जल आपूर्ति परियोजनाओं के ब्यौरे को दर्शानेवाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य क्षेत्र की नवीन पेयजल आपूर्ति परियोजना का कोई भी प्रस्ताव विश्व बैंक से विशेष सहायता प्राप्त करने हेतु लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त चल रही जल आपूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा

(राशि यूएस मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता/लाइसेंस–सीआर नं.	हस्ताक्षर करने की तारीख	बंद होने की तारीख	ऋण राशि	संचयी वितरण*
1.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावास स्वच्छता परियोजना	केरल	आईडीए/3431–इन	04.01.2001	30.09.2008	55.50	55.274
2.	द्वितीय कर्नाटक ग्रा. ज. आ. एवं स्वच्छता परियोजना	कर्नाटक	आईडीए/3590–इन	08.03.2002	31.12.2008	136.60	121.398
3.	महाराष्ट्र ग्रा. ज. आ. एवं स्वच्छता परियोजना	महाराष्ट्र	आईडीए/3821–इन	30.09.2003	30.09.2009	181.00	168.516
4.	उत्तरांचल ग्रा. ज. आ. एवं स्वच्छता परियोजना	उत्तराखंड	आईडीए/4232–इन	16.10.2006	30.06.2012	120.00	14.604
5.	पंजाब ग्रा. ज. आ. एवं स्वच्छता परियोजना	पंजाब	आईडीए/4251–इन	26.02.2007	31.03.2012	154.00	5.000
6.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र और सुधार परियोजना	कर्नाटक	आईबीआरडी/4730–इन	18.02.2005	31.12.2008	39.50	29.047
7.	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	कर्नाटक	आईबीआरडी/4818–इन	02.05.2006	30.04.2012	216.00	24.308
8.	तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	तमिलनाडु	आईबीआरडी/4798–इन	14.09.2005	31.03.2011	300.00	64 307

* जनवरी, 2008 तक

फसल ऋण

2197. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख के अनुसार किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर राज्यवार कितनी राशि के फसल ऋण दिए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : भारत सरकार (जीओआई) ने, बजट घोषणा 2006–07 के अनुसरण में, ब्याज

सहायता योजना प्रारंभ की है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को वर्ष 2006–07 से 3 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के साथ मूल राशि पर 7% की दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त हो। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों को अपनी स्वयं की निधियां लगाने पर 2% वार्षिक की दर पर ब्याज सहायता दी जा रही है। सरकार नाबार्ड को भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को इस प्रयोजन के लिए रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता दे रही है। यह योजना खरीफ 2006 से प्रचालन में है।

उपलब्ध अनंतिम आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2006–07 के दौरान, पीएसबी, आरआरबी तथा सहकारी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण के रूप में क्रमशः 49604 करोड़ रुपए, 15755 करोड़ रुपए तथा 21833 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। भरतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली में राज्य–वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

करों का लक्ष्य और वसूली

2198. श्री गणेश सिंह :

श्री सुभाष महरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न मदों के अंतर्गत इस वसूली का अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का राजस्व बढ़ाने हेतु आगे क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरन राजस्व संग्रहण के ब्यौरे निम्नानुसार है–

(I) प्रत्यक्ष कर-

फरवरी, 2008 तक कर संग्रहण का ब्यौरा निम्नानुसार है–

(करोड़ रुपए में)

प्रत्यक्ष कर	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान'	अप्रैल, 2007– फरवरी, 2008 के दौरान–राजस्व वसूली
निगम कर	168401	186125	139241
वैयक्तिक आयकर (एफ बी टी, एस टी टी, बी सी टी टी सहित)	98774	118320	93112
अन्य कर	315	315	323
कुल	267490	304760	232676

(II) अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर	बजट अनुमान 2007–08	संशोधित अनुमान 2007–08	अप्रैल, 2007– जनवरी, 2008 (अनंतिम) के दौरान वसूला गया राजस्व
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क*	129043	126709	97559
सीमा शुल्क	98770	100766	84258
सेवा कर	50200	50603	39559
कुल	278013	278078	221376

* राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर के अतिरिक्त

चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में होने वाला राजस्व संग्रहण अभी तक लक्ष्यों से अधिक नहीं हुआ है। तथापि, राजस्व संग्रहण में वृद्धि के चालू रुझान बजट अनुमान से अधिक रहेंगे तथा संशोधित अनुमान को प्राप्त करने की संभावना है।

(ग) सरकार ने राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए कुछ उपाय किए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

सरकारी विभागों एवं लोक उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके स्रोत पर कर कटौती एवं स्रोत पर कर संग्रहण के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना; कार्यदल द्वारा बकाया की वसूली की निगरानी; शीर्ष करदाताओं द्वारा अग्रिम कर भुगतान की निगरानी; स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों के उल्लंघन/अपवंचन के नये क्षेत्रों का पता लगाना और स्रोत पर उपर्युक्त कर कटौती एवं जमा के लिए कार्रवाई करना; उच्च मूल्य के संव्यवहारों की रिपोर्टिंग करना तथा सूचना को जोड़ने के लिए डाटाबेसों एवं विभागीय कार्य प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण; विलासिता वस्तुओं की खरीद के आंकड़ों का संग्रहण तथा उचित मामलों में नोटिस जारी करना; कर कानूनों के स्वैच्छिक अनुपालन के प्रोत्साहन के लिए मल्टीमीडिया अभियान; अतिरिक्त मानव शक्ति एवं उपयुक्त अवसंरचना की व्यवस्था द्वारा प्रशासन को मजबूत करना; लेखा परीक्षा क्षमता को सुदृढ़ करना; कार्य प्रक्रियाओं का स्वचालन ताकि राजस्व जोखिम की पहचान तेजी से की जा सके तथा उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जा सके; करदाता शिक्षा; विभिन्न कानूनों एवं शुल्कों के संबंध में सूचना का प्रसार करना; जिन्सवार/सेवावार राजस्व की नियमित निगरानी; कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए लंबित जांचों को तेजी से पूरा करना; महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सेवा कर, आंतरिक लेखा परीक्षा, पत्तनों आदि में कर प्रशासन को मजबूत करना; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों में निवारक प्रावधानों को शामिल करना, निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात प्रतिबद्धताओं की निगरानी आदि।

[अनुवाद]

सरकारी भवनों में सी.एफ.एल. बल्ब

2199. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी भवनों और सरकारी अस्पतालों एवं औषधालयों आदि में बल्बों एवं ट्यूबलाइटों के स्थान पर सी.एफ.एल. लगाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 40 वाट की ट्यूबलाइटों और जी.एल.एस. बल्बों के स्थान पर सी.एफ.एल. लगाकर ऊर्जा कुशलता उपाय अपनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। के.ले.नि.वि. द्वारा सीएफएल उपस्करों का प्रयोग सामान्यतया केवल नए सरकारी भवनों और सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। उदीप्त बल्ब और परंपरागत फ्लोरेसेंट ट्यूब लाईट के स्थान पर चरणबद्ध ढंग से सीएफएल/टी–5 का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली नगर निगम सभी नए भवनों में ऊर्जा की कम खपत वाले उपस्कर मुहैया करा रहा है। चरणबद्ध ढंग से इनका उपयोग पुरानी 40 वाट की ट्यूब लाईट और जीएलएस बल्ब के स्थान पर किया जा रहा है।

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

क्रम सं.	अंचल का नाम	भवन का नाम	उपस्कर/लैम्प जिनका प्रतिस्थापन किया जाना है
1	2	3	4
1.	शहर	मैसर्स जीएलएम अस्पताल नजदीक कमला मार्किट, इंजीनियर इन चीफ ऑफिस, कार पार्किंग, आसिफ अली रोड़, जोनल ऑफिस बिल्डिंग, सीआर जोन स्कूटर पार्किंग, पॉलिक्लिनिक, सदर बाजार, डा. अम्बेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट, आयुर्वेदिक अस्पताल, बल्लीमारन, उद्यान विभाग, जेएलएन मार्ग	1912

1	2	3	4
2.	सदर पहाड़गंज	जोनल आफिस बिल्डिंग, स्कूल मेडिकल स्कीम, एम और सी डब्ल्यू सेंटर, औषधालय	1430
3.	करोलबाग	नगरपालिका भवन	375
4.	सिविल लाइन्स	जोनल आफिस बिल्डिंग 16, राजपुर रोड, आरबीटीबी अस्पताल और आईडी अस्पताल तथा हिन्दूराव अस्पताल, सिविल लाइन्स के अधीन कश्मीरी गेट	8680
5.	शाहदरा नार्थ	स्वामी दयानन्द अस्पताल, मेटरनिटी होम, यमुना विहार, मेटरनिटी होम करावल नगर, मेटरनिटी होम यमुना विहार बी 2 ब्लाक, मेटरनिटी होम दिलशाद कालोनी, मेटरनिटी होम चांदीवाला, चेस्ट क्लिनिक करावल नगर, जोनल आफिस बिल्डिंग	2619
6.	शाहदरा साउथ	जोनल आफिस बिल्डिंग, कड़कड़डूमा शाहदरा (साउथ) जोन, हाउस टैक्स बिल्डिंग, जोशी कालोनी, पॉलिक्लिनिक शाहदरा, चेस्ट क्लिनिक, पटपड़गंज, एम और सी डब्ल्यू पटपड़गंज, एम और सी डब्ल्यू सेंटर खिचड़ीपुर/कल्याणपुरी	1085
7.	साउथ	जोनल आफिस बिल्डिंग	185
8.	सेन्ट्रल	जोनल आफिस बिल्डिंग लाजपत नगर, पॉलिक्लिनिक बदरपुर, पॉलिक्लिनिक, जंगपुरा, कालकाजी अस्पताल, टी.बी अस्पताल, नेहरू नगर, लाजपतनगर अस्पताल	1556
9.	नजफगढ़	जोनल आफिस बिल्डिंग	160
10.	नरेला	पॉलिक्लिनिक अलीपुर, पॉलिक्लिनिक नरेला, मेटरनिटी सेंटर बख्तावरपुर मेटरनिटी सेंटर, नरेला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बवाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंझावला, मेटरनिटी सेंटर जे जे कालोनी नरेला	601
11.	पश्चिम	जोनल आफिस बिल्डिंग, पॉलिक्लिनिक राजेश नगर, तिलक नगर अस्पताल	1195
12.	रोहिणी	जोनल आफिस बिल्डिंग	423

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के "लोगो" में परिवर्तन

2200. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों ने अपने "लोगो" में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे प्रत्येक बैंक द्वारा इस कार्य पर कितना व्यय किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) केनरा बैंक ने हाल ही में एक नई ब्रांड पहचान प्रारम्भ की है जिसमें अपने लोगो में परिवर्तन करना शामिल है।

(ख) विभिन्न कारकों की भलीभांति तथा प्रणालीगत जांच करने के पश्चात् केनरा बैंक ने अपनी ब्रांड पहचान को नया रूप देने का निर्णय लिया है जो उनकी भावी वृद्धि तथा विविधीकरण में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता

सिद्ध होगा। नई ब्रांड छवि/पहचान का उद्देश्य बैंक को अधिक ग्राहक–केन्द्रित, बाजार द्वारा नियंत्रित तथा कर्मचारी–अनुकूल बनाना है। एक "पारम्परिक ब्रांड के अनुभव से एक समकालीन तथा अविस्मरणीय ब्रांड के अनुभव" में प्रवेश करना ही इसका उद्देश्य था। केनरा बैंक की नई ब्रांड पहचान संबंध के विचार पर आधारित है तथा यह कुल मिलाकर बैंक एवं इसके पणधारियों के बीच ग्राहक एवं कर्मचारियों से लेकर निवेशकों, संस्थाओं तथा समाज के बीच निकट संबंध का द्योतक है।

(ग) केनरा बैंक ने 1.87 करोड़ रुपए का व्यय किया है जिसमें ब्रांड परामर्शदाताओं को अदा किया गया परामर्श शुल्क और इसे प्रारम्भ करने का व्यय शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र हेतु ऋण प्रक्रिया

2201. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री बी.के. दुम्मर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण देने की जटिल प्रक्रिया तथा औद्योगिक क्षेत्र में आई मंदी की वजह से उद्योगों द्वारा बैंकों से ऋण लेने में कमी आई है;

(ख) क्या भारत में अन्य देशों की तुलना में भारत के ऋण पर उच्च ब्याज दर अन्य कारणों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो क्या वैश्विक प्रतिस्पर्धा और औद्योगिक मंदी के वातावरण में, बैंकों के पास ऋण प्रक्रिया को सरल बनाकर ऋण हेतु कम्पनियों को आकर्षित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं। चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से नवम्बर, 2007 तक, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अनन्तिम सूचना से, कृषि क्षेत्र को ऋण (21.4 प्रतिशत), पेवा क्षेत्र को (20.8 प्रतिशत) तथा वैयक्तिक ऋण (20.0 प्रतिशत) की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र को ऋण 25.3 प्रतिशत की उच्चतम वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि करने का संकेत मिलता है। कुल खाद्येतर बैंक ऋण में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा भी नवम्बर, 2006 के 38.3 प्रतिशत से बढ़कर नवम्बर, 2007 में 39.2 प्रतिशत हो गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

करेंसी नोटों की तस्करी

2202. श्री पारस नाथ यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों से जाली करेंसी नोटों की व्यापक पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एस.एफ.एस. फ्लैटों में अवैध निर्माण

2203. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों में चार मंजिले एस.एफ.एस. फ्लैटों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे फ्लैटों का स्थानवार ब्यौरा क्या है और निर्माण अवधि क्या है तथा आबंटित किए गए एवं अब तक आबंटित नहीं किए गए फ्लैटों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे फ्लैटों के ऊपरी मंजिल के आबंटियों ने छत पर अतिरिक्त कमरे/बरसाती/भण्डारगृह/शौचालय/कार्यालय बना रखे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या डी.डी.ए. द्वारा ऐसे निर्माणों की अनुमति दी गई है/को वैध करार कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चूककर्ताओं तथा डी.डी.ए. ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है जिनके साथ मिलीभगत करके ऐसे निर्माण किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा यथा प्रस्तुत स्व–वित्तपोषण स्कीम (एसएफएस)/उच्च आय वर्ग (एचआईजी) फ्लैटों का स्थानवार ब्यौरा और निर्माण की अवधि संलग्न विवरण में है। डीडीए ने बताया है कि सभी एसएफएस फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) डीडीए ने सूचित किया है कि डीडीए द्वारा निर्मित फ्लैटों में परिवर्द्धन/परिवर्तन की अनुमति की नीति के अंतर्गत सबसे ऊपरी मंजिल के छत टैरेस पर मुम्टी के अतिरिक्त एक बरसाती के निर्माण की अनुमति है। बरसाती अभिमानतः मुम्टी से लगी होनी चाहिए और नीचे के कमरे के आकार के बराबार होना चाहिए ताकि टैरेस स्तर

पर दीवार के ऊपर दीवार का निर्माण सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, बरसाती के निर्माण की अनुमति ब्लाक के निवासियों को पानी की टंकी, नलसाजी प्रणाली के रखरखाव, टीवी/केबल एंटिना आदि लगाने के लिए आने–जाने के प्रावधान की शर्त पर होगी।

(ङ) इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन का पता चलने के तत्काल बाद दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पूर्ण एसएफएस आवासों का वर्षवार ब्यौरा

(मार्च, 2007 तक)

क्रम सं.	वर्ष	स्थान	एसएफएस आवास			कुल
			श्रेणी–I	श्रेणी–II	श्रेणी–II	
1	2	3	4	5	6	7
1	1980–81	मालवीय नगर विस्तार				
		(क) पॉकेट – एफ	–	36	36	72
		(ख) पॉकेट – के, ग्रेड–I एंड –II	128	80	16	224
		(ग) पॉकेट–एन, ग्रेड–I एंड –II	–	60	60	120
2	–वही–	मालवीय नगर विस्तार	–	152	152	304
					कुल	720
1	1981–82	शेखसराय पॉकेट–क 360 आवास 44 श्रेणी–III, 92 श्रेणी–II ग्रेड–I –42 श्रेणी–III, 84 श्रेणी–III ग्रेड–II, 45 श्रेणी–III, 79 श्रेणी–II ग्रेड–III में एसएफएस आवासों का निर्माण	0	300	180	480
2	–वही–	नीति बाग	14	28	–	42
3	–वही–	हॉजख़ास, महरौली (512 रिहायशी इकाई) ग्रेड–I	–	84	126	210
4	–वही–	यूसुफ सराय, 396 रिहायशी इकाई ग्रेड–I	–	48	72	120
5	–वही–	यूसुफ सराय, 396 रिहायशी इकाई ग्रेड–II	–	72	108	180
6	–वही–	वसंत इन्क्लेव, ग्रेड–I से IV	132	142	142	416
7	–वही–	मुनिरका विस्तार, जेएनयू के पास (312 रिहायशी इकाई) ग्रेड–I एंड II	–	38	57	95
8	–वही–	मुनिरका (डीटीसी डिपो तक), वसंत विहार, ग्रेड–I एंड II	–	68	136	204
9	–वही–	यमुना अपार्टमेंट के समीप कालकाजी (114 रिहायशी इकाई)	–	18	36	54
10	–वही–	कालकाजी विस्तार, ग्रेड–I, रिहायशी इकाई	64	–	–	64
11	–वही–	ईपीडी पॉकेट ख के समीप, कालकाजी	–	72	–	72
12	–वही–	अलखनन्दा, कालकाजी, पॉकेट क	–	64	96	160
13	–वही–	सामुदायिक केन्द्र ग्रेड–I एंड II के समीप कालकाजी	62	236	56	354
14	–वही–	सिद्धार्थ एन्क्लेव (152 श्रेणी–III और 76 श्रेणी–II)				
		ग्रेड–I	–	44	88	132
		ग्रेड–II	–	14	28	42
		ग्रेड–III	24	168	–	192
15	–वही–	रजौरी गार्डन 458 रिहायशी इकाई ग्रेड–I	–	54	54	108

1	2	3	4	5	6	7
16	–वही–	शालीमार बाग, पश्चिमी पॉकेट–सी ब्लॉक–बी			314	314
17	–वही–	एशियन गेम्स कॉम्पलैक्स, टाइप–I '– V			853	853
					कुल	4092
1.	1982–83	शेखसराय पॉकेट–बी एंड सी (77 रिहायशी इकाई)	–	51	24	75
2	–वही–	हॉजखास	–	68	102	170
3	–वही–	जी.के.–I	–	32	32	64
4	–वही–	यमुना अपार्टमेंट के समीप (114 रिहायशी इकाई)	–	20	40	60
5	–वही–	जेएनयू के समीप मुनीरका, ग्रेड–I	–	58	87	145
6	–वही–	वसंत विहार (144 श्रेणी–III, 114 श्रेणी–II, 132 श्रेणी–I और 88 वरिष्ठ ग्रेड)	–	4	4	08
7	–वही–	आरबीआई क्वार्टरों के समीप वसंत विहार	–	10	20	30
8	–वही–	नारायणा	16	32	–	48
9	–वही–	सिद्धार्थ एन्क्लेव (160 एसएफएस)	–	32	64	96
10	–वही–	रजौरी गार्डन जी–8 एरिया (458 एसएफएस)	18	8	240	266
11	–वही–	रजौरी गार्डन (212 रिहायशी इकाई)	–	52	52	104
12	–वही–	रजौरी गार्डन, पॉकेट–ई	–	200	200	400
13	–वही–	मालवीय नगर एक्सटेंशन (464 आवास)	–	44	22	66
					कुल	1532
1.	1983–84	शेखसराय				48
2	–वही–	कालकाजी, सीसीजी–II के पश्चिम				150
3	–वही–	कालकाजी विस्तार, सीसी–ग्रेड–I के पश्चिम				138
4	–वही–	कालकाजी देश बंधु कॉलेज के समीप				270
5	–वही–	कालकाजी हायर सेकेण्डरी स्कूल, ब्लॉक–जी के विपरीत				60
6	–वही–	कालकाजी एक्सटेंशन, पॉकट–ए–IV				272
7	–वही–	अलकनंदा पॉकेट–ए, ग्रेड–III				144
8	–वही–	ईस्ट ऑफ कैलाश, ब्लॉक–बी				144
9	–वही–	पश्चिम पुरी (450 एसएफएस)				200
10	–वही–	सुखदेव विहार (504+220 एसएफएस)				400
11	–वही–	बोदेला विस्तार, पॉकेट–बी				100
12	–वही–	जनकपुरी पॉकेट–डी/बी				84
13	–वही–	मस्जिद मोठ (24 श्रेणी–III + 12 श्रेणी–II)				36
					कुल	2046
1.	1984–85	अलकनंदा पॉकेट–ए	–	152	152	304
2	–वही–	अलकनंदा पॉकेट– बी और सी	–	216	216	432

1	2	3	4	5	6	7
3	–वही–	अलकनंदा सामुदायिक केन्द्र	–	84	168	252
4	–वही–	वसंतकुंज पॉकेट–ए (किशनगढ़)	–	200	200	400
5	–वही–	मालवीय नगर एक्सटेंशन (साकेत)	–	260	121	381
6	–वही–	शेखसराय	–	96	96	192
7	–वही–	कालकाजी एक्सटेंशन (रिंगरोड़)	–	136	38	174
8	–वही–	ईस्ट ऑफ कैलाश, ब्लॉक–ए एंड बी	–	68	136	204
9	–वही–	पश्चिम पुरी, पॉकेट–ए–V, ग्रेड–II (450 एसएफएस)	–	–	250	250
10	–वही–	बोडेला एक्सटेंशन, पॉकेट–बी, 224 श्रेणी–II क	–	124	–	124
11	–वही–	सुखदेव विहार	–	192	48	240
12	–वही–	जनकपुरी, ब्लॉक–बी, पॉकेट–डी, श्रेणी–II	–	15	–	15
					कुल	2968
1.	1985–86	सुखदेव विहार (744/728 एसएफएस)	–	44	44	88
2	–वही–	गुलाबी बाग	–	–	130	130
3	–वही–	जनकपुरी	–	–	192	192
4	–वही–	पश्चिम पुरी, पॉकेट–डी, ग्रेड–I	–	–	273	273
5	–वही–·	विकासपुरी, पॉकेट–जीडी–II	–	–	560	560
6	–वही–	बोडेला एक्सटेंशन, महावीर नगर	–	–	72	72
7	–वही–	जनकपुरी, डीपी–II				24
8	–वही–	[illegible]तियाखान (312/240 एसएफएस)				224
9	–वही–	माल रोड (240/180 एसएफएस)				120
10	–वही–	पीतमपुरा पॉकेट–एसडी				512
11	–वही–	वजीरपुर फेज–III				180
12	–वही–	पीतमपुरा पॉकेट–जे (डी)				296
13	–वही–	शालीमार बाग ब्लॉक बी, पॉकट–डब्ल्यू				176
14	–वही–	शालीमार बाग ब्लॉक बी, पॉकेट				96
15	–वही–	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पॉकेट–बी, ग्रेड–I				160
16	–वही–	किलोकरी पॉकेट–सी, ग्रेड–VIII (144 रिहायशी इकाई)				40
17.	–वही–	किलोकरी ग्रेड–I (264 एसएफएस)				120
18	–वही–	किलोकरी पॉकेट–सी, ग्रेड–VI, (240 एसएफएस)				56
19	–वही–	अलकनन्दा ग्रेड–IV, पॉकेट–बी एंड सी				16
20	–वही–	कालू सराय				196
21	–वही–	अलकनन्दा पॉकेट–डी				416
22	–वही–	किशनगढ़, सेक्टर–ए				768
23	–वही–	गौतम नगर				52
					कुल	52

1	2	3	4	5	6	7
1.	1986–87	त्रिलोकपुरी (नार्थ ऑफ लाइन)				368
2	–वही–	अलकनन्दा कालकाजी (वेस्ट ऑफ सीसी)				36
3	–वही–	मोतिया खान (312/248 एसएफएस)				16
4	–वही–	माल रोड (240/188 एसएफएस)				51
5	–वही–	अशोक विहार, फेस–IV (405 एसएफएस)				09
					कुल	480
1	1987–88	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पॉकेट–सी				120
2	–वही–	ईस्ट ऑफ कैलाश				186
3	–वही–	किलोकरी पॉकेट–बी				48
4	–वही–	साकेत, एम.बी. रोड़				96
5	–वही–	गौतम नगर				26
6	–वही–	सिद्धार्थ एक्सटेंशन				120
7	–वही–	सिद्धार्थ एक्सटेंशन पॉकेट–सी, ग्रेड–III				136
8	–वही–	अलकनन्दा				64
9	–वही–	मन्दाकिनी एन्क्लेव				24
10	–वही–	अशोक विहार फेज–IV				396
11	–वही–	माल रोड़ (240/100 एसएफएस)				09
12	–वही–	शालीमार बाग, ब्लॉक–बी, पॉकेट–एफ				160
13	–वही–	रजौरी गार्डन, जी–8 क्षेत्र				80
14	–वही–	सुखदेव विहार, अतिरिक्त मकान				48
15	–वही–	सुखदेव विहार, (720 एसएफएस)				12
16	–वही–	पश्चिमपुरी (320/528 एसएफएस)				320
17	–वही–	जनकपुरी				120
18	–वही–	पश्चिम विहार (528 एसएफएस) जी–17	–	–	208	208
19	–वही–	मायापुरी, ग्रेड–I, II एंड III				288
20	–वही–	वसंत कुंज, सेक्टर–बी पॉकेट–I				290
21	–वही–	वसंत कुंज, सेक्टर–बी पॉकेट				144
22	–वही–	वसंत कुंज, सेक्टर बी, पॉकेट–II				256
23	–वही–	वसंत कुंज, सेक्टर–सी, पॉकेट–II				560
24	–वही–	–वही–				819
25	–वही–	वसंत कुंज, सेक्टर–सी, पॉकेट–IX				238
26	–वही–	कटवारिया सराय (एमएस फ्लैट)				112
27	–वही–	वसंत विहार ओपोजिट जेएनयू				160
28	–वही–	वसंत कुंज सेक्टर–डी, पॉकेट–1				384

1	2	3	4	5	6	7
29	–वही–	वसंत कुंज सेक्टर–डी, पॉकेट–2				624
30	–वही–	वसंत कुंज, सेक्टर–डी, पॉकेट–3				640
31	–वही–	वसंत कुंज, सेक्टर–डी, पॉकेट–4				240
32	–वही–	किशनगढ़, सेक्टर–ए				144
33	–वही–	किशनगढ़, सेक्टर–ए, पॉकेट–ए				190
					कुल	7262
1	1988–99	पश्चिमपुरी जीएच–13 में 1140 मकानों का निर्माण	1128			1128
2	–वही–	त्रिलोकपुरी में 320 मकानों का निर्माण	320			320
3	–वही–	त्रिलोकपुरी में 904 मकानों का निर्माण	452			452
4	–वही–	त्रिलोकपुरी में 816 मकानों का निर्माण	784			784
5	–वही–	वसंतकुंज सेक्टर–बी, पॉकेट–8, 9, 10, 11, 1, 3, 7 एंड 8	2788			2788
6	–वही–	पीतमपुरा पॉकेट–एल (जी) में 64 मकानों का निर्माण	128			128
7	–वही–	शालीमार बाग में 208 एसएफएस का निर्माण	208			208
8	–वही–	सेक्टर–8 रोहिणी में 400 मकानों का निर्माण	480			480
9	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–ए में मकान	175			175
10	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–ए ग्रेड–III में मकान	210			210
11	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–ए ग्रेड–IV में मकान	70			70
12	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–ए ग्रेड–IV में मकान	196			196
13	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–बी ग्रेड–I में मकान	179			179
14	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–बी ग्रेड–II में मकान	109			109
15	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–बी ग्रेड–III में मकान	196			196
16	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–सी ग्रेड–II में मकान	230			230
17	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–सी ग्रेड–III में मकान	230			230
18	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–एच एंड जे, ग्रेड–I में मकान	120			120
19	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–एच एंड जे, ग्रेड–II में मकान	120			120
20	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–एफ एंड जी में मकान	70			70
21	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–एफ एंड जी ग्रेड–IV में मकान	90			90
22	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–एफ एंड जी ग्रेड–V में मकान	120			120
23	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–एफ एंड जी ग्रेड–VI में मकान	108			108
24	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–एफ एंड जी ग्रेड–VIII में मकान	70			70
25	–वही–	सैदुल्ला जैब में मकान	70			70
26	–वही–	सिद्धार्थ एक्सटैंशन में मकान	120			120
27	–वही–	कालकाजी में ईपीडीपी मकान	1			1
28	–वही–	सरिता विहार में पॉकेट–बी, ग्रेड–III	196			196
29	–वही–	सरिता विहार में पॉकेट–एफ एंड जी ग्रेड–V	120			120

1	2	3	4	5	6	7
30	–वही–	सुखदेव विहार में 240 एसएफएस	3			3
					कुल	909
1	1989–90	मादीपुर, रोहतक रोड (120 एसएफएस) ग्रेड–3				120
2	–वही–	कालकाजी ब्लॉक–बी के विपरीत				144
3	–वही–	सरिता विहार, पॉकेट–II ग्रेड–4				120
4	–वही–	सरिता विहार, पॉकेट–II एंड I ग्रेड–V				120
5	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–II ग्रेड–3				100
6	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–बी (शेष कार्य)				14
7	–वही–	सरिता विहार पॉकेट–सी ग्रेड–1				42
8	–वही–	सरिता विहार, पॉकेट के एंड एल, ग्रेड–1, 2 एंड 3				424
9	–वही–	वसंत कुंज				558
					कुल	1642
1.	1990–91	एसडब्ल्यूजैड				
	–वही–	पॉकेट 5 एंड 6				285
	–वही–	पॉकेट–2				28
	–वही–	पॉकेट–4				124
	–वही–	पॉकेट–7 एंड 8				80
2.	–वही–	एसईजैड				
	–वही–	सरिता विहार, ग्रेड–1 में एसएफएस मकान				140
	–वही–	मंदाकिनी में एसएफएस मकान				12
	–वही–	ब्लॉक बी कालकाजी में एसएफएस मकान				12
3.	–वही–	वेस्ट जोन				
	–वही–	(क) मादीपुर एसएच 132 एसएफएस रिहायशी इकाई				
		ग्रेड–I में 356 एसएफएस श्रेणी–II पॉकेट–2				132
		(i) 92 रिहायशी इकाई ग्रेड–II				92
		(ii) 132 एसएफएस रिहायशी इकाई ग्रेड–II				132
		(ख) पॉकेट जीएच–12 क्षेत्र पश्चिमपुरी में 232/240				240
		एसएफएस मकान				
		(ग) जीएच–4, पश्चिमपुरी में 356 एसएफएस मकान (348 वास्तविक)				348
					कुल	1625
1.	1991–92	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	सेक्टर–बी, पॉकेट–5 और 6				335
	–वही–	सेक्टर–बी, पॉकेट–2 और 3				390
	–वही–	सेक्टर–बी, पॉकेट–4				50
	–वही–	सेक्टर–सी, पॉकेट–2				286

1	2	3	4	5	6	7
	–वही–	सेक्टर–सी, पॉकेट–2				48
2.	–वही–	साउथ ईस्ट जोन				
	–वही–	ग्रेड–II, पॉकेट एफ एंड जी, सरिता विहार में एसएफएस मकान				140
	–वही–	पॉकेट एफ एंड जी, सरिता विहार में एसएफएस मकान				60
	–वही–	पॉकेट डी एंड ई, सरिता विहार में एसएफएस मकान				497
3.	–वही–	वेस्ट जोन				
	–वही–	मुख्य रोहतक रोड, मादीपुर एसएच:85/52 (वास्तविक) में 208 एसएफएस मकान				52
	–वही–	जीएच–5, फेज–I बोदेला में 112 एसएफएस				112
	–वही–	नार्थ जोन				
	–वही–	मोतिया खान में 16/12 एसएफएस श्रेणी–II				12
					कुल	1982
1.	1992–93	साउथ ईस्ट जोन				
	–वही–	सरिता विहार में एसएफएस				28
	–वही–	सरिता विहार में एसएफएस				20
2.	–वही–	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	सेक्टर ए पॉकेट–I वसंत कुंज				48
	–वही–	सेक्टर ए पाकेट बी और सी वसंत कुंज				64
	–वही–	सेक्टर सी पाकेट –7 ग्रेड एफ वसंत कुंज				156
	–वही–	सेक्टर सी पॉकेट–6–7 ग्रेड जी वसंत कुंज				152
	–वही–	सेक्टर सी पॉकेट–6–7 ग्रेड ई वसंत कुंज				120
	–वही–	सेक्टर सी पाकेट, वसंतकुंज				21
	–वही–	सेक्टर सी पाकेट ग्रेड ए वसंत कुंज				80
	–वही–	सेक्टर सी पाकेट सी वसंत कुंज				176
	–वही–	सेक्टर सी पाकेट ग्रेड–II वसंत कुंज				194
	–वही–	सेक्टर सी पाकेट–ग्रेड डी वसंत कुंज				168
	–वही–	सामुदायिक एवं स्टाफ हाउसिंग काम्प्लैक्स, बेरसराय				80
	–वही–	सेक्टर–सी, पॉकेट–4, वसंत कुंज				08
3	–वही–	वेस्ट जोन				
	–वही–	208 एसएफएस (मुख्य रोहतक रोड में वास्तविक 200 मकान) गांव मादीपुर एसएच: 28 एसएफएस मकान, मादीपुर ग्रेड–II				28
4	–वही–	ब्लॉक–सी, सेक्टर–19, रोहिणी फेज–II में 536 एसएफएस रिहायशी इकाई				536
5	–वही–	नार्थ जोन				
	–वही–	पाकेट–बी (यू) पीतमपुरा में 72 एसएफएस फ्लैट				72
					कुल	1941
1.	1993–94	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	सेक्टर बी पॉकेट–5 एंड 7 वसंत कुंज				04

1	2	3	4	5	6	7
	–वही–	सेक्टर–बी पॉकेट–I वसंत कुंज				10
	–वही–	सेक्टर–सी पॉकेट 6 एंड 7 वसंत कुंज				120
	–वही–	सेक्टर–बी पॉकेट II एंड III वसंत कुंज				13
	–वही–	सेक्अर–सी पॉकेट–9 ग्रेड डी, वसंत कुंज				08
2.	–वही–	द्वारका फेज–I पॉकेट–I सेक्टर–II में 136 एसएफएस मकान				128
3.	–वही–	रोहिणी जोन				
	–वही–	सेक्टर–11 (विस्तार) में 480 एसएफएस श्रेणी–II मकान				480
	–वही–	रोहिणी सेक्टर–18 में 448 एसएफएस श्रेणी–II मकान				448
4.	–वही–	नार्थ जोन				
	–वही–	मुखर्जी नगर के पूर्व में 376 एसएफएस मकान	–	188	188	376
	–वही–	ईस्ट जोन				
	–वही–	मयूर विहार (शेष कार्य) में 54 एसएफएस + 18 एलआईजी मकान				54
					कुल	1641
1.	1994–95	द्वारका				
	–वही–	द्वारका फेज–I पॉकेट–II सेक्टर–19 में 720 एसएफएस				728
	–वही–	द्वारका फेज–I सेक्टर–III, 384 एसएफएस				384
	–वही–	सेक्टर 12, पॉकेट–I में 452 एसएफएस/एमआईजी/एलआईजी मकान				112
2.	–वही–	नार्थ जोन				
	–वही–	पीतमपुरा 80 एसएफएस श्रेणी–II एवं III पॉकेट एल	–	40	40	80
3.	–वही–	ईस्ट जोन				
	–वही–	कोंडली घरोली में 912 एसएफएस मकान				
	(i)	192 एसएफएस मकान ग्रेड–I				192
	(ii)	192 एसएफएस मकान ग्रेड–II				192
	(iii)	192 एसएफएस मकान ग्रेड–III				192
	(iv)	160 एसएफएस मकान ग्रेड–IV				160
	(v)	176 एसएफएस मकान ग्रेड–V				176
4.	–वही–	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	सेक्टर–ए पॉकेट ए एंड बी, वसंत कुंज				16
	–वही–	सेक्टर–ए पॉकेट VI एंड VIII, वसंत कुंज				08
					कुल	2240
1.	1995–96	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	सेक्टर बी, पॉकेट 6 व 7, वसंत कुंज				08
2.	–वही–	ईस्ट जोन				
	–वही–	कोंडली घरोली में 240 एसएफएस ग्रेड–I मकानों का निर्माण				48

1	2	3	4	5	6	7
	–वही–	कोंडली घरोली में 190 एसएफएस ग्रेड–V मकानों का निर्माण				16
	–वही–	गाजीपुर में 101 एसएफएस मकानों का निर्माण				101
					कुल	173
1.	1996–97	द्वारका				
	–वही–	सेक्टर–VI पॉकेट–I, द्वारका				212
	–वही–	सेक्टर–I पॉकेट–I द्वारका				136
	–वही–	सेक्टर–I पॉकेट, एमएलयू, द्वारका				228
	–वही–	सेक्टर–5 पॉकेट, एमएलयू, द्वारका				167
	–वही–	सेक्टर–5, पॉकेट, एमएलयू, द्वारका				197
	–वही–	सेक्टर–9, पॉकेट–II द्वारका				540
	–वही–	सेक्टर–7, द्वारका				182
	–वही–	सेक्टर–10, द्वारका				176
	–वही–	सेक्टर–22, द्वारका				672
2.	–वही–	नार्थ जोन				
	–वही–	सेक्टर ए–5, नरेला				128
	–वही–	मोतियाखान बीएलके एन5				84
3.	–वही–	रोहिणी				
	–वही–	पॉकेट–6, सेक्टर–23, रोहिणी				288
	–वही–	पॉकेट–7, सेक्टर–23, रोहिणी				272
4.	–वही–	ईस्ट जेन				
	–वही–	गाजीपुर				88
5.	–वही–	साउथ ईस्ट जोन				
	–वही–	सुखदेव विहार				15
	–वही–	एफ एंड जी, शेख सराय				104
6.	–वही–	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	निकट पीरागढ़ी				177
					कुल	3666
1.	1997–98	साउथ ईस्ट जोन				
	–वही–	जसोला सेक्टर–8, में एसएफएस				376
	–वही–	जसोला सेक्टर–7 में एसएफएस				06
	–वही–	वसंत कुंज में प्रीफैब सेम्पल मकान				06
2.	–वही–	नार्थ जोन				
	–वही–	बीएलके–डी, पॉकेट–ए, शालीमार बाग				200

1	2	3	4	5	6	7
	–वही–	144/140 सेक्टर–ए 5 नरेला				12
3.	–वही–	द्वारका				
	–वही–	151 एसएफएस हाउस तथा 182 एमआईजी हाउस सेक्टर 12 द्वारका				151
	–वही–	सेक्टर–9 में एसएफएस हाउस				164
	–वही–	सेक्टर–9 में एसएफएस हाउस				144
	–वही–	सेक्टर–1 पीएच–1 में 176 एसएफएस हाउस				176
	–वही–	सेक्टर–13 द्वारका में एसएफएस				176
					कुल	1781
1.	1998–99	द्वारका जोन				
	–वही–	सेक्टर–9 द्वारका में 460 एसएफएस मकानों का निर्माण				160
					कुल	160
1.	1999–00	द्वारका जोन				
	–वही–	सेक्अर–1 द्वारका फेज–I में 24 एसएफएस मकानों का निर्माण				24
	–वही–	सेक्टर–12 पॉकेट–3, द्वारका में 224 एसएफएस मकानों का निर्माण				224
2.	–वही–	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	सेक्टर–डी, पाकेट–5 व 6 वसंतकुंज में 592/584 एसएफएस मकानों का निर्माण				304
3.	–वही–	साउथ वेस्ट जोन				
	–वही–	सेक्टर–डी द्वारका फेज–II में एसएफएस मकानों का निर्माण				166
	–वही–	सरिता विहार में 98 एसएफएस मकानों का निर्माण				98
	–वही–	पाकेट–बी, सेक्टर–13 द्वारका में 240 एसएफएस मकानों का निर्माण				240
					कुल	1056
2000–01						
1.		सेक्टर–13, पॉकेट–बी, द्वारका फेज–II में एसएफएस मकानों का निर्माण	248			248
2.		सेक्टर–डी पाकेट–6 वसंतकुंज में 836/848 एसएफएस मकानों का निर्माण	264			264
3.		सेक्टर–सी पाकेट–9 वसंतकुंज में 888 एसएफएस मकानों का निर्माण	72			72
4.		पाकेट–4, सेक्टर–12 द्वारका फेज–I ग्रेड–I से III में 227 एस/जी तथा 304 एसएफएस मकानों का निर्माण	304			304
					कुल	888
2001–02						
1.		सेक्टर–1 पाकेट–I में 28 एसएफएस मकानों का निर्माण	28			28
2.		सेक्टर–18 ए द्वारका में सीसी ब्लाक सहित 414 रिहायशी मकानों का निर्माण	414			414

1	2	3	4	5	6	7
3.		सेक्टर–I सेक्टर–डी वसंतकुंज में 536/648 एसएफएस मकानों का निर्माण	272			272
4.		सेक्टर–ए, पॉकेट–बी, वसंतकुंज में 172 एचआईजी मकानों का निर्माण	172			172
5		सेक्टर–डी पॉकेट–5 तथा 56 वसंतकुंज में 592 एसएफएस मकानों का निर्माण	288			288
6.		बीएलकेडी–पॉकेट–ए, शालीमार बाग, फेज–II में 200 एचआईजी का निर्माण	200			200
7.		बीएलकेडी ग्रेड–III पाकेट–ए शालीमार बाग में 144 एचआईजी का निर्माण	144			144
8.		सरिता विहार पाकेट–डी में 42+5 एचआईजी मकानों का निर्माण	47			47
9.		सेक्टर–13 बी द्वारका	150			150
					कुल	1715
2002–03						
1.		बीएलकेडी पाकेट–ए शालीमार बाग में 96/104 एसएफएस मकानों का निर्माण	104			104
2.		पाकेट–के और एल सरिता विहार में 504/160 एसएफएस मकानों का निर्माण	160			160
3.		526 एसएफएस मकानों का निर्माण	526			526
					कुल	790
2003–04						
1.		वसंतकुंज में 32 एचआईजी का निर्माण	32			32
2.		पाकेट के और एल सरिता विहार में 504/344 मकानों का निर्माण	328			328
3.		सिद्धार्थ एक्सटेंशन	56			56
					कुल	416
2004–05						
1.		शालीमार बाग	160			160
2.		द्वारका सेक्टर 18–बी	568			568
3.		द्वारका सेक्टर 12	198			198
					कुल	926
2005–06						
1.		द्वारका सेक्टर 19–बी	440			440
2.		शालीमार बाग	400			400
3.		सरिता विहार, पाकेट के और एल	16			16
					कुल	856
2006–07						
1.		795 वसंत कुंज डी–6 में 795 रिहायशी मकानों का निर्माण	140			140
					कुल	140
		सकल योग	56596			

भारत में यू.बी.एस. की शाखा

2204. श्री एस. अजय कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्विटजरलैंड के यूबीएस बैंक एजी को मुम्बई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय को एक शाखा में बदलने के लिए लाइसेंस जारी किया है। भारत में प्रथम शाखा खोलने के लिए यूबीएस बैंक एजी पर भी वही निबंधन एवं शर्तें लागू हैं, जो अन्य किसी विदेशी बैंक पर लागू हैं जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाईसस प्राप्त करना, नियत पूंजी के रूप में 25 मिलियन अमरीकी डॉलर लगाना, आदि। इसके अतिरिक्त, विदेशी बैंकों के कारबार प्रारंभ करने से पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होती है, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने, विभिन्न श्रेणियों के अग्रिमों/जमाओं, अग्रिमों पर प्रभार्य तथा जमाराशियों पर देय ब्याज दरों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों, आय–पहचान, आस्ति वर्गीकरण, विवेकपूर्ण आधार पर अशोध्य और संदिग्ध कर्जों हेतु प्रावधान करने, तुलनपत्र में पारदर्शिता, पूंजी पर्याप्तता, भारत में अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण, स्वदेश छोड़ने वालों की नियुक्ति तथा भारतीय कारबार में विदेशी निधियों के अभिनियोजन, आदि के संबंध में जारी किए गए निदेशों तथा अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करना भी अपेक्षित है।

कारपोरेट क्षेत्र का सामाजिक उत्तरदायित्व

2205. श्री के.एस. राव : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहल की है कि कंपनियां गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या में निवेश जैसे सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) कंपनियों पर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में निवेश के किसी निर्धारित स्तर को अपनाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

करमाकर समिति

2206. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा. के.जी. करमाकर समिति की रिपोर्ट की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने सिफारिशों के स्वीकृत भाग के बारे में आदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) डा. के.जी. करमाकर समिति की सिफारिशें, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई हैं, और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 सितम्बर, 2006 के पत्र के जरिए, डा. के.जी. करमाकर, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, की अध्यक्षता में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परिचालनात्मक कार्यकुशलता हेतु सशक्त बनाने पर विचार करने के लिए एक कार्यबल गठित किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए अपेक्षित सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 30.7.2007 के अपने पत्र के जरिए प्रायोजक बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को भेजा गया था। सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड को परिचालनात्मक कार्यकुशलता के लिए सशक्त करने हेतु कार्यबलकृत कार्रवाई रिपोर्ट

पैरा सं.	सिफारिश	कृत कार्रवाई
1	2	3
1.	605 जिलों में से, आरआरबी 525 जिलों को कवर किया जा चुका है। कवर न किए गए जिलों को कवर करने की व्यवहार्यता की जांच की जा सकती है।	स्वीकृत। 30 जुलाई 2007 के पत्र के तहत प्रायोजक बैंकों को कार्रवाई आरंभ करने का परामर्श दिया गया है।

1	2	3
2.	आरआरबी से सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराने पर विचार करना और प्रौद्योगिकियों के प्रगतिशील प्रयोग तथा बीसी एवं बीएफ जैसे कम लागत वाले वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल के जरिए वित्तीय अंतर्वेशन पर ध्यान केन्द्रित करना अपेक्षित है।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
3.	प्रायोजक बैंकों और आरआरबी के बीच संबंध को परस्पर सहयोगी संबंध में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जो दोनों बैंकों के लिए लाभकारी होगा। विभिन्न मुख्य मापदंडों के अंतर्गत आरआरबी के कार्यनिष्पादन के संबंध में प्रायोजक बैंकों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं। प्रायोजक बैंक अपने द्वारा प्रायोजित आरआरबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
4.	आरआरबी के अध्यक्ष को, जब भी वे पात्र हो, अभिभावक संस्था में अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए उचित प्राथमिकता दी जाए। वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन आकर्षक होने चाहिए जिससे अधिकारी कार्यनिष्पादन के लिए प्रोत्साहित हो	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
5.	आरआरबी के बोर्डों में अधिकतर गैर सरकारी निवेश को आरआरबी के कार्यों और नामित निदेशकों के रूप में उनके दायित्वों के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।	स्वीकृत। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे को गैर–सरकारी निदेशकों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने का परामर्श दिया गया है।
6.	प्रायोजक बैंक की भूमिका सहायक की होनी चाहिए और अधिकतर प्रबंधकीय सहायता देने, निदेशक मंडल में सदस्यों को नामित करने, निधियां उपलब्ध कराने, निवेश संबंधी मुद्दों पर विशेषज्ञ दिशा–निर्देश/सहायता देने, जब तक आरआरबी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था न की जाए तब तक प्रबंधन लेखा परीक्षा करने और आरआरबी द्वारा उनको रेफर किए गए मानव संसाधन संबंधी सभी मामलों में आरआरबी की सहायता करने तक ही सीमित होनी चाहिए।	स्वीकृत। विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आरआरबी को दिशा–निर्देश देने के लिए प्रायोजक बैंकों को निदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।
7.	एसएआरएफएईएसआई अधिनियम को आरआरबी पर भी लागू किया जा सकता है।	स्वीकृत। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।
8.	आरआरबी के अध्यक्ष, आरबीआई द्वारा गठित सशक्त समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने चाहिए।	स्वीकृति। क्षेत्रीय कार्यलय को परिपत्र जारी किया गया।
9.	समामेलन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, आरआरबी पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी सुरक्षोपायों और विनियामक मापदंडों का वही स्तर लागू हो जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है।	आरआरबी को परामर्श दिया गया है कि वे मार्च, 2008 से अपने तुलनपत्रों में अपनी पूंजी पर्याप्तता प्रकट करे। इसके आधार पर, यथा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी।
10.	आरआरबी को पृथक निवेश प्रकोष्ठ स्थापित करने, जोखिम मूल्यांकन तंत्र, प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति, आदि सहित अपनी स्वयं की आंतरिक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। जब तक वे संस्था के अंदर पर्याप्त विशेषज्ञता रखने में समर्थ नहीं होते है, वे प्रायोजक बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों और पारस्पारिक निधियों की सहायता ले सकते हैं।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह

1	2	3
11.	आरआरबी को प्रायोजक बैंक के साथ मिलकर एनआरई/एफसीएनआरबी, आदि में लेन–देन करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, आरआरबी को अपना धन किसी भी बैंक में मीयादी जमा राशियों के रूप में रखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।	स्वीकृत। आरआरबी को समुचित निदेश जारी कर दिए गए हैं।
12.	आरआरबी बैंक गारंटियां जारी करने के जरिए अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। आरआरबी, प्रायोजक बैंक के साथ मिलकर, जिले/राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और कुछ मामलों में विदेशों में भी विप्रेषण सेवाओं में प्रवेश कर सकते हैं।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
13.	हालांकि कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए 40% के उप–लक्ष्य के साथ प्राथमिकता क्षेत्र के लिए अग्रिमों का 60% निर्धारित किया जा सकता है, बैंक 40% को अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऋण के रूप में दे सकते हैं। पुनर्वित्त की सहायता से बैंक 2 वर्षों में सीडी अनुपात को बढ़ाकर 80% कर सकते हैं।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
14.	आरआरबी को, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, विपणन और खुदरा व्यापार सहित आपूर्ति श्रृंखला के लिए ऋण देने के जरिए ऋण नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में समग्र रूप से सभी भागीदारों के लिए लाभ हो।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
15.	आरआरबी सरकारी क्षेत्र के बैंकों/डीएफआई के साथ "पारस्परिक मात्रा के अनुसार" आधार पर संकाय वित्त व्यवस्था के साथ जुड़ सकते हैं।	स्वीकृत। आरआरबी को परिपत्र जारी किया गया है।
16.	बैंक व्यवसायिक अभिकरणों और प्रौद्योगिकी मंचों की सहायता से प्रौद्योगिकीय और वाणिज्यिक विस्तार सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
17.	आरआरबी को ग्रामीण बैंकिंग योग्यता बढ़ाने और स्वीकार्य बैंकिंग जोखिमों की पहचान करने, जिससे ऋण देने के निर्णय लेने में उन जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके, की आवश्यकता है।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
18.	शाखाओं के वर्गीकरण, स्टाफिंग मापदंडों और पदोन्नति नीतियों से संबंधित मामलों तथा मानव संसाधन संबंधी अन्य मामलों, आरबीआई/भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्थापित एक समिति/कार्यबल द्वारा गहन अध्ययन किया जाए।	स्वीकृत। आरआरबी के मानव संसाधन तथा स्टाफिंग संबंधी मापदंडों की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी।
	(i) जहां बैंकों ने चार स्तरों वाला ढांचा आरंभ किया है, वे प्रधान कार्यालय–नियंत्रक कार्यालय–शाखाएं वाले तीन स्तरों वाले ढांचे को दुबारा अपना सकते हैं।	(i) समिति द्वारा इसकी जांच की गई है।
	(ii) शक्तियों का प्रत्यायोजन इस प्रकार होना चाहिए कि लगभग 75% संस्वीकृतियां शाखा स्तर पर हो और 95% तक नियंत्रक कार्यालय स्तर पर।	(ii) उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
19.	मानव संसाधन प्रबंधन	भारत सरकार ने आरआरबी के मानव संसाधन तथा स्टाफिंग संबंधी मापदंडों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

1	2	3
20.	आरआरबी एक कम्पयूटरीकृत आंकड़ा प्रसंस्करण तंत्र स्थापित कर सकते हैं।	उपर्युक्त पैरा 1 की तरह
21.	आरआरबी को एक कार्य योजना अपनाने के जरिए अगले तीन वर्षों में परिचालन के मुख्य क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण, शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और प्रधान कार्यलय में एमआईएस आरंभ करने की आवश्यकता है।	स्वीकृत। आरबीआई ने आरआरबी के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक कार्यकारी समूह गठित किया है।
22.	हालांकि के.पी. अग्रवाल समिति ने 31 मार्च 2007 तक 50% शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश की थी, प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। जैसे–जैसे बैंक अधिक सुदृढ़ीकरण की राह पर आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर में एकरूपता की कमी, जिसे सुलझाया जाना है, एक और प्रमुख मसले के रूप में सामने आती है।	उपर्युक्त पैरा 21 की तरह
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरआरबी के लिए सिफारिशें।	स्वीकृत। आरबीआई की सशक्त समिति को कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

शहरों में अवसंरचना निर्माण

2207. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े शहरों में अवसंरचना निर्माण अभियान को वर्ष 1993–94 में आरंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006–07 के अंत तक इस योजना से अत्यधिक लाभान्वित होने वाले बड़े शहरों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत निधियों को जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव अभी तक लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर कर्नाटक के संबंध में, ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत शामिल पांच मेगा शहर मुंबई (महाराष्ट्र) कोलकाता (प. बंगाल) चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और बंगलौर (कर्नाटक) हैं। स्कीम को दिसंबर 20058 में जवाहरल लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में मिला दिया गया है और 1.4.07 से औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दाभोल विद्युत संयंत्र

2208. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री मोहन रावले :
श्री सुरेश वाघमारे :
क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संयंत्र के इष्टतम संचालन के लिए गैस की कोई कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लि. (आरजीपीपीएल) में विद्युत उत्पादन गैस आपूर्ति में कमी के कारण प्रभावित नहीं है।

अवसंरचना क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा-निवेश

2209. श्री मधु गौड यास्खी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निजी बीमा कंपनियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में किए गए निवेश का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा अवसंरचना विकास में कितनी राशि का निवेश किया गया; और

(ग) उक्त निवेश उक्त अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल प्रीमियम आय का कितना प्रतिशत है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी बीमा कंपनियों द्वारा आधारभूत सुविधा क्षेत्र में किए गए निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए निवेश की राशि निम्नांकित है :-

(करोड़ रुपए में)

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
6297.98	12042.86	11366.81	13850.84	17297.18

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल प्रीमियम आय में ऐसे निवेश का प्रतिशत निम्नांकित है :-

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
11.53%	18.97%	15.14%	15.26%	13.54%

विवरण

गैर सरकारी बीमा कंपनियों द्वारा आधारभूत सुविधा और सामाजिक क्षेत्र में निवेश

बीमाकर्ता का नाम	अनुवृद्धि आधार (करोड़ रुपए)			
1	2			
		जीवन बीमा कर्ता		
एचडीएफसी स्टैन्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस	37.57	127.48	27.97	18.63
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस	108.03	41.82	47.72	14.24
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस	82.28	67.07	54.46	41.02
बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस	32.42	10.23	3.31	13.29
टाटा-एआईजी लाइफ इंश्योरेंस	81.20	56.84	29.86	9.87
ओम कोटक लाइफ इंश्योरेंस	17.87	13.07	19.23	1.20
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	135.22	109.71	93.17	30.80
बजाज एलांयज लाइफ इंश्योरेंस	103.44	67.89	27.75	8.59
मेट-लाइफ इंश्योरेंस	60.78	13.82	4.23	10.64
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस	13.97	11.40	6.98	2.84
आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस	23.52	29.30	30.95	0.43
अवीवा लाइफ इंश्योरेंस	41.94	7.94	0.56	6.58
सहारा लाइफ इंश्योरेंस	1.61	4.11	18.54	5.73
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस	0.01	34.95	0.00	0.00
भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस	24.51	0.00	0.00	0.00
		साधारण बीमा कर्ता		
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस	65.57	4.90	6.16	11.42
रॉयल सुन्दरम् एलायंज	19.52	43.89	20.60	24.25

1	2			
इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस	37.97	32.26	16.96	0.98
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस	14.35	19.15	4.81	5.67
बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस	73.64	8.98	21.07	22.72
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस	264.62	56.86	31.14	18.12
स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कं.	9.84	0.00	0.00	0.00
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस	0.20	14.04	4.48	10.75
एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी	0.43	0.41	5.02	10.67

निधि में वृद्धि की गणना करने के लिए 2002 को आधार वर्ष रखा गया है। अतः चार वर्षों की सूचनाएं दी जा रही है। निम्नलिखित पांच कंपनियों की वर्ष 2007–08 में पंजीकरण किया गया है।

1. फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
2. आईडीबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
3. अपोलो डीकेवी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
4. फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.
5. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

स्थानान्तरण/पदस्थापन में बैंक अधिकारियों के साथ भेदभाव

2210. श्री लालमणि प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को जुलाई 2007 तथा आज की तिथि के दौरान बैंक अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में बैंक अधिकारियों के साथ भेदभाव बरते जाने के बारे में अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे) द्वारा एसबीबीजे द्वारा एसबीबीजे में तैनाती और स्थानान्तरण के संबंध में, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंक, स्थानान्तरण और तैनाती में प्रबंधकीय स्वायत्तता का पालन करते हैं और ये बैंकों द्वारा उनकी स्थानान्तरण नीति के अनुसार प्रशासनिक अनिवार्यता को देखते हुए किए जाते हैं।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना

2211. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य पर्वतीय राज्यों से अपने राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना के लिए जनसंख्या मानदंडों को शिथिल करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 14 लाख बस्तियों को कवर करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के माननीय उच्चतम न्यायालय के 29.04.2004 के आदेश के विहित दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ, भारत सरकार ने जनसंख्या मानकों के संबंध में दिसम्बर, 2004 में राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए, ताकि दूर–दराज/बहुत ही कम आबादी वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र एवं लघु आंगनबाड़ी की संस्वीकृति हेतु इन्हें अंगीकार किया जा सके।

(ख) प्राप्त सुझावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तत्संबंधी लिया गया निर्णय जून, 2005 में प्रस्तुत अन्तर मंत्रालयीन कार्य बल की प्रथम रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इन जनसंख्या मानकों में वर्ष 2007 में और अधिक छूट दी गई, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है–

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र

400–800 – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

800–1600 – 2 आंगनबाड़ी केन्द्र

1600–2400 – 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

तत्पश्चात् 800 के गुणांक में – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए

150–300 – 1 लघु आंगनबाड़ी केन्द्र

जनजातीय/नदी तटीय/रेगिस्तानी, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों/परियोजनाओं हेतु

300–800 – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

लघु-आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु

150–300 – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

आंगनबाड़ी केन्द्रों को संस्वीकृत करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य तथा अल्पसंख्यक बस्तियों को वरीयता दी जाती है।

विवरण

जनसंख्या मानकों के संबंध में राज्यों से प्राप्त सुझाव

क्रम सं.	राज्य	आंगनबाड़ी केन्द्र			लघु आंगनबाड़ी केन्द्र		
		ग्रामीण	जनजातीय	शहरी	ग्रामीण	जनजातीय	शहरी
1.	गोवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	कर्नाटक	300–1449	300–1449	300 से कम	300 से कम	300 से कम	300 से कम
3.	छत्तीसगढ़	500	300	700	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	सिक्किम	600	300	1000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	पश्चिम बंगाल	350	350	350	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	दमन व दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	पुदुच्चेरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	चण्डीगढ़	1000	700	1000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	मेघालय	300 और अधिक	300 और अधिक	300 और अधिक	300 से कम	300 से कम	3000 से कम
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
11.	त्रिपुरा	500	200 (ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में)	700	–	100 (पहाड़ी दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में)	

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना

2212. डा. पी.पी. कोया :

श्री हितेश बर्मन :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप में खोले जाने वाले अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.सी.)/लघु – ए.डब्ल्यू. सी. का राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले पूरक पोषण को गर्म भोजन के रूप में प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों/लघु–आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने की राज्य–वार मांग संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनबाड़ियों को भारत सरकार से संस्वीकृति मिलने के पश्चात् ही निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(ग) और (घ) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम में विहित दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गर्भवती और शिशुवती माताओं तथा छह वर्ष से कम आयु–वर्ग के बच्चों को पूरक पोषण के रूप में प्रदान किए जाने वाले खाद्य की किस्म तय करने की छूट है। यह खाद्य लाभार्थियों की श्रेणी, परियोजना के स्थल तथा प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर दूध, पूर्व–प्रसंस्करित अथवा अर्द्ध–प्रसंस्करित खाद्य अथवा उपलब्ध स्थानीय खाद्य सामग्री से उसी स्थान पर तैयार किया गया आहार हो सकता है।

विवरण

आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु–आंगनबाड़ी केन्द्रों की राज्यों की मांगों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	अपेक्षित लघु–आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5964	3157
2.	अरूणाचल प्रदेश	1751	कुछ नहीं
3.	असम	41510	2967
4.	बिहार	5440	5440
5.	छत्तीसगढ़	20772	6362
6.	दिल्ली	500	कुछ नहीं
7.	गोवा	100	कुछ नहीं
8.	गुजरात	3312	1126
9.	हरियाणा	7995	260
10.	हिमाचल प्रदेश	138	539
11.	जम्मू व कश्मीर	3094	कुछ नहीं
12.	झारखंड	3538	2551
13.	कर्नाटक	2586	2926
14.	केरल	871	129
15.	मध्य प्रदेश	9691	9820
16.	महाराष्ट्र	12608	3640
17.	मणिपुर	2337	1552
18.	मेघालय	493	कुछ नहीं
19.	मिजोरम	298	कुछ नहीं
20.	नागालैंड	261	कुछ नहीं
21.	उड़ीसा	21128	5397
22.	पंजाब	5897	1220
23.	राजस्थान	6543	3523
24.	सिक्किम	245	कुछ नहीं
25.	तमिलनाडु	2234	1772
26.	त्रिपुरा	2527	कुछ नहीं
27.	उत्तराखंड	8375	2444
28.	उत्तर प्रदेश	14604	22186
29.	पश्चिम बंगाल	25018	कुछ नहीं
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17	31
31.	चण्डीगढ़	130	कुछ नहीं
32.	दादरा व नगर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
33.	दमन व दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं
34.	लक्षद्वीप	9	11
35.	पांडिचेरी	100	कुछ नहीं
	कुल	213286	77053

अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करना

2213. श्री के. विरूपाक्षप्पा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नए समुदायों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में पर्यायों सहित कुछ समुदायों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को जून, 1999 में अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में दावों को शामिल करने, हटाने तथा अन्य संशोधनों हेतु निर्णय के लिए संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता होती है तथा इसमें समय लगता है। इस विषय में कोई विनिर्दिष्ट समय–सीमा उल्लिखिक नहीं की जा सकती।

आयकर विभाग के लिए आवासीय परिसर

2214. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। सरकार आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों का निर्माण करने की योजना बना रही है।

(ख) फिलहाल सरकार देश के 95 अलग-अलग स्थानों पर आवासीय परिसरों का निर्माण करने की योजना बना रही है। स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आयकर विभाग के लिए आवासीय परिसर : स्थान-वार ब्यौरा

क्रम. सं.	केन्द्र का नाम
1	2
1	अबोहर
2	अकोला
3	अलीगढ़
4	अल्मोड़ा
5	अमरावती
6	अनन्तपुर
7	बालाघाट
8	बालासौर
9	बांसवाड़ा
10	बारगढ़
11	बेगुसराय
12	बरहामपुर
13	भवानीपटना
14	भिवानी
15	भुवनेश्वर
16	बीजापुर
17	बिलासपुर
18	चेन्नई
19	चित्तौड़गढ़
20	डाल्टेनगंज
21	दौसा
22	दिल्ली
23	धरमनगर
24	डिब्रुगढ़
25	गोरखपुर
26	गुंटूर
27	हल्द्वानी
28	हरिद्वार
29	हेंगराबाड़ी
30	इंदौर
31	जबलपुर
32	जगदलपुर
33	जैसलमेर
34	जलगांव
35	जम्मू
36	जामनगर
37	जमशेदपुर
38	झालावाड़
39	झांसी
40	झारसुगुडा
41	जूनागढ़
42	कांचीपुरम
43	कन्नूर
44	कानपुर
45	करनाल
46	काशीपुर
47	खटीमा
48	खुर्दा
49	कोच्चि
50	कोटद्वार
51	कुडाल
52	कुकबाकोनम
53	लखनऊ
54	लुधियाना

1	2
55	मोगा
56	मुरादाबाद
57	मुम्बई
58	मुजफ्फरनगर
59	मुजफ्फरपुर
60	नागरकोइल
61	नैनीताल
62	नवसारी
63	नीम का थाना
64	पड़रौना
65	पारादीप
66	पठानकोट
67	पिथौरागढ़
68	पुरी
69	राजनाथपुरम
70	रामपुर बुशेहर
71	रायगढ़
72	आरटीआई हजारीबाग
73	रूद्रपुर
74	सागर
75	सम्बलपुर
76	सांगारेड्डी
77	सतारा
78	सवाईमाधोपुर
79	शहडोल
80	शाहजहांपुर
81	शिमला
82	सोलन
83	श्रीनगर
84	सुमेरपुर
85	टोंक
86	त्रिचूर
87	त्रिवेन्द्रम
88	तूतीकोरिन
89	उधमपुर
90	उन्नाव
91	वाराणसी
92	विशाखापत्तनम
93	वर्धा
94	यमुना नगर

केन्द्रीय भविष्य निधि

2215. श्री विक्रम केशरी देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में विशेषकर मध्यम एवं लघु उद्यम क्षेत्रों में केन्द्रीय भविष्य निधि का समुचित रख–रखाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में और इसके के.बी.के. क्षेत्र में किसी उद्योग ने केन्द्रीय भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) के रख–रखाव में चूक की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्षेत्र–वार क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के खातों का रखरखाव केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से यथा निर्धारित रूप में किया जाता है।

(ग) और (घ) उड़ीसा के कालाहांडी–बोलांगीर–कोरापुट (केबीके) क्षेत्र में शामिल 375 प्रतिष्ठानों में से 34 प्रतिष्ठानों में चूक होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रतिष्ठान द्वारा चूक होने की जानकारी प्राप्त होने पर देय अंशदान का निर्धारण करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अधीन कार्रवाई की जाती हैं देयराशि की वसूली अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाती है। इसमें बैंक खातों, चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी, आदि शामिल हैं।

भू-सीमा शुल्क केन्द्र खोला जाना

2216. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार के मधुबनी जिले में भारत–नेपाल सीमा पर भू–सीमाशुल्क केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) भू–सीमा शुल्क केन्द्र द्वारा कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। भारत–नेपाल व्यापार संधि की समीक्षा के दौरान भारत–नेपाल सीमा पर बिहार के मधुबनी जिले के लाउकहा नामक स्थान पर भू–सीमा शुल्क केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।

(ख) और (ग) इस मामले पर भारत–नेपाल व्यापार संधि की समीक्षा पर द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान कोई निर्णय लिया जा सकता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए भूमि

2217. श्री चन्द्र शेखर दूबे : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान योजना के अंतर्गत सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए सामुदायिक केन्द्र सह–वाणिज्यिक परिसर के विकास के लिए नेशनल कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एन.बी.सी.सी.) को एक भूखण्ड का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामुदायिक केन्द्र–सह–वाणिज्यिक परिसर चालू हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) पुष्प विहार, नई दिल्ली में दिनांक 13.8.2001 को एन बी सी सी को 24280.568 वर्ग मी. का भूखंड आबंटित किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एन बी सी सी ने यह सूचित किया है कि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दिल्ली नगर निगम से कहा गया है कि वह निर्णय पूरा होने से संबंधित प्रमाण पत्र दें।

रिलायंस पावर लिमिटेड के आई.पी.ओ. में निवेश

2218. डा. राजेश मिश्रा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, साधारण निगम तथा भारतीय स्टेट बैंक म्युचुअल फंडों ने जनवरी, 2008 में रिलायंस पावर लिमिटेड के आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) में काफी राशि का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिलायंस पावर लिमिटेड के आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश की सूचीबद्धता के पहले दो दिनों में इसके मूल्य में भारी गिरावट से कितनी हानि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय जीवन बीमा निगम (जीआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक म्युचुअल फंड (एसबीआईएमएफ) ने रिलायंस पावर लिमिटेड के इक्विटी शेयर के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में अभिदान किया था, उनको आबंटित शेयरों और प्रति शेयर औसत लागत का ब्यौरा निम्नांकित है:–

संस्थान	आबंटित शेयर	प्रति शेयर औसत लागत
एलआईसी	26,23,848	450/– रुपए
जीआईसी	7,47,799	450/– रुपए
एसबीआईएमएफ	6,22,723	450/– रुपए

(ग) रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर मूल्य में इसके सूचीकरण के पहले दो दिनों में, गिरावट के कारण एलआईसी, जीआईसी और एसबीआईएमएफ को कल्पित हानि हुई है, इन दो दिनांक में उपरोक्त कंपनी का कोई शेयर इनके द्वारा बेचा नहीं गया था, इन संस्थानों को कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है। एसबीआईएमएफ ने, तथापि, उसके बाद 3,78,275 शेयर 451.70 रुपए के औसत मूल्य पर बेचे थे, जो कम लाभ दर्शाता है।

उड़ीसा में आदिम जनजातियां

2219. श्री मोहन जेना : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जनजातीय समूहों को मुख्यधारा में वापस लाने एवं इनका विकास करने के संबंध में सरकार की विद्यमान नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991 और 2001 में की गई जनगणना के अनुसार उड़ीसा में रहने वाले आदिम जनजातीय समूहों की संख्या और उनकी जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जाशिपुर में मनकिर्दिया नामक एक आदिम जनजातीय समूह निवास करता है और यह समूह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्षरत है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिम जनजातीय समूहों के संरक्षण एवं समग्र विकास हेतु "आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) का विकास" नामक 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली योजना क्रियान्वित करता रहा है। यह योजना अत्यन्त लचीली है एवं इसमें गृह निर्माण, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश हेतु गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों की स्थापना, बीमा सहित आदिम जनजातीय समूहों के सामाजार्थिक विकास हेतु किसी अन्य नई गतिविधि सहित सामाजिक सुरक्षा जैसी गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं। वर्तमान योजना अवधि के दौरान व्यापक "आदिम जनजातीय समूहों हेतु संरक्षण-सह-विकास (सी.सी.डी.) योजना" की सहायता से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य बेस लाइन सर्वेक्षणों द्वारा आंकलित आवश्यकता के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निरूपित निवास विकास है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में 13 आदिम जनजातीय समूह (पी.टी.जी.) रह रहे हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा राज्य में आदिम जनजातीय समूहों की कुल आबादी 58,225 है। वर्ष 2001 की जनगणना में आदिम जनजातीय समूहवार आबादी उपलब्ध नहीं है। तथापि, उड़ीसा में वर्ष 2007 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आयोजित बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) की आबादी 78,519 है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सी.सी.डी. योजना के अनुसार, मयूर भवन जिले के जशिपुर ब्लॉक में निवास करने वाले मनिकिर्दिया आदिम जनजातीय समूहों हेतु राज्य सरकार में कुछ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, यथा-कृषि योग्य भूमि प्रदान करना, गृह निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवासीय शिक्षा, संपर्क, पेय जल व्यवस्था एवं सिंचाई सुविधा ध्यान देने योग्य हैं। मंत्रालय ने मनिकिर्दिया आदिम जनजातीय समुदायों सहित उड़ीसा के आदिम जनजातीय समूहों के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 10.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

2220. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति और इसके लाभार्थियों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय में राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 1.4.2003 से मैट्रिकोत्तर छात्रवृद्धि योजना के अंतर्गत संवितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति की दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

(ग) योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों को प्रतिबद्ध देयता, जिसे उनके स्वयं के बजटीय प्रावधानों द्वारा वहन किया जाता है, के अलावा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के बराबर है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को प्रतिबद्ध देयता के भार से मुक्त रखा गया है तथा वे इस योजना के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1084.23	107562	3606.79	132252	4403.27	147213
2	अरुणाचल प्रदेश	0	13347	0	13347	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3	असम	100	15117	1200.32	44832	2360.46	102730
4	बिहार	0	1785	0	2982		
5	छत्तीसगढ़	206.45	46752	1254.04	57803	853.71	63365
6	गोवा	12.09	557	6.04	617	70.445	675
7	गुजरात	222.43	97923	2447.59	89030	910.67	96287
8	हिमाचल प्रदेश	9.17	2810	6.61	3153	0	3930
9	जम्मू व कश्मीर	196.07	6010	508.08	4611	200	12048
10	झारखंड	200	20452	841.26	21626	461.07	15396
11	कर्नाटक	400	37468	2020.5	41976	1178	44814
12	केरल	146.14	5783	289.72	6301	311.42	7493
13	मध्य प्रदेश	899.04	55019	288.7	54073	2092.405	62217
14	महाराष्ट्र	1042.86	77923	1031.44	88908	750	99759
15	मणिपुर	538.97	31427	1794	32796	1316.45	33183
16	मेघालय	926.28	43962	1925.31	45000	550	43791
17	मिजोरम	900.99	38368	840.85	25920	1153.02	27886
18	नागालैंड	507	30309	982.5	29416	2694.79	31820
19	उड़ीसा	0	33623	100	34608	1410.34	43313
20	राजस्थान	1792.57	73297	1261.98	43682	3496.74	123186
21	सिक्किम	15.01	647	9.94	1131	9.63	1231
22	तमिलनाडु	49.05	2108	17.86	1786	75.53	2854
23	त्रिपुरा	296.19	7438	195.14	8802	348.183	10512
24	उत्तर प्रदेश	107.62	5079	56.07	4986	93.68	4900
25	उत्तराखंड	137.5	10277	85.05	12241	312.26	14536
26	पश्चिम बंगाल	345.31	20764	245.21	15804	447.92	16020
27	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.74	184	3.09	292	3.416	376
28	दमन व दीव	0	24	0	30		156
	कुल	10137.71	786015	21018.09	618005	25503.409	1009691

प्रत्याशित लाभार्थी मोटे अक्षरों में

[अनुवाद]

जल विद्युत उत्पादन

2221. श्री नन्द किशोर साव :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल विद्युत के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है जैसा कि दिनांक 4 जनवरी, 2008 के "द हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) 4 जनवरी, 2008 के हिंदुस्तान टाइम्स में "यार्न मेकर एलप्स लान्चेज पावर

सब्सिडरी" शीर्षक वाला लेख सरकार की किसी सरकारी विज्ञप्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि एक विशेष निजी कंपनी के जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में प्रवेश को उजागर करने का प्रयास मात्र है। सरकार ने जल विद्युत के विकास सहित विद्युत क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाए हैं।

पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश

2222. **श्री पी. मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निवेशक की विशिष्ट पहचान के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश के लिए कुछ प्रकटीकरण खंड शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस समय ऐसा महसूस किया गया है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 के तहत निर्धारित किए गए प्रकटन मानक पर्याप्त हैं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अपेक्षाएं

2223. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्य अवसंरचना परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम आदि के निरसन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शामिल सभी राज्य नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम आदि के निरसन सहित मिशन के तहत अभिदेशित सुधारों को करने हेतु वचनबद्ध हैं और अब तक किसी भी राज्य ने मिशन अवधि में सुधारों को पूरा करने की अनिच्छा व्यक्त नहीं की है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

2224. **श्री महावीर भगोरा** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्मित छात्रावासों तथा इससे लाभान्वित होने वाले छात्रों की राज्य-वार तथा स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित एवं जारी की गई;

(ग) क्या उक्त योजना की निगरानी के लिए कोई तंत्र विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) विगत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जनजातियों हेतु छात्रावासों की संख्या तथा इसके साथ लाभार्थियों की संख्या इन छात्रावासों के स्थान तथा स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है। जैसा कि यह एक मांग आधारित योजना है, इस योजना के तहत निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों, जिसमें पूर्व वर्ष में की गई निर्मुक्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र, राज्य के बजट में राज्य के हिस्से का प्रावधान एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों की सूची के आधार पर विस्तृत लागत आकलन शामिल है, की प्राप्ति के आधार पर अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। पूर्व वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों एवं भौतिक प्रगति रिपोर्टों के सुनिश्चयन के उपरांत ही छात्रावासों हेतु नए प्रस्तावों के लिए निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इस मंत्रालय के अधिकारी, जब दौरे पर जाते हैं, इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का भी दौरा करते हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004–05				2005–06				2006–07			
		धनराशि	हॉस्टल	लाभार्थी	स्थान	धनराशि	हॉस्टल	लाभार्थी	स्थान	धनराशि	हॉस्टल	लाभार्थी	स्थान
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	–	0	0	0	–	120.00	5	825	1. आदिकमेत, हैदराबाद 2. आदिलाबाद, आदिलाबाद 3. नरसमपेट, वारंगल 4. भद्राचलम, खम्माम 5. चिंटूर, खम्माम
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.50	बकाया	0	–	21.43	1	40	पंगिन, सियांग	180.07	6	40	1. नमसिंह, मेबो 2. सेराम, मेबो 3. बोरगुली, मेबो 4. कॉगकुल हेमलेट, सेराम मेबो 5. बाना, ईस्ट कामेंग (लड़कों का छात्रावास) 6. बाना, ईस्ट कामेंग (लड़कियों के लिए छात्रावास)
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	–	0	0	0	–	165.00	21	503	1. लानजोदा, फर्सगांव, बस्तर 2. बाया, कसदाओल, रायपुर 3. रेनगाखर, बोदाला, कावर्धा 4. धित्फी, बोदला, कावर्धा 5. बोदला, बोदला, कावर्धा 6. कोयालीखेबेरा, कांकेर 7. गरियाबंद, रायपुर 8. दुर्ग, दुर्ग 9. बांसकोट, बदेराजपुर, बस्तर 10. विश्रामपुरी, बदेराजपुर, बस्तर 11. कावर्धा, कावर्धा 12. बोदला, कावर्धा 13. कोयालीबेड़ा, कोयालीबेड़ा 14. लखनपुर, सरगुजा 15. कटघोरा, कोरबा 16. पंखाजार, कांकेर

1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
													17. काप्सी, कोयालीबेड़ा, कांकेर
													18. हर्दीबाजार, पाली, कोरबा
													19. पाली, कोरबा
													20. तिलकेजा, पाली, कोरबा
													21. दुर्ग, दुर्ग
4.	गुजरात	67.60	बकाया	0	–	0	0	0	–	0	0	0	–
5.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	–	108.18	बकाया	0	–	82.39	3	192	1. रांगरिक, लाहौल–स्पीति
													2. पालमपुर, कांगड़ा
													3. ताबो, लाहौल–स्पीति
6.	झारखंड	98.86	18	900	1. बियासी, रांची	0	0	0	–	250.16	7	600	1. तोपा, रांची
					2. धागरा, गुमला								2. ढिबरीकोल, साहेबगंज
					3. विरबांकी, अर्की, रांची								3. पाथेल, कोड्डा
					4. खर्सवान, सारीकेला खर्सवान								4. कार्रा, रांची
					5. उपरमुरगथली, दुमका								5. कीजी, तमार, रांची
					6. इचागढ़, सराकेली खर्सवान								6. सामतोली, सिमदेगा
					7. चांदवास, साहेबगंज								7. तातीसिलवे, रांची
					8. लोहरदगा								
					9. पश्चिम सिंहभूम								
					10. बेरहेट, साहेबगंज								
					11. बुंडु, रांची								
					12. गरु, लातेहर								
					13. काथीकुंड, दुमका								
					14. लोहरदगा								
					15. सिमदेगा								
					16. विजयगिरी, रांची								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17. सराइकेला						
				18. जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहभूम						
7.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0 –	0	0	0 –	204.99	2	200 1. अनंतनाग, अनंतनाग
										2. श्रीनगर, श्रीनगर
8.	कर्नाटक	120.00	बकाया	0 –	86.00	5	250 1. केस्तुर, तुमकुर	170.79	4	200 1. बिलाकुप्पे, मैसूर
							2. कुंदुगोला, धारवाड़			2. बेगली, हुनासिनाहल्ली, कोलार
							3. हगारी बोम्मनहल्ली, बेल्लारी			3. रोना, गदाग
							4. मोल्कालमुर, चित्रदुर्ग			4. जावागौंडानहल्ली, छत्रदुर्गा
							5. चित्थागौंडा, बेल्लारी			
9.	मध्य प्रदेश	300.00	बकाया	0 –	724.00	बकाया	0 –	305.00	20	1000 1. कंजवानी, झाबुआ
										2. दाब्डी, झाबुआ
										3. बुदवा, शहडोल
										4. रामनगर, मांडला
										5. बादी, रायसेन
										6. पिपोडा, रतलाम
										7. बगदारा, सिद्धी
										8. पारेथा, बुरहानपुर
										9. लच्छुआ, छिंदवाड़ा
										10. ज्वालामुखी, उमरिया
										11. कोठालकुंड, बेतुल
										12. रत्नपुर, बेतुल
										13. कोठालकुंड, बेतुल
										14. बेलगोने, बालाघाट
										15. बागोद खरगांव
										16. झिरनिया, खारगोन
										18. दीमारखेड़ा, कटनी
										19. नानपुर, झाबुआ
										20. सौंसार, छिंदवाड़ा

1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
10.	महाराष्ट्र	242.04	11	875	1. गोंदिया, चंद्रपुर 2. राजपुरा I, चंद्रपुर 3. राजपुरा II, चंद्रपुर 4. खांडवारा, नंदुरबार 5. नवापुर, नंदुरबार 6. गोंदिया 7. तालासरी, थाणे 8. चिखाल्दा, अमरावती 9. अल्लापल्ली, गदचिरोली 10. शाहपुर, थाणे 11. रघुर, अहमदनगर	194.46	बकाया	0	–	0	0	0	–	
11.	मणिपुर	0	0	0	–	142.70	6	270	1. आदिमजाति कान्पलैक्स, इम्फाल 2. ओल्ड लम्बुलेन, इम्फाल 3. कांचीपुर, इम्फाल 4. तामेल, तामेंगलोंग 5. खोपुम, तामेंगलोंग 6. ब्लू अकादमी, चुराचंद्रपुर	123.51	3	243	1. 2. 3.	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर इम्फसल (लड़कों के छात्रावास) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर इम्फाल (लड़कियों के छात्रावास) लामबंग, चंदेल
12.	मेघालय	0	0	0	–	0	0	0	–	200.00	2	200	1. 2.	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग (लड़कों के छात्रावास) नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग (लड़कियों के छात्रावास)

1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
13.	नागालैंड	151.00	2	200	1. लड़कों के छात्रावास, कोहिमा	116.52	2	200	1. लड़कों के छात्रावास पारेन	221.09	2	200	1. नागालैंड विश्वविद्यालय, एसएएसआरडी कैम्पस, मेदजीफेमा (लड़कों के छात्रावास)
					2. लड़कियों के छात्रावास, कोहिमा				2 लड़कियों के छात्रावास पारेन				2. नागालैंड विश्वविद्यालय, एसएएसआरडी कैम्पस, मेदजीफेमा (लड़कियों के छात्रावास)
14.	उड़ीसा	0	0	0	–	0	0	0	–	56.50	21	840	1. बघदा, मयूरभंज
													2. सुलियापाड़ा, मयूरभंज
													3. जम्बादी, मयूरभंज
													4. सिंगदा, मयूरभंज
													5. मझियानितोफा, मयूरभंज
													6. महाबिला, मयूरभंज
													7. कुलादोहानी, मयूरभंज
													8. उकागादिया, मयूरभंज
													9. कुजीदिही, मयूरभंज
													10. अंलाकुडा, मयूरभंज
													11. कुसुमासोले, मयूरभंज
													12. देउली, मयूरभंज
													13. बंदमुखाबानी, मयूरभंज
													14. झिंकिरिया, मयूरभंज
													15. मयूरभंज, मयूरभंज
													16. गादीगन, मयूरभंज
													17. खुरुनिटा, मयूरभंज
													18. चिकितामतिया, मयूरभंज
													19. मनिदा, मयूरभंज
													20. कुंदाबाई, मयूरभंज
													21. मनंदा, मयूरभंज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	राजस्थान	0	0	0 –	0	0	0 –	190.50	17	575 1. बालोतारा, बाडमेर 2. शक्करगढ़, भीलवाड़ा 3. मंगरोल, बनारा 4. सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर 5. मिंडर, उदयपुर 6. सिकराय, दौसा 7. नादोल, पाली 8. झल्लारा, उदयपुर 9. तौदामिल, करौली 10. मंडारायल, करौली 11. रानीवड़ा, जलौर 12. मलार, जोधपुर 13. मुंडावर, अलवर 14. समरानिया, बानरा 15. जयपुर, जयपुर 16. उदयपुर, उदयपुर 17. कोटा, कोटा
16.	प. बंगाल	0	0	0 –	6.71	1	60 1. संतुरी, पुरुलिया	0	0	0 –
17.	आईआईटी देहली	234.88	बकाया	0 –	64.21	बकाया	0 –	440.91	बकाया	0 –
18.	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	65.12	2	90 1. पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ (लड़कों के छात्रावास) 2. पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ (लड़कियों के छात्रावास)	100.79	बकाया	0 –	0	0	0 –
19.	दिल्ली विश्व वि.	0	0	0 –	0	0	0 –	100.00	1	200 1. दिल्ली विश्वविद्यालय
		1300.00	33	2065 –	1565.00	15	820 –	2810.91	114	6178 –

टिप्पणी : बकाया से तात्पर्य यह है कि यह राशि गत वर्षों में स्वीकृत छात्रावासों से संबंधित है। वर्ष विशेष में कोई नया छात्रवास स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, उस वर्ष छात्रावास का स्थान निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

2225. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का वर्ष 2007 तक राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित एवं हासिल किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार योजना को लागू करने में असफल रहे जिलों से इस योजना को बन्द करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय है और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। वर्ष 1999 में, 27 राज्यों के 67 जिलों में प्रायोगिक आधार पर विकेन्द्रित, समुदाय-प्रबंधित तथा मांग आधारित क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के रूप में पेयजल क्षेत्र में क्षेत्र सुधार कार्य आरंभ किए गए। वर्ष 2002 में स्वजलधारा के रूप में सुधारों में बढ़ोत्तरी की गई और इन जिलों में क्षेत्र सुधार परियोजनाओं को स्वजलधारा कार्यक्रम में मिला दिया गया। चूंकि यह एक मांग-आधारित समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम था, अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। जनवरी, 2006 में आयोजित राज्य मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, 2007-08 से स्वजलधारा नीतियों के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं पर उपयोग की जाने वाली निधियों की मात्रा तथा इसके लिए सामुदायिक भागीदारी की मात्रा राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी कंपनियों द्वारा आईपीओ को रद्द किया जाना

2226. श्री विजय कृष्ण : क्या कार्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी निजी कंपनियों ने अपने प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बन्द होने की तिथि से पूर्व रद्द कर दिए थे;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान अपने आईपीओ रद्द करने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) इन तीन कंपनियों द्वारा विगत तीन माह के दौरान वापस लिए गए आईपीओज का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम	मूल कीमत समूह के अनुसार निर्गम का आकार (करोड़ रुपए में)	खुलने की अवधि	निर्गम की वापसी की तारीख	मर्चेंट बैंकर द्वारा वापसी के यथाइंगित कारण
वोकहाइर्ट होस्पीट्ल्स लि.	702-778	31.01.2008 से 07.02.2008	07.02.08	न्यूनतम अंशदान प्राप्त नहीं हुआ
एंमार एमजीएफ लैंड लि.	7161-8100	01.02.2008 से 11.02.2008	08.02.08	प्रतिकूल मार्केट सेंटिमेंट्स
एसवीईसी कन्सस्ट्रक्शन्स लि.	34-38	04.02.2008 से 13.02.2008	12.02.08	निवेशकों के कमजोर सेंटिमेंट्स तथा कमजोर बाजार

(ग) बाजार की सुरक्षा, पारदर्शिता और कार्यक्षमता में सुधार करते समय डीप और लिक्विड मार्केट विकसित करने तथा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में किए गए प्रमुख सुधारों में सम्मिलित हैं:- स्क्रीन आधारित व्यापार करने की प्रणाली, प्रतिभूतियों का डिमैटेरियलाइजेशन, विनियमों का कारपोरेटाइजेशन और डिम्युचूअलाइजेशन, कारपोरेशन

क्लीअरिंग के माध्यम से निपटान, अमौलिक उत्पादों का व्यापार करना, आदि। अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट, फास्ट ट्रैक इश्यूएनसेज, आईपीओ से संबंधित धन वापसी में इलेक्ट्रानिक प्रणाली का प्रयोग, खुदरा निवेशकों हेतु रखी गई कीमत में छूट आदि सहित पब्लिक इश्यू के संबंध में सेबी द्वारा हाल ही में उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय संग्रहालय

2227. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में "जनजातीय संग्रहालय" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन स्थानों को चिन्हित किया गया है;

(ग) इन संग्रहालयों के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को "जनजातीय संग्रहालय" स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया) : (क) से (ग) जनजातीय संग्रहालय के परिरक्षण, प्रर्दशन एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति के विषय में आगन्तुकों को शिक्षित करने सहित कई प्रकार की गतिविधियों हेतु विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अब तक स्थापित 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मंत्रालय ने "अनुसंधान एवं प्रशिक्षण : जनजातीय अनुसंधानों को सहायता अनुदान" नामक अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत निधियां दी हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवास

2228. श्री के.सी. पलानी स्वामी : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवासों का निर्माण करने हेतु रियल एस्टेट डेवलपरों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक लागू हो जाने संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) भूमि राज्य का विषय होने के नाते, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवासों का निर्माण करने के लिए स्थावर संपदा विकास को प्रोत्साहन देने का मामला राज्य सरकारों और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2007 (एनयूएचएचपी) जिसे दिनांक 7.12.2007 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था, में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्गों (एलआईजी) के परिवारों का अधिक आवास मुहैया करने के संबंध में नवीन स्थानिक प्रोत्साहनों जैसे फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर) में छूट देने का उल्लेख है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप प्राप्ति योग्य फर्शी क्षेत्र अनुपात की पुनरीक्षा के जरिए दुर्लभ शहरी भूमि के अधिक कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी है।

शहरी विकास योजनाओं का अन्तरण

2229. श्री अमिताभ नन्दी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ केन्द्रीय क्षेत्र की शहरी विकास योजनाओं को राज्यों को अन्तरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थानान्तरित कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लम्बित प्रस्ताव

2230. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री प्रतीक पी. पाटील :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित सौंपे गए उन प्रस्तावों तथा विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आज की तिथि के अनुसार स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों के रिलीज के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन परियोजनाओं की परियोजना अनुमोदन/स्वीकृति समितियों द्वारा कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है। अधूरे प्रस्तावों को अपेक्षित जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया जाता है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की शुरूआत से अब तक इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से विशेष परियोजनाओं के कुल 53 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है, 29 प्रस्तावों को विभिन्न कारणों से राज्य सरकार अथवा प्रायोजक एजेंसियों के पास वापस भेज दिया गया है तथा 11 परियोजना प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा अनुमोदन/मंजूरी एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह निर्धारित दिशा–निर्देशों, आर्थिक व्यवहार्यता तथा बीपीएल पर ध्यान केन्द्रित करने जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

कोपिली जल विद्युत परियोजना

2231. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनसी पहाड़ियों में उमरांगसो में 275 मेगावाट वाली जल विद्युत परियोजना पर उग्रवादियों द्वारा निरंतर धमकी तथा बारम्बार हमलों की आशंका बनी रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र में इष्टतम प्रचालन तथा विद्युत उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) असम के नॉर्थ कछार हिल्स जिले में स्थित कोपिली जल विद्युत परियोजना चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई है और इसमें तीन विद्युत केंद्र, नामशः 4x50 मेगावाट (कोपिली–I), 2x25 मेगावाट (खांडोंग) तथा 1x25 मेगावाट के (कोपिली–II) शामिल है। ये तीन विद्युत केंद्र तथा विभिन्न संस्थापनाएं उमरांगसों स्थित परियोजना मुख्यालय से 15–25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह परियोजना सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है क्योंकि इस क्षेत्र में विभिन्न उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। नॉर्थ–इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना प्रबंधन को विभिन्न उग्रवादी समूहों से निरंतर मांग और धमकियां मिल रही हैं।

(ख) 11.2.2008 को नीपको के शिफ्ट ड्यूटी कार्मिकों पर उग्रवादी हमले के बाद विद्युत केंद्र का उत्पादन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था। 200 मेगावाट के कोपिली–I विद्युत केंद्र को 12.2.2008 से 21.2.2008 तक बंद रखना पड़ा, जबकि 50 मेगावाट के खांडोंग विद्युत केंद्र 12.2.2008 से 15.2.2008 तक तथा 25 मेगावाट का कोपिली चरण–II 12.2.2008 से 16.2.2008 तक 11.2.2008 को हुए उग्रवादी हमले के कारण बंद रहा। इस अवधि के दौरान इन विद्युत केंद्रों से 20 मिलियन यूनिट की उत्पादन क्षति हुई।

असम सरकार द्वारा कर्मचारियों तथा संस्थापना को असम पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाने के पश्चात् पर इन विद्युत केंद्रों से विद्युत उत्पादन पुनः आरम्भ हुआ। नॉर्थ ईस्ट रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनईआरएलडीसी) द्वारा दिए गए सामान्य कार्यक्रम के अनुसार ये यूनिटें कार्यशील हैं।

(ग) उग्रवादी समूहों द्वारा नीपको के कर्मचारियों को बार–बार धमकी दिए जाने का मामला असम सरकार के साथ उठाया गया है। सूचित किया गया है कि असम पुलिस की एक प्लैटून आरंभिक रूप से कोपिली विद्युत केंद्र में तैनात की गई है जो विद्युत संयंत्र में तैनात शिफ्ट ड्यूटी कार्मिकों के साथ चलती है। तत्पश्चात् खांडोंग एवं उमरांगसों में असम पुलिस बटालियन की दो प्लैटूनों की तैनाती करके सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया। इसके अलावा, उमरांगसों में बीएसएफ तथा असम राइफल्स की एक–एक कंपनी भी तैनात की गई है ताकि नीपको के कर्मचारियों तथा संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य बीमा

2232. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य बीमा की शर्तों से किसी छूट की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीमा कंपनियां, "फाइल करें तथा उपयोग करें" दिशानिर्देशों के अंतर्गत, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के अनुमोदन से मांग कारकों तथा वित्तीय लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा सेवाओं को शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, भारत सरकार, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की कुछ निश्चित श्रेणियों के प्रीमियम के लिए सब्सिडी देती है:–

(i) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

(ii) हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक कल्याण योजना,

(iii) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा

(iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, आईआरडीए के माइक्रो बीमा विनियम भी कम लागत की बीमा योजनाओं की उपलब्धता को प्रोत्साहित करते हैं।

[अनुवाद]

मेट्रो रेल में चोरी तथा जेब काटे जाने की घटनाएं

2233. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीएमआरसी की हाल ही में विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ती हुई चोरी तथा जेब काटने की बढ़ती हुई घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सामने आई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीएमआरसी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कापार्ट के अधीन कार्य

2234. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट) द्वारा राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं;

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्या–क्या कार्य शुरू किए गए;

(ग) क्या इस कार्य में कोई गैर–सरकारी संगठन लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन परियोजनाओं में लगे गैर–सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों पर निगरानी रखने के लिए कोई उचित तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 1701 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रारंभ किए गए मुख्य कार्यों में जल भण्डारण टैंकों की खुदाई/नवीयन, फेरो–सीमेंट प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वर्षा जल संभरण टैंकों के निर्माण, कुओं/बोर–वेल के निर्माण, कृषि भूमि के समतलीकरण तथा सुधार, वन रोपण, मजदूरी/स्व रोजगार के लिए कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्मि कम्पोस्ट पिटों के निर्माण, चेक डैमों के निर्माण, सामान्य जागरूकता कैम्पों के आयोजन, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, ग्रामश्री मेलों के आयोजन आदि शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) गैर सरकारी संगठनों के कार्यों की कापार्ट के सांस्थानिक निगरानीकर्ताओं द्वारा तीन चरणों में निगरानी की जाती है – परियोजना की मंजूरी से पहले वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन, निधियों की

पहली/बाद की किश्तों की रिलीज के पश्चात् मध्यवर्ती मूल्यांकन तथा गैर सरकारी संगठनों से पूर्ति रिपोर्ट तथा संगत दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् पूर्ति–पश्चात निगरानी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

(2004–2005, 2005–2006 तथा 2006–2007)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	218
2	असम	38
3	अरूणाचल प्रदेश	2
4	बिहार	48
5	छत्तीसगढ़	21
6	चंडीगढ़	4
7	दादरा व नगर हवेली	1
8	दमन व दीव	2
9	दिल्ली	12
10	गुजरात	80
11	हरियाणा	89
12	हिमाचल प्रदेश	52
13	जम्मू एवं कश्मीर	35
14	झारखंड	38
15	कर्नाटक	201
16	केरल	108
17	मध्य प्रदेश	58
18	महाराष्ट्र	87
19	मणिपुर	63
20	मेघालय	1
21	मिजोरम	6
22	नागालैंड	18
23	उड़ीसा	118
24	पंजाब	16
25	राजस्थान	98
26	सिक्किम	4
27	तमिलनाडु	70
28	त्रिपुरा	12
29	उत्तर प्रदेश	93
30	उत्तरांचल	33
31	प. बंगाल	74
32	गोवा	0
33	पांडिचेरी	1
	कुल	1701

बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी

2235. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व–बैंक (आरबीआई) ने बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए एक परामर्शदाता समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस परामर्शदाता समूह से सुझाव प्राप्त हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-जापान मुद्रा आदान-प्रदान सुविधा

2236. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–जापान मुद्रा आदान–प्रदान समझौते को केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय करार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है जिसके तहत दोनों देशों में से कोई भी देश अस्थायी भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित घरेलू मुद्रा के लिए अधिकतम 3 बिलियन अमरीकी डालर का विनिमय कर सकता है, जिसकी आरंभिक अवधि 90 दिन की है और डालर में प्राप्त राशि पर विनिर्दिष्ट ब्याज दर संदेय होगी और इसके बाद नवीकरणों के माध्यम से इसकी अवधि अधिक से अधिक 630 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

कस्टम्स शॉप में हथियार तथा गोला बारूद

2237. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कस्टम्स शॉप में हथियार तथा गोला बारूद के वर्तमान भण्डार का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमा–शुल्क विभाग से हथियार खरीदने के लिए पात्र व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हथियारों का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) क्या स्वरक्षा के लिए हथियारों की खरीद हेतु तथा उनके मूल्य में सांसदों तथा वी.आई.पी. लोगों को कुछ रियायत दी जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) केवल वर्तमान संसद सदस्य ही सीमाशुल्क विभाग से जब्त किए गए गैर–निषिद्ध बोर हथियार खरीद सकते हैं।

(ग) हथियारों और गोला बारूद का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(घ) स्वरक्षा के लिए हथियारों की खरीद हेतु संसद सदस्यों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को मूल्य में कोई रियायत नहीं दी जाती है।

विवरण

दिनांक 10.03.2008 की स्थिति के अनुसार अग्नि अस्त्रों की भंडार स्थिति

क्रम सं.	हथियारों का बोर/आकार	पिस्तौल	रिवाल्वर्स	बंदूक/ राइफलें
1.	.12"	–	–	3
2.	.22"	19	29	13
3.	.25"	12	–	–
4.	.30.06"	–	–	3
5.	.32"/7.65 मि.मी.	2	16	–
6.	.380"	22	–	–
	कुल	55	45	19

दिनांक 10.03.2008 की स्थिति के अनुसार गोला बारूद की भंडार स्थिति

(अंकों में)

क्रम सं.	हथियारों का बोर/आकार	पिस्तौल	रिवाल्वर्स	बंदूक/ राइफलें
1.	.12"	–	–	2380
2.	.22"	4725	–	–
3.	.25"	5000	–	–
4.	.32"/7.65 मि.मी.	714	2400	–
	कुल	10439	2400	2380

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक विवरण

2238. श्री रमेश दूबे : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार काफी कंपनियों ने अपना वार्षिक विवरण दायर नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में इस अधिनियम का कठोरता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों की गैर–अनुपालना के मामलों में जहां तक सांविधिक वार्षिक विवरणियां दायर करने का संबंध है, मंत्रालय ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं जिसमें ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ ऐसे विवरणियां ऑन लाईन दायर करने की सुविधा प्रदान करना, बंद/निष्क्रीय/गैर–अनुपालनकर्ता कंपनियों के नाम रजिस्टरी से हटाना, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जहां आवश्यक हो, कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा अभियोजन दायर करना शामिल है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, विगत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणियां दायर करने की अनुपालना दर में सुधार हुआ है।

विवरण

तालिका संख्या 1 : कार्यरत कंपनियां

इस तारीख तक कार्यरत कंपनियां	कंपनियों की संख्या
31.03.2005	6,79,649 कंपनियां जिनमें वर्ष 2004–05 के दौरान 40,059 कंपनियां सम्मिलित की गई जिनके द्वारा वार्षिक विवरणियां दायर करना बकाया नहीं था।
31.03.2006	7,32,169 कंपनियां जिनमें वर्ष 2005–06 के दौरान 54,020 कंपनियां सम्मिलित की गई जिनके द्वारा वार्षिक विवरणियां दायर करना बकाया नहीं था।
31.03.2007	7,43,628 कंपनियां जिनमें वर्ष 2006–07 के दौरान 51,708 कंपनियां सम्मिलित की गई जिनके द्वारा वार्षिक विवरणियां दायर करना बकाया नहीं था।

तालिका संख्या 2 : कार्यरत कंपनियों द्वारा दायर की गई वार्षिक विवरणियां

वित्तीय वर्ष	दायर की गई वार्षिक विवरणियों की संख्या
2005–06	1,90,252
2006–07	2,94,340
2007–08 (दिनांक 01.04.2007 से 29.02.2008 तक)	3,22,943

तालिका संख्या 3 : रजिस्ट्री से कंपनियों के नाम हटाने पर की गई कार्रवाई

योजना/स्व–विवेक से की गई कार्रवाई	कंपनियों की संख्या
सरलीकृत निकास योजना 2003 के तहत	29,289
सरलीकृत निकास योजना 2005 के तहत	24,884
अधिनियम की धारा 560 के तहत रजिस्ट्रारों द्वारा स्व–विवेक से की गई कार्रवाई	54,883
रजिस्ट्री से हटाएं गए कुल कंपनियों की संख्या	1,09,056
उन कंपनियों की संख्या जिनमें धारा 560 के तहत कार्रवाई चल रही है	69,017

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का लोकतांत्रिकरण

2239. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संगठनों ने 60 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की सक्रिय भूमिका के जरिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का लोकतांत्रिकरण करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा भारतीय कार्पोरेट्स इस मिशन के कार्यकरण में शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि इस मिशन का कार्यकरण पारदर्शी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) शहरी विकास योजना (सीडीपी) में नागरिक भागीदारी की

व्यवस्था की गई है। राज्यों और शहरों द्वारा करार ज्ञापन में वचनबद्ध सुधारों में नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

(ग) एशियाई विकास बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन निदेशालय को मिशन से सम्बद्ध तकनीकी प्रकोष्ठ को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) राज्यों और शहरों द्वारा वचनबद्ध सुधारों में से एक सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन है। जेएनएनयूआरएम में सक्रिय नागरिक भागीदारी की भी व्यवस्था है। तकनीकी परामर्शी समूह (टीएजी) और सामुदायिक भागीदारी कोष (सीपीएफ) का संयोजन करना इस दिशा में उठाए जाने वाला कदम है।

कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना पैकेज

2240. श्री हितेन बर्मन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियां कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना पैकेज के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं का पूरा नहीं कर रहे हैं तथा वित्तीय संस्थाओं का उन पर लगभग 8000 करोड़ रुपए बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) प्रकोष्ठ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार 81,806 करोड़ रुपए के कुल ऋण वाले 162 मामलों में सीडीआर अनुमोदित कर दिया गया है। इनमें से केवल 29 मामलों, जिनमें 3,393 करोड़ रुपए का कुल ऋण अन्तर्ग्रस्त है, ने पुनर्व्यवस्थापन कार्यान्वित करने में कठिनाई का सामना किया था जिसके कारण अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं कर सके।

पुनर्व्यवस्थापन पैकेजों के असफल होने के कारण सीडीआर पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत दी गई राहत एवं रियायतों को वापिस ले लिया जाता है तथा संबंधित ऋणदाता अपनी ऋण प्रसंविदा के अंतर्गत अन्य वसूली उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

2241. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका परियोजना हेतु नई दिल्ली के पालम गांव में अधिग्रहीत की गई भूमि का खसरा संख्या–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीडीए ने अधिग्रहीत की गई भूमि का कब्जा ले लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिग्रहीत की गई उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण है; और

(ङ) यदि हां, तो अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दिए गए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को पालम गांव में द्वारका परियोजना के लिए अधिग्रहित 4693 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 3906 बीघा भूमि का कब्जा सौंपा गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को 787 बीघा 9 बिस्वा भूमि का कब्जा स्थल पर निर्मित संरचनाएं होने के कारण सौंपा नहीं जा सका।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि उसके द्वारा ली गई करीब 30 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा है और 24 बीघा भूमि पर कोर्ट से स्थगन आदेश मिला हुआ है। शेष 6 बीघा भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। डीडीए ने यह भी बताया है कि जो भूमि कोर्ट के स्थगन आदेश से बाहर है उस पर बने निर्माण को गिराने की कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका परियोजना के लिए पालम गांव नई दिल्ली में अधिग्रहित भूमि के खसरा संख्या–वार ब्यौरे

खसरा संख्या	क्षेत्र बीघा–बिस्वा
1	2
1//25	4–04
2//2	4–01

1	2
6	3–06
7/1	1–04
8/2	3–12
8/1	1–04
9	4–17
11	3–00
12/1	2–10
12/2	0–10
13	4–09
14	4–16
15	4–16
16 मिन.	1–13
16 मिन.	0–02
17/1	2–01
17/2/2	2–00
18	3–16
19	4–16
20	4–11
21	4–16
22	4–16
23	4–16
24/2	3–04
25/2	1–07
3//11 मिन.	2–01
12 मिन.	3–07
16	3–06
17	4–18
3//18	6–14
19	5–18
20/2	3–05
21	3–08

1	2
22/1	0–16
22/2	1–19
23/1	2–02
23/2	2–08
24/2	1–19
25/2	3–04
4//21	5–19
22	4–18
23	4–19
5//1	3–12
2	2–10
3	3–8
4	3–04
5/5	4–09
8	6–08
9	4–16
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–16
18	4–16
19	4–16
20	4–16
21	4–16
22	4–16
5//23	4–16
6//1	4–16
2/1	1–4
2/2	3–12
3	4–16
4	4–16

1	2
5	4–12
6	4–16
7	4–16
8	4–16
9/1	1–04
9/2	3–12
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–16
14	4–16
15	4–16
16	4–15
17	4–16
18	4–16
19	4–16
20	4–16
21/1	1–03
21/2	3–13
22/1	2–08
22/2	2–08
6//23/1	2–07
23/2	2–09
24	4–16
25	4–16
7//1	4–16
2	4–16
3/1	2–8
3/2/2	1–15
4/1/2	0–8
4/2	0–11

1	2
5/2	4–8
6/2	1–13
7/1/2	2–12
7/2	1–04
7/1/1	0–13
8/2	1–03
9/2	4–16
10	4–16
11	4–16
12/2	1–19
13/1	1–19
13/2	0–14
14/1	3–12
14/2	1–4
15	4–16
16/1	4–5
16/2	1–19
17	4–16
18/1	1–04
18/2	3–12
20/2	3–02
21/2	1–00
22/2	4–10
23	4–16
24	4–16
25/1	2–08
25/2	2–08
8//5	4–16
6	4–16
7	4–17
13	2–07

1	2
14	4–07
15	4–16
16	4–16
17	4–07
18	6–07
21	3–02
22 मिन.	4–14
8//23 मिन. मिन.	3–05
24 मिन.	3–13
25 मिन.	3–05
9//5 मिन.	1–04
6 मिन.	3–18
7 मिन.	2–10
8 मिन.	0–19
9//12 मिन.	3–2
13	4–16
14/1	2–08
14/2	2–08
15	4–16
16	4–16
17/1	3–12
17/2	1–4
18	4–16
19	4–16
20	4–17
22	6–10
23/1	2–07
23/2	2–07
24/1	3–07
24/2	1–05
25	4–16

1	2
10//2	2–07
5/1	1–18
5/2	1–08
11//1/1	2–17
1/2	2–16
2	4–16
3	4–16
4	4–07
5 मिन.	0–06
5 मिन.	0–10
6	6–08
7	4–12
11//8	3–12
9	2–02
12//1 मिन.	1–00
2 मिन.	1–02
3 मिन.	1–08
4/2/2	0–15
4/3/2	0–18
5/2	1–03
5/3/2	1–03
6/1	2–08
6/2	2–08
7/1	2–03
7/2	2–03
8/1	1–04
8/2	3–12
9/1	4–06
9/2	0–10
10/1	2–08
10/2	2–08

1	2
11/1	1–03
11/2	2–10
11/3	1–03
12	4–16
13	4–16
14/1	1–02
14/2	1–2
14/3	2–3
12//15/1	1–03
15/2	2–08
15/3	1–03
16	4–16
17	4–7
18/1	3–07
18/2	2–14
19/1	5–04
19/2	3–04
20/1	1–02
20/2	2–10
21/1	1–02
21/2	2–10
21/3	0–16
22	3–00
23	3–12
24/1	1–02
24/2	3–05
25	4–16
13//1	4–16
2	4–16
3	4–16
4	4–16

1	2
5	4–16
6/1	3–12
6/2	1–04
7	4–16
8	4–16
9	4–16
10	4–16
13//11	4–16
12	4–16
13	4–16
14	4–16
15/1	1–03
15/2	3–13
16	4–16
17	4–16
18	4–16
19/1	2–08
19/2	2–08
20	4–16
21	4–16
22	4–16
23	4–16
24	4–16
25	4–16
14//1/1	3–12
1/2	1–04
2/1	3–12
2/2	1–04
3	4–16
4	4–16
5/1	3–16
5/2	1–00

1	2
6/1	2–08
6/2	2–08
7/1	3–12
14//7/2	1–04
8	4–16
9	4–16
10	4–16
11	2–12
12	3–07
13	5–00
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17	4–02
18	1–06
15//2	3–05
3/1	2–08
3/2	3–02
4	6–04
5	5–16
16//1/1	1–07
1/2	1–05
1/3	2–04
2/1	2–08
2/2	2–08
3/1	2–08
3/2	2–08
4/1	2–08
4/2	2–08
5	4–16
6	4–16

1	2
7	4–16
16//8	4–16
9/1	2–08
9/2	2–08
10	4–16
11	4–13
12/1	4–12
12/2	0–07
13	4–16
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17	4–16
18/1	2–08
18/2	2–08
19	4–16
20	4–16
21	4–07
22/1	2–08
22/2	2–08
23/1	2–08
23/2	2–08
24	4–16
25	4–16
17//1	4–16
2/1	3–07
2/2	0–12
2/3	0–17
3/1	1–05
3/2	3–11
4	4–16

1	2
5	4–16
6	4–16
7	4–16
8	4–16
9	4–16
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–16
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17/1	2–08
17/2	2–08
18	4–16
19	4–16
20	4–16
21	4–16
22	4–16
7//23	4–16
24	4–16
25	4–16
18//1	4–16
2	4–16
3	4–16
8	4–16
9/1	3–12
9/2	1–04
10/1	2–08
10/2	2–08
11/1	2–08
11/2	2–08
12	4–16
13	4–16
18	4–16
19/1	0–14
19/2	4–02
20/1	2–08
20/2	2–08
21	4–16
22/1	1–19
22/2	2–17
23	4–16
19//1	4–16
2/1	3–12
2/2	1–4
3/1	4–11
3/2	0–10
8	4–11
9/1	3–12
9/2	1–04
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–16
18	4–16
19	4–16
20/1	4–09
20/2	0–07
21	4–16
22	4–16
23/1	2–08

1	2
23/2	2–08
20//1/1	3–00
1/2	2–17
2	6–09
3	6–02
24//1	4–18
24//7	3–17
8	6–01
9	5–15
15	3–17
25/73	4–08
4	4–16
5	4–16
6	4–17
7	4–16
8	4–16
9	6–06
10	2–06
11	2–08
12	4–16
13	5–19
14	3–18
15	4–6
16	4–5
28//6/2	1–19
15/1	3–12
16/2	2–13
29//11/2	2–14
12/2	4–04
13	4–16
16	4–11

1	2
21	1–13
29//22	4–13
23	4–16
24	2–01
25	7–02
30//2/2	1–13
4/2	1–00
10/2	0–11
31//3	1–13
4	2–14
5	3–14
6	4–12
7	5–12
13	4–16
18	4–16
23	4–16
33//17	4–07
18	4–16
19	3–19
22	4–04
23	4–12
34//1	5–16
2	4–16
3/7/3 मिन.	0–09
4/1–2	5–06
3/7/3 मिन.	3–01
4/3	0–10
5	4–16
6	5–16
7	5–6
34//8	3–08

1	2
9	3–05
10	4–04
11	2–19
12	4–16
13	4–16
18	4–16
19	4–16
20/1	2–08
20/2	3–12
21	4–16
22	4–16
23	4–16
35//3	3–19
4	5–12
5/2	0–11
5/1	4–5
6	4–16
7	4–10
14	1–06
15	5–10
36//1/1	4–8
1/2	0–08
2	4–16
3/1	2–8
36//3/2	2–08
4	4–16
5	4–16
6	4–16
7/3	2–12
8	4–16
9	4–16

1	2
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–16
14/1	4–07
14/2	0–09
15	4–16
16/1	3–12
16/2	1–04
17	4–16
18	4–16
19/1	2–08
19/2	2–08
20	4–00
22/1	5–01
22/2	0–09
23	4–16
24/1	2–09
24/2	2–07
36//25	4–16
37//1	2–07
2	4–13
3	4–16
4/1	2–08
4/2	2–08
5	4–16
6/1	3–11
6/2	1–05
7	4–16
8/1	2–08
8/2	2–08

1	2
9/1	2–08
9/2	2–08
10	3–19
11/1	2–11
11/2	2–05
12	4–16
13	4–16
14	4–16
15/1	3–06
15/2	1–10
16	4–16
17/1	2–08
17/2	2–08
37//18	4–16
19/1	2–08
19/2	2–08
20	4–16
21/1	4–02
21/2	0–09
21/3	0–09
22/1	3–12
22/2	1–04
23/1	1–04
23/2	3–12
24	4–16
25/1	1–4
25/2	3–12
38//14/1	4–08
15	3–00
16	4–16
17	2–05

1	2
24/1	4–8
24/2	1–02
25	4–16
39//73	3–13
4/1	2–08
4/2	2–08
5	4–16
6	4–16
7/1	3–16
7/2	1–00
39//8/1	2–01
8/2	2–14
10	3–08
13	4–04
14/1	3–12
14/2	1–04
15/1	3–08
15/2	1–08
16	4–16
17/1	2–08
17/2	2–08
18	4–09
22	3–16
23	4–12
24/1	3–12
24/2	1–04
25/1	3–04
25/2	1–12
40//5	2–12
19	4–5
41//1/1	0–11

1	2
1/2	3–18
2	6–00
3	3–19
41/4	4–16
5	5–15
6/1	2–15
6/2	2–15
7/1	1–16
7/2	1–09
7/3	0–09
8	2–10
42//1	4–16
2	4–16
3/1	3–09
3/2	1–04
4/1	4–07
4/2	0–12
5	4–16
6	4–16
7/1	2–08
7/2	2–08
8	4–16
9/1	2–08
9/2	2–08
10/1	2–08
10/2	2–08
11/1	3–12
11/2	1–04
12/1	1–12
12/2	3–04
42//13/1	1–12

1	2
13/2	2–08
13/3	1–07
14/1	1–04
14/2	3–12
15/1	2–08
15/2	2–08
16	4–16
17	4–16
18/1	2–09
18/2	1–09
19	4–16
20/1	2–08
20/2	2–08
21/1	1–09
21/2	3–12
22	4–16
23	3–19
24	5–00
25	5–15
43//1/1	1–04
1/2	2–16
1/3	00–05
43//3/1	3–12
3/2	1–04
4/1	1–04
4/2	3–12
10	4–06
11/1	2–01
48//1	4–16
2	4–16
3	4–6

1	2
4	4–16
5	4–16
6	4–16
7/1	2–08
7/2	2–08
8	4–06
9	4–16
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–06
14	4–16
15/1	1–04
15/2	3–12
16/1	3–12
16/2	1–04
17	4–16
18	4–06
19	4–16
48//20/1	1–05
20/2	2–02
20/3	1–10
21/1	1–05
21/2	3–10
22/1	1–12
22/2	2–12
23	3–16
24	4–16
25	4–16
49//1/1	1–04
1/2	3–12

1	2
2	4–16
3	4–06
4	4–16
5/1	2–14
5/2	2–02
6	4–16
7	4–16
8	4–06
9	4–16
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–06
14	4–16
49//15	4–16
16	4–16
17	4–16
18	4–06
19	4–16
20/1	2–08
20/2	2–08
21	4–16
22	4–16
23	4–06
24	4–16
25	4–16
57//1	4–16
2/1	5–17
2/2	0–08
9/1	2–03
9/2	1–16

1	2
9/3	0–18
10/1	1–11
10/2	2–03
10/3	0–18
11	4 -06
12	5–08
16	0–05
19	6–00
20	4–16
21/1	2–08
21/2	2–08
57//22	3–12
23	3–15
24/1	0–16
24/2	4–00
25/1	2–08
25/2	2–08
58//1/1	2–00
1/2	2–16
2/1	4–02
2/2	4–02
9	4–13
10/1	4–07
10/2	0–12
11/1	2–08
11/2	2–08
12/1	2–08
12/2	2–08
19	4–04
20	4–16
21	4–16

1	2
22/1	1–12
22/2	1–10
22/3	1–02
69//3/1	3–10
3/2	1–02
70//6	5–08
70//15/1	4–06
15/2	0–10
71//1	4–16
2	4–16
3	4–16
6/1	0–05
6/2	0–08
4	4–15
5	4–08
6/3	3–05
6/4	4–14
6/5	0–08
7	3–12
8	4–00
9	3–04
10	3–06
72//1	4–16
2	4–16
3	4–16
4/1	3–14
4/2	1–02
5/1	3–12
5/2	1–04
7	4–16
8/1	4–12

1	2
8/2	0–07
9	4–16
10/1	1–02
10/2	1–00
10/3	1–03
72//11	5–15
12	4–16
13/1	3–09
13/2	1–04
14/1	3–00
17	4–16
18/1	1–04
19/1	5–03
19/2	0–05
20/1	3–06
20/2	0–14
21	6–03
24/1	1–12
73//1	4–16
2/2	3–12
2/1	1–04
3/1	2–12
3/2	1–13
4	4–14
5/1	3–11
5/2	1–05
6	4–00
7/1	1–00
7/2	2–04
73//7/3	1–05
8	4–13

1	2
9/1	4–12
9/2	0–07
10/1	1–02
10/2	3–12
10/3	0–02
11	4–16
12	4–16
13	4–16
14	4–16
15	5–00
16	4–15
17	4–16
18/1	3–12
18/2	1–04
19	4–16
20/1	5–12
20/2	1–04
22	3–08
23	4–16
24	4–16
25/1	2–09
25/2	0–05
25/3	2–05
74//25/1	2–07
25/2	3–18
75//13	1–12
14	3–18
15	6–02
16	4–16
17	4–16
18/1	2–02

1	2
18/2	1–09
18/3	1–05
19	3–16
20	0–08
21/1	3–19
21/2	1–02
22/1	2–02
22/2	2–00
23	4–15
24/1	1–05
24/2	3–11
25/1	2–07
25/2	2–09
76/3	2–08
4	4–14
5/1	3–04
5/2	1–12
6	4–16
7/1	3–13
7/2	1–03
76//8/1	2–07
8/2	2–09
9/1	3–04
9/2	2–09
10/1	1–10
10/2	2–5
11	4–16
12	4–16
13/1	2–07
13/2	2–09
14/1	2–07

1	2
14/2	1–19
14/3	0–04
15/1	1–12
15/2	3–04
16/1	2–09
16/2	2–07
17/1	4–11
17/2	0–05
18	4–16
19/1	4–05
19/2	0–16
20/1	3–08
20/2	1–08
21/1	4–11
21/2	0–05
22	4–11
23/1	3–12
23/2	1–04
76//24/1	1–04
24/2	3–12
25	4–16
77//1/1	2–08
1/2	1–04
1/3	1–04
2	4–16
3	4–16
4	4–16
5	4–16
6	4–16
7	4–13
8/1	2–07

1	2
8/2	1–04
9	4–16
10/1	3–12
10/2	1–04
11/1	2–08
11/2	2–08
11/2/1	1–15
12	5–10
14	1–09
15	4–17
16	3–18
19	3–08
77//20	4–16
21/1	4–11
21/2	0–05
22	3–08
23	2–14
24	4–05
25	4–16
87//9	6–01
10/1	2–00
10/2	3–06
10/3	2–08
11	2–09
12	4–00
13	2–05
18	3–03
19	4–11
89//2	4–16
7	3–12
8	4–16

1	2
9/1	3–19
9/2	0–17
10	4–16
11/1	4–01
12	4–16
13/1	4–10
89//13/2	0–06
14/1	0–03
14/2	3–09
15/1	0–14
15/2	0–08
18/1	3–12
18/2	1–04
19/1	3–18
19/2	0–18
20	4–16
21/1	4–09
21/2	0–07
22	4–16
23/1	3–12
23/2	1–04
99//1/1	3–12
1/2	0–05
2	4–16
3	4–14
4	4–16
5	4–16
6	4–16
7	4–16
8/1	4–06
8/2	0–12

1	2
99//9/1	2–06
9/2	2–10
10	3–10
12	3–19
13/1	2–16
13/2	2–00
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17	4–16
18	5–19
24	4–17
25	4–16
100//4	4–04
5	4–16
6	4–16
7	4–16
8	3–12
17	4–16
13	4–17
14	4–16
15	4–16
16	4–16
18/1	2–08
18/2	2–08
19	2–19
21	1–02
22	4–17
100//23	4–16
24	4–16
25	4–16

1	2
101//14	2–01
15/1	1–00
15/2	1–19
16/1	1–02
16/2	3–14
17	3–05
24	4–05
25	4–16
106//1	4–16
2/1	2–08
2/2	2–08
3	4–16
4	4–16
5	4–16
6	4–16
7	4–16
8	4–16
9/1	3–12
9/2	0–08
9/3	0–09
9/4	0–04
9/5	0–04
10	4–16
106//11	4–16
12	4–16
13	4–16
14	4–16
15/1	2–08
15/2	2–08
16/1	3–12
16/2	1–04

1	2
17	4–16
18	4–16
19	4–16
20/1	1–12
20/2	0–16
20/3	0–16
20/4	1–12
21	4–16
22/1	2–06
22/2	2–10
23/1	2–06
23/2	2–10
24	4–16
25	4–16
107//1/1	1–12
1/2	3–04
2/1	1–12
2/2	3–4
3	5–4
107//4	4–16
5/1	4–08
5/2	0–08
6	4–16
7	4–16
8	4–08
9	4–16
10	3–00
12	2–12
13/1	1–04
13/2	0–18
13/3	2–14

1	2
14	4–16
15/1	1–05
15/2	1–05
15/3	2–06
16/1	2–08
16/2	2–08
17/2	2–07
17/1	2–08
18/1	1–04
18/2	0–19
25	5–19
108//1	4–16
2	4–16
3/1	3–12
108//3/2	1–04
4	4–16
5	4–16
6	4–16
7	4–16
8	4–16
9	4–16
10	4–16
11/1	2–12
11/2	0–16
11/3	1–08
12	4–16
13/1	2–08
13/2	2–08
14/1	1–04
14/2	3–12
15/1	1–04

1	2
15/2	3–12
16	4–16
17	4–16
18	4–16
19	4–16
20/1	0–12
20/2	4–04
21	4–16
22	4–16
23	4–16
24	4–16
25	4–16
119//1/1	3–11
1/2	0–11
1/3	0–11
2/1	0–10
2/2	0–05
2/3	0–05
2/4	3–15
3/1/2	1–19
3/2/2	0–02
4/1/2	0–01
4/2/2	1–01
9/1/2	0–19
9/2/2	0–13
10/1	2–13
10/2	2–01
11/1/2	1–02
11/1/1	0–05
12	2–02
120//1	4–16

1	2
2	4–16
3	4–16
4	4–16
5	4–16
6/1	2–17
6/2	1–19
120//7/1	1–04
7/2	3–12
8/1	2–08
8/2	2–08
9/1	1–04
9/2	1–16
9/3	1–16
10	4–16
11	4–16
12/1	2–00
12/2	1–18
12/3	0–18
13/1	2–07
13/2	1–11
13/3	0–18
14	4–16
15/1/2	3–12
15/2/2	0–09
17/2	0–12
18/2	1–14
19/2 मिन.	1–14
19/2 मिन.	1–10
20/1	1–16
20/2	2–05
20/3/2	0–13

1	2
21/2	0–10
121//1	4–02
2	4–16
3	4–16
4	4–16
5	4–16
6/1	2–08
6/2	2–08
7	4–16
8	4–16
9	3–13
13	3–12
14/1	2–06
14/2	2–10
15	4–16
16	4–16
17	3–12
25/2	2–03
153	13–10
155	28–05
156	5–17
113//6/1	0–09
15/1	0–12
16/1	0–12
25/1/2	0–01
25/2/2	0–11
118//5/1/2	0–06–10
5/2/2	0–05–10
6/1	1–02
15/1/1	0–13
15/2/1	0–07
15/3/1	0–07
16/2/1	1–02
31//8/1	0–08
8/2	5–15
32//1	4–09
34//14	4–16
64//5/1 मिन.	0–07
65//1/1	0–05
1/2/1	0–01
2/1/1 मिन.	0–01
2/2/1 मिन.	0–01
3/1/1	0–01
10/1/1 मिन.	0–02
10/2/1 मिन.	0–04
12/1	0–10
13/1	0–03
68//11/1/1	0–06
11/2/1	0–03
18/1 मिन.	0–07
19/1/1 मिन.	0–05
19/3/1	0–03
23/1	0–01
24/1 मिन.	0–02
25/1	0–05
25/2	0–03
69//8/1/1 मिन.	0–01
8/2/1 मिन.	0–02
8/3/1	0–01
7/1	0–08
15/1 मिन.	0–07
5//6	3–16

1	2
7	5–08
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17	4–16
24	4–16
25	4–16
18//4	4–16
5/1	2–08
5/2	2–08
6	4–16
7	4–16
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17	4–16
24/1	1–12
24/2	3–04
25/1	1–4
25/2	3–12
19//4	4–16
5	4–16
6	4–16
7	4–16
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17	4–16
24	4–16
25	4–16
20//4	6–03

1	2
5/1	3–12
5/2	2–04
21//1	5–18
2	6–02
21//3	6–06
4	4–16
5/1	0–16
5/2	3–16
6	2–00
7	1–18
22//1/1	1–04
1/2	3–12
2/1	1–05
2/2	3–11
3/1	2–08
3/2	2–08
4	4–16
5	4–16
6	4–16
7	4–16
8	4–16
9	4–16
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–16
14	4–16
15/1	2–08
22//15/2	2–08
16/1	2–08
16/2	2–08

1	2
22//17	4–16
18/1	1–04
18/2	3–12
19/1	2–08
19/2	2–08
20	4–16
21	4–16
22	4–16
23	4–16
24	4–16
25	4–16
23//1/1	2–04
1/2	2–07
1/3	0–08
2	4–16
3	4–16
5/1	2–08
5/2	2–08
6	4–16
7/1	2–08
7/2	2–08
4	4–16
8	4–16
23//9	4–16
10	4–12
11/1	2–08
11/2	2–08
12	4–16
13	4–16
14/1	2–08
14/2	2–08

1	2
15	4–16
16/1	4–11
16/2	0–09
17	4–16
18	4–16
19/1	2–08
19/2	2–08
20	4–16
21	4–16
22/1	3–11
22/2	1–00
23	4–04
24	4–04
25	4–04
24//11	6–14
24//12/1	2–14
12/2	4–00
13	1–14
16	5–14
17	6–10
18	4–16
19	4–16
20	4–16
21	4–16
22	4–16
23/1	2–08
23/2	2–08
24	4–16
25	4–16
25//19	3–12
20	4–16

1	2
21	4–16
22	4–16
23/1	5–5
23/2	2–01
24	5–18
25	4–19
26//1/1	2–08
1/2	2–08
2/1	2–08
26@/2/2	2–08
3/1	1–12
3/2	3–04
4/1	1–12
4/2	3–04
5	4–16
6	4–16
7	4–16
8	4–16
9	4–16
10/1	2–08
10/2	1–04
10/3	1–04
11	4–16
12	4–16
13/1	4–06
13/2	0–10
14	4–16
15	4–16
16	4–16
17	4–16
18	4–16
19/1	2–08
19/2	2–08
20	4–16
21	4–04
26//22	4–04
23/1	1–04
23/2	3–00
24	4–04
25/1	2–08
27//1/1	1–04
1/2	3–12
2/1	3–00
2/2	1–16
3	4–16
4	4–16
5/2	2–08
7	4–16
8/1	3–12
8/2	1–04
9/1	3–00
9/2	1–16
10	4–16
11	4–16
12	4–16
13	4–16
14	4–16
17	4–16
18	4–16
19	4–16
20	4–16
21	4–16

1	2
27//22	4–16
23	4–16
24	4–16
25	4–16
28//1/1	4–12
1/2	0–07
2/1	2–08
2/2	2–08
3/1	2–08
4/1	2–08
5/1	2–08
9	4–15
10	3–08
30//1	4–16
31//1	4–16
2	2–16
8/1 मिन.	0–06
9	4–16
10	4–16
11	4–16
12	4–16
19	4–16
20	4–16
21	4–04
22/1	2–07
31//22/2	2–08

ईस्टर्न तथा वेस्टर्न कोर्ट्स स्थल पर होटल

2242. श्री मिलिन्द देवरा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवास की कमी को पूरा करने हेतु और अधिक होटल बनाने के लिए ईस्टर्न तथा वेस्टर्न कोर्ट्स को तोड़े जाने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में समेकित आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएं

2243. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में समेकित आधारभूत अवसंरचना स्थापित करने के लिए योजना तैयार की है तथा लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए चयनित गांवों का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), समेकित बंजर भूमि प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) तथा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध ग्रामीण अवसंरचनाओं तथा सुविधाओं का सृजन भी होता है।

एनआरईजीए को छोड़कर अन्य सभी उपर्युक्त योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा एनआरईजीए का 1.4.2008 से सभी जिलों में विस्तार भी किया जायेगा। बारहमासी सड़कों की बुनियादी अवसंरचना का निर्माण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किया जाता है। स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता की सुविधाएं एआरडब्ल्यूएसपी तथा टीएससी योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं। गरीबों को मकान आईएवाई के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं। एनआरईजीए के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

लाभांश कर छूट

2244. डा. के.एस. मनोज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घ कालिक पूंजी लाभ कर (लाभांश कर छूट) तथा बड़े व्यवसाय से कर अवकाश से छूट के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि की छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी छूट से हुए दीर्घ–कालिक लाभों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभों को आयकर से छूट प्राप्त है। तथापि, इस छूट के कारण राजस्व हानि की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है।

आयकर अधिनियम उद्योगों को अनेक करलाभ उपलब्ध कराता है, जिससे बड़े व्यापार को भी लाभ होता है। ऐसे प्रोत्साहनों के कारण, पिछले तीन वर्षों में राजस्व हानि निम्नानुसार है:–

वित्त वर्ष	कम्पनियों को दिए गए कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व हानि (करोड़ रुपए में)
2004–05	57,852
2005–06	34,618
2006–07	45,034

(ग) और (घ) बड़े व्यापारों को प्रदान की गई छूटों एवं कटौतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है एवं जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है उन्हें वापस ले लिया जाता है।

डीडीए द्वारा पार्कों का रखरखाव

2245. श्री उदय सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीडीए द्वारा बहुत से सार्वजनिक पार्कों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डीडीए का इन सार्वजनिक पार्कों को हरित क्षेत्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव कब तक है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पार्कों का रख–रखाव कर रहा है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना

2246. डा. एम. जगन्नाथ :

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम.फिल तथा पी.एचडी पाठ्यक्रम करने हेतु अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अर्हता मानदंड तथा इसकी अवधि कितनी है;

(ग) योजना हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(घ) इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं और राज्यवार/संघ राज्यवार लाभभोगियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में एम.फिल तथा पी.एचडी. पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु स्नातकोत्तर उपाधि धारक अनुसूचित जनजातीय छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अध्येतावृत्तियां दी जाती हैं। इस तरह की 667 अध्येतावृत्तियां वार्षिक रूप से दी जा सकती हैं। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समय–समय पर यथा संशोधित अध्येतावृत्ति की दर के समतुल्य होगी। अध्येतावृत्ति देने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।

(ग) और (घ) विगत दो वर्षों के दौरान आबंटित तथा संवितरित राशि, निर्धारित लक्ष्य तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नांकित है:

वर्ष	चिह्नित धनराशि	निर्मुक्त धनराशि	निर्धारित लक्ष्य (लाभार्थी)	लाभार्थियों की संख्या
2005–06	7.95 करोड़ रुपए	7.95 करोड़ रुपए	667	400
2006–07	15.90 करोड़ रुपए	15.90 करोड़ रुपए	667 (विद्यमान) + 667 (नए)	400 (विद्यमान) + 400 (नए)

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा संबंधी समिति

2247. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पृथक समिति ने पूर्व में सिफारिश की थी कि बेहतर पहुंच के लिए पूर्णरूपेण स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का गठन किया जाना चाहिए;

(ख) क्या वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा संबंधी समिति ने बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से पूर्णरूपेण स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को बढ़ावा देने तथा इनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु इन कंपनियों को अलग व्यवहार के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। स्वास्थ्य बीमा पर कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने वर्ष 2004 में "एकल आधार पर" स्वास्थ्य बीमा कंपनी के पंजीकरण के संबंध में नियामक मामलों की जांच के लिए एक अलग उप समिति का गठन किया। उप समिति ने वर्ष 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें स्वास्थ्य बीमा की व्याप्ति में वृद्धि करने के लिए एकल आधार पर स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सिफारिश की गई थी।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर आईआरडीए द्वारा गठित समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एकल आधार पर स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के संवर्धन की आवश्यकता की सिफारिश की। समिति की सिफारिशें आईआरडीए की जांच के अधीन हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वृद्ध महिलाओं तथा विधवाओं हेतु योजनाएं

2248. श्री काशीराम राणा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्ध महिलाओं तथा विधवाओं की सहायता हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निराश्रित वृद्ध महिलाओं तथा विधवाओं सहित अलग-अलग परिस्थितियों में निराश्रित जीवन व्यतीत करने वाली कई प्रकार की महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 'स्वाधार – कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं हेतु स्कीम' चला रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं के पैकेज में भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श एवं कानूनी सहायता, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास, जागरूकता विकास, कौशल उन्नयन और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण शामिल है। स्कीम में निराश्रित महिलाओं हेतु एक हेल्पलाइन के लिए भी सहायता दी जाती है। स्वाधार स्कीम का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरों की क्रेडिट रेटिंग

2249. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न शहरों की क्रेडिट रेटिंग आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कितने शहरों/कस्बों को कवर किया गया है तथा इसके क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ग) उपरोक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 2007 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के तहत मिशन शहरों के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों (यूएसबी) के संबंध में वित्तीय क्रेडिट रेटिंग से संबंधित कार्य आरम्भ किया है।

(ख) और (ग) इस कार्य का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को इस बात के लिए सक्षम बनाना है कि वे अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु बाजार से वित्त व्यवस्था कर सकें। जिन शहरों और यूएलबी के संबंध में क्रेडिट रेटिंग कार्य आरम्भ किया गया है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उपरोक्त सूची में से 42 यू एल बी के लिए क्रेडिट रेटिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

विवरण

राज्य	क्रम सं.	शहरी स्थानीय निकाय
1	2	3
असम	1	गुवाहाटी
मेघालय	2	शिलांग
मणिपुर	3	इम्फाल
मिजोरम	4	आईजोल
त्रिपुरा	5	अगरतला
नागालैंड	6	कोहिमा
अरुणाचल प्रदेश	7	इटानगर
सिक्किम	8	गंगटोक
महाराष्ट्र	9	ग्रेटर मुम्बई
	10	मीरा भयंदर
	11	थाणे
	12	नवी मुम्बई
	13	कल्याण दोमबीवली
	14	पूणे
	15	पिम्परी चिंचवाड
	16	नासिक
	17	नागपुर
	18	नंदेड़–वाघला
केरल	19	तिरुवनंतपुरम
	20	कोचिन
कर्नाटक	21	बंगलौर
	22	मैसूर
गोवा	23	पणजी
उत्तर प्रदेश	24	कानपुर
	25	लखनऊ
	26	इलाहाबाद
	27	वाराणसी
	29	आगरा
	30	मथुरा
बिहार	31	पटना
	32	बोध गया
गुजरात	33	अहमदाबाद
	34	वडोदरा
	35	सूरत
	36	राजकोट
प. बंगाल	37	कोलकाता
	38	हावड़ा
	39	आसनसोल
झारखंड	40	जमशेदपुर (अधिसूचित क्षेत्र)

1	2	3
	41	धनबाद
	42	रांची
जम्मू और कश्मीर	43	जम्मू
	44	कश्मीर
पंजाब	45	लुधियाना
	46	अमृतसर
चंडीगढ़	47	चंडीगढ़
हरियाणा	48	फरीदाबाद
उत्तरांचल	49	देहरादून
	50	हरिद्वार
	51	नैनीताल
हिमाचल प्रदेश	52	शिमला
दिल्ली	53	दिल्ली
तमिलनाडु	54	चेन्नई
	55	कोयम्बटूर
	56	मदुरै
आन्ध्र प्रदेश	57	हैदराबाद
	58	विशाखापट्टनम
	59	विजयवाड़ा
उड़ीसा	60	भुवनेश्वर
	61	पुरी
छत्तीसगढ़	62	रायपुर
पांडिचेरी	63	पांडिचेरी
मध्य प्रदेश	64	इन्दौर
	65	भोपाल
	66	जबलपुर
	67	उज्जैन
राजस्थान	68	जयपुर
	69	अजमेर

चैकों का बाउन्स होना

2250. श्री अधीर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान चैक बाउन्स होने की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि बाउन्स हुए चैकों की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान न्यायालय की फीस के रूप में न्यायालयों को किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विनियमन बनाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रखे गए डाटाबेस में पूछे गए ढंग से सूचना नही रखी जाती।

(ग) से (ङ) चैकों के नकारे जाने से प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से परक्राम्य लिखत अधिनियम में दिसम्बर, 2002 में संशोधन किया गया था। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ–साथ कारावास की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने, चैक नकारे जाने के मामलों के मुकदमें का जल्दी निपटान करने, अपराधों को शमनीय बनाने, आदि की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जून, 2003 को बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित किया गया है कि बैंकों को खाताधारकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने जैसे –चैक–बुक जारी न करना, वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये एवं इससे अधिक के मूल्य के चैक चार बार नकारे जाने पर चालू खाता बन्द करना, पर विचार करना चाहिए, इसके अतिरिक्त, आहरणकर्ता के खाता विशिष्ट में यदि एक ही वित्तीय वर्ष में तीसरी बार चैक नकारा जाता है, बैंकों को इस संबंध में संबंधित आहरणकर्त्ता को चेतावनी देने संबंधी सूचना जारी करनी अपेक्षित है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र

2251. श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) अक्षय ऊर्जा उपस्कर के उत्पादन हेतु एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के संस्थापन को सुगम बनाने के लिए इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा एक विशेष उद्देश्य साधन के निर्माण की परिकल्पना की जा रही है। वर्तमान में, इरेडा मामले को इच्छुक राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की पार्टियों के साथ विचार–विमर्श करने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संस्थापन को सुगम बनाने हेतु महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने रुचि दिखाई है। तथापि, एसईजेड की संस्थापना के संबंध में आखिरी निर्णय निवेशकों के विभिन्न टेक्नो–आर्थिक विचार पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों में पेंशन पॉलिसी

2252. श्री रशीद मसूद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सरकार से सरकारी और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से अपने–अपने कर्मचारियों को पेंशन पॉलिसी प्रदान करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव से बीमा कंपनियों के कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र और गैर–सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से उनके कर्मचारियों को पेंशन पॉलिसी प्रदान करना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव उनके द्वारा सरकार को नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आईआरडीए ने सूचित किया है कि सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को पेंशन प्रदान करना उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता।

किसानों को ऋण

2253. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी और खरीफ की फसलों के मौसम में किसानों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो मौसमों के दौरान सरकार को बैंकवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों को आसानी से ऋण सुलभ कराना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गए ढंग से सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, किसानों के ऋणों के संवितरण से संबंधित शिकायतों सहित ग्राहकों की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए सभी बैंकों का एक सुदृढ़ आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र है। बैंकों को इस संबंध में समय–समय पर विभिन्न अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राहक जिसकी शिकायत वास्तविक है और जिसमें किसानों को ऋणों की मनाही संबंधित शिकायत शामिल हो सकती है, पर संबंधित बैंक द्वारा ध्यान दिया जाता है।

(ङ) भारत सरकार (जीओआई) ने कृषि क्षेत्र के लिए सामयिक एवं वहन–योग्य ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

- भारत सरकार बैंकों को बुनियादी स्तर पर किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% वार्षिक की ब्याज दर पर सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2006–07 से ब्याज सहायता दे रही है।

- भारत सरकार ने वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान सभी बैंकों द्वारा कृषि ऋण उपलब्धता के लिए क्रमशः 2,25,000 करोड़ रुपये एवं 2,80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विगत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष 50 लाख नए किसानों को वित्तपोषण करने में सफल रहे हैं।

- बैंकों ने कृषि ऋणों के लिए कागजी कार्यवाही प्रक्रिया सरल बना दी है।

- 50,000/–रुपये तक के ऋणों को सम्पार्श्विक तथा मार्जिन राशि मुक्त कर दिया गया है और "अदेयता प्रमाण पत्र" की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

- बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की सलाह दी गई है।

- बैंकों को परिवारों को जनरल क्रेडिट कार्ड का प्रावधान करके वित्तीय पहुंच प्राप्त करने, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ "न्यूनतम शेष" खाते खोलने, कारबार सुविधा प्रदाता/कारबार सम्पर्की के रूप में नागरिक सामाजिक सेवाओं जैसे किसान क्लबों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), डाकघरों की सेवाओं का उपयोग करके वित्तीय पहुंच बढ़ाने, आदि के अनुदेश दिए गए हैं।

किराए के परिसरों में राजस्व विभाग के कार्यालय

2254. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किराए के परिसरों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अंतर्गत चल रहे कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परिसरों के किराए के भुगतान पर सरकार का कितना व्यय हो रहा है; और

(ग) क्या किराए के परिसरों के स्थान पर कार्यालयों के निर्माण हेतु व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बोर्ड) ने 573 कार्यालय परिसरों को किराए पर लिया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बो.) के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को किराए के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए 250 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड ने 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार कार्यालय परिसरों के किराये के लिए 53.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों से लगातार प्रस्ताव प्राप्त कर रही है और उन पर कार्रवाई कर रही है तथा किराये पर लिए गए परिसरों के बदले में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए जहां कहीं यह लागत लाभ विश्लेषण द्वारा न्यायसंगत है स्वीकृति जारी कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक आयकर विभाग के लिए अपने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 9.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुप्रबंधन

2255. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक की ग्रामीण शाखाओं में व्यापत कुप्रबंधन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित उनकी ग्रामीण शाखाओं में व्याप्त कुप्रबंधन के बारे में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैट संबंधी समस्याएं

2256. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों ने वस्तुओं संबंधी वैट अधिकार प्राप्त समिति की कर दरों का अनुपालन नहीं किया है जिससे अन्यत्र व्यापार हो रहा है तथा पड़ोसी राज्यों को इससे राजस्व की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के फलस्वरूप राज्य के भीतर माल के विक्रय एवं क्रय पर लगाये जाने वाला कर होने के कारण, राज्य मूल्यवर्धित कर राज्य का विषय है। राज्य मूल्यवर्धित कर से संबद्ध सभी मामलों पर विचार–विमर्श करने व निर्णय लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय की गई वैट दरों का राज्यों द्वारा अनुपालन करने सहित मूल्यवर्धित कर से संबंधित सभी मामलों की मॉनिटरिंग अधिकार प्राप्त समिति करती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण कर सुधार प्रक्रिया में केन्द्र सरकार की केवल एक सुसाध्यकर्ता के अतिरिक्त कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

ग्रामीण भूमिहीन लोगों हेतु योजना

2257. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन लोगों हेतु एक नई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की देनदारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्हता मानदंड तथा उपरोक्त योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु) : (क) से (ग) ऐसे किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मेगा विद्युत नीति

2258. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले पंद्रह वर्षों से विद्युत क्षेत्र क्षमता सृजन के अपने उद्देश्य में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मेगा विद्युत परियोजनाओं को अतिरिक्त रियायतें देने हेतु वर्तमान मेगा विद्युत नीति को युक्तिसंगत बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट क्षेत्रों में की जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं में, इन क्षेत्रों के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य अलग–अलग तय किये जाते हैं। उपलब्धि के परिप्रेक्ष्य में इन क्षेत्रों का निष्पादन योजना दर योजना बदलता रहा है। पिछली तीन योजनाओं का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित हैं –

	आठवीं योजना	नौवीं योजना	दसवीं योजना
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
लक्ष्य (मे.वा.)	12858	11909	22832
वास्तविक (मे.वा.)	5187	4504	13005
%	63.44	37.8	56.9
राज्य क्षेत्र			
लक्ष्य (मे.वा.)	14870	10747.7	11157
वास्तविक (मे.वा.)	6835.2	9554	6245
%	45.9	88.9	55.9
निजी क्षेत्र			
लक्ष्य (मे.वा.)	2810	17588.5	7121

1	2	3	4
वास्तविक (मे.वा.)	1430.4	5061	1930
%	50.9	28.77	27.10
कुल लक्ष्य (मे.वा.)	30538	40245.2	41110
वास्तविक (मे.वा.)	16422.6	19119	21180
%	53.77	47.5	51.5

(ख) से (घ) वर्तमान मेगा पावर पॉलिसी की इस समय समीक्षा की जा रही है।

एसबीआई के सहयोगी बैंकों का पुनर्गठन

2259. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का विचार अपने सहयोगी बैंकों के उच्च स्तर पर पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को कोई प्रस्ताव सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी से इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है। अक्तूबर/नवम्बर, 2007 में भारतीय स्टेट बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक को, अपने सात सहयोगी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 4 सहयोगी बैंकों के संदर्भ में मंजूरी की सूचना दी है तथा एक प्रस्ताव की तत्परता से समीक्षा कर रहा है। शेष दो प्रस्ताव, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वापस ले लिए गए हैं।

शीतल पेय कंपनियों द्वारा एमआरटीपी अधिनियम का उल्लंघन

2260. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शीतल पेय निर्माता देश के बहुत से भागों में बड़े पैमाने पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे शीतल पेय निर्माता कौन-कौन हैं, जिनके विरुद्ध पिछले दो वर्षों के दौरान एमआरटीपी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए शिकायतें दर्ज की गईं; और

(ग) इन शीतल पेय निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) आयोग को विगत में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ शीतल पेय कंपनियों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। पिछले दो वर्षों के दौरान शीतल पेय निर्माताओं के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शीतल पेय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एक न्यायिक-कल्प निकाय होने के कारण, एमआरटीपी आयोग अपने समक्ष प्रक्रियागत मामलों में न्यायनिर्णय एवं निपटारा करेगा तथा प्रक्रियाओं के पूरा होने पर उन आदेशों को निर्गत करेगा, जिन्हें वह उचित समझे, तथा सरकार को ऐसे मामलों में कोई निर्णय/कार्रवाई नहीं करना होता है।

विवरण

क्र.सं.	जांच संख्या	शीर्षक
1	2	3
1.	आरटीपीई 60/2001	कांति बेवरेजेस प्रा. लि. एवं अन्य, मुम्बई बनाम 1. कोका कोला कं., जॉर्जिया, यू. एस.ए.

1	2	3
		2. कोका कोला इंडिया लि., गुडगांव 3. हिन्दुस्तान कोला कोला वॉटलिंग गुडगांव (एमआरटीपी आयोग में कार्रवाई की जा रही है।)
बॉटलिंग,		
2.	यूटीपीई 10/2003	पी.के. रस्तोगी, मालवीय नगर, नई दिल्ली बनाम पेप्सी फूड्स प्रा. लि. एवं अन्य, नई दिल्ली (एमआरटीपी आयोग में कार्रवाई की जा रही है।)
3.	एमटीपीई 01/2003	सतकुमार उर्फ सच्चू सेठी मै. शीना एजेंसी, मलयन जिला, थाने, महाराष्ट्र बनाम ड्यूक्स एण्ड सन्स (पी.) लि. एवं अन्य मुम्बई (एमआरटीपी आयोग में कार्रवाई की जा रही है।)
4.	सीए 01/2005	विकास पेप्सी एजेंसी गोरखपुर फातिमा पादरी बाजार, गोरखपुर बनाम टेरीटरी डेवलपमेंट प्रबंधक, पेप्सी कोला इंडिया मार्केटिंग कंपनी गोरखपुर एवं अन्य (एमआरटीपी आयोग में कार्रवाई की जा रही है।)

[हिन्दी]

झुग्गी बस्ती तथा उन्नयन

2261. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तथा उन्नयन द्वारा उन्हें स्थापित करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) सरकार ने 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए अवस्थापना और बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करने में शहरों तथा कस्बों को सहायता प्रदान करना है। 63 चुनिंदा शहरों हेतु शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उपमिशन तथा अन्य शहरों/कस्बों हेतु एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है ताकि शहरी गरीबों की आवास की समस्याओं को दूर किया जा सके तथा उनके लाभ के लिए झुग्गी बस्तियों/स्लमों/निम्न आय बस्तियों में जल, सफाई, सड़कों, पथ प्रकाश आदि जैसी बुनियादी सेवाएं मुहैया करायी जा सकें।

[अनुवाद]

ग्रामीण ऋण पर ब्याज दर

2262. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संबंधी क्रियाकलापों हेतु वर्तमान ब्याज दरें कितनी हैं;

(ख) इससे ग्रामीण लोगों को किस प्रकार लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण ऋण पर ब्याज दर कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर नीति के अनुसार, 2 लाख रु. तक के ऋण पर ब्याज दर, जो संबंधित बैंक के आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) से ज्यादा नहीं होना चाहिए, को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों (कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों सहित) पर लगाए जाने वाले ब्याज दर को अविनियमित कर दिया गया है। अतः बीपीएलआर की घोषणा के अध्यधीन, 2 लाख रु. से ऊपर के ऋण पर उनके उधार दर का निर्णय लेने के लिए वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र है। अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के अध्यधीन, वस्तुपरक और पारदर्शी

नीति के तहत बैंक उधार पात्र उधारकर्ता को बीपीएलआर से कम दर पर भी ऋण देने के लिए स्वतंत्र है। बैंक अपने बीपीएलआर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ–साथ, अपनी निधि की लागत, लेन–देन, खर्चे और जोखिम लागत को ध्यान में रखते हुए करते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को भी विनियमित कर दिया गया है।

उपर्युक्त पहल से ग्रामीण नागरिकों को ठोस लाभ मिलेगा।

तथापि, खरीफ और रबी 2005–06 के लिए किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण पर ब्याज भार कम करने के लिए, 1,00,000/–रु. प्रत्येक तक की मूल राशि पर उधारकर्ता की देयता का दो प्रतिशत बिन्दु की समतुल्य राशि को उनके खाते में जमा करवा दी गई थी। उसके बाद खरीफ, 2006 से अधिकतम 3 लाख रुपये की मूल राशि तक किसानों को 7% की ब्याज दर पर अल्पावधि उत्पादन ऋण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार, सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके अपने स्रोत से दिए गए उधार पर 2% प्रतिवर्ष ब्याज सहायता दे रही है और सहकारी बैंकों और आरआरबी को उनके नाबार्ड से लिए गए ऋण पर रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रही है। यह योजना वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिए भी जारी है।

इसके अलावा, वर्ष 2008–09 के केन्द्रीय बजट में, सरकार से किसानों के लिए ऋण की माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित और 31 दिसम्बर, 2007 तक के सभी अतिदेय कृषि ऋणों को कवर करती है। इस योजना में सभी छोटे और सीमांत किसानों के अतिदेय ऋणों जिनका भुगतान दिनांक 29.02.2008 तक नहीं हुआ था, को पूर्ण रूप से माफ करने का प्रावधान है, वहीं अन्य किसानों के लिए उसी अवधि के दौरान एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना भी है। इस ओटीएस में शेष राशि के 75% के भुगतान पर 25% की छूट का प्रावधान है।

आईसीडीएस योजना की अतिरिक्त परियोजनाएं

2263. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री एम. शिवन्ना :
श्रीमती मन्नेरला माधवराज :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) योजना में कितनी अतिरिक्त परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश की अवसंरचना विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) आई.सी.डी.एस. स्कीम के तीसरे चरण के विस्तार के लिए प्रस्ताव में 792 परियोजनाओं की आवश्यकता को शामिल कर लिया गया है। यह कार्रवाई वर्ष 2007–08 में शुरू की जा चुकी है।

(ख) भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त परियोजनाएं संस्वीकृत किए जाने के बाद ही निधियां अवमुक्त की जाती हैं।

आवास ऋण

2264. श्री तथागत सत्पथी :
श्री के.एस. राव :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री अधीर चौधरी :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री एस. अजय कुमार :
श्री पी. मोहन :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री मधु गौड़ यास्खी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा कितनी राशि का आवास ऋण वितरित किया गया;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों, अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों, कस्बों तथा शहरों में वितरित आवास ऋण का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या आरबीआई की हाल में घोषित मौद्रिक नीति के बावजूद निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने आवास ऋणों पर ब्याज दरें घटाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आवास ऋणों पर ब्याज दरें घटाने का निदेश देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवास ऋणों संबंधी एक ब्याज राजसहायता योजना शुरू करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2005, 2006 तथा 2007 की स्थिति के अनुसार बकाया आवास ऋण की कुल राशि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपये)

	2005	2006	2007
बकाया राशि	133,908	185,181	230,689

स्रोत : भारतीय बैंकिंग में प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2006–07

तथापि, आवास ऋण के संवितरण से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) ग्रामीण, अर्द्ध–शहरी, शहरी तथा महानगरों के लिए 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया आवास ऋण की तुलना में बकाया आवास ऋण का प्रतिशत (नवीनतम उपलब्ध) निम्नानुसार है :–

ग्रामीण	अर्द्ध–शहरी	शहरी	महानगरीय
10.00	13.14	25.16	51.70

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 2006 के लिए सांख्यिकीय विवरणियां

(ग) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दर 18 अक्तूबर, 1994 से अविनियमित की है और ये ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं, अपनी आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) एवं प्रसार दिशानिर्देशों के अध्यधीन निर्धारित की जाती हैं।

तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ब्याज दरों के समायोजन, विशेषकर आवास तथा उपभोक्ता टिकाऊ–वस्तु क्षेत्र में, के लिए विचार करने की सलाह दी गई है।

(छ) और (ज) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ है। इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2265. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री के.एस. राव :
श्री एस.के. खारवेन्थन :

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन हैं तथा इस आयोग के क्या–क्या कार्य हैं;

(ग) क्या आयोग पूर्णतया कार्यशील है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस आयोग के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (घ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अक्तूबर, 2003 में स्थापित किया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय में दी गई कानूनी चुनौती के कारण प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विधिवत् गठित नहीं किया जा सका। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय जनवरी, 2005 में दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग के नियमन हेतु एक उपयुक्त संस्थागत ढांचे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। ये प्रस्ताव उस प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 में सम्मिलित थे जिसे संसद द्वारा मानसून सत्र, 2007 में अनुमोदित किया गया तथा तभी से इसे अधिनियमित किया गया है।

यथासंशोधित, प्रतिस्पर्धी अधिनियम, 2002 में यह प्रावधान है कि आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा इसमें कम से कम दो और अधिक से अधिक 6 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनने और इन पर निर्णय करने तथा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों पर निर्णय देने के लिए एक प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल होगा।

आयोग में फिलहाल एक ही सदस्य है तथा इसीलिए यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी कार्य करने की स्थिति में नहीं है। प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल अभी स्थापित किया जाना है। आयोग एवं प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल को विधिवत् गठित करने तथा आवश्यक अवसंरचना एवं स्टाफ प्रदान करने के लिए कार्रवाई भी आरंभ की गई है। आयोग के वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्णतः कार्यशील होने की संभावना है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में गांवों का विद्युतीकरण

2266. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को दूरस्थ गांवों हेतु विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रदान करने हेतु अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मंत्रालय को दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत सौर ऊर्जा प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु वित्त संस्थाएं

2267. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लघु वित्त संस्थाओं के माध्यम से कितने स्व–सहायता समूह लाभान्वित हुए हैं;

(ख) इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आज की तिथि तक कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं;

(ग) क्या लघु वित्त संस्थाओं द्वारा समाज के गरीब तबकों का शोषण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उपर्युक्त कर्जदारों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) लघु वित्त संस्थाओं के नियमन हेतु सांविधिक रूपरेखा की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 1992 से शुरू किया गया स्व–सहायता समूह (एसएचजी) बैंक संयोजन कार्यक्रम देश का महत्वपूर्ण सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है। 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग प्रणाली द्वारा 30,83,811 स्व–सहायता समूहों (अनंतिम आंकड़े) को 20,342.21 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) इस समय विनियमित नहीं है। इसलिए आंकड़ा सूचना प्रणाली द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) और (च) सरकार ने, देश में सूक्ष्म वित्त सेवाओं के लिए वातावरण के अनुरूप नीति तैयार करने के लिए "सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र (विकास ओर विनियमन) विधेयक, 2007" नामक एक विधेयक दिनांक 20.03.2007 को लोक सभा में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास और विनियमन के लिए औपचारिक सांविधिक ढांचा उपलब्ध कराना है और इस समय संसदीय स्थायी वित्त समिति के समक्ष है।

बैंकों और बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

2268. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन बैंकों और बीमा कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्षों की तुलना में हाल के समय में पिछली तिमाही के दौरान ऐसी शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे बढ़ते हुए रुझान के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे रुझान को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बैंकिंग ओमबड्समैन द्वारा सितंबर, 2007 और दिसंबर, 2007 को समाप्त तिमाही में कार्रवाई की गई शिकायतों की संख्या

क्रमशः 11,562 और 10,061 थी। उपर्युक्त सांख्यिकी स्पष्ट रूप से यह संकेत देती है कि दिसम्बर, 2007 को समाप्त तिमाही में अधिक कमी आई है। तथापि, बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

(घ) से (च) कुछ बीमा कंपनियों में शिकायतों में वृद्धि के कारण बीमा ग्राहकों की बढ़ती हुई संख्या, बीमाकृत व्यक्तियों की बढ़ी हुई जागरूकता का स्तर, विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदत्त ग्राहक उत्पादों के विकल्पों में वृद्धि, इत्यादि हैं।

शिकायतों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने बीमाकर्ताओं की शिकायतों की निपटान प्रणाली की जांच करने के लिए श्री वी.कामेसम, प्रबंध निदेशक, बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गई है और बीमाकर्ताओं को अपनी शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार लाने की सलाह दी जा रही है।

बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, भारतीय बैंक संघ ने सभी सदस्य बैंकों को अपने ग्राहकों/संघटकों से शिकायत प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र जिसके तहत उचित और समयबद्ध तरीके से निवारण करने पर बल दिया जाना है, की स्थापना सुनिश्चित करने, बैंकों को विज्ञापन और उनके वेबसाइट, इत्यादि पर प्रकाशित कर विस्तृत प्रचार करने की सलाह दी है।

बैंकिंग ओमबड्समैन योजना वर्ष 1995 से परिचालन में है। बैंकिंग ओमबड्समैन विवादों का शीघ्रता से और कम लागत पर निपटाने की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र निकाय है। कोई भी ग्राहक जिसका बैंकों से दी गई सेवाओं से संबंधित शिकायत का संतोषजनक निवारण नहीं हुआ है वह संबंधित बैंकिंग ओमबड्समैन को अपील कर सकता है। इस योजना को और ग्राहक प्रिय बनाने हेतु वर्ष 2006 और 2007 में संशोधन किया गया है।

विवरण

वर्ष 2006–07 के दौरान बैंकिंग ओम्बडसमैन कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या
1	2	3
	गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक	9,036
	पुराने गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक	825
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	175
2.	भारत ओवरसीज बैंक	13
3.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	39
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	11
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	22
6.	फेडरल बैंक लि.	133
7.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	162
8.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	44
9.	कर्नाटक बैंक लि.	28
10.	करूर वैश्य बैंक लि.	42
11.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	18
12.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	22
13.	नैनीताल बैंक लि.	15
14.	रत्नाकर बैंक लि.	3
15.	सांगली बैंक लि.	25
16.	एसबीआई कमर्शियल बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	2
17.	साउथ इंडियन बैंक लि.	47
18.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	24
	नए गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक	8,211
19.	एक्सिस बैंक	456
20.	सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	435
21.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	47
22.	एचडीएफसी बैंक लि.	2,048
23.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	5,048
24.	इंडस इंड बैंक लि.	63
25.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	113
26.	यस बैंक लि.	1

वर्ष 2006–07 के दौरान बैंकिंग ओम्बडसमैन कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या
1	2	3
	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	34,499
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	21,660
	राष्ट्रीयकृत बैंक	10,543
1.	इलाहाबाद बैंक	410
2.	आन्ध्रा बैंक	411
3.	बैंक आफ बड़ोदा	837
4.	बैंक आफ इंडिया	698
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	202
6.	केनरा बैंक	929
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	908
8.	कारपोरेशन बैंक	223
9.	देना बैंक	251
10.	इंडियन बैंक	391
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	392
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	411
13.	पंजाब नेशनल बैंक	1,837
14.	पंजाए एंड सिंध बैंक	191
15.	सिंडिकेट बैंक	451
16.	यूको बैंक	432
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	671
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	180
19.	विजया बैंक	179
20.	आईडीबीआई बैंक	539
21.	भारतीय स्टेट बैंक समूह	11,117
22.	भारतीय स्टेट बैंक	8,579
23.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	986
24.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	262
25.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	343
26.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	127
27.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	288
28.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	147
29.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	385

क्र.सं.	बीमा कर्ता का नाम	वर्ष 2006–07 में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या
1.	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.	202
2.	दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	484
3.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	482
4.	नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	490
5.	ईसीजीसी आफ इंडिया	1
6.	बजाज एलाएंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	77
7.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	94
8.	रायल सुंदरम एलाएंज जनरल इंश्योरेंस	54
9.	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	28
10.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	13
11.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी	13
12.	आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	232
13.	एचडीएफसी छब जनरल इंश्योरेंस कंपनी	13
14.	एग्रिकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0
	कुल	2183

वर्ष 2006–07 के दौरान बैंकिंग ओम्बडसमैन कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या
1	2	3
	विदेशी बैंक	3,803
1.	एबीएन एमरो बैंक लि.	842
2.	अबुधाबी कर्मिशयल बैंक लि.	–
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	83
4.	एंटवेर्प बैंक लि.	–
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	–
6.	बैंक आफ अमेरिका एनए	5
7.	बैंक आफ इंटरनेशनल इंडोनेशिया	–
8.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	–
9.	बैंक आफ सिलोन	–
10.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	–
11.	बैंक आफ टोकियो–मित्सु	1
12.	बारकलेस बैंक पीएलसी	–
13.	बीएनपी परिबास	3
14.	सिलोन बैंक	–
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	–
16.	सिटी बैंक एनए	1,182
17.	डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापोर लि.	–
18.	डच बैंक एजी	41
19.	एचएसबीसी बैंक	676
20.	जे पी मोरगान चेस बैंक	–
21.	क्रंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	–
22.	मशरक पीएससी	1
23.	मारीशस बैंक	–
24.	मिजुहो कारपोरेट बैंक लि.	–
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	1
26.	सिन्हान बैंक	–
27.	सोसीएट जनरल	–
28.	सोनाली बैंक	1
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लि.	967

क्र.सं.	बीमा कर्ता का नाम	वर्ष 2006–07 में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या
1.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	79
2.	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	14
3.	टाटा–एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	73
4.	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	50
5.	अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	70
6.	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	65
7.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	122
8.	आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	148
9.	मेन लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	11
10.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1
11.	बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	209
12.	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुयल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	44
13.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	23

1	2	3
14.	लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया	1730
15.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1
16.	भारती एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0
17.	फयुचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0
18.	एएमपी सन्मार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	कंपनी को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. में बदल दिया गया है।
	कुल	2640

सरदार सरोवर परियोजना

2269. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री पी.एस. गढ़वी :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के सहभागी राज्यों को गुजरात को देय अपने अंश के भुगतान के मामले में सहयोग करने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सहभागी राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) भागीदार राज्य सरकारें अपने हिस्से की राशि जारी नहीं कर रही हैं, गुजरात सरकार द्वारा यह जानकारी देने पर जल संसाधन मंत्रालय ने सभी भागीदार राज्य सरकारों को लिखा था कि वे अपने–अपने हिस्से की अदायगियां गुजरात सरकार को करें। इस मामले पर सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में कई बार चर्चा हुई है और आखिरी बार दिनांक 25.10.2007 को चर्चा हुई जिसमें राज्यों से अनुरोध किया गया था कि अपने हिस्से की अदायगियां गुजरात सरकार को शीघ्र करें तथा कोई विवादित मुद्दा हो तो उसे गुजरात सरकार के साथ उठाएं।

(ग) राज्य सरकारों ने अपने हिस्से की राशि का एक भाग जारी कर दिया है तथा कुछ विवादित और अविवादित राशियां अभी तक बकाया हैं।

शेयर बाजार से आय पर कर लगाना

2270. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयर बाजार से होने वाली आय पर कर लगाने संबंधी वर्तमान उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी विशेष स्क्रिप्ट को एक वर्ष से अधिक समय तक अपने पास रखने पर निवेशकों को आयकर के भुगतान से छूट मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार हाल ही में शेयर (सर्राफा) बाजार में आई भारी गिरावट के मद्देनजर इस अवधि में और कमी करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) शेयर बाजार में संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली आय पर पूंजीगत अभिलाभ अथवा कारोबारी आय के रूप में कर लगाया जा सकता है जो किसी विशेष मामले के तथ्यों पर आधारित होगा।

(ख) जी, हां। किसी कम्पनी अथवा किसी इक्विटी उन्मुख फंड की यूनिट में इक्विटी शेयर होने के नाते और जहां ऐसे संव्यवहारों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभारित किए गए हैं, वहां आयकर के भुगतान से ऐसी छूट एक वर्ष से अधिक समय के लिए धारित की गई परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत अभिलाभ पर ही लागू है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिए गए सुझाव के अनुसार, धृति अवधि में कोई कमी निवेशकों को अपने शेयरों की बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिसके कारण बाजार में और भी गिरावट हो सकती है। अतः धृति अवधि में कमी करने का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है।

एलआईसी हैल्थ प्लस प्लान

2271. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री किन्जरपु येरनन्नायडु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने एलआईसी हैल्थ प्लस योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 04.02.2008 को 18 से 55 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों, उनके पति/पत्नी और बच्चों के लिए यूनिट लिंक्ड हैल्थ प्लस योजना आरंभ की है। यह योजना निम्नलिखित बीमा सुरक्षा प्रदान करती है :

अस्पताल में भर्ती होने पर – "अस्पताल सें संबंधित नगद लाभ"

बड़ी शल्य चिकित्सा – "बड़ी शल्य चिकित्सा से संबंधित लाभ"

"अस्पताल से संबंधित नगद लाभ" प्रतिदिन आधार पर है जबकि, "बड़ी शल्य चिकित्सा से संबंधित लाभ", शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के प्रकार पर आधारित बीमित राशि के प्रतिशत के आधार पर है। इसके अतिरिक्त, यह योजना पालिसीधारकों के निधि मूल्य में से आवासीय चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

एलआईसी के हैल्थ प्लस योजना के अन्य विवरण एलआईसी की वेबसाइट :– licindia.com पर उपलब्ध हैं।

(ग) एलआईसी ने सूचित किया है कि 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, उसने इस योजना के अंतर्गत 42,341 पालिसियों की बिक्री की है। 31 मार्च, 2008 तक 02 लाख पालिसियां बेचने का इनका प्रस्ताव है।

राज्यों में विश्व बैंक की सहायता

2272. श्री राम कृपाल यादव :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अपने ऋण/क्रेडिट के माध्यम से राज्यों में समग्र अवसरंचनात्मक विकास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार की सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत/प्रदान की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने बिहार में सतत और समावेशी विकास के लिए उसकी सहायता करने और महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों के क्रियान्वयन हेतु कोई ऋण/क्रेडिट स्वीकृत/अनुमोदित किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्त वर्ष 2007–08 में राज्यों के लिए विश्व बैंक अनुमोदित परियोजनाएं

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	आईबीआरडी राशि	आईडीए राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार विकास नीति ऋण	20 दिस., 07	150.0	75.0	225.0
2.	हिमाचल प्रदेश विकास ऋण	25 सित., 07	135.0	65.0	200.0
3.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (अनुपूरक)	25 सित., 07	32.0	32.0	64.0
4.	रामपुर पन बिजली परियोजना	13 सित., 07	400.0	0.0	400.0
5.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उपशमन (अतिरिक्त वित्तपोषण)	10 जुलाई, 07	0.0	65.0	65.0
6.	बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना–"जीविका"	14 जून, 07	0.0	63.0	63.0

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	5 जून, 07	220.0	0.0	220.0
8.	मिजोरम सड़क–अतिरिक्त वित्तपोषण	22 मई, 07	0.0	18.0	18.0
9.	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	19 अप्रैल, 07	94.5	94.5	189.0

ये ऋण विश्व बैंक की मानक शर्तों द्वारा शासित होते हैं।

किसानों को ऋण से राहत

2273. श्री एम. अप्पावुरई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऋणग्रस्त किसानों के लिए एक राहत पैकेज देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को ऋण से राहत देने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(च) उक्त पैकेज के कब तक लागू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (च) वर्ष 2008–09 के केन्द्रीय बजट में, सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है, जिसमें 31 मार्च, 2007 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित सभी कृषि ऋण तथा 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय ऋण शामिल हैं। इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के दिनांक 31.12.2007 को अतिदेय तथा 29.02.2008 तक चुकता नहीं किए गये सभी ऋण पूरी तरह माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान अन्य किसानों के लिए एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना है। इस एकबारगी निपटान योजना में शेष 75% राशि का भुगतान करने पर 25% की छूट दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2008–09 के बजट में यह घोषणा की गई है कि ऋण माफी और ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन 30 जून, 2008 तक पूरा किया जाना है।

उत्तर प्रदेश में महानगरीय शहर

2274. श्री संतोष गंगवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में महानगरीय शहरों की सूची में कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महानगरीय शहरों की सूची में किसी शहर को शामिल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) भारत की जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 6 शहरी नामतः कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद को महानगरों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, 10 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों/शहरी बस्तियों को महानगरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

पंचेश्वर विद्युत परियोजना

2275. श्री इलियास आजमी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए कई वर्ष पूर्व नेपाल के सहयोग से पंचेश्वर विद्युत परियोजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लंबे समय से लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) भारत व नेपाल 1996 महाकाली संधि के अंतर्गत महाकाली नदी पर, जहां दोनों देशों की सीमाएं हैं, पंचेश्वर मल्टी–परपज प्रोजेक्ट (5600 मे.वा.) को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए सहमत हो गए हैं। क्षेत्र के

पर्यवेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। दोनों देशों की सरकारें अ प्रोजेक्ट की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा किया जाना अभी शेष है। ये मामले निम्नलिखित हैं –

(i) पंचेश्वर बांध की डाउनस्ट्रीम में जल उपलब्धता का मूल्यांकन।

(ii) पुनःनियंत्रण वाले बांध स्थल (पूर्णागिरी या रूपालीगाद) का मूल्यांकन।

(iii) परियोजना लाभ।

(iv) विद्युत अधिष्ठापना और चरणबद्ध विकास का मूल्यांकन।

(v) लागत आबंटन।

अक्तूबर, 2004 में भारत और नेपाल के ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट (जेजीई) की 20वीं बैठक में इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था। जिसमें इन सभी मामलों की जांच के लिए संबंधित मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत एक लघु ज्वाइंट ग्रुप स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ग्रुप ने अपनी पहली बैठक काठमांडु में 20 से 21 दिसंबर, 2004 तक की। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ अभी तक कोई और विचार–विमर्श नहीं किया गया है।

डीडीए के कार्यों को दिल्ली सरकार को अन्तरित करना

2276. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डीडीए के कार्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अंतरित करने और इसे एक विनियामक निकाय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण तथा परिसरों के दुरुपयोग के संबंध में विभिन्न मामलों की जांच करने हेतु तथा इनसे निपटने के लिए एक व्यापक कार्यनीति का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई समिति को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य संचालन के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस समिति की रिपोर्ट की जांच की गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को अन्तरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

बैंक खाता खोलना

2277. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बैंक खाता खोलने संबंधी मानदंडों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सरकारी और निजी बैंकों में खाते खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) मानदंडों तथा बैंकों में खाता खोलते समय बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले धनशोधन निवारण संबंधी मानकों के संबंध में 29 नवम्बर, 2004 के अपने परिपत्र के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बनाने में समर्थ करने हेतु केवाईसी मानदंडों को सरल करने के लिए इन दिशानिर्देशों को अगस्त, 2005 में संशोधित किया गया था। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था है कि बैंक, एक व्यक्ति का खाता अन्य खाताधारक जिसके संबंध में उपयुक्त केवाईसी प्रक्रिया अपना ली गई हो, के परिचय के आधार पर खोल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इन दिशानिर्देशों को फरवरी, 2006 में और सरल बनाया है। यह पहचान सत्यापित करने के लिए प्रत्येकीकरण के संबंध में, विद्यमान दिशानिर्देशों की व्यवस्था में, जो विलष्टता थी, उसे दूर करने के उद्देश्य से था।

इसके अतिरिक्त, अधिक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्राप्त करने

की दृष्टि से, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को शून्य अथवा बहुत कम शेष राशियों तथा प्रभारों के साथ मूल बैंकिंग "न्यूनतम शेष" खाता उपलब्ध कराने की सलाह दी गई थी जिससे जनता के विभिन्न वर्गों की ऐसे खातों तक पहुंच संभव होगी।

(ग) और (घ) सरकार ने वित्तीय समावेशन के संबंध में रंगराजन समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार की हैं। तदनुसार, बजट, 2008 में वित्त मंत्री ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शाखा में 250 नए खाते खोले जाएं।

डाकघरों में लघु बचत

2278. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों की लघु बचतों की कुल धनराशि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न डाक बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जी हां, पिछले 10 महीनों में अर्थात् अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 तक की अवधि के दौरान लघु बचत योजनाओं के तहत सकल संग्रहण पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 1,43,552 करोड़ रुपए की तुलना में 22.5 प्रतिशत गिरकर 1,11,234 करोड़ रुपये हो गया है। लघु बचत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कम आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों, जिन्हें निवेश के अन्य अवसर कम मिलते हैं, को निवेश का सुरक्षित अवसर प्रदान करना है।

किन्तु, कुछ समय से, निवेश विकल्प संख्या और विविधता दोनों दृष्टियों से बढ़े हैं जिससे निवेशकों को अपनी बचत के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और ऋण बाजारों से संबंधित ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त करने से सरकार की लघु बचत योजनाओं, जो प्रशासित ब्याज दरों के अधीन है, से इतर लिखतों में बचत प्रवाहों को निर्देशित करने में योगदान भी दिया है।

लघु बचत योजनाओं के संवर्धन हेतु हाल ही में किए गए नए उपायों में, सरकार ने एकल और संयुक्त खातों के संबंध में डाकघर मासिक आय खाता में अधिकतम जमा सीमा 3.00 लाख रुपए और 6.00 लाख रुपए को बढ़ाकर क्रमशः 4.5 लाख रुपए और 9.00 लाख रुपए कर दी है। डाकघर मासिक आय खाता योजना में 8 दिसम्बर, 2007 को या इसके बाद की जमाओं के संबंध में जमा की परिपक्वता पर जमाओं का 5 प्रशित की दर से बोनस भी उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त, पंचवर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत निवेशों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ग का लाभ 01.04.2007 से दिया गया है। इसके अलावा, लघु बचत योजनाओं को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से संवर्धित और प्रचारित भी करवाया जाता है। लघु बचत योजनाओं में संग्रहण में लगे विभिन्न अभिकरणों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए नियमित रूप से संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेबसाइट भी शुरू की गई है ताकि लघु बचत संबंधी सूचना का प्रसारण और निवेशकों की शिकायतों का ऑन–लाइन पंजीकरण निपटान करके जनता से संपर्क सुसाध्य हो सके। वेबसाइट का पता www.nsiindia.gov.in है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आयु में छूट देना

2279. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री जयवन्त गुर्जू :
श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री अजिताभ नन्दी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के तहत आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गरीबी रेखा

से नीचे रहने वाले परिवारों के 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध कराने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रस्ताव अंतर मंत्रालय विचार–विमर्श की अवस्था में है।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए राज्यों को निधियों की रिलीज संयुक्त रूप में की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा शामिल हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान एनएसएपी तथा अन्नपूर्णा के अंतर्गत राज्यों को की गई रिलीज का वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एनएसएपी तथा अन्नपूर्णा के अंतर्गत 2004–05 से 2007–08 तक के दौरान निधियों की रिलीज दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएसएपी तथा अन्नपूर्णा के लिए संयुक्त रिलीज			
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08*
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	6742.62	6746.70	11975.33	12481.39
2	बिहार	10684.21	13213.06	36002.20	23750.32
3	छत्तीसगढ़	2888.60	2860.35	7321.40	5622.63
4	गोवा	50.13	66.95	66.95	101.77
5	गुजरात	0.00	3582.50	4507.10	2262.35
6	हरियाणा	1310.94	1311.73	3296.25	2520.10
7	हिमाचल प्रदेश	410.12	547.17	1389.08	1177.55
8	जम्मू व कश्मीर	0.00	735.10	1381.41	1708.65
9	झारखंड	3459.41	4615.34	10257.15	8823.43
10	कर्नाटक	3903.45	5207.76	9043.49	10738.86
11	केरल	2872.43	2874.17	4056.39	4541.79
12	मध्य प्रदेश	6185.44	7649.45	17387.80	17841.47
13	महाराष्ट्र	8275.35	10234.03	22213.91	18515.77
14	उड़ीसा	5898.20	5899.77	17021.72	11778.67
15	पंजाब	673.00	897.89	1289.03	1127.04
16	राजस्थान	3051.30	3754.48	8533.24	11081.73
17	तमिलनाडु	7038.76	7043.03	13159.76	15726.90
18	उत्तर प्रदेश	19839.69	19851.70	37824.45	30347.88

1	2	3	4	5	6
19	उत्तरांचल	1223.51	1224.26	3217.41	1688.41
20	प. बंगाल	7988.73	7993.56	15220.45	12234.31
	उप–योग	92493.89	106329.00	225164.52	194070.82
पूर्वोत्तर राज्य					
21	अरुणाचल प्रदेश	311.58	415.46	759.11	358.27
22	असम	8217.33	8218.02	15866.36	15466.42
23	मणिपुर	0.00	628.92	1062.92	1319.89
24	मेघालय	0.00	684.72	1190.80	871.07
25	मिजोरम	146.87	195.85	345.32	288.09
26	नागालैंड	335.16	447.02	1016.72	723.47
27	सिक्किम	190.68	190.69	304.33	360.78
28	त्रिपुरा	1119.23	1119.32	2386.92	2181.74
	उप–योग	10320.85	11900.00	22932.48	21569.73
संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.00	20.00	78.42	12.63
30	चंडीगढ़	16.00	16.00	16.00	30.91
31	दादरा नगर हवेली	15.00	15.00	78.42	30.00
32	दमन व दीव	5.00	4.00	4.00	6.69
33	रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	273.00	567.00	567.00	3640.00
34	लक्षद्वीप	4.00	5.00	5.60	0.57
35	पांडिचेरी	54.00	115.00	115.00	115.00
	उप–योग	387.00	742.00	864.44	3835.80
	कुल योग	103201.74	118971.00	248961.44	219476.35

* रिलीज – दिसम्बर, 2008 तक

[हिन्दी]

राज्यों को एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की सहायता

2280. श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपनी भावी परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) वर्तमान में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की 3303.23 मिलियन

अमरीकी डालर की ऋण सहायता से राजस्थान सहित 25 राज्य परियोजनाएं ओर 8620.3 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता से 46 राज्य परियोजनाएं चल रही हैं। राजस्थान में (i) 250 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना; और 273 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के लिए एडीबी सहायता प्राप्त दो ऋण अनुमोदित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 60 मिलियन अमरीकी डालर राशि से पहली परियोजना चल रही है। राजस्थान के लिए अनुमोदित तीन विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं इस प्रकार हैं : (i) 89 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना, (ii) 140 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, और (ii) 74.4 मिलियन अमरकी डालर की राशि की राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना।

(ख) और (ग) एडीबी और विश्व बैंक से निधीयन के लिए अनुमोदित कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में निम्नलिखित राज्यों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं : असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण

2281. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का विचार "पावला वेदी" योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कम ब्याज दर पर ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऋणों को वसूल करने संबंधी मानदंड क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक अर्थात् आन्ध्रा बैंक की सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार की "पावला वेदी" योजना केवल स्व–सहायता समूहों के लिए है और आन्ध्र प्रदेश सरकार का इस योजना के तहत शिक्षा ऋण देने का कोई प्रसताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कंपनियों का विलय और अधिग्रहण

2282. श्री जुएल ओराम : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के अनेक सौदे लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सरकारी कंपनियों के विलय/समामेलन/प्रबंध योजनाओं से संबंधित मामलें, कंपनी अधिनियम, 1956 की परिभाषा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निपटाए जाते हैं। वर्तमान में सरकार के पास विचारार्थ विलय/समामेलन से संबंधित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के व्यापक पुनरीक्षण पर आधारित एक नया कंपनी विधेयक तैयार किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भारत में कंपनियों के विलयों एवं अधिग्रहणों की प्रक्रिया को कारगर बनाने के प्रस्ताव भी सम्मिलित है तथा, इसे आवश्यक अनुमोदनों के पश्चात संसद में विचारार्थ पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार के विचारार्थ सरकारी कंपनियों के विलय/समामेलन/प्रबंध योजना

(i) मै. तमिलनाडु गुड्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापन में) का मै. स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तमिलनाडु लिमिटेड के साथ समामेलन योजना;

(ii) मैं. कर्नाटका स्माल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड एवं मैं. कर्नाटका स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बीच समामेलन योजना;

(iii) मै. बोंगायगांव रिफाईनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा मै. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के बीच समामेलन योजना; तथा

(iv) एनजीईएफ लिमिटेड (परिसमापन में) तथा एनजीईएफ प्रोपर्टी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बीच प्रबंध योजना तथा एनजीईएफ मोटर्स एवं ट्रांसफारम लिमिटेड एवं एनजीईएफ (हुबली) लिमिटेड एवं एनजीईएफ के संबंध में उनके संबंधित शेयरधारकों एवं जमाकर्ताओं के बीच प्रबंध योजना।

अफीम की खेती

2283. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने क्षेत्र पर अफीम की खेती की जाती है;

(ख) क्या सरकार के पास अफीम के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2008–09 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परवर्ती वर्षों में प्रस्तावित अफीम उत्पादन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनियक्कम) : (क) अफीम की खेती के लिए वर्तमान फसल वर्ष 2007–08 के दौरान लाइसेंस शुदा राज्यवार क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	राज्य का नाम	फसल वर्ष 2007–08 के दौरान अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंससुदा क्षेत्र हेक्टेयर में
1.	मध्य प्रदेश	2830
2.	राजस्थान	1844
3.	उत्तर प्रदेश	6
	योग	4680

(ख) और (ग) लाइसेंस देने की सामान्य शर्तों को अंतिम रूप देते समय अफीम उत्पादन बढ़ाने अथवा घटाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। अफीम फसल वर्ष 2008–09 के लिए लाइसेंस देने की सामान्य शर्तों पर अगस्त/सितम्बर, 2008 तक ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। उसी तरह, परवर्ती वर्षों में खेती के क्षेत्र पर निर्णय उन वर्षों के लिए लाइसेंस देने की सामान्य शर्तों को अंतिम रूप देते समय लिया जाएगा।

आई.एम.एफ. में नीति की समीक्षा

2284. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
प्रो. एम. रामदास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एम.एफ. कोटे के संदर्भ में समृद्ध देशों द्वारा प्रोत्साहित किए गए स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी ओरियन्टेशन्स गत 60 वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत, चीन और अन्य देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक विकास में 50 प्रतिशत योगदान है; और

(घ) यदि हां, तो भारत के योगदान को ध्यान में रखते हुए ऋण सीमा और मताधिकार के संबंध में नीति और ढांचे की समीक्षा के मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) आईएमएफ में कोटों का वर्तमान आवंटन मुख्य रूप से पांच सूत्रों के एक सैट पर आधारित है, जो विगत कुछ दशकों से प्रचलन में रहे हैं। इनमें कुछ परिवर्तन हुए हैं लेकिन ये इतने मामूली थे कि उनका कोटा तंत्र पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की अद्यतन रिपोर्ट (अक्तूबर, 2007) में यह निर्दिष्ट है कि विगत वर्ष के दौरान वैश्विक विकास में आधा योगदान भारत, चीन और रूस का है। आईएमएफ कोटा तंत्र में सुधार करने और मताधिकार शक्तियों के संबंध में विचार–विमर्श किया जा रहा है और भारत इनमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

ईको-सिटी परियोजना

2285. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईको–सिटी परियोजना के संबंध में कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विसंगतियों को दूर करने और इसे दोबारा शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इको–सिटी परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना तथा चुनिंदा पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना है। चुनिंदा परियोजनाएं सीवरेज तथा जल–निकासी, कचरा प्रबंधन, यातायात एवं परिवहन तथा वृक्षारोपण व भूदृश्य निर्माण से संबंधित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इको–सिटी परियोजना के तहत नगरपालिकाओं को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 50:50 लागत भागीदारी आधार पर धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इको–सिटी कार्यक्रम पांच कस्बों नामतः कोट्टयम, तिरुपति, पुरी, उज्जैन तथा वृंदावन में शुरू किया गया है। संबंधित निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[हिन्दी]

सहकारी बैंक

2286. प्रो. रासा सिंह रावत :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री संतोष गंगवार :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों का राज्यवार ब्यौरा है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में अनेक सहकारी बैंकों को घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) घाटे की भरपाई और इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के तहत छूट देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, देश में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान 4 राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), 88 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), 8 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) तथा 194 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को घाटा हुआ है।

सहकारी बैंकों को घाटा होने के कारण थे :- कम वसूली, कम कारोबार, प्रबंधन की उच्च लागत, ऋणों की वसूली पर अपर्याप्त अनुवर्तन कार्रवाई, कम संसाधन आधार, ऋण-सदस्यता का कम होना, कुशल श्रमिकों का न होना, निधियों की उच्च लागत, आस्तियों पर कम आय, अपर्याप्त मार्जिन, अपर्याप्त कानूनी कार्रवाई, मुख्य कार्यपालकों को बार-बार बदलना आदि।

(घ) भारत सरकार ने प्रो. वैद्यनाथन की रिपोर्ट के आधार पर अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज को अंतिम रूप दे दिया है। इस पैकेज में कुल 13,596 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 68% हिस्सा भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। अभी तक 17 राज्यों ने भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत सरकार ने चार राज्यों के लिए 1,185 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार और राज्य सरकारें दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) को पुनः अर्थक्षम बनाने हेतु पैकेज पर सहमत हो गए हैं। इस पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रु. होने का अनुमान है, जिसमें से केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 2,642 करोड़ रु. या कुल बोझ का 86% है।

जहां तक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का संबंध है, मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत विनियामक समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन राज्यों ने संभावित रूप से अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करने तथा उन्हें पुनः अर्थक्षम बनाने और गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों की निर्विवाद समाप्ति हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में उनमें से प्रत्येक राज्य में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल गठित किया गया है।

(ङ) और (च) सहकारी बैंकों को आय कर अधिनियम की धारा 80 त के तहत आय कर से छूट देने की मांग पर सरकार ने विचार किया था। तथापि इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि इस योजना में केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएं शामिल हैं और उन्हें छूट देने का कोई औचित्य नहीं है।

विवरण

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र प्रशासित प्रदेश	एस.सी.बी.	डी सी सी बी	एस सी ए आर डी बी	पी सी ए आर डी बी	यू सी बी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1	22	*	*	118
2.	बिहार	1	22	1	*	5#
3.	छत्तीसगढ़	1	6	1	12	

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुजरात	1	18	1		284
5.	हरियाणा	1	19	1	19	
6.	झारखण्ड $	*	8	*	*	
7.	कर्नाटक	1	21	1	177	288
8.	केरल	1	14	1	46	60
9.	मध्य प्रदेश	1	38	1	38	74●●
10.	महाराष्ट्र	1	31	1	29	622##
11.	उड़ीसा	1	17	1	46	14
12.	पंजाब	1	18	1	87	16###
13.	राजस्थान	1	27	1	36	39
14.	तमिलनाडु	1	24	1	181	131**
15.	उत्तर प्रदेश	1	50	1	*	77$$
16.	उत्तरांचल	1	10	*	*	
17.	पश्चिम बंगाल	1	17	1	24	51+
18.	हिमाचल प्रदेश	1	2	1	1	
19.	जम्मू–कश्मीर	1	3	1	*	4
20.	अंडमान–निकोबार	1	*	*	*	
21.	अरुणाचल प्रदेश	1	*	*	*	
22.	असम	1	*	1	*	17●
23.	चंडीगढ़	1	*	*	*	
24.	दिल्ली	1	*	*	*	15
25.	गोवा	1	*	*	*	
26.	मणिपुर	1	*	1	*	
27.	मेघालय	1	*	*	*	
28.	मिजोरम	1	*	*	*	
29.	नागालैंड	1	*	*	*	
30.	पांडिचेरी	1	*	1	*	

1	2	3	4	5	6	7
31.	सिक्किम	1	•	•	•	
32.	त्रिपुरा	1	•	1	•	
	समस्त भारत	31	367	20	696	1815

$ – एस सी बी ने कार्य करना शुरू नहीं किया है।
• – कोई बैंक नहीं–एस सी ए आर डी बी अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है।
● – असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश
– बिहार, झारखण्ड
●● – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
– महाराष्ट्र, गोआ
– पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
** – तमिलनाडु, पांडिचेरी
$$ – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
+ पश्चिम बंगाल और सिक्किम
एससीबी–राज्य सहकारी बैंक
डीसीसी–जीजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
एससीएआरडीबी–राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक
पीसीएआरडीबी–प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक
यूसीबी–शहरी विकास बैंक

शहरी सेवा प्राधिकरण

2287. श्री कैलाश मेघवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को शिकायतों के निपटान के लिए एक बहु–आयामी केन्द्रीकृत शहरी सेवा प्राधिकरण की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में प्राधिकरण मौजूद है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए तंत्र

2288. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षण संबंधी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंकों को धोखे की संभावना वाले आम क्षेत्रों, धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली तथा बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में समय–समय पर जागरुक करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, समय–समय पर जारी मार्गनिर्देशों और साथ ही अपनी आन्तरिक नीतियों के अनुसार धोखाधड़ियों की जांच/रोकथाम के लिए बैंक विविध उपाय करते रहे हैं। कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:–

- धोखाधड़ी की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए बैंक के अन्दर समुचित व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं शुरु करना।
- समवर्ती लेखा–परीक्षा की व्यवस्था शुरू करना।
- निदेशक बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति द्वारा बैंकों में आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा व्यवस्था के कार्य–संचालन की समीक्षा करना।
- 1 करोड़ रु. और इससे अधिक के बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु अनन्य रूप से बोर्ड की विशेष समिति का गठन।
- कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की जांच करना और धोखाधड़ियों में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्प्यूटरीकृत धोखाधड़ी सूचना एवं निगरानी व्यवस्था (एफआरएमएस) शुरु की है, ताकि बैंक धोखाधड़ियों से संबंधित आंकड़े इलैक्ट्रानिक रूप में दे सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आरआरबी के संबंध में नकद जमा अनुपात

2289. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में जमा किए जा रहे नकद जमा अनुपात की धनराशि कितनी है;

(ख) क्या आरबीआई नकद जमा अनुपात पर ब्याज का भुगतान कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) वर्तमान में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक में, अपनी मांग एवं सावधि देयताओं का 7.5 प्रतिशत आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) के रूप में जमा रखें।

(ख) 31 मार्च, 2007 से आरंभ पखवाड़े से, भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर शेष राशियों पर कोई ब्याज नहीं दे रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा क्षेत्र में एल.आई.सी. की हिस्सेदारी

2290. श्री मधु गौड़ यास्खी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बीमा क्षेत्र में एल.आई.सी. का बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों तथा प्रथम वर्ष प्रीमियम के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बीमा क्षेत्र में हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वित्तीय	बाजार हिस्सा	
	पॉलिसियां	प्रथम वर्ष प्रीमियम
2002–03	96.70	94.34
2003–04	94.21	87.04
2004–05	91.50	78.07
2005–06	89.08	71.44
2006–07	82.83	74.18

(ख) से (घ) एलआईसी ने सूचित किया है कि बढ़ते हुए बाजार में जहां कुल कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और बीमा कंपनियों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में अग्रणी बीमा कंपनी अर्थात् एलआईसी के बाजार हिस्से में कमी आएगी। तथापि, बाजार हिस्से का समेकन एक सतत प्रक्रिया है तथा पिछले वर्ष के दौरान एलआईसी ने प्रीमियम में 118 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है जो कंपनी के बाजार हिस्से में वर्ष 2005–06 में 71.44 प्रतिशत से वर्ष 2006–07 में 74.18 प्रतिशत तक की वृद्धि के परिणामस्वरूप है।

जेंडर बजट प्रकोष्ठ

2291. श्री ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभाग में जेंडर बजट प्रकोष्ठों का सृजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से जेंडर बजटिंग कार्यान्वित करने के लिए भी कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उनसे क्या प्रतिक्रिया मिली है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) अब तक 53 मंत्रालयों/विभागों ने महिलान्मुख बजट आयोजना प्रकोष्ठों की स्थापना कर ली है। मंत्रालयों/विभागों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलोन्मुख बजट आयोजना पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करके

राज्यों में महिलोन्मुख बजट आयोजना की कार्यनीति तथा उपायों के बारे में प्रचार कर रहा है।

विवरण

महिलोन्मुख बजट आयोजना प्रकोष्ठों की स्थापना कर चुके मंत्रालयों/विभागों की सूची

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग
1	2
1.	कृषि और सहकारिता विभाग
2.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
3.	रसायन और पैट्रो–रसायन विभाग
4.	नागर विमानन विभाग
5.	कोयला विभाग
6.	वाणिज्य विभाग
7.	संस्कृति मंत्रालय
8.	उपभोक्ता मामले विभाग
9.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग
10.	पेयजल आपूर्ति विभाग
11.	विदेश मंत्रालय
12.	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
13.	पर्यावरण और वन मंत्रालय
14.	परिवार कल्याण विभाग
15.	उर्वरक विभाग
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
17.	औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग
18.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
19.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
20.	भारी उद्योग विभाग
21.	स्वास्थ्य विभाग
22.	गृह मंत्रालय
23.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
24.	विधि कार्य विभाग
25.	विधायी विभाग
26.	खान विभाग
27.	गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
28.	महासागर विकास विभाग
29.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
30.	पंचायती राज मंत्रालय
31.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
32.	डाक विभाग
33.	विद्युत मंत्रालय
34.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
35.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
36.	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग
37.	लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
39.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
40.	जहाजरानी विभाग
41.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
42.	दूर संचार विभाग
43.	कपड़ा मंत्रालय
44.	पर्यटन मंत्रालय
45.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
46.	शहरी विकास मंत्रालय
47.	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
48.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
49.	जल संसाधन मंत्रालय
50.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय
51.	रक्षा मंत्रालय
52.	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
53.	इस्पात मंत्रालय

[हिन्दी]

दूरसंचार कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

2292. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान सभी मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा किए गए सेवाकर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ मोबाइल सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं से सेवा कर लेते हैं और सरकार के पास इन्हें जमा नहीं कराते हैं तथा पूंजी लाभ कर का अपवंचन भी करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयले की कमी

2293. श्री एन.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण कुछ कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं बंद हो गई हैं और इनमें से अनेक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) देश में कोई भी कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन कोयले की कमी के कारण बंद नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2007 से फरवरी, 2008) के दौरान देश में कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों का वास्तविक संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 77.40 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत 78.49 प्रतिशत था। हालांकि, एनटीपीसी के दो पिटहैड विद्युत स्टेशनों अर्थात् फरक्का एसटीपीएस (1600 मेगावाट) और कहलगांव–I टीपीएस (840 मेगावाट) का संयंत्र भार घटक उनके संबद्ध राजमहल (ईस्टर्न कोलफील्ड लि.) खानों में कम उत्पादन के कारण 84.02 प्रतिशत और 91.74 प्रतिशत के अपने संबंधित पीएलएफ लक्ष्य की तुलना में 82.63 प्रतिशत और 91.03 प्रतिशत था। विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की सभी स्तरों पर कड़ी मॉनीटरिंग की जा रही है, ताकि विभिन्न स्रोतों से विद्युत स्टेशनों को इष्टतम कोयला आपूर्ति की जा सके।

गुजरात से बीपीएल के लिए परियोजनाएं

2294. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) के लिए फ्लैट, अपार्टमेंट के निर्माण हेतु गुजरात सरकार से एक परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरम) के शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा उपमिशन (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त 36 परियोजनाएं निम्नलिखित अनुसार मंजूरी की हैं:–

स्कीम	अनुमोदित परियोजनाओं की सं	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कुल अनुमोदित रिहायशी आवासों की सं.
बीएसयूपी	13	1268.87	87,504
आईएचएसडीपी	23	227.49	18,405
कुल	36	1596.36	1,05.909

गुजरात राज्य के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं का अनुमोदन, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करने और योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित बजट नियतन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

आयकर की परिभाषा की समीक्षा करना

2295. श्री अजीत जोगी :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आयकर की परिभाषा में संशोधन करने की योजना की समीक्षा की गई है/की जा रही है;

(ख) क्या सरकार कंपनियों के लाभांश पर कर लगाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डाकघर जमा योजनाओं और म्यूचुअल फंड्स पर ब्याज को आयकर से छूट दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के अंतर्गत 'आयकर' की कोई परिभाषा नहीं है। तथापि, 1 अप्रैल, 1965 को शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष के संबंध में इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (43) में 'कर' को परिभाषित किया गया है और किसी परवर्ती कर–निर्धारण वर्ष का आशय आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अंतर्गत प्रभार्य आयकर से है और किसी अन्य कर–निर्धारण वर्ष के संबंध में उपर्युक्त तिथि से पूर्व उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत प्रभार्य आयकर तथा अधिकर से है। इस परिभाषा की समीक्षा की गई और वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा दिनांक 1.4.2006 से शुरू होने वाले कर–निर्धारण वर्ष तथा किसी परवर्ती कर–निर्धारण वर्ष के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 115 ब क के अंतर्गत देय अनुषंगी लाभ कर को शामिल करने के लिए दिनांक 1.4.2006 से उक्त परिभाषा में संशोधन किया गया।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की मौजूदा धारा 115 ण के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को अथवा उसके पश्चात् किसी घरेलू कंपनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा संदत्त लाभांश की राशि पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से कर पहले से ही उदग्रहीत है। वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा किसी घरेलू कंपनी के मामले में यह प्रस्ताव किया गया है कि घरेलू कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश की राशि से ऐसे लाभांश की राशि कम कर दी जाएगी बशर्ते कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी की जाती हों। किसी घरेलू कंपनी द्वारा वितरित लाभांश को जो कि उक्त अधिनियम की धारा 115 ण के अंतर्गत लाभांश वितरण कर के अध्यधीन है, उक्त अधिनियम की धारा 10(34) के तहत प्राप्त कर्ता को ही छूट प्राप्त है। प्राप्त कर्ता के लाभांश पर कर उदग्रहीत करना विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) इस अधिनियम की धारा 10(15)(i) के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों, वार्षिक प्रमाण पत्रों, बचत प्रमाण पत्रों तथा अन्य प्रमाण पत्रों तथा निक्षेपों जिनमें डाकघरों के प्रमाण पत्र व निक्षेप भी शामिल हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार इस संबंध में अधिसूचना के द्वारा सरकारी राजपत्र में विनिर्दिष्ट करे, पर मोचन अथवा अन्य भुगतान पर ब्याज, प्रीमियत के रूप में प्राप्त आय को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के अध्यधीन छूट प्राप्त है।

इस अधिनियम की धारा 10(35) के अंतर्गत (i) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत पंजीकृत कोई म्यूचुअल फंड, अथवा (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक अथवा लोक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य म्यूचुअल फंड और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें केन्द्र सरकार इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के संबंध में प्राप्त किसी आय (जिसमें यूनिटों के अंतरण से उद्भूत आय शामिल नहीं है) के संबंध में छूट उपलब्ध है।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों की कारोबार की स्थिति

2296. श्री पी. मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कारोबार के लिए कुल कितनी सरकारी/निजी और विदेश बीमा कंपनियों को अनुमति दी गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा/साधारण बीमा में उनको कितना लाभ और घाटा हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उसने अब तक 37 बीमा कंपनियों – जीवन खंड में 18, गैर–जीवन खंड में 18 और पुनर्बीमा खंड में 1 – पंजीकरण प्रदान किया है। पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा/साधारण बीमा कंपनियों द्वारा उठाए गए लाभ/हानि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जीवन बीमाकर्ताओं/साधारण बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के लाभ/हानि

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	2006–07	2005–06	2004–05
1	2	3	4	5
जीवन बीमाकर्ता				
गैर-सरकारी बीमाकर्ता				
1	बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(13,974)	(6,113)	(6,061)
2	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(64,891)	(18,788)	(21,162)

1	2	3	4	5
3	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(17,757)	(12,400)	(9,376)
4	एचडीएफसी स्टैन्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(12,556)	(12,875)	(8,973)
5	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(6,047)	(6,006)	(9,966)
6	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(31,511)	(9,840)	(5,401)
7	बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(7,170)	(9,854)	(3,676)
8	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	383	202	(1,150)
9	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(11,047)	(4,442)	(1,645)
10	टाटा–एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(7,236)	(5,391)	(4,559)
11	मेट–लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	(1,197)	(9,774)	(4,881)
12	अदीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(13,175)	(14,387)	(9,097)
13	सहारा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	(51)	(784)	(747)
14	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	950	218	
15	भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. #	(8,043)		
16	फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.*			
17	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.			
	सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता			
18	भारतीय जीवन बीमा निगम	77,362	63,158	70,837
गैर-जीवन बीमाकर्ता				
गैर-सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता				
1	रॉयल सुन्दरम एलायंज इंश्योरेंस कं. लि.	2,119	883	501
2	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	7,537	5,156	4,709
3	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	2,157	1,360	1,224
4	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	162	1,437	583
5	इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	2,713	1,462	1,472
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	6,836	5,031	4,835
7	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1,249	(312)	(334)
8	एचडीएफसी छत्र जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	200	441	(799)

1	2	3	4	5
9	अपोलो डीकेवी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.*			
10	फ्यूचर जनरल इंडिया एश्योरेंस कं. लि.*			
11	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.*			
12	स्टार हैल्थ@	(259)	(126)	
सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता				
13	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	145,995	71,638	40,223
14	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	49,727	28,392	33,052
15	नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	42,128	(10,625)	13,112
16	युनाइटेड इंश्योरेंस कं. लि.	52,886	42,523	30,771
17	ईसीजीसी	36,970	22,176	7,614
18	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं. लि.	4,898	5,181	16,846
पुनर्बीमा कंपनी				
19	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	153,134	59,852	20,002

* वर्ष 2007-08 में बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत

@ वर्ष 2005-06 में परिचालन आरंभ

वर्ष 2006-07 में परिचालन आरंभ

[हिन्दी]

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और आश्रम विद्यालय

2297. श्री महावीर भगोरा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएएवी) और आश्रम विद्यालयों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और आश्रम विद्यालय नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन विद्यालयों के लिए अनुदान सहायता दिए जाने हेतु क्या मानदंड हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत देश में कार्यरत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण और जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन 1992 से अब तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत किए गए आश्रम विद्यालयों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इस समय ईएमआरएस की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना आवश्यकता आधारित और मांग-प्रेरित है।

(घ) और (ङ) असम, बिहार, गोवा एवं मेघालय राज्यों में कोई भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नहीं है। गोवा राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से निधियां प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया है, जबकि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इस अवधि से पहले ही स्वीकृत कर दिए गए थे। प्रारम्भ में बिहार को चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए थे जो राज्य के विभाजन के बाद झारखंड राज्य के अंतर्गत आ गए। असम एवं मेघालय राज्यों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए थे, परन्तु दीर्घकाल तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के कारण इन्हें दूसरे राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत नहीं किए गए हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान केवल राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गोवा, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों ने, अब तक अनुदान प्राप्त नहीं किए हैं।

(च) एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु निर्माण के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में 2.50 करोड़ रुपए की राशि और कुल 420 विद्यार्थियों की संख्या वाले विद्यालय के लिए प्रतिवर्ष 72.50 लाख रुपए का अधिकतम आवर्ती अनुदान, सहायता–अनुदान के रूप में दिया जाता है। आश्रम विद्यालयों के भवन–निर्माण की लागत 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य के बीच बराबर–बराबर बांटी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा भवन की संपूर्ण लागत वहन की जाती है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत ईएमआरएस की सं.	कार्यरत ईएमआरएस की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	0	0
5.	छत्तीसगढ़	8	8
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	10	10
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1
9.	जम्मू व कश्मीर	2	0
10.	झारखंड	4	4
11.	कर्नाटक	4	4
12.	केरल	2	2
13.	मध्य प्रदेश	12	8
14.	महाराष्ट्र	4	4
15.	मणिपुर	3	0
16.	मेघालय	0	0
17.	मिजोरम	1	0
18.	नागालैंड	3	1
19.	उड़ीसा	11	10
20.	राजस्थान	9	7
21.	सिक्किम	2	1
22.	तमिलनाडु	2	2
23.	त्रिपुरा	3	3
24.	उत्तर प्रदेश	1	1
25.	उत्तराखंड	1	0
26.	पश्चिम बंगाल	7	5
	कुल	100	79

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आश्रम स्कूल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	85
2.	असम	02
3.	गुजरात	147

1	2	3
4.	दमन व दीव	01
5.	केरल	22
6.	मध्य प्रदेश	312
7.	मणिपुर	02
8.	उड़ीसा	28
9.	राजस्थान	02
10.	तमिलनाडु	21
11.	त्रिपुरा	10
12.	उत्तर प्रदेश	10
13.	कर्नाटक	33
14.	महाराष्ट्र	214
15.	छत्तीसगढ़	97
16.	उत्तरांचल	10
17.	झारखंड	02
	कुल	985

[अनुवाद]

भेषज उत्पादों पर शुल्क की दरों को तर्कसंगत बनाया जाना

2298. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में और राज्य से बाहर लघु और मध्यम स्तर के भेषज उद्यमों को उपलब्ध कर छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार कर छूट दायरे से बाहर के राज्यों के लिए उत्पाद शुल्क व्यवस्था की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समीक्षा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) फार्मा इकाइयां, सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, ऐसी इकाइयां जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में निकासी मूल्य 4 करोड़ रु. तक था, वे कतिपय शर्तों के अधीन एक वित्तीय वर्ष में अपने 1.5 करोड़ रु. तक की प्रथम निकासी पर उत्पाद शुल्क पर पूरी छूट के पात्र है। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में नई इकाइयों या पर्याप्त विस्तार कर रही इकाइयों को जहां उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है, वहीं पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर तथा कच्छ में ऐसी इकाइयां नकद जमा किए गए शुल्क की वापसी के पात्र हैं।

(ख) लघु उद्योग छूट योजना के अंतर्गत फार्मा इकाइयों की पात्रता सीमा तथा छूट सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार को दवाओं सहित फार्मास्युटिकल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की सामान्य दर को कम करके 16% से 8% / 4% करने के भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) 2008–09 के बजट में फार्मा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के मुद्दे की जांच की गई तथा दवाओं सहित फार्मास्युटिकल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करके 16% से 8% कर दिया गया। लघु उद्योग छूट योजना के अंतर्गत कर छूट की भी जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल कोई परिवर्तन न किया जाए।

शेयर दलालों द्वारा टर्मिनलों की हैंडलिंग के विरुद्ध शिकायत

2299. श्री विजय कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को जनवरी, 2008 में शेयर बाजार के लुढ़कने के दौरान टर्मिनलों को बंद किए जाने के तरीके के खिलाफ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कारोबारियों द्वारा मार्जिन धनराशि का भुगतान न किए जाने से संबंधित संकट पर काबू पाने के लिए शेयर के संबंध में कोई निधि रखी जाती है;

(घ) यदि हां, तो शेयर बाजारों द्वारा इस निधि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या शेयर बाजारों के किसी अधिकारी को उक्त खामियों के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है;

(घ) यदि हां, तो शेयर बाजार-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। सेबी को इस बारे में अनेक कथित शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जनवरी, 2008 में स्टॉक बाजार में गिरावट के दौरान कुछ निवेशक कारोबार नहीं कर पाए थे। उनमें से कुछ ने यह भी कहा है कि उनके ब्रोकर टर्मिनल असक्रिय हो गए थे। इन शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए संबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों के साथ इन पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, एक्सचेंज निपटान गारंटी निधि का अनुरक्षण करते हैं, जिसका उपयोग ब्रोकरों द्वारा निधि संबंधी दायित्वों की पूर्ति न किए जाने/आंशिक पूर्ति किए जाने से उत्पन्न कमियों की पूर्ति हेतु सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अध्यधीन किसी निपटान के लिए किया जाता है। एक्सचेंज निवेशक संरक्षण निधि का अनुरक्षण भी करते हैं, जिसका उपयोग चूककर्ता ब्रोकरों के ग्राहकों के दावों अथवा जहां ब्रोकर ऐसे दावों के लिए भुगतान करने में असमर्थ हो, की पूर्ति के लिए किया जाता है।

(घ) से (छ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के प्रतिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

जे.एन.एन.यू.आर.एम में निजी क्षेत्र

2300. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में निजी क्षेत्र को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के दिशानिर्देशों में क्रास-सब्सिडी प्रणाली के साथ, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों, दोनों) में (i) सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) को प्रोत्साहित करके (ii) विकसित भूमि का न्यूनतम 20-25 प्रतिशत निर्धारित करके निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के लिए प्रक्रियाएं, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के स्तर पर तैयार की जानी है।

[हिन्दी]

एनएसटीएफडीसी

2301. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनमें कितने लोगों को लाभ पहुंचा;

(ख) एनएसटीएफडीसी के समक्ष विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजनाओं को बिना किसी बाधा के कार्यान्वित करने के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यविधि बनाई गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान आय सृजनात्मक गतिविधियों एवं विपणन समर्थन सहायता की अपनी योजनाओं के अंतर्गत एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा राज्यवार आबंटन एवं निधियों का वितरण इसके साथ इनके तहत कवर किए गए लाभार्थियों की तदनुरूपी संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों एवं निकायों, जो इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत हैं, अर्थात् राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायताओं को चैनेलाइज किया जाता है।

(ख) और (ग) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. ने सूचना दी है कि स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इसके पास पर्याप्त निधियां हैं।

(घ) और (ङ) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को और अधिक निधियों का आबंटन कंपनी द्वारा परिकल्पित आवश्यकता/अपेक्षता के आधार पर निर्भर है।

विवरण

एनएसटीएफडीसी की आयसृजन गतिविधियों तथा विपणन समर्थित सहायता की योजना के लिए संबंधित वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या सहित राष्ट्रीय आबंटन, कुल स्वीकृतियां तथा संवितरण की राज्य–वार/वर्ष–वार स्थिति

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2004–05			2005–06			2006–07			2007–08 (29/02/08 के अनुसार)		
			संवितरित निधियां			संवितरित निधियां			संवितरित निधियां			संवितरित निधियां	
		स्वीकृतियों के लिए आबंटन	धनराशि	लाभार्थियों की सं.	स्वीकृतियों के लिए आबंटन	धनराशि	लाभार्थियों की सं.	स्वीकृतियों के लिए आबंटन	धनराशि	लाभार्थियों की सं.	स्वीकृतियों के लिए आबंटन	धनराशि	लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	612.00	1181.71	2965	573.00	311.36	409	512.00	898.90	11813	622.00	623.32	1252
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0
3	अरुणाचल प्रदेश	80.00	0.00	0	80.00	0.00	0	72.00	0.00	0	87.00	0.00	0
4	असम	419.00	0.00	0	377.00	0.00	0	337.00	0.00	0	409.00	0.00	0
5	बिहार	83.00	0.00	0	87.00	0.00	0	77.00	0.00	0	94.00	0.00	0
6	छत्तीसगढ़	833.00	734.07	170	755.00	765.46	411	675.00	716.15	295	819.00	262.20	263
7	दादर वे नगर हवेली	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0
8	गोवा	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0
9	गुजरात	898.00	0.00	0	854.00	0.00	0	763.00	500.00	3380	926.00	0.00	0
10	हिमाचल प्रदेश	50.00	16.22	5	50.00	25.40	9	50.00	84.24	161.	50.00	0.00	0
11	जम्मू व कश्मीर	128.00	65.71	15	126.00	51.40	12	113.00	234.54	80	137.00	361.25	237
12	झारखंड	881.00	530.74	295	809.00	284.14	111	723.00	143.10	60	877.00	174.74	344
13	कर्नाटक	279.00	202.90	1120	395.00	257.10	315	353.00	100.20	334	429.00	320.00	1475
14	केरल	50.00	17.09	33	100.00	18.45	41	100.00	14.25	35	100.00	11.16	33.00
15	लक्षद्वीप	50.00	0.00	0	50.00	24.20	19	50.00	27.82	24	50.00	6	3.00
16	मणिपुर	92.00	0.00	0	112.00	0.00	0	100.00	0.00	0	121.00	0.00	0
17	महाराष्ट्र	1066.00	436.83	652	978.00	999.96	413	874.00	1068.51	1560	1061.00	69.84	18
18	मेघालय	221.00	0.00	0	227.00	0.00	0	203.00	0.00	0	246.00	56.98	217
19	मध्य प्रदेश	1411.00	0.00	0	1396.00	576.89	436	1247.00	32.94	6	1514.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	मिजोरम	100.00	0.00	0	100.00	0.00	0	100.00	0.00	0	104.00	0.00	0
21	नागालैंड	155.00	244.09	56	202.00	163.93	40	181.00	172.74	40	219.00	153.00	37.00
22	उड़ीसा	1025.00	27.84	8	929.00			830.00	6.05	2	1008.00	0.00	0
23	राजस्थान	798.00	336.01	271	810.00	345.42	350	724.00	179.64	344	878.00	57.79	164
24	सिक्किम	50.00	116.00	40	50.00	394.13	186	50.00	386.18	306	50.00	284.6	179
25	तमिलनाडु	84.00	0.00	0	74.00	0.00	0	66.00	0.00	0	81.00	0.00	0
26	त्रिपुरा	124.00	0.00	0	113.00	0.00	0	101.00	329.65	232	123.00	31.23	7
27	उत्तरांचल	50.00	11.2	8	50.00	34.27	8	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0
28	उत्तर प्रदेश	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	0.00	0
29	पश्चिम बंगाल	555.00	704.30	6896	503.00	301.03	2999	449.00	768.20	6292	545.00	253.34	2497
	कुल	10294.00	4624.71	12534	10000.00	4553.14	5759	9000.00	5663.11	24964	10800.00	2665.45	6726
क्लस्टर आधारित परियोजनाएं													
1	वाडी–झारखंड		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0
	कुल	10294.00	4624.71	12534	10000.00	4553.14	5759	9000.00	5663.11	24964	10800	2665.45	6726
	बजटीय आबंटन	(10000.00)			(10000.00)			(9000.00)					

टिप्पणी :– वार्षिक आबंटन कोष्ठक में दिए गए हैं। परन्तु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक एससीए कुल आबंटन राशि उच्चतम दर्शाते हुए वर्ष 2005–06 तक के लिए 50.00 लाख की न्यूनतम आबंटन के कारण

ख. विपणन समर्थित सहायता

	आबंटन	एनएसटीएफडीसी का शेयर	धनराशि	लाभार्थियों की सं.	एनएसटीएफडीसी का शेयर	धनराशि	लाभार्थियों की सं.	1000.00 एनएसटीएफडीसी का शेयर	धनराशि	लाभार्थियों की सं.	12..000 एनएसटीएफडीसी का शेयर	धनराशि	लाभार्थियों की सं.
1	ट्राइफेड	0.00	0.00	0	250.00	100.00	2000	0.00	0.00	0	0.00	150.00	3000
2	गिरिजन को–ओपरेटिव कोरपोरेशन लि. (जीसीसी), आंध्र प्रदेश	500.00	500	283000	1000.00	750.00	113400	1050.00	1080.00	125800	1000.00	850.00	116500
3	एनसीसीडीसी–झारखंड	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	300.00	300	90000	0.00	0.00	0
	कुल	500.00	500.00	283000	1250.00	850.00	115400	1350.00	1380.00	215800	1000.00	1000.00	11950
	कुल जोड़+ (आयसृजन++ विपणन समर्थित सहायता)	10294.00	5124.71	295534	10000.00	5403.14	121159	10000.00	7043.11	240764	12000.00	3665.45	126226

टिप्पणी : विपणन समर्थित सहायता के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के लिए आबंटन के रूप में वास्तविक स्वीकृति है।

ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

2302. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्वच्छता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख बिन्दु क्या हैं;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम विकास लक्ष्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने में अच्छी प्रगति करने के लिए कुछ राज्यों की सराहना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ राज्यों विशेषकर कर्नाटक को सहायता देने को सहमत हो गया हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ संपूर्ण विश्व को कवर करते हुए प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर "मानव विकास रिपोर्ट" के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वर्ष 2006 की मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक था : "अभाव से परे: ऊर्जा, गरीबी और वैश्विक जल संकट" जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विश्व में स्वच्छता की स्थिति कवर की गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता मानव विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता है। जब लोग इन क्षेत्रों से वंचित रह जाते हैं तो उन्हें मानव के रूप में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर पाने का अवसर कम सुलभ होता है। यह रिपोर्ट जल प्राप्त करने के अधिकार के क्रमिक उल्लंघन को प्रलेखित करता है, संकट के निहित कारणों का निर्धारण करता है और बदलाव के लिए कार्य–सूची तय करता है।

(ख) और (ग) जल आपूर्ति और स्वच्छता के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो तंत्र है वह संयुक्त निगरानी कार्यक्रम है जिसका प्रबंधन विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा किया जाता है। इस मामले पर "पेयजल और स्वच्छता के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को हासिल करना : दशक की शहरी और ग्रामीण चुनौती" नाम से अंतिम वैश्विक रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत के किसी राज्य का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है।

जनजातीय लोगों की स्थिति के संबंध में अध्ययन

2303. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों और अन्य लोगों की खराब आर्थिक स्थिति के कारणों के लिए हाल ही में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है और उनमें से कितने जनजातीय लोग हैं;

(घ) क्या जनजातीय लोगों के अलावा अन्य लोगों को वनों में रहने और जीविका कमाने की अनुमति दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) ऐसी सूचना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) से (ङ) दिनांक 31.12.2007 से प्रचालन हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों, जो मुख्य रूप से वनों में निवास करते हैं तथा जो अपनी सदाशयी जीविकोपार्जन आवश्यकताओं हेतु इन वनों अथवा वन भूमि पर निर्भर करते हैं, को कतिपय वन अधिकार सौंपे गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल गांव

2304. श्री मिलिन्द देवरा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने राष्ट्रमंडल खेल गांव के निर्माण हेतु यमुना के निकट के क्षेत्र की बजाय सफदरजंग एयरपोर्ट की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के ईएसी की सिफारिशें न मानने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अक्टूबर, 2006 में सफदरजंग एयरपोर्ट को संभावित वैकल्पिक खेल गांव स्थल बताया था।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल संघ ने नवम्बर, 2003 में खेल गांव स्थल का अनुमोदन किया था।

आवासीय इकाइयों में बालकनियां

2305. श्री उदय सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डीडीए के छोटे प्लाट धारकों ने अपने प्रथम तथा द्वितीय तलों पर सड़क की ओर 2–3 फीट आगे तक बालकनी बना ली है तथा इसके लिए डीडीए द्वारा उनसे पैनल्टी भी वसूल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनसे कितनी पैनल्टी वसूल की गई;

(ग) क्या कानून के अंतर्गत ऐसी गतिविधि की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार 60 वर्ग मीटर तक के छोटे प्लाटों के मामले में नाम मात्र की पैनल्टी लेकर बालकनी बनाने की अनुमति देने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) समय–समय पर यथा संशोधित एकीकृत भवन उप–नियमों के अनुसार आवासीय भवनों के मामले में छत स्तर पर 0.9 मीटर चौड़ी बालकनी या बालकनियां अपनी भूमि के सेटबैक में अनुमत्य है। बाह्य निर्माण के संबंध में, उप–नियमों में खुले स्थानों में कुछ प्रकार के निर्माण करने जैसे छज्जली, छज्जा, मौसम अनुकूल शेड, छतरीनुमा निर्माण, बालकनी और पूर्णतः व्यक्तिगत प्लाट में कुछ केन्टिलीवर प्रकार के निर्माण की अनुमति दी गई है।

(घ) सार्वजनिक भूमि में उपरि बाह्य निर्माण को नियमित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आरईसी द्वारा निधियों का जुटाया जाना

2306. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
एडवोकेट सुरेश कुरूप :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री धावरचंद गेहलोत :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री मिलिंद कुमार :
श्री अभिलक्ष प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री राजनरायण बुधौलिया :
श्री रघुनाथ झा :
श्री पी.सी. थामस :
श्री पारसनाथ यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :
चौधरी विजेन्द्र सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरल इलैक्ट्रिकल कॉरपोरेशन (आरईसी) ने विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में एक बिलियन डालर ऋण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, नहीं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने केन्द्र सरकार से विदेशी वाणिज्यिक ऋण के जरिए 1 बिलियन के ऋण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपर्क नहीं किया है। हालांकि आरईसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) प्राप्त करने के लिए अनुमोदन देने का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) अब तक अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बेसहारा बच्चे

2307. श्रीमती जयाताई डी. पाटील : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कोई कार्य–योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आवश्यक धनराशि का आबंटन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा

दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक व्यापक स्कीम के अंतर्गत 'बालिका बचाओ' शीर्षक से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लिंग चयन के उद्देश्य से गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग का निवारण तथा विनियमन करके गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को कार्यान्वित किया जाता है, जिसके माध्यम से गर्भाधान के पूर्व एवं पश्चात् बालिकाओं की जीवन–रक्षा सुनिश्चित की जाती है तथा देश में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा दिया जाता है।

उपर्युक्त कार्यक्रम में सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा प्रचार, गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार, विभिन्न पक्षों की क्षमता एवं नेटवर्क का विकास और प्रसवपूर्व निदान तकनीक क्लिनिकों का मानीटरन एवं मूल्यांकन जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम से संबंधित कार्यकलापों के लिए 10 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

म्यूचुअल फंड्स

2308. श्री काशीराम राणा :
श्री जीवभाई ए. पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत धनराशि जुटाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर दबाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार को इससे कितना लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) म्यूचुअल फंड्स में से निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 म्यूचुअल फंड के कार्यकलापों और प्रचालन के लिए एक रूपरेखा तैयार कराते हैं ताकि यूनिट धारकों के हितों का संरक्षण हो सके।

ग्रामीण महिलाओं की खराब दशा

2309. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को राहत तथा सहायता प्रदान करने के लिए कोई हेल्पलाइन शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय "स्वाधार – कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन कर रही महिलाओं के लिए एक स्कीम" का संचालन कर रहा है, जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस स्कीम का ब्यौरा इस मंत्रालय के वेबसाइट www.nic.wcd.in पर उपलब्ध है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वेतन

2310. श्री अमिताभ नन्दी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संशोधन के कारण राजकोष पर लगभग कितना भार पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ–साथ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कर्मचारी यूनियनों/संघों के बीच आठवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर, 2007 को समाप्त हो गया है। वेतन–संशोधन हेतु अगला वेतन निर्धारण 1 नवम्बर, 2007 से होना है। कामगार यूनियनों, अधिकारी संघों और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ ने भारतीय बैंक संघ को अपने–अपने मांग–पत्र सौंप दिए हैं।

(ग) वेतन संशोधन के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर संभावित बोझ वेतन–समझौतों पर निर्भर करेगा।

नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण

2311. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दीर्घावधि कार्यों का पुनः वित्तपोषण करने के लिए रखी गई नाबार्ड की निधियों में अपना अंशदान कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आरबीआई नाबार्ड को कार्पोरेट कर के दायरे में लाया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा नाबार्ड वार्षिक रूप से कितना कर देता है;

(ङ) क्या नाबार्ड को उच्च ब्याज दरों पर बाजार से पैसा उधार लेना पड़ा है क्योंकि आरबीआई ने नाबार्ड बॉन्ड्स को गैर–प्राथमिकता क्षेत्र वाले बॉन्ड्स के रूप में सूची से निकाल दिया है; और

(च) यदि हां, तो धनराशि प्रवाह तथा बैंकों को उधार लेने वालों के लिए लागू ब्याज के संबंध में नाबार्ड के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क), (ख), (ङ) और (च) जी, हां। वर्ष 1992–93 की बजट घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने लाभ का काफी बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार को अंतरित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लाभ में से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अनुरक्षित दो दीर्घकालिक निधियों – राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित, बड़ी राशियों का विनियोग करने की प्रथा बंद कर दी थी। इस समय, इन निधियों के लिए विनियोग एक–एक करोड़ रुपए की राशि तक सीमित है।

सामान्य ऋण सहायता (जीएलसी) तथा अन्य कम लागत वाले उधार लिखतों को बंद किए जाने की वजह से नाबार्ड के समक्ष आने वाली कठिनाइयां काफी समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही हैं। किफायती दरों पर दीर्घकालीन संसाधनों तक नाबार्ड की पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, वित्त अधिनियम 2005 में "शून्य कूपन बांड (जेडसीबी)" नामक एक नया वित्तीय लिखत उपलब्ध कराया गया है। इस संदर्भ में नाबार्ड ने "10 वर्षीय शून्य कूपन बांड" जारी किया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007–08 की बजट घोषणा के अनुसरण में, 28 जनवरी, 2008 को नाबार्ड ने 5000 करोड़ रुपए के ग्रामीण बांड जारी किए। ये बांड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ग के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं। वर्ष 2008–09 की बजट घोषणा में 5000 करोड़ रुपए की निधि बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि अल्पकालिक सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं को उसके पुनर्वित्त परिचालनों में वृद्धि की जा सके।

(ग) और (घ) सामान्यतः कर छूट किसी नये संगठन को उसके अपेक्षाकृत नये परिचालन क्षेत्र में पता न लगाए गए जोखिम से संबंधित एक्सपोजर की क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित नाबार्ड के मामले में, उसे कर छूट का लाभ 20 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। इस अवधि के दौरान नाबार्ड के समक्ष आने वाले जोखिम का पूरी तरह से पता चल गया और इसलिए कोई अतिरिक्त कर छूट प्रदान करने का कोई आर्थिक औचित्य नहीं था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2001–02 (निर्धारण वर्ष 2002–03) से यह छूट वापस ले ली गई थी।

नाबार्ड ने वर्ष 2005–06 और 2006–07 के लिए क्रमशः 337.40 करोड़ रुपए और 349.00 करोड़ रुपए कर (वापसी को समायोजित करने के बाद) का भुगतान किया है।

एनआरईजीएस के लिए दरों की पीडब्ल्यूडी अनुसूची

2312. श्री वाडिगा रामकृष्णा :
डा. बाबू राव चिंडियम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित महिला कर्मियों की वास्तविक मजदूरी कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विसंगति तथा लिंग भेद को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की दरों की अनुसूची अपनाने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, नहीं। एनआरईजीए के अंतर्गत, मजदूरी का भुगतान कार्य दर आधार पर किया जाता है। एक मजदूर का कार्य मापा जाता है और मजदूरों को मजदूरी का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित कार्य–दर मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है। एनआरईजीएस मांग आधारित है। अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड रखने वाले सभी ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को कार्य की मांग के आधार पर शारीरिक श्रम का रोजगार पाने का हक है और यह रोजगार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों की सीमा से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की अनुसूची–II के पैरा 6 में प्रावधान है कि महिलाओं को प्राथमिकता इस दृष्टि से प्रदान की जाए कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों जिन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा रखा है तथा काम की मांग की है। अधिनियम की अनुसूची–II के पैरा 34 में भी प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक रोजगार के मामले में, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का अनुपालन किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। इस संबंध में राज्यों को जारी निदेश इस स्पष्टीकरण से संबंधित हैं कि एक ही क्षेत्र में सामान्य प्रकृति की गतिविधियों और कार्य–दरों के लिए विभिन्न निष्पादन एजेंसियों की दर सूची (एसओआर) समान होनी चाहिए। राज्यों को यह भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिसूचित दर अनुसूचियां प्राप्त करें ताकि विभागों/एजेंसियों में एक समान दर अनुसूची लागू की जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एसएफआईओ द्वारा मामलों की जांच किया जाना

2313. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर (एसएफआईओ) ने शुरुआत से अब तक कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) क्या अनेक बड़ी कंपनियों के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) एसएफआईओ द्वारा इसकी शुरूआत से 30 मामलों की जांच की गई तथा 18 मामलों की जांच चल रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच की गई कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I तथा जिनकी जांच चल रही है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए मामलों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	2
1	मै. डेवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड
2	मै. डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लिमिटेड
3	मै. डिजाइन ऑटो सिस्टम लिमिटेड
4	मै. बोनान्जा बायोटेक लिमिटेड
5	मै. वत्स कारपोरेशन लिमिटेड
6	मै. ट्रिअम्प इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड
7	मै. एनएच सिक्यूरिटीज़ लिमिटेड
8	मै. केएनपी सिक्यूरिटीज प्रा. लिमिटेड
9	मै. एनवी पारेख सिक्यूरिटीज प्रा. लिमिटेड
10	मै. पंथर फिनकेप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
11	मै. पंथर इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
12	मै. पंथर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
13	मै. ट्रिअम्प सिक्यूरिटीज़ प्रा. लिमिटेड
14	मै. लुमिनेंट इन्वेस्ट्रेड प्रा. लिमिटेड
15	मै. क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड
16	मै. साइमंगल इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
17	मै. क्लासिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
18	मै. गोल्डफिश कम्प्यूटर प्रा. लिमिटेड

1	2
19	मै. नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड
20	मै. चित्रकूट कम्प्यूटर प्रा. लिमिटेड
21	मै. मनमंदिर एस्टेट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड
22	मै. मर्डिया केमिकल्स लिमिटेड
23	मै. साउन्ड क्राफ्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
24	मै. आदम कॉमसॉफ लिमिटेड
25	मै. कोलार बायोटेक लिमिटेड
26	मै. ऊषा इंडिया लिमिटेड
27	मै. मालविका स्टील लिमिटेड
28	मै. कोशिका टेलकॉम लिमिटेड
29	मै. शोंख टेक्नॉलोजी लिमिटेड
30	मै. मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

विवरण-II

उन मामलों की सूची जिनकी जांच चल रही है

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1	मै. शोख टेक्नॉलाजी लिमिटेड
2	मै. जेवीजी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
3	मै. जेवीजी पब्लिकेशन लिमिटेड
4	मै. जेवीजी होटल्स लिमिटेड
5	मै. जेवीजी स्टील्स लिमिटेड
6	मै. जेवीजी टेक्नो फ्रेश लिमिटेड
7	मै. जेवीजी होल्डिंग्स लिमिटेड
8	मै. जेवीजी फार्म फ्रेश लिमिटेड
9	मै. जेवीजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
10	मै. जेवीजी ओवरसीज लिमिटेड
11	मै. जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड
12	मै. जेवीजी लिजिंग लिमिटेड
13	मै. जेवीजी सिक्यूरिटीज लिमिटेड
14	मै. जेवीजी डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड
15	मै. एसएचसीआईएल सर्विसिज् लिमिटेड
16	मै. सिस्टम्स इंडिया (अमेरिका) लिमिटेड
17	मै. कृषि एक्सपोर्ट कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड
18	मै. लिफिन इंडिया लिमिटेड

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

2314. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली विद्यमान ऋण धनराशि काफी कम है;

(ख) क्या इसके कारण किसानों को मजबूरी में साहूकारों तथा कमीशन एजेंटों से ऋण लेने पड़ते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यमान ऋण सीमा को दुगना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (च) जी, नहीं। वर्ष 2004–05 से 2007–08 के दौरान सभी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण के संवितरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों के ब्यौरे में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लगातार वृद्धि दर्शायी गई है। ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2004–05	1,04,500	1,25,306
2005–06	1,41,000	1,80,486
2006–07	1,75,000	2,29,400
2007–08	2,25,000	*1,62,701
2008–09	2,80,000	–

* दिसम्बर 2007 तक के अनंतिम आंकड़े

इसके अलावा, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को समय पर और कम ब्याज पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

- बुनियादी स्तर पर 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधिक फसल ऋण सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार खरीफ 2006–07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी स्वयं की निधियों पर 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध करा रही है।

- वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, 50 लाख नए किसानों का वित्तपोषण करने में सफल रहे हैं।

- बैंकों ने कृषि ऋणों के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया है। 50,000 रुपए तक के ऋणों को संपार्श्विक और मार्जिन रहित कर दिया गया है और "बेबाकी प्रमाणपत्र" की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

- बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे सपी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं।

- बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परिवारों के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड के प्रावधान के जरिए वित्तीय पहुंच हासिल करें, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं वाले "नो फ्रिल" खाते खोलें, सिविल सोसायटी संगठनों जैसे कि किसान क्लबों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), पोस्ट ऑफिसों की व्यवसाय सुसाधक/व्यवसाय संपर्की के रूप में सेवाओं का इस्तेमाल करके वित्तीय पहुंच बढ़ाएं, आदि।

[अनुवाद]

महानगरों में मूलभूत सुविधाएं

2315. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या आवास और शहरी उपशमन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन के चलते महानगरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) आजादी के बाद भारत की आबादी जहां तीन गुणा बढ़ी है वहीं शहरी आबादी 5 गुणा बढ़ी है। स्लम वासियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी के कारण मूलभूत सेवाओं और अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। तीव्र शहरी विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न अनेक समस्याओं का समाधान करने हेतु सरकार ने 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए अवस्थापना और बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करने में शहरों तथा कस्बों को सहायता प्रदान करना है। 63 चुनिंदा शहरों हेतु शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उपमिशन तथा अन्य शहरों/कस्बों हेतु एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम में शहरी गरीबों की आवास की समस्याओं को दूर करने तथा उनके लाभ के लिए झुग्गी बस्तियों/स्लमों/निम्न आय बस्तियों में जल, सफाई, सड़कों, पथ प्रकाश आदि जैसी बुनियादी सेवाएं मुहैया किए जाने की व्यवस्था है।

अन्य राज्यों को विद्युत की बिक्री पर शुल्क लगाना

2316. श्री तथागत सत्पथी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत उत्पादक राज्यों को अन्य राज्यों को विद्युत की बिक्री पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिनांक 28 मई, 2007 को विद्युत क्षेत्र के मामलों पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने विद्युत के उत्पादन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुल्क की उगाही का मामला उठाया था। सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने परिवर्तनशील कीमत पर 12 प्रतिशत विद्युत की अथवा विद्युत के उत्पादन पर कर लगाने के अधिकार की मांग की थी।

तथापि, कुछ राज्यों ने कोयला उत्पादक राज्यों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने पर आपत्ति व्यक्त की, क्योंकि ऐसे किसी भी कदम से विद्युत की कीमत बढ़ेगी। वर्तमान में, मेजबान राज्य को, जहां केंद्रीय ताप विद्युत

केंद्र स्थित है, गृह राज्य के हिस्से के रूप में 10 प्रतिशत का विशेष आबंटन दिया गया है। आगे, कोयला उत्पादक राज्यों को कोयले पर रॉयल्टी के भुगतान के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी जा रही है, जिसकी दरें समय–समय पर संशोधित की जाती हैं।

अतएव दूसरे राज्यों को विद्युत की बिक्री पर शुल्क उगाही का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

2317. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री राजनरायण बुधौलिया :
श्री गणेश सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 36831.37 लाख श्रमदिवस सृजित किए गए थे। एसजीआरवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2007–08 में एसजीआरवाई 264 जिलों में चल रही है। संपूर्ण एसजीआरवाई कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मिला दिया जाएगा।

विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियों का केन्द्रीय आबंटन				
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06 (588 जिले)	2006–07 (388 जिले)
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	18977.31	22014.18	23487.18	28139.33	10903.95
2	अरुणाचल प्रदेश	986.98	1142.85	1246.98	1524.09	1403.65
3	असम	25626.43	29673.53	32368.00	39560.89	25385.99
4	बिहार	36327.51	42137.71	46512.14	55724.88	21299.37
5	छत्तीसगढ़	9286.06	10769.37	13108.64	15705.09	4937.19
6	गोवा	158.36	183.93	336.74	403.44	417.64
7	गुजरात	7728.31	8966.17	10283.30	12320.13	8741.19
8	हरियाणा	4290.25	4976.97	5417.38	6490.41	6048.66
9.	हिमाचल प्रदेश	1806.79	2096.00	2281.48	2733.38	2296.24
10	जम्मू एवं कश्मीर	2154.84	2499.61	2681.02	3212.07	2628.03
11	झारखंड	24828.98	28803.56	31543.52	37791.40	3338.58
12	कर्नाटक	14098.08	16353.72	17539.74	21013.87	16224.75
13	केरल	6325.52	7337.56	7870.10	9428.94	8116.50

1	2	3	4	5	6	7
14	मध्य प्रदेश	21841.08	25338.23	28308.64	33915.78	16854.62
15	महाराष्ट्र	28002.67	32483.24	34672.18	41539.76	25703.73
16	मणिपुर	1719.36	1990.89	2172.42	2655.18	2403.18
17	मेघालय	1926.22	2230.43	2433.74	2974.57	1946.47
18	मिजोरम	445.73	516.13	563.18	688.33	556.39
19	नागालैंड	1321.29	1529.96	1669.40	2040.38	1752.72
20	उड़ीसा	21353.15	24769.56	26567.30	31829.53	9623.95
21	पंजाब	3461.06	4017.63	6025.60	7219.10	6753.65
22	राजस्थान	10710.59	12424.25	13318.66	15956.71	12542.23
23	सिक्किम	493.50	571.44	623.52	762.08	562.78
24	तमिलनाडु	16564.43	19214.77	20538.10	24606.12	18850.46
25	त्रिपुरा	3104.49	3594.77	3922.76	4794.48	3820.26
26	उत्तराखंड	4258.87	4940.35	5242.62	6281.04	4920.58
27	उत्तर प्रदेश	63243.32	73362.27	78495.06	94042.72	56504.34
28	पश्चिम बंगाल	23729.76	27526.41	29524.26	35372.18	15660.57
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	139.88	162.34	220.94	264.70	274.01
30	दादर नगर हवेली	109.27	126.77	145.46	174.27	180.40
31	दमन और दीव	30.27	35.17	70.50	84.46	87.44
32	लक्षद्वीप	48.16	55.95	110.50	132.39	137.05
33	पुडुचेरी	154.50	179.28	223.94	268.30	277.74
	कुल	355253.02	412025.00	449525.00	539650.00	291154.31

नोट – 2006–07 के दौरान 200 जिलों को एनआरईजीएस में मिला लिया गया था।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

2318. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केन्द्रीय परिव्यय की राज्य–वार धनराशि कितनी है;

(ख) वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) अब तक क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य से कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत उप–कर निधियों का आबंटन मानदंड आधार पर किया जाता है लेकिन निधियां वित्तीय प्रगति के आधार पर रिलीज की जाती हैं। वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (आज तक) के दौरान निधियों का राज्य–वार मानदंडात्मक आबंटन और रिलीज को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ग) पीएमजीएसवाई की शुरूआत से जनवरी, 2008 तक इसके अंतर्गत राज्य–वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है।

(घ) और (ङ) पीएमजीएसवाई एक मांग आधारित कार्यक्रम है। राज्यों को निधियां निर्धारित शर्तें, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत निधियों के उपयोग संबंधी प्रमाण–पत्र, विगत वर्ष में कार्यों का विशिष्ट प्रतिशत, उपयोग प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण, लेखा परीक्षा रिपोर्टें और अन्य विहित दस्तावेज शामिल हैं पूरी होने पर रिलीज की जाती हैं। निधियों की रिलीज के लिए प्रस्तावों की जांच की जाती है और निर्धारित शर्तें पूरी होने पर सहायता अनुदान रिलीज किया जाता हैं यह एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण-I

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	2005–06		2006–07		2007–08	
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	100	187.69	100	155.09	105	274.55
अरुणाचल प्रदेश	52	53.81	52	54.22	57	102.03
असम	176	156.82	176	431.05	181	405
बिहार	332	234.29	332	570.5	337	655.34
छत्तीसगढ़	235	307.57	235	708.52	240	830.89
गोवा	5	0	5	0	5	0
गुजरात	60	70.56	60	117.2	65	144.56
हरियाणा	25	20.56	25	200.43	30	216.21
हिमाचल प्रदेश	82	171.27	82	139.9	87	246.23
जम्मू व कश्मीर	60	70.35	60	0	65	72.74
झारखंड	170	152.7	170	56.83	175	0
कर्नाटक	105	143.02	105	45.73	110	271.49
केरल	25	42.41	25	15	30	0
मध्य प्रदेश	435	376.29	435	1165.27	440	1342.18
महाराष्ट्र	140	141.92	140	108.85	145	513.96

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	28	6.33	28	0	33	77.67
मेघालय	40	7.5	40	0	45	0
मिजोरम	27	60.99	27	27	32	21.96
नागालैंड	25	56.03	25	0	30	0
उड़ीसा	268	305.29	268	641.78	273	546.83
पंजाब	30	48.9	30	80.63	35	360.21
राजस्थान	229	434.82	229	1154.06	234	1566.23
सिक्किम	25	41.2	25	36.85	30	172.46
तमिलनाडु	85	58.95	85	20	90	71.03
त्रिपुरा	35	21.76	35	74.5	40	88
उत्तर प्रदेश	370	644.69	370	325.19	375	766.59
उत्तरांचल	95	14.29	95	12.79	100	78.74
प. बंगाल	221	355.58	221	123.69	226	523.16
कुल	3480	4185.59	3480	6265.08	3615	9348.06

रिलीज में एडीबी और डब्ल्यूबी से सहायता घटक और नाबार्ड से ऋण शामिल हैं।

विवरण-II

पीएमजीएसवाई (चरण–I से VIII + एडीबी/डब्ल्यूबी) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	(लंबाई कि.मी. में) स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि 18.02.2008 तक	सड़क कार्यों की सं.	सड़क कार्यों की लं.	पूरे किए गए सड़क कार्यों की सं. (जनवरी, 08 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लं. (जनवरी, 08 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों का प्रतिशत (जनवरी, 08 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लंबाई का प्रतिशत (जनवरी, 08 तक)	व्यय (जनवरी, 08 तक)	रिलीज की गई राशि की तुलना में व्यय (जनवरी, 08 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2189.94	1441.11	4968	15495.73	4234	11515.55	85.23	74.31	1389.70	96.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	646.71	335.71	519	2285.38	378	1594.21	72.83	69.76	287.99	85.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	असम	3719.83	1557.35	2062	8223.54	951	3310.00	46.12	40.25	1400.08	89.90
4	बिहार (आरईओ)	976.08	426.82	1239	3445.83	741	1704.27	59.81	49.46	361.95	84.80
5	बिहार (एनईओ)	4914.38	1121.76	1990	12824.99	192	1863.12	9.65	14.53	946.04	84.34
6	छत्तीसगढ़	5354.15	2349.05	4271	21688.76	1768	9236.67	41.40	42.59	2280.14	97.07
7	गोवा	9.72	10.00	90	178.16	72	158.70	80.00	89.08	5.32	53.20
8.	गुजरात	897.82	434.62	2392	5910.91	1588	3281.18	66.39	55.51	475.62	109.43
9.	हरियाणा	904.54	572.71	284	3279.57	153	2137.44	53.87	65.17	453.74	79.23
10.	हिमाचल प्रदेश	2195.77	806.97	1929	11723.79	794	5454.80	41.16	46.53	818.36	101.41
11.	जम्मू व कश्मीर	1024.51	217.55	445	2512.70	113	272.58	25.39	10.85	164.55	75.64
12.	झारखंड	1132.52	563.45	982	5042.15	522	2722.13	53.16	53.99	513.85	91.20
13.	कर्नाटक	1752.08	823.46	2483	11310.04	1769	6034.93	71.24	53.36	795.47	96.60
14.	केरल	492.32	136.97	765	1570.31	256	461.82	33.46	29.41	136.14	99.39
15.	मध्य प्रदेश	9815.91	4325.74	9694	43452.25	3627	16893.46	37.41	38.88	3987.42	92.18
16	महाराष्ट्र	3245.83	1213.59	4148	15852.13	2221	5969.12	53.54	37.66	1115.43	91.91
17.	मणिपुर	273.04	180.50	849	1266.84	528	1102.12	62.19	87.00	166.07	92.01
18	मेघालय	185.34	123.17	373	917.02	307	727.43	82.31	79.33	119.39	96.93
19.	मिजोरम	480.38	271.89	144	1926.32	73	1280.25	50.69	66.46	237.51	87.36
20.	नागालैंड	320.69	161.56	237	2463.67	187	1956.79	78.90	79.43	154.42	95.58
21.	उड़ीसा	6003.03	2351.48	5412	19156.66	2365	7959.82	43.70	41.55	2095.22	89.10
22	पंजाब	787.16	617.14	627	2807.94	523	2139.62	83.41	76.20	523.55	84.83
23	राजस्थान	7418.34	4508.19	11186	45424.00	8287	28019.73	74.08	61.68	4169.37	92.48
24.	सिक्किम	392.45	318.56	221	2119.21	91	1812.37	41.18	85.52	189.09	59.36
25	तमिलनाडु	724.18	582.90	2604	5040.68	2223	4121.95	85.37	81.77	528.79	90.72
26	त्रिपुरा	1344.51	250.89	881	2710.67	256	613.49	29.06	22.63	179.75	71.64
27	उत्तर प्रदेश	7383.82	3277.37	15183	35686.13	10104	17926.43	66.55	50.23	3096.12	94.47
28	उत्तरांचल	759.48	306.86	473	3388.52	194	844.89	41.01	24.93	276.79	90.20
29.	प. बंगाल	3456.60	1845.31	1718	10685.94	964	5258.92	56.11	49.21	1675.25	90.78
	कुल योग	68801.13	31132.68	78169	298389.84	45481	146373.79	58.18	49.05	28543.12	91.68

आंकड़े जनवरी, 2008 तक

अवसंरचना का वित्तपोषण

2319. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री नन्द कुमार साय :
डा. के.एस. मनोज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी दीपक पारेख समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू पेंशन तथा भविष्य निधि द्वारा अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण को अनुमति देने का है जैसा कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) दीपक पारेख समिति की कुछ सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है जैसे कि कार्पोरेट बाण्डों के लिए ओटीसी बाजार में इलेक्ट्रानिक व्यापार और सूचना मंच शुरू कर दिया गया है, बैंक अपने एसएलआर–भिन्न कुल निवेश के 10 प्रतिशत तक का निवेश निर्धारित न किए गए ऋण लिखतों में कर सकता है; बैंक, नियत एवं निर्धारित किए जाने वाले भुगतानों वाली प्रतिभूतियों में किसी प्रकार के निवेश को परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत, यदि वह इसे परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, वर्गीकृत कर सकता है; और आईआईएफसीएल की सहायक विदेशी कंपनी लंदन में पंजीकृत की गई है जो भारतीय रिजर्व बैंक से अल्प मात्रा में विदेशी पूंजी उधार लेकर भारतीय अवसंरचना कंपनियों को उधार देगी। समिति की अन्य सिफारिशों पर सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, आईआरडीए के साथ चर्चा की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने अभी तक अवसंरचना परियोजनाओं का घरेलू पेंशनों और भविष्य निधियों द्वारा वित्तपोषण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं किया है।

[हिन्दी]

अस्पतालों को आबंटित भूमि

2320. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री वी.के. दुग्गर :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स को रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई है;

(ख) गरीबों को निःशुल्क उपचार संबंधी शर्तों के अनुपालन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) उन अस्पतालों की सूची विवरण में रूप में संलग्न है जिनको रियायती दर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा भूमि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) "सामाजिक न्यायिक बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य नामक रिट याचिका सं. 2866/2002, में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में ऐसे अस्पतालों जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई है, द्वारा गरीब मरीजों को प्रदत्त निःशुल्क उपचार की मॉनीटरिंग के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया है।

यह समिति इन अस्पतालों का निरीक्षण करती है और पात्र श्रेणी के मरीजों को मुफ्त उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों के संबंध में प्रधान सचिव स्वास्थ्य को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सांस्थानिक शाखा

रियायती दर पर आबंटित अस्पतालों एवं नर्सिंग होम की सूची

क्रम सं.	सोसाइटी का नाम
1	2
1	अयशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट
2	गुजरमल मोदी अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र
3	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट
4	फ्लाइट ले. राजन ढाल चै. ट्रस्ट
5	सुंदर लाल जैन चै. ट्रस्ट
6	मैडम चानन देवी नेत्र अस्पताल
7	इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर
8	दीपक गुप्ता मेमोरियल चै. फाउंडेशन

1	2
9	गणेश दास चावला चै. ट्रस्ट
10	आर्य वैधशाला कोट्टालय
11	परमार्थ मिशन अस्पताल
12	वेणु चैरिटेबल सोसाइटी (नेत्र अस्पताल)
13	लक्ष्मीपत सिंघानिया मेडिकल फाउंडेशन
14	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एवं रिसर्च सेंटर
15	राजीव गांधी कैंसर सोसाइटी
16	एस्कार्ट हार्ट इंस्टी. एण्ड रिसर्च सेंटर
17	सोढी चैरिटेबल ट्रस्ट
18	संत निरंकारी मंडल
19	लाला मुन्नी लाल मांगे राम ट्रस्ट
20	मानव सेवार्थ ट्रस्ट
21	विक्रांत चिल्ड्रेन मेडिकल फाउंडेशन
22	मुल्तान सेवा समिति
23	देवकी देवी फाउंडेशन
24	ह्यूमन केयर मेडिकल ट्रस्ट
25	बी आर भवानी मेडिकल चै. ट्रस्ट
26	निरोगी चै. मेडिकल चै. ट्रस्ट
27	डा. नारायण दत्त श्रीमती फाउंडेशन
28	परम शक्ति पीठ
29	यूनिक हास्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट
30	शांति मेमोरियल सोसाइटी
31	मधुकर मल्टी स्पेशिवलिटी हास्पिटल
32	बी आर जेसा राम अस्पताल
33	डा. बी.एल. कपूर मेमोरियल अस्पताल
34	बालाजी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर
35	जयपुर गोल्डन चै. ट्रस्ट
36	मुकुंद लाल मेमोरियल फाउंडेशन
37	नेशरल हार्ट इंस्टीट्यूट
38	फाउंडेशन ऑफ एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर
39	विवेकानंद प्रतिस्थानम
40	बिरला सेंटर फार मेडिकल रिसर्च
41	खोसला मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर
42	महादुर्गा चै. ट्रस्ट
43	अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस फाउंडेशन (दिल्ली विश्वविद्यालय)
44	बाला साहिब गुरुद्वारा
45	नेशनल सोसाइटी फार प्रीवेंशन आफ ब्लाइंडनेस (छोटा अस्पताल)
46	आल इंडिया सोसाइटी फार हेल्थ एंड एजुकेशन रिसर्च
47	लाला गेलाराम मेमोरियल मेडिकल रिसर्च सेंटर (डेंटल हास्पिटल)
48	दिल्ली चेशायर होम (अक्षम लोगों के लिए अस्पताल)
49	दिल्ली ई.एन.टी. हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (ई.एन.टी. हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर)
50	वी.एन. गुप्ता चै. ट्रस्ट
51	सर्वोदय हेल्थ फाउंडेशन
52	माई कमली वाली जल कल्याण चै. ट्रस्ट
53	वालिया चैरिटेबल ट्रस्ट
54	महासती मोहन देवी जैन शिक्षण समिति (भगवान महावीर अस्पताल)

भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा आबंटित भूमि वाले अस्पतालों की सूची

1.	सर गंगा राम अस्पताल
2.	वीरवाली इंटरनेशनल हास्पिटल (दिल्ली हास्पिटल सोसाइटी)
3.	डा. विद्या सागर कौशल्या देवी मेमोरियल ट्रस्ट (वीआईएमएचएएनएस)
4.	मूल चन्द खैराती राम अस्पताल
5.	संत स्टीफन्स अस्पताल

आर.बी. सेठ जेस्सा राम अस्पताल को अस्पताल के विस्तार के लिए 772 वर्ग यार्ड की अतिरिक्त भू–पट्टी आबंटित की गई थी। प्रारंभ में भूमि डीडीए द्वारा आबंटित की गई है।

[अनुवाद]

कृषि ऋण पर ब्याज दर

2321. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि ऋण देने के लिए ब्याज दर पर आर्थिक सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज पर आर्थिक सहायता देने की योजना के कार्यान्वयन में आ रही कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात सरकार को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि वर्ष 2006–07 से किसानों को 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा सहित मूल राशि पर 7 प्रतिशत पर अल्पावधि ऋण प्राप्त हो। सरकारी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को स्वयं की निधियों से ऋण देने पर 2 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहायता दी जा रही है। सरकार इस प्रयोजना के लिए नाबार्ड को ब्याज सहायता और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त भी दे रही है। यह योजना वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिए भी जारी है।

(ख) और (ग) जी, हां। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में सहकारी बैंकों की निधियों की लागत अत्यधिक है और इसीलिए वे इस योजना को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुझाव दिया है कि –

- भारत सरकार को सहकारी बैंकों की स्वयं की अंतर्ग्रस्तता पर उन्हें ब्याज सहायता देने के प्रावधान पर विचार करना होगा।
- नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को उनके फसल ऋणों के 85 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्वित्त।
- नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त धारा 11(1) का अनुपालन न करने वाले सभी बैंकों के लिए उपलब्ध होना।

भारत सरकार ने, प्रति ऋणकर्ता मूल राशि पर 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा सहित स्वयं के संसाधनों से संवितरित अल्पावधि ऋण हेतु सहकारी बैंकों को 2 प्रतिशत वार्षिक की सहायता देने का निर्णय लिया है।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता

2322. श्री राम कृपाल यादव :
श्री एल. राजगोपाल :
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) से आज की स्थिति के अनुसार कुल कितनी धनराशि आहरित की गई है;

(ख) इसके अंतर्गत राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार को नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता में विसंगति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) विण्डो से 3707.3636 करोड़ रुपए आहरित किए गए हैं।

(ख) नाबार्ड की निधियों का राज्य–वार आबंटन नहीं होता है। अलग–अलग राज्यों की व्यय आवश्यकता के मद्देनजर नाबार्ड के विशेष विण्डो से निधियां आहरित की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की राज्य–वार रिलीज नीचे दिए अनुसार हैं:

क्रम सं.	राज्य का नाम	रुपए (करोड़ में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	160.39500
2	अरुणाचल प्रदेश	52.03000
3	असम	250.00000
4	छत्तीसगढ़	268.62000

1	2	3
5	गुजरात	112.01000
6	हरियाणा	116.39000
7	हिमाचल प्रदेश	139.90000
8	कर्नाटक	165.36000
9	मध्य प्रदेश	464.89000
10	पंजाब	210.21000
11	राजस्थान	834.65000
12	सिक्किम	105.96000
13	उत्तर प्रदेश	462.21000
14	बिहार	364.75860
	कुल	3707.3836

(ग) और (घ) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता में असमानता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बैंकों में दृष्टिहीनों को रोजगार

2323. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बैंकों को दृष्टिहीनों को रोजगार देने के निदेश दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों को पालन करने वाले तथा पालन न करने वाले बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) बैंकों को, दृष्टिहीन व्यक्तियों को रोजगार देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी और विशेष अनुदेश की सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) तथा वित्तीय संस्थाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने के संबंध में सरकार ने समय-समय पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देश दृष्टिहीनों, शारीरिक विकलांगों तथा बहरे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने के संबंध में हैं। सीधी भर्ती में 3 प्रतिशत (विकलांगता की प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 प्रतिशत) आरक्षण है, जबकि अशक्त व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में अर्थात् समूह "घ" से समूह "ग" में तथा समूह "ग" से समूह "ग" में ही पदोन्नति होने पर उपलब्ध है। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन पीएसबी तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाना अपेक्षित है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में यदि मंत्रालय को कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो इसकी जांच संबंधित बैंक/संस्था के परामर्श से, उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई, यदि ऐसा जरूरी हो, करने के लिए की जाती है।

[अनुवाद]

गरीबों को स्मार्ट कार्ड

2324. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण तथा शहरी गरीबों को वित्तीय लाभ देने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकार ने बजट 2008-09 में घोषणा की है कि हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के वितरण के लिए प्रायोगिक तौर पर स्मार्ट कार्ड पर आधारित सुपुर्दगी प्रणाली शुरू करेंगे।

खनन कंपनियों की ऋण माफी

2325. श्री पुएल ओराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन कंपनियों के ऋणों को माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लाभार्थी कंपनियों के नाम सहित इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की दो खनन कंपनियों की देयताएं माफ कर दी हैं।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

माफ की गई देयताएं	माफ की गई राशि (करोड़ रुपए में)	माफ करने के कारण
वर्ष 2006-07		
मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड		
31.03.2005 की स्थिति के अनुसार ब्याज	51.56	कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए इसका वित्तीय पुनर्गठन
31.03.2005 की स्थिति के अनुसार दंड ब्याज	7.28	
31.03.2005 से सरकार के बकाया ऋण को साम्या में तब्दील करना	30.80	
31.03.2005 से गैर–योजना ऋण को साम्या में तब्दील करना	15.00	
कुल	104.64	
वर्ष 2007-08		
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड		
7.5 प्रतिशत गैर–संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर और इसका संचयी हानि के लिए समायोजन	180.73	कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए इसका वित्तीय पुनर्गठन
साम्या शेयर के अंकित मूल्य को 10 रुपए से घटाकर 5 रुपए करके तथा इसका संचयी हानियों के लिए समायोजन करके पूंजी का पुनर्गठन	382.21	
गैर–योजना सरकारी ऋण का साम्या में परिवर्तन	50.00	
कुल	612.94	
2006 से 2008 तक कुल माफी	717.58	

ऋण माफी का भारत सरकार की वित्तीय स्थिति पर कुल 717.58 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ा जोकि केवल काल्पनिक हानि है, क्योंकि देयताएं कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए माफ की गई थीं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत योजनाएं

2326. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005 में आरंभ किए गए महत्वपूर्ण जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्य बड़ी संख्या में शहरी गरीबों के उत्थान की योजनाएं नहीं बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस योजना के उचित कार्यान्वयन तथा शहरी गरीबों के लिए योजना तैयार करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) शहरी निर्धनों के उत्थान के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा बड़ी संख्या में परियोजनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। अब तक जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी निर्धनों के लिए मूल सेवायें (बीएसयूपी) उप-मिशन तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत कुल 20416 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ एक मिलियन से अधिक

मकान अनुमोदित किए गए हैं। केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की गति बढ़ाने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्य व शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों तथा अन्य हितबद्धों के लिए 59 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को स्लम विकास को प्राथमिकता देने तथा जेएनएनयूआरएम के तहत शहरी निर्धनों को मूल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा भी यह मामला समय-समय पर मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया गया है। कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा राज्य व स्थानीय स्तरों पर परियोजना प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा

2327. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

बैंक शाखाओं का खोला जाना

2328. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में नई बैंक शाखाएं खोले जाने हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य-वार बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी शाखा प्राधिकरण नीति के अंतर्गत बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। तथापि, अनुमोदन देते समय, भारतीय रिजर्व बैंक सुनिश्चित करता है कि अनुमोदनों में ग्रामीण/कम बैंकिंग वाले जिले भी शामिल हो। सामान्यतः, कम बैंकिंग वाले जिलों/ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के सभी प्रस्तावों पर अनुकूल रूप से विचार किया जाता है। इसके अलावा, गैर-सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों से अपेक्षित है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी कुल शाखाओं का न्यूनतम 25 प्रतिशत सतत् आधार पर अर्द्धशहरी और ग्रामीण केन्द्रों में हो।

वर्ष 2006-07 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान देश में खोली गई वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	1 अप्रैल, 2006 – 31 मार्च, 2007
1	2	3
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	192
3	अरुणाचल प्रदेश	3
4	असम	31
5	बिहार	44
6	चंडीगढ़	16
7	छत्तीसगढ़	36
8	दादरा एवं नगर हवेली	7
9	दमन एवं दीव	2
10	दिल्ली	118
11	गोवा	15
12	गुजरात	156
13	हरियाणा	104
14	हिमाचल प्रदेश	38
15	जम्मू एवं कश्मीर	22
16	झारखंड	36

1	2	3
17	कर्नाटक	167
18	केरल	146
19	लक्षद्वीप	–
20	मध्य प्रदेश	76
21	महाराष्ट्र	222
22	मणिपुर	1
23	मेघालय	2
24	मिजोरम	5
25	नागालैंड	5
26	उड़ीसा	89
27	पुडुचेरी	9
28	पंजाब	138
29	राजस्थान	139
30	सिक्किम	5
31	तमिलनाडु	257
32	त्रिपुरा	6
33	उत्तर प्रदेश	234
34	उत्तराखंड	31
35	पश्चिम बंगाल	115
	कुल	2470

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंकों संबंधी मास्टर ऑफिस फाइल (नवीनतम उन्नत संस्करण)

टिप्पणी : वाणिज्यिक बैंकों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक शामिल हैं।

गायब हो जाने वाली कंपनियां

2329. श्री रमेश दूबे : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथिअनुसार गायब होने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों में निवेशकों को कुल कितनी राशि का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के निदेशकों तथा प्रवर्तकों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) वर्ष 1992 से 1998 के दौरान आईपीओ के साथ बाजार में उतरी कंपनियों में से कुल 229 कंपनियों की मूलतः गुप्त कंपनियों के रूप में पहचान की गई थी। मंत्रालय के सतत प्रयास के कारण, 116 कंपनियों की पुनः तलाश कर ली गई है जिसके फलस्वरूप लुप्त कंपनियों की संख्या घटकर 113 रह गई। तदुपरांत, वर्ष 1998–2001 के दौरान आईपीओ के साथ बाजार में आई 8 और कंपनियों को लुप्त कंपनियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस तरह, अब तक लुप्त कंपनियों की कुल संख्या 121 हो गई है।

(ख) इन 121 लुप्त कंपनियों के द्वारा जनता से आईपीओ के माध्यम से उगाही गई कुल राशि लगभग 819.16 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) सरकार ने लुप्त कंपनियों और इनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए 109 मामलों में अभियोजन दायर किए गए हैं।

(ii) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत 104 मामलों में प्राथमिकी दायर की गई है।

(iii) सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11ख के अंतर्गत 100 कंपनियों और 378 निदेशकों पर पूंजी बाजार में पांच वर्ष तक प्रवेश करने पर रोक लगा दी है।

अधिग्रहण मानकों को सरल बनाना

2330. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी, 2008 के "द बिजनेस लाइन" में "पी एस बी वान्ट फेड रिजर्व टू ईज एक्वीजीशन नार्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) में भारतीय बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने/परिचालन करते समय, उनके द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक, इन मुद्दों पर संबंधित मेजबान देशों सहित अमेरिकी अधिकारियों के साथ उचित स्तर पर विचार करता रहा है।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2004

2331. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री गिरिधर गमांग :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :
श्री गणेश सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2004 के प्रस्तावित मसौदे पर सभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित मुख्य संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संशोधन विधेयक को संसद में कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 को संसद के शीतकालीन सत्र, 2007 के दौरान लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस समय, इस विधेयक पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

शहरी रोजगार के तहत अप्रयुक्त धनराशि

2332. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष शहरी रोजगार के सृजन के लिए अभिप्रेत 500 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकरण

2333. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और दिल्ली में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्रों में इस बैंक के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) राज्यों में स्थित बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में की जाती है, जिनमें संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। राजस्थान और दिल्ली राज्य की एसएलबीसी की बैठकों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यनिष्पादन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2006–07 और 2007–08 (29 फरवरी, 2008 तक) बैंक के दिल्ली अंचल, जिसके अंतर्गत दोनों राज्य आते हैं, का कार्य निष्पादन, प्रमुख व्यवसाय संकेतकों के संबंध में लगभग समग्र बैंकिंग क्षेत्र के समान ही रहा है।

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का पुनरुद्धार

2334. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
डा. के.एस. मनोज :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष, 2004 में सरकार को निदेश दिया था कि आंगनवाड़ियों में पोषक खाने की आपूर्ति ठेकेदारों के माध्यम से नहीं की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.10.2004 के आदेश में अन्य बातों के अलावा यह निर्देशित है कि "आंगनवाड़ियों में पोषाहार की आपूर्ति में ठेकेदारों की सेवाएं नहीं ली जाएंगी तथा आई. सी.डी.एस. स्कीम की निधि ग्रामीण समुदायों, स्व–सहायता दलों और महिला मंडलों के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने एवं भोजन तैयार करने के लिए खर्च की जाएगी।"

इन निर्देशों के बाद राज्यों को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.10.2004 के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है।

देश में आय कर कार्यालय खोला जाना

2335. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ और आय कर कार्यालय तथा आवासीय परिसर खोलने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सूचना देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही तथा उसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

2336. श्री संतोष गंगवार :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में निजी विद्युत वितरण कंपनियां अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अधिक प्रशुल्क पर अन्य राज्यों को विद्युत आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वितरण कंपनियां संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा शासित होती हैं।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है:–

1 दिल्ली में अनियमित भार मांग में व्यस्ततमकालीन मौसमों तथा उच्चतम भार अवधि के दौरान दिन में विद्युत की उपलब्धता दिल्ली एनसीटी के लिए, दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौते के जरिए सुनिश्चित विद्युत की तुलना में काफी कम होती है। इन कमियों को बाजार दर पर विद्युत प्राप्त कर पूरा किया जाता है। गैर–व्यवस्ततमकालीन अवधि के दौरान कुछ अधिशेष विद्युत मौजूद होता है जिसका समान रूप से द्विपक्षीय व्यापार/अनिर्धारित अतः परिवर्तन के जरिए व्यापार किया जाता है और इससे प्राप्त राजस्व से उच्चतम विद्युत मांग को पूरा करने के लिए बाजार दरों पर की गई खरीद की आंशिक रूप से भरपाई हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसी बिक्री से एक सीमा तक राजस्व के अंतर को कम करने में मदद मिलती है।

2 दिल्ली एनसीटी की निजी वितरण कंपनियां तथा एनडीएमसी एवं एमईएस दूसरे राज्यों को विद्युत की आपूर्ति अपने संबंधित वितरण क्षेत्र में आवश्यकता के अलावा अधिशेष विद्युत उपलब्ध होने पर ही कर रहे हैं। इन यूटिलिटी द्वारा अधिशेष विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में की जाती है और इससे राजस्व अंतर में अंततः कमी आती है।

3 आयोग ने अपने दिनांक 31.3.2007 के आदेश द्वारा दिल्ली एनसीटी में विचारित आ समेत वितरण यूटिलिटियों को विद्युत क्रम समझौता पुनः हस्तांतरित करते हुए अधिशेष विद्युत की बिक्री के संबंध में सभी वितरण यूटिलिटियों को निम्नलिखित निदेश दिए हैं।

"यदि विद्युत आबंटन से किसी भी समय वितरण कंपनियां/एजेंसी को किसी भी तरह से अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होती है, तो इस क्षमता की पेशकश सर्वप्रथम दिल्ली के अन्य यूटिलिटियों को की जाएगी और यदि इस अतिरिक्त क्षमता को दिल्ली के भीतर प्राप्त किया जाना संभव नहीं है तभी इसे अन्य को प्रस्तावित किया जाएगा। दिल्ली एनसीटी सरकार द्वारा त्वरित विद्युत अधिप्राप्ति समूह में इस उद्देश्य से आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।"

अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों को शामिल किया जाना/हटाया जाना

2337. श्री महावीर भगोरा :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ समुदायों को शामिल किए जाने/हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार, जनजाति–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिमा) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों को शामिल करने, हटाने और अन्य संशोधनों हेतु विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं अन्य स्रोतों से गत वर्षों के दौरान 1000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में एनटीपीसी और पीजीसीआईएल

2338. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का अन्य देशों में भी प्रचालन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य देशों में उनके द्वारा कितना निवेश किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) अपनी परामर्श सेवाएं अफगानितस्तान, भूटान, नेपाल, दुबई, नाइजीरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में विभिन्न यूटिलिटियों को प्रदान कर रही है।

इसी प्रकार, एनटीपीसी भी अपनी परामर्श सेवाएं यू.ए.ई., कुवैत और सऊदी अरब को प्रदान कर रही है। एनटीपीसी का दुबई, यूएई में एक प्रतिनिधि कार्यालय है। एनटीपीसी ने त्रिंकोमाली क्षेत्र में 500 मेगावाट की कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु श्रीलंका सरकार और सीलोन विद्युत बोर्ड (सीईबी) के साथ 29 दिसंबर, 2006 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें सीईबी की समान इक्विटी भागीदारी होगी। एनटीपीसी ने ऊर्जा मंत्रालय और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया (एफजीएन) के साथ 22 मई, 2007 को ऊर्जा सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एफजीएन ने अपने वर्तमान/भविष्य के एलएनजी टर्मिनलों से भारत में एनटीपीसी संबंत्रों के प्रयोग के लिए एनटीपीसी को प्रत्येक वर्ष 3 मिलियन टन एलएनजी 25 वर्षों के लिए उचित दर पर प्रदान करने हेतु सहमति दी है; जो उपलब्धता के अध्यधीन है।

(ग) वर्तमान में, न तो पीजीसीआईएल, न ही एनटीपीसी द्वारा विदेश में कोई निवेश किया गया है।

धान की भूसी और नारियल के खोल से विद्युत उत्पादन

2339. श्री के.सी. पल्लामी शामी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धान की भूसी और नारियल के खोल पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किन–किन स्थानों में स्थापित किया जाएगा, और

(ग) इससे कब तक विद्युत उत्पादन आरंभ हो जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार विभिन्न प्रौद्योगिकी मार्गों जैसे कि दहन, गैसीकरण और सह–उत्पादन के माध्यम से चावल की भूसी और नारियल खोल सहित बायोमास से ऊर्जा उत्पादन की संस्थापना को बढ़ावा दे रही है। बायोमास से ऊर्जा उत्पादन हेतु दिनांक 31.12.2007 के अनुसार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में करीब 1400 मेगावाट की एक संचयी क्षमता संस्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 2000 मेगावाट बायोमास विद्युत संस्थापित क्षमता जोड़ने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

वाहन ऋण पर ब्याज

2340. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक/निजी वित्त कंपनियां/फायनेंसर अपने ग्राहकों से वाहनों के ऋण पर अत्यधिक ब्याज ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 लाख रुपये से ऊपर के अग्रिमों पर लगने वाली ब्याज दर को दिनांक 18 अक्तूबर, 1994 से विनियमित कर दिया है और ये ब्याज दर अपनी आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) और विस्तृत दिशा निर्देशों के अध्यधीन, बैंक स्वयं अपने बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित करते हैं। 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बीपीएलआर से ज्यादा ब्याज लगाने की अनुमति नहीं है। तथापि, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए और दूसरे गैर–प्राथमिकता प्राप्त व्यक्तिगत ऋणों, जिनमें वाहन ऋण भी शामिल है, पर बिना बीपीएलआर का संदर्भ और आकार देखे बिना बैंक स्वयं ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ब्याज दर की उपरोक्त नीति सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है। निजी वित्तीय कंपनियों/वित्तदाता के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

चन्द्रपुर ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार

2341. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चन्द्रपुर में सुपर ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) मै. महाराष्ट्र पावर जेनरेशन कंपनी लि. (महाजेनको) का चन्द्रपुर ताप विद्युत संयंत्र में दो और यूनिटें (500 मेगावाट प्रत्येक की) स्थापित करने का प्रस्ताव है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी अगर वह ग्रिड के साथ कनैक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना ताप विद्युत उत्पादक केन्द्र स्थापित कर सकती है। विद्युत उत्पादक योजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति लेना आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ) परियोजना की कुल लागत लगभग 5500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसके लिए परियोजना लागत के 80% तक का वित्तपोषण (ऋण) विद्युत मंत्रालय के तहत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से मांगा गया है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

2342. श्री अधीर चौधरी :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री टेक लाल महतो :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री पी.सी. थामस :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
प्रो. चन्द्र कुमार :
चौधरी विजेन्द्र सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री गिरिधर गमांग :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और आबंटन क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की धीमी गति के कारण देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को नया रूप प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) सरकार ने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान क्रमशः 10,000 और 40,000 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था। कार्यान्वयन राज्यों/एजेंसियों ने सूचित किया है कि वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान 10169 ग्रामों (350 ग्रामों के गहन विद्युतीकरण सहित) और 40233 ग्रामों (117 विद्युतीकृत ग्रामों के गहन विद्युतीकृत सहित) का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया है। कार्यान्वयन राज्यों/एजेंसियों ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2006–07 के दौरान 672588 बीपीएल घरेलू विद्युत कनेक्शनों सहित 731527 ग्रामीण घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए, हालांकि 10वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण घरेलू विद्युतीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) 10वीं योजना अवधि के दौरान आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन के पश्चात सरकार ने आरजीजीवीवाई को 11वीं योजना के दौरान जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। प्रथम चरण में 28000 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है ताकि वर्ष 2009 तक लगभग 1.15 लाख घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा सकें। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष (2007–08) के दौरान 40,000 ग्रामों के विद्युतीकरण और 48 लाख बीपीएल घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। आरजीजीवीवाई के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन तथा परियोजना को समय से पूरा करने के लिए लगातार अनुवर्तन और मानीटरिंग के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों ओर सीपीएसयू के साथ बारंबार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। एक नई उपलब्धि आधारित मानीटरिंग और वेब आधारित आरजीजीवीवाई रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता मानीटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

रैन बसेरा संबंधी योजना

2343. श्री काशीराम राणा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेघर लोगों और शहरों के फुटपाथ पर रात गुजारने वाले अन्य लोगों के लिए रैन बसेरा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां यह योजना वर्तमान में चल रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने सभी शहरी आश्रयहीनों को रैनबसेरा तथा भुगतान व उपयोग आधार पर शौचालय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वर्ष 1988–89 में केन्द्र प्रवर्तित सामुदायिक रैन बसेरा योजना शुरू की थी। तथापि, यह योजना दिनांक 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई है और केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 के बाद इसके लिए कोई निपटान अथवा राशि नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

एन.आर.ई.जी.ए. ज्ञान केन्द्र

2344. श्री उदय सिंह :
श्रीमती जयप्रदा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए एक मेल ग्रुप नामतः एनआरईजीए ज्ञान नेटवर्क का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश ग्रामीण लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत नहीं होते हैं तथा विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभों से अनभिज्ञ रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उचित कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ई–नॉलेज नेटवर्क शुरू किया है। देश भर में एनआरईजीए के कार्यान्वयन की अड़चनों को दूर करने के लिए कार्यस्थल पर अभिनव परिवर्तन और स्थानीय समाधान काफी मददगार

हैं। ई–नॉलेज नेटवर्क इन स्थानीय समाधानों के बाद में अंतरण में, विशेषकर जिला कार्यक्रम समन्वयकों के बीच मदद करता है। नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य पेशेवरों को आपस में अंतर्संबंध स्थापित करने तथा सूचना, विचारों और उत्कृष्ट कार्यों के आदान–प्रदान के माध्यम से तेजी से बनाए गए नॉलेज पूल के माध्यम से मांग के आधार पर समाधान उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जागरूकता पैदा करना किसी भी ग्रामीण विकास योजना की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ऐसी योजनाओं के तहत ज्यादा–से–ज्यादा लोगों को लाभ मिले, स्थानीय भाषा में समाचार–पत्रों, फिल्मों, सांस्कृतिक मंचों, पर्चों तथा पुस्तिकाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। गैर–सरकारी संगठनों तथा स्व–सहायता समूहों को जागरूकता पैदा करने के काम में लगाया जा रहा है।

सीएफएल बल्बों का उपयोग

2345. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामान्य विद्युत बल्ब के मूल्य पर काम्पेक्ट फ्लोरसेंस लैंप उपलब्ध कराने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी (बीईई) द्वारा बनाई गई योजना के दिशानिर्देश तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख तक राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से देश में सामान्य विद्युत बल्ब के मूल्य पर कॉम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की है जिसकी भरपाई क्लीन डेवलपमेंट मैथडोलॉजी (सीडीएम) कार्बन एमिशन राइट्स (सीईआर) राजस्व से की जाएगी, जो सीएफएल के प्रयोग के कारण बिजली की खपत में आई कमी के परिणामस्वरूप उपार्जित होगा। सरकार ने इस योजना को देश के घरेलू क्षेत्र में भी कार्यान्वित करने के लिए एक गतिविधि कार्यक्रम तैयार किया है। सभी राज्यों को इस योजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने सीडीएम कार्यकारी बोर्ड की विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश, प्रत्येक के लिए एक पायलट परियोजना अनुमोदित की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नालों/स्ट्राम वाटर नालों का निर्माण और उनमें सुधार करना

2346. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाओं, के अंतर्गत कतिपय परियोजनाओं विशेषकर नालों/स्ट्राम वाटर नालों का निर्माण और उनमें सुधार करने की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में से कर की कटौती

2347. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों द्वारा निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में से कर की कटौती किए जाने के मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन करने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि कुछ बैंक सरकारी निदेशों का उल्लंघन करते हुए अशक्त भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन से कर काट रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक से मामले की जांच करवाने और उपचारी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की जांच करवायी और पाया कि एक विशिष्ट मामले में, अनदेखी

के कारण, आय कर की गणना करते समय पेंशन प्राप्त करने वाले की अशक्तता पेंशन को भी गलती से गणना में शामिल कर लिया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त, 2007 के अपने परिपत्र द्वारा सभी एजेंसी बैंकों को सशस्त्र सेना के पेंशनभोगियों की अशक्तता पेंशन पर आयकर से छूट संबंधित रक्षा पेंशन भुगतान दिशा–निर्देश, 2005 का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को अपनी सभी पेंशन शाखाओं को सशस्त्र सेनाओं के पेंशन भोगियों को दी जा रही अशक्तता पेंशन से आयकर नहीं काटने के लिए उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा इसका व्यापक प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

2348. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिपला, रैनबैक्सी, डा. रेड्डी, सनफार्मा, निकोलस पिरामल, टोरेंट, यूएसवाईटामिन्स, केडिला हेल्थ केयर, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, आईपीसीए, ल्यूपिन, यूनिकैम, अरबिन्दो फार्मा, ग्लेनमार्क जैसी कंपनियों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक किए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (घ) कंपनियों की लागत लेखापरीक्ष कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अंतर्गत की जाती है तथा इसके अनुपालन की कारपोरेट कार्य मंत्रालय में निगरानी की जाती है। प्रश्न के भाग (क) में वर्णित सभी कंपनियां फार्मास्यूटिकल उत्पादों में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कीमत निर्धारण प्राधिकरण, मंत्रालय से उनके द्वारा नियामक कार्रवाई के लिए इन कंपनियों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्राप्त करता रहा है। इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग भी लागत/कीमत संबंधी अध्ययन के लिए इन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों का उपयोग कर रहा है। जब कभी कोई विशेष आरोप पाया जाता है जिसमें जांच की आवश्यकता होती है, तब सरकार कानून के उपबंधों के अनुसार जांचें कराती है।

[हिन्दी]

"फेरा" के तहत दोष मुक्ति

2349. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत दोष मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा अधिनियमन, 1973 की धारा 56 और 57 के अंतर्गत अभियोजन शिकायत दायर की गई है ऐसे मामलों में परीक्षण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) द्वारा दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या; राज्यवार निम्नानुसार है:–

राज्य	2006	2007
महाराष्ट्र	1	8
कर्नाटक	3	1
तमिलनाडु	3	1
केरल	3	4
आंध्र प्रदेश	–	5
दिल्ली	1	–
पंजाब	–	2
कोलकाता	1	–
कुल	12	21

(ख) और (ग) न्यायनिर्णयन, अभियोजन और शास्तियों की वसूली की प्रगति की समीक्षा समुचित कार्रवाई के लिए आवधिक रूप से की जाती है।

[अनुवाद]

आयकर कानून की समीक्षा

2350. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री पंकज चौधरी :
श्री वाडिगा रामकृष्णा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एक संशोधित तथा सरलीकृत आयकर कानून तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) फिलहाल एक पुनरीक्षित एवं सरलीकृत आयकर कानून तैयार किया जा रहा है।

शहरों के लिए ई-गवर्नेंस कार्यक्रम

2351. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में 323 शहरों के लिए नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट प्रोग्राम नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का अनुमोदन किया है जिससे नागरिक कहीं भी किसी भी समय जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवा सकते हैं और उनके प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा संपत्ति कर, जल तथा विद्युत बिलों का ऑन लाइन भुगतान एवं भवन निर्माण संबंधी योजना को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रिमंडल समिति ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए पहले ही से 787 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो सभी 323 शहरों में ई–गवर्नेंस कार्यक्रम कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) शहरी विकास मंत्रालय ने 5 वर्षों की अवधि में, एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 423 शहरों व कस्बों में कार्यान्वयन हेतु एक नई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम, अर्थात् "नगरपालिकाओं में ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना" तैयार की है। इस स्कीम को शहरी स्थानीय निकायों के भीतर 8 सेवाओं/प्रबंधन कार्यों, यथा (i) जन्म व मृत्यु का पंजीकरण व प्रमाणपत्र का निर्गम (ii) संपत्ति कर, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाओं के बिलों का भुगतान तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का प्रबंधन (iii) शिकायत व सुझाव (iv) भवन निर्माण योजना अनुमोदन (v) परियोजनाओं का प्रापण और मानीटरिंग, जिसमें ई–प्रापण और परियोजना/वार्ड कार्य शामिल है (vi) स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें लाइसेंस और कचरा प्रबंधन शामिल है (vii) लेखांकन प्रणाली, तथा (viii) वैयक्तिव सूचना प्रणाली। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कुल अनुमानित केन्द्रीय अंश 6.76 करोड़ रु. है। आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति में दिनांक 24.1.2007 को 423 शहरों/ कस्बों में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया और निदेश दिया कि प्रस्ताव पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में विचार किया जाए। तदनुसार योजना आयोग से 11वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में स्कीम पर विचार करने का अनुरोध किया गया। योजना आयोग ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया:–

- यह स्कीम 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 35 शहरों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का भाग होगी और अन्य शहरों व कस्बों के लिए एक नई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम होगी।
- तथापि, 35 शहरों के अलावा अन्य शहरों व कस्बों के लिए नई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम, जेएनएनयूआरएम के भाग के रूप में 35 शहरों में कार्यान्वित होने तक प्रतीक्षित होगी।

जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जेएनएनयूआरएम के भाग के रूप में, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 35 शहरों में नगरपालिकाओं में ई–गवर्नेंस कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

कृषि सुधारों संबंधी समिति

2352. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार नीति के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए कृषि सुधारों संबंधी समिति के अंतर्गत पांच उपसमूहों का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" के विचारार्थ विषयों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 19.2.2008 को हुई समिति की प्रथम बैठक में, निम्नलिखित मुद्दों/विचारार्थ विषयों के साथ सात उप–समूहों को गठित करने का निर्णय लिया गया था :–

उप–समूह	निर्धारित विचारार्थ विषय/मुद्दे
1	2
उप–समूह–I	फालतू घोषित भूमि के वितरण, आबंटित भूमि पर ग्रामीण गरीबों द्वारा सतत् रूप से कब्जा रखने तथा फालतू घोषित की गई परन्तु मुकदमेबाजी के कारण

1	2
	रूकी हुई भूमि का शीघ्रता से निपटान करने की स्थिति सहित देश में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम की गहन समीक्षा करना तथा इस संबंध में उपयुक्त और कारगर कार्यनीतियों का सुझाव देना।
	सरकारी बंजरभूमि की पहचान करने, इसके प्रबंधन, विकास तथा भूमिहीनों को इसके वितरण के संबंध में उपाय सुझाना।
	राज्यों में भू–दान तथा ग्राम–दान भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करना और शेष पड़ी भू–दान/ग्राम–दान भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने के लिए उपाय सुझाना।
उप–समूह–II	भू–धृति और उप भू–धृतियों सें संबंधित मामलों की जांच करना और सभी कृषि काश्तकारों को अभिलेखबद्ध करने के लिए उपाय सुझाना तथा उचित लगान, काश्तकारी की अवधि की सुरक्षा तथा पुनर्ग्रहण के अधिकार के लिए उपयुक्त आश्वासनों के साथ भूमि पट्टे पर लेने और पट्टे पर देने के लिए कृषकों को समर्थ बनाने हेतु ढांचा तैयार करना।
	वासभूमि संबंधी अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना और वासभूमि हीन परिवारों को आवास हेतु भूमि मुहैया कराने तथा निर्धनतम अथवा कमजोर वर्गों की बसावटों/वासभूमियों के लिए पहुंच मार्ग सम्बद्धता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपायों की सिफारिश करना।
उप–समूह–III	भूमि से संबंधित गवर्नेन्स और नीतियों के समेकन के मामलों की जांच करना तथा भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) और पेसा (पी.ई.एस.ए.) की भूमिका सहित संस्थागत तंत्रों का सुझाव देना।
	महिलाओं को भूमि और अन्य उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों की अधिकाधिक प्राप्ति तथा उन्हें प्राप्य अधिकार उपलब्ध कराने संबंधी उपायों की जांच करना।
	भूमि से संबंधित मुकद्मेबाजी में फंसे मामलों के शीघ्रता से निपटान के लिए फॉस्ट–ट्रैक न्यायालयों/तंत्र को स्थापित करने के मामलों की जांच करना।
	भूमि के संबंध में पर्यावरणिक/पारिस्थितिकीय पहलुओं से संबंधित मामलों की जांच करना और इस संबंध में उपयुक्त उपाय सुझाना।
उप–समूह–IV	वन–आश्रित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वन–वासियों के परम्परागत अधिकारों सहित अनुसूचित जातियों की भूमि अथवा जनजातियों के लोगों की भूमि के अंतरण से संबंधित मामलों की जांच करना ओर उन्हें ऐसी भूमि वापस दिलाने के लिए संगत कानूनों में अपेक्षित परिवर्तित सहित यथार्थवादी उपाय सुझाना।
	निर्धनतम अथवा कमजोर वर्गों की भूमि के बाजार शक्तियों के कारण अन्तरण से संबंधित मामलों की जांच करना और इस संबंध में उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सुझाना।
उप–समूह–V	भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण, भूमि अधिकारों को उचित रूप से अभिलेखबद्ध करने और भूमि से संबंधित झगड़ों और विवादों के शीघ्रता से समाधान पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए उपाय सुझाना।
उप–समूह–VI	गरीबों को सार्वजनिक सम्पत्ति और वन संसाधनों के लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
	भूमि उपयोग पहलुओं, विशेष रूप से कृषि भूमि के उपयोग से संबंधित पहलुओं की जांच करना तथा कृषि भूमि के गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन को रोकने/न्यूनतम करने, देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं के समनुरूप, के लिए उपायों की सिफारिश करना।
उप–समूह–VII	पूर्वोत्तर में भूमि प्रबंधन प्रणालियों का अध्ययन करना तथा उनके संबंध में उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

शहरी गरीबों के लिए रोजगार सृजन

2353. श्री अत्तावूद्दीन ओवेसी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की प्रगति काफी धीमी है और मंत्रालय भी एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत आबंटित पूरी राशि को खर्च नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस योजना के लिए विद्यमान दिशा निर्देशों में संशोधन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशा निर्देशों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ङ) संशोधित दिशानिर्देशों से शहरी गरीबों को रोजगार प्राप्त करने में किस हद तक मदद मिलने की संभावना है और निर्धारित समय के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(च) शहरी गरीबों के लिए रोजगार सृजन की अन्य योजनाएं क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत नियतनों का पूर्ण उपयोग किया गया है।

(ग) और (घ) स्कीम की कार्यान्वयन अवधि के दौरान यह पाया गया है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देशों को शहरी गरीबों की जरूरतों की पूर्ति कर पाने में अधिक कारगर बनाने के लिए उनमें संशोधन किये जाने की जरूरत है। तदनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में शहरी गरीबों को, लघु व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना करके उद्यमीय और अन्य सहायता मुहैया कराकर स्व–रोजगार प्रदान करने और साथ ही शहरी गरीबों का उच्च स्तरीय कौशल सुधार करने पर भी बल दिया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिशानिर्देशों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव यथासमय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

(ङ) आशा है कि संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से उद्यमों की स्थापना करने तथा साथ ही उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में शहरी गरीबों को कारगर मदद मिलेगी। ताकि वे अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त कमाई कर सकें और गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। मंत्रालय ने पहले ही राज्यों/संघ प्रदेशों से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कारगर कार्यान्वयन के लिए कार्य तंत्र को दुरस्त करने तथा स्कीम के अंतर्गत उन्हें जारी की गयी धनराशि का उपयोग करने का आग्रह किया है।

(च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ही एकमात्र ऐसी शहरी गरीबी उपशमन स्कीम है, जो खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों पर लक्षित है।

एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत आबंटन

2354. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी निधियां निर्धारित/आबंटित और जारी की गई हैं;

(ख) ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत योजना के तहत कितनी निधियों का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 2008–09 के दौरान आबंटित की जाने वाली निधियों में 4000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) एनआरईजीए मांग आधारित कार्यक्रम है इसलिए एनआरईजीए के अंतर्गत निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। वर्ष 2007–08 में एनआरईजीए के लिए 12000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2007–08 के दौरान, 10.3.2008 की स्थिति के अनुसार राज्यों को 12044.98 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

(ख) ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि वर्ष 2008–09 के लिए एनआरईजीए हेतु 16000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जाएगा जो वर्ष 2007–08 में एनआरईजीए के लिए किए गए बजट प्रावधान से 4000 करोड़ रुपए अधिक है।

बड़े चूक कर्ताओं से एनपीए की वसूली

2355. श्री अनिताभ नन्दी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की वसूली करने के लिए कुछ बड़ी चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध वसूली के मामले दायर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वसूली जाने वाली राशि सहित विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित नीतियों जैसे कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन, ऋणों का पुनर्निर्धारण, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों/अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अनुपयोज्य आस्तियों का विक्रय, एकबारगी निपटान योजनाओं के अंतर्गत ऋणकर्ता के साथ समझौता, ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष वाद दायर करना, आदि के अनुसरण में अपनी अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाते हैं। ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के वाद–दायर खातों और 25 लाख रुपए और उससे अधिक के वाद–दायर खातों (जानबूझकर चूक करने वाला) के संबंध में एक डाटाबेस रख रहा है। यह जानकारी उसकी वेबसाइट www.cibil.com पर उपलब्ध है।

समेकित बाल विकास परियोजना

2356. श्री मोहन जेना : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के प्राप्त लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य क्या थे;

(ख) कितने आंगनवाड़ी केन्द्र अपने स्वयं के भवन में तथा किराये के भवन में चल रहे हैं; और

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कितने आंगनवाड़ी कामगार हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) उड़ीसा में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

लक्ष्य	उपलब्धि
वास्तविक	2007–08
326 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं (संचयी)	326 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं प्रचालित (संचयी)
41697 आंगनवाड़ी केन्द्र (संचयी)	41697 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रचालित (संचयी)
वित्तीय	
आई.सी.डी.एस. स्कीम के मानदण्डों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।	आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को वर्ष 2006–07 के दौरान 12137.96 लाख रुपये तथा वर्ष 2007–08 (आज तक) के दौरान 13506.53 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। पूरक पोषण के लिए उड़ीसा सरकार को वर्ष 2006–07 के दौरान 6646.40 लाख रुपये तथा वर्ष 2007–08 (आज तक) के दौरान 6295.06 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार, 14133 आंगनवाड़ी केन्द्र अपने स्वयं के भवनों में तथा 3344 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के परिसरों में चल रहे हैं।

(ग) 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार, सूचना देने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 4094 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां अनुसूचित जाति तथा 3092 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

दिल्ली में मेगासिटी का विकास

2357. श्री चालाजोवरी वल्लभनेनी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में पांच नए मेगासिटी के विकास की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) अतिरिक्त आबादी के लिए शहरी विस्तार के भाग के रूप में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में नए शहरीकरण क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। नए शहरी विस्तार क्षेत्रों में प्रस्तावित आबादी के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित ड्राफ्ट जोनल योजनाएं तैयार एवं अनुमोदित की गई हैं :–

जोन "जे" (साउथदिल्ली–II)

जोन "के–I" (वेस्ट दिल्ली–II)

जोन "एल" (वेस्ट दिल्ली–III)

जोन "एन" (नार्थ वेस्ट दिल्ली–III)

जोन "पी–II" (नार्थ दिल्ली–II)

इन्हें प्रैस मीडिया के भाग द्वारा मेगा शहरों के रूप में माना गया है। ड्राफ्ट जोनल योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2008–09 के बजट में इस संबंध में और अध्ययन करने के लिए दस करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

खाड़ी देशों से प्राप्त संस्थागत विदेशी निवेश

2358. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शेयर बाजार में खाड़ी देशों से संस्थागत विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उनसे शेयर बाजार की स्थिरता प्रभावित होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। भारतीय शेयर बाजारों में कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतार जैसे खाड़ी देशों में आधारित विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप–खातों की संख्या और उनके निवल निवेशों में 2005 से 2007 की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) स्टॉक बाजार का स्वरूप गतिशील है और बाजार में उतार–चढ़ाव मांग और पूर्ति अंतःक्रियाओं और साथ ही कई अन्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है।

स्टॉक बाजार सूचकांकों में उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था अथवा किसी क्षेत्र अथवा सूचकांक स्टॉकों की अवधारणा का कार्य है। यह आर्थिक कारकों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, बाजार मनोभावों, उपलब्ध चल स्टॉक के स्तर, कार्पोरेट निष्पादन और भावी आर्थिक वृद्धि पर भी निर्भर करता है। शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि का मूल्यांकन करते हुए वृद्धि अवसरों के वर्तमान और भावी मूल्यों का पूंजीकरण करता है।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का स्टॉक बाजार की स्थिरता पर कोई प्रभाव पड़ता है।

विद्युत संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानक

2359. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन/कार्यान्वयन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत संयंत्रों के साथ–साथ अन्य उद्योगों में भी सुरक्षा पहलू फैक्ट्री अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। ताप विद्युत स्टेशनों में बॉयलर भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अनुपालन में तैयार तथा उत्पादित किए जाते हैं। एनटीपीसी लि. तथा अन्य यूटिलिटियों के कुछ ताप विद्युत संयंत्रों ने "ओएचएसएएस–18001" प्रमाणीकरण – एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त किया है जो कि भारतीय मानक "आईएस–18001" के अनरूप ही व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदान प्रणाली हेतु आवश्यकताएं निर्धारित करता है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(ग) के अंतर्गत उनके द्वारा तैयार किए गए विद्युत संयंत्रों तथा विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए प्रारूप विनियमों पर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं।

लंबित सी.सी.डी.यू. प्रस्ताव

2360. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेयजल तथा स्वच्छता के लिए विभिन्न राज्यों में संचार एवं क्षमता विकास एककों (सी.सी.डी.यू.) की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन राज्यों के लिए पृथक एककों को मंजूरी प्रदान की जा रही है जहां पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है;

(ग) पृथक संचार एवं क्षमता विकास एककों के कितने प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पृथक संचार एवं क्षमता विकास एककों के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल और केरल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और गुजरात, प. बंगाल तथा केरल के लिए 2007–08 में निधियां रिलीज की गई हैं।

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी

2361. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं तथा बच्चों हेतु राष्ट्रीय स्तर के प्रायोजित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की उचित निगरानी नहीं की जाती है जिसके चलते अधिकांश केन्द्रीय निधियों की बर्बादी होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने गैर–सरकारी संगठनों को उपर्युक्त कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में दोषी पाया गया तथा उनके क्या नाम हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दुर्विनियोजित की गई राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई तथा गैर–सरकारी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई तथा उन गैर–सरकारी संगठनों के राज्य–वार नाम क्या हैं; और

(घ) इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा की गई कार्रवाई की प्रकृति क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी स्कीमों का मानीटरन प्रत्येक स्कीम के अन्दर निहित एक मानीटरन प्रणाली द्वारा समुचित रूप से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) कोई नहीं। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोगी संगठन, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान दो गैर–सरकारी संगठनों को दोषी पाया है तथा उन्हें काली सूची में डाल दिया है। काली सूची में डाले गए संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य समाज कल्याण बोर्डों को आदेश दे दिए गए हैं। इन संगठनों के राज्य–वार नाम संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं।

(घ) कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी इसमें संलिप्त नहीं पाया गया। इसलिए, कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विवरण

बिहार :

1. भगवान बुद्ध विकास सेवा समिति,
   मदर टेरेसा स्कूल परिसर,
   उत्तर मंदिरी, बाणघाट
   कालिक मंदिर के दक्षिण में
   पटना, बिहार।

उत्तर प्रदेश :

2. नागेश सर्व सेवा संस्थान
   ग्राम अठैसा
   जिला बहराइच
   पोस्ट ऑफिस मुस्तफाबाद
   उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में उच्च मातृत्व मृत्यु दर

2362. श्री हितेन बर्मन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मातृत्व मृत्यु दर काफी ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यूनीसेफ तथा राज्य महिला आयोग की सहायता से उच्च मातृत्व मृत्यु दर को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) भारत के महापंजीयक के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 194 है। देश के प्रमुख राज्यों में मातृ दर के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) भारत सरकार ने प्रतिरक्षण और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता एवं पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य खराब जन स्वास्थ्य संसूचकों तथा/अथवा खराब अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में ग्रामीण जनसमुदाय को कारगर स्वास्थ्य देखरेख सेवा प्रदान करना है।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए हैं :

जननी सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संस्थाओं में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नकद लाभ स्कीम; गर्भवती महिलाओं सहित सम्पूर्ण समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से प्रति एक हजार जनसंख्या के लिए एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (आशा) की नियुक्ति, वर्ष 2012 तक दिन के चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन प्रसव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रैफरल एककों के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 50% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रचालन; कुशल दाई प्रशिक्षण; एम.बी.बी.एस. डाक्टरों के लिए लाइफ सेविंग एनैस्थैटिक स्किल्स और शल्यक्रिया सहित आपात प्रासविक देखरेख का प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षणों के द्वारा कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता में वृद्धि; आयरन एवं फौलिक एसिड की गोलियों के द्वारा खून की कमी का निवारण और उपचार; आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन; आई. सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं हेतु पूरक पोषण; अवसंरचना, उपकरण और विशेषज्ञ कार्मिक प्रदान करके सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का कार्यान्वयन; सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुविधाओं अर्थात् जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों को असम्बद्ध अनुदान; वार्षिक अनुरक्षण अनुदान और कॉरपस निधि प्रदान करके इन सुविधाओं के स्तर में सुधार; जिला अस्पतालों; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर रोगी कल्याण समितियों (अस्पताल प्रबंधन समितियों) का गठन; ग्राम–स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और साफ–सफाई समितियों का गठन।

(ग) और (घ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर रहे यूनिसेफ सहित सभी विकास भागीदार प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–II कार्यक्रम के सामान्य ढांचे के अंतर्गत कार्यक्रम चलाने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गए हैं।

विवरण

मातृ मृत्यु दर

भारत एवं राज्य–वार

(स्रोत : आर.जी.आई., (एस.आर.एस.), 1997–98 1999–01, 2001–03)

प्रमुख राज्य	मातृ मृत्यु दर (1997–98)	मातृ मृत्यु दर (1999–01)	मातृ मृत्यु दर (2001–03)
1	2	3	4
भारत कुल*	398	327	301
असम	568	398	490
बिहार/झारखण्ड	531	400	371
मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़	441	407	379
उड़ीसा	346	424	358
राजस्थान	508	501	445
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	606	539	517
आंध्र प्रदेश	197	220	195
कर्नाटक	245	266	228

1	2	3	4
केरल	150	149	110
तमिलनाडु	131	167	134
गुजरात	46	202	172
हरियाणा	136	176	162
महाराष्ट्र	166	169	149
पंजाब	280	177	178
पश्चिम बंगाल	303	218	194
अन्य	–	276	235

* अन्य राज्यों सहित।

यूलिप

2363. श्री मधु गौड़ यास्खी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एल आई सी के कुल व्यापार में यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी (यूलिप) का अनुपात कितना है; और

(ख) यूलिप योजनाओं के माध्यम से एल आई सी द्वारा कितना प्रीमियम एकत्रित किया गया तथा इससे अवसंरचना विकास को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान एलआईसी के कुल व्यापार में यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी (यूएलआईपी) का अनुपात इस प्रकार है :–

वर्ष	कुल कारोबार		कुल कारोबार में यूएलआईपी का %	
	पॉलिसियां	प्रथम प्रीमियम आय	पॉलिसियां	प्रथम प्रीमियम आय
2006–07	38208575	39541.58	45.76	79.83
2005–06	31572547	18085.49	7.10	42.20
2004–05	23959703	12174.11	7.19	35.25

(ख) पिछले तीन वर्षों में यूएलआईपी योजनाओं के माध्यम से एलआईसी द्वारा एकत्रित किया गया प्रथम प्रीमियम इस प्रकार है :–

वर्ष	यूनिट लिंक्ड कारोबार	
	पॉलिसियां	प्रथम प्रीमियम आय (रु. करोड़ में)
1	2	3
2006–07	17484520	31556.80
2005–06	2242227	7631.78
2004–05	1723718	4291.25

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियमों के अनुसार, यूएलआईपी निधियां विपणन योग्य तथा आसानी से मकदीकरण योग्य आस्तियों में निवेश की जाती हैं। एलआईसी ने सूचित किया है कि दिनांक 7.3.2008 की स्थिति के अनुसार, उसे कुल 70,981 करोड़ रुपए के निवेश में से यूएलआईपी कारोबार के अंतर्गत 6,817 करोड़

रुपए के आधारभूत सुविधाओं के कार्य में शामिल कंपिनयों की इक्विटी में निवेश किए गए हैं।

आई डी एस एम टी

2364. श्री राम कृपाल यादव :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान देश भर में लघु तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास संबंधी कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुईं; और

(ख) इन परियोजना रिपोर्टों की राज्यवार क्या स्थिति है तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम (आईडीएसएमटी) का विलय छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) में उस समय कर दिया गया था जब यह स्कीम 3 दिसम्बर, 2005 को लागू की गई थी। इसलिए वर्ष 2007–08 के दौरान आईडीएसएमटी के तहत किसी भी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महानगरों में आवास सुविधाएं

2365. श्री संतोष गंगवार : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के महानगरों में आवासों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों हेतु सस्ते आवासों का निर्माण करने के लिए कोई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) "भूमि" तथा "कालोनाइजेशन" राज्यों के विषय होने के राज्य यह राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है कि वे लोगों को किफायती कीमत पर मकान मुहैया करायें। तथापि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 तैयार की है और इसे 7.12.2907 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया है और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों को भी भेजी गई है। इस नीति में अनेक संबंधित पत्रों अर्थात निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, श्रमिकों के लिए आवास हेतु औद्योगिक क्षेत्र तथा कर्मचारियों के लिए आवास हेतु सेवा/संस्थानिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि "सभी के लिए किफायती कीमत पर आवास" मुहैया कराने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

2366. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री पी.सी. थामस :
श्री हेमलाल मुर्मु :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु नए सुधार पैकेज लाने का है;

(ख) यदि हां, तो नए पैकेज हेतु निर्धारित परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) नई योजना में निहित घटकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। विद्युत एक समवर्ती विषय है। विद्युत क्षेत्र में निवेश को गतिशील बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ सुधार संबंधी अनेक पहल की है, जैसे कि –

1. विद्युत अधिनियम, 2003 ने एक उदार एवं प्रगतिशील विधिक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें खुली पहुंच, उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होने, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए खुली अनुमति देने जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
2. केन्द्र तथा राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र विनियामक फ्रेमवर्क।
3. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत के लिए विवादों के शीघ्र निपटान में सुविधा प्रदान करने हेतु एक अपीलीय अधिकरण चालू किया है।
4. विद्युत क्षेत्र में 100% सीधे विदेशी निवेश की अनुमति देना।
5. उप–पारेषण एवं वितरण खंडों में निवेश में राज्यों की सहायता करने और राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा बेहतर वित्तीय कार्य

निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार की और से 90% पूंजीगत सब्सिडी सहित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इस योजना में सुधरे हुए राजस्व एकत्रण की कार्य प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है।

7. अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित शुल्क नीति में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से विद्युत के प्रतियोगी प्रापण का उपबंध किया गया है।

8. वृहद विद्युत नीति में, क्षमता में वृद्धि में त्वरित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहन दिए गए हैं।

आर्थिक अपराधों में वृद्धि

2367. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधों में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आर्थिक अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किन्हीं विशेष कदमों पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सही निष्कर्ष निकालने के लिए आर्थिक अपराध शब्द को न तो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और न ही इसके वर्गीकरण को समान रूप से स्वीकार किया गया है। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा सेवा कर अपवंचन तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उल्लंघन के लिए जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों के अनुबंध में दिये गये गत तीन वर्षों के आंकड़ों से किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। फिर भी सरकार आर्थिक अपराधों के निवारण, रोकथाम एवं इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।

विवरण

(I) सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये माल तथा सीमा शुल्क अपवंचन के मामलों का ब्यौरा

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	जब्ती का मूल्य	सीमा शुल्क अपवंचन के मामले
1	2	3
2004–05	859.30	1080.40
2005–06	675.17	760.32
2006–07	689.16	900.01

(II) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर मामलों की संख्या तथा शुल्क अपवंचन :

वर्ष	वर्ष के दौरान पता किए गए मामलों की संख्या	शुल्क अपवंचन (करोड़ रुपये में)
2004–05	4813	2696.48
2005–06	7621	4663.33
2006–07	7199	4123.93

(III) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों की संख्या :

वर्ष	जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों (एस सी एन) की संख्या
2005	780
2006	701
2007	239

समुदाय द्वारा प्रतिबंधित पेय जल की सतत् आपूर्ति

2368. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछड़े जनजातीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समुदाय द्वारा प्रबंधित पेय जल की सतत् आपूर्ति के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) "गुजरात राज्य में पिछड़े एवं जनजातीय पंचमहल और दाहोद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जापानी अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी सहायता के लिए स्थायी समुदाय प्रबंधित पेयजल आपूर्ति अवसंरचना" शीर्षक वाला परियोजना प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ जिसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया। आर्थिक कार्य विभाग ने इस विभाग को यह जानकारी दी है कि जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) से ओडीए ऋण सहायता लेने के लिए परियोजना को उपयुक्त नहीं पाया गया है क्योंकि मांगी गई सहायता बहुत कम है। इसकी सूचना गुजरात सरकार को दे दी गई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है।

संसदीय कार्य मंत्री ने मुझसे अनुरोध किया है कि आम बजट 2008–09 पर आगे की सामान्य चर्चा में और अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देने तथा वर्ष 2008–09 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) वर्ष 2007–08 के लिए तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) से जुड़े सभी आवश्यक प्रश्नों को निपटाने के उद्देश्य से प्रश्नकाल के तुरन्त बाद चर्चा शुरू कर दी जाए तथा भोजन काल की घोषणा नहीं की जाए तथा आज के लिए नियत और गैर सरकारी सदस्यों का कार्य सत्र के अगले भाग के लिए स्थानान्तरित किया जाए।

यदि सभा सहमत हो तो आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज के लिए नियत गैर सरकारी सदस्यों का कार्य (संकल्प) को 17 अप्रैल, 2008 के लिए स्थानान्तरित किया जाता है; जिससे उन सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण होगा जिनके नाम से आज की संशोधित कार्य–सूची गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का उल्लेख है।

क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं?

कई माननीय सदस्य : हां, महोदय।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, आपने कहा कि आज गैर सरकारी सदस्यों का कोई कार्य नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री आम बजट पर चर्चा का उत्तर किस समय देंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय वित्त मंत्री के उत्तर देने का समय जानना चाहते हैं। हम इसका पता लगाएंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्हें पांच बजे उत्तर देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पांच बजे बहुत देर हो जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या इसे पांच – छः बजे कर लिया जाए?

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल कराइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के कोई, दो या तीन मामले उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया सहयोग करें क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। अनेक माननीय सहयोगी इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और मैं उन्हें अवसर देना चाहता हूं क्योंकि यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, जो प्राइवेट मेंबर्स डे हैं, हर बार इसी को शिफ्ट किया जाता है। यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। हम हमेशा गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाउंगा और इस मुद्दे को हल करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, हम ऐसा तीसरी बार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : पहले भी ऐसा हुआ था। ...*(व्यवधान)* उस दिन का भी खत्म और आज का भी खत्म ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे केवल स्थगित किया जा रहा है। इस गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (संकल्प) को निर्धारित दिवस को लिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मंत्री जी का जवाब कितने बजे होगा? हम उस समय उपस्थित रहना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जहां तक समय का संबंध है, मैं इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। सामान्य बजट पर वाद–विवाद जारी रहेगा और वित्त मंत्री लगभग अपराह्न 4.15 अथवा 4.30 बजे वाद–विवाद का उत्तर दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि यह ठीक है।

श्री प्रणब मुखर्जी : तत्पश्चात विनियोग, लेखानुदान इत्यादि जैसी अन्य मदों को लिया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि चार बजे सही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वित्त मंत्री आज अपराह्न 4.15 बजे उत्तर दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि वित्त मंत्री आज अपराह्न 4.15 बजे उत्तर देंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–7/25(5)/2003– सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कार्य के लिए पारेषण परिसम्पत्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी) विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं. एल–7/106 (122)/ सीईआरसी–2007 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8256/08]

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8257/08]

(3) वर्ष 2008–2009 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8258/08]

(4) वर्ष 2008–2009 के लिए विद्युत मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8259/08]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : मैं श्री जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8260/08]

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निदेशक (अनुसचिवीय) के 'भर्ती विनियम', दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2007 जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 6 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8261/08]

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपुर्यक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने, में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8262/08]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) वर्ष 2008–2009 के लिए वित्त मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8263/08]

(2) वर्ष 2008–2009 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति सचिवालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8264/08]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8265/08]

(3) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या ओ.एन. 2(अ), जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2005 के आदेश सं. 9 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8266/08]

(4) परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 की धारा 10क की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का.आ. 283(अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

(दो) का.आ. 284(अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

(तीन) का.आ. 285 (अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैंड राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

(चार) का.आ. 286(अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8267/08]

(5) नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) नोटेरी (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नोटेरी (संशोधन) नियम, 2008 जो 23 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8268/08]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : मैं वर्ष 2008–2009 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8269/08]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : मैं श्री प्रेम चन्द गुप्ता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 1–सीए(7)/104/2007, जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री टी. कार्तिकेयन निदेशक की अध्यक्षता में अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना की गई है इस संस्थान को प्राप्त शिकायत की किसी सूचना के संबंध में अन्वेषण करने के लिए की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8270/08]

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 10ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2104 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत विवाद का विनिश्चय करने के लिए एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्यों वाले एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8271/08]

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 जो 27 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8272/08]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची–VI में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8273/08]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रारूप (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8274/08]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : मैं श्रीमती रेनुका चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन पर निष्कर्ष और सिफारिशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8275/08]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : मैं वर्ष 2008–2009 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8276/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 753 (अ) और सा.का.नि. 754 (अ) जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 768 (अ) और सा.का.नि. 770 (अ) जो 13 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 57 (अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/ 2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 741 (अ) जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 21/ 2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 788 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/ 2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 24 (अ) जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/ 2006–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 33 (अ) जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत 539 टैरिफ मदों को अतिरिक्त टैरिफ रियायत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 53 (अ) जो 23 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/ 96–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 797 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/ 2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 799 (अ) और सा.का.नि. 800 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 67 (अ) जो 4 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/ 96–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 773 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 113/ 2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 119 (अ) से सा.का.नि. 128(अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2008 को लोक सभा में की गई घोषणा के अनुसार अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा–शुल्क परिवर्तनों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8277/08]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) सा.का.नि. 68(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित फ्लेन्जिबल स्लैबस्टॉक पॉलियॉल अथवा एफएसपी के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना है ताकि पाटन की पुनरावृत्ति को

रोकने के लिए सिंगापुर और जापान के विरुद्ध पाटन को बराबर किया जा सके जिससे कि अल्पकालीन समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना को खत्म किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 69(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर 2002 की अधिसूचना संख्या 120/2002 – सी.शु. को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 4(अ) जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित मलबरी रॉ सिल्क के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 1 जनवरी, 2009 सहित इस तारीख तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 8(अ) जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 117/2003– सी.शु. में कतिपय संशोधन किए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 9(अ) जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 102/ 2006– सी.शु. में कतिपय संशोधन किए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 12(अ) जो 4 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 165/2003– सी.शु. में कतिपय संशोधन किए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 20(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यायित ट्रिमेथोप्रिम के आयात पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 21(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 89/2002– सी.शु. को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 28 (अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 122/ 2002– सी.शु. को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 29 (अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 100/ 2006 – सी.शु. को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 52 (अ) जो 23 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताइवान, चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, जापान कोरिया गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित होमोपोलीमर ऑफ विनिल क्लोराईड मोनोमर के आयात पर अंतिम प्रतिपाठन शुल्क लगाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा,का.नि. 735(अ) जो 28 नवम्बर, 2007 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय मेसर्स क्यूइंगदाओ लियान चुआंग स्टाक कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित और भारत में आयातित नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक्स के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क से अनंतिम रूप से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 747 (अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित

सेपिट्रआक्सोन सोडियम स्टेराइल के आयात पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 776 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स ओश्राम चाइना लाइटिंग, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प्स के भारत में आयात पर 13 फरवरी, 2006 से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 777(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 7/2006 – सी. शु. को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 784 (अ) जो 20 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 23 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 142/ 2003– सी.शु. में कतिपय संशोधन किए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 798 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित और चीन में आयातित स्टील व्हील्स के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 96 (अ) जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित फास्फोरिक एसिड, इंडस्ट्रियल ग्रेड सहित टेक्निकल ग्रेड या फूड ग्रेड के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 97 (अ) जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 104/ 2007– सी.शु. को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 129 (अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8278/08]

(3) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के एक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 40 (अ9) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 42 (अ) जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 54 (अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 2/ 2006–सीई (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क (अपराध शमन) संशोधन नियम, 2007 जो 27 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 790 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 743 (अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006–सीई (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 25 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 81(अ) जो 11 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 45/2001–सीई (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 130 (अ) से सा.का.नि. 142 (अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 फरवरी, 2008 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा यथाघोषित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन तथा छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखीं गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8279/08]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 739 (अ) जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007–सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 740 (अ) जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल के उन विनिर्माताओं, जो उसमें उल्लिखित किन्हीं संगठनों में ऐसे माल के निर्यातकों के रूप में पंजीकृत है, को प्रदान की गई कराधेय सेवा अर्थात् व्यापार प्रदर्शन सेवा को, संदत्त सेवा कर के प्रतिदाय के माध्यम से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2007 जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 94 (अ) जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007 सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 148 (अ) से सा.का.नि. 159 (अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 फरवरी, 2008 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सेवा कर में कतिपय परिवर्तन किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8280/08]

(5) वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 133 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ), जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जनवरी, 2008 को उक्त अधिनियम की धारा 133 के खंड (दो) के प्रयोजन से तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8281/08]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41 (अ), जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र के आधार पर छूट ले रही इकाइयों द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8282/08]

(7) वित्तीय अधिनियमों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2007 जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1837(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8283/08]

(8) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का.आ. 2015 (अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो किसान ग्रामीण बैंक, देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के विलय के बारे में है।

(दो) का.आ. 2162 (अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो किसान ग्रामीण बैंक, देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8284/08]

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :–

(एक) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2007 जो 27 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1989 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 113 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8285/08]

(10) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2007 जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2(अ) में प्रकाशित हुए थे एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8286/08]

(11) अधिसूचना संख्या एफ. संख्या डीजीआईटी (एडमिन)/एचआरडी/2007–2008 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें आयकर निदेशालय मानव संसाधन विकास, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, के गठन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति दी गई है, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8287/08]

(12) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8288/08]

(13) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत बांगिया ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2007 जो 17 नवम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 46 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8289/08]

(14) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपधारी और भागीदार (संशोधन) विनियम, 2007 जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/ एलसी/जीएन/2007/4485 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएम/2007/31/12/2007 में प्रकाशित थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8290/08]

(15) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारत, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8291/08]

(16) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारिता समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(17) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारिता समिति, नई दिल्ली के

वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8292/08]

(18) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)–(2008 का संख्यांक सीए 4)–(अनुपालन लेखापरीक्षा) – सेना और आयुध फैक्टरियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8293/08]

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) – (2008 का संख्यांक सीए 2) – स्वायत्तशासी निकाय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8294/08]

(तीन) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) – (2008 का संख्यांक सीए 3) – (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8295/08]

(चार) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) – (2008 का संख्यांक सीए 5) – (अनुपालन लेखापरीक्षा) – वायु सेना और नौसेना।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8296/08]

(19) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 16 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 663 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 16 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 664 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 713 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, संप्रत्यावर्तन तथा अभ्यर्पण) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8297/08]

(20) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) "भारतीय स्टेट बैंक द्विशताब्दी वर्ष" के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण, नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती (1904–2004)" के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8298/08]

(21) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 2002 के नियम 15 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 782 (अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पान मसाला और तम्बाकू वाले पान मसाला के संबंध में शुल्क के संदाय के लिए एक विशेष प्रक्रिया विहित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8299/08]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है।

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2008 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 2008 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2008 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 13 मार्च, 2008 को हुई अपनी अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा ११ मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गए रेल (संशोधन) विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 13 फरवरी, 2008 को राज्य सभा द्वारा यथापारित खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 सभापटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.05 बजे

लोक लेखा समिति

25वां, 26वां 32वां, 37वां और 39वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा–पटल पर रखता हूं:

(1) "विदेशी मुद्रा की वसूली न होना" के बारे में 25वां प्रतिवेदन (14वीं लोकसभा);

(2) "गंगा कार्य योजना" के बारे में 26वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(3) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2002–2003)" के बारे में 32वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(4) "निधियों के पुनर्विनियोग हेतु मानदंडों की समीक्षा" के बारे में 37वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा); और

(5) "डीआरडीओ में संयंत्र और उपस्करों की अधिप्राप्ति और उपयोग" के बारे में 39वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.05½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रह ाहूं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है, जिसे कि सभा–पटल पर रखा गया है और मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए सं. एल.टी. 8300/06

अपराह्न 12.06½ बजे

(दो) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं यह वक्तव्य, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 क, जिसे दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग–II के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के सत्ताइसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का सत्ताइसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 14 मई, 2007 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन भूमि संसाधन विभाग की वर्ष 2007–2008 के लिए अनुदानों की मांगों की समीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में 34 सिफारिशें शामिल हैं। समिति के प्रतिवदेन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कार्यवाई की रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को 27.8.2007 को भेजी गई थी।

ये सिफारिशें मुख्यतः भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, वाटरशेड विकास के संबंध में नई योजनाओं को कार्यान्वित करने, भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत/अद्यतन करने तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायो–ईंधन योजना को शुरू करने से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए स. एल.टी. 83(1/06

अपराह्न 12.07 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोमवार 17 मार्च, 2008 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान किए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें :–

1. आज के ऑर्डर पेपर से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार किया जाना।

2. निम्नलिखित अध्यादेशों को अस्वीकृत करने हेतु सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा इन अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों पर चर्चा करना तथा उन्हें पारित किया जाना:

(क) चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008

(ख) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008

(ग) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008

3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 को अस्वीकृत करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाना, तथा उसे पारित करना।

4. राष्ट्रीय जलमार्ग नदियों का (तलचर–छापरा) खण्ड, पूर्वी तटवर्ती नहर में गियोनखली–चारबतिया खण्ड मताई नदी के चारबतिया–छापरा खण्ड तथा (महानदी डेल्टा नदियों) विधेयक, 2006 पर विचार तथा उसे पारित किया जाना।

5. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड विधेयक, 2006 पर विचार तथा उसे पारित किया जाना।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ जावले (जलगांव) : महोदय, निम्नलिखित मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने की अनुमति दें।

(1) महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में केले की फसल पर करपा नामक कीट रोगों के आक्रमण के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई। केला उत्पादक किसानों का 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन पीड़ित किसानों को केन्द्र सरकार तत्काल सहायता उपलब्ध कराए।

(2) सहकारिता क्षेत्र में जिला बैंकों तथा वित्त संस्थाओं की भूमिका अहम है। लेकिन यह लगातार रूग्णता की ओर बढ़ रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के आलोक में इन्हें तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जा सकता है:

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्धाधुन्ध आऊटसोर्सिंग और कर्मचारियों की छटनी की नीति तथा इसकी भौगोलिक पहुंच का विस्तार न करने के कारण उसने बहुत से ऐसे प्रमुख कार्यों से अलग हो जाने पर चर्चा जोकि सांविधिक अथवा ऐतिहासिक रूप से इसके जिम्मे थे, जिसका कि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

2. परियोजना विकास लागतों को पूरा करने में राज्यों की सहायता हेतु "भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि" की स्थापना करने तथा देश में अवसंरचना के विकास की लगातार बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं की सूची तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक : महोदय, निम्नलिखित मद आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जा सकते हैं:–

(1) संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को चालू बजट सत्र में ही लाया जाए;

(2) उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले में मारसाघई ब्लाक के अंतर्गत दुमुका राजस्व सर्किल के किसानों को तत्काल समुचित मुआवजा दिया जाए जिन्होंन हरिदासपुर–पारादीप रेल लाइन हेतु अपनी भूमि छोड़ी है।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : महोदय, महिला आरक्षण संबंधी विधेयक के मुद्दे पर उनसे हम सम्बद्ध होते हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : महोदय, मैं ...*(व्यवधान)* महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पर उनसे स्वयं को संबद्ध करती हूं

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वसम्मत मांग है। ऐसा ही है ना?

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी संबद्ध करता हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : बहुत–बहुत धन्यवाद, महोदय। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : यह यूनेनीमस डिमांड नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह यूनेनीमस डिमांड नहीं है। आप बिल लाइये तब आपको पता चल जायेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी यह यूनेनीमस डिमांड है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, आप अगले सप्ताह इस पर चर्चा करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने दोस्त को समझाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी : यह समझ जायेंगे। आप चर्चा करायेंगे तो सब ठीक हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किय जायें–

1. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन, सी.सी.आर.ए.एस. द्वारा उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा में विकास खंड ताड़ीखेत में संचालित रिसर्च सैंटर के भवन निर्माण हेतु तैयार किये गये चार करोड़ रुपये के आगणन को तत्काल स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता।

2. रसोई गैस की भारी कमी को देखते हुए गैस पाइप लाइन का उत्तराखण्ड में बरेली से हल्द्वानी व देहरादून तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति देने की आवश्यकता।

श्री दी. के. दुम्मर (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की अगले सप्ताह के लिए निम्नलिखित विषय को एजेंडे में शामिल करने का कष्ट करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के जेतलसर ढांसा के बीच मीटर गैरज से ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तन करने के कार्य का सर्वे हो गया है और पिछले बजट में शामिल भी किया गया था परंतु योजना आयोग एवं रेल विभाग ने इस कार्य को स्थगित किया है। इस विषय को चर्चा में शामिल करने का कार्य।

2. हाल ही में गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई जिसके कारण किसानों को गेहूं की लागत के हिसाब से मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अतः उनको लागत से अधिक मूल्य दिलाये जाने का कार्य।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:–

1. सम्पूर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मौजूदा प्रणाली पर्याप्त नहीं है जबकि पश्चिम बंगाल के मामले में पीडीएस की मौजूदा प्रणाली से चावल और गेहूं की 50 प्रतिशत कटौती और केरल में पीडीएस की मौजूदा प्रणाली चावल और गेहूं की 80 प्रतिशत कटौती की गई है। मौजूदा प्रणाली को तत्काल पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता है और 14 अनिवार्य वस्तुओं को बीपीएल और एपीएल दोनों प्रकार के परिवारों को दिया जाना चाहिए।

2. यदि भारत सरकार की इच्छा 2025 तक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनने की है तो सरकार को लौह अयस्क विशेषकर हेमेटाईट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना होगा। क्योंकि 2030 और 2040 के बीच लौह अयस्क का भण्डार बहुत कम होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल विषय–वस्तु का ही न कि मुद्दे का उल्लेख करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न दो विषयों को सम्मिलित किया जाये–

1. केन्द्र सरकार ने तय किया था कि ड्राफ्ट नेशनल मिनरल पालिसी, 2007 को केबिनेट में लेने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक होगी। इस पर पहले विचार किया जाये और उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाये। मेरा निवेदन करना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह आवश्सान दिया था, लेकिन उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, यह बड़े दुख की बात है।

2. राजस्थान में जयपुर शहर में रोपवे की मंजूरी के लिए केन्द्र

सरकार के पास प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं। उन पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इन दोनों विषयों पर निर्णय लेना जरूरी है। पहले नंबर में, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को आप पाबंद करें कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विचार–विमर्श करने के बाद ही वे इस रिपोर्ट को लागू करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, इस विषय के साथ हम भी अपने को ऐसोसियेट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. वल्लभभाई कथीरिया – उपस्थित नहीं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:–

(1) अवकाश संबंधी सामान्य मापदण्डों का पुनः निर्धारण किया जाए। इंटरनेट पर भारत के रिजर्व बैंक की अधिसूचना में 11.03.08 का ग्रुड फ्राइडे – ईसा मसीह को सूली पर चढाने की तारीख दिखाया गया है, केरल सहित आठ राज्यों में 21 मार्च, 2008 को कार्य दिवस दर्शाया गया है। यह न्यायोचित नहीं है इसे वापस लिया जाना चाहिए।

(2) भारत में पुराने बांधों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सौ वर्षों से अधिक पुराने सबसे खतरनाक बांध जैसे मुल्ला पेरियार बांध का पुनर्निमाण कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों का उल्लेख करने का क्या उपयोग है?

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करने की अनुमति दें:–

(1) गुजरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।

(2) भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान की स्थापना।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही इससे सहमत हैं कि आज प्रश्न काल के तत्काल बाद आम बजट पर चर्चा की जायेगी। सभा पटल पर पत्रों को रखने और अन्य कार्यों के लिए हम पहले ही 15 मिनट अधिक समय ले चुके हैं।

अपराह्न 12.15 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

हज यात्रियों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं तीन मामलों की अनुमति देता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से विनम्र विनती करता हूं कि इसके लिए दबाव न बनाए क्योंकि आप पहले ही प्रश्न काल के पश्चात् आम बजट पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब, मैं श्री रामजीलाल सुमन को आमंत्रित करता हूं। कृपया संक्षेप में कहें। कृपया प्रतीक्षा करे। मैं दो अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं समय देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आभार प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है। समय कम है, आप अपनी बात कहिए।

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, इस वर्ष हमारे देश में जो हज यात्री गए थे, उनको अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। देश के अधिकांश हज यात्रियों का सामान अभी तक वापस नहीं आया है और कुछ हज यात्रियों को अपना सामान लेने के लिए दुबारा एयरपोर्ट जाना पड़ा। पहले अगर कोई हाजी 45 किलो से ज्यादा वजन लाता था तो उसे 13 रियात प्रति किलो के हिसाब से अदा किया जाता था और इस बार यह अदायगी 55 रियात प्रति किलो तक रही है। अधिकांश हज यात्रियों को पांच–पांच दिन तक जेद्दा में रहना पड़ा। हवाई उड़ानें नियमित नहीं रहीं और साथ ही जो पवित्र पानी – जमजम – जब कोई हज यात्री वापस आता था और जिस एयरपोर्ट पर उतरता था, वहां उनको वह पवित्र पानी दिया जाता था। इस बार जमजम भी उन्हें वहां नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी सैंकड़ों हाजी ऐसे हैं जिनका सामान मिसिंग कहकर नहीं मिला है। वर्ष 1994 के बाद से पानी के जहाज से कोई हज यात्री हज करने नहीं गया हम, हज सेवा समिति और दूसरे संगठन भी, बार–बार सरकार से यह प्रार्थना करते रहे हैं, कि हज कमेटी का कार्यालय दिल्ली लाया जाए। हाजी लोग जो शिकायत करते हैं, वह हज कमेटी से करते हैं, लेकिन हज कमेटी को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। उसको वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एयर इंडिया ने लोगों को वहां भेजने का जिम्मा लिया था। *...(व्यवधान)*

इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। माननीय विदेशमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। जिन हज यात्रियों के सामान गायब हुए हैं, उन्हें सरकार मुआवजा दे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती जयाप्रदा, श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्री नीरज शेखर, ने स्वयं को श्री रामजी लाल सुमन जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध किया है।

ठीक है, सुमन जी, आपने अपनी बात कह ली है। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? आपने ही इसे उठाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसार यादव (झंझारपुर) : महोदय, सरकार को इसकी सूचना ग्रहण करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सरकार नहीं करेगी।

[अनुवाद]

उन्होंने इसे उठाया है। आपने नोटिस देने का भी कष्ट नहीं किया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी प्रत्युत्तर की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, माननीय विदेशमंत्री जी यहां बैठे हैं, उनको जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने आपसे सहमत होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि आप मुझसे सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आप संक्षेप में बता सकते हैं।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक सूचना देना चाहता हूं कि इस वर्ष यह समस्या कुछेक विसंगतियों की वजह से हुई है। सामान्यतः, हज यात्री इसे सामान की तरह ले जाते हैं किंतु इस बार एयर इण्डिया इसकी व्यवस्था नहीं कर पाया और यहां एक प्रावधान है, सऊदी अरब में यह स्थायी आदेश है कि आब–ए–ज़मजम को बड़ी मात्रा न तो निर्यात करने और न ही सउदी अरब से बाहर ले जाने की अनुमति है। किंतु इस समस्या के समाधान के लिए हिजरायल हाइनेस, विदेश मंत्री प्रिंस सउद अल फैसल के दौरे के दौरान मैंने इस मामले को उनके साथ उठाया था। वे कुछ ही सप्ताह पहले भारत आए थे और वे एक ही बात में वितरण करने के लिए तैयार हो गए। अब हमारे वाणिज्य दूतावासों को इसे बड़ी मात्रा में भेजने के अनुदेश दे दिए गए हैं और केन्द्रीय हज समिति और राज्य हज समितियों के माध्यम से इसे सभी पंजीकृत हज यात्रियों को वितरित किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से आसन से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से आग्रह नहीं करना चाहता। आपसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब सदन में कोई बात उठाई जाती है, चाहे प्रश्न के माध्यम से हो, शून्य काल के माध्यम से हो या ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, उस पर आसन से

कोई नियमन हो या सरकार कोई आश्वासन दे तो यह माना जाता है कि उस बात पर एक एग्रीमेंट हुआ है और सरकार उस पर अमल करेगी। भोजपुरी भाषा को अष्टम् सूची में शामिल करने के लिए हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन में यह मामला उठाया था। जिसका हमें दिसम्बर, 2006 को गृह मंत्री जी का उत्तर भी प्राप्त हुआ था कि इस पर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अगले सत्र के शुरू में इस संबंध में लोक सभा में बिल लाया जाएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : राजस्थानी भाषा के संबंध में भी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : राजस्थानी भाषा को भी उसमें जोड़ने की बात थी। आसन से इस मामले पर उस समय सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात हुई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना...

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके फेवर में ही बोलता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप हमारे फेवर में बोलते हैं, हमें इसका भरोसा है। लेकिन हम आपसे इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि कल तक बंगाल, उड़ीसा और बिहार की राजधानी कलकत्ता में रही है। इस नाते हमारा आपसे भावनात्मक सम्बन्ध भी है। वैसे भी आप सोमनाथ हैं और जो आपसे आग्रह किया जाता है, आप आशीर्वाद देते हैं तो काम हो जाता है। आपको अधिकार है और इसके कई उदाहरण भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो इसका उलट हो रहा है। अभी तो सोमनाथ आशीर्वाद चाहता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपको रौद्र रूप धारण करने की भी ताकत है। हम चाहेंगे कि उस रौद्र रूप को आप धारण करें और सरकार को रौंद दें। यह मामला हमारे समस्त भोजपुरी लोगों की अस्मिता का भी सवाल है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : मैं भी अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत : राजस्थानी भाषा को भी अष्टम् सूची में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपना 'संहार' दृष्टिकोण अपनाने से पहले मैं उन्हें एक अवसर और दूंगा। मैं सरकार से इस पर भोजपुरी और राजस्थानी दोनों के लिए वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा शांति से अपनी बात करें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी एक महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप भूल गए हैं कि तीन दिन पहले क्या हुआ था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गुरूदास दासगुप्त को बुलाना चाहूंगा। कृपया संक्षेप में कहें।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय पहले उन्हें रोकिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : असम में हिन्दी भाषी लोगों को मारा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दें, इस पर सोमवार को अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, परंतु इस बात से आप सभी सहमत हैं कि अब 'शून्यकाल' नहीं होगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मुझे इस मामले को उठाने के लिए आप से समय लेने का बहुत अफसोस है। जोकि मेरे मतानुसार भारत के आंतरिक मामले में बुश प्रशासन का हस्तक्षेप है। आज छोटे पर्दे पर यह समाचार दिखाया गया कि बुश प्रशासन के स्टेट डिपार्टमेन्ट ने मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें नंदीग्राम का संदर्भ दिया गया है। इसमें साफ साफ यह कहा गया है कि वहां पर नरसंहार हुआ और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराकर रह गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार जनसंहार को नहीं रोक पाई। मैं इस बात से सहमत हूं कि सभा में नंदीग्राम के प्रश्न पर

सदस्यों के अलग अलग समझ रही होगी परंतु मुद्दा यह नहीं है मामला यह है कि भारत में जो भी होता है वह भारत सरकार, भारतीय संसद, भारत राज्य सरकार और भारत के लोगों के लिए चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें यह करना चाहिए कि हमें इसकी उपेक्षा करके इसका समुचित उत्तर देना चाहिए और इसकी वांछित भर्त्सना करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, केवल एक मिनट। मेरा कहना है कि क्या आप और संसद बुश प्रशासन को इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करने देंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्त, हम इससे बंधे हुए नहीं हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं इसे नकारते हुए इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं संसद से बुश प्रशासन द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में इस प्रकार के हस्तक्षेप करने के खिलाफ एकजुट होने का अनुरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, हम वर्ष 2008–2009 के बजट (आम) पर आगे की चर्चा करेंगे। अब मैं श्री खारवेल स्वाई का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, पूरी सभा को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्त, आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अब और न बोलें।

...(व्यवधान)

श्री वृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, कल मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया और राष्ट्रीय खनिज नीति को अंतिम रूप दिया है *...(व्यवधान)* सभा का सत्र चल रहा है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा के उत्तर के बाद अविलम्बनीय लोक महत्व के शेष मामलों पर चर्चा की जाएगी।

अब मैं श्री खारवेल स्वाई से कहूंगा कि वे इस चर्चा पर भाषण प्रारंभ करें।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, यह एक गंभीर मामला है, कृपया मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए दो एक मिनट और दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री त्रिपाठी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। कृपया बैठ जाईए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक सैकण्ड की भी अनुमति नहीं दूंगा। खेद है, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : महोदय सभा का सत्र चल रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी रिकार्ड न करें।

*...(व्यवधान)**

श्री खारवेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, मुझे इसी सीट से बोलने की अनुमति दी जाए*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपसे अपना भाषण प्रारंभ करने को कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब यह रिकार्ड नहीं किया जा रहा है तो आप यह सब क्यों कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक दल के नेता हैं और आप ही अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से सभा का संचालन करना किस प्रकार संभव है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। कृपया एक भी शब्द रिकार्ड न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे दिन की समाप्ति के समय उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आप अपना भाषण 6 बजे कीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे रिकार्ड न करें। बजट उत्तर के निष्कर्ष के बाद इसे उठाया जा सकता है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.26 बजे

सामान्य बजट (2008-09) – सामान्य चर्चा
लेखा अनुदानों की मांगे सामान्य 2008-09
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2007-08–(जारी)

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपको बोलने की अनुमति है।

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, वर्ष 2008–2003 के बजट प्रस्ताव में किसानों को ऋण माफी पर प्रमुख रुप से बल दिया गया है। वस्तुतः, न ही मैं और न ही मेरा दल इसके विरुद्ध है। हम ऋण माफी के पक्ष में हैं। हमारे दल ने उन किसानों को राहत देने के सुझाव पर बल दिया है, जो लगातार आत्महत्या का रास्ता अपनाते रहे हैं। वास्तव में, यह सही है कि इस देश के अर्थशास्त्रियों ने किसानों की इस प्रकार की ऋण माफी को घटिया राजनीति और घटिया अर्थशास्त्र भी करार दिया है।

अपराह्न 12.27 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए)*

माननीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया है कि ऋण माफी का लाभ 4 करोड़ किसानों को पहुंचेगा और यह कर्ज 60,000 करोड़ रुपये की राशि के बराबर होगा। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्री ने 4 करोड़ किसानों और 60,000 करोड़ रु. का आंकड़ा कैसे निकाला?

वर्ष 2003–2004 के एक सरकारी सर्वेक्षण, एन. एस. एस. ऋणग्रस्तता सर्वेक्षण, में कहा गया है कि ऐसे किसानों की कुल संख्या 3.8 करोड़ रु. है, जिन पर ऋण बकाया है। इन 3.8 करोड़ किसानों में से, 1.5 करोड़ बड़े किसान हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें केवल 25 प्रतिशत का ही लाभ मिल पाएगा बशर्ते कि वे शेष ऋण राशि अर्थात 75 प्रतिशत ऋण राशि वापिस करने को तैयार हों। इसलिए यदि हम एन एस एम की उस रिपोर्ट का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इससे कुल मिलाकर केवल 2.25 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा। लेकिन माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि इससे 4 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

दूसरी बात, मैं भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) की एक अन्य रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं। "भारत में बैंकिंग का रूझान और प्रगति" शीर्षक से आर बी आई ने पिछले वर्ष एक रिपोर्ट दी थी इसमें कहा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों का बकाया फसल ऋण केवल 6000 करोड़ रुपये है; सहकारी बैंकों का यह बकाया केवल 23000 करोड़ रु. है; और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में यह 3000 करोड रु. है। यह आर. बी.आई की एक रिपोर्ट है। जो इस देश का केन्द्रीय बैंक है और इस देश के वाणिज्यिक बैंकों का विनियामक है। इसमें कहा गया है कि यदि छोटे और मझौले किसानों को 100 प्रतिशत ऋण काफी की जाती है, तो कुल राशि केवल 23000 करोड़ रुपये के बराबर होगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : आप सुरजीत भल्ला द्वारा समाचार पत्र में लिखी गई एक रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि आप उस रिपोर्ट को मानते हैं। क्या आपने उसका विश्लेषण किया है?

श्री खारवेल स्वाईं : सामान्यतः, हम आम आदमी हैं और हमारे पास सभी रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री के पास उपलब्ध हैं। विपक्ष का एक सदस्य होने के नाते, मैंने वही कहा है जो कि समाचार पत्र में छपा है। माननीय मंत्री महोदय को अच्छी तरह पता है कि श्री सुरजीत भल्ला ने इसे लिखा है।

श्री पी. चिदम्बरम : आप आम आदमी नहीं हैं। श्री स्वाईं आपने ऐसा कहा जैसे कि यह एक प्रमाणिक रिपोर्ट है। आपको भूमिका स्वरूप ऐसा कहना चाहिए था कि यह एक लेखक की समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट है। तब, मैं चुप हो जाता। आपने आरंभ में यह नहीं बताया। आपने ऐसा दर्शाया कि यह किसी अधिकारिक एजेंसी की एक प्रमाणिक रिपोर्ट है।

श्री खारवेल स्वाईं : मैं समझता हूं कि सामाचार पत्र में जो भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वह सही है और जो कुछ माननीय वित्त मंत्री कह रहे हैं, वह गलत है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे उत्तर देते समय मेरे द्वारा कही गई बातों का प्रतिवाद करें। मेरी अपील है कि वे जब भी उत्तर दें तो जो मैं कह रहा हूं तब उसका खंडन करें। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ भी सुरजीत भल्ला ने कहा, वह गलत है। मैं यह कहूंगा कि वे सही है और यह कि जो वित्त मंत्री कह रहे हैं, वह गलत है।

उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसानों द्वारा किए गए

पुनर्भुगतान भी बहुत अधिक हैं, जो कि 75 प्रतिशत के बराबर है। केवल 25 प्रतिशत कृषि ऋण ही गैर–निष्पादनकारी आस्ति है। पिछले नौ वर्षों से वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते, मैं जानता हूं कि किसानों द्वारा किए जाने वाले पुनर्भुगतानों का स्तर काफी अच्छा है और यह काफी अधिक हैं।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, यदि आप ऐसा कहते हैं, तो मैं बैठ जाऊंगा। क्या मैं बैठ जाऊं? संभवतः, यह सत्तारूढ़ दल के लिए बेहद अरूचिकर बात है और इसीलिए मुझे बैठने के लिए कहा जा रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : हम आपको बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : अब मुद्दा यह है कि वर्ष 2006 में भी किसानों ने न केवल सौ प्रतिशत ऋणों का पुनर्भुगतान किया, बल्कि उन्होंने पुराने ऋणों के कुछ भाग को भी चुकाया। जबकि कृषि संबंधी गैर निष्पादनकारी आस्तियों को एक बड़े हिस्से का पहले ही ऋण मोचन किया जा चुका है, कृषि संबंधी गैर निष्पादनकारी आस्तियों का एक ऐसा बड़ा हिस्सा भी है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाला जा रहा है। कभी–कभार वे प्रावधान करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे अपने लाभ में से इनकी कटौती करते हैं। वे ऐसा करते भी हैं। इस प्रकार, 25 प्रतिशत के बकाया ऋण में से बैंकों द्वारा पहले ही कुछ राशि बट्टे खाते में डाला जा चुका है और उन्होंने कुछ और के लिए भी प्रावधान किया है।

इसलिए, मेरा यह प्रश्न है कि वित्त मंत्री किस प्रकार कह रहे हैं कि ऋण माफी की मात्रा बहुत अधिक है? मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अतिश्योक्ति आंकड़ा है, जिसे माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है।

दूसरा बिंदु यह है कि किसानों को होने वाली अधिकांश परेशानी इन बैंक ऋणों के कारण नहीं है। बल्कि वास्तव में, वे गांवों के साहूकारों से ऋण लेकर भारी परेशानी उठाते हैं, जिनकी ब्याज दर वास्तव में बहुत अधिक है। इस प्रकार, उन किसानों को क्या राहत मिली है, जिन्होंने गांवों के साहूकारों से बहुत अधिक ब्याज दर पर ऋण लिए है।

मैं यहां एक सकारात्मक सुझाव देना चाहूंगा। सरकार को ऋण माफी की यह योजना लागू करने की बजाय एक साहूकार ऋण मोचन कोष बनाना चाहिए। यदि माननीय वित्त मंत्री साहूकार ऋण मोचन कोष का प्रावधान करते हैं, तो बैंक, साहूकारों के अधिक ब्याज दर वाले ऋणों को चुकाने के उद्देश्य से किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे उन किसानों को सहायता मिलेगी, जिन्होंने गांवों के साहूकारों से बहुत अधिक ब्याज दर पर ऋण लिए हैं और वे आत्महत्या भी नहीं करेंगे। यह ऋण माफी योजना की तुलना में अधिक प्रभावी उपाय होगा।

माननीय प्रधानमंत्री ने 5 मार्च को एन.डी.ए. की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें "एन.डी.ए. सरकार द्वारा आर्थिक संकट में डालने वाले भुगतान न किए गए ऋणों के विरासत में छोड़े गए ऋण से ज्यादा कुछ नही मिला है। इसका अर्थ यह हुआ है कि केवल एन.डी.ए. सरकार ही किसानों के आर्थिक संकट का कारण थी तथा एन.डी.ए. शासन के छः वर्षों के दौरान किसानों पर भुगतान न किए गए ऋणों की भार में वृद्धि होती चली गई। इसका यह मतलब हुआ कि जब माननीय प्रधानमंत्री वर्ष 1991 में देश के वित्त मंत्री थे, तब किसानों पर कोई ऋण बकाया नहीं थे; और जब वर्तमान वित्त मंत्री ने वर्ष 1996 में अपना "ड्रीम बजट" प्रस्तुत किया, तो कोई भी बकाया ऋण नहीं थे और सभी बकाया ऋण केवल एन.डी.ए. शासन की अवधि के दौरान किसानों पर ऋण का भार बढ़ गया जिनका अब वे भुगतान करने जा रहे हैं।

मैं वर्ष 2003–04 में वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं उसी सरकार द्वारा वर्ष 2003–04 में अपने वर्तमान कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रस्तुत किए आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख मात्र कर रहा हूं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, "अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति का अच्छा फायदा मिला है, जिसमें खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार रहा है; उत्पादों के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और वित्तीय और मौद्रिक नीति का उपयुक्त मिश्रण रहा है।" क्या हमने किसानों के लिए यही संकट पैदा किया था? यदि हमने किसानों के लिए यही संकट पैदा किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा वक्तव्य किस प्रकार दिया?

माननीय वित्त मंत्री ने अपनी मुद्रित बजट भाषण के पृष्ठ 23 में कहा है, "एक भाग्यशाली वित्त मंत्री होने के नाते भी मदद मिली होगी।" वे स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि वे एक भाग्यशाली वित्त मंत्री हैं और उन्होंने अनेक अच्छी चीजें एन.डी.ए. सरकार से विरासत में पाई हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री खारबेल स्वाईं : माननीय वित्त मंत्री ने श्री सुरेश प्रभु के संबंध में व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की आर्थिक नीति अकबर तथा अशोक के समय रखी गई थी। तथापि, वे स्वयं कहते हैं कि वे भाग्यशाली व्यक्ति हैं।

2003–2004 के आर्थिक सर्वेक्षण में आगे क्या है? यह कहता है कि "1991–92 तथा 1995–96 के दौरान 10.6 प्रतिशत की दो अंकों वाली वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर..." इसका अर्थ है जब डा.

[श्री खारवेल स्वाई]

मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब मुद्रास्फीति दर 10.6 प्रतिशत थी जो 2001-2002 के दौरान घटकर 4.2 प्रतिशत पर आ गई। उस दौरान सत्ता में कौन था? राजग उस समय सत्ता में थी। वर्तमान सरकार मानती है कि उस दौरान मुद्रास्फीति दर में कमी आई। हमने मुद्रास्फीति दर को 10.6 प्रतिशत से घटाकर 4.2 प्रतिशत कर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि कृषि में संस्थागत ऋण की कुल आग जो 1997-98 में 31,956 करोड़ थी, तब जब कि यही माननीय वित्त मंत्री वित्त मंत्री थे उसके पूर्व जब हम सत्ता में आए- 2003-04 के दौरान बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये हो गई जो राजग शासन का अंतिम वर्ष था। इसमें यह भी कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो राजग सरकार द्वारा 1998-99 में शुरू की गई थी वह किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। तब माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री किस प्रकार कह सकते हैं कि राजग सरकार ने कुछ नहीं किया? वे हमारे द्वारा रखी गई आर्थिक नीवं की उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अतएव, मैं कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री को आर्थिक सर्वेक्षण में उनके द्वारा कही गई बात को स्वीकार करना चाहिए।

वित्त मंत्री हमेशा डेलीवरी प्रणाली की बात करते हैं। एन आर ई जी योजना की डेलीवरी प्रणाली को देखें। जब एन आर ई जी योजना शुरू की गई थी, समूची कांग्रेस पार्टी ने यह सोचा कि वे आगामी 20-30 वर्षों तक इस योजना के चलते सत्ता में आते रहेंगे।

जब कांग्रेस पार्टी की नेता, मैडम सोनिया गांधी ने 2-3 बार भाषण दिया तो उन्होंने डेस्क थपथपाया तथा कहा कि यह केवल कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। उस समय वाम समर्थन दुखी लग रहे थे। क्योंकि इसका कोई श्रेय उन्हें नहीं दिया गया।

अब वे कहते हैं कि एन आर ई जी एस के प्रति कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि केवल राजग शासित राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार ने इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है तथा कांग्रेस नेतृत्व वाले राज्य बुरी तरह विफल हुए हैं। यह प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी राजग सरकारों द्वारा निगरानी की जा रही है तथा कुशलतापूर्वक संचालित की जा रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मामले में व्यय की राशि इन आंकड़ों को बताती है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोम्बिली) : नहीं। कृपया इसे वापस लें। यह तथ्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाई : आपके मंत्री इसका उत्तर देंगे।

महोदय 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के अनुसार भी प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर वर्तमान सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग भाजपा शासित राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड तथा उड़ीसा की साझा सरकार राज्यों द्वारा काफी कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। सबसे खराब कौन है? वे कांग्रेस शासित राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा तथा जम्मू-कश्मीर तथा सबसे अंत में सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार है। यह रिपोर्ट है। अतएव, अल्पसंख्यकों के लिए दी गई धनराशि का भाजपा द्वारा कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* यह सरकार की रिपोर्ट है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, वे कहें कि यह गलत है ...*(व्यवधान)* मैं चुनौती देता हूं; वे कहें कि यह गलत है ...*(व्यवधान)* मैं कहता हूं कि यह सही है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री खारवेल स्वाई : अब मैं इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण पर आता हूं। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में, सरकार ने कुछ नीतिगत सुधार विकल्प किए हैं। वे कहते हैं कि यदि हम ये सुधार लायें तो भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वे क्या हैं? वे हैं: कोयला खनन का निजीकरण होना चाहिए; पुराने तेल क्षेत्रों का भी निजीकरण होना चाहिए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 5-10 प्रतिशत इक्विटी बेची जानी चाहिए, सभी हानि उठानेवाली सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों की नीलामी होनी चाहिए; उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि चीनी, खाद औषधियों पर नियंत्रण चरणबद्ध तरीके से समाप्त होना चाहिए तथा खुदरा व्यापार में विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति दी जाए, कार्य सप्ताह को 48 घंटों से 60 घंटा किया जाय तथा दैनिक सीमा मौसमी मांग को पूरा करने के लिए समयोपरि के माध्यम से 12 घंटे ये सब किए जाने चाहिए। अंततः इसने निजी कंपनियों द्वारा शहरी यातायात परिवहन के विकास की सिफारिश की है।

यदि सरकार सोचती है कि इन सुधारों को लागू से देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है? मैं वित्तमंत्री पर आरोप लगा रहा हूं। उन्होंने इस वर्ष के बजट में एक भी सुधार की शुरूआत क्यों नहीं की है?

आप आज किसी सरकार के कार्यनिष्पादन को देख सकते हैं; जब भी एक सरकार पांच वर्ष तक रहती है, वह इस से कम से सुधारात्मक संकेत के एक या दो बजट लाती है। लेकिन मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं; इनकी मंशा काफी अच्छी होगी। मैं जानता हूं कि ये वित्त मंत्री सुधार के पथ पर हैं; माननीय प्रधानमंत्री जी सुधार के पथ पर हैं; मैं जानता हूं कि उनकी मंशा काफी अच्छी रही है; लेकिन वे

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

'लेफ्ट पैरेलिटिक स्ट्रोक' से पीड़ित हैं तथा कुछ कर पाने में अक्षम हैं। जब भी वामपंथी उन्हें झुकने को कहते हैं तो वे रेंगने लगते हैं। इन्हें सत्ता में बने रहना ही सब कुछ है। उन्हें सम्मान की परवाह नहीं है। वे केवल वही करते हैं जो वाममोर्चा उनसे कहती है। वे पेंशन निधि (नियामक) प्राधिकरण विधेयक नहीं ला सके। इसे वित्त पर स्थायी समिति ने गत तीन–चार वर्षों से मंजूर कर दिया है। उसी प्रकार बैंकिंग नियामक अधिनियम को वित्त पर स्थायी समिति ने मंजूर कर दिया है लेकिन वाम के विरोध के चलते वे इसे संसद में इसे ला नहीं पाए हैं। वे इससे इतना डरते हैं।

भारत निर्माण के संदर्भ में वे 2009 तक सभी गांवों तथा सभी घरों में विद्युत प्रदान करने की बात करते हैं। माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय विद्युत मंत्री ने अनेक बार सभा में कहा है कि 2009 तक वे सभी घरों को विद्युत प्रदान करा देंगे। इस वर्ष के बजट में विद्युत प्रदान करने के लिए आवश्यक 28,000 करोड़ रुपयों में से सरकार ने केवल 5,500 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यह 2008 है तथा 2009 अगला ही वर्ष है। अतएव, महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश में प्रत्येक घर में कब तक वे विद्युत प्रदान करेंगे जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा घोषणा की गई थी। उन्हें वे उत्तर दें।

उड़ीसा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने चार वर्ष पूर्व भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी लेकिन अब तक केवल चाहरदीवारी का ही निर्माण हो पाया। प्रत्येक वर्ष सरकार कहती है कि वह निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू कर रही है। यहां तक कि इस वर्ष सरकार ने इसके लिए आबंटन घटा कर 50 करोड़ रुपये कर दी। पहले वह 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दे रही थी। अब सरकार ने घोषणा की कि वह सभी राज्यों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदान करेगी। लेकिन उड़ीसा में किसी ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं हुई।

उन्होंने नई तेल शोधन शाखाओं का कर अवकाश भी समाप्त कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नई तेल शोधक कारखाना पारादीप में होंगी। संभवतः सरकार इसे कर अवकाश नहीं देगी। मैं नहीं जानता कि इस तेल शोधन कारखाने का क्या होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वे इस कर अवकाश का विस्तार पारादीप तेल शोधक कारखाने तक करें। यह काफी पुरानी परियोजना है। उन्हें का अवकाश वापस नहीं लेना चाहिए। ताकि तेलशोधक कारखाना स्थापित हो।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार का उद्देश्य तो ठीक है, परंतु यह पूरी तरह पंगु है। यह किसी सुधारवादी उपाय का विस्तार करने में अक्षम है और यह कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जितनी जल्दी यह सरकार जाएगी, जितनी जल्दी यह सरकार कार्यालय छोड़ेगी, लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए, इस सरकार को जल्दी जाने दीजिए ताकि एक बेहतर सरकार सत्ता में आ सके और इस देश की आर्थिक समृद्धि में सुधार हो सके।

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने लिखित भाषण सभा–पटल पर रख सकते हैं ताकि समय बचाया जा सके। इसकी अनुमति है।

***श्री के. फ्रांसिस जार्ज** (इडुक्की) : महोदय, वर्ष 2008–09 के बजट की काफी सराहना और आलोचना हुई है, मेरे विचार में इसका कारण माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा की गई कृषि अनुकूल विभिन्न घोषणाएं हैं। 60,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण की माफी में आलोचकों और प्रशंसकों को अच्छाई और बुराई दोनों ही नजर आ रही है। पहली बार स्वतंत्रता पश्चात् भारत में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि ऋण माफी, उन लाखों सामान्य किसानों को, देश के ऋण का पुनर्भुगतान है, जोकि हमारे देश की रीढ़ है तथा जिनके मूक योगदान के बिना हमारा देश पिछले छह दशकों में वो सब हासिल नहीं कर पाता जो उसने हासिल किया है।

महोदय, मैं, आलोचकों और प्रशंसकों से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वास्तव में हमारे किसानों का वह ऋण चुका दिया है, जो हमारे देश पर है? मेरे अनुसार, नहीं, हालांकि बहुत ही जटिल और गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए यह एक अच्छी शुरूआत है और इसे सुलझाने के लिए एक सशक्त और हार्दिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

जैसा कि दूसरों ने कहा है, मैं भी हमारे कृषि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए बजटीय, प्रयास की कई कमियों का उल्लेख कर सकता हूं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि किसान को उसके उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। यह कहा जा रहा है कि ऋण माफी से शुष्क भू–धारिता वाले किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है क्योंकि भू–धारित सिंचित क्षेत्रों की तुलना में शुष्क भूमि क्षेत्रों में अधिक है, शुष्क भू–धारिता वाले किसानों को उपलब्ध ऋण की मात्रा काफी कम है–कपास के किसानों को 5000 रुपए प्रति एकड़ मिलते हैं जबकि गन्ना किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ है और इसलिए बड़ी संख्या में किसानों को इसका लाभ नहीं होगा क्योंकि यह सीमा हेक्टेयर के संदर्भ में है, न कि कर्ज़दार की धनराशि के संदर्भ के संबंध में।

किसानों की यह भी शिकायत है कि जब कृषि उत्पादों के मूल्य

*भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

में वृद्धि होती है तो सरकार आयात के माध्यम से अथवा निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर मूल्य नियंत्रित करने का प्रयास करती है, परंतु इस्पात अथवा सीमेंट के मामले में ऐसा नहीं किया गया।

महोदय, बड़ी संख्या में हमारे किसान इस ऋण माफी से वंचित हैं क्योंकि केवल 27% छोट और मझौले किसान ही संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकते हैं जबकि 73% किसान महाजनों पर आश्रित हैं तथा ओटीएस योजना से केवल बड़े किसानों को ही लाभ होगा। श्री आर. राधाकृष्णन के नेतृत्व में कृषि ऋण संबंधी एक विशेषज्ञ समूह ने अनुमान लगाया था कि कृषि क्षेत्र का कुल ऋण 1,30,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त ऋण माफी केवल विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों के "कृषि ऋणों" से संबंधित है। यहां हमें हमारे सामान्य किसानों द्वारा आमतौर पर लिए जाने वाले ऋण के प्रकारों को निकट से देखना होगा। मैं यहां केरल राज्य का उल्लेख करना चाहूंगा, जहां सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में से केवल 10% ही तथा कथित कृषि ऋण के रूप में दिया जाता है जबकि 90% ऋण घरेलू आवश्यकताओं, चिकित्सा उपचार, पहले लिए ऋणों से पुनर्भुगतान आदि के नाम पर लिए जाते हैं मैं अपने पैतृक नगर के निकट स्थित चार सहकारी बैंकों का उदाहरण दे सकता हूं, जिन्होंने कुल 43 करोड़ का ऋण दिया था, जिसमें से कृषि ऋण केवल 2.70 करोड़ रुपए था। किसानों द्वारा अन्य धनराशि विभिन्न अन्य शीर्षों, उनकी कृषि तथा आजीविका संबंधी अन्य आवश्यकताओं के लिए ली गई थी। इसलिए, यदि आप वास्तव में उनकी सहायता करना चाहते हैं तो ऋण माफी के लिए हमें वित्तीय संस्थानों के नामित कृषि ऋणों के स्थान पर किसानों के संपूर्ण ऋण पर विचार करना चाहिए।

केरल के मामले में, हाल ही में बकाया राशि की वसूली के लिए एक अभियान चलाया गया था और इसलिए अधिकांश विलंबित ऋणों का नवीकरण किया जा चुका है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2008–09 में कृषि ऋण हेतु 2,80,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि चालू वर्ष का लक्ष्य पूरा कर लिया गया हैं हमें सत्यापित करना चाहिए कि इसमें से कितनी धनराशि नए ऋण के रूप में संवितरित की गई क्योंकि यह कहा जाता है कि एक बड़ी धनराशि खाता समायोजन के रूप में चली जाती है और इसलिए वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं हो पाती।

महोदय, मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा घोषित ऋण माफी के अच्छे परिणामों को बनाए रखने के लिए उन्हें कतिपय अन्य उपायों की भी घोषणा करनी चाहिए थी। कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कटौती का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसे घटाकर कम से कम 7% कर देना चाहिए। हमें किसानों के लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्य संवर्धन और विपणन तथा बेहतर परिवहन अवसंरचना जैसे पैदावार पश्चात कार्यों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। किसानों की सहायता के लिए अपने अनुसंधान और विस्तार कार्यों में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता है। प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व वाले किसानों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिए।

महोदय, बजट में एक महत्वपूर्ण त्रुटि बीजों के संरक्षण हेतु उपबंध न होने के संबंध में है। बीज कृषि के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। बीमारी, कीट तथा जलवायु प्रतिरोधक, शताब्दियों पुराने हमारे बीजों के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना आरंभ की जानी चाएिह। इन बीजों में से बहुत से विलुप्त होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए केरल में प्लानटेन की 100 से अधिक किस्में थीं, जिनमें से अब बहुत सी विलुप्त हो चुकी हैं। केरल के एक्सोटिक चावल की किस्म, जीरामसाला और गंधामसाला तथा बहुत सी अन्य किस्मों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहिए। हमें कृषि उत्पाद की सभी किस्मों के बीजों के संरक्षण के लिए नॉर्वे की सीड वॉल्ट परियोजना जैसी परियोजना शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत मैं नारियल, काजू और काली मिर्च के पुनरूद्धार हेतु 1100 करोड़ रुपए के प्रावधान का स्वागत करता हूं। विश्व बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और काली मिर्च का उत्पादन करने वाले हमारे किसानों को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर काली मिर्च पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत हमें और अधिक कृषि उत्पादों को शामिल करने की आवश्यकता है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि चाय, काली मिर्च और इलायची की फसल को बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाना निश्चय ही एक अत्यधिक स्वागत योग्य कदम है। परन्तु कॉफी को इससे बाहर रख गया है। और इसे भी शामिल किया जाना चाहिए।

एन आर ई जी एस को और अधिक प्रभावी तथा उपादेय बनाने के लिए छोटे तथा मझौले किसानों की कृषि भूमियों में किए गए कार्य को योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। क्योंकि इससे किसानों को सहायता मिलेगी, कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन का विस्तार किया जाना चाहिए। देश में नए नए विकसित होने वाले शहरों की जटिल अवसंरचनात्मक समस्याओं को सुलझाने के लिए केरल जैसे राज्यों में अधिकाधिक शहरों को शामिल किया जा सके।

महोदय, जब केन्द्रीय बिक्रीकर घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है तो इसके परिणामस्वरूप राजस्व में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति केन्द्र

द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।

राष्ट्रीय बचत की ब्याज दरों में संशोधन करने की आवश्यकता है तथा अधिकाधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एमआईएस बोनस को भी बहाल करना होगा। क्योंकि वर्तमान में केरल जैसे राज्यों में निवल संग्रहण ऋणात्मक हैं। स्थानीय स्वशासन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किराए पर भी सेवा कर हटाना होगा।

टाईटेनियम के आयात को रोकने के लिए टाईटेनियम डाईआक्साईड पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5 से 15% तक कर देना चाहिए क्योंकि टाईटेनियम डाईआक्साईड के आयात में वृद्धि से केरल मिनरल एंड मैटल्स लिमिटेड तथा त्रावणकोर टाईटेनियम पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मैं देश के किसानों की सहायता के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि दीर्घावधि में किसानों के कल्याण के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों पर ध्यान दें।

*श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : मैं अपने दल शिव सेना और अपनी ओर से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान किसानों के ऋणों की माफी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(1) सर्वप्रथम, मैं किसानों के ऋणों को माफ करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। हालांकि उसमें कई खामियां हैं जैसे:–

(क) पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान पूर्ण ऋण माफी के पात्र हैं; परंतु दुर्भाग्य से महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र सिंचाई, औद्योगिकीकरण और परिवहन के मामले में भी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। 80 प्रतिशत से भी अधिक किसानों के पास माफी के लिए निर्धारित भूमि से 80 प्रतिशत अधिक भूमि है इसलिए वे पूर्ण ऋण माफी से वंचित रह गये हैं और यदि ओ टी एस के माध्यम से उनके ऋण के एक भाग का जो कि 25 प्रतिशत है, को माफ किया जाए तो इसके लिए उसे 75 प्रतिशत ऋण की अदायगी करनी होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप और पूरा विश्व इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किसानों द्वारा आत्महत्या करने में अधिकांश मामले विदर्भ में ही हुए हैं। विगत 10 वर्षों में करीबन 8000 से 9000 किसानों ने आत्महत्या की है। यही नहीं आपके द्वारा बजट में घोषणा के बाद विदर्भ में 36 किसानों ने आत्महत्या कर ली है।

अतएव, मेरा निवेदन है कि सभी किसानों के लिए, विशेषकर विदर्भ क्षेत्र के सभी किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी योजना लागू की जाए।

(ख) दूसरा पिछले दो बजटों के दौरान मैं इस बात को आपके ध्यान में लाने का प्रयास किया कि सहकारी बैंकों का गठन और कार्यकरण सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होता है। सहकारी बैंकों में उधार लेने वाले उसके शेयरधारक हैं। जब तक व्यक्ति के पास सहकारी बैंक के शेयर नहीं होते वह उधार लेने के लिए पात्र नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों के शेयरधारकों के शेयरों का मूल्य एक समान ही रहती है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज से नहीं जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं जिसके कारण वे इस पर अप्रत्यक्ष लाभांश भी अर्जित कर रहे हैं।

यहां, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सहकारी बैंकों की आय अतिरेक है न कि लाभ जो कि लाभांश के रूप में शेयरधारकों के बीच बांटा जाता है तथा जिसका उपयोग भारी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए विकास की निधि की व्यवस्था के लिए किया जाना है। इसीलिए सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 पी. के अंतर्गत छूट दिए जाने की आवश्यकता है। जब कभी मैं माननीय प्रधान मंत्री से मिला और राष्ट्रीय बैंक परिसंघ के कुछ पदाधिकारी यूपीए प्रमुख श्रीमती सोनिया गांधी से मिले तो सैद्धान्तिक रूप से दोनों सहमत हो गए परंतु दुर्भाग्य से बजट में इसे कोई स्थान नहीं दिया गया। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सहकारी बैंककारी उद्योग जो कि आम अवमियों का आंदोलन है उसे आयकर से छूट दी जाए।

अंत में आपने मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को काफी राहत दी है जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

*श्री रमेश दुबे (सिर्जापुर) : महोदय, मा. वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट 2008–09 का अनुमोदन करते हुए मैं सुझाव रख रहा हूं।

ऑडिट की सीमा 40 लाख है जबसे ऑडिट की सीमा निश्चित की गई उसके बाद आयकर की सभी एवं एक्साइज की सीमा बढ़ायी गयी। साथ ही सेंसक्स 15000 पर पहुंचा। सोना आज 13000 पर पहुंचा है। मंहगाई बढ़ी है। छोटे – बड़े व्यवसायियों का टर्न ओवर भी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रमेश दूबे]

बढ़ा है इसलिए ऑडिट की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ तक करना चाहिए। इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। सरकार के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि छोटे व्यापारियों को भी किसान ही समझना चाहिए। फर्क इतना है कि किसान गांव में बसता है छोटा व्यापारी शहरों में।

डेयरी (दूध उत्पादन) कृषि की पूरक है आज कृषि आय आयकर से मुक्त है। डेयरी भी आयकर से मुक्त करना चाहिए इससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

आशा है कि मंत्री महोदय मेरी बात से सहमत होंगे।

[अनुवाद]

*श्री फ्रांसिस्को कोएल्ही सारदीना (मर्मुगाओ) : महोदय, देश को बहुत अच्छा रेल बजट देने के बाद सं.प्र.ग. सरकार ने देश को एक कदम आगे बढ़कर एक अच्छा आम बजट भी दिया है।

मैं स.प्र.ग. सरकार, विशेषकर माननीय वित्त मंत्री को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं जिसमें अमीर, गरीब, वेतन भोगी व्यक्ति है, महिलाओं और किसानों सहित समाज के सभी तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। महोदय, मेरे साथियों ने बजट के अधिकांश पहलुओं को छुआ है। तथापि कई पहलू अभी भी वित्त मंत्री के ध्यान में लाए जाने बाकी है।

महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि उन लघु तथा सीमांत किसानों का क्या होगा जिन्होने आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अपने ऋण अदा कर दिए हैं। क्या आप उन्हें अगली अवधि में बिना ब्याज ऋण देने पर विचार करेंगे।

महोदय, किसानों को दिए गए समर्थन मूल्य का लाभ केवल तभी हो पाएगा जब किसान अपने उत्पाद बेचेंगे और उसके लिए किसानों को अपने परिवार की खपत से ज्यादा उत्पादन करना होगा। देश में ऐसे किसानों की संख्या केवल 20 से 30 प्रतिशत ही है। पर्वतीय राज्यों तथा गोवा जैसे छोटे राज्यों में औसतन किसानों के पास 1/4 एकड़ भूमि होती है इस प्रकार के लोग अपनी आवश्यकता अनुरूप ही उत्पादन करते हैं। इसलिए, उन्हें ब्याज राजसहायता मुहैया करवायी जाए और इसके लिए सम्बद्ध राज्यों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा कुक्कुट पालन से संबंधित है। इस बजट में उन्हें यह उम्मीद थी कि किसानों की भांति ही उन्हें भी राहत मिलेगी क्योंकि कतिपय राज्यों में वे लोग भी बर्ड फ्लू की समस्या जूझ रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुक्कुट पालन एक महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादन क्षेत्र है। जो बड़े पैमाने पर पशु प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की होने वाली खपत के लिए सबसे सस्ता स्रोत है। इसका कोई कारण नहीं है कि इसे कृषि के समान नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि भारत सरकार स्वयं कुक्कुट पालन को कृषि का ही भाग मानती है। हाल के वर्षों में मुर्गियों के दाने मक्का और सोयाबीन की लागत भी लगभग दोगुनी हो गयी है और महोदय यदि ऋण माफी योजना की भांति ही उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं किया गया तो कुक्कुट पालक भी किसानों की भांति आत्महत्या करने लगेंगे। अंत में मैं कृषि मंत्री से यही अनुरोध करूंगा कि वे आई. सी. ए. आर. केन्द्र को मजबूत बनाए जिसका एक केन्द्र पुराने गोवा में है और उन्हें राज्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का निदेश दे ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सकें और आम और काजू की बेहतर किस्मों का उत्पादन कर सकें।

*डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं केन्द्रीय बजट 2008–2009 का समर्थन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वर्ष का बजट वास्तव में अच्छा है। मैं माननीय वित्त मंत्री और संप्रग सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे पास किसानों की ऋण माफी, सतत वृद्धि दर, प्रमुख कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं को प्रोत्साहन; पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु बेहतर आबंटन, कर राहत, लिंग आधारित बजट आदि है। इन बिन्दुओं को पहले ही मेरे माननीय सदस्यों ने बता दिया है।

महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। मैं पूर्वोत्तर की जमीनी सच्चाई से अवगत हूं। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र शेष देश की तुलना में दशकों से पिछड़ रहा है। वे रोजगार, आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य परिचर्या, अवसंरचना, सिंचाई, विद्युत, जल आपूर्ति, सड़क और संचार आदि जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अब पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर सबसे अधिक ध्यान देने का समय है। केवल कागजी कार्यवाही और कहने भर से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

महोदय, प्रत्येक मंत्रालय और विभाग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत बजटीय आबंटन अच्छी व्यवस्था है। किंतु हम बस यह जानते हैं कि इस पैसे को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वोत्तर में कुछ भी नहीं बदल रहा है। विकास लगभग नगण्य है। लोगों में हताशा चरम पर है। यह भी अलगाववादी गुटों के उभरने का एक कारण हो सकता है। लोग अलग–थलग महसूस कर रहे हैं। कुछ न कुछ ठोस किया जाना चाहिए अन्यथा बहुत देर हो जायेगी।

महोदय, अरूणाचल प्रदेश पर चीन के दावे, अलगाववादियों द्वारा सम्प्रभु स्वतंत्र राज्य की मांग और कोसोवो द्वारा स्वतंत्रता की एकपक्षीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

घोषणा को देखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति चिंताजनक है। मैं एक बार पुनः केन्द्र सरकार और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कुछ न कुछ युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीव्र विकास ही एक मात्र समाधान है। विकास और रोजगार ही समाधान है। समय बीत रहा है। हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तेजी से कुछ करना चाहिए।

महोदय, मैं अब इस महत् सभा का ध्यान अपने राज्य मणिपुर की लगातार खराब कानून–व्यवस्था की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। महीनों से राज्य के लगभग सभी विभागाध्यक्ष अपने आवासों पर अपने परिवारों के साथ नहीं रह रहे हैं। ये या तो राज्य के अतिथि गृह में अथवा अन्य पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र में रह रहे हैं लोगों को निर्दोष व्यक्तियों सहित सिविलियन अथवा अन्य) मारा जा रहा है। हाल ही में, विद्यालयों के घरों पर ग्रेनेडो से हमला किया गया। और तो और मणिपुर विधान सभा पर भी ग्रेनेड से हमला किया गया। मैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय से शीघ्रतिशीघ्र स्थिति जो नियंत्रित करने में सभी संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इस संदर्भ में, मैं एक बार पुनः दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस महत सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला तो अलोका प्रेस सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, 1950 (ए एफ एस पी ए) है और दूसरा 1960 का 16–सूत्रीय समझौता है। पहला अर्थात् ए एफ एस पी ए का अधिनियम मुख्यतः नागालैण्ड राज्य में भूमिगत तत्वों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। 1980 में, इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में और जम्मू और कश्मीर तक कर दिया गया; और यह इतने अधिक समय से लागू है कि अपनी उपयोगिता खोता जा रहा है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति ने इसको पूर्ण रूप से निरस्त करने की सिफारिश की थी। इस अधिनियम को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस अधिनियम को तत्काल निरस्त करने के लिए निष्ठापूर्वक अपील करता है।

दूसरा 1960 का 16–सूत्रीय समझौता है। कथित समझौते का अनुच्छेद 13 "संस्पर्शी नागा क्षेत्रों के एकीकरण" की बात करता है। यह कथित समझौते के तत्कालीन भागीदारों की इच्छा मात्र थी। जब 1962 में नागालैण्ड राज्य का गठन हुआ तो इस समझौते के सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसलिए अब यह समझौतें प्रासंगिक नहीं रहा है। शेष मुद्दों को शून्य समझा जा सकता है और उन्हें शून्य ही समझा जाए।

महोदय, मणिपुर से विकास संबंधी क्रियाकलाप बहुत धीरे चल रहे हैं लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों की नियुक्ति ठेके के आधार पर है। अनेक विभागों में नियमित आधार पर रिक्त पदों को भरने में अदालती मामलों सहित विभिन्न कारणों से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य के सभी पदों पर नियुक्तियों के लिए अलग–अलग कीमत निर्धारित है। अब तो, राज्य में जीवन दुरूह हो गया है। विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति और केरोसीन तेल सहित अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति राज्य में कभी भी नियमित नहीं रहती है। विद्युत आपूर्ति मोबाइल फोन की बैटरियों को चार्ज करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होती है।

महोदय, राज्य की दो जीवन रेखाएं–राष्ट्रीय राजमार्ग 39 और राष्ट्रीय राजमार्ग 53 को, पूरा लाभ उठाने के लिए, अभी भी विकसित किया जाना है। सुचारू यातायात परिचालन के लिए इन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार–लेन का किये जाने की आवश्यकता है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत कम सुरक्षा है। अनेक बार यात्री बसें और माल से भरे ट्रकों को लूटा गया है। इन सबके अलावा, विभिन्न, संगठनों द्वारा किसी न किसी बहाने से भारी कर लगाए जाते हैं। इसलिए, इन राजमार्गों के आसपास शांति बनाए रखने और कार्य करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए नियमित राजमार्ग सुरक्षा बल (एच पी एफ) होना सबसे अधिक अनिवार्य हो गया है। इसलिए, मैं इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनन्य तैनाती के लिए विशेष एचपीएच का तत्काल गठन करने का अनुरोध करता हूं। इससे इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवांछनीय गतिरोधों आदि से बचाव करने में सहायता मिलेगी।

पुनः, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर) : माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह पहिले जो बजट पेश किये हैं वह अलग हट के है पहिले वाले बजट में किसानों की बात और ग्रामीण विकास की बात नहीं होती है परन्तु चुनाव आते है यू.पी.ए. सरकार ने अपना रंग बदलकर इस बजट को किसानों का और गांव का बजट कहलाने के लिए प्रयास किया अतः वह चुनावी बजट जैसा है। पिछले दो वर्षों से चारों तरफ महंगाई ही महंगाई ही नजर आ रही थी गरीब आदमी महंगाई से बुरी तरह से पिस रहा था सब्जियां इतनी महंगी हो गई थीं कि गरीब परिवारों ने चटनी से रोटी खाने शुरू कर दी थी।

पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में शिक्षा को काफी पैसा दिया है और इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आदिवासी छात्राओं के लिए 410 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है परंतु जो पहले इस प्रकार के विद्यालय खोले गये हैं उन्होंने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया हैं वहां पर अभी तक आवश्यक सुविधाएं नहीं मिली हैं देश में इस बजट

* भाषण समापटल पर रखा गया।

[श्रीमती जयाप्रदा]

में 6000 आदर्श विद्यालय खोले जाने का विचार है परंतु क्वालिटी शिक्षा पर बजट में कोई विशेष बात नहीं है, मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में एक ही केन्द्रीय विद्यालय है जबकि केन्द्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में है जिनके कारण केन्द्र सरकार के पास मिलिटरी फोर्स में कार्यरत लोगों को और अन्य केन्द्र कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता है और नवोदय विद्यालय तो अभी तक खोला नहीं गया। परंतु जब राज्य सरकारों यह करोड़ों रुपया जाता है तो उसका अधिकांश पैसा प्रशासन के खर्चों में चला जाता है जो पैसा हम जिन योजनाओं के तहत देते है उसका केवल 15 प्रतिशत के करीब पहुंचता है। हालांकि इस बजट में एक निगरानी प्राधिकरण बनाने की बात की है परंतु उसका क्या असर होगा यह समय ही बताएगा क्योंकि इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने जो निगरानी के जो भी कदम उठाये हैं वह उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं और पैसा बर्बाद होता रहा है। अभी भी देश में 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते तथा बाल मजदूरी के शिकार है।

इस बजट में बिजली के उत्पादन पर जोर नहीं दिया है बिजली की मांग बढ़ती जा रही है मेरे संसदीय क्षेत्र में कई गांवों में अभी बिजली नहीं पहुंची है और एक एक दिन में 15 घंटे बिजली गुल रहती है जबकि बिजली से आज कल उद्योग चल रहे हैं परंतु पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। देश में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली पैदा किए जाने हेतु प्रबंध किया जाये। आज भी देश के खेत 60 प्रतिशत बरसात के पानी से सींचे जाते है। अगर बरसात हो गई तो ठीक है। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी जरूरत से ज्यादा है आये साल वहां पर बाढ़ आने से सैकड़ों जाने चली जाती हैं, हजारों किसानों के पशु मर जाते हैं और किसानों की लाखों की फसल चौपट हो जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में कई नदियां बहती हैं वहां पर पुल निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है बाढ़ के दिनों में लोगों को आने–जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जहां पर पुल बनाये हैं पुलों के गलत निर्माण होने से नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया है और आने वाले समय से जब बरसात का मौसम आएगा तो नदियों ने जो नये रास्ते बनाये हैं उन पर चलकर यह नदियां भारी तबाही मचाएगी। सरकार को इस संबंध में कुछ करना चाहिए और इस बजट में नजर नहीं आ रहा है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था जो काम कर रही है वह बहुत ही खराब है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है और दवाई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को इलाज के लिए शहरों में ले जाना पड़ता है जिन पर इन गरीब आदमियों एवं किसान परिवार को बहुत खर्च करना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है इन गांवों में चिकित्सा की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। देश में एड्स कार्यक्रम पर 275 करोड़ की व्यवस्था की है परंतु सरकार ने बीड़ी बनाने वाले मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया है वह अक्सर टी.बी. का शिकार हो जाते हैं और तरह–तरह की बीमारी उन्हें लगती हैं। सरकार को चाहिए कि जहां पर बीड़ी मजदूर हैं वहां पर इन मजदूरों के लिए अस्पताल बनाये और इनके स्वास्थ्य के लिए स्कीमें चलाई जायें।

देश में कई ऐसे हेन्डीक्राफ्ट हैं जिनकी विदेशों में काफी मांग है। देश में पतंगबाजी का काफी अच्छा उद्योग था और ग्रामीण लोगों का यह अच्छा मनोरंजन का साधन था। परंतु इस प्रकार के परम्परागत मनोरंजन एवं प्रतियोगिता के आयोजन पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। परन्तु हैन्डीक्राफ्ट की योजनाओं से पैसा कमा रहे हैं। परंतु कला में लगे इन कलाकारों को कुछ नहीं मिल रहा है जिनके कारण ये कलाकार इन कालाओं को छोड़कर अन्य मजदूरी करने को अच्छा समझते हैं। इस बजट में हेन्डीक्राफ्ट को कुछ नहीं दिया है यह बड़ी शर्म की बात है। आज भी देश में महिला उपेक्षित है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की। शहरों में जो महिला संबंधी योजनाएं चल रही हैं उसका फायदा कुछ ही महिलाएं उठा रही हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में महिला बुरी तरह से उपेक्षित हैं जब तक ग्रामीण महिलाओं का भला नहीं होगा तब तक ग्रामीण बच्चों का विकास नहीं किया जा सकेगा।

समय के साथ भू–जल स्तर कम होता जा रहा है जिसके कारण खेतों पर सिंचाई करने के लिए किसानों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। हर साल पानी छः फुट नीचे जा रहा है अगर यह स्थिति रही तो पन्द्रह साल में खेतो में पानी तो मिलेगा ही नहीं अपितु लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा।

सरकार ने जो किसानों का ऋण माफ किया है वह अच्छी बात है क्योंकि गरीब किसान के पास खेती पाती के अलावा कुछ नहीं होता है और कुछ वर्षों से खेती बाड़ी में कई आपदा आई है जिसके कारण किसानों में बचत बिल्कुल नहीं हुई और जो कर्ज उन्होंने लिया था वह चुकाने में असमर्थ थे इसलिए यह कदम अच्छा है परंतु कई विचारकों ने यह अपने विचारों में कहा है कि यह कर्जे कैसे और किस तरह से माफ किये जाएंगे अगर बैंकों ने जो कर्ज दिया था वह उसे नहीं मिला तो बैंक दिवालिया हो जायेंगे और उसकी भरपाई कौन करेगा। अगर सरकार कर्ज माफी की भरपाई कर रही है तो उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाये। जो नहीं हुआ है। अतः सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा।

देश के सबसे बड़े मनोरंजन साधन सिनेमा में कई लाख लोग अपने परिवार की रोजी रोटी कमा रहे हैं परन्तु उनको बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन सुविधा, उनके कल्याण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जबकि देखा जाये तो राजस्व में इस मनोरंजन के माध्यम से अरबों रुपया आ रहा है। जितना खजाना इस सिनेमा उद्योग से आ रहा है उतना खर्चा सरकार द्वारा इस सिनेमा उद्योग पर नहीं हो रहा है। देश

में क्षेत्रीय फिलम जैसे तमिल, तेलगु, मलयाली और भोजपुरी जैसी भाषाओं में फिल्म बनाकर ग्रामीण लोगों को मनोरंजन साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं परंतु सरकार से इस संबंध में कोई सहायता नहीं मिल रही है। रिमिक्स फिल्मों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है परंतु आज इसकी मांग है और इस प्रतिबंध को लोकहित में हटा देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखंड और रूहेलखंड आज विकास के मामले में बहुत पीछे हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास नहीं किये जा रहे हैं और न ही यहां पर उद्योग लगाये जा रहे हैं। जिनके कारण इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं जो देश के संतुलित विकास के रास्ते में बाधक है। हालांकि सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 5800 करोड़ की व्यवस्था की है जो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हैं।

वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से लोगों को एक झुनझूना ही दिया है जो बजाने का काम ही करेगा। लोगों को रोजगार उनको अपने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में काम नहीं आएगा, इसी कारण मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ी हूं।

*श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : आपके माध्यम से वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि सामान्य बजअ हमारी अर्थव्यवस्था के आधारभूत मुद्दो की ओर ध्यान देने में असफल रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कहीं है। भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पोलियो उन्मूलन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, किसानों के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम, भूमिगत जल रिचार्ज योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, संकटग्रस्त जिलों के लिए विशेष योजना, कृषि क्षेत्र में भी बहुत कहा गया। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है वह अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए बजट मे प्रावधान किया जाना जरूरी था। जो नहीं हुआ है। फिर भी देश के किसानों को थोड़ा फायदा तो होगा।

लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों में रहने वाले आदिवासियों को इस बजट में कोई भी फायदा नहीं होगा। देश के कई राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में वन कानून और जीव संबंधी कानूनों के होते हुए इन कानूनों के कारण आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजना लागू नहीं होगी।

गुजरात नर्मदा जिला, भरूच और सूरत जिला में कई क्षेत्र हैं जहां वन कानूनों की वजह से ग्रामीण विकास योजनाओं का पैसा वापिस जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य कोई भी सरकारी योजना से पक्की सड़कें इन क्षेत्रों में नहीं हैं। पक्की सड़कें नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए भारी मुसीबत झेलनी पड़ती है। शिक्षा और आरोग्य की सुविधाएं भी नहीं के बराबर हैं। वर्षाऋतु के समय में नदियों में बाढ़, नालों में पानी रहने के कारण 4 से 5 महीनों तक आने जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं बिजली, टेलीफोन की भी सुविधा नहीं होने से समग्र दुनियां से संपर्क कट जाता है। आजादी के 60 साल बाद भी आदिवासी नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके लिए सरकार ने धनराशि को 503 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 805 करोड़ रुपये तो कर दी है पर क्या यह राशि देश में आदिवासी विकास एवं कल्याण के लिए पर्याप्त है? वन अधिकार बिल लोकसभा में पारित हुआ। वन अधिकार बिल को लेकर आदिवासियों को थोड़ा फायदा जरूरत मिलेगा लेकिन मेरी सरकार से अपील है कि आदिवासियों के पास वर्षों से जमीन के पट्टे हैं उनका कब्जा बहुत सरलता से जल्दी से जल्दी उनको सौंप दिया जायें और रिजर्व फोरेस्ट कानून और जीव संबंधी कानून वाले क्षेत्रों में भी विकास के हेतु कोई खास पैकेज दिया जाए जिससे पक्की सड़के, सिंचाई हेतु योजना, टेलीफोन, बिजली के सुविधाएं उपलब्ध हों। आवश्यकता आज इस बात की है कि जंगलों में बेकार पड़ी जमीन उपजाऊ बनाकर कृषि योग्य बनाकर छोटे-छोटे बांध बनाकर उन्हें आदिवासी लोगों को लीज पर दे दी जाये। एवं पेड़ आदि लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाये। ताकि आदिवासी किसान आगे बढ़ सकें। किसान कोई भी हो, देश के किसानों को सस्ती बिजली, सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिलनी चाहिए। एन.डी.ए. के समय में देश की सभी नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाकर जहां सिंचाइ की सुविधा नहीं है ऐसे सभी किसानों को सिचाई की सुविधा उपलब्ध करवायें। सभी देश के किसानों को समान पोलिसी बनाकर सिंचाई हेतु बिजली जो भी किसान मांगे उसे तत्काल मिले। आज देश में युवाओं की हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजगार के क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं। ऐसे समय में कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने का समय आ गया है। वित्तमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आज देश में हजारों हेक्टर जमीन में सिंचाई का पानी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को चुन कर खास पैकेज दिया जायें। जिससे सिंचाई के साथ साथ पशुपालन करके डेरी उद्योग को भी बढ़ावा दे सकें। पूरे देश में डेयरी उद्योग काफी तरक्की कर रहा है। गुजरात में मेहसाणा आनंद जैसी डेरी उद्योग काफी दूध उत्पादन कर रहा है। बाकी के गुजरात के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर बेकारों को काम दे सकते हैं।

ग्रामीण विकास की कर्ज योजनाओं पर पैसा समय पर नहीं पहुंच, पाता है जिसके कारण ग्रामीण विकास के कार्य अपने समय पर पूरे नहीं होते हैं।

* भाषण समापटल पर रखा गया।

[श्री मनसुखभाई डी. वसावा]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार 200 जिलों में बढ़ाकर 330 जिलों में कर दिया गया है। परंतु ये योजना ज्यादातर राज्यों में फेल हो गई है काम करने वाले श्रमिक को दैनिक 50 से 60 रुपये मिलता है, कम से कम दैनिक मजदूरी वर्तमान महंगाई को देखते हुए 100 रुपया या महंगाई के बढ़ने के हिसाब से मजदूरी दी जाए। आवास योजना में राशि बहुत कम है इन्हें भी बढ़ाया जाए।

एन. डी. ए. सरकार ने देश में अच्छी किस्म के यातायात के लिए अत्याधुनिक संचार केन्द्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कल्पना की थी जिस पर काम भी हुआ परन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य अपने निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। अहमदाबाद–बड़ौदा एक्सप्रेस वे मुंबई तक निर्माण के लिए 2006–07 के बजट भाषण में वित्तमंत्री ने विश्वास दिया था। लेकिन आज निर्माण कार्य बहुत पीछे चल रहा है। वित्त मंत्री से मैं अपील करता हूं कि अहमदाबाद–बड़ौदा एक्सप्रेस वे मुबई तक का कार्य जल्दी से पूर्ण करने का प्रावधान करें। इसी मार्ग पर नर्मदा नदी पर तापी नदी पर जहां ब्रिज बनाना जरूरी है वो भी जल्द से शुरू करवायें।

वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध हे कि सरकार के जो भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम है उनको सही अर्थ में चरितार्थ करना चाहिये। नहीं तो बजट केवल कुछ समय के लिए लोगों को खुश करने वाला साबित होगा।

[अनुवाद]

*डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : कोई भी बजट एक मिला जुला रूप होता है। एक बजट का प्रस्तुत करने के दिन आकलन करना मेरे विचार से गलत है। इसका आकलन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही होना चाहिए। एक समय बजट में एक अलंघनीय पवित्रता होती थी। बाद में, बजट एक कालाबाजारियों का पिटारा हो गया तथा बजट आंकड़े अपनी अर्थ खो बैठे। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम ने कुछ अनुशासन लाए। तथापि, हम अब भी गलत बजट वायदा करते हैं; हम अब भी बहुत ज्यादा उधार लेते हैं; तथा कई मंत्रालय उन्हें दिया गया पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तब भी और ज्यादा मांगते हैं।

मैं श्री पी. चिदम्बरम को उत्सुकता से सुनता और पढ़ता हूं। उनकी बातें सुनने में आनंद आता है। वह जो भी संसद में कहते हैं, तथा अपनी किताब में लिखते हैं वह सच के सिवाय और कुछ नहीं होता है। मैंने उनकी किताब 'ए थ्यू फ्रॉम दि आउटसाइट' से उपर्युक्त पैरा लिया है। उनमें राजनीतिज्ञ का जोश है तथा अर्थशास्त्री की समझ है। वह स्पष्ट है सिवाय तब जब वे कार्यालय में होते हैं। उसी अलंकरण तथा आत्मविश्वास के साथ उन्होंने सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।

वह काफी सौभाग्यशाली हैं; क्योंकि हमारे इतिहास में अन्य कोई वित्त मंत्री इतने लंबे समय तक नहीं रहा। उन्होंने राजग से उफनती खाद्य भंडार के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था का अधिग्रहण किया। भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत अच्छी थी तथा राजग ने सभी आवश्यक सुधार पूरे किए थे। इसलिए चार वर्ष तक बिना कोई सुधार किए वाम पक्ष द्वारा कवायद करवाए जाने के बावजूद चिदम्बरम वृद्धि के मार्ग पर स्थिर बने हुए हैं।

जैसा कि चिदम्बरम ने काल्पनिक बजट वायदों तथा अव्ययित आबंटनों के विषय में लिखा– हमने इसे एन आर ई जी ए में घटित होते देखा है जहां क्रियान्वयन दस प्रतिशत से कम है लेकिन फिर भी इसका विस्तार देश के सभी 596 जिलों में कर दिया गया है। इस बार आबंटन कम है तथा संकेत हैं कि इसे सहज रूप से समाप्त ही कर दिया जायगा। हम इसे पुनः 600 मिलियन रुपयों की किसान ऋण माफी योजना में भी देख सकते हैं। यह गलत ढंग से लागू किया गया स्वागतयोग्य कदम है। वित्त मंत्री जानते हैं कि कार्यक्रम की जल्दबाजी में घोषणा की गई, राजनीतिक नारेबाजी के लिए वित्तपोषित नहीं है तथा लाभ लंबित नहीं है।

वैश्वीकरण के पश्चात् भारत में राजनीतिज्ञों का एक वर्ग है जो इस तरह बात करते हैं मानो अर्थव्यवस्था को अलग किया जाना है तथा इसकी देखभाल की जानी है जैसे वह अपने आप में साध्य हो। अंततः सुधार जन कल्याण के लिए है तथा दूसरा मानवीय चेहरा होना चाहिए। बैंक प्रत्येक वर्ष उद्योग ऋण के रुप में 25,000 करोड़ रुपयों को अशोध्य ऋण के रूप में माफी करता है। कोई शोर नही होता। हाल फिलहाल यह सोच मीडिया द्वारा संवीर्धत की जा रही है कि यदि आप लोगों के प्रति अच्छे हैं तो यह खराब अर्थशास्त्र है तथा उद्योग के प्रति अच्छे हैं तो यह अच्छी अर्थशास्त्र है जो विकास को बढ़ाएगी।

कृषि की तरह उद्योग को भी प्रोत्साहन की जरुरत होती है। निवेश विकास का डायनेमों है। तथापि बजट ने नई उद्यमशील वर्ग को प्रोत्साहित नहीं किया है।

चिदम्बरम के बजट से कांग्रेस को [illegible]नीतिक फायदा नहीं हो सकता है। क्योंकि इसने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया है। संप्रग के अंतर्गत राजग की तरह जीवन [illegible]णवत्ता में सुधार नहीं हुआ। अवसंरचना मोर्चा पर, जो विकास सबसे म[illegible]र्ण पहलू है, सं.प्र.ग. असफल रही है। इस दिशा में नई बजट ने कुछ नहीं दिया है। यहां तक कि चौधरी देवीलाल ने 1990 में किसानों का 10,000 करोड़ रुपयों

* भाषण सभापटल पर रखा गया।

का ऋण माफ किया था, तथा यह ज्यादा उदार, किसानों को सीधा पैसा दिया गया था। लेकिन उनकी पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। कांग्रेस ने अपनी दिमागविहीन लोक लुभावने कार्यक्रम से और ज्यादा समस्याओं को जन्म दिया है जितने कि वह हल कर सकती है।

भारतीय किसान को हाथ में पैसा चाहिए। उन्हें अपने खेतों या बेहतर सिंचाई, विद्युत कनेक्शन, मांग पर नकदी उपलब्धता, शहरी संपर्क, प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य, गैर-शोषक विपणण सुविधा की आवश्यकता है। इस तरह का कोई प्रावधान बजट में नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क योजना, फसल बीमा, तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वाजपेयी सरकार की अधिकांश महत्वपूर्ण पहल सं.प्र.ग. के अंतर्गत समाप्त हो गई। 2008-09 बजट इन सभी वस्तुओं पर चुप है।

तथापि, बजट का पहले दिन आकलन, जैसा कि चिदम्बरम स्वयं मानते हैं, बहुसंख्यक द्वारा राजनीतिक रुप से सही माना गया। वास्तव में, हमें साल के अंत का इंतजार करना चाहिए था। यह देखने के लिए कि कई क्षेत्रों में रुकावटें दूर हुईं, किसानों की आत्महत्या रूकीं, तथा बजट तथा उपयोग में वृद्धि हुई।

चार वर्षों तक संप्रग आम आदमी पर निर्दयी रहा। ऋण माफी तथा आयकर छूट सीमा में वृद्धि ने सुखभ्रांति पैदा किया हैं दोनों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिदम्बरम ने इसे चुनाव का मुद्दा बनाया है। किसी राजनीतिक दल को मतदाताओं को सरकारी पैसे से घूस देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यही चिदम्बरम ने किया है।

आंकड़ों का पैबंद लगाया गया है। पहला, एन आर ई जी ए तथा ऋण माफी के अधिकांश आबंटन बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए हैं। मुसलमानों को पिशाच के रुप में चयन करके बजट का सांप्रदायीकरण करना भी इसी प्रकार अस्वीकार्य है। यह सच्चर रिपोर्ट, कई अन्य अल्पसंख्यक विशिष्ट कदम तथा अब चयनित 90 जिलों में विशेष आबंटन तथा संप्रग की अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के आबंटन को दोगुना करने की राजनीति भूख से स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस उनकी भक्ति का केवल एक छोटा सा भाग प्राप्त कर पाएगा क्योंकि कई दावेदार हैं। ये आबंटन भी व्यय नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार चिदम्बरम ने मुद्रास्फीति से निबटने के लिए काफी बड़ा अंश छोड़ दिया है।

वित्त मंत्री ने विश्व बैंक निर्धारित वित्त क्षेत्र की सुधारों पर स्थिर रहते हुए चुनावी खेल खेला है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि पैसा निगमित क्षेत्र की झोली में जाय तथा शक्ति तथा निधि कांग्रेस के छोटे नेताओं के पास जाय। ऋण माफी 40 मिलियन किसानों को लाभ देना हैं बजट की यह सबसे आश्चर्यजनक बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले नोट किया इस बड़ी राशि का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। बैंकों को सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि तक पर्याप्त तरलता प्रदान की जाएगी, वित्त मंत्री कहते हैं। माफी व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के ऋणों पर लागू है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2007 है। इन बैंकों के तुलनपत्र में निवल लाभ की कमी होगी क्योंकि सरकार उनकी हानि को पूरा करने की बात नहीं कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट बैंक स्टॉकों में गिरावट दर्शाती है। भारतीय बैंक, मजबूत होने की अवधि में प्रवेश कर रहे हैं तथा अप्रैल 2009 से विदेशी बैंकों के प्रवेश का मुकाबला करने की तैयारी में है। ऋण माफी से उत्पन्न नई परिसम्पति इनके मूल्यांकन को क्या करेगा, यह देखा जाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक की 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2006-07 पर रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की माफी 100 मिलियन रुपयों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 500 बिलियन रुपयों का बकाया यदि आबंटित किया गया तो सरकारी बैंकों की जाएगी जो अधिकांश राज्यों में कांग्रेस तथा सी पी आई (एम) राजनीतिज्ञों के नेतृत्व में है। चुनाव के समय कितना बड़ा तोहफा दिया गया। ऋण माफी पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया सतर्कतापूर्ण तथा सुयोग्य रही। यह विदर्भ, बुंदेलखंड, तथा रायलसीमा के बट्टे जोत जैसे सूखे, सूखा प्रवण क्षेत्र के किसानों को लाभ नहीं पहुंचाएगा पर टिप्पणी की जा चुकी है। लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा तथा हरियाणा के अधिकांश किसान इससे लाभान्वित होंगे। तथा गुजरात में जहां पिछले दशक में कृषि समृद्धता तथा कृषि ऋण में दस गुणी वद्धि हुई।

कृषि ऋण माफी से यह प्रतीत होता है कि किसान आदतन चूककर्ता है। नाबार्ड के रिपोर्ट के अनुसार केवल दस प्रतिशत किसान ऋण अदायगी से चूकते हैं। दो तिहाई किसान, विशेषज्ञों के अनुसार, स्थानीय साहूकारों पर निर्भर करते हैं तथा वे लाभान्वित नहीं होगें यह संभव है कि साहूकार किसानों से मिलकर तथा स्थानीय राजनीतिज्ञों की मदद से ऋण माफी का लाभ उठाए। चूंकि वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि 40 मिलियन किसान इसका लाभ उठाएंगे तो विपक्ष का यह मांग करना कि सभी लाभार्थियों के नाम तथा पतों का कम्प्यूटरीकरण सूची दी जाय गलत नहीं है। यह करना सरकार के लिए मुश्किल नही होगा क्योंकि सरकार को यह प्रक्रिया इस वर्ष जून के अंत तक पूरी करनी है। तथा कांग्रेस सीखेगी कि इमानदारी एक बेहतर रणनीत है।

मैं वित्त मंत्री से अपने गृह राज्य उड़ीसा में एनटीज, एम्स, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की शाखा स्थापित करने तथा भुवनेश्वर कटक तथा खुर्दा से मेट्रो लाइन पर और ज्यादा जोर देने के लिए धनराशि आबंटित करने की अपील करता हूं।

श्री आर. एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : धन्यवाद, सभापति महोदय। श्रीमान, मैं आपको कृषक तथा कृषि ऋणों की माफी तक ही सीमित

[श्री आर. एल. जालप्पा]

करूंगा। प्रधानमंत्री को सामान्यतः तथा वित्त मंत्री को विशेषरूप से बधाई देने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। जिन्होंने देश के किसानों के प्रति उदारता तथा सद्भाव दर्शाते हुए लगभग 60,000 करोड़ रुपयों का ऋण माफ किया। मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद करता हूं।

पृष्ठ 13 में मद संख्या 1 में वित्त मंत्री ने कहा है :

"31 मार्च, 2007 से पूर्व उधार लिए गए तथा 31 दिसंबर, 2007 को यथासमय अदा नहीं किए गए।"

महोदय, यह पर्याप्त नहीं है। मैंने कल अपने राज्य के सहकारी विभाग से जानकारी प्राप्त की कि हमें केवल 810 करोड़ रुपयों की माफी मिलेगी जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है। मुझे नहीं मालूम कि हमें भारतीय रिज़र्व बैंक, व्यावसायिक बैंक तथा नाबार्ड से कितनी राहत प्राप्त होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रस्तावित माफी की अनन्तिम राशि भेजने की सलाह देता हूं। मेरा एक अनुरोध है मैं माननीय वित्त मंत्री से जो उदार दिल के हैं, को यथासमय अदा नहीं किए गए। शब्द को 'बकाया' शब्द से प्रतिस्थापित करने की विनती करता हूं। यह एक छोटा सा परिवर्तन है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसे देखने तथा एक शब्द में परिवर्तन करने का अनुरोध करता हूं।

बड़े किसान वे हैं जो इस देश को खाद्यान्न दे रहे हैं, जो कपड़ा मिलों को तथा निर्यात के लिए कपास दे रहे हैं तथा तेल के लिए तिलहन की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे बड़े किसानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। छोटे तथा सीमांत किसानों की अपनी समस्याएं होंगी लेकिन बड़े किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से सभी बकाया ऋण माफ करने का अनुरोध करूंगा तथा किसानों को नई जिन्दगी शुरू करने की अनुमति देना चाहूंगा। यदि यह संभव नहीं हो तो कम से कम ब्याज सहित ऋण का 50 प्रतिशत माफ करे। इससे उनपर और 12000 करोड़ रुपयों का ही भार आएगा।

द्वितीयतः, मैंने माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार के भाषण का एक भाग पढ़ा कि यह माफी कृषि की अनुषंगी गतिविधियों यथा, कुक्कुट पालन तथा डेरी इत्यादि पर भी लागू होती है। मै। पूरी तरह से नहीं जानता कि क्या यह माफी कृषि की अन्य अनुषंगी गतिविधियों, पण, कुक्कुट पालन, डेरी, भेंड़ पालन, ट्रैक्टर की खरीद तथा सिंचाई कुओं के डूबने पर इत्यादि पर भी लागू होता है। यदि ये सब शामिल नहीं होते हैं तो मैं माननीय वित्त मंत्री से यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि ये गतिविधियां शामिल की जायें।

यह सही है कि सरकार ने यह समृद्धि का पिटारा हमें दिया है। हम उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन आगे क्या है? बंगलोर सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक के प्रेसीडेंट के रुप में; कर्नाटक सहकारी तथा ग्रामीण विकास बैंक के प्रेसीडेंट के रुप में; तथा श्री रामकृष्ण हेगड़े के मंत्रालय में सहकारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी मैंने कुछ सबक लिए। अतएव, मेरे पास कुछ अनुभव है। लेकिन मेरे अनुभव माननीय वित्त मंत्री के अनुभव की तुलना में काफी कम है। इसके बावजूद, मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें आगे होने वाली आत्महत्याओं को नहीं रोक पाएंगी तथा ये कृषकों को चूककर्ता बनने से नहीं रोक पाएंगी।

हम क्या चाहते हैं? हम कृषि मंत्री को वित्त मंत्री द्वारा समस्या हल करने में सहायता देने का अनुरोध करते हैं। कुछ कृषिगत सुधार किए जाने हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से ऋण राहत अधिनियम या एक ऋण मोचन अधिनियम लाने का अनुरोध करता हूं जिसके द्वारा किसानों द्वारा साहूकारों से अल्पधिक पूंजी दर पर लिए गए ऋण माफ किए जा सके।

सभापति महोदय : आप अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय, मैं दो मिनट भी नहीं बोला हूं। मैं कभी-कभी ही बोलता हूं। आप कम से कम दो मिनट और बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं।

श्री आर. एल. जालप्पा : यह स्वर्गीय श्री देवराज अर्स द्वारा किया गया था जब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस अधिनियम को तुरंत लाएं।

द्वितीयत; जब तक आप 4 प्रतिशत शुल्क लेंगे, तब तक आप किसानों को चूककर्ता बनने से नहीं रोक सकते हैं। जब एक किसान विकास करता है, उनमें बेहतर जिंदगी के प्रति चाह भी बढ़ेगी। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे तथा स्वभावतः दोपहिया वाहन तथा एक टीवी या रेडियो अपने उपयोग हेतु लेना चाहेंगे। वे अपना जीवन स्तर में सुधार लाना चाहेंगे। यदि ऐसा है तो इन चीजों को खरीदने तथा बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनके पास अतिरिक्त पैसा कहां है। अतः यह 4 प्रतिशत ब्याज दर में कमी लाई जानी चाहिए। सरकार को इससे कोई धारा नहीं है, यदि सरकार इस दर को घटाने पर विचार करती है तो आपको और छह से आठ वर्षों तक ऋण माफ करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से कृषि सुधार लाने की मांग करता हूं।

महोदय, हमें कृषि विभाग के विस्तार स्कंध को मजबूत करने की आवश्यकता है। विस्तार अधिकारियों को खेल पर जाना है। सरकार को और लोगों को लाने के लिए कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करना चाहिए। सरकार को भी अच्छे उत्पादन के अवसर तलाशने

चाहिए तथा विपणन सुविधाएं घर तक पहुंचाने चाहिए। हमें प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। मेरे राज्य में मैंने देखा है कि टमाटर सड़क के किनारे फैंके हुए हैं क्योंकि टमाटर खरीदने वाला व्यक्ति नहीं है। कभी कभी ऐसा प्याज के साथ भी होता है। यदि सरकार प्रसंस्करण इकाइयों को शुरू करे तो टमाटर तथा प्याज की यह अतिरिक्त उत्पादन उत्पादक उपयोग में लगाई जा सकती है। प्रसंस्कृत उत्पाद का निर्यात किया जा सकता है तथा हमारे देश में भी इसका कमी के समय उपयोग किया जा सकता है।

महोदय, हमें अपने देश में कम लागत वाली प्रभावी खेती करनी चाहिए। ऐसा एक भद्र पुरुष द्वारा शुरू किया जाता है तथा हमें जैव-खाद के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण है तथा यह उत्पादन लागत को कम करने में हमारी मदद करेगा।

अपराह्न 1.00 बजे

हमें गांवों में सड़क इत्यादि जैसी अवसंरचना में सुधार लाना होगा। मैंने कुछ दिनों पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष का एक वक्तव्य पढ़ा कि चूंकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की प्राप्तियों अनुमान से काफी ज्यादा हैं, अतः ये गांवों को भेजी जा सकती हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं तथा स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री से यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि और ज्यादा धनराशि पंचायतों को दी जाय। आजकल, गांव कूड़ेदान हो गए हैं। हम स्वतंत्र तथा सुरक्षित लेकर गांवों में नहीं चल सकते हैं। वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है। गांवों में स्वच्छता तथा सड़क की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सभी सड़कों को कंक्रीट का सड़क बनाया जाना चाहिए। उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। गांवों तथा शहरों को जोड़ने वाली सड़कों की उचित रख रखाव की जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अंततः नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में क्या हुआ? हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्यों नहीं बढ़ सकते कि नदियों का राष्ट्रीयकरण तथा आपस में जोड़ा जाना आवश्यक है? जब तक आप पानी नहीं दें आप कृषि में सुधार किस प्रकार ला सकते हैं? बिना जल के यह करना संभव नहीं है। अतएव, जल की पर्याप्त पूर्ति होनी चाहिए। आपने जल निकायों में सुधार लाने तथा विकसित करने के लिए काफी धनराशि का प्रावधान किया है। लेकिन पानी कहां है? वर्षा कहां है? वनरोपण में सुधार लाने के लिए आपने क्या किया? केवल वनों की कटाई हो रही है। कोई वनरोपण कार्य नहीं हुआ है तथा कोई अधिकारी इस संबंध में रूचि नहीं ले रहा है। संबद्ध मंत्रालयों को वनरोपण विकसित करने में रूचि होनी चाहिए। जब तक हम वनरोपण नहीं करेंगे, हमें पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं होगी तथा बिना वनरोपण के जल स्रोतों में सुधार लाने का कोई उपयोग नहीं होगा।

महोदय, सभी किसानों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाय। उन्हें जाति तथा धर्म को ध्यान में नहीं रखते हुए पर्याप्त छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। इसकी देखभाल हमें करनी चाहिए।

सभापति महोदय : भाषण का शेष भाग सभापटल पर रख दिया जाय। डा. वर्क अब बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री आर. एल. जालप्पा : मुझे खुशी है कि आपने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए धनराशि का प्रावधान किया। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए आपने क्या किया? आपने खेल 164 करोड़ रुपयों की थोड़ी सी राशि दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष इसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया जाय।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया कि आप एक निगरानी एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित करने जा रहे हैं। यह काफी आवश्यक है। वैट, सर्विस टैक्स शुरू करने तथा आयकर का विकास करने से राज्यों को और ज्यादा धनराशि मिल रही है। भारत सरकार भी राज्यों को और ज्यादा धनराशि का योगदान दे रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

****श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़ उत्तर) : श्री चिदम्बरम जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में अनेक अतिश्योक्तियां हैं। जैसे कि विकास गाथा जारी है तथा और अधिक समावेशी विकास गाथा।

यह वास्तव में आत्मसंतोष की बात है कि देश ने 8.8% की औसत विकास दर को कायम रखा हुआ है। जिसे वित्त मंत्री अभी तक की सबसे अधिक दर मानते हैं।

मैं श्री चिदम्बरम जी को कम से कम एक कारण के लिए वास्तव में बधाई देना चाहता हूं कि वे लगातार अपना पांचवां केन्द्रीय बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस बजट के अलावा, उन्हें आखिरकार किसानों की संकटपूर्ण स्थिति पर ध्यान देने और भारतीय किसानों को 60000 करोड़ रुपए की ऋण माफी के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। किंतु, यह देखने योग्य बात है कि क्या यह कदम वास्तव में किसानों के आंसू पोछेगा और उन्हें परेशानी और संकटपूर्ण स्थिति के चिरस्थाई बंधन से मुक्त करा पायेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
** भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री प्रहलाद जोशी]

वित्त मंत्री ने अपने सभी पूर्ववर्ती बजटों में सेन्सेक्स को एक विदेशी ब्रांड अम्बेसेडर के रूप में सावधानीपूर्वक महत्व दिया है ताकि विश्व भारत के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखे।

लेकिन इस बार उन्हें संकट से घिरे अपने दल के लिए एक ब्रांड अम्बेसेडर की खोज करनी है। मैं श्री चिदम्बरम, जिनके विद्वतापूर्ण उत्तरों को मैं हमेशा से पसंद करता हूं, से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। लेकिन इस बार मैं कोई बुद्धिमानी से भरा उत्तर नहीं चाहता बल्कि एक ऐसा उत्तर चाहता हूं। जिसे वे दिल से महसूस करके दें।

"प्रश्न यह है कि क्या आप वाकई में किसानों की परेशानी के बारे में चिंतित है या इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस दल के संकट के बारे में?

यदि आपका उत्तर किसान है, तो मैं आपसे एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने यह निर्णय पहले क्यों नहीं किया, जिससे देशभर में अनेक किसानों को आत्महत्या करने से रोका जा सकता था। जो निरन्तर होता रहा।

"मुझे यकीन है कि किसानों की परेशानी इसका उत्तर नहीं हो सकता और आपका यही उत्तर भी हो, तो भी हमेशा की तरह यह आपकी बुद्धिमानी का परिचायक नहीं हो सकता। वित्तमंत्री का जो कोई भी उत्तर हो, एक चीज तो निश्चित है कि इस सभा में घोषित की गई रियासत से किसानों को वास्तव में फायदा नहीं होने वाला है। निसंदेह ऋण माफी के लिए पात्रता के तौर पर 2 हैक्टेयर से कम की भूमि की सीमा है, अर्थात् उसे छोटा और मझौला किसान होना चाहिए। लेकिन एक स्रोत के अनुसार ऋण लेने वाले इन छोटे और मझौले किसानों की संख्या काफी कम है।

आर. बी. आई. आंकड़े : आर.बी.आई. के प्रमाणिक आंकड़ों से यह पुष्टि हो जाती है कि वाणिज्यिक बैंकों में अनुप्रयुक्त कृषि ऋणों की मात्रा के वल 7367 करोड़ रु. है।

इसके विपरीत देनदार वाणिज्यिक बैंकों के साथ किसानों की ऋण अदायगी का रिकार्ड सराहनीय प्रतीत होता है। भारत के बैंकिंग का रूझान और प्रगति 2006-2007 संबंधी आर बी आई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों की कुल मिलाकर सकल गैर निष्पादन आस्तियां 50,519 करोड़ रु. थी, जिनमें से किसानों के ऋणों संबंधी अनुप्रयुक्त आस्तियों का हिस्सा 7,367 करोड़ रु. मात्र था। यह संकल आंकड़ा है, निवल आंकड़ा इससे भी काफी कम होना चाहिए। अर्थात् 2,30,108 करोड़ रु. के बकाया कृषि ऋणों में से सकल अनुप्रयुक्त आस्ति 7,367 करोड़ रु. है। निस्संदेह, इस माफ की गई धनराशि के लिए कोई बजटीय सहायता का प्रावधान नहीं है। फिर भी मंत्री महोदय संसद से 60,000 करोड़ रुपये की बैंक धनराशि को माफ किए जाने का समर्थन करने का आग्रह कर रहे हैं, जो कि लोगों की जमाराशि है। जिस पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं है।

ऋण शीघ्रता से चुकाने वाले उन किसानों के बारे में क्या होगा जिन्होंने पुनर्भुगतान कर दिया है। मैं वित्त मंत्री से कर्नाटक के उदाहरण का अनुपालन करने का आग्रह करता हूं, जहां शीघ्रता से ऋण चुकाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार ऋणग्रस्त किसानों ने साहुकारों से लेकर रिश्तेदारों तक विभिन्न स्रोतों से 42 प्रतिशत से भी अधिक की धनराशि उधार ली है। इसके साथ-साथ ऐसे किसानों जो दो एकड़ से भी कम भूमि के मालिक हैं, उन्हें औपचारिक ऋण संस्थाओं से ऋण नहीं मिल पाता। क्या इस किसानों को वित्तीय निकाओं से वास्तव में ऋण मिल पाता है। उन्हें निजी स्रोतों से उधार लेना पड़ता है। राधाकृष्ण समिति इस विषय पर सहमति व्यक्त करती है। यदि ऐसी स्थिति है, तो वित्त मंत्री का दायित्व है कि वे चार विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दें।

प्र. सं. 1 वाणिज्यिक बैंक सहकारिताओं और अन्य संस्थाओं सहित संस्थागत वित्त प्रबंधकों से लिए गए किसानों के कुल बकाया लंबित ऋणों की सही स्थिति क्या है?

प्र. सं. 2 60000 करोड़ का जादुई आंकड़ा कैसे निकाला गया।

प्र. सं. 3 इतनी भारी भरकम धनराशि कहां से आएगी।

प्र. सं. 4 क्या वित्त मंत्री इस ऋण माफी पैकेज में शामिल ऋणों की श्रेणियों को स्पष्ट करेंगे?

समावेषी विकास गाथा : मैं 9% आर्थिक वृद्धि, जो कि अधिक समावेषी है, का पुनः उल्लेख करते हुए इस संबंध में वित्त मंत्री का ध्यान एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। "देश में लगभग 836 मिलियन लोग प्रतिदिन 20 रु. से भी कम खर्च कर रहे हैं। क्या हम इसे समावेषी विकास कह सकते हैं। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का दायित्व है कि अर्थव्यवस्था के संबंध में इस पहलू पर विशिष्ट उत्तर दें। एक ओर तो हमने 9% वृद्धि को कायम रखा हैं और दूसरी ओर यह स्थिति है। हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पोषण कर रहे हैं? इसका क्या समाधान है?

कर सुधार : चूंकि यह चुनावी बजट है, वित्त मंत्री कर दाताओं के प्रति उदार रहे हैं।

सेवा कर सीमा : सेवा करयोग्य सीमा में और वृद्धि की जाएगी।

उत्कृष्ट संस्थाएं : धारवाड़ कृषि महाविद्यालय को शामिल किया जाए और विशेष निधियां जारी की जाएं।

बजट का संप्रदायीकरण : वित्त मंत्री के बजट भाषण का पैरा 47 सांप्रदायिक रंग से भरा हुआ है। 90 अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में से प्रत्येक के लिए एक बहुक्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई है और इसके लिए 3780 करोड़ की भारी धनराशि निर्धारित की गई है। किंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित धनराशि की मात्रा पर नजर डालें, जो कि 1,578 करोड़ रु. की अल्पराशि है (पैरा 43)।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण : बजट में कुछ भी रचनात्मक नहीं है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है।

फसल बीमा योजना को सुदृढ़ बनाना : इस बजट में कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं है। जिसके तहत मौजूदा फसल बीमा योजना को किसानों के अधिक अनुकूल बनाया जाए। ए.आई.सी. की मंशा बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है।

जन वितरण प्रणाली के लिए आबंटन : जन वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के तहत 32667 करोड़ रु. की खाद्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। लेकिन जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई रचनात्मक प्रस्ताव मौजूद नहीं है। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किया जा रहा गेहूं की गुणवत्ता सबसे खराब है।

***श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए, जिन्होने हमारे देश में संकटग्रस्त किसानों के लिए अभूतपूर्व ऋण माफी सहित अनेक कार्यक्रमों के लिए प्रशंसा मिली है, मैं इस मौके पर वित्त मंत्री की सराहना करना चाहता हूं, जिनकी खुले दिल से प्रशंसा की जानी चाहिए।

महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार की आर्थिक भूमिका बजट के माध्यम से ही परिलक्षित होती है, जिसमें कार्यकुशलता बढ़ाना कर और व्यय कार्यक्रम के उपयोग से तथा आय के पुनर्वितरण से साम्यता को बढ़ावा देना, वित्तीय नीति और मौद्रिक विनियमन के माध्यम से विकास कायम रखते हुए बेरोजगारी और मुद्रास्फीति कम करने के उद्देश्य से वृहद् आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखना शामिल है। यह बजट एक आदर्श सरकार की आर्थिक भूमिका को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

इस सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याण उपायों पर टिप्पणी करते समय बजट प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए आम लोग हमारे देश के रूढ़ीवादी और छद्म क्रांतिकारियों का सारा खेल बिगाड़ देंगे। आम लोगों की ओर से प्रशंसा के उद्गार के बदले विपक्ष और प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से इसकी घोर भर्त्सना की जा रही है, जो कि ईर्ष्या से जल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईर्ष्यालू केवल उसी की प्रशंसा करते हैं, जिससे वे खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकें, जो उनसे श्रेष्ठ हो। उनकी वे निंदा करते हैं। ओछे ढंग से यह दलील दी जा रही है कि बजट प्रस्तावों का सांप्रदायिकरण किया गया है। इस प्रकार के संकीर्ण दृष्टिकोण, जिसे हमारे विपक्ष द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, की तुलना में कोई और चीज़ इतनी खेदजनक और शालीनता से बाहर नहीं हो सकती।

महोदय केन्द्र सरकार जाति, रंगभेद, संप्रदाय, धर्म और धारणा पर ध्यान दिए बिना भारत की समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए छः मूलभूत सिद्धांतों को समावेशित किया गया था। चार्टर ऑफ गवर्नेंसस में अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेषकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अवसरों में समानता देने पर विशेष बल दिया गया है। सच्चर समिति ने मुसलमानों में शैक्षाणिक कैरियर और राजनैतिक वंचन की समस्या के समाधान के लिए एक नीतिगत पहल करने का सुझाव दिया है। इसी कारण से 3780 करोड़ रुपये की लागत से 90 अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में से प्रत्येक के लिए बहु क्षेत्रीय विकास योजना बनाई जाएंगी और 2008-09 में इसके लिए 540 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे। 80 करोड़ रुपये की लागत से अगले वर्ष एक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जाएगी। 2008-09 में मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 45.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष सितम्बर, 2007 तक अल्पसंख्यक जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 256 शाखाएं खोली गयी हैं। मार्च 2008 तक ऐसी 288 से भी ज्यादा नई शाखाएं खोली जाएंगी और 2008-09 के दौरान और भी शाखाएं स्थापित की जाएंगी और इस वर्ष प्रारंभ हुई इस प्रक्रिया को अनवरत जारी रखा जाएगा तथा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यक समुदायों में अधिकाधिक अभ्यार्थियों की भर्ती की जाएगी।

अल्पसंख्यकों के लिए किए गए उपायों से एनडीए के घटकों से विरोध का आभास हुआ है। परंतु वास्तविकता यह है कि देश का स्थायित्व समग्र विकास तथा उपलब्ध स्त्रोतों और अवसरों तक सभी समुदायों के पहुंच पर निर्भर करता है। ताकि लोगों में वंचित रहने की भावना घर न कर पाए।

महोदय, केन्द्रीय बजट 2007-08 में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने वाली योजनाओं के लिए 3271 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और ऐसी योजनाओं के लिए 1761 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिनमें से अ.जा. तथा

* भाषण समापटल पर रखा गया।

[श्री अधीर चौधरी]

अ.ज.जा. के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत हितलाभ निर्धारित किए गए हैं। पूर्ववर्ती बजटों में, सरकार ने अ.जा., अ.ज.जा., तथा अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों के लिए प्री. तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की थी। वे सभी योजनाएं 2008–09 में भी जारी रहेंगी और अनुसूचित जातियों के लिए 804 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए 199 करोड़, अ.पि.व. के लिए 160 करोड़ और अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पर 100 करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि खर्च की जाएगी। यहां तक कि वर्ष 2008–09 के लिए मैंने एम. फिल और पी. एच. डी. पाठ्यक्रम करने वाले अ.जा., अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्ययेता कार्यक्रम पर 75 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव किया था। इसके अतिरिक्त देश में असुरक्षित अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि. वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बहुत से कल्याण कार्यक्रम भी चलाए गए।

[हिन्दी]

मल्होत्रा जी का यह प्रश्न है कि इस साल का जो बजट है वो साम्प्रदायिक बजट है और अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की गई है। इसके जवाब में, मैं एक जाने–माने समाज शास्त्री श्री प्रसाद का लेख का उल्लेख करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भी साफ नजर आता है कि नए आर्थिक बदलावों ने दालेत आबादी की मुक्ति का इंतजाम कर दिया। पिछले साल भारत की सड़कों पर दस लाख कमर्शल वाहन उतरे। उन्हें चलाने वाले दस लाख लोगों में से कुछ मेरे गांव के भी हैं। इस दौरान जो हजारों कारखानें लगे या काम–धंधे शुरू हुए, उनमें भी मेरे गांव के लोगों को रोजगार मिला। मेरे गांव में ऐसे बहुत से दलित थे, जो निपट गरीब थे, आधुनिक तालीम या रोजगार तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। रिजर्वेशन का सिस्टम उनके किसी काम का नहीं था लेकिन शहरीकरण ने उनके लिए भी रास्ते खोले। वे शहरों की ओर चल दिए। मैंने ऐसे परिवारों में जाकर देखा और पाया कि लगभग हर घर से एक या दो लोग शहरों में मजदूरी कर रहे हैं।

उनके जाने से पैदा हुआ लेबर शर्टिज और उनकी तरफ से भेजे गए पैसे ने गांव की किस्मत बदल डाली। इसका सबसे ज्यादा फायदा दलित महिलाओं को मिला। उनकी जीवन शैली बदल गई, सुबह और शाम बदल गए। मैं समझता हूं कि यह आखिरी पड़ाव नहीं है। दलित महिला की जिंदगी अब भी दुखों से भरी है, जिन्हें दूर होने में पूरा युग लग जाएगा बराबरी पर आना एक लंबे सफर के बाद भी मुमकिन होगा, लेकिन उन्होंने बदलाव की सुबह देख ली है।

जाति व्यवस्था को लेकर नरम ख्यालात रखने वाले लोगों को यह देखकर धक्का लगेगा कि आज दलित महिला के पास भी फुर्सत है। वह ब्रैंडेड चाय पीती है और शैम्पू से बाल धोती है। उसकी यह इमेज परंपरा से मेल नहीं खाती और परेशानी करती है। लेकिन वह बदलाव किया, जो परेशान न करे। तो आइए, भदांव और देखिए महिला मुक्ति को

[अनुवाद]

क्या मैं भी मल्होत्रा जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि. वर्ग के लोगों के लिए उक्त वर्णित कल्याण योजनाओं को जाति बजट के रुप में श्रेणीकृत किया जा सकता है। मेरा आशय जाति आधारित बजट से है।

जैसा कि मुझे लगा, कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इस सरकार द्वारा की जा रही प्रगति को एक के बाद स्पष्ट किया जा पड़ रहा है। जैसा उदाहरण के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत यह कहा गया कि ये महत्वकांशी कार्यक्रम अब हजार दिन से भी अधिक पुरानी हैं। वर्ष के प्रत्येक दिन की मौजूदा गति से 290 बस्तियों को पेय जल मुहैया करवाया गया है और 17 बस्तियों को बारहमासी मार्गों से जोड़ा गया है। वर्ष के प्रत्येक दिन 52 गांवों को टेलीफोन लाईनें दी गयी और 42 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। वर्ष के प्रत्येक दिन 4113 ग्रामीण घरों का काम पूरा किया गया है। सरकार ने 25000 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4882 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता दोनों को आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता दी जाती है क्योंकि कृषि विकास को वरीयता देने और इस पर व्यापक रुप से ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देने वाले उपाय करने के लिए 100% अनुदान किया जाता है। यह अच्छी बात है कि एनडीए उनकी पार्टी शासित राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे ताकि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में मुहैया करवाए जा रहे अवसरों का लाभ उठाएं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, पिछडे–अगड़े संपर्क और अपशिष्ट और प्रतिबद्ध उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए लाभार्थियों को राजसहायता देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 823 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। बिना संपार्श्विक प्रतिभूति लिए ऋण देने के लिए व्यावसायिक बैंकों को गारंटी कवर देने के लिए ऋण सहयोग का कार्यक्रम प्रक्रिया में है।

मैं सरकार से उन सूक्ष्म और लघु उद्यमियों पर बकाया ऋण को माफ करने का अनुरोध करूंगा जिन पर दबाव डालने वाली अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मूल्यों और रुपये में बढोतरी का प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है क्योंकि करोड़ों लोग इसी क्षेत्र से रोटी रोजी कमा रहे हैं और उन पर

भी भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। एम एस एम ई को कृषि के बाद देश का सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र माना जाता है। इसे एक वरीयता प्राप्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस तथ्य के बावजूद भी लोग इस वर्ग की इकाईयों को ऋण देने से मना कर रहे हैं कि इस वर्ग की अदायगी का दर काफी उत्साहजनक रहा है। .....पांच लाख से कम राशि के ऋण और जीटीएमएसई के अंतर्गत ऋणों के लिए भी बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति मांगी जाती है। एक ऐसा विधान बनाने की आवश्यकता है जो स्थिति को सुधार सके और एम एस एम ई क्षेत्र विशेषकर सूक्ष्म क्षेत्र जो कि एम एस एम ई का लगभग 80% है; की उत्तरजीविता को सुनिश्चित कर सके।

"महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और मुख्यतः पश्चिम बंगाल के विशेषकर मुर्शिदाबाद जिले से संबधित संगत मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहूंगा। महोदय, आप भली भांति जानते हैं कि अब तक चिन्हित किए गए 90 अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में से भारत में मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक अल्पसंख्यक संकेंद्रित हैं, और वास्तव में यहां पर किसी भी प्रकार का कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है बंग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ जिला होने के कारण बड़े पैमाने पर लोग तस्करी, पशुओं का अवैध व्यापार करने जैसे अनौपचारिक व्यापार में लगे हुए हैं।

महोदय, हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों सहित मुर्गीपालन करने वाले कृषकों को भारी आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा। तेरह जिले इससे प्रभावित हुए जिनमें इससे प्रभावित होने वाले मुर्गी पालन कृषकों की संख्या लाखों में थी। बिना जमीनी हकीकत को जाने और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथा निर्धारित स्थापित मानकों और मानदण्डों का पालन किए राज्य सरकारों को मुर्गीपालन उत्पादों से विश्वास उठाए की बजाय सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे छंटाई और चूजे पैदा करने के कार्यों के वांछित परिणाम नहीं आते। अतएव; राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से राज्य सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी विसंक्रमण किए पालने के लिए नए चूजे वितरित करना प्रारंभ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप बर्ड फ्लू एक बार फिर से उभर कर सामने आया जिससे आम उपभोक्ता का विश्वास भी डगमगा गया। मैं एक ऐसा वित्तीय पैकेज लाने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें क्षेत्र जनक स्थिति के मद्देनज़र मुर्गी पालन करने वाले गरीब कृषकों सहित व्यापारियों के ऋणों को माफ किया जाए क्योंकि इस स्थिति के कारण उन लोगों की वित्तीय स्थिति चरमरा गयी है जो मुर्गीपालन से अतिरिक्त आय अर्जित करते थे और ऐसे व्यक्तियों में से अधिकांश मुर्गीपालक कृषक अल्पसंख्यक समुदाय से है। पश्चिम बंगाल में वर्ष भर में 700 करोड़ अण्डों का उपयोग किया जाता है जिसमें से केवल आधी ही मांग की पूर्ति स्थानीय स्तर पर हो पाती है।

पद्मा और गंगा नदी के तेजी से हो रहे क्षरण के कारण पश्चिम बंगाल के लाखों लोग अपना स्वास्थ्य और घर खोते जा रहे हैं। क्षरण के कारण करोड़ों रुपये के रीयल एस्टेट का सफाया हो गया है। क्षरण को रोकने के लिए क्षरण प्रभावित क्षेत्र के एक बड़े भाग का फरक्का बांध परियोजना के प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। परंतु पर्याप्त निधियों के अभाव में अपेक्षित स्तर पर कार्य नहीं किए जा सके।

इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से फरक्का बैराज परियोजना के लिए और अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि वर्षा के मौसम आरम्भ होने से पहले अपरदन रोधी कार्य पर्याप्त मात्रा में हो सके।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के कई जिले हर वर्ष बाढ़ से जलमग्न हो जाते हैं जिससे करोड़ों रुपये की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के कृषि समुदाय की स्थिति दयनीय हो जाती है।

महोदय, इस संबंध में, मैं कांधी मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे मुर्शिदाबाद जिले में कृषि की स्थिति सुधर सके। कांधी मास्टर प्लान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही योजना आयोग को सौंप दी गई है। मुर्शिदाबाद की आम जनता के काफी समय से संजोये हुए स्वप्न को साकार करने के लिए आपके हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है ताकि कांधी मास्टर प्लान को मूर्त रूप दिया जा सके।

महोदय, आप इससे अवगत होंगे कि पश्चिम बंगाल की अधिकांश कृषि भूमि को आलू की खेती के लिए उर्वर माना जाता है किंतु शीतागार सुविधाओं के अभाव में और जोड़-तोड़ करने वाले व्यापारियों की चाल बाजियों की वजह से आलू उत्पादक अपनी पैदावार को बहुत कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं जो अन्ततः आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। मैं सरकार से आलू के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूं। जिससे उन्हें बर्बाद होने से बचाया जा सके।

महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है तो यहां निर्यातोन्मुख जूट उत्पादों, रेशम कीट पालन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। बहुत से बुनकर और कलाकारों के पास नवोन्मेषी कौशल होने के बावजूद भी वे दरिद्रता और निर्धनता का जीवन बिता रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनके पास पर्याप्त धनराशि सहित आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी साधन उपस्कर भी नहीं है। आप यह जानकर स्तब्ध होंगे कि मुर्शिदाबाद जिले में आम की सौ से ज्यादा, किस्में उगाई जाती हैं जिसे परिरक्षण तथा कटाई पश्चात् प्रबंधन के अभाव में खराब हो जाने के डर से औने-पौने मूल्यों पर बेचना पड़ता है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार

[श्री अधीर चौधरी]

संभावनाऐं हैं क्योंकि राज्य में मरूस्थल के अलावा, उत्तर में भव्य पहाड़ियां, दक्षिण में मनोहर समुद्र, हिमालय की तलहटी में तराई क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में आन्तपूर्ण डेल्टा क्षेत्र देख सकते हैं, इसके अलावा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के अतिरिक्त अनेक ऐसी चीजों हैं जो पर्यटकों को लुभा सकते हैं।

मैं सरकार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद खाद्य राजसहायता जारी है और इस वर्ष बढ़कर 32667 करोड़ रुपये हो गई है। खाद्य राजसहायता गरीब लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए दी जाती है लेकिन पश्चिम बंगाल के हाल ही के राशन के लिए मची हाय–तोबा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का असली चेहरा दिखा दिया है जो कि भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता से ग्रस्त है। पश्चिम बंगाल में खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के साथ मिलजुल कर डीलर, वितरक काफी बड़ी धनराशि को हड़प रहे हैं। लाखों जाली राशन कार्ड प्रचलन में हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेशी नागरिक फर्जी राशन कार्डों पर भारतीय राशन ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार केन्द्रीय पूल से कोटा उठाने में विफल रही है जबकि राशन के लिए मची भगदड़ के लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहरा रही है। पश्चिम बंगाल में उचित दर की दुकानें वस्तुओं की कीमतों, मासिक आबंटन, पिछले माह में वितरित की गई मात्रा, निर्गम मूल्य और शिकातयें दर्ज कराने संबंधी पतों को नहीं दर्शाती है। लोगों के साथ भार और मात्रा में धोखेबाजी की जाती है। पश्चिम बंगाल में पीडीएस के निष्पादन के अनुवीक्षण के लिए किसी प्रकार की भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं है।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों (बीपीएल) की सूची से वास्तविक हकदार लोगों को हटा दिया गया है जबकि उद्योगपति, अमीर लोग और तो और संसद सदस्य धन खान चौधरी को पश्चिम बंगाल के बी पी एल सूची में शामिल कर लिया गया। स्वाभाविक तौर पर, हताशा की वजह से जब गरीब लोगों को उनके कोटे से वंचित रखा जाता है तो वे आन्दोलित हो जाते हैं फिर उन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है और गोली चलाई जाती है।

महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा यदि आप पश्चिम बंगाल में पीडीएस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए हस्तक्षेप करें और इसे, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा एपीएल, बी पी एल अथवा अन्त्योदय अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गेहूं, चावल की जितनी मात्रा उठाई गई उसकी सूची उपलब्ध करवायें।

मुझे आशा है, कि बजट प्रस्ताव से हमारे देश में शांति और समृद्धि के नये युग का आरंभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री राजनरायन बुधौलिया** (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2008–09 के बजट पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

आज देश का प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से कराह रहा है। महिलाएं खाना बनाते समय सोचती हैं कि दाल बनायें या सब्जी। दाल बनाती हैं वह 65–70 रुपये किलो से कम नहीं। सब्जी के बारे में सोचती हैं तो प्याज, टमाटर, आलू के दाम सालों भर आसमान छू रहे हैं। यह तो मध्यम वर्ग के व्यक्ति के हालात हैं। आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं जो व्यक्ति पूरे दिन मेहतन–मजदूरी कर 60–70 रुपए कमाता है, उसकी क्या हालत होगी? वह आलू उबालकर खाना खा लेता था, लेकिन वह भी सस्ता नहीं रहा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने महंगाई कम करने के लिए व्यापारियों से अपील की। मूल्य कम तो नहीं हुए और बढ़ा गए। यह कैसी अपील। इससे तो बिना अपील के ही ठीक था। कम से कम मूल्य स्थिर तो रहते।

हम अन्य क्षेत्रों में औसत वृद्धि प्रतिशत में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कृषि में जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है, हम उसे भी पूरा नहीं कर पाते। हम पढ़े–लिखे नौकरी पेशा वर्ग, व्यवसायी वर्ग एवं अन्य व्यवसायों में लगे वर्ग को मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन किसान जो रात दिन शारीरिक परिश्रम करके अपने परिवार का जैसे तैसे पेट भरता है, उसे ज्यादा ऊंचे पर ऋण दिया जाता है। कृषि यंत्र पर बैंक ऋण देते समय सुविधा शुल्क वसूलते हैं जब जाकर कहीं ऋण को मंजूरी प्रदान की जाती है। अधिक ब्याज दर होने के कारण तथा कृषि मुनाफे का सौदा न होने के कारण किसान उस ऋण को चुकाने में डूबता चला जाता है। यहीं कारण है कि ज्यादातर किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार देख नहीं पा रही है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने में प्रतिवर्ष हजारों करोड़ घर उजड़ रहे हैं फिर भी सरकार उन्हें राहत प्रदान करने हेतु कोई खास कदम नहीं उठा रही है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उतार–चढ़ाव का जिक्र किया गया है। कृषि में सम्पूर्ण वर्ष वृद्धि दर केवल 2.6 प्रतिशत ही रहने का अनुमान लगाया है। इसी से पता चलता है कि कृषि की क्या दशा है? किसान किस हालात से गुजर रहे हैं। जबकि भारत कृषि प्रधान देश है तथा पूरा देश खाद्यान्न के मामले में कृषि के ऊपर निर्भर है। आज भी किसान सिंचाई के लिए इन्द्रदेव के ऊपर निर्भर है। यदि ठीक से वर्षा हो जाए तो किसान के चेहरे चमक जाते हैं तथा इन्द्रदेव रूठ जाए तो सरकार से उन्हें उतनी मदद नहीं मिल पाती, जितनी

* भाषण समापटल पर रखा गया।

किसान को चाहिए। सरकार ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपए के ऋणों को माफ करने की जो घोषणा की है वह नाकाफी है। संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने किसानों के ऋण को माफ करने की घोषणा की है, परंतु इससे केवल कुछ किसानों को ही लाभ मिलेगा। यह ऋण माफी केवल उन्हीं किसानों को मिल राकेगी जिन्होंने संस्थागत संस्थानों जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी संस्थानों से ऋण लिया है, परन्तु जिन किसानों ने आढ़तियों एवं महाजनों से कर्ज लिया है उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे किसानों की संख्या देश में पौने 3 करोड़ के आस–पास है। कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने वालों में भी ज्यादातर ऐसे ही किसान हैं। किसानों के लिए सुनिश्चित आय व बीमा योजना के तहत लाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। किसानों के अल्पावधि फसल कर्ज को चार फीसदी की ब्याज दर की आवश्यकता है जिन किसान ने बैंकों के अलावा साहूकारों एवं दबंग किस्म के लोगों से बढ़े हुए ब्याज दर पर ऋण लिया हुआ है और वे अब दैवी आपदाओं के कारण वापस करने में असमर्थ हैं, उस संरक्षण, सुरक्षा प्रदान की जाये ताकि लोग आत्महत्या न करें।

मैं सदन का ध्यान उ. प्र. के अत्यंत पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कई स्थानों पर जमीन के नीचे खारा पानी ही उपलब्ध है, जिसके कारण लोगों को 25–30 कि. मी. दूर पैदल, बैलगाड़ी या साइकिल से जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है जिसमें उन्हें सुबह से शाम हो जाती है और वे दिन भर कोई अन्य काम नही कर पाते। जमीन में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है कुएं, तालाब, पोखरे और सभी छोटे बड़े बांध पूरी तरह सूखने के कगार पर हैं। पशुओं के लिए पानी एवं चारा न होने के कारण लोगों ने सभी पालूत जानवरों को खुला छोड़ दिया है। 80–90 प्रतिशत वर्षा न होने के कारण खेत खाली पड़े हैं। कई जगहों पर अचानक जमीन फट रही है।

कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण किसान वर्षा के जल पर निर्भर है। सिंचाई के आधुनिक संसाधनों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में नदियों पर बांध बनाकर लिफ्ट कैनाल निकालकर किसानों की मांग के अनुसार टयूबवैल लगाकर केन, बेतवा के गठजोड़ को तुरंत कार्य शुरू कराकर बुंदेलखंड क्षेत्र के खेतों को तुरंत पानी मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है।

बुंदेलखंड क्षेत्र के गांवों में किसानों के अभी भी 90 प्रतिशत मकान मिट्टी के खपैरल से बने हैं। बड़े–बड़े ओले पड़ने से खपैरल टूट जाती है। वर्षा में मिट्टी के खिसकने के कारण मकान गिर जाते हैं। गांवों में साफ–सुथरे एवं सुरक्षित मकानों की जरूरत है। वहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण आए दिन कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कच्चे मकान की जगह पर सभी किसानों को पक्के मकान बनाने के लिए जो भी अनुदान आवश्यक हो, उपलब्ध कराएं। किसानों को उनकी ढांचागत खेती के लिए अनुदान दिया जाए।

कृषि संकट निधि की स्थापना हो तथा आपदा के समय क्षति का आंकलन तहसील के स्थान पर गांव स्तर पर किया जाए। खाद, बीज, डीजल, कृषि उपकरणों की कीमतें सब्सिडी बढ़ाकर कम की जाए तथा खाद्यान्न को वैट से मुक्त रखा जाए तथा चीनी मिलों को बंद होने से रोका जाए।

धान का सरकारी खरीद मूल्य 1250 और गेहूं का मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए।

पानी की समस्या के समाधान के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की ध्वस्त नहर प्रणाली का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार किया जाए।

देश के पिछड़े जिलों को सम–विकास योजना के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिसे बंद कर दिया गया है। अभी सभी जिलों में सम–विकास सुनिश्चित नहीं हुआ है। इसे तीन साल के लिए बढ़ाए जाने की तुरंत आवश्यकता है। इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष में (खासतौर से बुंदेलखंड के लिए) प्रदान करने की घोषणा सदन में की जाए जिसे सांसदों की देख–रेख में खर्च किया जाए एवं सांसदों द्वारा जनहित के प्रस्तावों पर ही स्वीकृति प्रदान हो, न कि अधिकारियों की मर्जी से। ऐसा सभी केन्द्रीय निधियों में हो।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीना योजना में पूरे देश के सभी किसानों एवं जरुरतमंदों को भी शामिल किया जाए।

देश के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएं तथा वहां रह रहे लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुनिश्चित करवायी जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75–76 झांसी–मिर्जापुर एवं कानपुर–सागर को चार लाईन में परिवर्तित किया जाए।

देश के सभी भागों में कम से कम 20 घंटे बिजली सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल की तर्ज पर बुंदेलखंड में एक बड़े अस्पताल को खोला जाए।

एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आईटीआई, पोलिटेक्निक तथा आईआईटी खोलने की आवश्यकता है।

बुंदेलखंड जो उद्योग–शून्य हैं, वहां छोटे–छोटे उद्योग लगाने की आवश्यकता है।

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

डाकखानों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाए। तहसील स्तर के डाकखानों में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था तथा जिले स्तर के डाकखानों का आधुनिकीकरण कराया जाए। देश के अनेक महानगरों विशेषकर एनसीआर क्षेत्र का भू–गर्भ जलाकर लगातार गिरता चला जा रहा है। गिरते जलस्तर के कारण पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा गिरते जलस्तर को रोकने हेतु न तो कोई कदम उठाए गए हैं तथा न ही इस संबंध में भविष्य के लिए कोई योजना है। ग्रामीण स्तरों में तो और भी बुरा हाल हैं शहरी क्षेत्रों की समस्याएं तो सरकार के ध्यान में रहती हैं फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक समस्याएं सरकार तक ही नहीं पहुंच पाती। देहात के इलाकों में भी पानी का जलस्तर गिरता जा रहा है। इसे रोकने के लिए भी तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

देश में ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण की बड़ी समस्या है। इसे दूर करने हेतु और अधिक कदम शीघ्र उठाने की आवश्यकता है देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने और विद्युत का उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

देश में लगभग 2 करोड़ लोगों के पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में हालत बहुत खराब है। मकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। खास तौर पर मध्यम श्रेणी के लोग 10 से 20 हजार रुपए कमाने वाले लोग पूरी जिन्दगी नौकरी, व्यापार करने के बाद भी दो कमरों का आवास नहीं खरीद पाते। सरकार को इस संबंध में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है।

विगत चार वर्षों से बुंदलेखंड क्षेत्र में पड़ रही दैवीय आपदाओं के कारण (वर्तमान में भयंकर सूखा) लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बुंदेलखंड के किसानों का पूरा कर्जा मूलधन सहित माफ किया जाय तथा राष्ट्रीय आपदा घोषित कर पीड़ित परिवार को लोगों को वर्षभर खाने–पीने तथा पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता, सिंचाई एवं पेयजल, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, नौजवानों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने की व्यवस्था, योजना आयोग द्वारा भेजे गए अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार ढांचागत विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की तुरंत आवश्यकता है।

अतः आपसे आग्रह है कि बुंदेलखंड के उचित विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बजट में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाय तथा सम–विकास योजना के अंतर्गत 3 साल के लिए 15–15 करोड़ रुपए इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें।

*श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : महोदय, बजट पर बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

किसानों का कर्ज माफ किया है इसमें सभी किसानों को सम्मिलित करना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। छोटा किसान जिसके पास एक एकड़ जमीन है आपने उसे सम्मिलित नहीं किया है जो स्थानीय स्तर से जो किसान साहुकार से जो ऋण लिया है उसके लिए आपने क्या सोचा है, आपने बजट में नहीं कहा है, उन किसानों के लिए कुछ उपाय निकालिए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं किसी भी जाति के गरीब व्यक्तियों के लिए आपने कुछ नहीं किया है। एस सी एस टी का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक एवं शैक्षाणिक स्तर का सुधार नहीं हो पाया। आजादी के 62 वर्षों के बाद भी समाज के मुख्यधारा में अभी तक नहीं आ पाया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रथम से लेकर बी ए तक आवासीय सुविधा के साथ केन्द्र सरकार को देनी चाहिए। आप इस विषय बजट के उत्तर देते समय इसे स्वीकार कर बजट में सम्मिलित करें तो देश के करोड़ों एससीएसटी के बच्चों का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

इंदिरा आवास केन्द्र सरकार ने 25 हजार कई वर्षों से दे रही है, जबकि ईंट, सीमेंट, लोहे की कीमत में कई गुणा वृद्धि हो गई है। मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि इंदिरा आवास के लिए कम से कम 50 हजार रुपये की स्वीकृति दें। देश में अगर किसी भी समाज का बुरा हाल है तो किसान समाज का खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल आदि का कीमत काफी मूल्य वृद्धि हुई है। किसानों का फसल में जिस स्तर से वृद्धि होनी चाहिए नहीं हो पाया। किसानों को खुदखुशी के लिए मजबूरन होना पड़ता है मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि खाद, बीज, कीटनाशक, दवाईयां, डीजल इत्यादि का मूल्य में कटौती कर किसान के हित में स्वीकार करें।

महोदय, वित्त मंत्री, शिक्षित बेरोजगारों को जो बैंकों के द्वारा जो ऋण लिया है अधिकांश बेरोजगार बैंकों को ऋण अदा नहीं कर पाता है। इसलिए पूरे देश में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण माफ किया जाये। ऋण माफ होने से देश के हजारों बेरोजगार लोगों का भला हो गया।

महोदय, यूपीए चेयरमैन सोनिया कहती हैं क्षेत्रवार करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। असम, महाराष्ट्र में हिन्दीवासियों की हत्या और धमकाना, भागने के लिए मजबूर करना आम बात है। आसाम और महाराष्ट्र में दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है।

* भाषण समापटल पर रखा गया।

असम में लगातार कई वर्षों से उल्फा आतंवादी संगठन द्वारा हिन्दीवासी बिहार के हो यूपी, एमपी या अन्य प्रदेशों के लोगों की सामूहिक हत्या, पलायन के लिए मजबूर करना आम बात हो गया है। कुछ ऐसे असाम सरकार में ताकतवर मंत्री हैं जो अल्फा को मदद करता है। यहां तक हमें तो जानकारी है मंत्री मंडल में असम सरकार में हैं उन पर कई केस हैं। उनके ऊपर वारंट रहा है लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कर दबा दिया है। मैंने लोक सभा एवं कुछ राज्य सभा के 48 सांसदों का हस्ताक्षर करवा कर पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र दिया। प्रधानमंत्री महोदय एवं यूपीए चेयरमैन को भी दिया कि मंत्री पर जो केस है सीबीआई से जांच करवा कर अगर दोषी हो तो कानूनी कार्रवाई किया जाये।

महोदय, प्रधानमंत्री महोदय एवं यूपीए चेयरमैन का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तत्कालीन महामहीन पूर्व राष्ट्रपति महोदय का आभारी हूं उन्होंने मुझे पत्र दिया कि आपके पत्र को गृह विभाग को जांच हेतु भेज दिया है।

महोदय, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि वर्षों बाद गृह मंत्रालय से किसी प्रकार की कार्रवाई जांच हेतु नहीं किया है। कहने से मेरा तात्पर्य है कि यूपीए चेयर जी का जो बयान है कथनी करनी में काफी अंतर है। अगर इस सरकार में इच्छाशक्ति है तो आसाम के मंत्री पर सीबीआई जांच करवा कर न्यायोचित कार्रवाई, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाये और असम, महाराष्ट्र सरकार को कहे अगर आसाम महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों में किसी व्यक्ति हिन्दी भाषी हो या अन्य भाषी किसी प्रकार की प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करें अगर किसी प्रदेश में कोई व्यक्ति या कोई संगठन करता है, प्रदेश सरकार पर कार्रवाई करूंगा। अगर इस प्रकार की कठोर बयान केन्द्र की तरफ से हो तो कोई प्रदेश में भाषा के नाम पर प्रदेश के नाम पर अलगाववाद, क्षेत्रवाद फैलाने वाले पर अंकुश लगेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. शफीकुर्रहमान बर्क अब बोल सकते हैं।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मोहतरम सभापति जी, मैं वर्ष 2008–2009 के जनरल बजट पर माननीय मंत्री मोहतरम चिदम्बरम जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो बजट पेश किया है, वह छोटे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। छोटे किसानों के लोन माफी के लिए आपने 60 हजार करोड़ रुपये रखे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग बैंकों से कर्ज़ लेते हैं, उनका लोन तो माफ हो जाएगा। 46 परसेंट ऐसे गरीब किसान हैं, जो साहूकारों से पैसा लेते हैं और अक्सर ऐसे ही लोग सूसाइड भी करते हैं। उनकी माफी का क्या होगा, बहरहाल उनकी भी मदद होनी चाहिए, उनके लिए भी रास्ता निकालना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे है, यह बिल्कुल क्लियर है। उसके हिसाब से मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। मुसलमानों की जो गिरी हुई हालत है, उसके एतबार से उनकी मदद की जाए। जो फातमी रिपोर्ट बनाई गई है, अभी तक उस पर भी अमल–दरामद नहीं हो रहा है। इस मुल्क के अंदर मुसलमान सबसे बड़ी अकलियत है, जिनकी मेरी नज़र में तीस करोड़ की आबादी है। अगर इतनी आबादी को नेगलेक्ट किया जाता है, उन्हें संभालने की कोशिश नहीं की जाती है और उनकी पूरी मदद नहीं की जाती है तो मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इस मर्तबा आपने माईनोरिटीज़ के लिए एक हजार करोड़ रुपया दिया है, लेकिन यह बहुत कम है। मेरी आपसे मांग है कि कम से कम पांच हजार करोड़ रुपया माइनोरिटीज़ की तरक्की के लिए मिलना चाहिए और आपको मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का पैसा भी ज्यादा करना चाहिए। जहां तक माइनोरिटीज़ का ताल्लुक है, इसमें मेरी एक गुजारिश है कि मुसलमान माइनोरिटीस के नाम से पिछड़ रहा है, माइनोरिटीस और भी है – सिख भाई, ईसाई और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जब इसका बंटवारा होता है, पैसे की तकसीम होती है तो बहेसियत मुसलमान के, जब कि हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, हम उसमें पिट जाते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैंने अभी पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ये 26.6.07 को एक रिपोर्ट मंगाई थी। 'पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों का विवरण' यह माइनोरिटीज़ कम्युनिटी से मुताल्लिक रिपोर्ट है, उसमें 15 आदमी हैं, जो मंत्रालय में काम करते हैं। जिसमें सात सिख भाई हैं और सात क्रिश्चयन हैं, लेकिन मुसलमान एक है। इसी तरीके से जब कभी कोई बंटवारा होता है तो मुसलमानों का जो हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाता। मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि मंडल कमीशन का मामला आया तो उसमें 27 परसैंट ओबीसी को दिया गया और मुसलमानों का हिस्सा नौ परसैंट है, लेकिन उन्हें नौ परसैंट की बजाए एक परसैंट भी नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुसलमानों का हिस्सा तानसुब के हिसाब से रिजर्व किया जाए। जितना भी पैसा माइनोरिटीस का दिया जाए, उसमें मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उसका बंटवारा होना चाहिए। उसे रिजर्व कर दिया जाए कि इसमें मुसलमानों का इतना हिस्सा है। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ज़ामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी में, जो कि मुसलमानों द्वारा बनाई गई है, मुसलमानों ने अपने खून–पसीने से उन्हें बनाया है, उनके लिए सबसे बड़ी मदद यह है कि माइनोरिटी करेक्टर दिया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें माइनोरिटी करेक्टर नहीं दिया गया। यह उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। जहां तक बिजली का ताल्लुक है, इस देश में हर जगह बिजली की बहुत ज्यादा कमी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुरादाबाद का एम पी हूं। वहां बिजली की इतनी बुरी हालत है, चार–पांच घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती, जब कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में सरकार ने इस साल

[डा. शफीकुर्रहमान बर्क]

सन् 2008–09 के लिए 55 सौ करोड़ रुपए रखे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिजली का इंतजाम ठीक किया जाए। कुल बजट 28 हजार करोड़ है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। हिन्दुस्तान की तरक्की तब तक रूकी रहेगी, जब तक बिजली का सही इंतजाम नहीं होगा, बिजली घर–घर तक नहीं पहुंचेगी। मेरी आपसे गुज़ारिश है और इस सिलसिले में जो कुछ मैंने अर्ज किया है कि मुस्लिम अक्लियतों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उनको उनका जा‹ज़ हक मिलना चाहिए। आज देश देख रहा है कि देश का मुसलमान वफादार है और उसने हमेशा वफादारी की है, लेकिन उसको उस ऐ ाबार से उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। यह जो बजट लाया ‹या है, बहरहाल यह आवाम की बेहतरी के लिए है, लेकिन इसमें ‹ मुसलमानों की तरक्की पर भी खर्च होना चाहिए। मुसलमानों को मुख्य ‹ारा में लाने के लिए, उनको देश की तरक्की से जोड़ना बहुत जरूरी ‹। मंत्री जी जो बजट लाए हैं, उससे आवास में खुशी की लहर दौड़ी है ‹ौर मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं, उन्हें हल करने के लिए भी आप इसमें पूरी तवज्जो देंगे। खुदा हाफिज़।

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرادآباد): محترم جناب چیرمین صاحب، میں سال2008-2009 کے جنرل بجٹ پر عزت مآب محترم چدمبرم جی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ چھوٹے کسانوں کے لئے، غریبوں کے لئے، عام آدمی کے لئے، مڈل کلاس لوگوں کے لئے بہت ہی مفید ہے، جس کے لئے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ چھوٹے کسانوں کے قرض معافی کے لئے آپ نے 60ہزار کروڑ روپئے رکھے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بینکوں سے قرض لیتے ہیں، ان کا لون تو معاف ہو جائے گا۔46 پرسینٹ ایسے غریب کسان ہیں جو ساہوکاروں سے پیسہ لیتے ہیں، اور اکثر ایسے ہی لوگ suicide بھی کرتے ہیں، ان کی معافی کا کیا ہوگا، بہرحال ان کی بھی مدد ہونی چاہئے، ان کے لئے بھی راستہ نکلنا چاہئے۔

محترم جناب چیرمین صاحب، جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس میں مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی نیچے ہے، یہ بالکل صاف ہے۔ اس کے حساب سے مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جو گری ہوئی حالت ہے اس کے اعتبار سے ان کی مدد کی جائے۔ جو فاطمی رپورٹ بنائی گئی ہے ابھی تک اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں، جن کی میرے حساب سے تیس کروڑ کی آبادی ہے۔ اگر اتنی بڑی آبادی کو Neglect کیا جاتا ہے، انہیں سنبھالنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، اور ان کی پوری مدد نہیں کی جاتی ہے تو ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس مرتبہ آپ نے مولانا آزاد فاؤنڈیشن سے اقلیتوں کے لئے ایک ہزار کروڑ روپے دیئے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے۔ میری آپ سے مانگ ہے کہ کم سے کم پانچ ہزار کروڑ روپے اقلیتوں کی ترقی کے لئے ملنا چاہئے، اور آپ کو مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا پیسہ ایک ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار کروڑ روپے کرنا چاہئے۔ جہاں تک اقلیتوں کا تعلق ہے، اس میں میری ایک گزارش ہے کہ مسلمان ابھی مائنوریٹیز کے نام سے پچھڑ رہا ہے، اقلیتیں اور بھی ہیں، سکھ بھائی ہیں، عیسائی اور دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جب اس کا بٹوارہ ہوتا ہے، پیسے کی تقسیم ہوتی ہے، تو بحیثیت مسلمان کے جبکہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، ہم اس میں پٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک رپورٹ ہے۔ میں نے ابھی پیٹرولیم منسٹری سے 26.06.2007 کو ایک رپورٹ منگائی تھی، Details of officials belonging to Ministry of Petroleum. یہ مائنوریٹیز کمیونٹی سے متعلق رپورٹ ہے، اس میں 15 آدمی ہیں جو پیٹرولیم منسٹری میں کام کرتے ہیں۔ اس میں سات سکھ بھائی ہیں، اور سات کرسچین ہیں، لیکن مسلمان ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی بٹوارہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا جو حصہ انہیں ملنا چاہئے، وہ انہیں نہیں ملتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ منڈل کمیشن کا معاملہ آیا تو اس میں 27 پرسینٹ او۔بی۔سی۔ کو دیا گیا، اس میں مسلمانوں کا حصہ 9 پرسینٹ ہے، لیکن انہیں 9 پرسینٹ کی بجائے 1 پرسینٹ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لئے میں چاہوں گا کہ مسلمانوں کا حصہ تناسب کے حساب سے ریزرو کیا جائے۔ جتنا بھی پیسہ مائنوریٹیز کو دیا جائے، اس میں مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے اس کا بٹوارہ ہونا چاہئے۔ اسے ریزرو کر دیا جائے کہ اس میں مسلمانوں کا اتنا حصہ ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں، جو کہ مسلمانوں کے ذریعے بنائی گئی ہیں، مسلمانوں نے اپنے خون پسینے سے انہیں بنایا ہے، ان کے لئے سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ انہیں مائنوریٹی کریکٹر دیا جائے، لیکن ابھی تک انہیں مائنوریٹی کریکٹر نہیں دیا گیا۔ یہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ جہاں تک بجلی کا تعلق ہے، اس ملک میں ہر جگہ بجلی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، اور مرادآباد کا ایم۔پی۔ ہوں، وہاں بجلی کی اتنی بری حالت ہے، چار۔پانچ گھنٹے بھی وہاں بجلی نہیں مل پاتی ہے، جبکہ راجیو گاندھی گرامین ودیوت یوجنا میں سرکار نے اس سال سن 2008-09 کے لئے 55 سو کروڑ روپے رکھے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بجلی کا انتظام ٹھیک کیا جائے۔ کل بجٹ 28 ہزار کروڑ روپے ہے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہئے۔ ہندوستان کی ترقی تب تک رکی رہیگی جب تک بجلی کا صحیح انتظام نہیں ہوگا، بجلی گھر گھر تک نہیں پہنچیگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں، میں نے جو بھی عرض کیا ہے کہ مسلم اقلیت کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو ان کا جائز حق ملنا چاہئے۔ آج سارا ملک دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کا مسلمان وفادار ہے، اور اس نے ہمیشہ وفاداری کی ہے، لیکن اس کو اس اعتبار سے اس کا حصہ نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ جو بجٹ لایا گیا ہے، یہ عوام کی بہتری کے لئے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کی ترقی پر بھی خرچ ہونا چاہئے۔ مسلمانوں کو اہم دھارا میں لانے کے لئے، ان کو ملک کی ترقی میں جوڑنا بہت ضروری ہے۔ منتری جی جو بجٹ لائے ہیں، اس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، انہیں حل کرنے کے لئے بھی آپ اس میں پوری توجہ دینگے، خداحافظ۔ (ختم شد)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा बर्क, हमें खुशी है कि आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 1.12 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : महोदय, मैं अपनी बात माननीय वित्त मंत्री जी को उनकी बजट प्रस्तुति पर बधाई देने से

आरम्भ करती हूं। उन्होंने पूर्ण रूप से 'आदर्श व्यवस्था' का खाका खींच दिया है। कुछ ही लोगों के पास ऐसी प्रतिभा अथवा वाक्शक्ति होती है जो श्रोताओं को अपना कायल बना लेती है–वास्तव में वे इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि काव्यात्मक सटीकता से उनके द्वारा प्रस्तुत किए चित्र पर ही भरोसा करने लगते हैं। जब कोई इस बारे में वास्तविक जांच करता है तभी उसे पता चलता है कि जो कहा गया है और निराशाजनक स्थिति के बीच कितनी विसंगति है और तभी वह जान पाता है क्या चल रहा है।

आज, देश महंगाई के संकट से त्रस्त है। आम आदमी केवल मात्र आस्तित्व के भयंकर दबाव को झेल रहा है। मैं सच्चे मन से प्रार्थना और आशा करती हूं कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो जब घोर हताशा की वजह से आम आदमी को आत्म हत्या के लिए मजबूर होना पड़ा।

मैं इन्दिरा आवास योजना के मकानों; मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार उच्च प्राथमिकता कक्षाओं तक करना; देश में और अधिक आई आई टी और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना; महिलाओं, बच्चों और स्वंसहायता समूहों तथा भारत निर्माण योजना के लिए अन्य कई प्रोत्साहन जैसे बजट के अनेक पहुलओं के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं तथापि इनमें से अधिकतर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी और हमारे नेता श्री अडवाणी जी के सुयोग्य नेतृत्व वाली एन डी ए (राजग) सरकार से प्राप्त हुई विरासत है। अन्त में अपितु कम महत्वपूर्ण नहीं, हमारी सरकार के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री रहे श्री वैंकया नायडू को श्रेय दिया जाना चाहिए।

मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से बहुत आशाऐं हैं। किंतु मैं थोड़ी सी क्षुब्ध हूं। मैं बोलनगिर का प्रतिनिधित्व करती हूं जो कि हम सब जानते हैं कि के बी के जिलों में से एक है। मैं इस बारे में अनेक बार बोल चुकी हूं। यह अपनी घोर निर्धनता और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। के बी के क्षेत्र को देश के भूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। उड़ीसा के लगभग 24 प्रतिशत बीपीएल परिवार इस क्षेत्र में स्थित हैं। यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बहुत अधिक है, लगभग 54 प्रतिशत है और 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 42 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि निम्न उर्वरता उच्च भूमि है जो अत्यधिक सूखे से ग्रस्त है। इसलिए, इसके लिए नीतिगत प्रोत्साहनों और मध्यस्थता की आवश्यकता है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार–बार समग्र विकास के बारे में कहा है। फिर भी, मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक बार भी के बी के क्षेत्र का उल्लेख कैसे नहीं किया।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 2007 में आर एल टी ए पी अर्थात् संशोधित दीर्घकालिक कार्य योजना के अंतर्गत केबीके क्षेत्र को प्रदान की जा रही विशेष सहायता को बंद कर दिया था। हमारे मुख्य–मंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा बीजू केबीके योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये की वचनबद्धता के बाद ही केन्द्र ने अपनी सोच को बदला और केबीके क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष अर्थात् बीआरजीएफ में शामिल करने का निर्णय लिया। तथापि, इसे आर एल टी ए पी के विस्तार होने की स्थिति में जो धनराशि प्राप्त होती उसकी तुलना में बहुत ही कम धनराशि प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए 250 जिलों हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष 5800 करोड़ रुपये है। यथापि इसका 45% बिहार, उत्तर प्रदेश, और उड़ीसा पर खर्च किया जाना है फिर भी यह बहुत कम है। कितना व्यंग्यात्मक है कि श्री राहुल गांधी ने भारत की खोज हेतु केबीके क्षेत्र को चुना है। क्या यह सरकार की समग्र वृद्धि की समझ है? क्या इसका यह अर्थ है कि केवल संप्रग शासित राज्यों को ही इसका लाभ मिलेगा जबकि शेष देश को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से उत्तर–पूर्व औद्योगिक नीति तथा अन्य ऐसी ही नीतियों की तर्ज पर केबीके क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना और उद्योगों के विकास के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए अनुरोध करना चाहती हूं। यह विदित है कि पूर्व में भारत सरकार ने 1997 में उत्तर–पूर्व औद्योगिक नीति, 2002 की सिक्किम औद्योगिक नीति, 2002 की जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति, 2003 की उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नीतियों जैसी पिछड़े क्षेत्रों और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए ऐसे पैकेजों की घोषणा की गई है। केबीके क्षेत्र जिसका आकार केरल के बराबर है और जो देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए, विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में बहुत सहायता करेगी। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके उड़ीसा के पिछले दौरे के दौरान दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से भुवनेश्वर में दि जायन संस्थान की स्थापना, राज्य में आई आई टी और आई आई एम की स्थापना, राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में केन्द्र–राज्य कोष भागीदारी के आधार पर चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना क्योंकि निजी चिकित्सा कॉलेजों में फीस संरचना अत्यधिक होती है, का भी अनुरोध करती हूं। उड़ीसा में विशेषकर के बी के क्षेत्रों में डाक्टरों की बहुत कमी है। जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार डाक्टरों की अनुपलब्धता का प्रत्यक्ष संबंध राज्य में चिकित्सा कॉलेजों की संख्या और आवश्यकता के साथ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण क्रियाकलापों के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव]

जाना चाहिए। उड़ीसा सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में इसे शामिल करने के लिए 386.64 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पारादीप तेल शोधन–सह–पेट्रोरसायन परियोजना जिसका उन्नयन 15 एमएमटीपीए तक कर दिया गया है, का क्रियान्वयन 20,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जायेगा। इसमें तीव्रता की जानी चाहिए और 2009–2010 तक नियत समय–सीमा तक इसे पूरा कर दिया जाए। भूमि अधिग्रहण और विकास पूर्व कार्यों को पूरा कर लिया गया। बिक्री कर के स्थगन सहित सभी रियायतों को राज्य सरकार ने प्रदान कर दिया है। क्रोम अयस्क के लिए मानक कीमतों को मूर्त रूप से देना और लौह अयस्क पर यथा मूल्य पर रायल्टी देने पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं दो अन्य मुद्दों को और उठाना चाहती हूं। प्रथम, एनआरईजीएस के अंतर्गत परिव्यय में की गई वृद्धि बहुत कम है। पहले सौ जिलों के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन था। किंतु अब 596 जिलों के लिए यह परिव्यय केवल 16,000 करोड़ रुपये है। जिलों की संख्या में पांच गुना वृद्धि की तुलना में आबंटन में केवल 25% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार, इस योजना में पहले से ही शामिल जिले इससे किस प्रकार प्रभावित होंगे?

द्वितीय, हम किसानों की ऋण माफी का स्वागत करते हैं, यद्यपि इससे किसानों के एक बहुत छोटे वर्ग को ही लाभ मिलेगा। सैद्धान्तिक रूप से, किसानों के वर्गों चाहें सीमान्त किसान हों, छोटे किसान हों, या अन्य के साथ ऋण के स्रोत के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिएं किंतु ऋणों की माफी केवल अस्थायी समाधान है। बेहतर होगा कि इस भारी–भरकम धनराशि का उपयोग वर्षा सिंचित कृषि से पूर्णतः सिंचित कृषि में परिवर्तित करके ग्रामीण अवसंरचना और सिंचाई क्षमता में निवेश करके स्थायी समाधान किया जाए।

महोदय, मैं जानती हूं कि माननीय वित्त मंत्री त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) हेतु परिव्यय बढ़ा रहे हैं। किंतु यह अभी भी पर्याप्त नहीं है यह देखते हुए कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचित भूमि पांच प्रतिशत से भी कम है। हमारी सभी सुकतेल आदि जैसी परियोजनाएं कहीं न कहीं क्रियान्वय–नाधीन है। यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक बल दिया जाना चाहिए कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक, उर्वरक, उनकी फसलों के भण्डारण के लिए कटाई पश्चात गोदाम, वायदा बाजार संपर्क, कृषि ऋण प्रदान करते समय कृषि विकास हेतु फसल ऋण और दीर्घकालिक ऋणों के बीच अंतर करने की सुविधा उपलब्ध हो। यह कृषि को निवेश और वृद्धि के ऊंचे मुकाम पर ले जायेगा और राष्ट्र के कृषि ढांचे को सुदृढ़ बनायेगा।

महोदय, निष्कर्षतः, एक बार पुनः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से उड़ीसा की ओर और विशेषकर के बी के क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करती हूं।

महोदय, 2008–09 के लिए आम बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं तथा उन भाषणों को कार्यवाही वृतान्त का भाग माना जाएगा। मैं उन सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं जो बोलना चाहते हैं कि वे संक्षेप में बोलें तथा केवल सुझाव दें क्योंकि माननीय मंत्री महोदय 4.00 बजे वाद विवाद का उत्तर देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : जी नहीं महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझे ठीक 5 बजे उत्तर देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसलिए, मैं सभी सदस्यों से संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : परन्तु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत संक्षेप में उसे लगभग 3 से 4 मिनट तक बोलना है। अन्यथा वाद–विवाद में भाग लेने के इच्छुक सभी सदस्य नहीं बोल पाएंगे। मुझे बताया गया है कि कि 75 सदस्य इस वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं।

श्री के. वी. तंगबालु (सेलम) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए प्रस्तुत किए गए सामान्य बजट का समर्थन करता हूं। इस सम्माननीय सभा में स्वर्णिम बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को खुले दिल से समर्थन देने के लिए, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक अत्यंत नवीन, उम्मीद से भरा हुआ, गरीबों का हितकारी, विकासोन्मुखी, तथा एक अपने प्रकार का नया बजट है जिसके बारे में भारतीय संसद तथा भारत सरकार के इतिहास में कभी सुना नहीं गया था। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा देश के वित्तीय क्षेत्र को गति देने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, इस बजट में कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनियां गांधी के नेतृत्व में हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में देश के लोगों से किए गए वायदे को पूरा किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी, चिदम्बरम ने इस सम्मानीय सभा में इस सरकार का पांचवा बजट प्रस्तुत किया है। जिसमें सामाजिक क्षेत्र नामतः

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं, किसानों, बुनकरों, शिल्पकारों, तथा हमारे समाज के लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऐसा बजट प्रस्तुत कर उन्होंने न केवल एक इतिहास रचा है अपितु इस ऐतिहासिक बजट ने हमारे देश के लाखों भारतीय लोगों को बड़ी राहत भी दी है।

महोदय, भारत को विकास करना है, विकास का मार्ग केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा बनेगा, जैसा कि उन्होंने बजट में ठीक ही उल्लेख किया है। ये विकास के दो स्तम्भ हैं तथा जिसके फलस्वरूप इस वर्ष 2008-09 में वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 34,400 करोड़ रुपये कर दिया है। सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कवर किया गया है। इसने हमारे देश पर बड़ा प्रभाव डाला है चूंकि शिक्षा क्षेत्र को उचित विकास से देश निश्चित रूप से उन्नति करेगा तथा इसका भविष्य उज्जवल है।

इसी प्रकार, इस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि संपूर्ण देश में मध्याह्न भोजन योजना लागू करना है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थिरू के. कामराज ने तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की थी तथा आज एक अन्य तमिल नेता, श्री पी. चिदम्बरम ने इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया है। आज इस योजना में लगभग 13.9 करोड़ बच्चों को भोजन मिलता है। यह विश्व में आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है तथा 8,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय करके हमारे भविष्य की भली-भांति रूप से देखभाल की जा रही है। यह एक अतिमहत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है। बच्चे इस देश का भविष्य हैं तथा आज अनेक तरीकों से उनकी मदद की जा रही है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने शैक्षिक दृष्टि से देश के पिछड़े बच्चों चाहें वे अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व., अल्पसंख्यक या किसी अन्य उच्च समुदाय के हो, उनके लिए एक नई योजना आरंभ की है। समुदाय को ध्यान में न रखते हुए, जिन बच्चों को शिक्षा ऋणों की आवश्यकता है, उन्हें ऋण मिल रहा है, और लाखों लोगों उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वर्ष तक इस प्रणाली पर 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

मैं इसकी सराहना करता हूं तथा माननीय वित्त मंत्री जी से इसे शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों में लागू करने का अनुरोध करता हूं। जो छात्र तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इससे मदद मिल रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इस प्रणाली को अन्य पाठ्यक्रमों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, अर्ध-चिकित्सीय, तकनीकी शिक्षा पर भी लागू करें। इन क्षेत्रों के निचले वर्ग पाठ्यक्रम हैं तथा इन्हें भी वित्त पोषित किये जाने चाहिए। ऐसे लोग हैं जिन्हें इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता है, जो मुझे आया है है कि उनका यह परोपकारी कदम उनके भविष्य के विकास में निश्चित ही मदद करेगा।

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए हैं। इसे 200 जिलों में आरंभ किया गया था और अब 1 अप्रैल से इसे 596 जिलों में लागू किया जाएगा तथा इसके लिए 16000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। अनुभव से यह देखा जा सकता है कि देश में विभिन्न समुदाय के लोग जैसे अ.जा./अ.ज.जा., महिलाए आदि को इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों का निश्चित काम व मजदूरी मिलेगी। इसलिए समाज के कमजोर तथा वंचित वर्गों को इससे लाभ मिलेगा जिसके लिए मैं श्रीमती सोनियां गांधी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया तथा रुचि ली।

पिछले एक वर्ष का अनुभव बताता है कि अ.जा./अ.ज.जा. लोगों, विशेषकर महिलाओं को इस योजना से रोजगार प्राप्त हो रहा है। साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अधिक से अधिक समुदायों जैसे अन्य पिछड़े वर्गों, किसानों या कृषि श्रमिकों को इन कार्यक्रमों में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

इस प्रणाली में केवल अधिकारियों द्वारा निगरानी की व्यवस्था अनुवीक्षण है। मैं इस सम्मानीय सभा में माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि संसद सदस्य अथवा विधायकों अर्थात् चुने हुए प्रतिनिधियों को निगरानी तंत्र में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वहां अधिक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सके और अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

महोदय, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस वर्ष इस प्रयोजनार्थ 6,866 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र, सेलम तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। हमने शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत सेलम के विकास के लिए 1,600 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस पर विचार करने तथा इस कार्यक्रम के तहत हमें मदद देने का अनुरोध करता हूं।

अगला प्रश्न यह है। अ.जा./अ.ज.जा., अ.वि.व. एवं अल्पसंख्यकों के लिए माननीय वित्त मंत्री ने एक अच्छा मार्ग खोल दिया है। इस बजट में, अ.जा. और अ.ज.जा. के विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपये से अधिक आबंटित किए गए हैं। उनके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने इन कमजोर तबकों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आबंटन किया है। इन तबकों की मदद की जानी है। इसलिए, उन्होंने यह आबंटन किया है।

[श्री के. वी. तंगबालु]

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी अगले वर्ष की योजना में 3780 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष 540 करोड़ रुपये व अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। अल्पसंख्यक प्रसन्न हैं। वहीं, पहली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने अ.पि.व. के लिए आबंटन में वृद्धि की है; उन्होंने उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए 164 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं अ.पि.व. के संसद सदस्यों एवं देश के कमजोर वर्गों के लोगों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री के. वी. तंगबालु : महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप दस मिनट बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. वी. तंगबालु : मैं उनको धन्यवाद देता हूं तथा भविष्य में और अधिक आबंटन किया जाय।

बजट में एक महत्वपूर्ण चीज कृषि ऋण राहत कार्यक्रम है। माननीय मंत्री ने कृषि समुदाय के लिए 60,000 करोड़ रुपयों की ऋण राहत की घोषणा की है। यह कार्यक्रम सरकार की उच्चतम प्राथमिकताओं में से एक है। लगभग 82 प्रतिशत लोग जो देश में कमजोर वर्गों से आते हैं तथा जो सीमांत एवं उपसीमांत किसान हैं, को इस महान योजना से लाभ मिलने वाला है। उसी प्रकार, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, माननीय डा. कलैगनार करुणानिधि जी ने छह या आठ माह पूर्व किसानों को 7000 करोड़ रुपयों की राहत वाली एक नई योजना की घोषणा की जिससे सरकारी क्षेत्र में कृषि ऋण पूरी तरह माफ कर दिया गया। अब सरकार यह कार्यक्रम लाई है जिससे सभी वित्तीय क्षेत्रों में ऋण माफ कर दिया जाएंगे। साथ ही, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे तमिलनाडु के 7000 करोड़ रुपयों की ऋण माफी को शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार करें। जिससे तमिलनाडु अपना हिस्सा प्राप्त कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए अन्यथा वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री के. वी. तंगबालु : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भारत के लोगों को भोजन देता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप तेरह–चौदह मिनट बोल चुके है इसलिए अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. वी. तंगबालु : हमारे माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री ने 25,000 करोड़ रुपयों की विकास योजना के साथ अवसंरचना विकास हेतु एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। यह पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती रुपाताई पाटील।

श्री के. वी. तंगबालु : मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वह उस क्षेत्र के लिए वृद्धिकारी 1 लाख करोड़ रुपये की कर दें। ताकि दूसरी हरित क्रांति आए जिससे देश को कृषि क्षेत्र में विकास का लाभ मिल सके।

*(क) इस बजट में जल संबंधित विकास के लिए 20000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) 32000 करोड़ रुपयों की उर्वरक राजसहायता दी गई है।

(ग) ग्रामीण विकास के लिए 22000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था है।

(घ) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि आर आई डी ई एक्स आई पी 14000 करोड़ रुपये तथा आर आई डी एफ एक्स आई पी के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 4000 करोड़ रुपये दिये गए हैं।

(ङ) एन एच डी पी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं के लिए 12966 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की हमारी प्रतिबद्धताओं के लिए खाद्य राजसहायता हेतु 32667 करोड़ रुपये दिए गए है।

(छ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सहायता के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

... भाषण का यह भाग समापटल पर रखा गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : मैं 2008-09 के आम बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट इस सरकार का तथा 14वीं लोक सभा का आखिरी बजट है जिसे चुनावी बजट ही कहा जाएगा।

आम आदमी के लिये चुनकर आयी इस सरकार ने आम आदमी को महंगाई की खाई में अकेला धकेला तथा देश की जनता के अन्नदाता किसान को कर्ज के बोझ तले दबाकर या तो फांसी लगाकर मार डाला या मरने को मजबूर किया।

इस दिन बढ़ती महंगाई सीमेंट, लोहा, गैस, फर्टीलाइजर, बीज, खेतों के बढ़ते दाम महंगी बिजली, पानी से लेकर हर चीज महंगी कराने के बाद आम आदमी की नाक में दम आया। फसल के उत्पादन पर अधिक लागत सतत बढ़ती गयी। एसएसपी नहीं बढ़ाया-किसान आत्महत्या पर मजबूर हुआ। हजारों किसान आत्महत्या कर बैठे, मानसिकता बना रहे हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ अनेक राज्यों में विपक्षी व किसानों ने स्वयस्फुर्त आंदोलन किये।

जहां महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों की आत्महत्या तथा उससे क्रोधित जनता व विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार का ध्यान आंदोलन द्वारा आकर्षित किया। मजबूरन केन्द्र सरकार को विदर्भ के अधिकांश जिले सहित देश के 31 जिलों को विशेष पैकेज प्रधानमंत्री द्वारा देना पड़ा।

यह पैकेज जन आंदोलन तथा जिन्होंनें आत्महत्याएं की उन शहीद हुए किसानों को, जिन्होंने जान दी, बलिदान दिया, उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में शर्मसार हुयी सरकार ने पैकेज दिया, समाधान नहीं मिला। सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ। आत्महत्याओं के कारण मीडिया, विपक्षी दलों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करनें में बड़ी भूमिका निभाई फिर भी आत्महत्याएं नहीं रूकीं।

चारों तरफ टीका-विरोध के देखते कृषि प्रधान देश के किसानों की आत्महत्याएं सरकार की नींद खराब करने लगीं जब कही जाकर सरकार ने जनता के दबाव में इस बजट में अंशतः कर्ज माफ की घोषणा की जिसका लाभ बैंकों द्वारा कर्ज लेने वाले 57 प्रतिशत किसानों व 43 प्रतिशत साहूकारों महाजनों द्वारा दिये जाने का डॉ. राधाकृष्णन कमेटी द्वारा पुष्टि की गयी। उसके अनुसार सिर्फ 22.6 प्रतिशत ही छोटे किसान लाभ पायेंगे। यह स्पष्ट है।

दुर्भाग्य उन विदर्भ के किसानों का कुल लाभ पाने वाले किसानों में महाराष्ट्र के अन्य विभाग की तुलना में विदर्भ के सिर्फ 17 प्रतिशत किसान ही इस कर्ज माफी की घोषणा से लाभान्वित होंगे। जिस विदर्भ की किसानों की आत्महत्या की वजह से सरकार ने कर्ज मुक्ति की घोषणा की उन्हीं विदर्भीय किसानों को लाभ नहीं मिला। सरकार लाभ देने में असमर्थ रही जबकि सरकारी पक्ष का कहना तथा श्रेय लेने का प्रयास बेबुनियाद है। यूपीए सरकार तो 2004 में बनी तब 2005/2006/2007 में क्यों नहीं कर्ज माफ किया अब क्यों किया? सरकार-प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री सब तो यही आप ही थे क्यों नहीं किया 2005 में कर्ज माफ, 2006 में क्यों नहीं किया? यह कर्ज माफ कर निर्णय या नीति यूपीए या कांग्रेस की नहीं थी, यह तो जनता के दबाव में आत्महत्या करने वाले किसानों की वजह सरकार को निर्णय लेना पड़ा। श्रेय अगर किसी को जाता है तो सरकार ने मजबूरी में कर्ज माफ किया वह विदर्भ के आत्महत्या करने वाले शहीद किसानों को ही दिया जाना चाहिए। इनकी चिंता पर श्रेय की रोटी न सेकें। यूपीए सरकार समाज, किसानों किसान समाज में माफी मांगे-जिन किसानों का कर्ज माफ किया उन्हीं किसानों से इन बैंकों ने 6 लाख करोड़ रुपया ब्याज के रूप में कमाया है। 50,000 करोड़ के कर्ज माफी तो यह उन्हीं से कमाया उन्हें लौटा रहे हैं।

एमएसपी-किसानों को उनके लागत मूल्य के अनुसार लाभकारी मूल्य (एमएसपी) नहीं दिया जा रहा है। इस वर्ष गेहूं को दिया गया 1000 का मूल्य धान उत्पादकों को नहीं दिया गया, उन पर अन्याय हुआ है। गेहूं से ज्यादा लागत धान की होती है। इतिहास के पन्ने देखें। गेहूं व धान के एमएसपी में ज्यादा अंतर नहीं रहा बल्कि एमएसपी के धान के मूल्य अधिक रहे। यूपीए सरकार ने गेहूं को बहुत अधिक मूल्य देकर धान उत्पादन करने वाले को न्याय नहीं दिया। धान को 1000 से ज्यादा एमएसपी दिया जाए। देश में दलहन की कमी है आसानी से कम लागत पर उपज होने वाली खेसरी दाल पर कुछ राज्यों में जिसमें महाराष्ट्र भी है उपज पर लगी पाबंदी हटाने हेतु पहल हो तथा दलहन का उत्पादन अपने ही देश में बढ़ाया जाए, आयात न करना पड़े।

दुर्भाग्य से कृषि प्रधान देश में चीनी व राईस के अलावा सभी कृषि उपज जिसमें गेहूं-दलहन-खाद्य, तेल, मसालों जैसी चीज हमें आयात करनी पड़ती है। किसानों को उचित सिंचाई, बीज, खेती व बिजली की उपलब्धता होने पर व सस्ती मिलने पर निश्चित ही कृषि उपज बढ़ेगी। राज सहायता सीधी किसानों को मिलने की नीति बनाए, मायनस सब्सिडी न हो। सिंचाई हेतु बजट में प्रावधान कम किया गया है। अनेक नदियां हैं, उन पर जगह-जगह सिंचाई के लिए परियोजनाएं होनी चाहिए, किसानों को पानी उपलब्ध कराने से ही फसल बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर होंगे। जिन राज्यों में वनाच्छादित वन बहुल क्षेत्र या जिलों के किसानों का वन कानून के नियमों की वजह से सिंचाई से वंचित रहना पड़ रहा है अन्यों की तुलना में इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाए

*भाषण समापटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

नहीं है जहां बनानी हैं। वन कानून के चलते मान्यता नहीं मिल रही है और जिन्हें मान्यता मिली उन परियोजनाओं की लागत एनपीवी व वन भूमि के लिए मांगा जा रहा मुआवजा व मूल्य इतना अधिक है कि परियोजना की लागत दुगुनी तीन गुना हो रही है, राज्य सरकारें जो पूरी नहीं कर पा रही हैं। मैं वन भूमि हेतु लगने वाली लागत जिसने एनपीवी तुरंत रद्द करे व वन कानून के रक्षा तथा पालन के लिये मजबूर राज्य सरकारें जो परियोजनाएं वन बहुल क्षेत्रों में प्रलंबित हैं तथा मान्यता प्राप्त हैं उन सभी परियोजनाएं जिसमें मेरे चुनावी क्षेत्र गडचिरौली व चंद्रपुर की कृषि क्षेत्र को लाभप्रद–हुयमनण् तुलतुली, कारवाफा, चेन्ना, लोअर पैनगंगा आदि की राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर तुरन्त पूरी किया जाए, इस बजट में प्रावधान करें।

देश में बिजली की कमी को देखते हुए बिजली के उत्पादन हेतु अल्ट्रामोगा, परियोजनाओं की की गयी घोषणा में महाराष्ट्र में एक बिजली परियोजना का कहीं पता नहीं है, उसे तुरंत प्रारंभ करने हेतु पहल करें। बिजली की कमी के चलते शहरों में 8.10 घंटे कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में 12–14 घंटे बिजली कटौती हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में विद्युत निर्माता दर 7.7 से घटकर 6.6 प्रतिशत पर गया है यह यूपीए सरकार की विफलता है जहां 12039 मेगावाट विद्युत निर्माण का लक्ष्य रहा उसके अनुपात में 10821 मेगावाट विद्युत निर्मीती के संकेत सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं। यह भी सरकार की असफलता मैं मानता हूं। जिन राज्यों ने केन्द्र से बिजली मांगी है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने करीब 6500 मेगावाट बिजली मांगी उन्हें 100 मेगावाट बिजली दिये जाने की बात करते हैं। पड़ोसी राष्ट्रों से बिजली खरीदकर सरकार राज्यों को बिजली दे अथवा राज्यों को पड़ोसी राष्ट्रों से बिजली खरीद करने की अनुमति दे तभी बिजली की आवश्यकता पूरी होने में मदद होगी। विद्युत निर्मीती पर अधिक राशि देने की भी मैं मांग करता हूं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं, ग्रामीण शहरों की ओर आ रहे हैं। एसइंजेड के लिये ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही एलए एक्ट या अन्य एक्ट में खरीद या जबरन अधिगृहीत भूमि का मूल्य अत्यल्प दिया जा रहा है बड़े–बड़े उद्योग घरानों को भूमि दी जा रही है। उपजाऊ जमीन पर किसान अपना परिवार उपज लेकर चलाता है। उन किसानों को बेरोजगार किया जा रहा है। एसईजेड या अन्य कारणों से कृषि भूमि अधिग्रहण ना करे। पडिक भूमि तथा पिछड़े जिलों में पिछड़े क्षेत्रों आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ही एसईजेड हेतु मान्यता दी जाने के साथ एसईजेड हेतु दी जा रही रियायतें–बेनिफीट का लाभ इन पिछड़े व आदिवासी बहुल व ग्रामीण व वनवासी भाईयों को बेरोजगारी परिमाण कम करने में हो। आवश्यक होने पर ही उपजाऊ भूमि अधिग्रहण करें। उचित मूल्य पर पीएपी को उचित दाम मिले।

देश में स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो बेहद खराब है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी तथा समुदाय केन्द्रों में 7 हजार से अधिक डॉक्टर और विशेषज्ञों के पदों की रिक्तियां हैं। कुपोषण अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। निजी चिकित्सा आम आदमी के दायरे से दूर होती जा रही है। आम आदमी सामान्य चिकित्सा के साथ विशिष्ट उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता बजट में इस पर दिया गया प्रावधान अपर्याप्त है। देश में विशिष्ट सुविधा सर्वांगिक करने की आवश्यकता के अंतर्गत देश सभी प्रमुख स्थलों में एम्स की स्थापना करनी चाहिए। मैंने नागपुर शहर जो कि मध्य भारत का प्रमुख शहर है वहां एम्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं मांग करता हूं कि नागपुर में एम्स की स्थापना करें। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उपचार में भारी फर्क है। एक मासिक में मैंने पढ़ा है शहर में प्रति सात सौ व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है वहीं गांवों में आठ हजार व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाऐं अधूरी व अपूर्ण हैं। लोग छोटी–छोटी बीमारियों से मृत होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडीकल कॉलेज स्थापित करने से वहां पढ़े डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे पायेंगे वहीं मेडीकल कॉलेजों की स्थापना की जाए।

बेरोजगारी की समस्या हर दिन गंभीर रूप धारण कर रही है। सभी सरकारी संस्थाओं व उपक्रमों में निजी क्षेत्रों में मैन पॉवर कटौती का दौर चल रहा है। सरकारी पदों पर नियुक्तियां नहीं होती। पढ़े लिखे नौजवान बेकार बैठे हैं। सभी रिक्त पदों को तुरन्त भरने तथा नये पद निर्माण करने की आवश्यकता है। सभी उपक्रमों में नौकरी कटौती रोकने हेतु पहल करें, निजी क्षेत्रों में उद्यमियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये नियम बने। सरकारी नौकर अधिकारियों हेतु छठा वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने जा रही सरकार से विनती करता हूं। पहले बेरोजगारों को मासिक भत्ता लागू करे जिन्हें शून्य आमदनी है, उनका पहले विचार हो। बेरोजगारी भत्ता नौकरी–धंधा व्यवसाय मिलने तक देने का इस बजट में मांग करता हूं।

देश के कुछ हिस्सों में खनिज संपत्ति को जिसमें कोयला, लौह, अयस्क, तांबा, लाईम, इत्यादि को सामान्य नागरिक को भी इस राष्ट्रीय सम्पत्ति का लाभ मिले। सरकार इन खनिजों को जैसे कोयेला, लोह अयस्क, कैप्टिव ब्लाकों के आधार पर निजी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या समूह को दे रही है जिसका लाभ व्यक्तिगत स्तर तक ही हो रहा है। इन ब्लॉकों को नीलाम किया जाना चाहिए तथा आने वाली राशि का हिस्सा राज्य सरकारों को ही दिया जाए ताकि इस राष्ट्रीय सम्पत्ति का लाभ सर्वव्यापी हो। जिन किसानों की कृषि भूमि पर खनिज सम्पदा हेतु

अधिग्रहण की जानी है उन किसानों को (पीएपी) इसका हिस्सा मिले, भागीदारी पर विचार हो। 30 वर्ष तक रायल्टी उन पीएपी को मिले ताकि अधिग्रहण के पश्चात् उन किसानों को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। इन किसानों का उनकी भूमि का उचित मूल्य–मुआवजा मिले। अधिग्रहण हेतु एलए एक्ट 1894 में संशोधन होना चाहिए। निगोसेशन से भूमि दाम तय हो यह नीति तुरन्त बनाने की आवश्यकता है।

देश के विभिन्न भागों में वनों में रहने वाले आदिम जाति के परिवार जिसमें आदिवासी, कोलाम, माडिया, छोटा माडिया इत्यादि जनजातीय है, उन्हें 100 प्रतिशत परिवारों का आवास मुहैया कराएं। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना में प्रति लाभार्थी को 50,000/– (पचास हजार) रुपये का अनुदान दिया जाए कर्ज के रूप में नहीं। इसके लिए धनराशि बढ़ाने की जरूरत है।

सरकार द्वारा तकनीकी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का हरदम ब्यान दिया जाता है। महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा के लिए एमसीवीसी कोर्स कॉलेज 1985 में खोले गये। अनुदान तब दिये जाने की बात कही जा रही है जब केन्द्र सरकार अपना हिस्सा अनुदान के रूप में दे। इन तकनीकी शिक्षा हेतु अनुदान इस बजट में प्रावधान करें ताकि प्रशिक्षाणार्थी व अध्यापकों को न्याय मिलेगा।

कानून–न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से ही हो सभी को न्याय मांगने को अधिकार है। देश के उच्चतम न्यायालय तक सभी को पहुंचने का अधिकार होते हुए भी दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय का अंतर दक्षिण भारतीयों को अधिक होने से उन्हें न्याय मिलने हेतु उच्चतम न्यायालय में न्याय मांगने हेतु देश के मध्य स्थान नागपुर में उच्चतम न्यायालय को बेंच स्थपित करें। प्रावधान इस बजट में हो।

आयकर में छात्र–छात्राएं हेतु पेमेंट को पढ़ाई पर आने वाले खर्च के लिए डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन कहीं छात्र स्वयं कहीं जॉब कर पढ़ाई करता है उस छात्र को अपनी पढ़ाई पर आने वाले खर्च को डिडक्शन नहीं दिया जाता है उस पर विचार हो। जॉब करने वाले छात्रों को स्वयं की पढ़ाई के लिए आयकर में रियायत मिले। इन्हें शब्दों के साथ अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट यह चुनावी बजट आंकलनों के अनुसार निराधार साबित होकर भविष्य में मंहगाई बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला आपने रखा है। मैं इसका विरोध सदन में कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण आम बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश करने की कोशिश की है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे देश के किसानों को जो राहत देने की कोशिश की है, वह काफी नहीं है। हम जानते हैं कि सरकार ने किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने की घोषणा की है जिससे चार करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह न्याय है, क्योंकि इससे कुछ क्षेत्रों के किसानों को ही ज्यादा राहत मिलेगी। हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में ज्यादातर किसानों के पास पांच एकड़ से ज्यादा खेत हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन किसानों का क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों को राहत पैकेज दिया था, परन्तु उसके बावजूद भी उन लोगों का क्या हाल हुआ, यह सभी जानते हैं। राहत पैकेज देने के बाद भी किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हो गयी है। मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि इस वर्ष का बजट आने के बाद मेरे क्षेत्र में तीन–चार लोगों ने आत्महत्या की है। इसका क्या कारण है? जहां तक मैं समझती हूं, इसका कारण यह है कि जिन किसानों को राहत की ज्यादा जरूरत होती है, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अधिकारी लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं और किसान के लिए आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं आग्रह करती हूं कि कर्ज माफी की जो घोषणा की गयी है, इसमें उन किसानों को भी जोड़ा जाए जो बैंकों से और साहूकारों से कर्ज लिए हुए हैं अन्यथा इसका दुष्परिणाम हो सकता है। जब किसानों को यह पता चलेगा कि उनका कर्ज माफ होने वाला नहीं है तो वे आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे क्योंकि अभी तक वे इसी आस में थे कि उनका कर्ज माफ होने वाला है। इसलिए मैं विनती करती हूं कि इसमें सभी किसानों को जोड़ा जाए। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि अनाज का आयात क्यों किया जा रहा है? इससे हमारे देश के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार हमारे देश के किसानों को इस प्रकार की सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है जिससे अनाज उत्पादन में वृद्धि हो और खराब अनाज का वितरण क्यों किया जा रहा है? जो अनाज जानवर नहीं खाना चाहेंगे, उसे मनुष्य कैसे खाएंगे? हमारे देश में रोजगार की कमी होने के कारण ग्रामीण भागों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल हो गयी है। सरकार को इसके लिए कोई ऐसी कार्ययोजना बनानी चाहिए जिससे पलायन रूक सके और लोगों को रोजगार मिल सके। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को आपने पूरे देश में लागू करने की बात कही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। लेकिन इसे केवल लागू करने से क्या होगा। सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितनी धांधली चल रही है, इसे ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। गन्ना उत्पादकों को कम तरजीह देने से गन्ना उत्पादक भी आत्महत्या करने पर आमादा हो रहे हैं। जो पैकेज चीनी मिलों को

[श्रीमती रूपाताई डी. पाटील]

मिलता है, उसका फायदा केवल चीनी मिल के मालिक ही उठाते हैं और किसान तक कुछ नहीं पहुंचता है। मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि सरकार गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने का भाव निर्धारित करे और उसी भाव में गन्ने का पैसा दे। इससे गन्ना उत्पादकों को राहत मिलेगी और लोग गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

देश भर में बिजली की बहुत कमी है। मैं अपने राज्य महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूंगी। मेरे लातूर क्षेत्र में बहुत परेशानी हो रही है। यहां 14 घंटे तक बिजली की कटौती होती है, इससे किसान लोग काम नहीं कर पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सरकार कम से कम घर पर लैंप जलाने क लिए तो बिजली प्रदान करें। महंगाई का नाम सुनते ही आंखों में पानी आता है क्योंकि गरीब आदमी की सर्वप्रथम जरूरत दो वक्त का खाना होता है। हर चीज की कीमत पिछले तीन–चार साल में दोगुनी हो गयी है। मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि जो आदमी गरीबों से जुड़े हैं, वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगी। आटा जो पहले 9 रुपए किलो था, अब 14 या 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। चावल जो पहले 10 रुपए किलो था, अब बढ़कर 22 से 28 रुपए हो गया है, ब्रेड 8 रुपए से बढ़कर 15 रुपए, चाय पत्ती 80 रुपए से बढ़कर 150 या 180 रुपए प्रति किलो, तेल ४० रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 80 रुपए पति लीटर हो गया है। इसी तरह पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, स्टील आदि चीजों के भी दाम बढ़े है। पेट्रोल तीस रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति लीटर हो गया है, डीजल 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति लीटर, एलपीजी 244 रुपए से बढ़कर 295 रुपए, सीमेंट 125 रुपए से बढ़कर 240 रुपए हो गया है।

महोदय, इंदिरा आवास योजना के लिए आपने दस हजार रुपए वृद्धि की है। आज 25,000 रुपए में बड़े लोगों का बाथरूम भी नहीं बन पाता है, तो गरीब लोगों के घर बनाने के लिए यह राशि बहुत कम है। इस योजना में भी राशि बढ़ानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इंदिरा आवास योजना में कम से 50,000 रुपए की राशि का प्रावधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी राशि को बढ़ाने की जरूरत है। आज महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब क्या खाएगा, अनाज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इसके अलावा सीमेंट, स्टील और अन्य वस्तुओं के दाम दोगुने–चौगुने तक हो गए हैं। इस हालत में गरीब आदमी घर कैसे बना सकता है। आंतरिक सुरक्षा में भी सरकार पूरी तरह विफल रही है। सरकार और वित्त मंत्री जी को दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

यदि तूफां में कश्ती हो तो हो सकती हैं तदबीरें
यदि कश्ती में तूफां हो तो खुदा हाफिज है कश्ती का
उसको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री बैसीमुथियारी। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008–09 के वार्षिक आम बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

*मैं आम बजट 2008–09 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। बजट के प्रति मेरी भावनाएं मिली जुली है। महोदय, मैं राजू को बताना चाहती हूं कि 2003 में भारत सरकार असम सरकार तथा एक आतंवावादी संगठन, बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच एक नया राजनीतिक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार, संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम में बोडोलैंड टेटीटोरियल एरिया डिस्ट्रीक्ट के नाम से एक नई राजनीतिक व्यवस्था की गई। इस स्वायत्त क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए एक नई प्रशासनिक प्रणाली यथा बोडोलैंड टेरीटोरियल काउन्सिल का भी गठन किया गया लेकिन दुर्भाग्यवश 2003 से, भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए जहां 30 लाख लोग से ज्यादा रहते हैं। प्रतिवर्ष केवल 100 करोड़ प्रदान कर रही है। यह राशि बोडोलैंड जैसे बहुत ज्यादा पिछड़े क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। अतएव मैं मांग करता हूं कि बोडोलैंड के समग्र विकास के लिए भारत सरकार को प्रतिवर्ष 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपयों के बीच प्रदान करना चाहिए। बोडोलैंड को यह राशि आबंटित करने तथा संवितरण करने के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा पूरी तरह से पृथक प्रावधान करना चाहिए। तथा यह केन्द्रीय राशि बोडोलैंड प्रशासन को सीधे मिलनी चाहिए न कि असम सरकार के माध्यम से। महोदय, मैं अत्यत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यद्यपि भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान पर ज्यादा जोर डाला है तथापि असम में बोडोलैंड के अन्तर तथा बाहर बोडो माध्यम के उन विद्यालयों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है जहां छात्रों को बोडो भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जो बोडो माध्यम शिक्षा का माध्यम इन स्कूलों में 1963 से ही बोडोभाषा प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम रही है तथा धीरे–धीरे उसे बढ़कर उच्चतर प्राथमिक तथा उच्च विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। धनराशि के अभाव के कारण असम सरकार ने बोडो माध्यम के इन स्कूलों को अपने संरक्षण नहीं लिया है। महोदय, इसके परिणामस्वरूप, 724 बोडो माध्यम प्राथमिक स्कूल, 320 उच्चतर प्राथमिक बोडो माध्यम स्कूल, तथा 180 बोडो माध्यम उच्चतर स्कूल काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन स्कूलों में कार्य करने वाले कुछ शिक्षक मर चुके हैं तथा कुछ जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अतएव, महोदय, मैं मांग करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए तथा इन

*मूलतः असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

बोडो माध्यम स्कूलों को बचाने तथा चलाने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपयों का प्रावधान करना चाहिए। अन्यथा, असम के बोडो समुदाय के छात्रों के साथ घोर अन्याय होगा। 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल किया गया था। अतएव, बोडो लोगों को बोडो भाषा के माध्यम से शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक शिक्षा का संबंध है बोडोलैंड क्षेत्र काफी पिछड़ा है। उच्चतर शिक्षा के लिए कोई संस्था नहीं है। अतएव, मैं मांग करता हूं कि बोडोलैंड में एक बोडोलैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। मैं सरकार की देश में तीस केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की पहल का समर्थन करता हूं। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ, मैं बोडोलैंड में एक आई टी, एक आई आई एम, एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, एक इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एक नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्सटाइल एण्ड फैशन टेक्नॉलॉजी, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, (उदलगिरी में एक कृषि महाविद्यालय); एक एम्स माडल इंस्टीटयूट, एक नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, एक नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी एण्ड मैनेजमैंट, कम से कम 10 पॉलीटेक्नीक, 10 टैक्सटाइल इन्स्टीटयूट, 10 आई टी आईज, एक नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ केटरिंग सर्विस एण्ड होटल मैनेजमैंट, एक बोडोलैंड बैम्बू टेक्नालॉजी इन्स्टीटयूट, एक नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ एपी (इंडी), एंडी तथा मुगा सिल्क टेक्नॉलॉजी, 10 माडल हाई स्कूल, 10 जे एन वी स्कूल, एक एपी तथा सिल्क टेक्नॉलॉजी रिसर्च फाउन्डेशन तथा एक डेरी टेक्नॉलॉजी इंस्टीटयूट की स्थापना करने की मांग करता हूं। साथ ही हमें विविध क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत है। अतएव, मैं सरकार से बोडोलैंड में कृषि, सिंचाई, उद्योग, सड़क, तथा संचार एवं विद्युत क्षेत्र विकसित करने के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मैं किसानों के कृषि ऋण को माफ करने में भारत सरकार के निर्णय का समर्थन करता हूं। किंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता। बैंक ऋणों से वंचित किसानों के लिए सरकार की क्या नीति होगी तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले हमारे देश के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य क्या होगा? हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई लाख बेरोजगार युवा ऋण ग्रस्त हैं। अतएव मैं मांग करता हूं कि पीएमआरवाई के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं द्वारा लिए गये ऋण को भी माफ किया जाए। एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि असम सरकार कानून और व्यवस्था के साथ–साथ आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पूर्णतः विफल रही है। अतः भारत सरकार को कानून एवं व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिकार बोडोलैण्ड प्रशासन को प्रदान कर देना चाहिए मैं यह मांग भी करता हूं कि पृथक बोडोलैंड प्रांतीय पुलिस बटालियन का गठन किया जाना चाहिए तथा इस उद्देश्य हेतु कम से कम 10,000 युवाओं को भर्ती किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना से उसी प्रकार बोडो रेजीमेन्ट का गठन करना चाहिए जैसे इसने कुछ वर्ष पहले नागा रेजीमेन्ट का गठन किया था। बोडोलैण्ड के विभिन्न स्थानों पर नये पुलिस स्टेशन तथा पुलिस चौकियां स्थापित की जानी चाहिए। बोडोलैण्ड क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी है...

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा) : महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, किंतु सत्तापक्ष की सदस्या होने के कारण कृपया संक्षेप में बोलें

श्रीमती तेजस्विनी गौडा : महोदय, सत्तापक्ष के सदस्य के रूप में हमारे लिए यह महान अवसर है कि संप्रग सरकार ने देश के लिए कुछ किया है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के मार्ग निर्देशन मे, माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के सक्षम पथ प्रदर्शन में और संप्रग अध्यक्षा, मैडम सोनिया गांधी के पूर्ण समर्थन से जन–हितैषी बजट प्रस्तुत करना हमारे लिए एक महान अवसर है।

महोदय, इस देश के कृषक समुदाय के लिए यह हर्षप्रद क्षण है। हमने 60,000 करोड़ रु. के छोटे तथा मझौले किसानों के सभी ऋण माफ कर दिये हैं। मैं यह नहीं कहती कि यह ऐतिहासिक अथवा क्रांतिकारी कदम है मेरा कहने का आशय है कि सरकार कोई धर्मार्थ कार्य नहीं कर रही है, और यह अन्नदाता, जो देश को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं उनके प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता है।

कृषि एक लाभदायक कार्य नहीं है। हमारे कृषक समुदाय को ऋण जाल से बचाने के लिए यह राशि माफ की गयी है। यह हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है तथा यह दिखता है कि हम अपने कृषक समुदाय का सम्मान करते हैं। हम राजनीतिक भाषण नहीं देते हैं, और हम आंकड़ों को ही बोलने देते हैं। मेरी सरकार ने कृषक समुदाय की रीढ़ मजबूत करने के लिए धनाबंटन किया है। मेरी सरकार ने जलसंसाधन, विपणन तथा अन्य योजनाओं के लिए धनाबंटन किया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती तेजस्विनी गौडा]

यदि आप कृषि ऋण देखें तो यह चार गुणा बढ़ा है। राजग सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नौ प्रतिशत की दर से मात्र 80000 करोड़ रु. का आबंटन किया था जबकि संप्रग सरकार ने सात प्रतिशत की दर से 2,80,000 करोड़ रु. का आबंटन करके इसे चार गुणा बढ़ा दिया है। हमने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जल संसाधन संवर्धन पर भी काफी बल दिया है।

सरकार ने इस वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रु. का आबंटन किया है जिसमें से 5500 करोड़ रु. अनुदान के रूप में दिए गए हैं और 11000 करोड़ रु. आबंटित किए गये हैं। राजग शासन के दौरान मात्र 2500 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारी किसान हितैषी सरकार है। 348 करोड़ रु. के आबंटन से वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा करती हूं। अति लघु सिंचाई संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना वर्ष 2006 में शुरू हुई थी। दो वर्षों के भीतर ड्रीप तथा स्प्रिक्लर सिंचाई के अंतर्गत लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाया गया। वर्ष 2008–09 के लिए चार लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य हेतु मंत्री ने 500 करोड़ रु. का आबंटन किया है।

3500 करोड़ रु. के व्यय से कमान क्षेत्र विकास के लिए जल निकायों को बहाल करना हमारे प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। सरकार कमान क्षेत्र विकास के लाभ को बढ़ाकर लगभग नौ लाख हेक्टेयर करने के लिए कदम उठा रही है। इस उद्देश्य हेतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों को विश्व बैंक से 3500 करोड़ रु. प्राप्त हो रहे हैं। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।

प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए जल संसाधन वित्त निगम स्थापित किया गया है। डब्ल्यू आर एफ सी को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा जो देश में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायक होगा। 14 स्वीकृत परियोजनाओं में तीन परियोजनाओं के लिए 7000 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।

अब मैं फसल बीमा की बात करूंगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हमेशा अपनी फसलों के आकस्मिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। उन्हें सुनिश्चित फसल बीमा उपलब्ध कराने के लिए संप्रग सरकार ने 700 करोड़ रु. का आबंटन किया है। सरकार ने ऋण माफी के रूप में 60,000 करोड़ रु. दिए हैं। मैं अपने युवा नेता राहुल गांधी जी को हमारी सहायता के लिए आगे आने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं चिदम्बरम जी से भी अनुरोध करूंगी कि इसे बढ़ा कर 10 रु. एकड़ तक कर दिया जाए क्योंकि शुष्क भूमि क्षेत्रों में किसान इस भू सीमा के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि यह भूमि सीमा बढ़ती है तो उन क्षेत्रों में यह किसानों के लिए बहुत सहायक होगा। मैं चिदम्बरम जी को धन्यवाद देना चाहूंगी तथा श्री राहुल गांधी द्वारा की गयी मांग का भी समर्थन करती हूं।

महोदय, हमें सत्य बोलना चाहिए। जब संप्रग सरकार ने बताया कि कृषि में विकास दर निराशाजनक रही है तब मुझे थोड़ी निराशा हुई है। वर्ष 2007–08 में अच्छी शुरूआत के बावजूद यह 3.9 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत हो गयी है। यह बहुत चिन्ताजनक है। हम किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं किन्तु यदि इस देश के किसान निराश हैं तो इस देश में भोजन कराने वाला कोई नहीं होगा। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें कृषि कार्य को अर्थक्षम तथा लाभकारी कार्य बनाना चाहिए। उत्तम बीज, उत्तम खाद, उत्तम कीटनाशक तथा उनके उत्पादों के लिए एक स्थिर बाजार मूल्य किसानों की समस्याओं का स्थायी हल होगा। चूंकि देश की आबादी का 70 प्रतिशत भाग किसान हैं अतः हमारी राष्ट्रीय नीतियां कृषि – अभिमुखी तथा किसानोन्मुखी होनी चाहिए।

कर्नाटक राज्य ने पहले ही किसानों का ऋण माफ कर दिया है। अतः अब हमें ऋण माफी का लाभ नहीं मिलेगा। चूंकि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हैं तथा संसद में बोल रहे हैं, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि कर्नाटक के किसानों को भी कुछ सहायता प्रदान करें जिन्होंने ईमानदारी से अपना ऋण चुकाया है।

अब मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात करती हूं। हमारी संप्रग सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की न केवल बात करती है बल्कि उस दिशा में कार्य भी करती है। देश के 600 जिलों में लगभग एक चौथाई नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हमारी सरकार उन जिलों में नक्सलवादियों द्वारा गुमराह किए गये युवाओं को मुख्यधारा में लाना चाहेगी। मैं महसूस करती हूं कि यह संप्रग सरकार द्वारा शुरू किए गए बहुत अच्छे कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के लिए संप्रग सरकार ने आरंभ में 16,500 करोड़ रु. आरक्षित किया है। संप्रग सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए विधिक गारण्टी का आश्वासन दिया है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी और किसी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए विधिक गारण्टी सुनिश्चित की है।

अल्पसंख्यक निगम को 1,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों को 1,264 करोड़ रुपए मिल रहे हैं; एस. एच. जी. को 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं; कपड़ा बुनकरों तथा हथकरघा कामगारों को लाभ प्राप्त हो रहा है। वृद्ध व्यक्तियों को 400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्त्ताओं के लिए पारिश्रमिक बढ़ाकर 1,000 रुपए से 15,00 रुपए तथा 500 रुपए से 750 रुपए कर दिया गया है।

अपराह्न 2.00 बजे

अठारह लाख बहनों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा तथा आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के माध्यम से महिला और बाल विकास के लिए आबंटन 5293 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,300 करोड़ रुपए कर दिया गया है और महिला और बाल विकास मंत्रालय के आबंटन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसका आशय यह है कि इस मंत्रालय को 7,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं इसकी सराहना करती हूं तथा श्री चिदम्बरम को उनके महिला–हितैषी, बाल–हितैषी कार्यक्रम के लिए बधाई देती हूं। शत–प्रतिशत महिला–विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 11,460 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है; इसके साथ ही 30 प्रतिशत महिला–विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 16,2002 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

श्री चिदम्बरम ने रक्षा के लिए आबंटन बढ़ाकर 105 करोड़ रुपए तक कर दिया है। मुझे अपने प्रिय सहकर्मी तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पल्लम राजू के साथ लददाख तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा करने का मौका मिला तथा हमने यह देखा कि थल सेना तथा रक्षा में कार्यरत हमारे भाई अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार हमारी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उन्हें धन्यवाद एवं बधाई देती हूं तथा रक्षा आबंटनों के लिए मुझे अपने सरकार पर काफी गर्व है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को 85,000 करोड़ रु दिए गए हैं; वे इसमें कई चीजें ले रहे हैं; बाघ संरक्षण के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए हैं; राष्ट्रीय उद्यानों में से एक उद्यान बन्नारगट्टा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है; मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देती हूं तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के ओर से उन्हें बधाई देती हूं।

अंततः, वहां त्रिशक्ति स्व–सहायता समूह हैं; कर्नाटक सहित कई राज्यों ने इसमें उल्लेखनीय कार्य किए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने स्व–सहायता समूहों को जीवन बीमा निगम की पालिसियां दी हैं। केवल 35,000 समूह लाभान्वित हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय ने संजीदगी से अनुरोध किया है; 30 लाख युनिटों की तुलना में यह काफी कम है; अतः सभी बैंकों द्वारा उन 30 लाख युनिटों को इसके अंतर्गत लाने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिएं जो ईमानदारी पूर्वक अपना ऋण चुका रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।

आखिर में मेरा कहना है कि उन्होंने महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब में वृद्धि की है। सब मिलाकर यह जनोन्मुखी बजट है और सर्वोत्तम बजटों में से एक है; ऐसा इसके बावजूद है कि देश वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, यह जनोन्मुखी बजट है, उन्होंने किसानों को बचाने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

भारत निर्माण के मामले में काफी कार्य हुआ है। समय की कमी के कारण मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगी। मैं एक विनम्र सलाह देना चाहती हूं। यद्यपि हम इस सभा में कुछ सीखना चाहते हैं, तथापि, विगत चार वर्षों से हमें वाद–विवाद के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है। मैं अपने सभी वरिष्ठ साथियों से अनुरोध करती हूं कि वे संसद का बहुमूल्य समय वाद–विवाद में लगाएं। हमारे लिए सीखने का सबसे महान अवसर है। हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए; हम निश्चित रूप से उन कठिनाइयों को समझते हैं जिनका सामना अध्यक्षपीठ को करना पड़ रहा है।

इस अनुरोध के साथ मैं मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं; मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जब भी समय मांगा है हमने दिया है। आपने जितना कहा उतना ही समय दिया है। हमने कभी आपके समय को कम नहीं किया। मैं खास तौर से महिला मैम्बर्स को ज्यादा ही समय देता रहा हूं।

श्रीमती गीता पटैरिया (सिवनी) : मुझे आशा है कि हम पर भी आप ऐसी ही कृपा करेंगे जैसी आपने तेजस्विनी जी पर की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी उतना ही समय देंगे।

श्रीमती गीता पटैरिया : महोदय, जो बजट मंहगाई पर काबू न पाए वह असफल बजट है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं एनडीए के छः वर्षों में मंहगाई पर पूर्णतः काबू था और देश में जनता खुशहाल थी। ये हम ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। हम कहते हैं कि बार–बार लोकसभा भंग हो रही है और जल्दी चुनाव कराना है, सरकार जल्दी चुनाव करा दे ताकि एनडीए सरकार आए और जनता को चैन मिले, महंगाई पर काबू पाया जा सके।

वर्ष 2008–09 के बजट का आधार आर्थिक नहीं है बल्कि

[श्रीमती नीता पटैरिया]

राजनीतिक आधार है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा पड़ा हुआ है, जमीनें फट गई हैं, कुएं सूख गए हैं और पीने के लिए पानी भी नहीं है और जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें पाले के कारण चना, मसूर, मटर की फसलें चौपट हो गई हैं।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार से मांग भी की कि वहां के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए लेकिन जो बजट पेश हुआ उसमें मदद देने का अभाव पाया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि जनता के कष्टों को देखते हुए राजनीति न करें। व केंद्र में बैठे हुए हैं, वे दया करें और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मांग पर स्पेशल पैकेज दें ताकि जनता को चैन मिले।

(**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए।*)

अपराह्न 2.06 बजे

यह बजट न तो गरीबों का बजट है और न ही महिलाओं, किसानों का बजट है, यह बजट केवल वोटों का बजट है। चार साल तक किसी की चिंता नहीं थी ओर अब बड़े–बड़े आंकड़े बनाकर एक भ्रम और मायाजाल बनाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने भारत निर्माण के नाम पर भारत को तोड़ने वाला बजट बनाया है जो सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर बना है। अगर बजट बनाना सीखना है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी से सीखिए, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से जो भी बजट बनता है वह धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी और कष्ट के आधार पर बनता है। गरीबी और कष्ट की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, सबके पीड़ा और कष्ट एक से होते हैं। मेरा निवेदन है कि आप समाज और देश को तोड़ने वाला बजट न बनाएं बल्कि विकास के लिए बजट बनाएं, गरीबों के हित के लिए बजट बनाएं, केवल चुनाव के लिए बजट न बनाएं। अगर हम माननीय मंत्री जी से कहें कि उन्होंने देश को तोड़ने वाला बजट बनाया है तो वो हिन्दू गरीब हैं, के लिए अलग बजट में प्रावधान क्यों नहीं दिया? जो दिया भी है, उसकी राशि इतनी कम है जो उनके विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक एक कहावत कहना चाहती हूं, ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है – रंगा सियार, यानी कहना कुछ और मन में कुछ और, जो दिखे वह होता नहीं है। यही हाल इस बजट का है। यह बजट बजट नहीं है बल्कि चुनावी रंग में रंगा हुआ बजट है, एक भ्रमजाल और मायाजाल है। जनता भी इन टोटकों को खूब समझ गई है कि ये चुनावी टौटके हैं। जनता में भी यही मैसेज है कि चुनाव आ रहा है। इसलिए यूपीए सरकार ने जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा बजट पेश किया है जो दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और। गरीब जनता को सस्ता भोजन, सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सस्ती दवाएं चाहिए जो माननीय मंत्री जी नहीं दे पाए हैं। आटा, दाल, चावल, गेहूं, चीनी और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई मुंह फाड़े सुरसा की तरह बढ़ रही है। कारें सस्ती हुई हैं लेकिन आम जनता अन्न की जगह कारें और मोबाइल नहीं खा सकती है। उसे दो वक्त पेट भरने के लिए सस्ता गेहूं और दाल चाहिए, जिसका इस बजट में अभाव है, इसे बजट में सस्ता नहीं किया गया है। महंगाई पर वित्त मंत्री जी काबू नहीं पा सके हैं, यूपीए सरकार महंगाई पर काबू कर पाने में असफल है।

देश में विकास का क्या हाल है इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं, 30 साल पहले मेरे लोकसभा क्षेत्र सिवनी का निर्माण हुआ और नए परिसीमन में 30 साल बाद मेरा लोकसभा क्षेत्र समाप्त हो गया है। सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद होने के नाते मेरा इस बजट का आखिरी भाषण है। इन 30 सालों में अलग–अलग दलों के सांसद यहां जीत कर आए, हमें विश्वास है कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए मांग रखी होगी। हमारे यहां जो नैरो गेज है, इन 30 सालों में इस बारे में हमारे समेत जो सांसद यहां आए, उन्होंने मांग की, आंदोलन किए लेकिन आज तक वहां ब्रॉडगेज नहीं हो पाया है। लोकसभा बन भी गई और खत्म भी हो गई लेकिन एक इंच पटरी नहीं बदली। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पांच साल बाद भी जो छोटी रेल लाइन की पटरियां बिछी हुई हैं वे भी उखड़ने लगी हैं। हमारे सिवनी लोकसभा क्षेत्र में न तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और न ही कोई मेडिकल कॉलेज खुल पाया है। इस तरह से यह विकास की गति है, अगर इसी गति से हमारे देश का विकास होता रहा तो बेरोजगारी और गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती ही जाएगी।

माननीय सभापति जी, किसानों के बारे में बजट में बड़ा हो–हल्ला मचा है और दूसरी तरफ आज ही की ताजा खबर है, जब मैंने सुबह उठते ही समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें पहली खबर यही थी कि कर्जा माफ होने के बाद देश में तब से अब तक 34 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जबकि कर्जा माफी का इतना ज्यादा हल्ला मचाया गया। मैं समझती हूं कि जब तक किसानों की मूल समस्या दूर नहीं होगी, किसान कर्ज के जाल में उलझते रहेंगे। उन्हें खेतों में डालने के लिए समय पर खाद चाहिए, समय पर अच्छे प्रकार के बीज चाहिए, उन्हें समय पर सिंचाई के लिए बिजली चाहिए और समय पर उन्हें सिंचाई के लिए नहरों से पानी चाहिए और जब ये सब चीजें उन्हें प्राप्त होंगी, तभी उनकी समस्याएं दूर होंगी, केवल कर्जा माफ करने से समस्याएं दूर होने वाली नहीं हैं। आपने बैंकों वाला कर्जा माफ किया है। लेकिन ऐसे कितने किसान हैं, जो बैंकों से कर्जा लेते हैं और शहरों तक पहुंच पाते हैं। अधिकतर किसान अपने गांव के साहूकारों और महाजनों के कर्ज के जाल में फंसे होते हैं और उनका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है, फिर

उनके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अंत में हारकर किसान अपने कर्ज से बचने के लिए आत्महत्या करने की ओर बढ़ जाता है। इसमें भी इन्होंने किसानों के लिए दो हैक्टेअर की सीमा रखी है। मेरा संसदीय क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है और हमने देखा है कि जो किसान फटेहाल और बदहाल हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती गीता पटैरिया : सभापति जी, वैसे भी हमारा लोक सभा में आखिरी समय चल रहा है और जो समाप्त होने वाला व्यक्ति होता है, उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें ज्यादा समय दें। एक बार हमारे यहां बहुत गरीब फटे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आया। वह घी बेचने वाला था। हमने उससे घी खरीदते वक्त पूछा कि क्या तुम बहुत गरीब हो, क्या तुम्हारे पास जमीन आदि नहीं है। तब उसने बताया कि उसके पास साठ एकड़ जमीन है। उसके पास साठ एकड़ जमीन सुनकर एकदम हम घबरा गये। हमने कहा कि तुम साठ एकड़ जमीन के मालिक हो और ऐसे फटेहाल और बदहाल हो और गली–गली में घी बेच रहे हो। उसने कहा कि क्या करें, पूरी जमीनें पथरीली, अनउपजाऊ और असिंचित हैं, उनमें कुछ पैदा नहीं होता है, केवल नाम के लिए साठ एकड़ जमीन है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आपने दो हैक्टेअर तक जमीन वाले किसानों के कर्ज माफ किये हैं। आपने सिंचित और असिंचित का भेद नहीं किया है। हमारे क्षेत्र में तो ट्राइबल्स के पास भी दो हैक्टेअर से ज्यादा जमीनें हैं, परंतु उनकी हालत यह है कि उनके पास दो वक्त का खाना भी नहीं होता है, क्योंकि वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है। इस तरह से आपने दिखावे की बात की हैं, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मैसेज भी जाए कि हम किसानों के कितने बड़े मसीहा हैं और कुछ करना भी न पड़े, किसी को राहत भी न देनी पड़े। आपने ऐसे बंधनों में बांध दिया है कि किसी को राहत ही नही मिलेगी।

माननीय सभापति जी, किसान आयोग का गठन हुआ था और स्वामीनाथन जी ने उसमें सिफारिश की थी कि चार प्रतिशत ब्याज की दर पर किसानों को ऋण दिया जाए। इसलिए हमारा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे किसानों को चार प्रतिशत की दर ऋण दें।

महोदय, बजट में नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है ; जबकि नक्सलवाद और आतंकवाद से हर पल देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा रहता है। कल ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि नक्सलाइट्स ने अपना बजट पेश किया है कि उन्हें आतंक फैलाने के लिए कितने हथियार खरीदने हैं। इसलिए निवेदन है कि ज्यादा बनावटी बजट पास न करके हमारे देश की क्या आवश्यकताएं हैं, उनके लिए बजट पास करें।

मैं साइंस और टेक्नोलोजी कमेटी की सदस्या हूं और जब कभी हम दौरे पर जाते हैं तो हमने एक बात का एहसास किया है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वे कहीं न कहीं हतोत्साहित हैं। आज प्राइवेट सैक्टर में बहुत सारी अच्छी तनख्वाहें और सुविधाएं मिल रही हैं। परंतु आज के छात्र वैज्ञानिक बनना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि हमने कई जगह यह भी देखा है कि पी.एच.डी. करने वाले छात्र भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक ही समस्या रहती है कि पी.एच.डी. करके हम क्या करेंगे। यदि कोई वैज्ञानिक भी हैं तो वह आज की सारी व्यवस्थाएं देखकर हतोत्साहित हैं। जो हमारे देश के लिए 24 घंटे अनुसंधान करते हैं, हमें उनके लिए चिंता करनी होगी और वैज्ञानिकों के लिए भी हमें अलग से कुछ न कुछ करना होगा।

जल संरक्षण की दिशा में भी हमें कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है और सूखा और बाढ़ से हमारा देश प्रभावित हो रहा है। इसलिए जल संरक्षण के उपाय किये जाएं। मध्याह्न भोजन में यहां से जो राशि दी जाती है, वह एक बच्चे के अच्छे भोजन के लिए बहुत कम होती है, ऊपर से उसमें खाना बनाने वाले और ईंधन आदि चीजें भी उसमें लगती हैं। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह प्रावधान करे कि उसमें एक कर्मचारी खाना बनाने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं हों, जिससे राज्य सरकारों पर भार न पड़े।

खेलों के लिए भी हमें उचित बजट का प्रावधान करना चाहिए। अभी हाकी में हमारे देश का जो हश्र हुआ है और हम सब शर्मिंदा हुए, वह हश्र हम सब देख चुके हैं। हमें अपने देश के खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए, जिससे उनका हौंसला बढ़े, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे लोग देश का नाम रोशन करें।

अंत में मेरा यही कहना है कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन्हें सरकार दूर करे। सिर्फ कर्ज माफ कर देने से उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। इसके अलावा सरकार दाल, चावल, गेहूं, गुड, शक्कर और गैस सिलेन्डर सस्ता करे, जो गरीब जनता की जरूरत हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री फ्रांसिस्को फैरन्डम** (नामनिर्दिष्ट) : सामान्य बजट 2008–09 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस वर्ष का बजट समावेशी बजट, सतत विकास के प्रतिमान का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

समाधान करता है जिसके परिणामस्वरूप भारत विकास होगा। महोदय, हम निर्धनता, अज्ञान तथा रोग से अपने लोगों को मुक्त करने की चुनौती का मुकाबला करेंगे तथा उन तक नागरिक समाज की स्वतंत्रता के फलों को उन तक ले जाएंगे जो कि मुक्ति का समारोह होगा।

इस वाद विवाद में में निम्नांकित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करूंगा:

इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि बजट ने भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अथवा सामाजिक रूप से समावेशी जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन तथा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के विविध क्षेत्रों में सरकार की न्यूनतम साझा कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार समावेशी विकास की संकल्पनाओं तथा कार्य-निष्पादन को शामिल किया है।

1. शिक्षा :

इस संदर्भ में मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में 410 अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा। इसके साथ ही योजना अवधि के दौरान आई. आई. आई. टी. एम. टी. तथा आई. एस. एस. ई. आर., प्लानिंग तथा वास्तुकला के दो स्कूल तथा सोलह केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। विशेष रूप से मैं वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने की दूरदर्शी योजना की प्रशंसा करना चाहूंगा जिसे इस बजट में 85 करोड़ रुपए के प्रावधान से शुरू किया गया है। 'इन्सपायर' कार्यक्रम में युवा अध्येताओं के साथ ही सेकेंडरी तथा उच्च शिक्षा विज्ञान ग्रैजुएट को छात्रवृद्धि दी जाएगी ताकि वे ज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण करने की चुनौती के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विज्ञान प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना तथा पाठ्यक्रम ढांचा विद्यमान होना चाहिए : स्कूलों, कालेजों तथा युनिवर्सिटी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि इन विद्यार्थियों को अपेक्षित क्षमता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इस पहल के साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य विश्वस्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम आरम्भ करना है। यह काफी वांछित पहल है ताकि उद्योग जगत को राष्ट्र की धार बनाए रखने के लिए कार्मिक मिल सके।

2. स्वास्थ्य परिचर्या :

महोदय, 462000 आशा केंद्र (एशोसिएटेड सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की स्थापना के साथ ही स्वास्थ्य परिचर्या संघटक को विशेष स्थान मिला है, युवा माताओं तथा बच्चों की आवश्यकताओं के लिए आई. सी.डी.एस. कार्यक्रम को अतिरिक्त सहायता सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

3. कृषि :

महोदय, समावेशी विकास विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहनों तथा संवेदनशीलताओं पर ध्यान केंद्रित कर किया जाता है। जबकि ऋण माफी तथा किसानों के लिए एककात्मिक निपटान पर विभिन्न दिशाओं में काफी चर्चा हुई है। आधारभूत बात यह है कि कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% वृद्धि के लक्ष्य की, प्रक्रिया शुरू करने से पहले अवसरों की समानता का सृजन करना न्यायसंगत हो गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने स्टार्टलाइन नियोजन शुरू करने के पश्चात कृषि ऋण के लिए 2.80 हजार करोड़ रुपए तथा 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज आर्थिक सहायता के लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 7% की दर पर ऋण अदायगी करना विकासशील अर्थव्यवस्था के ही नहीं बल्कि किसी भी अर्थव्यवस्था के कमजोर तबकों के लिए काफी ऊंचा है।

महोदय, वित्त मंत्री ने 7% पर ब्याज आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान किया है, अगर इसे घटाकर 4% की दर पर कर दिया जाए तो 1000 करोड़ रुपए की बचत प्रभावित होगी, जिससे कृषि क्षेत्र को और भी बढ़ावा मिल सकता है।

महोदय, समग्र विकास की रचना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में निवेश शामिल होता है तथा ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 400 के. हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर रूपान्तरण है।

उल्लेखनीय वृद्धि-प्राप्त करने के लिए सरकार को कृषि बीमा योजना तथा सहकारी ऋण योजना को और धनराशि दिए जाने की आवश्यकता है।

4. अल्पसंख्यक :

महोदय, मैं राष्ट्र निर्माण एवं स्वतंत्रता की प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अवसरों के सृजन हेतु संसाधनों को बढ़ाए जाने के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं।

न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए लगभग 16 करोड़ अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये का आबंटन किया जाना प्रशंसनीय है। देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले में इससे निकलने वाले परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

5. महिलाएं :

महोदय, मैं वर्तमान में लागू महिला हितैषी पहलों की प्रशंसा के साथ ही साथ महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के लिए आबंटन में 24% की वृद्धि करने के लिए भी प्रशंसा करता हूं। महिलाओं का समग्र विकास करने के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री द्वारा इसके साथ–साथ आंगनबाड़ी कामगारों एवं सहायकों के लिए मुआवजे में वृद्धि के लिए संसाधन उपलब्ध करना जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। असमान लिंगानुपात के बावजूद देश में महिलाओं की संख्या आधी से भी ज्यादा है। यह सही है कि उन्हें शामिल करने से अतिआवश्यक ध्यान दिए जाने की मांग पूरी हो गई है।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट न केवल इसीलिए लोकप्रिय है। क्योंकि इसमें समग्रता एवं महिलाओं को शामिल करने की नई पहलों की शुरूआत की गई है अपितु इसमें कृषि क्षेत्र की ऋण संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया गया है। इस महान देश के भविष्य के विकास के ईंजन को नई शुरूआत देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, महिला अधिकारिता एवं कौशल विकास महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने इस वर्ष के बजट 2008–2009 पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो बजट आदरणीय चिदम्बरम जी ने इस सदन में रखा है, इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री और हमारी यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट में जो भी सुविधाएं हमारे किसानों, गरीब लोगों को, मजदूरों को, सरकारी कर्मचारियों को और महिलाओं को दी गई है, इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

जैसा कि भारत निर्माण में चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, चाहे राजीव गांधी ड्रिंकिंग वॉटर मिशन हो, चाहे वह रूरल हैल्थ मिशन हो, चाहे वह दूसरे कार्यक्रम हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इस बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है। इसके साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। खेती के क्षेत्र में इस बजट में जो बढ़ोतरी की गई है और बड़े लम्बे समय से जो हमारा किसान खासकर गरीबी में था, कर्जे में था, सरकार ने उनके कर्ज माफ करके सबसे ज्यादा राहत पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

इस बजट की जो रुपरेखा है, उसमें गांवों की तस्वीर झलकती है और इस बजट से पता चलता है कि यह सरकार गांवों की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। इस सरकार का नारा यही है कि चलो गांवों की ओर कि वहां पर सड़कें अच्छी हों, पीने के पानी की पूरी सुविधा हो, बिजली का प्रावधान हो और वहां पर जो खेत–खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको हर किस्म की सुविधा दी जाए। मैं देखता हूं कि बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत से क्षेत्रों के लोग पलायन करते हैं और जब उन असंगठित मजदूरों को मैं हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के इलाकों में या जम्मू–कश्मीर के उन दूर–दराज के इलाकों में देखता हूं, उत्तरांचल के दूर के क्षेत्र में उनको मजदूरी करते हुए देखता हूं तो मैं खुद यह महसूस करता हूं कि वहां की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए बड़े पैमाने पर वहां से पलायन किया जाता है। इसलिए आज सरकार ने जो लोग पलायन करने वाले हैं, उनके लिए भी बीमा योजना का प्रावधान असंगठित मजदूरों के प्रावधान में से किया है, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत सा पैसा एग्रीकल्चर सैक्टर में दिया है। आज मैं देख रहा था कि 50 करोड़ रुपया, मोबाइल लैब्स जिन्हें टैक्सिंग लैब के लिए सरकार ने भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में देने का प्रयास भी किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसमें जब तक इस देश का लैंड–यूज प्लानिंग प्रोपर नहीं होगी, हम किसान की गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा विशेषकर वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि हिन्दुस्तान के ब्लॉक स्तर तक लैंड यूज प्लानिंग की जाए। हरेक छोटे से छोटे खेत तक एक किसान को, साइंटिस्ट को वहां पहुंचना होगा और उस लैंड यूज प्लानिंग में लार्ज स्केल मैप्स किए जाएं और देखा जाए कि कौन किसान किस प्रकार की उपज पैदा करता है, छोटा किसान क्या पैदा करना चाहता है। इसलिए मेरा निवेदन है और मैं हर बजट चर्चा में कहता हूं कि जब तक इस देश की मिट्टी का लैंड यूज प्लानिंग, क्राप पैटर्न किसान नहीं बदल सकता है, तब तक किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। आज सर्वे ऑफ इंडिया के पास लैंड यूज प्लानिंग के बहुत अवसर हैं। कृषि यूनिवर्सिटीज उनके साथ–कोऑर्डिनेट करके वैज्ञानिक खेत पर जायें और बड़े पैमाने पर नक्शे बनाये जायें। ब्लाक स्तर पर सीमा बनाकर जैसी मिट्टी जैसा क्लाइमेट, उसी प्रकार का लैंड यूज मैप बनाकर सारे हिन्दुस्तान के लिये एक अलग से पैटर्न बदला जाये, यह मेरा विशेष सुझाव है। मैं चाहता हूं कि 11वीं योजना लैंड यूज प्लानिंग का प्रावधान होना चाहिए। यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनैंस बैठे हुये हैं। अगर इस तरह का कोई–प्रोग्राम हो जायेगा तो हर किसान को खेत की मिट्टी का पता होगा, क्लाइमेट क्या है, बीज कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का फर्टिलाइजर देंगे तो यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा। आपने किसानों के लिये कर्ज माफ किये हैं, करोड़ों रुपये

[प्रो. चन्द कुमार]

सब्सिडी के रूप में उन्हें दे रहे हैं लेकिन प्रापर लैंड यूज प्लानिंग नहीं है। मुझे याद है कि एक समय श्री एल. डी. स्टेन ने ग्रेट ब्रिटेन के लिये यह प्लान बनाया था। उसके बाद चीन के लिए और फिर जापान के लिये बनाया। अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि वे देश कितना आगे बढ़ गये हैं? इसलिये यहां भी यह अनिवार्य रूप से होना चाहिये।

सभापति महोदय, आज यू. पी., हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। हिमालय से निकलने वाली गंगा और यमुना का जल स्तर कम होता जा रहा है। 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हिमालय डेवलपमेंट अथौरिटी का गठन किया था। हिमालय से लगते हुये जितने प्रदेश हैं, वहां पर जंगलों में ज्यादा प्लांटेशन के लिये योजना बनाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि जितना कैचमेंट ऐरिया है, उसे डिटैक्ट किया जाये। आज हम देख रहे हैं कि गंगा, यमुना, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी कम हो रहा है। इसके लिये हमें सोच करनी पड़ेगी, एक लांग टर्म स्ट्रेटजी बनानी होगी कि कैसे नदियों का जल बढ़ाया जाये? मुझे अफसोस है कि स्व. राजीव जी का यह सपना पूरा नहीं किया जा सका है कि हम हिमालय डेवलपमेंट अथौरिटी द्वारा वहां के जंगलों में ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करके नदियों में पानी का स्तर बढ़ायेंगे। हमें फॉरेस्ट पॉलिसी को बदलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, कल मेरे एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि अभी तक हिन्दुस्तान में कोई फॉरेस्ट पौलिसी नहीं बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि फॉरेस्ट पौलिसी की परिभाषा को बदलना पड़ेगा फॉरेस्ट में प्लांटेशन के लिये नीति बनानी पड़ेगी ताकि कैचमेंट ऐरियाज़ में पानी बढ़ाया जा सके। एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। सरकार को बजट में इस बात के लिये प्रावधान करना चाहिये।

सभापति महोदय, फाईनैंस मिनिस्टर ने आज कहा है कि क्लाईमैटिक चेजेंज हो रहे हैं। उसके लिये एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें वैज्ञानिक होंगे जो अपने सुझाव देंगे। मैं चाहूंगा कि इस ग्रुप में अच्छे एक्सपर्ट्स लोग जो प्रैक्टिकल बात करें। इसके लिये सेमिनार होने चाहिये। केवल गोष्ठियां करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिये प्रागमैटिक अप्रोच होनी चाहिऐ। जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, उसके लिए एक लांग टर्म स्ट्रेटिजी बनानी पड़ेगी।

सभापति जी, मुझे यह कहते हुये खुशी हो रही है कि इस बजट में क्रॉप इन्श्योरैंस स्कीम को बढ़ाया गया है। पहले यह स्कीम केवल रबी और खरीफ फसलों तक थी लेकिन आज क्लाइमैटिक जोन का जिक्र करके जहां ओलावृष्टि होती है, पानी की कम मात्रा होती है, रेलफाल कम है, उन्हें क्लाइमैटिक जोन में बांटकर वहां के लोगों को भी क्रॉप इन्श्योरैंस स्कीम के तहत लिया गया है। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो इंश्योरैंस स्कीम में लाई गई हैं जिनमें बहुत सी कैश क्रॉप्स हैं। इनमें चाय, रबड़, तंबाकू, चीनी अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची है। मैं यह भी चाहूंगा कि जिन एरियाज़ में ज्यादा हॉर्टिकल्चर होती है, उनको भी इंश्योरैन्स स्कीम में लाया जाए ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। इसके साथ साथ हमारे यहां जो सैक्टोरल प्लानिंग है, बहुत सा पैसा हम स्टेट्स को देते हैं। मैं स्टेटस रिपोर्ट में देख रहा था कि जो पैसा हमने दिया, चाहें वह सड़कों के लिए दिया, राजीव गांधी ड्रिंकिंग वॉटर मिशन पर दिया या दूसरे कमीशंस पर दिया, बहुत सी स्टेट्स ने 50 प्रतिशत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। आज हम देखते हैं कि करंट फाइनैंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होने वाला है और बहुत सी स्टेट्स का पैसा खुर्द-बुर्द होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

प्रो. चन्द कुमार : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छा मॉनीटरिंग सेल स्टेट और सैन्ट्रल लैवल पर होना चाहिए जिसकी क्वार्टरली मॉनीटरिंग होनी चाहिए। जो पैसा हम स्टेट्स में देते हैं, उसका ठीक पैसा स्टेट्स में लगना चाहिए। आज जो भी पैसा हम स्टेट्स को एलोकेट करते हैं, वह एवरेज पैसा 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं होता, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहें बागवानी के क्षेत्र में हो या सिंचाई की व्यवस्था में हो। इसलिए इसकी प्रॉपर मॉनीटरिंग होकर क्वार्टरली उसको रेव्यू किया जाए। जो स्टेट्स उस पैसे को समय पर खर्च नहीं करतीं, उनको पैनलाइज़ किया जाए और आगे उनको उतना ही कम पैसा दिया जाए क्योंकि उनकी परफॉर्मैन्स ठीक नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर से इस बजट का समर्थन करता हूं और इस बजट के लिए मैं एक बार फिर आदरणीय चिदम्बरम जी को बधाई देता हूं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए बजट को "लोकप्रिय बजट" कहा जा सकता है लेकिन "जनहितैषी बजट" नहीं कहा जा सकता है। इसमें निश्चित ही कुछ बहुत अच्छे पहलु हैं जैसे लघु तथा सीमान्त किसानों के ऋण को माफ किया जाना। लेकिन साथ ही साथ इससे किसानों की समस्याओं का केवल अस्थाई समाधान होगा। कर्ज की माफी केवल पांच एकड़ वाले उन्हीं किसानों पर लागू की गई है जिन्होंने अनुसूचित बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से ऋण लिए हैं। परंतु डॉ. सी. रंगराजन समिति रिपोर्ट के अनुसार इन औपचारिक स्रोतों से केवल 27 प्रतिशत किसान ही कर्ज लेते हैं। अन्य किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं।

हालांकि माननीय वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि इस योजना से सरकार पर 50000 करोड़ रुपये बोझ पड़ेगा। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि इस पर मात्र 23000 करोड़ रुपये का ही बोझ पड़ेगा। आखिर सच्चाई क्या है? हम चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री तथ्यों की व्याख्या करें।

ऋण माफी योजना के संबंध में दो या तीन समस्याएं हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस देश में लगभग 12,29,000 किसान हैं। केवल तीन करोड किसान ही इस ऋण माफी योजना से लाभान्वित होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऋण माफी योजना में केवल संस्थागत ऋण ही शामिल है। इसमे साहूकारों से लिए गए ऋणों को शामिल नहीं किया गया है। पांच एकड़ की सीमा से उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। पिछड़े और अतिवर्षाग्रस्त क्षेत्रों में दस एकड़ से भी अधिक स्वामित्व वाले किसानों को छोटे किसानों के रूप में देखा जाता है क्योंकि इनकी उपज कम होती है। अधिकांश आत्महत्याएं इन्हीं क्षेत्रों में हुई हैं। अतः इस पैकेज का लाभ उन किसानों को भी दिया जाए।

अन्य किसानों के मामलों में बजट में 75% शेष ऋण राशि की एक मुश्त अदायगी किए जाने पर 25 प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि हम किसानों को एक बार फिर ऊंची दरों पर ऋण लेने के लिए साहूकारों के पास भेज रहे हैं। इसके स्थान पर इन किसानों को सीधे तौर पर 25 प्रतिशत या 50 प्रतिशत ऋण माफी दी जाए।

लंबे समय से यह मांग चली आ रही है कि किसानों को 4 प्रतिशत की दर से ऋण दिए जाएं लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। हमारा प्रस्ताव है कि ऋण माफी योजना उन किसानों पर भी लागू होनी चाहिए जिन्होंने साहूकारों से ऋण लिए हैं। साथ ही हमारी मांग है कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता के दीर्घकालिक और स्थाई समाधान हेतु एक राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण सहायता आयोग का गठन किया जाए। इसका कारण यह है कि देश में अभूतपूर्व संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चार प्रतिशत की दर से किसानों को ऋण उपलब्ध कराना एक स्थाई समाधान है। दुर्भाग्य से प्रेस के एक वर्ग ने इसकी आलोचना भी की है जो कि सही नहीं है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तथा इस साहसिक कार्य के लिए वित्त मंत्री की सराहना करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो भी किया गया है इसका केवल आंशिक असर ही होता है। हालांकि इस बजट की चुनावी बजट बताकर आलोचना की गई है, कम से कम चुनाव के नाम पर ऐसा किया गया है तो यह अच्छी बात है।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय बजट में जो लिया गया है वह है आयकर की न्यूनतम सीमा को बढ़ाया जाना। यह समाज के एक वर्ग, विशेषकर मध्यम वर्ग तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा। परंतु जिसे प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये की आमदनी हो रही है और जिसे प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये का आमदनी हो रही है दोनों को तीस प्रतिशत आयकर देना होगा। कराधान का यह तरीका सर्वथा अनुचित है। इसके बदले होना यह चाहिए कि अति धनाढ्य व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाए। यह खेद की बात है। इन करोड़पतियों पर कर लगाने के विषय में कुछ भी नहीं किया गया है जो राष्ट्रीय सम्पदा का एक बहुत बड़ अंश हड़प रहे हैं। यह शर्मनाक बात है कि इस देश में एक व्यक्ति–तो प्रति मिनट 40 लाख रुपये कमाता है जबकि बहुत से लोग घोर गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

सरकार यह दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। वास्तविकता यह है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का फल समाज में समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है। अमीर और गरीब की खाई चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार आज भी 83.6 करोड़ भारतीय अर्थात 77 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह समाज के कमजोर तथा उपेक्षित वर्ग हैं। ये आंकड़े हमारे सामने हैं। कल के समाचारों में यह था कि आठ अति धनाढ्य भारतीयों ने सुपरसोनिक जेट विमानों की खरीद के आदेश दिए हैं। जिनका लागत मूल्य 300 करोड़ रुपये है। ऐसे में सरकार कैसे कह सकती है कि प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह 53 अति धनाढ्य परिवारों जिनकी संयुक्त सम्पति 341 बिलियन डॉलर है जो कि लगभग 14 लाख करोड़ रुपये है को अलग कर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पेश करे। इस आय को अलग करने के पश्चात भारतीयों की प्रतिव्यक्ति औसत आय की गणना करने पर ही उनकी वास्तविक प्रतिव्यक्ति औसत आय आएगी। यह निश्चित रूप से समग्रकारी विकास नहीं है बल्कि सीमित विकास है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की दुर्दशा को व्यक्त करता है। बजट में देश के असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई है। इसके अलावा, देश में कुल श्रम शक्ति का 92 प्रतिशत असंगठित मजदूर है तथा इस बजट में उनके लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है।

सरकारी कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे रही है। अमीरों को बहुत से गुप्त तरीकों से राजसहायता मिलती है। उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में कटौती ऐसा ही एक तरीका है। हमारे अनुमान के अनुसार सरकार को चालू वर्ष के दौरान व्यक्तिगत एवं निगम कर दाताओं को दी गई विभिन्न छूटों, रियायतों तथा राहतों के कारण 2]78,644 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है। यह कुल कर संग्रहण का 48 प्रतिशत है। यदि इस धनराशि का संग्रहण किया जाए तो सरकार के न केवल किसानों का ऋण माफ करने में आसानी होगी बल्कि कृषि क्षेत्र को ब्याजमुक्त ऋण भी दिए जा सकेंगे तथा असंगठित लोगों के कल्याण पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। इस बजट में बढ़ती–हुई मूल्यवृद्धि एवं महंगाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि योजना आयोग और सरकार समावेशी विकास की बात बहुत करती है परंतु इस बजट में समाज के एक बड़े तबके को लाभ नहीं मिलने वाला है। मुझे खेद है कि आज हम भारत में लोक कल्याणकारी समाज नहीं

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

बल्कि एक कारपोरेट समाज बना रहे हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत 128वें स्थान पर है जो यह दर्शाता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं। इस बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मुझे यह जानकर धक्का लगा कि राजग के मेरे कुछ साथी इसे साम्प्रदायिक बजट बता रहे हैं। मेरा मानना है कि आबंटित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है। इस बात को समझा जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह बजट एक साम्प्रदायिक बजट है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक आबंटन किया गया है। इसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई है लेकिन यह वृद्धि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा और स्वास्थ्य पर 4 प्रतिशत धनराशि खर्च किए जाने का संकल्प लिया गया था। लेकिन इसे अभी लागू किया जाना है। कुल मिलाकर बजट और सामान्य आर्थिक नीतियों ने आय के अंतर को कम करने के बजाय बढ़ाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट किसानों और मध्य वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है लेकिन वास्तव में ये बजट अमीरों के हितों को साधने वाला बजट है। वास्तव में इस बजट में निर्धन लोगों के विशाल वर्ग के कल्याण की अनदेखी की गई है। संकट में चल रहे कृषि क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए दीर्घावधि और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए आंगनवाड़ी और कार्यकर्ताओं और सहायकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट में वृद्धि करना एक अच्छा उपाय है। लेकिन हम आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाए गए साप्ताहिक 60 घंटे की कार्य अवधि के संबंध में चिंतित है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक लम्बी लड़ाई के बाद काम करने वाले वर्ग के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की कार्यवधि निर्धारित कराने में कामयाबी मिली है। सरकार को इसे ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को आगे से इस बारे में सावधान रहना चाहिए। बजट में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेची जाएगी। यह ठीक नहीं है। यह कुछ घरेलू जेवरात बेचने जैसा ही है जो केवल दुख और जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो। तब किया जाता है। सरकारी क्षेत्र का बचाव किया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह अमीर और बहुत अमीर लोगों पर कर लगाए ना कि सरकारी क्षेत्र को तबाह करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं चिदम्बरम जी द्वारा प्रस्तुत बजट को लोक-लुभावन चुनावी बजट कहना चाहूंगा यह बजट गरीब विरोधी है, आम आदमी के हितों के विरुद्ध है, गरीब और अमीर की खाई को बढ़ाने वाला है। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया को बढ़ाने वाला और भारत को गिराने वाला है। मुद्रास्फीति एवं महंगाई को बढ़ाने वाला है इन्होंने जो सर्व समाज के विकास का दावा किया है, मैं समझता हूं कि वह थोथा है।

महोदय, यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला है। मैं एक गांव में गया था, वहां के लोग नारे लगा रहे थे कि "कांग्रेस का देखो खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल।" यह महंगाई को इंगित करने वाला कि खान-पान और आम उपभोग की वस्तुएं किस तरह से महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह से रामायण में आता है कि श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जब सुरसा आती है, "जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता तो दूण कपि रूप दिखावा।" जैसे-जैसे सूरसा अपना मुंह फैलाती है, हनुमान जी उससे दुगने हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे-जैसे यह सरकार मुद्रास्फीति को कम करने की बात करती है, महंगाई पर मगर के आंसु बहाती है, लेकिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और उपभोक्ता वस्तुएं दिन-दूनी रात-चौगुनी महंगी होती जा रही हैं।

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कोट करना चाहूंगा। "खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि से रसोई का बजट प्रभावित" मैं आपको केन्द्रीय भण्डार के रेट बताना चाहूंगा। केन्द्रीय भण्डार में एक लीटर धारा रिफाइण्ड अक्तूबर-दिसम्बर में 70 रुपये लीटर था और 29 दिसम्बर को 78 रुपये लीटर और 23 फरवरी को 84 रुपये लीटर, 8 मार्च को 90 रुपये लीटर हो गया है। फार्चून सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल 1 दिसम्बर को 72.50 रुपये लीटर था, 29 दिसम्बर को 76.50 रुपये लीटर, 23 फरवरी को 87 रुपये लीटर और 8 मार्च को 92.50 रुपये प्रति लीटर था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका बजट आने के बाद में और भाव बढ़ रहे हैं। पामोलीन ऑयल से गरीब भी काम चलाता है, इसका एक लीटर का भाव एक दिसम्बर को 57.50 रुपये, 29 दिसम्बर को 59 रुपये और 29 फरवरी को 60.50 रुपये और आठ मार्च को 63. 50 रुपये हो गया। एगमार्क सरसों का तेल इतना महंगा हो गया कि आम आदमी, गरीब आदमी भी अब सब्जी छोंककर नहीं खा पाएगा। मस्टर्ड ऑयल की क्या स्थिति है, एक दिसंबर को 65.50 रुपये, 29 दिसम्बर को 67.50 रुपये, 23 फरवरी को 71 रुपये और 8 मार्च को 76.50 रुपए इसका भाव था। ...*(व्यवधान)* सफोला का जो दो लीटर वाला डिब्बा आता है, उसका भाव 23 फरवरी को 245 रुपये से और 8 मार्च को 253 रुपये हो गया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाव किस प्रकार से आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी का जीना कैसे दूभर हो गया है और ये कांग्रेस के लोग किस प्रकार से अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि आहा, हमने बड़ा वैसा बजट, सब को खुश करने वाला पेश किया है। यह चुनावी टोटका ज्यादा चलने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है, वह सब समझती है। अगर ये इतना ही करने वाले थे, किसानों के लिए आंसू बहाने वाले थे तो चार साल तक कहां गये? चार साल तक हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली यह सरकार और सरकार के समर्थक कहां गये? आज किसानों के कर्ज के नाम पर ये कहते हैं कि हमने किसानों के इतने कर्ज माफ कर दिये।

मैं आपके माध्यम से इस सरकार के बहरे कानों तक याद दिलाना चाहता हूं कि 1989 में जब वी.पी.सिंह हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और बी.जे.पी के द्वारा समर्थित और हमारे लैफ्टिस्ट बंधु भी उस सरकार के समर्थक थे। उस समय में दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये थे। उस समय कांग्रेस के लोग गली–गली और घर–घर जाकर कह रहे थे कि यह ढकोसला है, यह धोखा है, कर्जे माफ नहीं हो सकते, पैसा कहां से लाएंगे, बैंकों का दिवाला निकल जाएगा, यह कांग्रेस के लोग कहते थे, लेकिन आज चमत्कार को नमस्कार है। आज 18 साल के बाद वहीं कांग्रेस उन्हीं किसानों के कर्जे माफ करके वाहवाही लूटना चाहती है, यह इससे अंदाजा लग सकता है।

मैं महंगाई के बारे में चर्चा कर रहा था। मैं एक महिला को कोट करना चाहूंगा, क्योंकि वह गृहिणी भी है, गृहलक्ष्मी भी है, वही बाजार से खरीदकर सामान लाती है। उसने क्या कहा:

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार बिक्री केन्द्र की अपनी यात्रा के दौरान खाद्य तेलों की मूल्य सूची देखकर मैं हैरान हो गया। घी और तेल जैसे समान उत्पादों के मूल्यों में इतना अंतर क्यों है? इस संबंध में ईस्ट ऑफ कैलाश में रहने वाली एक गृहिणी श्री प्रतिभा सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का आम आदमी संबंधी घोषणा पत्र एक छलावा है।"

[हिन्दी]

यह केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे राजधानी दिल्ली का हाल है, तो फिर राज्यों की क्या स्थिति होगी, गांवों के अंदर क्या स्थिति होगी, इसका हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। यह तो महंगाई की बात हो गई। इस बजट से कारें सस्ती हो गई और रोटी महंगी, पानी महंगा, शक्कर महंगी और गेहूं महंगा, दूध महंगा, ए.पी.एल. और बी.पी.एल. गेहूं दुकानों के ऊपर मिल नहीं रहा और सब उपभोक्ता वस्तुएं महंगी हो गई, इसलिए आज लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसके लिए कांग्रेस की महंगाई को बढ़ाने वाली नीतियां जिम्मेदार है।

आपने पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये, ये तो खुश हो रहे हैं कि हमने दाम बहुत कम बढ़ाये। दाम बढ़ने से रोडवेज का किराया महंगा हो गया, अब बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। दूसरी जगह, किसानों के ट्रैक्टर के लोन के लिए और खाद में, हर चीज की कीमतें आगे बढ़ती चली गईं और अब तो आज के अखबार में आया है कि सेंसैक्स लुढका, दुनियां के बाजार में तेल उछला और सोना सुर्ख, यह इनकी नीतियों का नतीजा है। पहले ये कहते थे कि ओहो, यह हमारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव है कि हिन्दुस्तान में इतने लोग अमीर हो गये हैं, सेंसैक्स इतना ऊंचा चला गया है। अब सेंसैक्स लुढक रहा है, बेचारे लाखों छोटे–छोटे निवेशक पछता रहे हैं, अपना माथा कूट रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई। सोना तो कितना महंगा हो गया, अब शादी के दिन आ रहे हैं, अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है, आखातीज के ऊपर जैसे–तैसे एक सुहाग का चिन्ह या कानों के लिए वह खरीदने बजार में जायेगा ...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने शुरू ही किया है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको आठ मिनट हो गये हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : अभी मैंने महंगाई वाली बात कहीं, अब कर्जे वाली बात रखना चाहता हूं।

मान्यवर हम पत्तों को पानी दे रहे हैं, लेकिन मूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में मर जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि आजादी के बाद 45–46 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस ने किसानों के नाम पर राज तो किया, कभी गरीबी हटाओ का नारा, कभी कोई नारा लगाया, लेकिन किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। चिदंबरम साहब, महंगाई बढ़ाने वाला यह बजट, आम–लोगों के जीवन को दूभर करने वाला है। आप आदमी की बात कहते हैं, लेकिन आप इसमें खास आदमी की बात कहते हैं। आप तो उदारवादी हैं, आप तो वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे की कैसे पूर्ति करें, इसके बारे में सोचने वाले थे। आप कैसे इन चक्करों में आ गए? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है, कुछ तो जनता को दिखायें। इन्होंने 60 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया, ये अपने मुंह मियां मिट्ठु बन रहे हैं और कहते हैं कि इससे चार करोड़ किसानों को फायदा होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने एक हैक्टेअर और दो हैक्टेअर का नाम लिया, लेकिन जमीन सिंचित है, असिंचित है, पथरीली है, पहाड़ी है, बुआई वाली है या ऊबर है, वह किसान की कौन सी किस प्रकार की जमीन है? जिस किसान के पास पट्टा होगा, जिसके रिकार्ड में या पास बुक में होगा, वह तो बेचारा थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है और क्लेम कर सकता है, लेकिन उसमें उसका नाम ही नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मेरे दादा के नाम आज तक जमीन चढ़ी हुयी है। मैं जाउंगा और कहूंगा कि मेरा कर्ज माफ कर दो, मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे में किसान भटकता रहेगा, लेकिन आपने इसके बारे में नहीं बताया। अच्छा होता कि पचास हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक के कर्जे सारे हिंदुस्तान के किसानों के आप माफ कर देते। कम से कम इससे कोई सीमा तो रहती। आपने साठ हजार करोड़ रुपए राशि बता दी और एक हैक्टेअर, दो हैक्टेअर भी बताया, लेकिन कहीं पांच बीघा जमीन पर कुछ पैदा नहीं होता और मान लिया बोया तो सब कुछ चौपट हो गया या अकाल पड़ गया, या

[प्रो. रासा सिंह रावत]

और कुछ आपदा हो गयी। बैंकों से ऋण लेते ही कितने किसान है? साहूकारों के चुंगल से किसानों को मुक्त कराया जाए।

सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त करिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। किसानों की कर्ज से मुक्ति किस प्रकार से हो? यह आपके इस काम से नहीं होगी। अभी-अभी मैं एक अखबार में बात पढ़कर आया हूं। मैंने उसको एक तुकबंदी के रूप में जोड़ा है। "अब भी किसान दे रहे हैं जान।" यहां कर्ज माफी की घोषणा हो गयी और आज के अखबारों में आया है कि 34 किसान महाराष्ट्र में, विदर्भ के अंदर, जहां के कृषि मंत्री जी हैं, आपमें होड़ लगी हुयी है, बड़े-बड़े पेजों में विज्ञापन आ रहे हैं कि किसकों श्रेय मिले। शरद पवार जी कहते हैं, कि मैंने पहले कर्ज माफी की बात कही, सोनिया जी कहती हैं कि मैंने पहले कर्ज माफी की बात कही। इसके लिए सब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र में "अब भी किसान दे रहे हैं जान, नहीं है इस सरकार को कुछ भी ज्ञान और नहीं रख पा रही है यह किसानों की आन।" साहूकारों के चुंगल से किसान कैसे मुक्ति पाएगा?

मान्यवर, 74 प्रतिशत किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं। उसकी ब्याज की दर ज्यादा होती है। उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। स्वामीनाथन और राधाकृष्ण की रिपोर्टें इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दी। उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ब्याज की दर कम करिए। उसे चार प्रतिशत लाइए, लेकिन उसके बारे में ये भूल गए और कानों में तेल डाल दिया। उन सारी बातों को भूलकर, साठ हजार करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं। मान्यवर, यह भी एक प्रकार से भ्रम है। हालांकि हम किसानों के हमदर्द हैं, किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है, किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, किसान की हर सुविधा हम भी चाहते हैं। किसानों के साथ यह जो भ्रम कर्ज माफी के नाम पर किया गया है, मैं चाहूंगा कि इसकी सीमा बढ़े। इसे दो हैक्टेअर तक नहीं, यह कम से कम पांच-दस या पन्द्रह हैक्टेअर तक बढ़े और जो 31 मार्च की जो सीमा है, और जो आगे की सीमा तय की गयी है, उस सीमा को हटाएं और गावं के किसानों के पचास हजार रुपए से एक लाख रुपए तक के कर्जे माफ करें तभी किसान को फायदा होगा ... *(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : आप कांक्ल्यूड करिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, रोजगार योजना के अंदर पहले कम जिले थे। उस समय कुछ राशि इसके लिए रखी गयी थी, लेकिन सारे हिंदुस्तान के जिलों को इसमें ले लिया और राशि बढ़ायी मात्र बीस प्रतिशत। मान लिया पहले 16 हजार करोड़ रुपए थे, अब बढ़ाकर कर दिए 18 हजार करोड़ रुपए, मैंने उदाहरण दिया, एग्जैक्ट आंकड़े कागजों में मेरे पास हैं, ऐसी स्थिति में सारे हिंदुस्तान को रोजगार गारंटी योजना का लाभ आप कैसे देंगे, शहरों के गरीब कहां जाएंगे और शहरों के बेरोजगार कहां जाएंगे? बेरोजगार और ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* इन्होंने जैसे जे एंड के, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व को त्वरित सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत विशेष पैकेज दिया है, हम मांग करते हैं कि राजस्थान को भी विशेष पैकेज दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप 13 मिनट का समय ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : वह इस बजट में नहीं है। क्यों? क्योंकि और राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति ज्यादा खराब है। राज्य का लगभग दो-तिहाई हिस्सा थार रेगिस्तान का हिस्सा है, सूखाग्रस्त है, राज्य का अधिकांश हिस्सा जनजातीय क्षेत्र हैं भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण यह क्षेत्र संवेदनशील है। राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि राजस्थान जैसे राज्यों के लिए बजट के अंदर विशेष पैकेज घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर वर्ष 2008-09 के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा हेतु मेरे पास शब्द नहीं है। जिन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है। जिसकी समाज के हर तबके, चाहे वह अमीर हो गा गरीब, सम्पन्न हो या वंचित द्वारा सराहना की गई है।

सभा में बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई है और कृषि ऋण को माफ किए जाने संबंधी मुख्य प्रावधान सहित सभी प्रावधानों से मेरे राज्य असम के साथ-साथ पूरे देश को फायदा होगा। मैं विपक्ष के भाषणों को सुनकर हैरान हूं। पूरी बजट चर्चा के दौरान मैंने यह देखा है कि विपक्ष में भी ऐसे सृजनात्मक और सकारात्मक लोग हैं जो इस बजट का समर्थन करते हैं। लेकिन अभी अभी विपक्ष के एक विद्वान सदस्य ने यह कहा है कि यह बजट एक धोखा है। यह 'धोखा' कैसे हो सकता है? माननीय वित्त मंत्री ने ऋण माफी की समय-सीमा निर्धारित की है, उन्होंने कहा है कि जून तक ऋण माफी की सारी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। अतः यदि समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि इस संबंध में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई होती तो आप इसे 'धोखा' कह सकते है। यह धोखा नहीं है बल्कि स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया महत्वपूर्ण प्रावधान है। इससे न केवल पूरे राष्ट्र को अपितु किसान वर्ग को भी फायदा होगा जो इसे सुनकर काफी प्रसन्न है।

दूसरी बात उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में कहा था। जहां तक मुझे जानकारी हैं एन डी ए सरकार ने सत्ता संभालने के तत्काल बाद मूल्यों में वृद्धि की थी और वह वृद्धि पैट्रोलियम के मूल्य में आज तक की गई वृद्धि से ज्यादा थी। क्योंकि हम इन सभी बातों पर विचार कर चुके हैं अतः मैं दोबारा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मेरे राज्य असम से संबंधित कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, इस बजट में शिक्षा के लिए 6000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे सर्वशिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा, आरंभिक शिक्षा सभी को फायदा होगा। माननीय मंत्री महोदय ने प्रभावी शिक्षा के लिए 6,000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। इसमें अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिक छात्रवृत्ति की घोषणा की गई हैं। लेकिन, महोदय, मेरे राज्य में अभी भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो नंगे पांव और खाली पेट विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं। इस बजट में उनका ख्याल नहीं रखा गया है। हमारे यहां कुछ हजार अध्यापक हैं जो विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों की अनुमति दी गई है तथा उन्हें मान्यता दी गई है। लेकिन इन लोगों को इन विद्यालयों की स्थापना से वेतन नहीं मिल रहा है। लम्बे समय से अवैतनिक सेवा देने के पश्चात ये शिक्षक बिना लाभ प्राप्त किए सेवानिवृत्त हो जाते हैं और आज ये शिक्षक भुखमरी का सामना कर रहे हैं। मैं संसद के बजट सत्र में तीन बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक गौर करने का अनुरोध करता हूं। जहां तक मुझे जानकारी है असम सरकार द्वारा इन अध्यापकों के लिए अपेक्षित धनराशि की मांग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष रखी जा चुकी है।

मै माननीय वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर गौर करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ये अध्यापक उसी प्रकार के काम कर रहे हैं जिस प्रकार के काम सरकारी विद्यालयों, आदर्श विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा किए जाते हैं।

अतः यदि इन लोगों पर गौर नहीं किया गया तो ये लोग हताश रहेंगे। सेवा करने के कई वर्ष बाद भी इनकी नौकरी पक्की नहीं है। मैं चौथी बार आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मुद्दे पर गौर करें।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के करीमगंज तथा हैलाकंदी दो ऐसे जिले हैं जहां अल्पसंख्यकों की बहुलता है। माननीय वित्त मंत्री ने 3,780 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं और अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में मल्टीसेक्टोरल डवलपमेंट के लिए इस वर्ष 540 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चूंकि करीमगंज और हैलाकंदी जिले अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिले हैं इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन दो जिलों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि मदरसा शिक्षा को भी आधुनिक बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। वास्तव में इस पहल से अल्पसंख्यक लोगों के रोजगार प्रतिशत में वृद्धि होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक लोग रोजगार के लिए और अधिक योग्यता हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सोबाही भक्तबस को भी इसमें शामिल किया जाने की भारी मांग की जा रही है। सोबाही भक्तबस वे विद्यालय हैं जहां छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कृपया इस पर गौर करें।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण की मांग हर जगह से उठ रही है। इस योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। इसलिए यह योजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो जिलों-करीमगंज और हैलाकांडी में शुरु नहीं की जा सकी। मुझे लगता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक कोच है। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि यह धनराशि सभी जिलों को आबंटित की जाए और नेशनल पॉवर ग्रिड कार्य आरम्भ कर सके।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने कुछ जिलों को पिछड़े जिले घोषित किया है और उन्हें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान

[श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य]

दिया जा रहा है तथा इसके लिए इस बार 5,800 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। करीमगंज सबसे पिछड़ा जिला है परन्तु इसे बाहर रखा गया है, जबकि इसके निकटवर्ती जिलों को पिछड़े जिले घोषित किया गया है। करीमगंज जिला भी इससे वंचित रखा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि यह वंचित क्यों है। स्वतंत्रता से पहले यह संपूर्ण भारत में सबसे आसान पहुंच वाला जिला था। स्वतंत्रता के पश्चात् कोलकाता के साथ रेल संपर्क तथा जल संपर्क बंद कर दिया गया। अब यह सबसे दूरस्थ जिला बन चुका है और वहां पहुंचना आसान नही है। आसानी से पहुंच वाली स्थिति के कारण यहां व्यापार और वाणिज्य की स्थिति काफी अच्छी थी। परन्तु परिवहन संबंधी रुकावटों के कारण अब इस जिले तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए इस रूकावट के कारण यह जिला अन्य जिलों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और विकसित होने के स्थान पर दिन – प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। यह अब और पिछड़ चुका है। उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश को पिछड़ा जिला अनुदान का 45 प्रतिशत दिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि करीमगंज जिले को इसके अंतर्गत लाया जाए तथा इसे पिछड़ा जिला अनुदान दिया जाए। साथ ही मैं याद दिलाना चाहूंगा कि करीमगंज और कोलकाता के बीच रेल मार्ग खोला जाए तथा करीमगंज और कोलकाता के बीच जल मार्ग भी पुनः खोला जाए। यदि इन कार्यों को पुनः खोला जाता है तो इस जिले को इसका गौरव वापस मिल जाएगा और यह अन्य जिलों के साथ विकसित होगा।

महोदय, अब मैं अपने अंतिम बिंदु पर आता हूं। मेरा राज्य असम चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह बात सभी जानते हैं। असम की चाय से देश के लिए भारी राजस्व तथा विदेशी मुद्रा अर्जित की है। अब इसकी स्थिति बहुत चिंताजनक है। चाय उद्योग रूग्ण हो चुका है और यह बाज़ार की स्थिति से नहीं निपट सकता।

यदि भारत सरकार आगे नहीं आती है तो असम से चाय उद्योग समाप्त हो जाएगा। और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि चाय उद्योग की सहायता के लिए कदम उठाएं ताकि उसे बचाया जा सके तथा यह उद्योग अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त कर सके।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी जो बजट लाए हैं, वह सभी स्तरों पर, सभी तरह कि लोगों को लाभ पहुंचे, फायदा हो ऐसा प्रयास किया गया है। मैं बजट के बारे में टीका–टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि यह चुनावी बजट है, हर बजट के पहले चुनाव आता है, हर बजट के बाद चुनाव आता है, सरकारें आती और जाती रहती हैं। किसी भी सरकार को बजट लाने का अधिकार होता है और लाना भी चाहिए। आज गांव से शहर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी जगहों पर इस बजट की प्रशंसा हो रही है, आम लोगों ने प्रशंसा की है और सभी स्तर के लोगों ने प्रशंसा की है। सभी बिंदुओं पर बोलने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मात्र दो–तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि किसानों के लिए ऋण माफी की गयी है, वह बहुत सराहनीय प्रयास है। इस संबंध में मैं दो–तीन सुझाव देना चाहूंगा। किसान की समस्या का निदान सिर्फ कर्ज माफी से संभव नहीं है। कर्ज माफी के लिए आपने जो घोषणा की है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों की समस्याओं की समस्या का स्थायी निदान हो, इसके लिए आगे बढ़कर कुछ सोचना होगा। जरूरी है कि किसान जो खेती करते हैं, उसके लिए समय पर खाद मिल जाए, सिंचाई की सुविधा मिल जाए और जो लागत आती है, उसके हिसाब से फसल का मूल्य निर्धारित हो। मैं चाहूंगा कि इस बजट में जो व्यवस्था की गयी है, उसमें सिंचाई, समय पर खाद देने और खेती के लिए, इस ऋण की माफी के बाद जो ऋण आगे दिया जाएगा, वह समय पर किसानों को दिया जाए ताकि किसान समय पर खेती कर सके। मेरा चौथा सुझाव यह है कि किसान की फसल की जब क्षति हो जाती है, अकाल या तूफान या पत्थर पड़ने से उसकी फसल की क्षति होती है तो उसके लिए मुनासिब तरीके से समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी लंबी बहस में लघु और सीमांत किसानों की चर्चा हुई है। यह ठीक है कि सरकार ने इस घोषणा को लघु और सीमांत किसानों तक सीमित किया है, लेकिन मेरा सुझाव है कि इस घोषणा को केवल लघु और सीमान्त किसानों तक सीमित न किया जाए, इसमें सभी तरह के किसानों को शामिल किया जाए। इस देश में विभिन्न राज्यों में तरह–तरह की खेती होती है, काफी लंबी–चौड़ी जमीन पर इसकी खेती होती है जिसकी उपज की दूसरे तरीके से नाप–जोख की जाती है। इसलिए लघु और सीमांत किसान की सीमा को खत्म किया जाए और सभी किसानों की ऋण माफ के लिए व्यवस्था की जाए। बहस का एक अन्य विषय यह बना हुआ है कि जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिए हैं, उनके ऋण तो माफ हो जाएंगे, लेकिन जिन किसानों ने साहूकारों से ऋण लिए हैं, उनके ऋण का क्या होगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे इलाके के लिए कोई पैकेज बनाएं, जहां साहूकारों से ऋण लिया जाता है। इस प्रकार उन किसानों को राहत देने का प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। इस बजट में गरीबी के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में धन की राशि में वृद्धि

की गई है। जैसे भारत निर्माण के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना एक बड़ा कदम है। इस योजना में पहले 20,000 रुपए प्रति मकान बनाने के लिए गरीबों को दिए जाते थे। उसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। आज इस योजना के तहत इस धनराशि को बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया गया है। यह गरीबों के हक में बहुत अच्छा फैसला है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की पहचान नहीं हुई है, कई वर्षों से यह मामला वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उन राज्यों की तरफ से भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। उसके कारण इंदिरा आवास योजना का पैसा बिहार में गरीबों में बांटा नही जा सका है। वह पैसा अभी तक जिलों में और प्रखंड में पड़ा हुआ है, जिस वजह से गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा भारत सरकार इस पर निर्णय ले और जो पैसा उसने गरीबों के लिए दिया है, वह उन तक पहुंचे और वे गरीब अपने मकान बना सके।

मैं पुनः हृदय से इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, वर्ष 2008–09 के सामान्य बजट पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 1989 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करने संबंधी पहली बार कार्यक्रम लाने का काम किया था। जब यह योजना आई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इस योजना का विरोध किया था। लेकिन हमें खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने पांचवें और चुनावी बजट में किसानों की कुछ हद तक सुध ली है। उसके लिए वित्त मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं इस मौके पर सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि किसानों की जो वास्तविक समस्या है, उसे समझने का प्रयास सरकार ने नहीं किया है। वित्त मंत्री जी ने दो हेक्टेयर की सीमा कर्ज माफ करने के लिए जो तय की है, वहीं मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि खेती और किसानों का मापदंड हेक्टैयर से नहीं होती है। इसका मापदंड सिंचित, असिंचित, उपजाऊ और पथरीली जमीन के आधार पर करनी चाहिए। जो कि सरकार ने नहीं की है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दो हेक्टेयर की सीमा जो वित्त मंत्री जी ने निर्धारित की है, वह उसे खत्म करने का काम अपने जवाब में करेंगे।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में किसान आयोग गठित किया था। उस समय हमें बड़ी उम्मीद थी कि किसानों की वास्तविक तरक्की सरकार चाहती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस आयोग ने जो सिफारिशें और संस्तुतियां की थीं, सरकार ने अपने बजट में उन्हें शामिल करने का कोई संकेत नहीं दिया है। हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने भी इस बारे में चर्चा की है। उन्हीं के साथ मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि किसानों को ऋण देने वाली सहकारी समितियां या सहकारी बैंक हैं, उनमें केवल एक तिहाई किसान ही ऋण लेते हैं और दो तिहाई किसान गांवों के साहूकारों से ऋण लेते हैं। आप जानते हैं कि साहूकार किस कदर ब्याज लेते हैं, जिसके कारण मजबूर होकर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए उनकी आत्महत्याएं करने का एक बड़ा कारण साहूकार होता है। डा. स्वामीनाथन जी ने संस्तुति की थी कि किसान भाइयों को 4 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण दिया जाए, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात पर विचार नहीं किया। हम प्रार्थना करेंगे कि जहां देश के 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हों, वहां माननीय वित्त मंत्री जी किसान भाइयों की परेशानियों पर गंभीरता से विचार करें।

जहां एक ओर आप आर्थिक विकास के ऊंचे–ऊंचे आंकड़ों की बात करते हैं, 8.8 प्रतिशत की दर से आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो मैं बड़ी विनम्रता–पूर्वक इस सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां आपने 8.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को छूने का काम किया, वहीं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि विकास दर 3.2 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत पर आ चुकी है और किसानों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। विगत सालों में, किसानों के प्रति, चाहें यूपीए सरकार की नीतियां रही हों या एनडीए सरकार की नीतियां रही हों, कि कृषि विकास दर निरंतर घट रही हैं।

सभापति जी, हमने वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री और आज के प्रधान मंत्री जी की देखरेख में विश्व–व्यापार संगठन की समस्त शर्तों को मानते हुए उदारीकरण की नीतियां लागू कीं। हमने कारपोरेट सेक्टर में, उद्योग जगत में तमाम चीजों में पश्चिमी देशों का अनुसरण करने का काम किया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश के 60–70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हों और भारतीय किसानों को विश्व–व्यापार संगठन की शर्तों को मानने के बाद, विश्व–बाजार में जो प्रतिस्पर्धा मिली है, तो क्या इस सरकार ने हमारे किसानों को पश्चिमी देशों की तुलना में कोई राहत देने का कार्य किया, क्या हमारे किसानों को कोई सब्सिडी देने का काम किया?

सभापति जी, आजादी के 61 वर्षों के बाद भी हम अपने किसानों

[श्री धर्मेन्द्र यादव]

को डीएपी और यूरिया मुहैया नहीं करा पाते हैं और आप देखेंगे कि अप्रैल–मई तक रबी की फसल आ जाएगे और वह बहुत कम होगी। यह स्थिति हमारे देश की है। हम चर्चा करते हैं विश्व–व्यापार–संगठन की, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से पूरी दुनियां से मुकाबला करने की बात करते हैं लेकिन क्या हम अपने किसानों को कोई सुविधा दे पा रहे हैं? इस बात पर सरकार को चिंतन करना पड़ेगा, पूरे सदन को चिंतन करना पड़ेगा।

यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गयी है लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपना वायदा पूरा कर पा रहे हैं और जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसका स्तर क्या है, मैं समझता हूं कि वह इस सदन के किसी भी सम्मानीय सदस्य से छिपा हुआ नहीं है। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि जहां हम एक ओर सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन निशुल्क देने की बात करते हैं वहीं आज किसी भी विद्यालय में तीन से ज्यादा शिक्षक नहीं है। जब हम हर प्राइमरी स्कूल में पांच शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तब हम अपने बच्चों से, अपने नौनिहालों से कैसे उम्मीद करते हैं कि कोरपोरेट सेक्टर के मुकाबले में आ जाएंगे या वे देश की मुख्य धारा में आ जाएंगे, इस बात पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री जी को और यहां के मानव संसाधन मंत्री जी को सदन में संकल्प लेना चाहिए कि जितनी भी हमारे स्कूलों में कक्षा हैं, हर कक्षा के लिए एक–एक शिक्षक हम निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

हमारे सामने उदारीकरण की जो चुनौतियां हैं हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जब तक इस देश के अंदर उत्कृष्ट शिक्षा और समान शिक्षा लागू नहीं कर देंगे, तब तक हम अपने देश का संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने चुनौती है और केन्द्र सरकार इसे भरने में सक्षम भी है कि एक समान शिक्षा लागू करके, देश के अंदर उपलब्ध सबसे अच्छे कोर्स को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे हमारे देश में जो प्रतिभाएं हैं वे समान रूप से तरक्की कर सकें।

सभापति महोदय, आज मैट्रो–सिटी में, बड़े–बड़े शहरों में और देहात के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी शिक्षा में मौलिक अंतर आपने देखा होगा। आज इस मौके पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्तूबर को गांधी जी के सपनों और आदर्शों को दोहराते हैं तो गांधी जी ने तो संपूर्ण रोजगार और स्वरोजगार की बात की थी। आज एक–एक बहुराष्ट्रीय कंपनी पूरे देश के न जाने कितने लघु उद्योगों को समाप्त करके चली जाती है। हमें इस संबंध में चिंतन करना पड़ेगा। सदन के सामने मैं अपनी चिंता जरूर व्यक्त करना चाहूंगा कि आज अगर हम बिसलेरी का पानी पीना चाहते हैं, तो 18 रुपए लीटर पानी बिक रहा है और दूध? दूध के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि दूध की जांच करने के नाम पर किसानों को कितना परेशान किया जाता है। पेप्सी की जांच की रिपोर्ट आई थी, संयुक्त संसदीय दल गठित किया गया था। मैं यूपीए और एनडीए के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या हम अपने देश के किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं? दूध के नाम पर किसानों का हम शोषण कर रहे हैं। पानी 18 रुपए लीटर बिक रहा है, लेकिन आज दूध का क्या दाम है?

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां वित्त मंत्री देश की तरक्की का संकल्प लिए हुए हैं, चाहे देश का किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बुनकर हो या छोटे से छोटा व्यापारी हो, लघु उद्यमी उनके बारे में भी चिंतन करना पड़ेगा। आप कारपोरेट सेक्टर को लगातार मदद कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा मकड़जाल फैलाया है कि हमने आयकर में बहुत छूट दी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में छठा वेतन आयोग लागू होने वाला है। क्या छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद वित्त मंत्री जी द्वारा आयकर में जो छूट दी गई है, क्या सरकारी कर्मचारी उस छूट का कोई फायदा उठा पाएंगे? ये सभी सवाल भविष्य के गर्त में हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008–09 के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर्ज़ माफी योजना का स्वागत करता हूं। हालांकि यदि चार वर्ष पहले, यू पी ए सरकार के प्रथम वर्ष में इस योजना को लाया जाता तो सरकार को इसके क्रियान्वयन तथा किसानों के जीवन पर इसके वास्तविक प्रभाव के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने का पर्याप्त समय मिलता और सरकार किसानों के लाभ के लिए विभिन्न परियोजनाएं तैयार कर सकती थी। सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में इस योजना की घोषणा की है यह बात समझ में नहीं आती ...*(व्यवधान)* यह स्वागत योग्य कदम है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस उपाय का स्वागत करते हैं। मेरा कहना है कि ऐसा चार वर्ष पहले किया जाना चाहिए था। कृषि के बारे में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। कृषि ऋण पर ब्याज दर चार प्रतिशत की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किसानों की प्रति व्यक्ति आय

503 रुपए है। बी पी एल किसान की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 423 रुपए है। अतः यह एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान आपको करना है। साथ ही साथ सरकार यह भी जानती है विश्व में चावल और गेहूं की कमी होने वाली है क्योंकि चावल और गेहूं का उत्पादन तेजी से कम हो रहा है। यही सच है जब भारत को खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। डा. स्वामीनाथन ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में पहली बड़ी उपलब्धि हरित क्रांति थी और अब हमें सर्वदा हरित क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए अब सरकार को सर्वदा हरित क्रांति लाने के लिए कदम उठाने चाहिए और सिंचाई सुविधाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए।

यदि सरकार वास्तव में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करना चाहती है तो उसे कृषि आधारित सभी उद्योगों जैसे शीतागारों, गोदामों की स्थापना करनी चाहिए तथा भंडारण संभलाई, परिवहन आदि के उन्नयन करने सहित इन्हें अवसंरचना का दर्जा देना चाहिए। सरकार को इस प्रकार के उद्योगों के लिए शत प्रतिशत कर लाभ प्रदान करना चाहिए। तथा इसके लिए ऋण का भुगतान दस से 15 वर्षों तक में किया जाना चाहिए। दस वर्षों की यह अवधि तब आरंभ होनी चाहिए जब उपक्रम अपना व्यावसायिक कारोबार अथवा अपने क्रियाकलाप आरंभ करे। आप मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में विफल रहे हैं। आज यह 5.1 प्रतिशत है। आम आदमी के लिए उपभोक्ता मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई खाद्य सुरक्षा नहीं है।

कृषक समुदाय तथा कृषि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह करावकाश दिया जाना चाहिए। तभी किसानों को लाभकारी मूल्य मिल पाएंगे। अब आपने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1000/– रुपए कर दिया है। आपने चावल का न्यूनतम समर्थन बढ़ाकर 1000/– रुपए क्यों नहीं किया? भारत में आज दक्षिण भारत से महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर तथा पूर्वी भारत में अधिकतर लोग चावल खाते हैं। सभी लोग चावल पर निर्भर हैं। विश्व बाजार में चावल का मूल्य 83 प्रतिशत बढ़ा है तथा गेहूं के मूल्य में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अतः इन कारकों पर विचार करते हुए हमें कृषि के मामले में अग्रलघी कदम उठाने चाहिए। सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय उपक्रमों का विकास दर में योगदान लगभग 76.8 प्रतिशत है। परन्तु कृषि क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के इन केन्द्रीय उपक्रमों का निवेश 0.04 प्रतिशत है और आज यह गिरकर 0.001 प्रतिशत आ गया है। अतः सरकारी क्षेत्र के इन केन्द्रीय उपक्रमों ने कृषि से संबंधित क्षेत्रों को विकसित करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। इसलिए, कृषि तथा उद्योगों विशेषकर चावल मिल उद्योगों की अवसंरचना का दर्जा दिया जाना चाहिए। अन्यथा, आप किसानों को लाभकारी मूल्य कभी नहीं दे पाएंगे। अतः अब समय आ गया है कि कृषि को 'अवसंरचना का दर्जा' दिया जाए और इस प्रकार किसान को प्रोत्साहन दिया जाए।

कृषि क्रियाकलाप एक दिन चलने वाला क्रियाकलाप नहीं है, यह मौसमी क्रियाकलाप है; चावल की फसल लगभग छह माह में तैयार खेती है और कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में लगभग तीन माह लगते हैं, गेहूं की फसल में लगभग तीन माह लगते हैं। हमारी संपूर्ण कृषि पानी के उस प्रवाह पर निर्भर करती है, जिसे हम प्राप्त करते हैं। हम लगभग 4000 बिलियन घन मीटर पानी प्राप्त करते हैं; जिसमें से हम केवल 30 प्रतिशत का ही उपयोग कर पाते हैं। इसलिए 11वीं योजना के दौरान सरकार चार लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करेगी? धन की कमी और नौकरशाही के विलंब लालफीताशाही आदि के कारण अधिकांश परियोजनाओं की अनदेखी हुई है। क्षेत्रीय असमानता बरकरार है। योजना आयोग तथा केन्द्रीय जल आयोग को ऊपरी इन्द्रावती लिफ्ट सिंचाई परियोजना को स्वीकृत करने के लिए कहा जाएं।

उदाहरण के लिए झारखण्ड की परियोजनाएं ही लें। बिहार सरकार ने झारखण्ड राज्य की पूर्णतया उपेक्षित की; जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रारंभ की गयी परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं आपको उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के कदम उठाने होंगे।

अंत में, मैं केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है आज वे हमारी विकास दर में लगभग 76 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। उनमें 16 लाख कर्मचारी नियोजित हैं। परंतु आज मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आपने उन्हें उत्पादन शुल्क में कोई छूट नहीं दी। अगर आपने उन्हें उत्पादन शुल्क में कोई छूट दी होती तो इससे उन्हें एफडीआई के मामले में कुछ राहत मिल जाती। मेरा मानना है कि केन्द्रीय सरकारी उपक्रम जिनमें नैमित्तिक और ठेका श्रमिकों के अतिरिक्त 16 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं को उत्पादन शुल्क में कम से कम दो प्रतिशत छूट मिलनी चाहिए। तभी वे एफडीआई के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आप 'पूर्व की ओर देखों नीति' की बात कर रहे हैं तो चीन ने इसमें कमी की है। आप पश्चिम में देखें तो, ई यू ने ऐसा किया है।

परंतु यहां पर एक समस्या है आप सीधे सीधे उन्हें यह नहीं दे सकते; यदि एक बार आप ऐसा कर देंगे तो उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती दे दी जाएगी। अतएवं आपको यह सभी पक्षों को समान रूप से देनी होगी इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए; वे हमारे कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र को भी अवसंरचना का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज स्वास्थ्य क्षेत्र को भी 100 प्रतिशत कर लाभ दिया जाना चाहिए

[श्री विक्रम केशरी देव]

और 80/1क के अंतर्गत करावकाश लाभ मुहैया कराने चाहिए ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र आगे बढ़ सकें अन्यथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरी तरह से असफल हो जाएगा। आज आपके पास ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए पर्याप्त चिकित्सक भी नहीं है।

क्यूबा का उदाहरण लें। मैं समझता हूं जब मैं ऐसा कहूंगा तो साम्यवादी और समाजवादी मित्र मुझसे बहुत खुश होंगे। क्यूबा में चिकित्सक बिना किसी अतिरिक्त वेतन के विश्व के अन्य भागों में स्वैच्छिक रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं।

मध्याह्न भोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। मध्याह्न के दौरान दिए जाने वाले भोनज में करीब 1200 कैलोरी के पोषक तत्व होते हैं। यह बढ़ते बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। एक बच्चे के विकास के लिए दिए जाने वाले पोषाहार से कम से कम 1800 कैलोरी होनी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि भोजन में प्रोटीन देने वाले अण्डे, पनीर आदि जैसे उत्पादों को भी शामिल किया जाए ताकि हमारे बच्चे सेहत मंद बन सकें। इससे गौण कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए किया गया आबंटन बहुत की कम है।

सभापति महोदय : श्री देव आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं परंतु यहां पर समय कम है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विक्रम केशरी देव : कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय और दें।

अंत में, मैं यहीं कहना चाहूंगा कि सरकार ने राष्ट्रमण्डल खेलों पर खर्च होने वाली राशि को कम कर दिया है। बजटीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृपया इस राशि को बढ़ाया जाए। हाकी में हमारी पहले ही बदनामी हो चुकी है ? जिस दिन हम हॉकी का मैच हारे थे उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। यह हमारे खेल उद्योग के लिए बड़े शर्म की बात है जहां, हमने हॉकी में आठ स्वर्ण पदक जीते आज वहां हम ऑलम्पिक की दौड़ से बाहर हो गए हैं। यह बेहद बुरी स्थिति* । ग्रामीण खेल–कूद को महत्व दिया जाना चाहिए। जहां से हमें प्रतिभावान खिलाड़ी मिल सकते हैं।

जहां तक डब्ल्यू टी ओ का संबंध है उसके संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि दोहा वार्त्ता के बाद सरकार कृषि संबंधी करार पर आगे नहीं बढी। विकसित राष्ट्र सहायता राशि घटाने को ही तैयार नहीं है। आपको कृषकों को और रियायतें देनी चाहिए।

बाघ, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है; के संरक्षण के लिए 50 करोड़ की राशि बहुत कम है। आज हमारे देश में 28 बाघ अभयारण्य हैं जहां पर देखभाल के लिए नियोजित व्यक्तियों की संख्या मानक संख्या से बहुत कम है। उदाहरण के लिए बांधवगढ़ अथवा कान्हा की ही बात करें; यहां पर भी स्टाफ पूरा नहीं है। जनजातीय अधिकारों और विस्थापन विधेयक के अनुरूप आपको बहुत से लोगों को अभ्यारण्यों और परियोजना बाघ क्षेत्रों से हटाकर दूसरे स्थानों पर पुनः स्थापित करना होगा तथा उन्हें अतिरिक्त भूमि देनी होगी। उसके लिए हमारे पास बजट में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि कितनी मांग की गयी हैं परंतु इसको पूरा करने के लिए 50 करोड़ की राशि पर्याप्त नहीं है।

सरकार ने संस्कृति मंत्रालय की पूर्णतः उपेक्षा की हैं केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ने और अधिक राशि की मांग की है। आज एथेंस के बाद सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता की खोज भुवनेश्वर के शिशुपाल गढ़ में हुई है। वहां पर समुचित उत्खनन सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए।

इस बार वित्त मंत्री ने केबीके को कोई उल्लेख नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री राहुल गांधी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गए। मैं आशा करता हूं कि आपको वहां पर रहने वाली जनजातियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि यदि वे मुझसे परामर्श करके वहां जाते हैं तो मैं उन्हें इन केबीके क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की तस्वीर और जमीनी हकीकत का परिचय बेहतर ढंग से करा पाता ...*(व्यवधान)*। 1993 से 2002 तक 3,000 बैंक बंद कर दिए गए हैं। आपको अधिकाधिक ग्रामीण बैंक खोलने और आदिवासियों को एटीएम कार्ड देने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। बैंकों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली प्रारंभ की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपने ही सदस्यों का समय ले रहे हैं।

श्री विक्रम केशरी देव : धन्यवाद, महोदय।

***श्री किरेन रिजीजू** (अरुणाचल पश्चिम) : यह ठीक ही कहा गया है कि यह राजनैतिक बजट है जिसमें दक्षता बढ़ाने की वित्त मंत्री की इच्छा के कारण असफल रूप से छेड़छाड़ की गई है।

2008–09 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए श्री पी. चिदम्बरम को राजनीति, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और कुशलता की प्रवृत्तियों में संतुलन स्थापित करना था। उन्होंने एक बढ़िया राजनीतिक बजट प्रस्तुत किया है। परंतु यह इतनी देरी से प्रस्तुत किया गया है कि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इससे चुनावों में कांग्रेस को कोई सहायता नहीं मिलेगी।) जो विकास को तो बढ़ावा देगा किंतु मुद्रास्फीति पर अंकुश नहीं लगाएगा और व्यय गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा।

पिछले वर्ष के घाटे की कटौती में तेल कंपनियों तथा अन्यों को जारी किए गए बंध पत्रों को शामिल नहीं किया गया। यह दावा किया गया था कि राजस्व घाटे 1.4 प्रतिशत है और वित्तीय घाटे 3.1 प्रतिशत है किंतु उन्हें करीबन दो प्रतिशत कम बताया गया है। प्रस्तावित व्यय से मुद्रास्फीति को ही बढ़ावा मिलेगा।

2003–04 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर राजस्व 9.2 प्रतिशत था और 2007–08 यह 12.5 प्रतिशत था। यह उत्प्लावकता आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्त होने वाले बेहतर सूचना, निम्नतर कर दरों के कारण बेहतर अनुपालन और गैर सामान्य आर्थिक उत्प्लावकता के कारण हो पाया है।

संशोधित अनुमान और बजट अनुमान के बीच अंतर

संशोधित अनुमान वस्तुतः पूर्ववर्ती बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है और इसे अनुमानी बजट में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी तुलना में बजट अनुमान अलग तस्वीर दिखाता है। उदाहरण के लिए बजट 2007–08 में शिक्षा पर होने वाले व्यय के लिए 32352 करोड़ रुपये का प्राक्कलन किया गया था परंतु संशोधित प्राक्कलन में यह दर्शाया गया कि 29588 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

कुपोषण

भारत में कुपोषण को व्यप्तता उपसहारा अफ्रीकन क्षेत्र के दोगुनी है। वास्तव में, भारत से गरीब देश जैसे बांग्लादेश, म्यामार ने इस समस्या से बेहतर तरीके से निपटा है। सरकार के दावों के विपरीत, एक एन एफ एच एस III सर्वेक्षण दर्शाता है कि पिछले 8 वर्षों में 0.6 वर्ष के आयुवर्ग में कुपोषण केवल 1% कम हुआ है। सरकार की मंशा स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर समग्र व्यय को क्रमश सं. घ. उ. के. 2–3% तथा 6% तक बढ़ाने की थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि समग्र व्यय इन स्तरों को आधे पर रूक गया है।

गेहूं का आयात

लगातार दूसरे वर्ष भारत गेहूं का आपात कर रहा है। सरकार ने 50 लाख टन गेहूं का आयात प्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो। कुछ वर्ष पूर्व, एक गेहूं निर्यातक देश से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का आयातक देश बन गया है।

एन आर ई जी ए

मजदूरी रोजगार योजनाओं के तहत आबंटन न के वल समग्र रूप से अपर्याप्त रहा है अपितु बल्कि वास्तव में गिरा है। एस जी आर वाई के तहत खाद्यान्न घटक वर्ष 2005–06 में 68 लाख टन से 4 लाख टन हो गया तथा आगामी वर्ष 2007–08 में 7.3 लाख टन हो गया सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में मजदूरी रोजगार योजना के तहत कुल व्यय 18406 करोड़ रुपये से 2006–07 में अनुमानतः 16117 करोड़ रुपये हो गया तथा वर्ष 2007–08 में लगभग 15000 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष के 16000 करोड़ रुपये को तीन वर्ष के आबंटन के समतुल्य नहीं है। कमजोर शासन तथा खराब निष्पादन प्रणाली के कारण इस योजना का संपूर्ण ह्रास हो गया है।

ग्रामीण अवसंरचना

ग्रामीण अवसंरचना के सभी घटकों में से केवल ग्रामीण दूरसंचार तथा विद्युतीकरण क्षेत्र में पर्याप्त रूप से अच्छा कार्य हुआ है। पिछले 3 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बजटीय आबंटन अवरुद्ध हुआ है। ग्रामीण आवास के क्षेत्र जबकि में बड़े आंकड़े दर्शाए गए हैं, परंतु वे भारतीय ग्रामीण गरीबों के संदर्भ में अत्यंत अपर्याप्त हैं।

इस योजना के आरंभ होने के 4 वर्षों के बाद भी योजना के 6000000 घरों के लक्ष्यों के मुकाबले केवल 3236559 घरों के लक्ष्य की प्राप्ति हो पाई है।

शिक्षा

एन सी एम पी के वायदे	अब तक की गई प्रगति
शिक्षा पर सार्वजनिक धन को बढ़ाकर जीडीपी का 6% किया जाए	वर्तमान में यह 2.84% है।
मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।	वर्तमान में स्कीम में 12 करोड़ बच्चों को कवर करती है तथा इसे 3479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाक में उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया जा रहा है।
शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए	1967 में गठित किया गया कोठारी आयोग शिक्षा पर गठित अंतिम आयोग था तथा अब तक कोई नया आयोग गठित नहीं किया गया।

स्वास्थ्य

एन सी एम पी के वायदे	अब तक की गई प्रगति
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बल देते हुए स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ा कर जीडीपी का कम से कम 2–3% किया जाए।	वर्तमान में सार्वजनिक व्यय 0.99% है। एन आर एच एम 9801 करोड़ के परिव्यय के साथ 2005–06 में आरंभ किया गया था। परिव्यय में वृद्धि 12050 करोड रुपये अथवा 11.4% रहा जो कि 30% के किए गए वायदे के आधे से भी कम है।
औषधि नियंत्रण व प्रबंधन में सुधार किया जाए	वर्ष 2002 की औषधी नीति को राष्ट्रीय भेषज नीति 2006 में पुर्नप्रारूपित किया गया।
प्रशासन	1. बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सभी 354 आवश्यक एवं 74 जीवन रक्षक दवाओं पर नियंत्रण के प्रस्ताव की आलोचना की गई तथा इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में रख दिया गया सभी आवश्यक दवाओं को उत्पाद शुल्क से एवं प्रतिकारी शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दी गई है। 2. प्रक्रिया पेटेंट को उत्पाद पेटेंट में बदल दिया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसका समर्थन करती थी तथा जो लघु व मध्यम उत्पादकों के लिए लाभकारी न था।
शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों को मान्यता/प्रत्यायित करने के लिए सुधार	छह एम्स जैसे संस्थानों को स्थापित किया जाएगा तथा इस प्रयोजनार्थ 290 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, भारत में किसी भी स्थान पर विशिष्ट शहरी आबादी के अलावा विशेषकर 2 एवं 3 टोपर शहरों में अस्पतालों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए 5 वर्ष की कर छूट का प्रस्ताव है कि ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवा दी जा सके।

[हिन्दी]

श्री अरुण यादव (खरगौन) : सभापति महोदय, आज मुझे सदन में अपना पहला भाषण, मेडन स्पीच देने का अवसर मिला है। मेरे मायने में 26 फरवरी का दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि खरगौन लोकसभा उपचुनाव में जनता जनार्दन ने मुझे भारी बहुमत से जिताकर देश के एक लोकतांत्रिक मंदिर में विद्जनों के बीच सदन में बैठने का मौका दिया मैं इसके ठीक दूसरे और तीसरे दिन, रेल और सामान्य बजट, 2008–09 के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना जब यूपीए सरकार ने देश के करोड़ों, किसानों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारी रियायतों का तोहफा देकर भारत विकास के राजपथ की तरफ लेकर जाने की दिशा में एक सार्थक पहल की। जाहिर है कि यू.पी.ए. की हमारी चेयरपर्सन, श्रीमती सोनियां गांधी जी के नेतृत्व में देश के चार करोड़ किसानों के लिए ऋण माफी और अन्य सौगातों का ऐलान माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने किया। आम बजट देश में किसानों की घोषित ऋण माफी से हमारे उन विपक्षी नेताओं और हंगामाबाजों के चेहरे उतर गये, जो किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को लेकर घडियाली आंसू बहा रहे थे। जब–जब किसानों और ग्रामीणों पर आर्थिक संकट की स्थिति बनी है, तब–तब कांग्रेस ने उनकी समस्याओं के प्रति गंभीरतापूर्वक पहल की है। वर्ष 1974–1975 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसी एक सार्थक पहल की थी और देश के किसानों को साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिए ऋण मुक्ति का अभियान चलाया था। मैं आज इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने संस्थागत ऋणों के भार के किसानों को राहत दिलाई है, उसी तरह देश में ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जो आज भी साहूकारों से ऋण लेते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जिस तरह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कार्यवाही की थी, उसी तरह आप भी उस योजना को क्रियान्वित करें और इस देश में ऐसा कानून बनायें, जिससे हमारे किसान भाइयों को साहूकारों के चुंगल से मुक्ति मिल सके।

अपराह्न 3.33 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी शहीद हो गये और उसके बाद देश में पांच सालों के लिए जो सरकार बनी, उसने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किये। लेकिन साम्प्रदायिक और अवसरवादी ताकतों ने एक सोची–समझी ताकत के तहत देश में साम्प्रदायिकता का वातावरण बना दिया और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनमानस को गुमराह किया और देश में अपनी सरकार बना ली। उनके शासन के दौरान देश की प्रशासनिक और आर्थिक जड़ें खोखली हो गई और सारा देश मायूसी में डूब गया। उस समय भारत की जनता के आग्रह पर देश का नेतृत्व संभालने के लिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी आगे आई और उन्होंने अपनी निष्ठा, परिश्रम, कड़ी मेहनत और नेहरू खानदान की परम्पराओं के अनुसार देश का नेतृत्व किया इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार में आज तक ऐसी दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती, जब सारा देश किसी बहुमत प्राप्त नेता को प्रधान मंत्री बनने का आग्रह कर रहा हो और उस नेता ने प्रधान मंत्री का पद खुद स्वीकार न करते हुए एक दूसरे योग्य व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और खुद ने गरीब, मजदूरों और किसानों के लिए अंधेरे कोनों तक सूरज की रोशनी पहुंचाने के लिए कमर कस ली हो। उनके द्वारा चलाये गये अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत आज देश का बच्चा–बच्चा उनके साथ है। शायद किसी शायर ने ठीक ही कहा है:–

"अकेला ही चला था जानिबे मंजिल
लोग मिलते गये और कारवां बढ़ता गया"।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें सभी को राहत देने की कोशिश की गई है और खास तौर पर भारत और इंडिया के बीच जो खाई है, उसे पाटने की ईमानदार कोशिश वित्त मंत्री जी द्वारा की गई है। कुल मिलाकर बजट सिर्फ किसानों के हितों का नहीं बल्कि हर आबंटन किसी न किसी वर्ग, जाति और क्षेत्र तथा इलाके के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कुल मिलाकर बजट में घोषित सारी रियायतें जमीनी हैं। छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई रियायतों और कर्ज माफी की कीमत यदि देखी जाए तो यह बजट का मात्र दस प्रतिशत है। इस तरह किसान ने अर्थशास्त्र को सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उठाया गया है। इस देश में 70 फीसदी लोग आज भी किसानी करते हैं और समय–समय पर उनके पुनर्वास के लिए सरकारों द्वारा योजनाएं बनायी जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कदम से बेहद रोमांचित हूं जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी के उन शब्दों को दोहराते हुए कहा था जो हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आजादी की पहली रात को अपने भाषण में कहे थे। उनके मशहूर भाषण ट्राइस्ट विद् डाइनेस्टी में उन्होंने कहा था कि हम तब तक रूकेंगे नहीं जब तक सारे किसानों के आंसू नहीं पौंछ लेते। मैं खुद एक किसान परिवार से आया हूं और उनके दुख दर्द का साक्षी हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण भारत की प्राथमिकता को समझा है और यह आशा जगी है कि ग्रामीण भारत आधुनिक भारत की विकास की गति के साथ कदम मिलाकर चल सकेगा, गांवों से पलायन रुकेगा, शहरों में गंदी बस्ती को विराम लगेगा और कृषि की वृद्धि दर जो विगत वर्षों से अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही है, उसे बढ़ाने में वर्तमान बजट में की गई वित्तीय व्यवस्था में सहायक होंगे। बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 32,667 करोड़ खाद्य अनुदान देने की जो व्यवस्था की गई है, इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण को राहत मिलेगी परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जो राज्य सरकारें हैं, वे इसका क्रियान्वयन ठीक से करें और इसका लाभ नीचे के लोगों तक ठीक से पहुंचाने की व्यवस्था करें।

प्रोफेसर वैद्यनाथन कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर 17 राज्यों में पुनरुत्थान के लिए जो कार्रवाई की गई है, उससे निश्चित रुप से हमारा सरकारी आंदोलन मजबूत हुआ है। अभी तक 1185 करोड़ 4 राज्यों में दिए गये हैं। इस दिशा में मेरा अनुरोध है कि दीर्घकालीन संस्थाओं के पुनरूत्थान के लिए जो समिति केन्द्र और राज्य सरकारों में बनी हैं, उसका क्रियान्वयन अतिशीघ्र किया जाए। ग्रामीण विकास के लिए आरजीईएस में वर्ष 2008–09 में 14,000 करोड़ रुपये की जो वृद्धि की गई है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्राइवेट सड़कों के लिए 4000 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है जिससे विकास को गति मिलेगी।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 5500 करोड़ रुपये का जो आबंटन किया गया है, निश्चित रूप से हमारे देश में जो गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, उनमें उजाला पहुंचाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फसल बीमा योजना के अंतर्गत यूपीए सरकार ने एक सकारात्मक सोच ली है और इस योजना का संशोधन विचाराधीन है। साथ ही वर्तमान योजना को यथावत जारी रखते हुए वर्ष 2008–09 में खरीफ और रबी की फसल के लिए 644 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और, साथ ही उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो योजना विचाराधीन है, उसे किसानों के हित में अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में शीघ्र निर्णय पारित करने की कृपा करें। सिंचाई और जल संसाधन की दिशा में वित्त मंत्री जी ने सकारात्मक पहल की है। इससे निश्चित रूप से कृषि विकास में गति मिलेगी और खासकर सिंचाई और जल संसाधन

[श्री अरुण यादव]

वित्त निगम का जो गठन किया गया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके लिए इस बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

निश्चित रुप से हमारी सिंचाई योजनाओं को इन से लाभ मिलने वाला है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं जिसकी लाईफ नर्मदा है जिसकी निर्मल धारा में मैं अखटेलियां करते हुये पला – बढ़ा हूं। वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस डैम का शिलान्यास किया था और उन्हीं के नाम पर इंदिरा सागर डैम बनकर तैयार हुआ। उससे न केवल निमाड़ जिला बल्कि पूरा मध्य प्रदेश लाभ ले रहा है। यह डैम खरगोन और निमोड़ जिलों के वासियों के लिये उनका अंतिम उपहार था। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने नर्मदा घाटी विकास परियोजना ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि यह आपका मेडन भाषण है, फिर भी आपको बोलते हुये 12 मिनट हो गये हैं।

श्री अरुण यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिये केन्द्र सरकार की ओर से पिछले वर्ष जो पैसा दिया गया, उसमें से एक हजार करोड़ रुपया लैप्स हो गया है। उसका कारण मध्य प्रदेश की बी.जे.पी. की सरकार द्वारा उस पैसा का उपयोग न किया जाना है। फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने समय समय पर नर्मदा घाटी विकास परियोजना और अन्य योजनाओं के लिये पैसा दिया है। हमारे क्षेत्र की ऑकारेश्वर जल परियोजना, अपर वेदा परियोजना, कठौरा परियोजना और बहुत ही शीघ्र प्रारंभ होने वाली लोअरगोई परियोजना के लिये माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बहुत सी धनराशि उपलब्ध कराने के लिये निमाड़ के लोगों की ओर से उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा अनुरोध है कि हमारी लोअरगोई महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना को शीघ्र चालू कराने के लिये स्वीकृति प्रदान करे।

उपाध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये क्रमशः 3986 करोड़ रुपये और 18,983 करोड़ रुपये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में रखे गये हैं। इसमें विशेष रूप से 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये लक्षित किये गये हैं। मैं उसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत करने के लिये दिये गये दिशा निर्देश सामाजिक सुधार को गति देंगे। इस क्षेत्र के लिये 20 प्रतिशत आबंटन बढ़ाने की जो पहल की गई है, वह सराहनीय है। वर्ष 2008–09 के बजट में शिक्षा के लिये 34,400 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के लिये 13,100 करोड़ रुपये, मिड–डे–मील के लिये 13,800 करोड़ रुपये और सैकंडरी एजुकेशन के लिये 40 करोड़ रुपये और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आबंटित किये गये हैं। निश्चित रूप से यह राशि शिक्षा के ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बड़वानी नवोदय विद्यालय को इसी सत्र में खुलवाने के लिये अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसी के साथ आप प्राइमरी एजुकेशन को इनकलूड कर लीजिये कि उसके लिये पैसा बढ़ाया जाये।

श्री अरुण यादव : उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2008–09 का जन–कल्याणकारी बजट जहां लोगों को खुश कर रहा है, वहां विपक्षी भौंचक्के हैं। उनकी आलोचनायें न केवल आधारहीन बल्कि हास्याप्रद हैं। उनका कहना कि बजट में जो घोषणायें की गई हैं, उसके लिये पैसा कहा से आयेगा तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि "इतदाय इश्क में होता है क्या, आगे–आगे देखिये होता है क्या?" कल तक जो अरण्य रोदन कर रहे थे, आज अनायास ही उनकी आंखों के आंसू क्यों सूख गये? उन्हें भी अवसर मिला था। वे चाहते तो किसानों के लिए बहुत से काम कर सकते थे। जाहिर है, उनके हित लगातार साहूकारों से जुड़े हैं। संघ, भाजपा और साहूकारों का गठबंधन है यह आप जानते हैं और किसान और कांग्रेस का गठबंधन भी जगजाहिर है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब गरीबी हटाओ आंदोलन चलाया था, तब भी उन पर बहुत सारे सवाल खड़े किये गये थे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की पहली स्पीच है लेकिन 20 मिनट हो गये हैं।

श्री अरुण यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा।

महोदय, किसानों और कांग्रेस का जो संबंध है, उसको पूरी शिद्दत देते हुए बजट 2008–2009 में माननीय वित्त मंत्री जी ने जाहिर किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पहली बार एक यथार्थ, पूरक, सटीक और लक्षित बजट देकर ग्रामीण भारत के प्रति खास तौर से अपनी कृतज्ञता जाहिर की है। उन्होंने जाहिराना तौर पर कहा है–

"प्यासी थी ज़मीन, लहू सारा पिला दिया,
मुझ पर वतन का कर्ज़ था, मैंने चुका दिया।"

महोदय, इस बजट में हमारे मुस्लिम और अल्पसंख्यक भाइयों के लिए बहुत प्रावधान किये गये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खरगौन क्षेत्र से बहुत से मुस्लिम भाई हज यात्रा के लिए प्रति वर्ष जाते हैं। हज यात्रा करने के लिए उन्हें मुम्बई या दिल्ली जाना पड़ता है जहां से उन्हें हज जाने के लिए फ्लाइट मिलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भोपाल और इंदौर में कृपया

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करें ओर भोपाल में हज हाउस की स्वीकृति देने का भी कष्ट करें।

मैं इस अवसर पर सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, माननीय वित्त मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, जबकि यह आपका पहला भाषण था तथापि यह तथ्यों पर आधारित था।

[हिन्दी]

अच्छी स्पीच थी आपकी।

***श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2008–09 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसे देखने पर साफ जाहिर होता है कि यह चुनावी बजट है। प्रधान मंत्री जी बार बार कहते थे कि राज्य सरकारें लोकलुभावन घोषणायें करने से बचें। लेकिन वित्त मंत्री जी ने सरकार के पक्ष में वोटों के जुगाड़ की खातिर समूचे केन्द्रीय बजट को किसानों की कर्ज माफी और आयकर में छूट जैसी केवल दो लोकलुभावन घोषणाओं तक ही सीमित कर दी है। बजट में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं महंगाई को रोकने की पहल नहीं की गयी है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी गयी है। आंकड़ों की बाजीगरी और लोकलुभावन घोषणाओं के पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर क्या है यह बजट लाने के एक दिन पूर्व सदन में प्रस्तुत किये गये आर्थिक सर्वेक्षण को गौर से देखने के बाद समझ में आता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकास दर 9.6 प्रतिशत से घटाकर 8.7 पर आ गयी है। उद्योग जगत में यह दर 11.6 से घटकर 9 प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्र में 3.8 से घटकर 2.6 प्रतिशत होने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार यदि आर्थिक विकास दर को दहाई अंकों पर बनाये रखना है तो कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और सतत विकास बनाये रखने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर 1993–94 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004–05 में 8.3 प्रतिशत हुयी है। 1990 से 2007 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 फीसद थी। इसी अवधि में खाद्यान्न उत्पादन की दर में केवल 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। पिछले चार वर्षों में वास्तविक महंगाई 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ी है।

महोदय, यूपीए सरकार जिस आम आदमी की दुहाई देती रहती है उसे पिछले चार बजटों और मौजूदा बजट में क्या मिला है? सरकार की नजर में आम आदमी केवल आयकर देने वाला मध्य वर्ग है। लेकिन वह इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है कि उसके ही द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 78 फीसदी लोगों की दैनिक आय 20 रुपये से भी कम है। बजट की पेचीदगी और आंकड़ों के खेल को आम जनता नहीं समझती। उसके लिए तो बिजली, पानी, यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता ही बजट की सफलता का पैमाना है। इस पैमाने पर हमारी हालत लगातार बदतर होती जा रही है। सरकार बुनियादी सुविधाओं में सुधार का भले ही दावा करती हो। लेकिन इस मामले में वह खुद संशय में है। वित्त मंत्री जी खुद कहते हैं कि लोगों तक एक रुपया पहुंचाने में चार रुपये खर्च हो जाते हैं और राशन का 58 फीसदी गेहूं लुटेरे डकार जाते हैं। सरकारी वितरण प्रणाली सब से भ्रष्ट सरकारी योजनाओं में बदल चुकी है। खुद सरकारी स्तर पर कराये गये सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के कारण निर्धन वर्ग के अधिकांश लोग इस योजना से वंचित रह जाते हैं। यूपीए के घटक दलों के साझा कार्यक्रम में शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करने का वादा किया गया था परन्तु मौजूदा बजट में यह 3 प्रतिशत के आस पास पहुंच पाया है। महिला कल्याण के लिये बजट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इस मद में गत वर्ष के 3.3 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष कुल बजट का 3.6 प्रतिशत धन आवंटित है। ग्रामीण रोजगार पर खर्च तो वास्तव में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत से घटकर 0.27 प्रतिशत रह गया है। बजट में इस सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को व्यापक और असरदार तरीके से लागू करने के मामले में माननीय वित्त मंत्री ने कंजूसी की है। इस योजना को लेकर वे खुद आश्वस्त नहीं है। अगले एक अप्रैल से यह योजना देश के सभी 596 ग्रामीण जिलों में लागू हो जायेगी। लेकिन उसमें पिछले वर्ष के 12 हजार करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष केवल 16 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इससे जाहिर होता है कि वित्त मंत्री की नजर में इस योजना का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस योजना में भारी भ्रष्टाचार और अनियमिततायें सामने आ रही हैं लेकिन इस पर नियंत्रण का कोई प्रावधान बजट प्रस्ताव में नहीं है। इस योजना की कलई हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से खुल चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किये गये जिलों में मात्र 3.2 प्रतिशत घरों को ही 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जा सका है। सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 8000 रुपये औसत वार्षिक आय कराने का दावा करती है लेकिन सर्वेक्षण से पता चला है कि लाभान्वित ग्रामीणों को इस योजना से हर साल केवल 1500 रुपये आमदनी हो रही है।

*भाषण हिन्दी पटल पर रखा गया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

मान्यवर, कर्जे में डूबे किसानों की कर्ज माफी के लिये 60 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा करके सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। इसे भुनाने के लिये गांव स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रैलियां करने की योजना बना रही है। लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने में चार साल का समय क्यों लिया जिसका उसने वायदा किया था। यदि यही फैसला पहले बजट में लिया गया होता तो हमारों किसानों की जान बचाई जा सकती थी। दो साल पहले हर 8 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता था और अब 4 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या वित्त मंत्री जी आत्महत्या के शिकार उन हजारों बदनसीब किसानों की कब्र पर कर्ज माफी का तोहफा समर्पित करेंगे? कर्ज माफी जरूरी होते हुये भी व्यापक कृषि संकट और किसानों की समस्याओं का स्थायी निदान नहीं है। यह तात्कालिक राहत देने वाला हो सकता है। असल समस्या को समझने की कोशिश नहीं की गयी है। यह कर्ज माफी बैंकों के माध्यम से होगी जबकि समस्या की असली जड़ निजी साहूकार हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एन एस एस ओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार केवल 36 प्रतिशत किसान ही सरकारी और संस्थागत बैंकों से कर्ज लेते हैं। इसी तरह हाल ही में जारी वित्तीय समावेश पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केवल 27 प्रतिशत किसान ही संस्थागत वित्तीय संस्थानों तक पहुंच रखते हैं। अर्थात बाकी किसान 36 से 48 प्रतिशत की ब्याज दर पर साहूकारों से कर्ज लेते हैं। बजट प्रस्ताव में इन बहुसंख्यक किसानों की कोई सुध नहीं ली गयी है। जब पूरे कृषि क्षेत्र पर संकट है तो बाकी किसानों के लिये सरकार ने कोई ठोस और सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाया है? कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किये बगैर किसानों को लंबे समय तक कर्ज के फंदे से नहीं बचाया जा सकता। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है और उसका विकास दर भी घटता जा रहा है। लेकिन बजट में इसमें सुधार लाने की कोशिश नहीं की गयी है। किसान कर्ज में इसीलिए डूबे हैं क्योंकि कृषि की उत्पादकता गिर रही है और वह लाभ का सौदा नहीं रह गया है। किसानों की असली समस्या यह है कि उन्हें खाद, बीज, कीटनाशक और सिंचाई सुविधा समय से उचित दर पर नहीं मिल पाता। इसके विपरीत उन्हें उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। बजट प्रस्ताव में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मा. वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए कृषि ऋणों के लिये 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और फसल ऋणों पर 7 प्रतिशत ब्याज दर को बरकरार रखा है। सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डा. एम. एस. स्वामीनाथन की उस सिफारिश को नजरअंदाज कर दी गयी है जिसमें कृषि ऋणों पर 4 फीसदी की ब्याज दर लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह फसल बीमा के लिये गत वर्ष 718 करोड़ रुपये दिया गया था जिसे घटाकर इस साल 644 करोड़ कर दिया गया है। मौसम आधारित बीमा के लिये पिछले बजट में 69.19 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो इस बार केवल 50 करोड़ रुपये है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नियत और नीति कृषि और किसानों के प्रति साफ नहीं है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की खुशहाली के साथ खिलवाड़ करते हुये वोट बटोरू बजट की गलतफहमी में बस किसानों को कर्ज माफी का झुनझुना थमा दिया है।

[अनुवाद]

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008–09 के वित्त मंत्री जी के बजट ने काफी सुख भ्रांति पैदा कर दी है। मैं ऋण माफी योजना का स्वागत करता हूं जिससे करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचेगा। कल सभा में माननीय संसद सदस्य श्री राहुल गांधी जी द्वारा एक संगत मुद्दा उठाया गया था। सरकार को भूमि उत्पादकता तथा स्थानीय फसल चक्र के आधार पर अंतिम निधि का निर्धारण को ध्यान में रखकर खुल बट्टे खाते में डाले जाने वाले ऋण की अर्हता को 2 हैक्टेयर भूमि की सीमा तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। खासतौर पर विदर्भ जैसे स्थानों के लिए महोदय, परंतु मुझे इसे परिपेक्ष्य में रखने का अवसर दें। पिछले वित्तीय वर्ष में, सीमा शुल्क में छूट, कार्पोरेट कर तथा उत्पाद शुल्क छूट एवं व्यक्तिगत आयकर छूटों के माध्यम से सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपये के कर व शुल्क बट्टे खाते में डाले। यह किसानों के लिए घोषित किए गए 60,000 करोड़ रुपये के एक मुश्त ऋण राहत से 4½ गुणा से भी अधिक हैं। यदि निर्यात संबंधी राजसहायता तथा छूटों पर विचार किया जाए तो यह बट्टे खाते विशालकाय 3.37 लाख करोड़ रुपये अथवा वास्तविक कर संग्रहण का 58% होगा। मैं एक विशिष्ट कालम लोक को उद्धृत करता हूं। हमारी छिन्न–भिन्न आर्थिक नीतिगत घोषणाओं पर टिप्पणी से अधिक वाग्मितापूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। "इसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के बारे में संदेह भी उठाए गए हैं। यह प्रबल संभावना है कि प्रत्येक ऋण प्राप्कर्त्ता के साथ संपर्क, खातों को बंद करने के लिए दावों का सत्यापन करने संबंधी जटिलताओं में प्रक्रिया फंस कर रह जाए। साथ ही 42.3% कृषि ऋण जो कि 48,000 करोड़ रुपये बनता है, को साहूकारों से, व्यापारियों, रिश्तेदारों श्रमिकों से लिया गया था। इन 48,000 करोड़ रुपये के लिए गए असंस्थागत ऋण में 18000 करोड़ रु. 30% प्रति वर्ष तथा इससे अधिक की दर ब्याज दर पर आरबीआई के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खुल खातों की संख्या 2.35 करोड़ है। इसमें छोटे व सीमांत किसानों के केवल 78 लाख खाते हैं। यह दर्शाता है कि किसानों की कितनी संख्या बैंकिंग सेवा से बाहर

है। जबकि ऋण माफी योजना जिसे कृषि ऋण ग्रस्तता पर विशेषज्ञ समूह द्वारा संस्तुत नहीं किया गया है की घोषणा की गई है, तथा एक आधारभूत सुझाव की अनदेखी की गई है। उन्होंने बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के एक मुश्त उपाय की संस्तुति की थी जिससे किसानों को साहूकारों के चुंगल से निकलने हेतु सक्षम किया जा सके। साथ ही, उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि साहूकारों के साथ बातचीत कर निपटारा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों, सिविल सोसायटी संगठन तथा किसान सहकारी संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए।

डा. आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में "साहूकार ऋण मुक्ति निधि" पर विशेषज्ञ समूह द्वारा 100 करोड़ रुपये की कामिक निधि की स्थापना के एक दीर्घकालीन सुझाव निश्चित ही ऋण माफी योजना की भांति चमत्कारी नहीं था। तथापि इस सुझाव में किसानों द्वारा साहूकारों से ऋणग्रस्तता की समस्याओं से निपटने का गुण था जिसके कारण आत्महत्याएं होती हैं। माननीय वित्त मंत्री का बजट पश्चात यहां मौजूद हैं तथा जो लोग साहूकारों की देयताओं से राहत के लिए दबाव दे रहे हैं वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इसके आकार का किस प्रकार पता लगाया जाए। मैं सुझाव दूंगा कि सभा इस बात को मद्देनजर रखे कि विशेषज्ञ पैनल ने केरल सरकार में वाम प्रजातंत्रिक मोर्चे की सरकार के केरल के किसानों के लिए ऋण राहत आयोग विधेयक की एक मानक के रुप में प्रशंसा की है।

हम छोटे व सीमांत किसानों को राहत क्यों नहीं देते हैं तथा उन्हें उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर एक अच्छी आय उपलब्ध करा कर उन्हें आर्थिक रुप से जीवनक्षम बनाते हैं? क्या मुझे यह कहने की आवश्यकता है कि समृद्ध पश्चिमी देश बिलियन डालर की कृषि राजसहायता प्रदान कर रहे हैं? भारत में 52% लोग केवल एक मात्र जीवनयापन माध्यम के रूप में कृषि पर निर्भर हैं। यदि इतनी बड़ी जनसंख्या को बेदखल कर दिया जाए अथवा हाशिये पर रख दिया जाए तो समावेशी विकास की सभी बातें बेमानी हो जाएगी। भूमि, जल अथवा बीजों को कार्पोरेट हितों को सौंपना जिनका एक मात्र उद्देश्य लाभकर कमाना होता है हमारे सामाजिक वचनबद्धता की अनदेखी करना होगा। गरीब लोग, भूमि के वैध स्वामी इस बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में एक देयताएं हैं; जहां जल सहित प्राकृतिक संसाधन कारपोरेट लूटपाट का विषय बन गया है। यहां खाद्य सुरक्षा के अहम पहलू को उजागर करना तर्कसंगत होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्य कीमतों के विषय पर सचेत किया है तथा यह चेतावनी दी है कि यह परिदृश्य 2010 तक रहेगा। विश्व खाद्य भण्डार अपने 30 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है। इस प्रकार के परिदृश्य में यदि हमारे किसान फसल उत्पादन करने में असफल होते हैं तो देश किस प्रकार सामर्थ्य से परे कृषि आयातों को जारी रखने में सफल हो पाएगा, जिस पर बढ़ते कच्चे तेल के मूल्य तथा फसल को बायो ईंधन बनाने के लिए उपयोग करने में विपणन के दोहरी प्रत्यक्ष घटना का भी प्रभाव पड़ा है।

मैं कुछ मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। बच्चों व महिलाओं पर दिया गया ध्यान प्रशंसनीय है। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके वे हकदार थे। तथापि, मधुआरों का वैध शिकायत है कि उनके हितों की अनदेखी की गई है तथा इन्हें निपटाया जाना होगा। शिक्षा व स्वास्थ्य के दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रक्षा क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए आबंटन के आकार का एक चौथाई तथा 1/8 वां आबंटन प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय कम किए बिना क्या अपने बच्चों को अच्छा भविष्य व देश के लोगों को स्वास्थ्य सुनिश्चित कराना हमारा सामाजिक कर्तव्य नहीं है?

[हिन्दी]

*श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : आपको धन्यवाद करते हुए कि मुझे बजट 2008 पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया।

यह बजट इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाला, देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला, सिर्फ लोक-लुभान चुनावी बजट है जिसमें आम आदमी की कोई चिन्ता नहीं की गई है।

मान्यवर सरकारें बजट बनाती क्यों हैं लोगों को सुखी करने या दुखी करने के लिए। योजनायें क्यों बनती हैं? देश के विकास के लिए या फिर विनाश के लिए मुझे लगता है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ चुनावी नारा देकर यू. पी. ए. ने सरकार बनाई थी आज चार साल के बाद अनुभव यह आता है कि कांग्रेस हाथ में छुपी हुई ब्लेड के साथ आम आदमी की जेब कब कट गई कैसे कट गई इसका पता ही आम आदमी को नहीं चला। अपनी बात को तर्क देकर प्रस्थापित करना चाहूंगी सभा पटल पर।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एन.डी.ए. से तुलना करते हुए कहा था अनेक बार एन.डी.ए. ने ये किया, हमने ये किया, उसके कार्यकाल में दाल, चावल, चीनी, गैस, सेलेन्डर के जो दाम थे आप कृपा करके उन दामों पर जन उपयोग की रोजमर्रा की चीजें आम आदमी को मिले उतना ही करें। देश की सामान्य जनता को और कुछ नहीं चाहिए परंतु दुःख की बात यह है कि आपका ध्यान इस ओर है ही नहीं।

महंगा दूध सस्ती शराब,
सस्ती कार वाह सरकार,

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर]

सामान्य गृहिणी अपने बच्चों को एक कप दूध भी नहीं पिला पाती है। क्या जवाब है आपके पास इसका क्या सुझाव है? किसानों का कर्जा माफ करने की बात रखकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो वाह वाह कर रहे हो और दुख की बात तो यह है कि यह बजट भाषण चल रहा है और उसी समय कांग्रेस के द्वारा आयोजित किसान सोनिया जी का अभिवादन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने कब बजट भाषण सुना और अपनी बातें करने उठकर कैसे कार्यक्रम में पहुंचे? इन ढोल नगाड़ों में उन किसानों की चीखें दब जायेंगी जिन्होंने अपने देहात के किसी महाजन से कर्ज लिया होगा जो ये कभी नहीं चुका पायेंगे।

वित्तमंत्री जी आपको मालूम है। महाजनों से कर्ज लेने वाले 52 किसानों का क्या होगा मैं पूछना चाहती हूं आपने उनके बारे में कोई प्रावधान किया है दूसरा प्रश्न जो कर्ज भार न चुकाने पर मर चुके हैं उनके बारे में क्या प्रावधान किया है और क्या करने वाले हो इसका भी जवाब है।

मैं बात करना चाहूंगी आपके द्वारा लिये गये कोमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में आप ने कहा था आप रोजगार योजनाएं लायेंगे, चार सालों में कुछ नहीं हुआ आज भी ज्यों की त्यों हैं लोग उसी जगह बेकारी, मजबूरी और महंगाई से मरते हैं।

ऐसे ही आपने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आपने शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करने की कसम खाई थी। आज भी देश में शिक्षकों की कमी है, स्कूलों में कमरों की कमी, स्कूलों में बच्चों के पीने के पानी की और टायलेट्स की व्यवस्था भी नहीं है। ऑगनवाडियों के मकान नहीं है मैं पूछना चाहती हूं क्या मतलब है सर्वशिक्षा अभियान का उन स्कूलों में सामान्य स्थिति के बच्चे पढ़ते हैं जो चाहते हुए भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं।

यही स्थिति स्वास्थ्य सेबाओं में भी है मात्र 16000 करोड़ आपने प्रावधान के रुप में रखे हैं जो कि जी.डी.पी. का 0.3 प्रतिशत बनता है। आज स्वास्थ्य चिकित्सा बहुत महंगी है, लाईफ सेविंग ड्रग्स महंगी है। हमारे गरीब बच्चे और उनकी माताओं में खून की कमी है। यह पूरे देश में सामान्य समस्या है। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कम न होने का कारण भी यही है। इन बातों के सुनिश्चित आकलन और समस्याओं के समाधान की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

देश की सुरक्षा के लिए 1 लाख 16 हजार करोड़ प्रावधान किया गया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु देश की आंतरिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। इस बारे में गुजरात सरकार द्वारा गुजकोक कानून को पारित करने की अनुमति देने पर भी मैं जोर देना चाहूंगी।

यूपीए सरकार को धन्यवाद एक बात पर जरूर देना चाहूंगी कि सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायक महिलाओं को मिलने वाले वेतन को बढ़ाया है, यह हमारी भी मांग थी ही परंतु उनको कोई बीमा कवर भी दिया जाये। यह मेरी प्रार्थना है क्योंकि सरकारों द्वारा प्रचालित योजनाओं को परिचालन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

अंत में नदियों को जोड़कर मानसून में व्यर्थ बहे जाने वाले पानी का प्रबंधन जो कि एनडीए सरकार ने शुरूआत की थी जिससे देशवासियों सूखा और अकाल दोनों स्थितियों में पड़ने वाली तकलीफों से बचाने वाली व्यवस्था पर ध्यान देकर उसे प्रचलित करने की योजना पर ज्यादा जोर दें। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : मैं संप्रग सरकार द्वारा 60,000 करोड़ रु. के किसान ऋणों को माफ करने के लिए उठाए गए कदम का स्वागत करती हूं। किंतु मुझे बहुत अधिक संदेह है कि क्या इससे चार करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ मिल जायेगा अथवा नहीं। एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ऋण माफी का लाभ 75 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसानों को नहीं मिल पायेगा। दूसरे अध्ययन से पता चलता है कि 78.5 प्रतिशत किसानों ने महाजनों से पैसा उधार लिया है। यदि यह सच है और वास्तविक स्थिति है तो इस ऋण माफी का लाभ किसे मिलेगा? 22.5 प्रतिशत किसानों के एक छोटे वर्ग ने बैंकों से ऋण लिये हैं। यदि हम कुल ऋण माफी की राशि अर्थात् 60000 करोड़ रु. को देश के चार करोड़ किसानों की संख्या से भाग दें तो एक किसान को मात्र 15,000 रु. की राशि मिलेगी। यह और कुछ नहीं बल्कि चुनावी पैंतरा है।

हमारा कृषि क्षेत्र गंभीर संकट में है। जबकि हमारी आबादी 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है तब खाद्यान्न में मात्र 1.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। कृषि की उपेक्षा के कारण विदर्भ तथा देश के अन्य भागों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान कृषि का विकास दर मात्र 2.6 प्रतिशत है। लम्बे समय से सिंचाई, कृषि अनुसंधान, ग्रामीण अवसंरचना में सरकारी निवेश की उपेक्षा की गयी है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं तथा आम आदमी के गले का फांस बनी हुई हैं। दवाओं, सीमेंट तथा सब्जियों की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। निर्माण सामग्रियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है। सीमेंट कंपनियों द्वारा सीमेंट की कीमतें बारबार बढ़ाए जाने पर केन्द्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

मेरे राज्य उड़ीसा से राज्य में आई आई टी की स्थापना के लिए

बार बार मांग किये जाने के बावजूद आज तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार को उड़ीसा में तत्काल आई आई टी की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया में सबसे ज्यादा करोड़पति भारत में हैं और हमें इस बात का गर्व है। किंतु दुनिया में सबसे अधिक गरीबों की संख्या भी भारत में ही है। ऐसी असमानता यहां है। इस मुद्दे से निपटने के लिए शिक्षा और रोजगार सृजन बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार इस पहलू पर विफल रही है। अतएव, मैं वित्त मंत्री से कार्यान्वयन हेतु उपर्युक्त बातों को नोट करने का अनुरोध करती हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगी।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह (मिण्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन दिन से लगातार अपने माननीय सांसदों का भाषण सुन रहा था। सभी के भाषण का केन्द्र बिन्दु इस देश का किसान है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है, उसी के कारण सभी को ध्यान आया कि इस देश में किसान भी रहता है। अभी हमारे सामने वाले कुछ सांसद मित्रों ने कहा कि 60 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी से विपक्ष के लोगों के होश उड़ गए हैं। शायद उन्हें यह पता नहीं है कि इस देश की आजादी के पहली बार यदि किसी ने किसानों की तरफ रूख किया था तो वह एनडीए की सरकार और उसके प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जिन्होंने 25 दिसम्बर, 2000 को पहली बार घोषणा की थी कि वर्ष 2007 तक इस देश में 500 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। वहीं से इस देश के किसानों की तरफ ध्यान देने की शुरूआत हुई थी। आपने 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करने की बात कही है। मुझे लगता है कि यह घोषणा पूरी तरह से चुनाव को देखकर जल्दबाजी और हडबड़ाहट में की गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि न तो इसका कहीं सर्वे ही हुआ है और न ही इसका कोई आकलन किया गया कि यह किन लोगों के लिए और किस तरह से होगा? मेरे ध्यान में आता है कि यह कर्ज माफी महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर की गई है। आपने इसमें यह नहीं बताया है कि राज्यवार कितने किसानों का, कितना कर्ज माफ होगा? इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। हम अपेक्षा करेंगे कि आप अपने जवाब में इसे बताएंगे और इससे पूरे देश के सामने इसका नक्शा आ जाएगा। मराठवाड़ा में करीब पांच हजार करोड़ रुपये कर्ज माफी का अनुमान है। विदर्भ में, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, वहां एक सौ करोड़ रुपये के आस पास कर्ज माफी का अनुमान है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश से, वहां से चार-पांच सौ करोड़ की कर्ज माफी का अनुमान है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य तय किया जाता है, आज तक यह नहीं पता लगा है कि यह किस फार्मूले के तहत किया जाता है? जहां तक मेरी जानकारी है, उसका फार्मूला इन्होंने बनाया है;

अपराह्न 4.00 बजे

अकुशल किसान के आधार पर लागत लगाकर समर्थन मूल्य तय होता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश के किसान से ज्यादा कुशल कौन हो सकता है, जिसकी अकुशलता के आधार पर आप समर्थन मूल्य तय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कृषि मंत्री जी का बयान पढ़ा था, उन्होंने उसमें इस देश में खाद्यान्न की कमी की आशंका जाहिर की थी तो ऐसा क्यों नहीं होगा। किसान एक तरह से खेती की तरफ से निराश हो रहा है। अगर पूरे देश का सर्वे कराया जाये तो समझ में आयेगा, जिस आबादी के बारे में आज भी हम कहते चले आ रहे हैं कि इस देश में 75 से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। वहां पर अगर ठीक से सर्वे हो जाये तो पता चलेगा कि कितने लोग रोजगार की तलाश में खेती को छोड़-छोड़ कर शहरों में जा रहे हैं और इस कारण कि उनको अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा। जब मूल्य नहीं मिलेगा तो कौन किसान खेती चाहेगा। आज इस देश में अगर कोई साधारण फोर्थ क्लास का कर्मचारी, जिसको सबसे कम तनख्वाह मिलती है, आखिरी तनख्वाह मिलती है, वह नौकरी करना चाहता है, खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि खेती में उसको उतना पैसा नहीं मिलता, जो इस देश के सबसे नीचे वाले कर्मचारी को मिलता है, लेकिन अगर उसका मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य तय किया गया होता, तो किसान की यह हालत नहीं होती। इस देश में जो असिंचित जमीन है, उसके किसान की तो यह स्थिति है कि वे खेती करने के बाद दाल रोटी खाने की भी परेशानी में है, दाल रोटी भी आज उनको नहीं मिल पा रही है वे लोग आज मजदूरी कर रहे हैं।

हम माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, एक गांव में एक कहावत है कि देर से आये, दुरुस्त आये, लेकिन ये देर से तो आये हैं, लेकिन दुरुस्त नहीं आये हैं। दुरुस्त तब आते कि इसके लिए उपाय किये जाते। आपने इसमें जो 8.8 प्रतिशत औसतन वृद्धि की चर्चा की है, इतना आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो कृषि की हिस्सेदारी है, वह 2.5 प्रतिशत है। आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? उसमें भी अगर विश्लेषण करें तो सर्विस सैक्टर में 73 प्रतिशत उद्योगों में 15 प्रतिशत और जो एग्रीकल्चर में है, वह मात्र 12 प्रतिशत, यानि 75 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी ही इसमें नहीं है। उनकी हिस्सेदारी सिर्फ

[डा. राम लखन सिंह]

2.5 प्रतिशत की है और फिर आप इस देश को विकसित देशों की सूची में ले जाने की कल्पना कर रहे हैं।

उनके लिए आपने सिंचाई के लिए एलाटमेंट किया है, इरीगेशन के लिए बात कही है, इन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए बात कही है, लेकिन सूखे का कहीं जिक्र नहीं है। आप सूखे को इसमें शामिल नहीं कर रहे। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, हमारी कांस्टीट्वेंसी भी बुन्देलखंड में आती है, वहां पर लगातार 3–4 साल से सूखा पड़ रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, आये दिन लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। वहां जानवरों के लिए भूसा नहीं है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है। लोग गांव छोड़–छोड़ कर जा रहे हैं। उस सूखे के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं है देश के कई भागों में सूखा पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने बजट में कोई एलाटमेंट नहीं की। मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि इसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाये, ताकि हम वहां के किसानों की मदद कर सकें, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। बार–बार निवेदन करने के बाद भी कोई जिक्र नहीं है।

हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश में 141 मिलियन हैक्टेयर में से मात्र 79 मिलियन हैक्टेयर सिंचित जमीन है और आपने जो कर्जा माफी की घोषणा की है, उसमें कोई भेद नहीं किया है कि सिंचित और असिंचित में क्या फर्क होगा। जब सिंचित के लिए दो हैक्टेयर आपने सीमा तय की है, अगर दो हैक्टेयर सिंचित जमीन का किसान कर्जा लेगा और उसकी माफी आप कर रहे हैं तो जो दो हैक्टेयर की असिंचित जमीन है, वह तो कहीं भी नहीं आयेगा। वैसे तो दो हैक्टेयर का सिंचित किसान भी कर्जे की स्थिति में नहीं पहुंचता।

कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं, राहुल गांधी जी, जो आदरणीय सांसद हैं, हमें खुशी हुयी कि उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सिंचित और असिंचित भूमि का दायरा बढ़ाना चाहिए। मेरी कांस्टीच्युएंसी रिजर्व हो गयी है, इसलिए मैं तीन दिन से यहां लगातार बैठा हुआ था। हो सकता है कि यह मेरा आखिरी भाषण हो, इसलिए आपके संरक्षण की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नौ मिनट ले चुके हैं। अभी 12 सदस्य और बोलने वाले हैं। कृपया, आप जल्दी अपनी बात समाप्त करिए।

डा. राम लखन सिंह : महोदय, आपने लोगों को 15 मिनट तक बोलने के लिए दिए हैं, कृपया आप थोड़ा मुझे संरक्षण दें। मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कर्ज माफी की बात कही है, कर्ज माफी इस देश में किसानों की हालत में सुधार का कोई स्थायी हल नहीं है। जब तक इस देश में सिंचाई और ऊर्जा की योजनाएं द्रुत गति से नहीं चालू की जाएंगी, तब तक कोई स्थाई हल नहीं हो सकता। आप किसानों के लिए सिंचाई और बिजली उपलब्ध कराइए। उन पर जो चार्ज होता है, आप उन्हें उतना नहीं दे पा रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा उनसे वसूलते हैं। आप समर्थन मूल्य प्रापर उसकी लागत को लगाकर नहीं लगाते, अकुशलता के आधार पर आप इसे तय करते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे किसान की हालत सुधरेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद ऐसे प्रदेश से हैं जहां खेती ठीक से होती थी और आज स्थिति क्या है? आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र लगातार सूखे से जूझ रहा है, वहां के लिए विशेष तौर से कुछ पैकेज दिया जाए। यहां बार–बार गेहूं की बात आयी कि हम गेहूं को आयात कर रहे हैं। उस गेहूं की शक्ल आपने भी देखी होगी। वह कैसी शक्ल का गेहूं है? आप अपने यहां के किसान को इसके लिए साढ़े आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं और जो गेहूं आयात कर रहे हैं, उसके लिए 16 सौ रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। जो गेहूं बाहर से आ रहा है, उसे जानवर भी नहीं खा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात कई बार आ चुकी है।

डा. राम लखन सिंह : महोदय, मैंने उस गेहूं को देखा है। मैं इस बात को विशेष तौर से आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया किसानों के साथ हो रहा है? आज आप 60 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी देकर वाहवाही लूटना चाहते हैं।

जिन क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्यायें की हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों में जिन किसानों ने आत्महत्यायें की हैं, उनका सर्वे कराया गया कि उनके ऊपर कौन सा कर्ज था और किससे उन्होंने कर्ज लिया था? क्या इसके लिए कोई सर्वे हुआ या इसका कोई आकलन हुआ? अगर इसका आकलन कराया गया होता, तो ये बातें सामने आतीं।

महोदय, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने बजट में शिक्षा खर्च पर वृद्धि की है, आप कहते हैं कि बीस प्रतिशत की वृद्धि इसमें की है। हम एक बात के लिए जरूर इनका स्वागत करना चाहते हैं कि इन्होंने छः हजार माडल स्कूल खोलने की बात की है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये स्कूल देहाती क्षेत्र में खुलेंगे या शहरी क्षेत्र में खुलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे देहाती क्षेत्रों में शिक्षा खत्म हो गयी। आप चाहें सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर पैसा दें या गुरु शिक्षा के नाम

पर पैसा दें, किसी के नाम पर पैसा देते जाएं, स्कूल भवन बनाते जाएं, लेकिन वहां की क्वालिटी खत्म हो गयी। वहां पर पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गयी। लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। अगर आपने ईमानदारी के साथ 650 करोड़ रुपए माडल स्कूल बनाने के लिए दिये हैं, तो महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये माडल स्कूल देहाती क्षेत्रों में बनाये जाने चाहिए, तभी इस देश के किसानों को भी इस विकास की गति में हिस्सदारी मिलेगी।

महोदय, मैं स्वास्थ्य के ऊपर अपनी अंतिम बात कहना चाहूंगा। आपको पता है कि आज स्थिति क्या है? मैं जब से दिल्ली आया हूं, आज स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि पांच से लेकर सात पेशेंट हमारे पास रोजाना आते हैं। वे कैंसर से पीड़ित होते हैं, हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, किडनी खराब होने से पीड़ित होते हैं। इसमें प्रावधान है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें सरकार पूरा पैसा देगी। पहली बात यह है कि उस सूची में बहुत कम लोग आते हैं। मेरा मानना है कि जो खेती करने वाला किसान या मजदूर है, भले ही वह बीपीएल की सूची में है या नहीं, लेकिन हर किसान या मजदूर की यह हैसियत नहीं है कि यदि वह कैंसर से पीड़ित है तो अपना इलाज करवा सके, हृदय रोग से पीड़ित है तो अपना इलाज करवा सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों के लिए एक क्राइटेरिया बने कि यदि वे कैंसर से पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं या किडनी खराबी हो गई है, तो उनके लिए पूरा अनुदान दिया जाए।

आपको पता है कि एम्स पूरे देश का एकमात्र ऐसा आयुर्विज्ञान संस्थान था जहां पूरे देश से लोग आते थे। जब उसका निर्माण हुआ, तब इस देश की आबादी 35 करोड़ थी जो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गई है। आपने पिछले समय देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी का वहां के डायरैक्टर से झगड़ा हो गया। उसके कारण वहां के काफी विशेषज्ञ प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। वहां कोई विशेषज्ञ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों को वैसे ही सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आयुर्विज्ञान संस्थान जिसकी पूरे देश में पहचान बनी, उसे कम से कम ऐसा बनाए रखें कि वहां अच्छे डाक्टर रहें ताकि देश की जनता का विश्वास बना रहे। पूरे देश में इसी तरह के छः आयुर्विज्ञान स्तर के औषधालय खोलने की जो बात एनडीए सरकार ने की थी, उसके लिए आपने 50 करोड़ रुपये दिए हैं, जो ठीक नहीं हैं। उस पैसे से एक औषधालय भी नहीं बन पाएगा। हम निवेदन करना चाहते हैं कि उन छः आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए जो छः राज्यों में दिए गए हैं, कम से कम इतना पैसा दिया जाए कि वे दो–तीन साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएं ताकि यहां का प्रैशर कम हो जाए।

आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया पांच मिनट ही बोलें, अन्यथा मैं सबको समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं, जहां की चर्चा लोक सभा में होती ही नहीं है। आप जानते हैं कि देश के जो केन्द्र शासित इलाका है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती और मौका भी नहीं मिलता। अभी तक यहां सारे देश की जितनी चर्चा वित्तीय व्यवस्था को लेकर हुई, मैं उस सबमें नहीं जाना चाहता। मैं अपने आपको उस जगह पर केन्द्रित करना चाहता हूं जहां पर चर्चा नहीं होती। केन्द्र शासित इलाके में अंडमान और निकोबार एक जगह है जहां भयानक रूप से सुनामी आई थी। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस समय से हमेशा उनकी सिम्पथी हमारे साथ रही है। उन्होंने हमें कभी भी वित्तीय कमी नहीं आने दी। वित्त मंत्री जी, हमें एक बात कहनी पड़ती है कि आपने इतना परिश्रम करके बजट पेश किया, लेकिन आप शायद यह भूल गए कि कुछ केन्द्र शासित इलाके ऐसे हैं जहां असैम्बली नहीं है, विधान सभा नहीं है कुछ नहीं है। अगर हमें वहां की कुछ बात करनी है, तो वह भी हमें पार्लियामेंट में ही करनी होगी। जब तक सदन का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वहां कुछ भी विकास का काम नहीं हो सकता। आपने हमारे राज्य के विकास के लिए बहुत पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह पैसा सही ढंग से काम में लगा और कितना पैसा आपको वापिस मिला?

मैं एक बात बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वहां डिजास्टर के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। केन्द्र सरकार ने हमारे क्षेत्र में पुनर्निर्माण और विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सारे देश में एक व्यवस्था है और हमारे क्षेत्र में अलग व्यवस्था है। सारे देश में एक विधान सभा है जहां विधायक अपने क्षेत्र के विकास, लोगों के दुख–दर्द और केन्द्र से क्या मिलता है, आदि सारी बातें करते हैं। हमारे यहां एक व्यक्ति का शासन है। एक व्यक्ति जो कुछ चाहेगा, वही करेगा। एक व्यक्ति अगर निर्माण करना चाहता है, तो वह होगा। यदि वह निर्माण नहीं करना चाहता, तो निर्माण नहीं होगा। हमारा कहना है कि जब तक आप इस व्यवस्था पर आघात नहीं करेंगे, देश के बाकी हिस्सों की तरह हमें भी बराबरी का, विधान सभा का अधिकार नहीं देंगे तब तक वहां का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां विधान सभा के गठन के बारे में यूनेनीमसली अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनामी के समय यदि अंडमान निकोबार द्वीप

[श्री मनोरंजन भक्त]

समूह में कोई विधान सभा होती, लोगों के द्वारा सरकार चलती, तो यह बात न होती। वहां बहुत अच्छा काम होता और लोगों को तकलीफ कम होती। हमारा कहना है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सरकार और होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक सदन इस बात को तय नहीं करेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को भी बराबर का अधिकार मिले, तब तक कुछ नहीं होगा। देश के बाकी इलाकों के लोगों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे अधिकार हमें भी प्राप्त होने चाहिएं। जब तक हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक वहां के लोगों के दुख–दर्द दूर नहीं होंगे। आप वहां के विकास के लिए रुपये का प्रावधान करेंगे, लेकिन उस रुपये का खर्चा कैसे होगा? कुछ ब्यूरोक्रेट्स उस रुपये का खर्चा मन माफिक करेंगे। आज वहां हालात यह है कि यदि कुछ किराया बढ़ता है, तो हमारे यहां के लोग जैसा चाहें वैसा किराया बढ़ा देते हैं। वे लोग हमारे से कुछ भी बात करना जरूरी नहीं समझते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा बजट दिया, तो उसका लाभ उठाने के लिए हर जगह बराबर की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां बराबर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपके इतने अच्छे बजट का लाभ नहीं उठा पायेंगे। दूसरा, हमारे यहां आजकल टूरिज्म का मौसम है। लोग इस समय अंडमान निकोबार काफी संख्या में जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : आपने घंटी बजा दी है। हमने तो अभी अपना भाषण शुरू किया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलते हुए छः मिनट हो गये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : मैं यही बताना चाहता हूं कि आपने हमेशा दूर–दराज के इलाकों ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा आपका ख्याल रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : मैं यही कह रहा हूं कि आप दूर–दराज के लोगों का काफी अच्छा ख्याल रखते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारे दुख तकलीफ को सोचा है। मैं मंत्री जी से यही बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विधान सभा के लिए प्रयत्न करें। इस सदन में जितने मेम्बर्स हैं उन सबसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। कि आने वाले समय में हमें भी देश के बाकी हिस्सों की तरह यह अधिकार दीजिए जिससे हम भी अपने विकास का काम कर सकें। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय में विचार करने के लिए कैबिनेट में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है। माननीय वित्त मंत्री जी भी उस ग्रुप के एक मेंबर है। अगर इस सदन की सहमति और समर्थन मिलेगा तो हमारे यहां जो अभाव और कमी है, उसे दूर करके हम देश के बाकी हिस्सों के बराबर आ सकेंगे। आपने हमारे लिए इतना किया है, मेरा निवेदन है कि एक छोटा सा काम और कर दीजिए। सुनामी आने के बाद वहां जो काम पेंडिंग रहे गए हैं, उनको मेहरबानी करके पूरा करवा दें तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी) : महोदय, आपने मुझे वर्ष 2008–09 के सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, इस बजट में किसानों के कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की गयी है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा की गयी है। पूरे देश में बड़ी प्रतिक्रिया हुई है कि यह 60,000 करोड़ रुपए कहा से आएगा। सरकार ने बजट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है कि पैसा कहां से आएगा। हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में यह पैसा आम लोगों से वसूलने की योजना सरकार की हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इससे चार करोड़ किसानों के कर्जे माफ होंगे। अब कितने किसानों के कर्जे माफ होंगे, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इतना अवश्य है कि किसानों के लिए दो हैक्टेयर खेती की जो सीलिंग रखी गयी है, उसकी वजह से पूरे देश के किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। कुछ किसान कॉफी पैदा करते हैं, कुछ आलू पैदा करते हैं और कुछ गन्ना, कहीं पर दो हेक्टेअर में खाने तक के लिए कुछ नहीं पैदा होता है, कहीं 5 लाख रुपए एक हैक्टेअर में आमदनी होती है तो कहीं 5 हजार की भी आमदनी नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सीलिंग का आधार उत्पादन होना चाहिए, वहा पैदावार कितनी होती है, किसान को कितनी आमदनी होती है, उसको आधार मानकर किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा होनी चाहिए। किसानों ने तमाम सूदखोर साहूकारों से कर्ज लिए हैं, लेकिन ऐसे किसानों के कर्ज माफ करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उस पर इतना अधिक ब्याज होता है कि किसान उससे मजबूर होकर आत्महत्या करता है। आज जो किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं, वे इसी कारण हो रही हैं कि किसान ने जो कर्ज लिया है,

उसे वह वापस नही कर पा रहा है और ब्याज लगाकर वह कर्ज दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उस कर्ज की माफी के लिए सरकार द्वारा इस बजट में कोई योजना नहीं बनाई गई है। सरकार ने अपने बजट में पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी कुछ नहीं किया गया है, ये क्षेत्र आजादी के बाद से लेकर आज तक पिछड़े हुए हैं और हमेशा इनके सथ अन्याय हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों में एक बुंदेलखंड का एरिया आता है। मैं उसी क्षेत्र से चुनकर आता हूं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को क्षेत्र में एक एकड़ जमीन पर मुश्किल से पांच हजार रुपए की पैदावार ही होती है। वहां भी दो एकड़ जमीन वाले किसानों के कर्ज माफ होंगे। मैं समझता हूं कि इससे वहां के किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाएगा, मुश्किल से एक या दो प्रतिशत ही किसान दो एकड वाले होंगे। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें।

उत्तर प्रदेश में जो सीलिंग एक्ट था, उसमें भी बुंदेलखंड के किसानों को अलग रखा गया था। पूरे प्रदेश में 12 एकड़ की सीलिंग थी, लेकिन बुंदेलखंड में जो सिंचित क्षेत्र था, वहां 18 एकड़ और असिंचित क्षेत्र में 27 एकड़ की सीलिंग करके कानून बनाया गया था। बुंदेलखंड में पिछले चार साल से बारिश नहीं हुई है। वहां सिंचाई के अन्य संसाधन भी नहीं हैं। वहां के सारे किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए। मैं दो बार इस सदन में यह मामला उठाया है। कई बार वहा सरकार की तरफ से अध्ययन दल भेजे गए। कई केन्द्रीय मंत्री भी वहां गए। सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी जी भी वहां गए और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी उस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी भी वहां गई थीं। इन सभी लोगों ने वहां जाकर किसानों की हालत का अध्ययन किया और केन्द्र से एक एक्सपर्ट डा. सामरा के नेतृत्व में टीम भेजी, जिन्होंने वहां जाकर अध्ययन किया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि बुंदेलखंड में पूरी तरह से असंतुलन है। वहां के किसानों के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। न तो उनके खेतों को पानी मिलता है और न ही कोई पैदावार होती है। लेकिन सारे अध्ययन दलों की रिपोर्ट्स आने के बाद भी केन्द्र सरकार से उस क्षेत्र के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा इस बजट में नहीं की है।

मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराया जाए और उसे अलग संवर्ग घोषित किया जाए। जिस तरह से पर्वतीय संवर्ग हुआ करता था और केन्द्र सरकार उसके लिए अलग से बजट उपलब्ध कराती थी। केन्द्र सरकार उसी तरह से उस क्षेत्र को भी अलग से संवर्ग घोषित करके अलग से एलाट करे। इसलिए बुंदेलखंड के विकास के लिए अलग से आप बजट उपलब्ध कराएं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं एक और निवेदन वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं। बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन केन्द्र सरकार को करना चाहिए। अगर बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन हो जाएगा तो वहां की क्या समस्याएं हैं, वहां के लोगों की क्या दिक्कते हैं, वहां के लोगों के खेतों में पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनानी चाहिए। इन सब बातों पर अमल हो सकेगा।

आपने अपने बजट में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की है, लेकिन इससे स्थाई हल होने वाला नही है। अगर आपको किसानों की समस्याओं का स्थाई हल करना है तो हर खेत को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा उनके उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करना होगा। किसानों को फसल की लागत और मेहनत के अनुसार लाभकारी मूल्य मिले। जब तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, सारे किसानों को फायदा नहीं होगा और न ही उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।

मैं एक और निवेदन माननीय वित्त मंत्री से करना चाहता हूं। जिस तरह से किसानों पर आयकर की छूट है, उसी तरह से डेयरी उद्योग पर भी आयकर की छूट होनी चाहिए। कोआपरेटिव सेक्टर को भी आयकर से छूट मिलनी चाहिए। जब किसानों के खेतों में उत्पादन बढ़ेगा, तब किसान खुशहाल होंगे। इसलिए उनके खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो संसाधन हैं, जैसे बिजली है, पानी है, उर्वरक है और बीज है, इन सबको उपलब्ध कराने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इस बजट में इन सब बातों का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से उस ओर ध्यान दें। वहां के किसान आज मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, खाने को कुछ नही है। उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके लिए भरपूर मात्रा में बजट उपलब्ध कराइये। दूसरी तरफ मेरी विनती है कि आप बुंदेलखंड को अगल घोषित कीजिए और बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन करने की कृपा करें।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2008–2009 पर बोलने का समय दिया।

मान्यवर भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर दुर्भाग्य से हमारे देश में कृषि–बजट अलग से नहीं है। इस कारण किसानों के उत्थान की बात सोचना बेईमानी है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं और मेरे से पूर्व मेरे साथी चन्द्रपाल सिंह जी बोल रहे थे और वह बुंदेलखंड की यथार्थ स्थिति बता रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड में चार साल से सूखे की स्थिति बनी हुई है। माननीय मंत्री जी ने किसानों के कर्जे माफ किये, इसके लिए

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

हम उन्हें बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन जो आदमी भूख से मर रहा है, भूख से तड़प रहा है, उसे कोई स्पेशल पैकेज देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की है। मैं दो साल से बराबर इस लोक सभा में उनकी मांग उठा रहा हूं और मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के समक्ष पिछले साल ये सारी बातें रखी थीं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं एक सर्वे टीम को भेज रहा हूं और जब वह सर्वे टीम यहां आकर अपनी रिपोर्ट देगी तो निश्चित ही हम बुंदेलखंड के लिए कुछ-न-कुछ राहत देंगे। वह सर्वे रिपोर्ट भी आई लेकिन इस बजट में बुंदेलखंड के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम मांग करते रहे कि बुंदेलखंड को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। वहां किसान और जानवर पानी के बगैर मर रहे हैं, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है।

मैं एक गांव में जा रहा था। एक छोटा सा जानवर जिसे हम लैहिया कहते हैं, जो रात में निकलता है लेकिन मनुष्य को देखकर भाग जाता है। हम लोगों की गाड़ी देखकर वह सीधा रोड पर आ गया और जोर-जोर से भूख के मारे चिल्ला रहा था, प्यास के मारे चिल्ला रहा था। यह जानवर मुंह से बोल नहीं पा रहा था और भूख और प्यास से मर रहा था। माननीय मंत्री जी जब बोलेंगे तो हमारे बुंदेलखंड के लिए निश्चित ही कुछ-न-कुछ विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे। वह बुंदेलखंड के लिए इतना पैसा दे देंगे जिससे वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकें। आप इतना पैसा देते जिससे सिंचाई का साधन यानी कोई बांध बन जाता। हम कई सालों से वहां पर पचनीदा बांध की मांग करते आ रहे हैं। अगर वह बन जाता तो चार-पांच जिलों को जल मिल जाता। हम डिकोली में लिफ्ट केनाल की मांग करते आये हैं जो पहलादघाट के पास है। अगर वहां लिफ्ट केनाल बनाने के लिए पैसा दे दिया जाता तो निश्चित ही 100-150 गांवों के किसानों को पानी मिल जाता और वे अपनी फसल पैदा कर लेते।

सिकरी यास के नीचे खमाघाट पर अगर बांध को बांधकर पानी रोक दिया जाए तो आस-पास के किसानों को पानी मिलेगा। अगर हम किसानों को अच्छी फसल पैदा करने के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो निश्चित ही उनके साथ यह बेइंसाफी होगी। आप पैसा चाहें जितना दे दें लेकिन पानी की व्यवस्था करना अति-आवश्यक है।

माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना भाषण दें, तो बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज दें। वहां लोग भूखे से मर रहे हैं, खाने के लिए वहां कुछ नहीं है, किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्याओं को सरकारी आंकड़ों में आत्महत्याएं नहीं दिखाया जाता। डीएम ने गांव के प्रधान को कहा कि अगर तुम्हारे गांव में किसी ने आत्महत्या की तो मैं तुम्हारा बस्ता रखवा दूंगा, तुम्हारी प्रधानी खत्म करवा दूंगा। अब उसने एक प्रधान अपने साथ लगा लिया है जिससे वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाए कि इस गांव का किसान भूख से नहीं मरा है? उसने आत्महत्या नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय, वे कहते हैं कि वह किसान अपने आप किसी कारण से मर गया है। आज यह स्थिति बुंदेलखंड की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी मांगें प्रस्तुत कर दी हैं। अब आप अपनी बातों को रेपिटिशन कर रहे हैं। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बचे हुए भाषण को सभापटल पर रखता हूं।

*महोदय, एक ओर बुंदेलखंड में अकाल दूसरी ओर पेयजल की किल्लत साथ में कमर तोड़ महंगाई ऐसी परिस्थिति में आम बजट में बुंदेलखंड को केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देना चाहिये। जिससे जटिल समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं उनका निराकरण हो सके आम जनता रोज रोटी चला सके तभी बुंदेलखंड की जनता वित्त मंत्री जी के आम बजट पर धन्यवाद करेगी। क्योंकि सामान्य बजट सामान्य लोगों की ही जरूरतों के लिए होता है।

महोदय, सूखा पेयजल की किल्लत की वजह दूषि जल पीने को मजबूर लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं जिसकी वजह से भविष्य में महामारी फैलने की भी आशंका है अतः स्वास्थ्य सेवाओं पर भी समुचित बजट व्यवस्था करायें।

महोदय यदि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बजट में टयूब वैल एवं टयूब वैल के प्राईवेट बोरिंग कराने वालों का निशुल्क विद्युत कनैक्शन दिये जायें ताकि टयूब वैलों से सिंचाई कर फसल की पैदावार कर सके एवं इसी क्षेत्र में बेरोजगार नौजवानों एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के अवसर के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाये।

भारत में ढांचागत सुधारों के लिये 500 बिलियन डालर के निवेश की आवश्यकता है जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंफ्रास्टक्चर के निवेश के लिये सार्वजनिक संसाधन सीमित मात्रा में होंगे पूर्व में कुछ सार्वजनिक निजी भागीदारी सौदे होते हैं इनमें दिल्ली नोएडा फ्लाई ओवर नव सेना कंटेनर टर्मिनल दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सरकार की ओर से किये गये विभिन्न अन्य प्रयास शामिल हैं। प्रत्येक दिन सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अधिकाधिक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। एक उचित व्यवस्था और प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है ताकि निजी भागीदार केवल अपने फायदे के लिये कार्य न करे और सार्वजनिक भागीदारी के साथ साथ सरकार द्वारा तय नियमों का महत्व भी समझे। इस मामले में दिल्ली नोएडा फ्लाई ओवर और नव सेना पोर्ट में उदाहरण दिए जा सकते है। योजना आयोग ने इन्हें सबसे खराब प्रयास माना है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में धोखा दिया गया है। यह आवश्यक ही इस मामलों को उपयुक्त जांच की जाये यह भी अति आवश्यक है कि ऐसा व्यवस्था बनाई जाये कि भविष्य में ऐसे

..... भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

मामले न हों। जैसे कि रिपोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में प्रयासों के लिये भारत एक उदयमान और आकर्षक बाजार है, जहां वर्ष 2005–2010 तक की अवधि के लिये 120 विलियन डालर से अधिक राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय होना निर्धारित है। हालांकि जहां तक सार्वजनिक निजी भागीदारी का समन्वय है । यह एक हाई रिस्क जोन है अभी तक हुये सार्वजनिक निजी भागीदारी में सुधार के उद्देश्यों के चलते एक केंद्रीयकृत परियोजना प्रबंधन प्रभाग की आवश्यकता है जो सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पर ध्यान दे सके। इस प्रभाग में वित्त विधि और बिजनेस प्रबंधन में बेहतर कुशलता प्राप्त विशेषज्ञ और योग्य प्रो केथनल्स वरिष्ठ लोक सेवक जिन्हें हाई वे बंदरगाह पॉवर, ऑयल एंड गैस शिक्षा और अन्य क्षेत्रों जहां सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रयास किए जाने में महारथ हासिल हो। इस समय प्रतिष्ठित आई आई एम के सौ से भी अधिक स्नातक सरकारी सेवा में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्यरत है। सरकार के सुझाव हैं कि वह इस प्रभाग के गठन के लिये उनकी सेवायें लेने पर विचार करे यह प्रभाग कनशेसन एग्रीमेंट लिखने डील तैयार कहने के साथ–साथ विद डिजाईन और बिद सलेक्शन प्रक्रिया के लिये जिम्मेदार होगा। तत्पश्चात् यह प्रभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी समस्त गतिविधियों का केन्द्र बन जायेगा। मा. सभापति महोदय, बजट में यदि किसानों को ऋण के साथ–साथ उन्हें फसल पैदा करने हेतु जिन चीजों की आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराया जाता तो निश्चित किसानों को बहुत लाभ होता क्योंकि किसानों को ट्रेक्टर की कीमत में छूट, खादय में और ज्यादा छूट तथा पानी की सुविधा दी जाये तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

सेगूर नदी, एटा इटावा होते हुए कानपुर देहात मूल नगर के पास चपरघटा में जमुना नदी में मिलता है मलासा बलान के पास जुनेदपुर गांव के पास नदी को रोक दें। असलपुर, गोदालपुर में पानी मिलेगा।*

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए प्रस्तुत सामान्य बजट का समर्थन करता हूं किन्तु मुझे शंकाएं भी हैं। जैसा कि वित्त मंत्री कहते हैं, मै उद्धृत करता हूं, चालू वर्ष में 8.7 प्रतिशत की विकास दर से "हम आर्थिक विकास के मार्ग पर है"। किन्तु चूंकि विकास का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच पाता अतः अमीर और गरीब के बीच भारी अन्तर है। अब वित्त मंत्री 'समावेशी विकास मंत्र' दे रहे हैं। किंतु मुझे उनके इस मंत्र में कुछ भी नया दिखाई नहीं दे रहा है।

किसानों के लिए ऋण राहत और ऋण माफी की घोषणा करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कुछ खामियां हो सकती हैं। फिर भी यह स्वागत योग्य कदम है। पहले, विदर्भ पैकेज के मामले में केवल ब्याज माफ किया गया था। जब तक मूलधन पर माफी नहीं दी जाती तब तक किसानों को लाभ नहीं पहुंचेगा। इसका उल्लेख कई बार किया गया। इस बार माननीय वित्त मंत्री ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। किंतु इस माफी योजना का लाभ भी निर्धारित शर्तों के कारण मात्र एक तिहाई किसानों को ही प्राप्त हो सकेगा। दो–तिहाई किसानों ने महाजनों तथा अन्य गैर संस्थागत एजेन्सियों से ऋण ले रखा है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्णित लघु और सीमान्त किसानों की परिभाषा से बड़ी संख्या में किसान बाहर रह जाएंगे। साथ ही, माननीय वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी तथा अन्य बैंकों की वित्तीय स्थिति को अस्थिर किए बिना वे धनराशि कहां से जुटाएंगे।

कृषि–संबंधी संकट को कम करने के लिए सरकार ने देश में 31 ऋण–प्रवण जिलों के लिए कतिपय पैकेजों की घोषणा की है तथा कतिपय ऋण – प्रवण जिलों, जो पहले से ही ऋण प्रवण जिलों में शामिल नहीं है। कृषि संबंधी संकट का अध्ययन करने के लिए कतिपय आयोगों की नियुक्ति की है। उदाहरणार्थ, केरल राज्य में अलप्पुझा के कुट्टानाड और इदुक्की में कृषि संबंधी संकट का अध्ययन करने के लिए डा. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की नियुक्ति की गयी है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। किंतु केन्द्र सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। ऋण माफी के अलावा इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकीय संरक्षण और कुट्टनाड की आर्द्रभूमि के किसानों के लिए सतत आजीविका हेतु सिफारिशें की गयी हैं अतः इस आयोग की सिफारिशें अविलम्ब कार्यान्वित की जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस संबंध में कुट्टानाद के किसानों की आशंकाओं का जिक्र करना चाहूंगा। जब तक बाढ़ की स्थिति से निपटने तथा फसल उपरांत परिचालन के लिएं कुट्टानाद के किसानों को मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, ऋण माफी उनके जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं ला पायेगी। अतएव, मैं माननीय मंत्री से कुट्टानाद पैकेज क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि कुट्टानाद को केरल का चावल का कटोरा माना जाता है।

देश के मछुआरे, विशेषरूप से पारंपरिक मछुआरे अत्यधिक ऋण से ग्रस्त हैं। मछुआरों की प्रतिव्यक्ति आय देश में सबसे कम हैं। यह साधारण जनसंख्या का आधा हिस्सा है। यह अक्सर कहा जाता है कि मछुआरों की जिंदगी देश के अन्य नागरिकों की तुलना में केवल आधी

[डा. के. एस. मनोज]

होती है। मछुआरे समुदाय का सदस्य होने के कारण, मैं जानता हूं कि मछुआरे केवल उस समूह के श्रमिक हैं जो मजदूरी के योग्य नहीं हैं जब तक कि वे समुद्र में कुछ पकड़ कर नहीं ले आते। इसके अलावा, बढ़ती हुई परिचालनात्मक लागत, संगठित विपणन हेतु अवसरों की कमी, माधस्यों की उपस्थिति, संस्थागत वित्त की अनुपस्थिति तथा पारंपरिक मत्स्यन कला को बीमा कवरेज प्रदान करने में बीमा कंपनियों की हिचकिचाहट ने उन्हें गंभीर ऋणग्रस्तता में धकेल दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने किसानों को ऋण माफी घोषित की है। लेकिन मुझे काफी दुख है कि पारंपरिक मछुआरों के ऋण इस ऋण माफी के अंदर नहीं आते हैं। केरल सरकार ने मछुआरों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए 424 करोड़ रुपयों की विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यदि ऋण माफी का कुछ प्रतिशत मछुआरों के लिए विनिर्दिष्ट किया जाय तो यह पारंपरिक मछुआरों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। अतएव, मैं सरकार से बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के अंतर्गत ही पारंपरिक मछुआरों के ऋण शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

सूनामी के पश्चात्, समुद्री मत्स्यन संसाधनों में कमी आई। समुद्र में 'केज कल्चर' तथा कृत्रिम प्रजनन केन्द्र शुरू करने समुद्री मत्स्यन संसाधन बहाल करने के लिए और अधिक अनुसंधान तथा विकास कार्य किये जाने चाहिए। पारंपरिक मत्स्यन कला का विन्धीकरण आवश्यक है। अब बीमा कंपनियां पारंपरिक कलाओं को बीमा करने में इसमें शामिल जोखिम को देखते हुए हिचकिचाती है। एन एन आई एस योजना की तरह किसी राष्ट्रीय बीमा कंपनी को मत्स्यन कला का बीमा करने के लिए निदेश दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना शेष भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

डा. के. एस. मनोज : महोदय, मैं अपना शेष भाषण सभापटल पर रख रहा हूं।

*पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के चलते मत्स्यन कला की परिचालनात्मक लागत कई गुणा बढ़ गई है। केन्द्र सरकार ने मत्स्यन तथा कृषि उद्देश्यों के लिए मिट्टी का तेल नहीं देने के संबंध में कड़ा रुख अपनाया है। इससे मछुआरों की कठिनाइयां काफी बढ़ गई हैं। मशीनीकृत क्षेत्र में दी गई डीजल राजसहायता पर्याप्त नहीं है। मत्स्यन क्षेत्र में राजसहायता दर पर मिट्टी का तेल तथा डीजल का विशेष कोटा दिया जाना चाहिए। मछुआरों द्वारा उपयोग में लाए गए 'आउट बोर्ड मशीन्स' पर सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कमी लाई जानी चाहिए।

इस दिन समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के पदाधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर समुद्री निर्यात उद्योग के समाप्त होने, परिचालन लागत में वृद्धि होने डॉलर का अवमूल्यन होने जिसके कारण उनका संकट बढ़ जाने पर चिंता व्यक्त की थी। कृषि खाद्य निर्यातकों को एक प्रकार की कर राहत तथा 'ड्यूटी ड्राबैक सपोर्ट' दी जानी चाहिए। लाखों श्रमिक विशेष रूप से महिलाएं इस उद्योग पर निर्भर हैं।

पारंपरिक उद्योग विशेषरूप से नारियल कॅयर घोर संकट का सामना कर रहा है। समुद्री निर्यातों में डॉलर के अवमूल्यन के चलते नारियल कॅयर निर्यात भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। नारियल कॅयर उद्योग को विशेष समर्थन के रुप में 'शुल्क में' छुट तथा ड्यूटी ड्राबैक दिया जाना चाहिए। नारियल कॅयर क्षेत्र के पुनरूद्धार तथा विविधिकता के लिए बजटीय प्रावधान काफी कम है तथा इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

चूंकि कुछ अन्य सदस्यों ने मुद्रास्फीति तथा मूल्यवृद्धि पर बजट के चुप्पी साध लेने वाले दृष्टिकोण पर अपनी टिप्पणियां कर दी हैं, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन हेतु किसी प्रावधान के न होने संबंधी बातों पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये सभी बजट के वे क्षेत्र हैं जो इसे कमजोर बनाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।*

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। सारे देश के लोग उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। भले ही कम लोग इसके ऊपर टीका-टिप्पणी करते हैं लेकिन आज तक जो भी बजट पेश किए गए हैं, उनमें से सबसे अच्छा और बैस्ट यह बजट है। खास तौर पर किसानों को 60 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, एक लाख 50 हजार टैक्स की छूट दी है और अन्य जो भी बातें की हैं, उससे सब लोग बहुत खुश हैं।

गुजरात में बनासकांठा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। देश में दूसरे भी पिछड़े एरियाज होंगे। उनको विकसित करने के लिए बजट में स्पैशल पैकेज होना चाहिए था क्योंकि हमें सब का सम्पूर्ण विकास करना है। अगर उनके लिए खास पैकेज नहीं होगा तो पिछड़े इलाकों का विकास नहीं होगा। मेरे एरिया में शिक्षा कम है, कोई उद्योग नहीं है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है और बिजली कम है। मैं चाहता हूं कि बनासकांठा के लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। मैंने एक दफा वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि पिछड़े राज्यों को विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाना चाहिए। यह कोई बात नहीं बनती है। माता अपने छोटे बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। बच्चे के बड़े होने पर कम ध्यान रखती है। जो क्षेत्र विकसित नहीं हैं, गरीब हैं, उनके लिए स्पैशल पैकेज होना चाहिए। मैं खास तौर पर विनती करता हूं कि बनासकांठा की तरफ

* भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। कृषि, इरिगेशन, बिजली, शिक्षा हरेक के लिए पांच सौ से हजार करोड़ रुपये देकर स्पैशल पैकेज बनाना चाहिए।

उद्योग में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। कच्छ में दस साल के लिए टैक्स हॉलिडे किया था तो वहां बहुत से उद्योग विकसित हुए थे। बनासकांठा के लिए भी टैक्स हॉलिडे तैयार करके उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। शिक्षा में हमारा एरिया बहुत पिछड़ा है। अभी कई जगह नेशनल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। बनासकांठा में एक नेशनल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और एक विकास बोर्ड बना कर, उसके लिए बजट में प्रावधान करके बनासकांठा का विकास करना चाहिए।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। केंद्रीय यूनियन बजट में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही गई है। बुंदेलखंड के बारे में सम्मानित सदस्य श्री राम कृपाल यादव और भानु जी ने कहा है। वहां चार वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, वहां की जमीन भारत के अन्य इलाकों की तुलना में रफ और हल्के किस्म की है। इन्होंने दो से पांच एकड़ तक की जमीन के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है, वहां के किसान इस रेंज में नहीं आते हैं, इसे बरखास्त करना चाहिए। वहां के किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं इसलिए यह जानकारी लेनी चाहिए कि साहूकारों से कितने किसानों से कर्ज लिए और इस सिलसिले में प्रबंध होना चाहिए। किसान कर्जदार न हों। इसके लिए उपाय करने चाहिए क्योंकि कर्ज माफ करना मात्र उपाय नहीं है जिससे किसानों को खुशहाल कर देंगे। किसानों को खुशहाल करने के लिए उनको उपज की लाभकारी कीमत मिलनी चाहिए। सब उद्योग अपने प्रोडक्ट की असली कीमत तय करते हैं, लागत मूल्य के खर्च का हिसाब जोड़कर उसकी कीमत लगाते हैं और घडल्ले के साथ उनका प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन किसान अपनी फसल की कीमत स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, उसकी कीमत दूसरे लोग तय करते हैं। जब वह बाजार में जाता है तो उसकी बोली लगती है और एक, दो, तीन की बोली कोई दूसरा लगाता है। किसान को यह पावर नहीं है कि वह अपनी फसल का मूल्य लगा सके। अगर आप फसल की कीमत का मूल्यांकन करने की ताकत किसान को देने का काम करेंगे तभी किसान खुशहाल होगा।

मान्यवर, बाढ़, सूखा, ओला जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। आपने जो फसल बीमा योजना बनाई है, वह बिल्कुल प्रेक्टिकल नहीं है, इसका कोई लाभ किसानों को नहीं हो रहा है, फसलों को बाद में अधिसूचित किया जाता है। पहले किसान फसल बोता है लेकिन सरकार अधिसूचित बाद में करती है कि फसल का बीमा बाद में करेंगे। इस कारण किसान बाद में घूमता फिरता है, उसको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। आपको फसल बीमा योजना में खेत को ईकाई मानना चाहिए जबकि आप तहसील को ईकाई मानते हैं। तहसील में 400 गांव होते हैं। नैचुरल कैलेमिटी किसी गांव में होती है तो किसान के खेत को ईकाई मानकर बीमा का लाभ देना जरूरी है। आपको बाढ़ या सूखे का कोई उपाय करना है तो नदियों को जोड़ने का कार्य कीजिए। हमारे टीकमगढ़, छत्तरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना का सर्वे हुआ है, उसका डीपीआर बनना है लेकिन वह डिले किया जा रहा है । यदि वह परियोजना चालू हो जाती है और सफल हो जाती है तो छत्तरपुर जिले की चार लाख जमीन सिंचेगी, साढ तीन लाख जमीन टीकमगढ़ की सिंचेगी और साढे तीन लाख जमीन उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी की सिंचेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप ये काम करेंगे तभी किसान खुशहाल होगा। आप कर्जा माफी के मुद्दे पर फिर से आकलन कर लें ताकि उन तमाम किसानों को लाभ मिले, उनके साथ राजनीति न की जाए। किसानों के बारे में जो खबर आई है, आपने 40-50 सालों से लगातार राज किया है, अगर इस तरह के बजट करते चले आते तो आज ये हालत देश की नहीं होती। आप इस पर फिर से विचार करें ताकि तमाम किसानों को इसका लाभ मिले और उनका पलायन रुके, आत्महत्याएं रुकें। अगर आप ये काम करेंगे तभी निश्चित रूप से किसान खुशहाल होगा।

मान्यवर, हमारा प्रदेश खजुराहो पर्यटन स्थल है, वहां के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। ओरछा में रामराजा का दरबार है, जहां देशी और विदेशी पर्यटक हजारों, लाखों की संख्या में आते हैं इसलिए पर्यटन की दृष्टि से यहां के लिए विशेष पैकेज दें। वहां आवागमन के साधन जुटाएं जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले और वहां का विकास हो। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि विशेष रूप से ग्रामीण रोजगार योजना में सौ दिन का काम देने की बात की है। जहां अकाल की स्थिति है, यदि वहां आप पूरे दिनों का काम देंगे तो वहां से लोगों का पलायन नही होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने सूखे के लिए एक पैकेज बनाया है। चूंकि वहां पिछले चार वर्षों से पानी नहीं बरसा है, इसलिए उन्होंने 24 हजार करोड़ रुपये इस पैकेज के तहत मांगे हैं, जिससे कि वहां पानी का इंतजाम हो सके और किसानों की पुनर्स्थापना की व्यवस्था हो सके।

महोदय, हमारे क्षेत्र में सैंकड़ों चंदेलकालीन बांध बने हुए हैं, जिनमें आज एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन तालाबों को फिर से गहरा करने और वहां की नहरों में सुधार करने का आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में वहां के लोगों को राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, आपने मुझे बजट 2008–09 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

कुल मिलाकर, ऋण माफी के कारण किसानों को दिए गए विशेष पैकेज का लोगों ने स्वागत किया था। लेकिन जहां तक इस पैकेज के अंतर्गत नहीं आने वाले किसानों का संबंध है, उनकी दो अथवा तीन श्रेणियां हैं। कुछ ऐसे किसान हैं, जिन्होंने बैंकों से ऋण नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अन्य स्रोतों से ऋण लिया है। उन्हें इस पैकेज में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे किसान भी हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो गईं और जो बाढ़, भूमि कटाव, भू–स्खलन, आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूमिहीन तथा बेघर हो गए हैं। उन्हें एक विशेष पैकेज यथा मजदूरों के लिए विशेष पुनर्वास परिषद के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। बाढ़, भूमि, कटाव तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूमिहीन तथा बेघर होने वाले किसानों के लिए किसान पुनर्वास परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का संबंध है, बजट प्रस्तावों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में ये किस प्रकार सहायक हैं? एन. आर. ई. जी. ए. से इस देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। कई विदेशी निवेश भारत की बजाय अन्य देशों में चले गए हैं क्योंकि हमारे पास कुशल श्रमिक नहीं हैं। आई.टी.आई. के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव अच्छा है आई. टी. आई. को किसी अन्य के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इसे श्रम मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। इसे एक पृथक् एजेंसी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए तथा इसमें कम से कम 4000 नए ट्रेड होने चाहिए। वर्तमान में आई. टी. आई. में मात्र 200 ट्रेड हैं। ट्रेडों के व्यापक आबंटन के साथ इसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए तथा इसे एक पृथक एजेंसी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

मैं सरकार का, विशेषकर वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु कुछ राष्ट्रीय परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। उन परियोजनाओं के लिए इस बजट में किसी विशिष्ट राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से उन राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए विशिष्ट आबंटन के बारे में जानना चाहता हूं।

असम राज्य के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है। सरकारी सहायता नहीं प्राप्त करने वाले तथा गैर–सरकारी स्कूलों में 15,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पिछले 20 से 25 वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है। इन संस्थानों की स्थापना भी जनता द्वारा की गई है। ये प्राइवेट स्कूल नहीं है। ये स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उन्हें जनता द्वारा चलाया जाता है, लेकिन अभी तक इन स्कूलों को किसी प्रकार का केंद्रीय अनुदान प्राप्त नहीं हो पाया है क्योंकि नियम ऐसे हैं कि ये स्कूल शामिल नहीं हो पाते हैं। अतः, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि असम के सभी गैर–सरकारी स्कूलों को शामिल करने के लिए सरकार को एक विशेष परियोजना लानी चाहिए ताकि सभी शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान अथवा किसी अन्य केंद्रीय योजना के अंतर्गत लाया जा सके और सभी शिक्षकों को वेतन प्राप्त हो सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अवसर देने के लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़, दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008–09 के सामान्य बजट पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

"उदारतापूर्वक दी गयी अनुदान राशि, अनुकम्पा, न्याय पर आधारित शासन तथा गरीब की आर्थिक सहायता अच्छे शासन की निशानी हैं" संत तिरुवल्लूर के इन शब्दों को माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण समाप्त करते समय उद्धृत किया था। बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने यह सिद्ध करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है कि वे इस दर्शन के प्रति कटिबद्ध हैं।

लेकिन, महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में किन उदारतापूर्ण अनुदानों तथा गरीबों की सहायता की घोषणा की है? क्या वे सीमांत तथा छोटे किसानों के उन ऋणों की माफी का उल्लेख कर रहे हैं जो 31 दिसम्बर 2007 तक देय थे तथा 29 फरवरी, 2008 तक जिनका भुगतान नहीं किया गया था? अथवा, वे अन्य किसानों के सभी ऋणों की एककालिक निपटान योजना का हवाला दे रहे हैं? अगर ऐसा है, तो मेरा मोह–भंग हो गया है क्योंकि गरीब किसानों को यह सहायता गर्म तवे पर पानी की एक बूंद के समान है।

किसान एक ऐसे गंभीर संकट की स्थिति में है, जो उन्हें गुमराह कर आत्महत्या की दुःखद राह पर ले जा रही है। यह हतोत्साहित करने वाला है। वास्तव में, किसानों की तंगहाली दूर करने के लिए जल संसाधनों तथा उनके प्रबंध में पर्याप्त सुधार, पर्याप्त जलापूर्ति, उचित दरों पर बीज एवं उर्वरक, बिना किसी बाधा के ब्याज–मुक्त ऋण, उनके घर पर फसल बीमा, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहायता तथा महाजनों से

शत प्रतिशत मुक्ति की आवश्यकता है। केवल तभी पूर्ण रोजगार, गरीबी उन्मूलन तथा असमानता दूर करने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

अब, हमें इस देश में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विषय को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। केवल तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था में वांछित स्तर कर सकते हैं। इसके साथ ही आम आदमी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है।

जहां तक नदियों को जोड़े जाने का संबंध है मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में लगभग 30 लिंक हैं। कर्नाटक में हेमावती तथा नेत्रावती नामक दो लिंक हैं। इसके साथ ही एक अन्य लिंक बेदथी तथा वरदा नदी के बीच है। इन दो लिंकों तथा इस देश के अन्य 28 लिंकों को कार्यान्वित करने के लिए काफी राशि की आवश्यकता है। ये सभी प्रथम चरण में हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं आई है। इसके साथ ही हमें व्यवहार्यता रिपोर्ट भी प्राप्त करना है। इसके पश्चात् ही इन सभी नदी परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने शोध भाषण की प्रति सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री मंजुनाथ खुन्टुर : मैं अपने शोध भाषण की प्रति सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

*महोदय, 2008–09 के आम बजट पर बोलने के लिए मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में कहा है कि भारत अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और सकल घरेलू उत्पाद में 7.5%, 9.4% तथा 9.6% की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित 8.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर रही है। मुझे आशा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार चालू वर्ष में भी इस वृद्धि दर को बनाए रखेगी। निश्चित रूप से यह संतोष का विषय है। लेकिन ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन पर सरकार को अभी ध्यान देना है तथा कारगर रूप से इनका समाधान करना है; यथा काफी प्रभावित कृषि क्षेत्र को राहत प्रदान करना।

यह अनुमान है कि कृषि क्षेत्र में वर्ष 2007–08 के दौरान 2.6% की वृद्धि दर दर्ज की जाएगी यद्यपि इसकी शुरूआत काफी अच्छी हुई है। कुल मिलाकर किसान की स्थिति अब भी बड़ी दयनीय है क्योंकि वे ऋण जाल में फंस गए है और फसलों के बर्बाद होने के कारण वे ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं तथा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में यह एक ऐसी समस्या बन गयी है जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इस बजट में किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की अप्रत्याशित ऋण माफी एक आशा की किरण कही जा सकती है। निस्संदेह यह साहसपूर्ण एवं समय पर की गई पहल है। इससे कृषक समुदाय की स्थिति में सुधार करने में काफी सहायता मिलेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए असाधारण कदम उठाने चाहिए कि ऋण माफी का लाभ पात्र किसानों को समय पर मिल सके। वृहद कृषक समुदाय के अलावा 140 मिलियम किसान निजी साहूकारों के चंगुल में हैं। सरकार को ऊंची दरों पर साहूकारों से ऋण लेने वाले इन किसानों की इस प्रासांगिक तथा बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करना चाहिए।

शुष्क क्षेत्र के किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को शुष्क क्षेत्र के किसानों के समक्ष आ रही वास्तविक समस्याओं की जांच करनी चाहिए तथा इससे पहले कि ये समस्याएं बेकाबू हो जाएं इनका समाधान करना चाहिए।

आम रूप से खाद्यान्नों तथा विशेष रूप से अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। संप्रग सरकार के पिछले चार वर्षों के दौरान बढ़ती हुई कीमतों के बारे में सभी लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए कुल मिलाकर कीमतों के स्तर में 7 अप्रैल 2007 को 201.4 से 19 जनवरी 2008 को 207 की साधारण बढ़ोतरी हुई है। 14.1.2004 से 16.1.2008 के बीच 16 खाद्यान्न एवं दैनिक प्रयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान किया जाए क्योंकि इससे गरीबों, निचले तबके के लोगों तथा मध्यम वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

मैं अन्य पहलू, जिस पर बात करना चाहता हूं वह विश्व बाजार में कीमतों के बारे में है। हम वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जहां विश्व बाजार की कीमतों का घरेलू कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत विकास दर की क्या आवश्यकता है जब घरेलू तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं तथा आम आदमी लाभान्वित नहीं हो रहा है? सरकार को कम से कम आवश्यक वस्तुओं की कीमतें वहनीय बनाना चाहिए जिसके लिए संप्रग सरकार को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन प्रयास शुरू करने चाहिए।

बेरोजगारी एक अन्य क्षेत्र है जिसका किसानों तथा बढ़ती हुई कीमतों के साथ बहुत नजदीकी संबंध है। वर्ष 2007–08 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है लेकिन वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि श्रम शक्ति में संबंधित वृद्धि दर तथा बेरोजगारी की समस्या वहीं की वहीं है जहां पहले थी तथा वस्तुत इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः

.... भाषण को वह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

मैं संप्रग सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह बेरोजगारी कम करने के लिए तुरन्त प्रयास करें।

इस बजट में वित्त मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु सहित कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के प्रस्ताव के साथ ही लाया जा सकता है। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। उन्होंने राज्य सरकारों से भी आवश्यक सहयोग देने को कहा है। मैं कर्नाटक में इस परियोजना की अद्यतन स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

इसी प्रकार, संप्रग सरकार ने तमिल भाषा के प्रोत्साहन के लिए प्रयास किए हैं तथा इस वर्ष आबंटन 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये कर दिया है। मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि कन्नड़ भी प्राचीन भाषा का दर्जा पाने की हकदार है। हम सांसद तथा आम जनता इसके लिए पिछले चार वर्षों से मांग कर रहे हैं। कन्नड़ दक्षिण भारत की समृद्ध व सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा न दिया जाना सही नहीं है।

अब, मैं कर्नाटक से संबंधित एक आम विषय की बात करूंगा। हम बीदर, गुलबर्गा, रायचूर तथा कोप्पल जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कर्नाटक को विशेष दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। ये जिले कई वर्षों से पिछड़े हुए हैं। तथा केन्द्र सरकार को इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

कर्नाटक में अगई आई टी की स्थापना न करने संबंधी बात काफी क्रुदन पैदा करती है। लेकिन वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में आई आई टी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। कर्नाटक में आई आई टी की स्थापना करने के लिए लम्बे समय से मांग चल रही है। अतः मैं कर्नाटक की जनता तथा पिछले कई वर्षों से कर्नाटक के सांसदों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर कर्नाटक में आई आई टी स्थापित करने पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्री ने इस वर्ष विभिन्न राज्यों में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। मैं इस प्रयासों का तहेदिल से स्वागत करता हूं। लेकिन कर्नाटक के गुलबर्गा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। इसे पहले शामिल नहीं किया गया है, मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस अनुरोध पर विचार करेंगे।

विद्युत, रेलवे, राजमार्गों, विमानपत्तनों; अवसंरचना, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय शहरी मिशन तथा बैंगलोर में अब संरचना संबंधी कर्नाटक की लगभग 50 विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं। ये परियोजनाएं पूरे कर्नाटक के लिए हैं तथा इनको लागू करने से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर एवं शीघ्र लागू किया जाए।

अब, मैं अगले सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् नदियों को आपस में जोड़ जाने, पर आता हूं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में नदी जल विवाद की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा नदियों को आपस में जोड़ा जाना इस दिशा में पहला सही कदम है। मैं आशा करता हूं कि पूरी सभा इस बात से सहमत है। केन्द्र सरकार को जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए विचार करना चाहिए जिससे सरकार द्वारा बाढ़ एवं सूखा सहायता तथा कृषि ऋण राहत पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को बचाया जा सकेगा।

"समस्या की गंभीरता के मद्देनजर सरकार द्वारा की गई ऋण राहत की घोषणा पर्याप्त नहीं है। उनके कृषि उत्पादों के लिए कीमतें तय की जानी चाहिए। इसी प्रकार से कच्चे माल की कीमतें भी निर्धारित की जानी चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को इनकी कीमतें न केवल वैज्ञानिक रूप से बल्कि तार्किक रुप से निर्धारित करनी चाहिए। कृषि मंत्रालय से वस्तुओं की कीमतों से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए इस संबंध में खुले दिल से सामने उठाना चाहिए। कृषि केन्द्र सरकार के अधीन आता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृषि उत्पादों के उचित मूल्य सुनिश्चित करे। कई बार किसानों को घटिया किस्म के बीज मिलते हैं। अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि किसान लोग हम सांसदों को इस सम्माननीय सभा में भेजते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन सरकार कृषि उत्पादों का सही मूल्य निर्धारित न करके अपने कर्तव्यों से विमुख हो रही है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए और इस गंभीर मामले पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।

नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि देश में ऐसे 30 लिंक हैं, जो व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपार्ट (डीपीआर) की प्रतीक्षा में है। हमें इस पहली बाधा को पार करना चाहिए। हमें प्रथम चरण के क्रियाकलापों को पूरा करना चाहिए। मैं सरकार से इन 30 नदियों को जोड़ने के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए

भौगोलिक सूचना प्रणाली की सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एम टी और अन्य विश्वविद्यालय जो इन क्रियाकलापों से भलीभांति परिचित हैं, को जल संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और उन्हें कार्टोसेट 2 उपग्रह के उपयोग की अनुमति भी दी जानी चाहिए। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना पर अमल के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार को कोंकण रेलवे की पद्धति को अपनाने का सुझाव देता हूं। जिसमें बाजार में बांड जारी किए गए थे और इस विशालकाय परियोजना को लागू किया गया था।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपर तुंगा सिंचाई परियोजना काफी समय से लंबित है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता की दरकार है। अतः मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत अनुदान या ऋण के रुप में धनराशि देने का अनुरोध करता हूं।

कावेरी नदी के मुद्दे के संबंध में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार नैत्रावली–हेमावती नदियों को आपस में जोडें। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के लोगों की भलाई के लिए बेदती–वर्दा नदियों को भी आपस में जोड़ा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इस संबंध में समुचित कदम उठाएगी।

मैं बेदती–वर्दा लिंक और नेत्रावती–हेमावती लिंक जैसी महत्वपूर्ण नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी दो महत्वपूर्ण नदी लिंक के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। बेदती–वर्दा लिंक के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि इस लिंक में तुंगभद्रा परियोजना कमांन के अंतर्गत इस प्रस्ताव में बेदती बेसिन को 242 एमक्यूम अतिरिक्त पानी, पानी की कमी का सामना कर रहे तुंगभद्रा सब बोसिन में छोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। इस लिंक के अंतर्गत कर्नाटक के सूखा प्रवण रायचूर जिले में 60,200 हेक्टेयर भूमि के लिए लिंक नहर का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इसमें 1.8 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाले दो बिजली घरों के निर्माण का भी प्रस्ताव है। तीन चरणों में कुल 123.70 मीटर पानी उठाने के लिए अनुमानतः 61.10 मेगावॉट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी।

नेत्रावती–हेमावती लिंक से कर्नाटक के सूखा प्रवण तुमकुर, हासन और मांडया जिलों में हेमावती सिंचाई परियोजना की कमांन के अंतर्गत लगभग 33,813 हैक्टेयर की सिंचाई के लिए नेत्रावती बोर्सन से 188 एमक्यूम अतिरिक्त जल को जलाभाव वाले कावेरी बेसिन में भेजने को विचार है। इस परियोजना में भी दो चरणों, प्रत्येक चरण में 81 एम पानी उठाया जाएगा, इसमें लगभग 6 मेगावाट बिजली की खपत होगी। इस नहर की कुल लंबाई 11 किलोमीटर है जिसमें 8.4 किलोमीटर लंबाई की 3 सुरंगे भी शामिल हैं।

इसमें इंच मात्र संदेह नहीं है कि उपर्युक्त दो लिंकों को जोड़ने से कर्नाटक की जल समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से कर्नाटक के लिए सभी महत्वपूर्ण लिंकों को लागू करने हेतु धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं सरकार के ध्यानार्थ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। ये सुझाव इंडियन फारमर्स एसोशिएसन के कांसोंटियम द्वारा संसद सदस्य किसान फोरम (पीएमएफएफ) को सौंपे गए अभ्यावेदन का भी हिस्सा है।

- बैंकों द्वारा किसानों को दी जा रही 50,000 रुपए की धनराशि बिना प्रतिभूति के दी जाए और इसे कृषि ऋण माफी का आधार बनाया जाए।

- खरीफ 2007 के दौरान (अप्रैल से सितम्बर तक) लिए गए ऋणों की अंतिम तारीख का विस्तार करके इसे 31.3.2007 से 31.12.2007 तक कर देना चाहिए। इस समय ये इस योजना के अंतर्गत ऋणमाफी के पात्र नहीं हैं।

- वर्तमान में, समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे कि अन्य किसानों को समय पर ऋण का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

- वर्तमान में कुक्कुट पालकों और मधुआरों को 2 प्रतिशत आर्थिक सहायता में सम्मिलित नहीं किया गया है। मध्यम और दीर्घावधि ऋणों पर भी 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। देश में 3.2 मिलियन से अधिक कुक्कुट पालक है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि ऋण माफी योजना में कुक्कुट पालकों और मधुआरों को भी सम्मिलित किया जाए।

- साहूकारों द्वारा ली जा रही उच्च ब्याज दर किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की असली वजह है। इस बारे में असलियत यह है कि केवल 25 प्रतिशत किसान ही संस्थागत ऋण ले पाते हैं और शेष 75 प्रतिशत किसान साहूकारों को दर पर जाने को मजबूर हैं। पिछड़े क्षेत्रों में ऐसा अधिक देखने को आता है। इस प्रवृति में तुरन्त सुधार किया जाना चाहिए। अतः मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि वह इस मुद्दे का गहराई से अध्ययन करें और इस विचलित करने वाली प्रवृति को रोकने के लिए नए उपाय किए जाने चाहिए।

अब मैं रेलवे पर आता हूं। हुबली–अंकोला रेल लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अभी इसे मंजूरी दी जानी है। इन परियोजनाओं को तत्काल मंजूरी देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। एक उच्च सच्चाई यह है कि कर्नाटक में इस

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

रेल परियोजना को लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की गई है। इस पहलू पर विचार किया जाए और इस मुद्दे पर उच्च प्राथमिकता आधार पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह उत्तरी कर्नाटक के लिए मुख्य लिंक है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगलौर से हुबली और हुबली से मिराज तक रेलपथ का दोहरीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में नई ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। कर्नाटक से वाराणसी की यात्रा करने वाले लोगों के लाभ के लिए वाया हुबली बंगलौर से वाराणसी से नई ट्रेन शुरू करने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। बंगलौर–हुबली से पुणे तक दैनिक आधार पर एक और नई ट्रेन शुरु किए जाने की आवश्यकता है। अतः नई रेल लाईन अर्थात दावणगेरे और तुमकुर तथा धारावाड़ से बेलगमंव वाया बैलहोंगल को जोड़ने का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इन ट्रेनों पर भी विचार किया जाए और इस संबंध में उच्च प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लोगों अर्थात् कर्नाटक के लोगों की भर्ती के बारे में सही ढंग से विचार किया जाए। दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर), हुबली में कर्नाटक के लोगों को वरीयता दी जाए। वर्तमान में, कर्नाटक के हजारों स्नातक बेरोजगारी की वजह से हताश है। इस बारे में कर्नाटक में आन्दोलन हो रहे हैं। इसलिए, मेरे इस अनुरोध को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत हरिहर, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, हुबली अर्थात् 280 से 404 किलोमीटर के चार लेन के सड़क मार्ग का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का जो कार्य सितम्बर, 2003 तक पूरा हो जाना चाहिए था वह अब तक अधूरा है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ठेकेदारों और सरकार के बीच विवाद है। यह भी पता चला है कि ठेकेदार उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं। इसलिए कार्य रुका हुआ है।

इस असाधारण विलम्ब की वजह से, अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कीमती जानें गई हैं। मैं सरकार द्वारा इस मामले पर ध्यान न दिए जाने और युद्ध स्तर पर इसके समाधान न किए जाने संबंधी कारणों को जानना चाहता हूं। आवश्यक और आपातकालीन कदम उठाए जाने चाहिए और सरकार को इस मामले के शीघ्रातिशीघ्र निपटान के लिए आगे आना चाहिए।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने कर्नाटक के अनेक जिलों की पहचान की है। किंतु इसे कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र हवेरी, गदाग और धारवाड़ जिलों को भी इसमें शामिल करने के लिए तत्काल आगे आना चाहिए। सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं? मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सरकार ने इस मिशन में इन जिलों को सम्मिलित करने संबंधी मेरे अनुरोध पर विचार तक नहीं किया। दूसरी ओर, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि वे केवल मौसमी फसलों की पैदावार पर आश्रित हैं। वर्तमान परिदृश्य में बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने कर्नाटक के अनेक जिलों की पहचान की है किन्तु इसे कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र हवेरी, गदाग और धारवाड़ जिलों को भी इसमें शामिल करने के लिए तत्काल आगे आना चाहिए। सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं? मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सरकार ने इस मिशन में इन जिलों को सम्मिलित करने संबंधी मेरे अनुरोध पर विचार तक नहीं किया। दूसरी ओर, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से राष्ट्रीय बागवानी मिशन में इन जिलों को तत्काल सम्मिलित करने के लिए पुरजोर अनुरोध करता हूं।

चीनी मिलों के संबंध में, गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों में चल रही दयनीय दशा के मद्देनजर सरकार को संपूर्ण देश की रुग्ण चीनी मिलों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। हाल ही में, यह देखने में आया कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की संगुए चीनी फैक्ट्री को दीर्घावधि आधार पर बहुत कम धनराशि पर पट्टे पर दे दिया गया। इससे फैक्ट्री को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और सरकार की इस नीति से यहां के किसान सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाकर रुग्ण गन्ना फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर गन्ना उत्पादकों के भरोसे को कायम करेगा और गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा होगी। इस संबंध में, मैं सरकार से गन्ना उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) बढ़ाये जाने का भी अनुरोध करता हूं।

इसी प्रकार, गेहूं, धान, ज्वार, रागी, मिर्च आदि सभी कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए।

मैंने ये मुद्दे इस महत् सभा में कई बार उठाए हैं। किंतु सरकार द्वारा कोई भी उचित उत्तर नहीं दिया गया है। आम बजट पर चर्चा करना साल दर साल की कहानी बन गयी है। इसे बदला जाना चाहिए। महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्याओं तथा परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि संप्रग सरकार अनेक मुद्दों पर ध्यान देगी जो न केवल निर्वाचन क्षेत्र अपितु कर्नाटक की भी जीवन रेखा है और कर्नाटक की जनता की संतुष्टि के अनुसार उनका समाधान करेगी।

"इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।"

... भाषण का यह भाग सभा-पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों के लिए काफी कुछ कहा है लेकिन किसानों की हालत खराब हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, यह सब आपको मालूम है।

तेल का भाव क्या है, यह वित्त मंत्री जी को मालूम होना चाहिए। गरीब किसानों की हालत बहुत बुरी है, वे काफी मात्रा में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए भी कुछ सुधार होना चाहिए। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने काफी मांग की है और कई इलाकों में सूखा तथा अकाल की स्थिति है, उनके लिए स्पेशल पैकेज की बात होनी चाहिए। मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों के मामले में भी काफी उन्नति होनी चाहिए लेकिन मुझे वह उन्नति नहीं दिख रही है। एनडीए की सरकार में सड़कों के क्षेत्र में उन्नति दिखी थी। प्रधान मंत्री सड़क योजना एनडीए के शासनकाल में लागू की गई थी, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा आपने भारत निर्माण संशोधन किया है, मैं चाहता हूं कि चम्बल क्षेत्र के लिए कोई विशेष उद्योग लगाया जाए क्योंकि वहां काफी बेरोजगारी बढ़ रही है। वहां के लोग मजबूरी में अपने हाथ में कानून लेते हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े हुए चम्बल के क्षेत्रों में या तो बीहड़ों का समतलीकरण किया जाए, ऐसी कोई योजना बनाई जाए या चम्बल का जो पानी बहकर निकल जाता है, उसे रोककर कोई रोजगार वहां उपलब्ध किये जाएं या कोई वहां एक लघु फैक्टरी वगैरह खोली जाए। देखने में यह आता है कि जहां–जहां से प्रभावशाली नेता हैं, उनके यहां जो बजट स्पेशल दिये जाते हैं, जैसे सोनियां गांधी जी के क्षेत्र में और राहुल गांधी जी के क्षेत्र में इनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। मैं चाहता हूं कि बड़े इलाकों के साथ–साथ छोटे इलाकों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस लिखित भाषण को रख देता हूं।

*आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सामान्य बजट देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत मुद्दों की ओर ध्यान देने में असफल रहा। वित्त मंत्रीजी ने काफी अच्छी बातें कहीं हैं। भारत निर्माण, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पोलियो उन्मूलन एकीकृत बाल विकास, भूमिगत जल रीचार्ज, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा सरकार ने किसानों के कर्ज माफी योजना की घोषणा की है।

माननीय मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के चम्बल के बीहड़ों को कृषि भूमि बनाने हेतु योजना नहीं है, की योजना बनायी जाये–ग्वालियर–श्योपुरकलां कोटा विस्तार आमान परिवर्तन हेतु विशेष बजट पैकेज दिया जाये।

चम्बल संभाग जो कि काफी पिछड़ इलाका है यहां सड़कों का जाल राज्य सरकार ने बिछाया है परन्तु यहां के लाखों बेरोजगार लोगों के लिए कोई उद्योग नहीं है, उसकी आवश्यकता है। मुरैना में शस्त्र फैक्ट्री खोली जाए।

बरसात के समय चम्बल नदी से लाखों क्यूसिक पानी बहकर निकल जाता है। मैं चाहता हूं चम्बल, नदी, क्वारी नदी, आसन नदी, कूनो नदी, पार्वती नदी पर पानी रोकने हेतु कोई योजना बनाई जाये जिससे किसानों को पर्याप्त सिंचाई हेतु पानी मिलेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार 200 जिलों से 330 जिलों में किया है, परन्तु जो मजदूरों को दैनिक 50–60 रुपये मिलता है इतनी राशि में मुरैना जिले में कोई भी मजदूर कार्य नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि उक्त राशि 150 एवं 200 रुपए करते हैं तब मजदूर इस महंगाई के समय परिवार को ठीक से पाल सकेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 जो कि एन.डी.ए. सरकार ने 4 लेन का बनाया था बढ़ते आवागमन को देखते हुए आगरा से ग्वालियर तक 6 लेन की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री से अनुरोध है कि मेरी मांगों पर विचार किया जाए।*

***श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** (भागलपुर) : कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने मई, 2004 से सत्ता संभालने के बाद से यह पांचवां बजट पेश किया है। पहले चार बजट में सब कुछ लुटा देने के बाद पांचवें बजट में झूठ का पुलिंदा तैयार कर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि सब कुछ लुटा के आए तो क्या हुआ। इनके शासन काल में लाखों लोगों ने आत्महत्या की है। इनकी आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा। इन्होंने चार वर्षों तक लगातार झूठे वायदे करने और किसानों, मजदूरों को बहलाने के अलावा कुछ नहीं किया। महोदय, मैं मंहगाई की चर्चा करना चाहूंगा। महंगाई न तो सैक्यूलर होती है न कम्यूनल। वह न तो अगड़ा समझती न पिछड़ा वह सिर्फ अपनी मार दिखाती है।

महोदय, भागलपुर शिक्षक के लिए जाना जाता है। भागलपुर को रेशमी शहर कहा जाता है। मैं मांग करता हूं कि भागलपुर में एन. आई. एफ. टी. खोला जाना चाहिए।

इस बजट में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने का प्रयास भी किया गया है। पिछड़ों, दलितों को कुछ पैसा छूट के मुंह में जीरा देने का काम किया है।

महोदय, भागलपुर में विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है और मैं मांग करता हूं कि जो आई.आई.टी. बिहार के लिए दिया गया है उसे

... भाषण का यह भाग सभा–पटल पर रखा गया।

* भाषण का यह भाग सभा–पटल पर रखा गया।

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

भागलपुर में खोला जाए ताकि विक्रमशिला का ऐतिहासिक महत्व बढ़ सके।

महोदय, बजट के बाद दाम बढ़े हैं। बजट से पूर्व और बजट के बाद – अरहर दाल 36 रुपए से बढ़कर 42 रुपए, उड़द दाल 30 रुपये किलो से बढ़कर 35 रुपए किलो, मसूर दाल 38 रुपए से बढ़कर 42 रुपए किलो, चना दाल 28 रुपए से बढ़कर 35 रुपए किलो, रिफांइड तेल 67 रुपए बढ़कर 75 रुपए लीटर सरसों का तेल 65 रुपए से बढ़कर 75 रुपए; डालडा घी 60 रुपए से बढ़कर 68 रुपए, मैदा 13 रुपए से 15 रुपए, यह बजट आने के बाद जो दाम बढ़े हैं। यह चार साल का पूरा का पूरा है। 24 मई के बाद में सरकार में आए थे और आज तक हैं, उसके आंकड़े मैं यहां रखना चाहूंगा। अब आप मसालों के बजट से पूर्व और बाद के रेट देखिए – धनियां 58 रुपए से 71 रुपए, काली मिर्च 160 रुपए से 170 रुपए, हल्दी 38 रुपए से 45 रुपए और लाल मिर्च 50 से 55 रुपए। सरसों को तेल 60 रुपए से 72 रुपए हो गया है। मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि आम आदमी की जरूरत की चीजें जैसे मैदा, चीनी, चाय, मकान बनाने के लिए सीमेंट, रोड़ी, ईंट आदि कोई भी चीजें ऐसी नहीं है, जिसके दाम न बढ़े हों। यह दाम और ज्यादा बढ़ेंगे तथा ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

महोदय, मई, 2004 से फरवरी, 2008 तक दामों में जो वृद्धि हुई है, उसके आंकड़े पढ़ने की बजाय सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। 20 परसेंट तक महंगाई बढ़ी है। चार साल पहले आप इस नारे पर सत्ता में आए थे कि महंगाई कम करेंगे। आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर किस तरह से महंगाई से टूट चुकी है, इसे आप देखें। आटा 10 रुपए किलो था, अब 18 से 20 रुपए किलो हो गया है। चावल 10 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए किलो हो गए हैं। ब्रैड 8 रुपए थी, अब 15 रुपए हो गई है। चीनी 14 रुपए किलो थी अब 22 से 25 रुपए किलो हो गई है। ऐसे सभी आंकड़े मैं सभापटल पर रखना चाहता हूं। इस भयंकर महंगाई का असर किस पर पड़ेगा, आम आदमी और आम औरत पर इस महंगाई का असर पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बजट आने के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई है? सबसे पहले कारें सस्ती हुई हैं। हर कार मेकर ने 16 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपए कम कर दिए। बजट आने के बाद शराब सस्ती हो गई। पानी महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया और जरुरत की चीजें ज्यादा महंगी हो गई। महंगाई ऐसा विश्वासघात है, महंगाई ऐसा अपराध है, जो कि सरकार को ले डूबेगी। यह देशव्यापी महंगाई है और सरकार ने जानबूझकर महंगाई को बढ़ने दिया है। महंगाई इस कारण नहीं बढ़ी कि कहीं भूचाल आ गया या फसल नष्ट हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो कमॉडिटी एक्सचेंज किया है, आपने सरमाएदारों को, जमाखोरों को, बड़े-बड़े कैपिटल हाउसिस को जो रिटेल में काम करने दिया और एफ. सी. आई. की बजाय इन लोगों को सारी चीजें कंट्रोल करने को दीं और गेहूं का आयात किया, इन सभी कारणों से महंगाई बढ़ी। श्री मनमोहन सिंह जी ने यहां भाषण दिया, तो कहा कि किसानों को पैसे कम दिए गए, इसलिए महंगाई हुई है। अब हम किसानों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं। क्या सीमेंट खेत में पैदा होता है, क्या स्टील खेत में पैदा होती है, क्या एल्यूमिनियम या दूसरी चीजें खेत में पैदा होती हैं? गेहूं को बाहर से इम्पोर्ट किया जाए और यहां हमारे किसानों की बात कही जाती है। यह महंगाई आपकी नीतियों के कारण बढ़ी है। इस बारे में इस सरकार का बहुत शर्मनाक इतिहास है। बढ़ी हुई मूल्य सूची

वस्तुएं	कीमतें (प्रति कि.ग्रा. राजग (मई, 2004)	कीमतें (प्रति कि.ग्रा. यूपीए (मई, 2006)	कीमतें (प्रति कि.ग्रा. यूपीए (दिसम्बर, 2006)	कीमतें (प्रति कि.ग्रा. यूपीए (फरवरी, 2008)
1	2	3	4	5
गेहूं	9	15	16–22	14–16
आटा	10	17	15	18
मैदा	12	17	16	17–20
चावल	10	20	25–32	22–28
ब्रैड	8	12/पैकेट	15	15
चीनी	14	25	20	18–24
चाय	80	135	150–200	150–180
सरसों का तेल	40	60	55	80
डालडा घी	40	45	52	68
देसी घी	130	170	155–175	175–225
मूंग की दाल	24	36	50	42
अरहर की दाल	28	40	38	44
मसूर की दाल	22	35	35	42
चने की दाल	25	40	42	37
राजमा	28	40	56	50–55

1	2	3	4	5
गुड	14	20	21	24
बेसन	20	40	50	48
दूध	14	20	21	24
पनीर	62	100	100–120	100–140
मिट्टी का तेल	18	28	28	
एल.पी.जी.	244	295	295	295
पैट्रोल	33.15	43.49	47	47.7
डीज़ल	22.50	30.45	33	32.5
सीमेंट	125	170	193	240
स्टील	23000/टन	28000/टन	28000/टन	44000/टन
ईंट	1800/1000	3000/1000	3000/1000	2500/1000

महोदय, रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम का भी बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसके बारे में शायद हमारे दोस्त जिक्र करना चाहते थे, उन्होंने उड़ीसा में क्या कहा, उसका जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहता हूं, परन्तु उन्होंने कहा था कि एक रुपए में से पांच पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपए में से 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि केवल पांच पैसे ही आम आदमी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी के लिए आप 60 रुपए कह रहे हैं, यानी उस तक केवल तीन रुपए ही पहुंचेंगे। वित्त मंत्री जी ने रूरल गारंटी स्कीम में कैसा भ्रमित किया है। पिछले साल के बजट में यह स्कीम 100 जिलों में लागू थी और कहा गया था कि इस साल से 200 जिलों में इसे लागू करेंगे। अभी आपने घोषणा कर दी कि 596 जिलों में आपने इस स्कीम को लागू कर दिया है। पिछले साल बजट में क्या प्रोविजन था, यह वित्त मंत्री जी जानते हैं, 12000 करोड़ रुपए पिछले साल 100 जिलों में रखे थे। पिछले साल के बजट में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस योजना के अलावा थी। 12000 करोड़ रुपया नेशनल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम के लिए था और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए 3420 करोड़ रुपया पिछले साल रखा थां पिछले साल कुल 15420 करोड़ रुपए रखे गए थे और अब 3420 करोड़ रुपए को जीरो कर दिया है, उसे अमलगमेट कर दिया है और इस साल कुल 16,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे हैं। मतलब 100 जिलों के लिए 15420 करोड़ रुपए और 596 जिलों के लिए 16,000 करोड़ रुपया, यह कैसा इंसाफ है? यह कैसे हो सकता है?

इस बजट को केवल किसानों का कर्ज माफी तक केन्द्रित कर दिया और सारे सदन में इतनी देर तक तालियां बजाई और देश की जनता तथा विशेषकर किसानों को भ्रमित करने का काम किया। जो उन्होंने कहा है, मैं उसे ही पढ़कर उसका कुछ विश्लेषण करना चाहूंगा कि वे देश की जनता और किसानों को बताएं कि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के परिणामस्वरूप कितने किसानों का लाभ मिलेगा। उन्होंने सब किसानों को कर्ज माफी देने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि एक हैक्टेयर तक के अर्थात लघु किसानों को उसका लाभ मिलेगा, परन्तु उसमें भी शर्त लगाई है और वह शर्त यह है कि 31 मार्च, 2007 तक जिन किसानों ने कर्ज लिया है और 31 दिसम्बर, 2007 तक उन्होंने अपने कर्ज को जमा नहीं किया है, और वह अतिदेय हो गया है यानी ओवरडयू हो गया है। साथ ही ओवरडयू की राशि 29 फरवरी, 2008 तक यदि जमा नहीं की गई है, तो उन्हें लाभ मिलेगा। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि एन.डी.ए. की सरकार ने किसानों के हित में जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, तब सस्ती दर पर, 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने का काम किया, तो अधिकांश किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण लिए हैं। यदि कोई किसान, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण लेता है, तो उसकी कोई किश्त की अवधि तय नहीं होती है। उसके किसान क्रेडिट कार्ड की जो अवधि है, उस अवधि में उसके खाते में जितना पैसा है, उसे वह, जब चाहें, आवश्यकता पड़ने पर निकाल ले और जब उसके पास पैसा आ जाए, उसे जमा कर दे, अर्थात् उसमें ओवरडयू होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों पर कर्ज ओवरडयू हुआ ही नहीं है, क्योंकि कैश–क्रैडिट लिमिट में निर्धारित अवधि, मासिक या त्रैमासिक किस्त नहीं होती है। इसलिए वे ओवरडयू नहीं होंगे। इसके विकल्प में मंत्री जी ने एक बात कही अन्य किसानों के लिए जो इस दायरे में आते हैं, अर्थात् 2 हैक्टेयर तक के दायरे में आते हैं, यदि वे कर्जा देने नहीं आते हैं और यदि वे अपने कर्ज का 75 फीसदी एक साथ जमा कराएंगे, तो उनका 25 प्रतिशत कर्जा माफ किया जाएगा। अब यह भी भ्रम जाल है क्योंकि बैंकों के प्रबंधकों को यह अधिकार है कि अगर कोई किसान पैसा जमा नहीं करा पा रहा है, वह अतिदेय हो गया है, लम्बे समय तक वह पैसा नहीं दे पा रहा है और वह यदि बैंक के मैनेजर के पास आकर आग्रह करता है कि मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता हूं मेरा पैसा माफ कर दो कुछ समझौता कर लो, मैं कुछ पैसा दे देता हूं और बाकी का माफ कर दो, तो 25 प्रतिशत तक धन राइट आफ करने का अधिकार बैंकों के प्रबंधकों को है।

मंत्री जी ने घोषणा करके कौन–सा एहसान किया है? यह तो

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

उनका अधिकार है। उनको 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक का अधिकार है। इन्होंने 25 प्रतिशत कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों के बारे में जो घोषणा की गई है, यह उनके साथ धोखाधड़ी है, उनके साथ मजाक है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि कैसे और कितने किसानों को लाभ मिलेगा?

महोदय, मैं जो बातें कह रहा हूं, वह अनेक समाचार पत्रों में भी छपी हैं। अनेक समाचार पत्रों ने इस संबंध में लिखा है। मंत्री जी बताएं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों को कितना कर्ज दिया गया है, जो अतिदेय हुए हैं और इस परिभाषा के दायरे में आ रहे हैं। सहकारी बैंक, कोपरेटिव बैंक राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और सीधे-सीधे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनेक कोआपरेटिव बैंकों की आर्थिक हालत बहुत खराब है, वे घाटे में जा रहे हैं। उनके द्वारा यह कर्ज माफ करना बहुत कठिन होगा। इस कर्ज को माफ करने के लिए मंत्री जी ने बजट में उनके लिए कोई प्रावधान भी नहीं किया है। अनेक समाचार पत्रों ने इस बात का निष्कर्ष निकालकर कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया है और जो मंत्री जी ने घोषणा की है, संभवतः उस दायरे में दस हजार करोड़ रुपए तक ही कर्ज माफी की संभावना है, इससे ज्यादा कर्ज माफ करने की संभावना नहीं है। जो संस्थाएं बैंकिंग कारोबार करती हैं, सरकार से लाइसेंस लेती हैं और सरकार को उसके बदले में टैक्स देती हैं, वे भी इस दायरे में आनी चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज माफ करने की कोई बात नहीं कही गई है। वह कर्ज माफ किया जा सकता था, मैं अभी भी मांग करूंगा कि उन बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया कर्जा माफ करें, उनसे रिकार्ड मंगवाएं, जांच-पड़ताल करें। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि देश में कृषि मंत्री किसानों के नेता कहे जाने वाले शरद पवार जी, अपनी खीज मिटाने के लिए, क्योंकि इस बजट का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, उन किसानों का ध्यान बांटने के लिए कह रहे हैं कि सूदखोरों से जो किसानों ने कर्जा लिया है, उसे मत लौटाओ क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? उन सूदखोरों ने अगर कभी बिना लाइसेंस के धंधा किया हो, तो आप पता लगाएं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उन्हें जेल में डाल दो। अगर उन्होंने लाइसेंस लिया है, सरकार के नियमों का पालन किया है, अगर वे टैक्स चुका रहे हैं, टैक्स चुकाने के बाद अपना धंधा कर रहे हैं और किसानों को ऋण दे रहे हैं, तो ऐसे किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने की कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है और कहा है कि उनका कर्जा मत चुकाओ। मंत्री जी कानून को हाथ में लेने की सलाह उन किसानों को दे रहे हैं। अगर किसान कर्जा वापिस नहीं करेंगे, तो क्या लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद भी किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसने कर्जा दिया है, वह बदला जरूरत लेगा।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। अच्छा होता यदि आप इन चार वर्षों में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कोई न कोई व्यवस्था करते, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं की।

महोदय, इस बजट में प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उससे पर्यावरण, कृषि, प्रौद्योगिकी, अनाज, बांध आदि पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा इन पर और दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है। महोदय, आज हमारे देश की दो नदियां गंगा एवं यमुना पूर्ण रूपेण प्रदूषित हो गई हैं। गंगा जो पवित्र नदी है वह कई जगहों पर सिकुड कर नाले के रूप में हो गई है।

महोदय, मैं भागलपुर से सांसद हूं यहां से गंगा नदी बहती है लोग बाबा अजगैबी नाथ मंदिर में उत्तरवाहिनी गंगा का पानी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार कुंभ में जितने लोग आते हैं उतने ही लोग हर साल देवघर में बाबा बैजनाथ में जल चढ़ाने आते हैं। अतः गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए तथा अन्य नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ प्रावधान नहीं कियणा गया है।

***श्री अशोक प्रधान** (खुर्जा) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सामान्य बजट पर अपनी बात रखूं। मान्यवर जी, आज इस बजट को हम एक लोक लुभावन बजट कह सकते हैं। इसको हम चुनावी बजट कह सकते हैं। क्योंकि मान्यवर इस बजट में जो किसानों का कर्ज 60,000 करोड़ रुपया माफ किया है वह कितने किसानों को लाभ पहुंचेगा, ये वक्त बतायेगा। मंत्री जी कहते हैं कि 4,000 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसका लाभ बहुत कम किसान होंगे जिन्हें लाभ मिलेगा। महोदय, जो 2 हैक्टेयर की सीमा लगायी है उससे देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां 2 हैक्टेयर में अधिक पैदावार होती है और कहीं-कही 10 हैक्टेयर में भी 50,000 की पैदावार नहीं होती। मान्यवर इसको देखना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये 60,000 करोड़ किसानों को सही मायने में लाभ पहुंचे। इसमें महाजनों का जो किसानों पर कर्जा है उसका क्या प्रावधान होगा इसका भी मंत्री जी प्रावधान करें। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं के द्वारा होता है। मान्यवर जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरे बाकी साथियों ने भी अपनी बात की है कि बुंदेलखंड के लिए भी अलग से पैकेज दिया जाना चाहिए। मान्यवर, एक बात में यह कहना चाहता हूं कि कर्जा माफ करना, कोई स्थायी हल नहीं है। इसमें किसानों को जो कर्ज मिले, वह ब्याज मुक्त हो, हर खेत

*भाषण हिन्दी-पटल पर रखा गया।

को पानी मिले, हर घर, खेत को बिजली मिले और शिक्षा का सही साधन हो, किसान को समर्थन मूल्य बाजार रेट पर मिले, खेती को इंडस्ट्री का दर्जा मिले और गांव खेत को सड़क से जोड़ने का काम हो तभी किसान खुशहाल होगा।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें नोयडा, ग्रेटर नोयडा जैसे दो शहर भी आते हैं। जहां हजारों ऐसी यूनिट लगी हैं जिनसे आज देश में आई.टी. सेक्टर का बोलबाला है और इस क्षेत्र की वजह से हमने विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है। मान्यवर इसकी लाखों यूनिट पूरे देश में लगी हैं और सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए एस.टी.पी.आई का अलग से प्रावधान किया था जिसकी अवधि 10 वर्ष थी। उसमें एस.टी.पी.आई. के अंडर जो यूनिट आती थी लेकिन उसकी अवधि अब खत्म हो रही है। उसको आगे बढ़ाये जाने का इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। अगर समय रहते उसकी अवधि नहीं बढ़ायी गयी तो लाखों लोग बरबाद हो जायेंगे और बैंकों को जो कर्ज है उसका क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मान्यवर एस.ई.जैड की वजह से इन छोटी यूनिटों को बरबाद नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इसकी समय अवधि 10 वर्ष तुरंत बढ़ायें।

मान्यवर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां के किसानों की जमीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हो रहा है। चाहें उद्योगों के नाम पर चाहें एस ई जेड के नाम पर चाहें बड़ी बड़ी टाउनशिप के नाम पर। लेकिन जिन्होंने वहां जमीन ली है चाहे फैक्टरी के लिए चाहें एस.ई.जैड. के नाम पर चाहें टाउनशिप के नाम पर उन्हें तो लाभ इतना मिला कि वो आज उसका लाभ लेकर कहां से कहां पहुंच गये लेकिन किसान बरबाद होता चला गया। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान की जमीन का किसान की मर्जी से ही अधिग्रहण होना चाहिए। अगर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो उसको जमीन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और उसकी जमीन की कीमत किसान से सीधे बात करके बाजार रेट पर दिया जाना चाहिए और किसान उसमें से कुछ जमीन बचाना चाहे तो वह अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार अधिग्रहण के लिए किसान का शोषण न करें। केन्द्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे किसान का शोषण रोका जा सके।

मान्यवर, महंगाई के विषय में देश की जनता है और समय आने पर यू.पी.ए. सरकार को जवाब देगी। देश की जनता महंगाई की वजह से त्राहि–त्राहि कर रही है। मान्यवर, लाखों लोग इस सरकार की गलत नीति की वजह से शेयर मार्किट के छोटे निवेशक बरबाद हो गये उस पर भी विचार करना चाहिए।

अंत में, मान्यवर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

[अनुवाद]

***श्री निखिल कुमार** (औरंगाबाद, बिहार) : वित्त मंत्री ने इस बात का ध्यान रखा है कि सकल घरेलू उत्पाद में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। यह काफी ज्यादा है परंतु यदि पूर्ववर्ती तीन वर्षों की दर के साथ इनकी उपयुक्त तुलना न की जाए तो जैसाकि वे कहते हैं यह विकसित विश्व के बाजारों में बड़े स्तर पर होने वाले फेरबदल जो उत्प्रेरित नहीं हुआ है के कारण से हुआ है। हमें भी यही बताया गया कि कृषि की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत रही है जो प्रसन्नता का विषय नहीं है। ये भारत के समक्ष चुनौती पैदा कर रहे हैं।

अतएव, वित्त मंत्री को ऐसे बजट प्रस्ताव लाने पड़े थे जो वृद्धि दर को बनाएं रखे। उन्होंने विनिर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया है और वृद्धि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रुप में 'सेवा' और 'विनिर्माण' क्षेत्र का चयन किया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क कम करने का प्रस्ताव किया जैसे दुपहिए पर उत्पादन शुल्क 16% से घटाकर 12% और कागज पर 13% से घटाकर 8% करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने केन्द्रीय बिक्री कर को भी 3% से घटाकर 2% कर दिया है।

मैं इन प्रशंसनीय प्रस्तावों को पेश करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं जिनसे कि हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इनसे विनिर्माण की वृद्धि दर बढ़ेगी। हालांकि, यहां मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं कि ब्याज की दरों को बढ़ाए रखने संबंधी उनका आग्रह सही है? यदि वे ब्याज की दरों में कमी करेंगे तो इससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को सहायता मिलेगी और उत्पादन बढ़ेगा।

अतएव मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि ब्याज दरों पर अपने विचारों पर पुनर्विचार करें और मैं सुझाव देता हूं कि वह इनमें कमी करें।

कृषि :

यह उम्मीद की गई है कि इस वित्त वर्ष में हमारे खाद्यान्नों की रिकार्ड पैदावार होगी और यूपीए सरकार द्वारा निर्धारित ऊंची कीमतों पर अपनी फसल बेच पाएंगे। यह सराहनीय है कि वित्त मंत्री ने कतिपय कृषक अनुकूल उपाय करने का प्रस्ताव किया है जिनमें, कृषकों को ऋण माफी, सिंचाई के लिए किए जाने वाले परिव्यय को 11,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 348 करोड़ रुपये का प्रावधान करने और सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने जैसे उपाय शामिल हैं ताकि ड्रिप एंड स्प्रींक्लर इरीगेशन

*भाषण तमा पटल पर रखा गया।

[श्री निखिल कुमार]

के अंतर्गत करीबन चार लाख हैक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र भी लाया जा सके। ये सब प्रशंसनीय उपाय है और इनके लिए वित्त मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उन्हें कुछेक सुझाव देना चाहूंगा:-

(एक) कुल 738 मिलियन यूएस डालर की लागत से जल संसाधनों की मरम्मत करने, नवीकरण करने और पुनर्जीवित करने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य ने विश्व बैंक के साथ करार किए हैं जिससे 9 लाख हैक्टेयर का कमांड क्षेत्र लाभान्वित होगा। बिहार जो कि बड़े पैमाने पर जल भराव के कारण प्रत्येक वर्ष भारी क्षति उठा रहा है और इसका प्रभाव उनकी कम से कम एक फसल पर पड़ता है, के साथ भी इस प्रकार का करार करने की आवश्यकता है। यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि राज्य को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई जाए।

(दो) यूपीए सरकार द्वारा धान और गेहूं के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य अत्यधिक लाभकारी है। मेरा सुझाव है कि चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000/- रुपये निर्धारित किया जाए ताकि यह भी गेहूं और धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के समक्ष बन सके।

(तीन) कर्ज माफी एक क्रांतिकारी निर्णय है और पूरे कृषक समुदाय ने इसका स्वागत किया है। वस्तुतः वे ऐसा महसूस करते हैं कि यह सच नहीं हो सकता। यह महत्वपूर्ण है कि यह वित्त मंत्री द्वारा घोषित समायानुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए कि ऋण माफी का सारा कार्य 30 जून, 2008 तक पूरा कर लिया जाए। ऋण माफी का महत्वपूर्ण परिणाम यह निकलेगा कि कृषक नया ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे और उन्हें इसी समय के आस पास ही ऋण की आवश्यकता होती है अतएव यह महत्वपूर्ण है कि ऋण माफी का कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए सरकार अनुदान पर काफी पैसा खर्च करती है परंतु सारा का सारा पैसा लक्षित बिन्दु तक नहीं पहुंच पाता। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि हालांकि ऋण माफी का निर्णय एक क्रांतिकारी निर्णय है तथापि मेरा मानना यदि किसानों को अनुदान प्रत्यक्ष रूप से नकद राशि के रुप में दिया जाता तो बेहतर होता। वे प्रत्येक फसल पर 4,000/- रुपये प्रति एकड़ की औसत से पैसा खर्च कर रहे हैं और यदि इतनी राशि उन्हें नकद दी जाती है तो मेरा मानना है यह और भी अच्छा रहता। जिला राजस्व कलैक्टर के मार्फत भुगतान किया जा सकता था क्योंकि उनके पास अपने जिले के किसानों के आवश्यक सभी आंकड़े उपलब्ध रहते हैं और अनुदान राशि का भुगतान वे खण्ड-वार या पंचायत-वार भी कर सकते हैं। यह सुझाव भी दिया गया कि किसान क्रेडिट कार्डों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्रों की तरह व्यापक स्तर पर आम मद की तरह जारी किया जाना चाहिए। इससे किसान बार-बार बैंकों के चक्कर काटने से भी बच जाएंगे और इन कार्डों के आधार पर कलेक्टर द्वारा भी ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। इस सारी प्रक्रिया को एकल खिडकी पर ही निपटाया जाना चाहिए।

(चार) भूमि के वर्गीकरण के आधार पर छोटे और सीमान्त कृषकों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस वर्गीकरण का आधार भूमि की गुणवत्ता को बनाया जाना चाहिए यथा यह भूमि वर्षा सिंचित, अथवा बलुआई अथवा जलभराव किस श्रेणी की है? इनमें से प्रत्येक मामले में उदाहरण स्वरूप केवल यही उचित होगा कि भूमि के क्षेत्र को बढाया जाए। चूंकि मुझे आंकड़ों की सही-सही और सीधी जानकारी नहीं है। अतएव इसका निर्धारण करने का दायित्व मैं कृषि मंत्री के परामर्श से वित्त मंत्री पर ही छोड़ता हूं। परंतु किसानों के लिए इस प्रकार का भूमि वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में कृषकों को इस क्रांतिकारी निर्णय का व्यापक लाभ नहीं मिल पाएगा।

(पांच) जल निकायों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया विश्व बैंक ऋण समझौता एक अच्छी पहल है परंतु ऐसा समझौता बिहार के लिए आवश्यक है क्योंकि हजारों एकड़ भूमि पर पानी भरा रहता है जिससे प्रति वर्ष एक फसल का नुकसान होता है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता है और विश्व बैंक के साथ समझौता करना बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वित्त मंत्री से अनुरोध है कि विश्व बैंक के साथ इस प्रकार का समझौता करने के लिए बिहार हेतु साधनों और उपायों की जांच करें।

(छ) वित्त मंत्री ने 250 जिलों में भूमि परीक्षण हेतु पूर्ण उपकरणों से सुसज्जित सचल प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की घोषणा की है। यह एक अच्छी पहल है और उगाई जाने वाली फसल का चयन करने में यह हितकारी होगी। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी प्रकार से सिंचित और सिंचाई सुविधा रहित दोनों प्रकार की भूमि का सम्मिश्रण है और इसीलिए सिंचाई सुविधा रहित क्षेत्र पूर्णतः मानसून पर आधारित रहते हैं। जब मानसून नहीं आता जैसा कि पिछले दो वर्ष वर्षों अर्थात् 2004 और 2005 में हुआ तो हमें भारी सूखे की मार झेलनी पड़ती है। मृदा परीक्षण से किसानों को न केवल इस बात को चयन करने में सुविधा मिलेगी कि वह किस प्रकार की फसल उगा सकता है अपितु फसल संबंधी बीमारियों और फसल विविधीकरण की जानकारी भी मिल सकेगी। एक मृदा जांच करने वाली प्रयोगशाला अत्यंत लाभप्रद होगी। वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे कृपया एक ऐसी ही

प्रयोगशाला बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(सात) ग्रामीण एवं शहरी बाजारों को एक खाद्य चक्र की स्पष्ट प्रणाली के माध्यम से जोड़ने के सक्रिय प्रयास से कृषि की कम विकास दर में सुधार करना है।

(आठ) अधिक डीजल की लागत के परिणामस्वरूप मिट्टी के तेल की मिलावट होती है। इसे पेट्रोल पम्प की आवधिक जांच को रोका जा सकता है तथा यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार की जांच का नियमित आधार पर किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा बिहार में नहीं हो रहा है, जिसमें पीडीएस के अत्यंत अकार्यकुशल कार्यकरण के साथ ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार को पीडीएस के कार्यकरण की निगरानी और इसी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कुछ उपयुक्त पद्धति स्थापित करनी चाहिए।

(नौ) यह अच्छी बात है कि आईएवाई के तहत प्रति घर को इकाई के प्रदत्त राजसहायता 25,000 से 35,000/– रुपये कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान देने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। परंतु सीमेंट, ईंट व लौह छड़ों की वर्तमान कीमतों को देखते हुए यह भी अपर्याप्त लगता है। यह सुझाव दिया जाता है कि यदि यह योजना, जिसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के कल्याण के लिए तैयार किया गया है, वास्तव में लाभप्रद सिद्ध हो, तो वित्त मंत्री को राशि को 50,000 प्रति इकाई तक राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

इस बजट की कुछ अत्यंत प्रशंसनीय विशेषताएं हैं जैसे शिक्षा, युवा, असंगठित वर्ग के कामगारों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित उपबंध। इनके लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं तथा उनके प्रस्ताव की सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं, जो कि विनिर्माण व सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा। मैं वित्तमंत्री महोदय से विशेष रूप से सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा योजनाओं पर व्यय एवं सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने का अनुरोध करता हूं। एक बार पुनः आम आदमी, महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों तथा किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनोखा बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

*श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, आर्थिक संकल्प 2008-09 के आम बजट में वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की जैसे किसानों का कृषि ऋण 60,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, लघु और सीमांत किसानों के लिए संपूर्ण ऋण माफी, चार करोड़ किसानों को लाभ।

हम हमारी रिपब्लिकन पार्टी की ओर इस बजट का और वित्त मंत्री श्री चिदंबरम जी का स्वागत करते हैं। ट्राइबल एरिया में दलित और आदिवासी (आदिवासी उपाय योजना) उन्हें भी जो कर्ज दिया जाता है उस कर्ज की राशि का अधिक पैसा मंजूर होना जरूरी है। व्यापकता से छोटी छोटी कृषि विकास की योजनाएं दलित और आदिवासियों को देना जरूरी है। एससी/एसटी के लिए एक लाख, 50 लाख बढ़ोत्तरी बजट में देनी चाहिए। दलित वर्गीय लोगों को एससी/एसटी महामंडल या एनएसएफडीसी, वित्त संस्था से लिया गया कर्ज माफ करना अत्यावश्यक है। चैत्यभूमि–शिवाजी पार्क मुम्बई राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके विकास के नियोजन का प्रावधान होना आवश्यक है। भारत की राजधानी में (दिल्ली) "बौद्ध विश्वविद्यालय" भी घोषित करने का सहयोग दें। डॉक्टर बाबासाहब अम्बेडकर जी का 26 अलीपुर, दिल्ली में स्मारक है। आप जिस प्रकार दिल्ली क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं उसी प्रकार डा. अम्बेडकर जी के एक नया स्मारक के निर्माण करने की घोषणा करने का प्रयास करें। फारेस्ट बिल को मंजूरी नहीं मिलने से आदिवासियों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की अव्यवस्था है। विस्थापन की नीति निश्चित होते ही भी, उससे संबंधित अभी तक कानून न बनने के कारण महाराष्ट्र को वित्त की मंजूरी होना बाकी है। आदिवासी आश्रयशाला में दलित विद्यार्थियों को प्रवेश देना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक समावेश के कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। महिला आरक्षण एससी, एसटी 33 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए और जो बिल है, उस पर अमल जरूर होना चाहिए।

दलित आदिवासी वर्गों को कर्जा देने वाली सहभागी वित्त संस्था संबंधी एनजीओ, जो काम कर रहे हैं, उन्हें बजट में वित्त बढ़ाने से कार्य सुलभ होगा। जैसे नैफेड। इस बजट में वृद्धि करने की जरूरत है। प्रशिक्षण के कारण पूर्व प्रशिक्षण जो सेवा भर्ती केंद्र की संख्या में वृद्धि करके उन्हें वित्त का प्रावधान करें। कोपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड की संख्या में वृद्धि होना जरूरी है। उसे अलग वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता है। नार्थ ईस्ट को जैसे बजट में पैकेज घोषित किया है, उसका स्वागत है। उसी तरह से नार्थ ईस्ट के बाहरी इलाकों के लिए भी पैकेज घोषित करें।

*भाषण को सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामदास आठवले]

सब्जियां, फूड प्रोसेस यूनिट्स को वित्तीय सहयोग करके उनके क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता है। हमारी मांग है कि यह वर्ष 2008-09 का बजट ग्रास रूट तक कार्यान्वित होता है या नहीं, यह भी देखने की आवश्यकता है। यदि इस बजट को कार्यान्वित नहीं किया, तो यह बहुत खेदजनक बात होगी।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सूची समाप्त हो चुकी है। अब मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से वाद विवाद का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा, जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं तथा अन्य 62 सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने पिछले शुक्रवार को प्रस्तुत किए गए बजट पर बहस में भाग लिया है। जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा है, कि बजट केवल प्राप्तियों और धन का विवरण मात्र नहीं है। जबकि ऐसा संविधान कहता है। वर्षों के दौरान, बजट एवं बजट भाषण का मौका ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके माध्यम से सरकार भारत के लोगों के साथ संचार कर सकती है तथा राज्य की अर्थावस्था पर रिपोर्ट कर सकती है तथा आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था विकास एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या करेगी। इसीलिए मेरे विचार से, आजकल बजट एक त्यौहार बन चुका है। इसके लिए मीडिया को धन्यवाद। फिर भी, किसी भी व्यक्ति को स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप इस विषय पर अपनी भावनाओं और विचारों को समायोजित करना चाहिए। जब मैंने, श्री मल्होत्रा जी तथा विपक्षी पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों के विचार सुने जिन्हें मैं सम्मान देता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वे भूल गए हैं कि वे 6 वर्ष तक सत्तारूढ़ रहे हैं। मेरा विचार है कि विपक्ष में बैठने की इतनी आदत पड़ गई है कि आप भूल गए हैं कि छह वर्ष तक आप सत्तारूढ़ थे। अगर वे वहां बैठना चाहते हैं तो उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। आप जहां हैं वहीं बैठे रहिए। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को ठीक एवं उपयुक्त अंदाजा लगा लेना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था उन छह वर्षों में कैसी थी जब एनडीए सत्तारूढ़ थी और आज देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। निश्चित ही यह दावा करना कि एनडीए के शासनकाल में सब कुछ गलत था तथा यूपीए सरकार के शासनकाल में सब कुछ ठीक हो रहा है, गलत होगा। मेरे वक्तव्य का यह उद्देश्य नहीं है। विश्व भर में आर्थिक प्रगति को कतिपय मापदण्डों पर मापा जाता है। यदि आप और मैं एक ही भाषा बोलते हैं तो हमें एक ही व्याकरण को स्वीकार करना होगा। हम सही भाषा बोलने का दावा नहीं कर सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग व्याकरण का अनुसरण करता है। विश्वभर में आर्थिक विकास को जीडीपी में विकास, प्रति व्यक्ति आय में विकास, मानव विकास सूचकों में सुधार, वित्तीय घाटा तथा राजस्व घाटा, बाह्य लोच विशेषकर भुगतान संतुलन व विदेशी मुद्रा भण्डार, बचत दर एवं देश में निवेश की दर, रोजगार तथा क्या विकास के लाभ को प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक लोगों तक पहुच रहा है, के माध्यम से मापा जाता है। पिछले हजारों वर्षों से गरीबी इस देश का एक बड़ा कलंक रहा है। हमारा सांझा उद्देश्य गरीबी के कलंक को मिटाना है। हमारा मूल उद्देश्य विकास है, वह दिन दूर नहीं जब हम यह दावा कर सकते हैं कि पांच हजार साल से चली आ रही गरीबी को हमने मिटा दिया है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तथा मैं यह विनम्रता पूर्वक कहता हूं, विकास के साथ, समता की एक संभावना है और सर्वांगीण विकास का अवसर है। विकास के बिना समता की कोई संभावना नहीं है न ही सर्वांगीण विकास की। अगर आप यह पता लगाएं कि पिछले चार वर्षों में संपूर्ण विश्व में स्वीकार्य मानकों के तहत प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है तो आप पाएंगे कि छह वर्षों में एनडीए सरकार सत्तारूढ़ थी, औसत स.घ.उ. विकास दर 5.9% थी तथा यूपीए सरकार के चार वर्षों में विकास दर का औसत 8.8% रहा।

अब, 5.9 और 8.8 के बीच मात्र 3 के आस पास की संख्या नही है। 5.9 और 8.8 के बीच का अंतर एक तीव्र वृद्धि का अंतर है जिसका अर्थ है कि हमें गरीबी को मिटाने में तथा तीव्र वृद्धि को प्राप्त करने में अनेक वर्ष लगेंगे। जो हमें प्रत्येक दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी करने में मदद करेगा तथा हमारी उम्मीद से बहुत पहले गरीबी मिटा देगा।

महोदय, मैं अन्य आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं। 1998-99 तथा 2003-04 के बीच 24 तिमाहियों में ही विकास केवल 8% से अधिक रही। यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद, 2004-05 के अंतिम तिमाही से, अर्थात 2004 के आरंभ से लगातार 13 तिमाहियों तक, वर्तमान तिमाही को मिलाकर, विकास दर आठ प्रतिशत से अधिक रही है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है परन्तु यदि मैं शालीन न रहूं तो आप मुझे क्षमा कर देना क्योंकि इस देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि निरन्तर 13 तिमाहियों में विकास दर आठ प्रतिशत से अधिक रही।

महोदय, इस विकास ने हमें कतिपय स्वतंत्रता दी है, जोकि हमारे पास नहीं थी। पूर्व में किसी भी सरकार के पास नहीं थी। इस विकास से हमें भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। मैं कोई जादुगर नहीं हूं। मैं हवा से राजस्व अर्जित नहीं कर सकता। उच्च विकास तथा जबरदस्त कर वसूली के कारण ही राजस्व अर्जित हुआ है जिसके बारे में सभी ने टिप्पणी की है। आज हमारे पास परियोजनाओं पर इतना खर्च करने की क्षमता है, जिसकी चार वर्ष पहले हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

वर्ष 1997–98 में, संयुक्त मोर्चा सरकार के अंतिम वर्ष में कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 9.1 प्रतिशत था, और जब मुख्य विपक्षी दल के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी। अतः उन्हें 9.1 प्रतिशत का कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात मिला। जब वर्ष 2003–04 में उनकी सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ तो कर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 9.2 प्रतिशत था। छह वर्षों तक यह 9.1 प्रतिशत से 9.2 प्रतिशत तक घिसटती रही, इस कारण ही श्री यशवंत सिन्हा और श्री जसवंत सिंह कुछ विशेष कर नहीं पाए।

वस्तुतः प्रो. मल्होत्रा यहां है और यदि विपक्ष के नेता यहां होते तो मैं उनसे अपील करता कि वह मुझसे यह पूछें कि श्री यशवन्त सिन्हा और श्री जसवंत सिंह वे कार्य क्यों नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। उनके पास धन नहीं था क्योंकि जब पर्याप्त विकास नहीं हुआ था, कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में संगत वृद्धि नहीं हो रही थी और उनके पास वे कार्य करने के लिए धन नहीं था, जो हम कर रहे हैं। जब हमने सत्ता संभाली तो जैसा कि मैंने कहा कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात उन्होंने 9.2 प्रतिशत छोड़ा था। 15 दिन में समाप्त होने वाले इस वर्ष में कर सकलू घरेलू उत्पाद अनुपात 12.5 प्रतिशत हो जाएगा। अगले वर्ष यदि मैं अपने बजट के लक्ष्य प्राप्त कर लेता हूं तो मैं 13 प्रतिशत के कर सकलू घरेलू उत्पाद के अनुपात का लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। 9.2 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह मुझे ऐसे–ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चलाने की शक्ति तथा विश्वास प्रदान करती है, जिनकी शायद ही कभी कल्पना भी की गई हो, चाहें कोई वित्त मंत्री अथवा प्रधानमंत्री रहा हो।

एक बात और हुई है; वित्तीय घाटे तथा राजस्व घाटे के बारे में। जब संयुक्त मोर्चा सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ तो वित्तीय घाटा 4.8 प्रतिशत था। तत्पश्चात् एन डी ए के पहले वित्त मंत्री ने कार्यभार संभाला। उन्हें 4.8 प्रतिशत का वित्तीय घाटा विरासत में मिला। श्री मल्होत्रा कृपया नोट कीजिए, उन्हें 4.8 का वित्तीय घाटा मिला। जब वह नॉर्थ ब्लॉक से साऊथ ब्लॉक गए तो उन्होंने श्री जसवंत सिंह के लिए 5.9 प्रतिशत का वित्तीय घाटा छोड़ा। वित्तीय घाटा कम होने के स्थान पर यह 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गया।

इसी प्रकार से एनडीए सरकार के पहले वित्त मंत्री को 3 प्रतिशत का राजस्व घाटा मिला। उन्होंने जब अपने उत्तराधिकारी के लिए कार्यभार छोड़ा तो राजस्व घाटा 4.4 प्रतिशत था। एनडीए सरकार ने किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय गुंजाइश बनाने के स्थान पर पांच वर्षों तक उसको सीमित रखा और इसलिए वे बहुत से ऐसे कार्य नहीं कर पाए जो हमने किए हैं तथा जिसकी वजह से उन्हें इतना भय और ईर्ष्या हो रही है। शुक्र है, श्री जसवंत सिंह सौभाग्यशाली वित्त मंत्री थे अथवा अधिक योग्य वित्त मंत्री थे। वह वित्तीय घाटे को 5.9 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत करने में सफल रहे तथा उन्होंने राजस्व घाटे को 4.4 प्रतिशत से घटाकर 3.6 प्रतिशत किया। जब हमने कार्यभार संभाला तो वित्तीय घाटा 4.5 प्रतिशत था। इस वर्ष मैंने इसे घटाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया है और अगले वर्ष में इसे घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दूंगा। इसी प्रकार, जब हमने कार्यभार संभाला तो राजस्व घाटा 3.6 प्रतिशत था। इस वर्ष मैंने इसे घटाकर 1.4 प्रतिशत कर दिया है और अगले वर्ष मैं इसे घटाकर 1.0 प्रतिशत कर दूंगा।

मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय मित्र–जोकि सभी अच्छे मित्र हैं, कृपया इस पर ध्यान दें कि इसका क्या अर्थ है। वित्तीय घाटे को 2.5 प्रतिशत रखने का अर्थ क्या है?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : वे बॉन्ड और अन्य चीजें जारी करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं बॉन्ड्स के बारे में उत्तर दूंगा। चिंता मत कीजिए। मुझे इस प्रश्न की आशा थी। मैं बॉन्ड को भी जोड़ूंगा और आपका बताऊंगा कि यह क्या है।

वित्तीय घाटे को 3 प्रतिशत से कम रखकर मुझे काफी वित्तीय गुंजाइश मिलती है जबकि संसद द्वारा पारित एफ आर बी एम मुझे इसे 3 प्रतिशत से ऊपर रखने की अनुमति देता है। प्रो. रामदास को यह बात समझ में आएगी; बहुत से मित्रों को यह समझ आएगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : रामदास कौन?

श्री पी. चिदम्बरम : रामदास आठवले जी को भी इसे समझने का प्रयास करना चाहिए।

इससे मुझे बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद पर 0.5 प्रतिशत की वित्तीय गुंजाइश मिलती है, जिसका अर्थ हुआ कि आप और मैं कल यह निर्णय ले सकते हैं कि इस धनराशि को हम किस पर खर्च करेंगे? क्या आप इसे पूंजी व्यय पर खर्च करना चाहते हो? क्या आप इसे कृषि पर खर्च करना चाहते हो? क्या आप इसे शिक्षा पर खर्च करना चाहते हो? क्या आप इसे रक्षा पर खर्च करना चाहते हैं? यह संदर्भ पर निर्भर करता है। यह वर्ष की आवश्यकता विशेष पर निर्भर करता है। एक वर्ष ऐसा भी हो सकता है जब हमें शिक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ेगा। भगवान न करे एक वर्ष ऐसा भी हो सकता है जब सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आए तो हमें सुनामी राहत पर व्यय करना पड़ेगा। भगवान न करे की एक वर्ष आए जब हमें सुरक्षा पर खर्च न करना पड़े।

परन्तु मैंने वित्तीय गुंजाइश पैदा की है। मैंने वित्तीय गुंजाइश पैदा

[श्री पी. चिदम्बरम]

की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला प्रत्येक वित्त मंत्री अपने लिए इस वित्तीय गुंजाइश को रखेंगे ताकि उस वर्ष की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए संसद निर्णय ले सके कि वह इस धनराशि को कहां खर्च करना चाहती है। मुझे लगता है कि यह यूपीए सरकार की वित्तीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वित्तीय गुंजाइश की स्थापना हमें यह निर्णय लेने का अवसर देती है कि हम किस पर खर्च करना चाहते हैं। महोदय, प्रो. मल्होत्रा ने यह कहते हुए मुझे टोका है कि आपने बांड जारी किए हैं। मैं बांड जारी करने वाला पहला वित्त मंत्री नहीं हूं। आपके वित्त मंत्री ने भी बांड जारी किये थे। हमें उन बांडों को भी जोड़ लेना चाहिए। अगर हम उन बांडों को भी जोड़ लेते हैं तो बांडों सहित 1999–2000 का राजकोषीय घाटा 5.58 प्रतिशत होता है। 2003–04 में यह घटकर 5.15 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2007–08 के बांडों को शामिल करते हुए मैंने इसे घटाकर 3.66 प्रतिशत पर ला दिया है। यहां तक कि हमारा रिकार्ड एकदम बेदाग रहा है, एक अच्छा रिकार्ड रहा है। मेरी इच्छा थी कि रिकार्ड और बेहतर होता। यह इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, तेल के मूल्य के कारण। जब राजग सत्ता में था तब कच्चे तेल की अधिकतम कीमत 37 डालर प्रति बैरल थी। आज यह 110 डालर प्रति बैरल है। जब कच्चे तेल की कीमतें 37 डालर प्रति बैरल हो तो अर्थव्यवस्था चलाना आसान होता है, तब पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण आसान होता है, पेट्रोल मूल्यों, डीजल–मूल्यों, रसोई गैस मूल्यों, मिट्टी के तेल के मूल्यों पर फैसला ले पाना आसान होता है। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें 110 डालर प्रति बैरल हो जायें तब कोई फैसला ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम उसी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। खेल के सभी नियम आज बदल गए हैं। हम आज बिल्कुल दूसरी लीग में खेल रहे हैं। यही बात सभी वस्तुओं की कीमत पर लागू होती है। यही बात खाद्य तेलों पर लागू होती है जैसा कि सुबह एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है। यही बात गेहूं तथा चावल पर लागू होती है। हम 2003–04 की तुलना में आज बिल्कुल एक अलग दुनिया में हैं। यह दुनिया ऐसी है जहां वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों की कीमतें कई गुणा बढ़ गयी हैं और ये विकासशील देशों के लिए असंभव तथा में असत्य हो गयी है। तथापि संप्रग सरकार संप्र.ग. के नेतृत्व में विशेष रुप से श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 8.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर उन स्थितियों में भी बनाये रख सकी हैं। जहां सभी वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों के मूल्य लगभग दो गुणे तथा कुछ मामलों में तीन गुने हो गए हैं।

महोदय, मैंने कर राजस्व के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। कर राजस्व का क्षेत्र इस सरकार के लिए सफल कहा जा सकता है। मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को मेरे साथ मिलकर, यदि वे मुझसे सहमत हों तो, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को कर संग्रहण के विलक्षण कार्य के लिए बधाई देने को आमंत्रित करता हूं। हम वर्ष दर वर्ष अप्रत्यक्ष करों हेतु लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। वास्तव में, इससे ज्यादा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर में हम लक्ष्य से कहीं अधिक बढ़ रहे हैं जिससे हमें कहीं ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है और अब दोनों सभाओं के संसद सदस्य यह निर्णय कर सकते हैं कि हमें किस मद पर पैसा खर्च करना है।

मुझे कुछ उदाहरण देनें दें कि इस कर संग्रहण में उछाल का क्या अर्थ है। 2003–04 में सर्वशिक्षा अभियान का आबंटन 1,951 करोड़ रुपया था 2008–09 में हम जिस बजट पर चर्चा कर रहे हैं – यह 13,100 करोड़ रुपए है।

मिड डे स्कीम पर 2003–04 में 1,175 करोड़ रुपया खर्च किया गया। वर्ष 2008–09 में इस मद में हमने 8000 करोड़ रुपया आबंटित किया है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं में 2003–04 में यह 4896 करोड़ रुपया था। 2008–09 में हम 16,000 करोड़ रुपया आबंटित कर रहे हैं। मैं और ज्यादा बता सकता हूं लेकिन ऐसी मेरी ईच्छा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास से कर संग्रहण में उछाल तथा उच्चतर कर राजस्व हो रहा है जिससे संसद को और अधिक अवसर मिल रहे हैं कि वह निर्णय करें कि पैसा किस मद में व्यय किसा जाय।

बिना विकास, बिना कर राजस्व के हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं इस विषय पर संक्षेप में फिर आऊंगा जब हम ऋण माफी पर चर्चा करेंगे जो इस बजट का केंद्र बिन्दु बन गया है जैसा कि मैं 63 माननीय सदस्यों के भाषणों से समझ सका हूं। लेकिन इस बजट में ऋण माफी योजना से कहीं ज्यादा है।

शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मेरे विचार से श्रीमती तेजस्विनी ने बहुत अच्छी तरह से इसे सार रुप में रखा है। उन्होंने बताया कि हम सर्वशिक्षा अभियान, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभा सह साधन छात्रवृति, तथा सबसे बढ़कर उच्चतर शिक्षा के संस्थान के माध्यम से क्या कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। आपने इसका उल्लेख किया तथा मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। प्राथमिक शिक्षा आधारशिला है जिसपर समूची शिक्षा खड़ी है। लेकिन भारत की मजबूरी है कि शिक्षा प्रणाली में बहुत ज्यादा अवरोध होने के बावजूद हम सबसे अच्छे चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा पेशेवर बना पाए। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास उच्चतर शिक्षा के कुछ काफी गुणवत्ता वाले संस्थान हैं। लेकिन हमें उच्चतर शिक्षा के संस्थान पर जोर देते रहना होगा। इसलिए हमने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आई आई टी, आई आई एम, आई आई आई टी, आई एस ई आर के लिए बड़ी योजना घोषित की तथा हम इतना बड़ा अनुदान दे रहे हैं जैसा किसी विश्वविद्यालय ने सोचा नहीं होगा। हम प्रथम वर्ष में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस के लिए तथा अब महाराष्ट्र के राहूरी में महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का लिए क्या अनुदान प्रदान कर रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत का वादा किया था। आप उस पर क्यों नहीं आते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उसका उत्तर दूंगा।

महोदय, यह एक आमतौर पर पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसका अन्तर भी बहुत स्पष्ट है। यदि सकल घरेलू उत्पाद 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है; यदि मेरा आबंटन आठ प्रतिशत से कम दर से बढ़ा तो हम कभी भी शिक्षा के हिस्से में सुधार नहीं ला पाएंगे। लेकिन प्रति वर्ष मैं शिक्षा पर पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा आबंटन कर रहा हूं। इसलिए यदि सकल घरेलू उत्पाद 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है तथा यदि शिक्षा का आबंटन 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाय तो कभी न कभी हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यहां मुख्य बात यह है कि यदि पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत या इससे ज्यादा आबंटन करने की स्थिति में हम हैं तो यह केवल इसलिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है और इसलिए कि हमारे पास कर राजस्व है। यदि मैं पलट कर यही प्रश्न आपसे पूछूं प्रो. मल्होत्रा जी, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे सकता हूं लेकिन इससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा और न ही इसका उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस सरकार की योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरे देश में फैल रही है। कठिनाइयां हैं; कोई यह नहीं कह रहा है कि कठिनाइयां नहीं हैं। लेकिन ए एस एच एज स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 24x7 कार्य कर रहे है; और अधिक चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं, और अधिक बिना शर्त अनुदान दिए जा रहे हैं; और अधिक जिला अस्पतालों का उन्नयन होता है; तथा राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए और ज्यादा पैसा दिया जा रहा है।

महोदय, महिला तथा बाल विकास पर मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 2008-09 के लिए वृद्धि बहुत ज्यादा की गई है। वृद्धों के लिए, हमारे पास कई राजकोषीय तथा गैर राजकोषीय छूट हैं। पेयजल तथा स्वच्छता के लिए हम और ज्यादा पैसों का प्रावधान कर रहे हैं। दक्षता विकास के संबंध में यह काफी महत्वपूर्ण है – चाहे प्राथमिक शिक्षा की बात हो या उच्चतर शिक्षा की बात हो...

[हिन्दी]

प्रो. राधा मोहन सिंह (अजमेर) : एम्स का बजट क्यों नहीं बढ़ाया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

आप प्रश्न पूछ सकते हैं तथा स्वास्थ्य मंत्री इसका पर्याप्त उत्तर देंगे। वे इसका पर्याप्त उत्तर देंगे; प्रश्न काल के दौरान जब उनकी बारी आती है तो सोमवार या मंगलवार को प्रश्न पूछें।

महोदय, दक्षता विकास काफी महत्वपूर्ण है। हमारे बड़ी संख्या में बालक तथा बालिकाएं स्कूल छोड़ रही हैं। कई कारणों से, जब वे आठवीं कक्षा पूरी करते हैं स्कूल छोड़ देते हैं; जब वे दसवीं कक्षा पूरी करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। प्रयास यह है कि जब तक वे बारहवीं कक्षा पूरी न कर ले तब तक स्कूल न छोड़ें। लेकिन यह प्रयास हमेशा सफल नहीं होता है। कई सामाजिक–आर्थिक कारण हैं जो उन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर करते हैं। हम उन्हें स्कूलों में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर स्कूल में उपस्थिति बेहतर हुई है तथा हमें माध्यमिक स्तर, अर्थात, उच्च प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति में सुधार लाना है। लेकिन ये बालक तथा बालिकाएं जो स्कूल छोड़ते हैं वे इस दृष्टि से साक्षर होते हैं कि वे अपना नाम लिख सकते हैं तथा पढ़ सकते हैं तथा साधारण अंकगणित कर सकते हैं। लेकिन क्या उनके पास दक्षता है? इनके पास दक्षता नहीं है। इस सरकार ने इस संबंध में क्या किया है? कृपया चार वर्षों पर दृष्टि डालें। हमने यह कहना शुरू किया कि हम अपने सभी आई टी आई'ज का उन्नयन करेंगे तथा कार्यक्रम में गति आ रही है। मैंने बजट भाषण में आपको आंकड़े दिए। इसके अतिरिक्त, हमने दक्षता विकास मिशन को स्वीकार किया है, जो विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों में सभी दक्षता विकास कार्यक्रमों को एक साथ लागू करना ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। कृपया माननीय मंत्री की बात में विघ्न न डालें।

श्री पी. चिदम्बरम : तत्पश्चात, हमने निर्णय किया कि विद्यमान स्कूलों या विद्यमान संस्थानों का उन्नयन करना पर्याप्त नहीं है। हमें आज व्यापक दक्षता विकास कार्यक्रम आवश्यक रूप से शुरू करना चाहिए जो पूरे देश को तेजी से कवर करेगा। अतः हमने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन की घोषणा की है। मैं 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी एकत्र करूंगा तथा मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि हम वित्तीय वर्ष 2008-2009 से पहले भारत के अनेक भागों में इसे शुरू कर देंगे। हम इसका तेजी से उन्नयन करेंगे तथा 2008-2009 से इसे भारत के प्रत्येक भाग में लागू करेंगे ताकि स्कूल छोड़ने वाले सभी बालक

[श्री पी. चिदम्बरम]

एवं बालिकाएं दक्षता प्राप्त करके ही स्कूल छोड़ें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

जहां तक असंगठित क्षेत्र का संबंध है, विधेयक संसद के समक्ष है। लेकिन विधेयक पारित होने के पूर्व ही हमने तीन प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा की है तथा ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है। ये वे कार्यक्रम हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। 'आम आदमी बीमा योजना' में 30 सितम्बर तक एक करोड़ परिवार शामिल हो जाएंगे। मुझे यह बात विश्वास से क्यों कह रहा है? यह इसलिए क्योंकि यह काम मैंने जीवन बीमा निगम को सौंपा है जो मैं फिर कहता हूं कि यह भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का रत्न है।

1 अप्रैल से दिल्ली तथा राजस्थान में, जो क्रमशः कांग्रेस शासित राज्य तथा भाजपा शासित राज्य है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जा रही है। हम एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच भेदभाव नहीं कर रहे हैं। 1 अप्रैल से यह शुरु हो रही है तथा मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे अपनी राज्य सरकारों को कहें कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हो उनमें से कई राज्यों ने शामिल होने की सहमति दी है लेकिन उन्हें जल्दी शामिल होना चाहिए। धनराशि उपलब्ध है तथा हम इसे सभी राज्यों में 2008-09 में शुरु कर सकते हैं।

तीसरे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। राजग सरकार के छह वर्षों तक इस पेंशन को 75 रुपया क्यों रखा गया? एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया? हम सत्ता में आए तथा हमने बहुत बड़ी राशि नहीं दी है लेकिन हमने इसे बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया है तथा राज्य सरकारों को भी इतना ही पैसा देने के बराबर 200 रुपए देने के लिए कहा। आज, अत्यन्त विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि लगभग सभी राज्य सरकारें बराबर के 200 रुपये दे रही हैं तथा पेंशन भोगी को आज 400 रुपए उपलब्ध हैं। अब हम इस राशि को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डाकघर नेटवर्क का उपयोग करके बैंक खाते का उपयोग करके वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि रास्ते में कोई लीकेज नहीं हों तथा सभी पेंशन भोगियों को 400 रुपए प्राप्त हों। पहले, यह शर्त थी कि पेंशनर के संतान नहीं होनी चाहिए। जिस पर पेंशनर आश्रित हो। आज हम कहते हैं कि पेंशनर को यह लाभ मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखें बिना कि पेंशनर के बच्चे हैं या नहीं है जब तक वह गरीबी रेखा के नीचे है उसे यह लाभ मिलेगा।

मुझे हमारे द्वारा घोषित की गई कई छात्रवृत्तियों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तब काफी दुख हुआ जब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बजट का सांप्रदायिक रंग है। मैं काफी दुखी हूं। मैं केवल एक बच्चे को देखता हूं जब एक बालक या बालिका को स्कूल में बने रहने के लिए संघर्ष करते देखता हूं; स्कूल की फीस अदा करने के लिए किताब खरीदने, ड्रेस खरीदने या एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए अपने माता-पिता से पैसा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते देखता हूं। मैं किसी हिन्दू, मुस्लिम, सिख या कुछ बच्चे को नहीं देखता हूं। मैं केवल एक बच्चे को देखता हूं...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : योजना वही है। यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करती है, तथा यह हिन्दू बच्चे के लिए नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया बैठ जाएं। मैं बच्चे को उसी तरह देखता हूं जैसे आप अपने पुत्र या पुत्री को देखते हैं या जैसे मैं अपने पुत्र को देखता हूं। मैं उस बच्चे को देखता हूं जो पढ़ना चाहता हूं। बात यह है कि 1947 के आरंभ में इस देश में काफी संख्या में छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सं.प्र.ग. सरकार द्वारा शुरु किए गए। कई छात्रवृत्ति कार्यक्रम हैं। हमने उन छात्रवृत्तियों में काफी ज्यादा अंतर पाया जो वंचित तथा उपेक्षित वर्गों के लिए लक्षित हैं। उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। अत, गत दो वर्षों में हमने नए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की घोषणा की है या विद्यमान छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का विस्तार किया है। इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के और अधिक बच्चे स्कूल तथा कालेजों में पढ़ाई जारी रख सकें।

मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें क्या गलत है। हमें और ज्यादा प्रावधान करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या गलत है जब हम यह पाते हैं कि कतिपय वर्गों में कमी है, तथा कतिपय वर्गों में अंतर है। हम छात्रवृत्तियों में वृद्धि करके अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब, हम बालिकाओं के लिए ऐसा क्यों करें? बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम हैं। क्यों? लड़कों और लड़कियों के बीच लिंग भेद है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। किंतु जब हम लड़कियों के पक्ष में थोड़ा झुकते हैं और कहते हैं कि लड़कियों को कुछ और छात्रवृत्तियां देंगे तो ऐसा लिंगभेद अथवा असमानता को दूर करने के लिए किया जाता है।

इसी प्रकार, जब हम समाज में तथा कथित समृद्ध समुदायों और अनुसूचित जातियों के बीच अंतर देखते हैं; कि पहले समूह के पास क्या है तथा अनुसूचित जनजाति के पास क्या है; पहले समूह के पास क्या है और अल्पसंख्यकों के पास क्या है। तब मैं अपने आप से पूछता हूं कि जो पीछे छूट गये हैं; यदि उनके पक्ष में हम थोड़ा झुक जाते हैं तो इसमें क्या गलत है। लिंग भेद है, जाति भेद है तथा धर्म भेद है। इस भेद, इस असमानता को कुछ और छात्रवृत्तियों से दूर किया जाना चाहिए। आप प्रो. मल्होत्रा, विजय मल्होत्रा नहीं बल्कि प्रो. मल्होत्रा खड़े

होकर इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विरोध करने वाले आखिरी शख्स होंगे। मुझे इस बात पर घोर निराशा हुई है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : दोनों के बीच फर्क है।

श्री पी. चिदम्बरम : आप कृपया श्री शाहनवाज से पूछिए; यदि वह आपका समर्थन करते हैं तो मैं अपना वक्तव्य वापस ले लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें गलत क्या है।

महोदय, कृषि के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि कृषि में सकल पूंजी निर्माण संप्रग सरकार के अंतर्गत वर्ष 2003–04 में 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है। इस विषय में आज पूर्वाह्न में एक प्रश्न पूछा गया था। इसे बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। वर्तमान दर से हम ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक 16 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमने इसे 10.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है। किंतु कृषि में और निवेश किया जाना चाहिए।

हमने आज सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की घोषणा की है। आई डी एफ सी तथा आई आई एफ सी एल की तरह यह निगम बड़ी धनराशि जुटाएगा। जिसे सिंचाई पर व्यय किया जाएगा। मेरे विचार से कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण –जी हां, निःसंदेह बीज, खाद, विद्युत और ऋण का मुद्दा है किंतु सबसे महत्वपूर्ण पानी है। जब तक आप पानी उपलब्ध नहीं कराते खेती नहीं हो सकती है।

श्री सी. एच. विजयशंकर (मैसूर) : नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्य का क्या हुआ?

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया बैठ जाइये। ये विशिष्ट प्रश्न हैं जिन्हें संबद्ध मंत्री से सरलता पूर्वक पूछा जा सकता है और आपको विस्तृत उत्तर मिल जाएगा।

पानी महत्वपूर्ण है। हम एआईबीपी पर काफी व्यय कर रहे हैं। ए आई बी पी को मैंने 1996–97 में शुरू किया था। प्रत्येक सरकार ने इसे जारी रखा है। इस वर्ष 2008–09 में हम 20,000 करोड़ रु. का परिव्यय का प्रावधान कर रहे हैं। किंतु 20,000 करोड़ रु. भी पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि उसके राज्य में मझोली सिंचाई परियोजना है अथवा बड़ी सिंचाई परियोजना है, हमें और अधिक धन दें। मुझे बताइये कि किस पार्टी किस राज्य को सिंचाई के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। सबको सिंचाई के लिए पैसा चाहिए। हमने वर्ष 2008–09 में ए आई बी पी के लिए 20000 करोड़ रु. दिये हैं किंतु यह पर्याप्त नहीं है। अतएव, हम सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम शुरू कर रहे हैं। हम बड़ी धन राशि जुटाएंगे और इसे पैसे को सिंचाई में लगाएंगे ताकि हमारे किसानों को पानी उपलब्ध हो सके।

मृदा परीक्षण : महोदय, मुझे यह जानकर हैरत हुई कि इस देश में पर्याप्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं नहीं हैं। मृदा परीक्षण किए बिना आप खाद कैसे उपलब्ध कराएंगे? इसी वजह से आज एनपी के संतुलन पूर्णतः बिगड़ गया है। अतएव, अब हम मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने 31.3.2009 के अंत तक 250 पूर्णतः साधन संपन्न सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था किए जाने की स्वीकृति दी है।

मैं इस बारे में सभी बातों का जिक्र करना नहीं चाहता हूं। यह सब बातें बजट भाषण में हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बजट ऋण माफी तक ही सीमित नहीं है। किसानों को ऋण माफी दिए जाने के अलावा भी बजट में काफी कुछ है हालांकि ऋण माफी इस बजट की मुख्य बात बन गयी है।

हमने उन क्षेत्रों पर बहुत ध्यान दिया है जिनकी सामान्यतः उपेक्षा हो जाती है। उदाहरणार्थ जलवायु-परिवर्तन की उपेक्षा होती है। पहली बार, प्रधानमंत्री के कहने पर गत वर्ष बजट भाषण में हमने जलवायु परिवर्तन संबंधी पैरा शामिल किया। हमने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति की है। इस वर्ष हम इसे यह कहकर आगे बढ़ा रहे हैं कि हम अपने हित में जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक संस्थागत प्रणाली तैयार करेंगे। मैं इस बात को पुनः कह दूं कि इसका क्योटो प्रोटोकोल से कोई लेना देना नहीं है, बाली बैठक से कुछ लेना देना नहीं है, इसका इस बात से भी कुछ लेना देना नहीं है कि कल क्या होगा। अपने हित में हमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सुलझाना चाहिए। इस सभा में कई प्रमुख विद्वान और विधायक हैं जो समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देना तथा एक संस्थागत प्रणाली बनाना हमारे अपने हित में है।

हमने भारत के 'सॉफ्ट पावर' को भी ध्यान दिया है। हमारा संगीत, हमारी कला, हमारा सिनेमा विशेषतः हमारा सिनेमा भारत का 'साफ्ट पावर' है। वास्तव में एक प्रकार से बॉलीवुड इस देश को जोड़ रहा है। एक प्रकार से बालीवुड भारतवंशियों को जोड़ रहा है। हमें इन सभी लोगों पर गर्व है। मुझे आशा है कि इसे कोई इस कारण सांप्रदायिक नहीं कहेगा कि बालीवुड में शाहरुख खान और सैफ अली खान का बोलबाला है। भारत में 'साफ्ट पावर' को प्रोत्साहन देने के लिए आई सी सी आर के माध्यम से हम अब 75 करोड़ रु. खर्च करने जा रहे हैं।

मैं बाघों को नहीं भूला हूं। जब मुझे पता चलता है कि किसी बाघ को मार दिया गया है तो मैं बहुत भावविह्वल महसूस करता हूं। ये अवैध शिकारी कौन हैं? अवैध शिकारी ही वास्तविक हत्यारे हैं। किंतु उनके पीछे शक्तिशाली हित हैं जो इन अवैध शिकारियों को पैसा देते हैं तथा बाघ की खाल तथा बाघ से प्राप्त अन्य चीजों से धन कमाते हैं।

[श्री पी. चिदम्बरम]

इससे पहले की अवैध शिकारी बाघों को खत्म करें, हमें अवैध शिकारियों को खत्म करना है। अतएव, हमने विशेष बाघ संरक्षण बल का गठन करने का निश्चय किया है। हम बल का गठन करेंगे, हम बल को प्रशिक्षित करेंगे, हम बल को सशस्त्र बनाएंगे। मैं स्पष्ट संदेश भेजना चाहता हूं कि यह बल उन अवैध शिकारियों को समाप्त कर देगा जो बाघों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

अपराह्न 5.37 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब मैं बजट के सबसे महत्वपूर्ण भाग नामतः ऋण माफी की बात करता हूं। यह ऋण माफी कर्ज माफी है। कर्ज माफी इस देश में कोई नयी चीज नहीं है। 1938 में ही, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत और अब यह सूची 2 का मद 30 है–कर्ज देना और कर्ज देने वाले तथा कृषि ऋण से राहत राज्य विषय था और यह आज भी राज्य विषय है।

साहूकारों के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर यह है कि यह मामला केवल राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। हम राज्य सरकार की सिर्फ मदद कर सकते हैं। संसद या केंद्र सरकार के पास ब्याज पर उधार देने अथवा साहूकारों के संबंध में कोई कार्यकारी अथवा विधायी शक्ति नहीं है।

चाहे जो भी हो, श्री सी. राजगोपालाचारी, जिन्हें प्यार से राजाजी कहा जाता है और जो एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हैं ने मद्रास कृषि राहत अधिनियम, 1938 पारित किया था। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य पुस्तकालय जाकर अधिनियम देखें। यह एक सुदूरगामी प्रभाव वाला अधिनियम है जिसमें उस विशेष क्रियात्मक धारा में काफी सरल ढंग से कहा गया है, "अगर किसी उधार लेने वाले ने उधार ली गई राशि से दुगुनी राशि मूलधन अथवा ब्याज अथवा दोनों के रूप में चुका दी है तो ऋण पूरी तरह से खत्म हो जाता है।" अब मैं माननीय सदस्यों से यह पूछता हूं कि हमारी राज्य सरकारें उस अधिनियम का अनुकरण करते हुए अपने यहां ऐसे अधिनियम क्यों नहीं पारित करती हैं। और साहूकारों के ऋण को क्यों नहीं समाप्त कर रही है? यह राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। प्रश्न यह है कि हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है?

मुझे खुशी है कि विपक्ष के नेता यहां उपस्थित हैं। महोदय, मुझे यह सम्मान देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

तीन दिनों तक आप इस प्रत्याशा में संसद की कार्यवाही ठप्प कर देते हैं कि सरकार ऋण माफ नहीं करेगी ताकि शुक्रवार को अपराह्न 12.15 बजे आप खड़े होकर यह कह सकें, "इस सरकार ने ऋण माफ नहीं किया है", और संसद की कार्यवाही को ठप्प करना जारी रखें। अपराह्न 12.15 बजे जब हमने ऋण माफी की घोषणा की तो आप चकित हो गए और अब आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे? यह विवेक पिछले सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कहां था? अब आप यह प्रश्न पूछते हैं कि हमने 60,000 करोड़ रुपए का निर्णय किस प्रकार किया? हमने तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों तथा एक करोड़ बड़े किसानों के बारे में कैसे निर्णय लिया? हम विदर्भ तथा असिंचित भूमि से कैसे निपटेंगे? पिछले सप्ताह मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार को यह विवेक कहां था?

कुछ भी हो, इस सरकार ने काफी सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ऐसा किया है। मैं काफी विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इसकी संभावना नहीं के बराबर है कि डा. मनमोहन सिंह और कुछ हद तक मैं बिना तैयारी के परीक्षा में बैठूंगा। अगर मैं लड़खड़ाता और गिरता भी हूं, अगर मैं ठोकर खाता और गिरता भी हूं, तो भी डा. मनमोहन सिंह के ऐसा करने की संभावना नहीं है।

हमने तैयारी की है; हम पिछले 2–3 महीनों से तैयारी कर रहे थे; तैयारी करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की परिस्थिति, समय तथा अपरिहार्य आवश्यकता इस बात की है कि ऋण माफी की जाए।

अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने अफ्रीका, अफ्रीकी देशों के ऋण माफ कर दिए हैं; विदेश मंत्री यहां उपस्थित हैं; भारत ने कई अफ्रीकी देशों का ऋण माफ कर दिया है। राज्य सरकारों के बारे में भी डा. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति के पश्चात् हमने राज्य सरकारों का ऋण माफ किया है – अथवा ऋण को बट्टे खाते में डाला है। 'डा. रंगराजन की अध्यक्षता वाले वित्त आयोग के अंतर्गत' अभी तक राज्य सरकारों के कुल 13,285 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं।

वर्ष 2002 में घोषित सी.डी.आर. पैकेज के अंतर्गत कतिपय उद्योगों के संबंध में 1,000 करोड़ रुपए का मूलधन और ब्याज माफ किया गया और ब्याज में कमी के कारण 5,000 करोड़ रुपए की हानि हुई। इस प्रकार उन उद्योगों के ऋण माफ किए गए। कुख्यात इनरॉन मामले में, जिसमें 13 दिन की अल्पकालिक सरकार ने अपने अंतिम दिन अपने मार्ग निर्देश के अंतर्गत 1.30 बजे हस्ताक्षर किए थे, हमने उस कंपनी का पुनरुद्धार किया है और उसे रत्नागिरि पावर एंड गैस कंपनी बनाया है तथा 2500 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। अतः, ऋण माफी कोई नई बात नहीं है।

सबसे हाल का तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण 1990–91 का वह बजट भाषण है जिसमें स्वर्गीय प्रो. मधु दंडवते ने सरकार द्वारा

सीधी ऋण माफी की बात कही और जिसे मुख्य विपक्षी दल द्वारा समर्थन दिया गया था। प्रो. मधु दंडवते ने क्या कहा था? मुझे उस पैराग्राफ को पढ़ने दीजिए और इसकी तुलना उस परिमाण और आकार के साथ करें जो हमने आज किया है।

उनके भाषण का यह 29वां तथा 30वां पैराग्राफ है और मैं 29वें तथा 30वें पैराग्राफ के कुछ अंशों को पढ़ूंगा। वे किसानों के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं;

> "वे कई वर्षों से ऋणग्रस्तता और कम आय के दुश्चक्र में फंसे हुए हैं जिसके कारण उन्हें शाश्वत गरीबी में रहना पड़ रहा है। हमारे किसानों को ऋण भार से राहत देने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में एक आश्वासन दिया गया था कि 2 अक्तूबर 1989 की स्थिति के अनुसार 10,000 रुपए तक के ऋण वाले किसानों को राहत दी जाएगी।"

इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी किसान पर 10,000 रुपए का ऋण था तो वह किसी लाभ का हकदार नहीं था। उन्होंने कहा:

> "ऋण राहत प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया जाता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। राहत उन कर्जदारों को उपलब्ध होगी जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 10,000 रुपए तक के ऋण लिये हैं।"

अत:, सीमा 10,000 रुपए थी तथा सहकारी संस्थाओं को इससे बाहर रखा गया था। उन्होंने कहा:

> "राहत में 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि एवं सावधि ऋणों सहित सभी बकाया राशि शामिल होगी।"

उधार कर्ताओं की भूमिधारिता के आकार के संबंध में कोई सीमा नहीं होगी।" तथापि, जानबूझकर ऋण का भुगतान नहीं करने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने ऋण भुगतान करने की क्षमता होने के बावजूद पूर्व में ऋण का भुगतान नहीं किया है, को इससे बाहर रखा जाएगा।" अत: यह निर्णय कौन करेगा कि किसने जानबूझकर भुगतान नहीं किया है। और कौन सिर्फ चूककर्ता है?

> "केंद्र सरकार इस प्रकार बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।"

वास्तव में यह ऋण कब बट्टे खाते में डाला गया था? 1991 में मेरे अच्छे मित्र स्वर्गीय प्रो. मधु दंडवते ने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। डा. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनने के पश्चात् उत्तरवर्ती वर्षों में चार वर्ष की अवधि में शेष 3,766 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अत:, भुगतान की गई कुल राशि 5,266 करोड़ रुपए थी।

आज हम 60,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि मैं माननीय श्री आडवाणी जी के आने के पहले कहा था कि हम ऐसा करने में इसलिए सक्षम हुए हैं क्योंकि कर वसूली में काफी वृद्धि हुई है तथा चार वर्षों के भारतीय अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण हमने राजकोषीय स्थिति में सुधार किया है।

महोदय, जैसे ही यह सरकार बनी तो सरकार की ओर से पहली नीतिगत घोषणा 18 जून, 2004 को की गयी थी जिसमें मैंने कहा था कि कृषि ऋण की राशि तीन वर्षों में दोगुनी कर दी जायेगी। वस्तुत: इसे दो वर्षों में प्राप्त किया है। जब एनडीए ने सत्ता छोड़ी तो यह राशि 83,000 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष लक्ष्य 2,25,000 करोड़ रुपये का था जो 31 मार्च तक 2,40,000 करोड़ पहुंच जाएगा। अगले वर्ष के लिए मैंने 2,80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। परंतु उस नीतिगत घोषणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ था और वह निम्नवत् था:–

> "देश के कई भागों में किसान गैर संस्थागत ऋणदाताओं उदाहरण स्वरूप साहूकारों के ऋणों के भारी बोझ के कारण घोर अवसाद झेल रहे हैं। इस प्रकार के कृषकों को ऋण ग्रस्तता से राहत देने के लिए बैंकों को समुचित संपार्श्विक अथवा समूह प्रतिभूति मुहैया कराने के लिए अग्रिम ऋण देने की अनुमति दी जाएगी। आर आर बी और सहकारिता ऋण संस्थानों में बोर्डों को अपने स्थानीय ज्ञान का भी उपयोग करके इस प्रकार की राहत मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।"

यह एक ऋण विनियम व्यवस्था है जिसे 18 जून, 2004 से लागू किया गया था। मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा ताकि आप इस बात को अपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बता सकें कि बैंकों को आज कृषकों द्वारा साहूकारों से लिए गए ऋण को चुकाकर उन्हें बैंक का ऋणी बनाने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। ऐसी योजना अभी चल रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में "पवाला वाड्डी' योजना प्रारंभ की गयी है जो कृषकों को बैंकों से ऋण लेकर साहूकारों के कर्ज चुकाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस योजना को बहुत सफलता नहीं मिली है। मैं आपको बताऊंगा की ऐसा क्यों नहीं हो पाया। कई कारणों के चलते किसानों के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं होते। उनके पास पर्चियां नहीं होती। साहूकार कोई लेखाजोखा भी नहीं रखते। कई कारणों के चलते कृषक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं इस मामले में विवश हूं। भा.रि.बैं. भी इस मामले में विवश ही है और यदि मुझे इसका कोई समाधान मिलता है

[श्री पी. चिदम्बरम]

तो मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिसके द्वारा बैंक साहूकारों के ऋण का भुगतान करने के लिए किसानों को उनके घर पर ही ऋण देकर स्वयं संस्थागत ऋणदाता बन सकते हैं।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अब तक हम 36,000 कृषकों के खातों में ऐसा कर पाए हैं और 105 करोड़ रुपये का भुगतान कर चके हैं। परंतु मेरा प्रयास यही होगा कि इस संख्या को गुणात्मक रुप से बढ़ाया जाए ताकि अधिकाधिक कृषक बैंकों से ऋण लेकर साहूकारों का कर्ज चुका सकें।

केरल में, हमने राज्य ऋण राहत आयोग की स्थापना की है उसने हाल ही में काम करना प्रारंभ किया है। मुझे अभी किसी प्राधिकृत स्रोत से यह जानकारी मिली है। मैंने अभी तक इसका सत्यापन नहीं कराया है परंतु इस बात का सत्यापन किया जा सकता है कि वयानाड में 1,40,000 कृषकों ने इस आयोग में आवेदन किया था परंतु उनमें से ऐसे मामले बहुत ही कम थे जिसमें ऋण देने वाले व्यक्ति साहूकार थे। 1,40,000 आवेदकों में से कुछेक को छोड़कर राहत मांगने के लिए आने वाले अधिकांश व्यक्ति बैंक के ऋणी थे। अतएवं, साहूकार का कर्ज चुकाने में सामाजिक, आर्थिक निषेध की भूमिका स्पष्ट है। परंतु मैं कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। साहूकारों की पहचान करने में कई सामाजिक आर्थिक अवरोध सामने आते हैं। आइए एक साथ बैठें और कोई एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे किसानों को साहूकारों के चुंगल से बचाया जा सके। बैंक किसानों को पैसा देगा और किसान उससे साहूकार का कर्ज चुकाएगा। मैं इस मामले की गंभीरता से पूरी तरह से अवगत हूं। परंतु अभी तक इसका कोई समाधान मेरे पास नहीं है। मैं कोई न कोई समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास करें; मैं इस मामले पर बेहद चिंतित हूं।

अंत में, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम एनडीए द्वारा छोड़े गए अनपेड डिस्ट्रेस बिल को उठा रहे हैं तो बहुत हो–हल्ला हुआ। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को तूल दिया है। जब वह अनपेड डिस्ट्रेस बिल जैसे सहज शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वास्तव में वह आपके प्रति सहजभाव रख रहे हैं। कृषक इस समस्या में क्यों पड़े? क्योंकि सरकार ने उन्हें लाभकारी दरों का भुगतान नहीं किया। ऐसा सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य न देने के कारण से हुआ है। अन्य बातों के साथ सरकार द्वारा दिया जाने वाले अलाभकारी मूल्य भी कृषकों की दयनीय दशा के लिए उत्तरदायी है। हम इन तथ्यों से इंकार नहीं कर सकते। 1998–1999 में एनडीए सरकार ने गेहूं के लिए अधिकतम समर्थन मूल्य 550 रुपये निर्धारित किया था और 6 वर्ष बाद 2003–04 में इसे बढ़ाकर उन्होंने 630 रुपये कर दिया अर्थात् 6 वर्षों में इस मामले में 80 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। आज हम 1000/– रुपये दे रहे हैं। जो उससे 370 रुपये अधिक है। धान की आम किस्म के लिए 1998–99 में एनडीए सरकार ने 440 रुपये दिए थे और 2003–04 में 550 रुपए दिए गए इस प्रकार से 110 रुपये की बढ़ोतरी हुई। आज हम 745 रुपये दे रहे हैं। जब तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे वे समस्याओं से घिरे ही रहेंगे।

ये समस्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। ऐसा दावा किया जाता है कि एनडीए शासनकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी तरह चल रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था आंकड़े अपने आप कहानी कह रहे हैं। 'टेक आफ' जो कि इस बात का मानदण्ड है कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली भली प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं इसमें न केवल एनडीए शासन काल में दुकानों की संख्या अपितु पीडीएस दुकानों से उठाए जाने वाले गेहूं और चावल का उल्लेख भी किया गया था और यहां मैं पिछले 6 वर्षों के वे आंकड़े ही पढ़ रहा हूं – 186 लाख टन, 170 लाख टन, 120 लाख टन – नीचे जाते जा रहे हैं और उसके बाद बढ़ रहे हैं। 38 लाख टन, 200 लाख टन और 239 लाख टन।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मार्किट में खाद्यान्न इतना सस्ता मिलता था कि राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी राशन की दुकान पर नहीं जाना चाहता था।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में गरीब लोग थे ही नहीं। इस देश में कोई भी कार्डधारी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला नहीं था।

अतएव 186 से घटकर 120 हो गया और बढ़कर 200 लाख टन हो गया। चार वर्षों का ऑफटेक 239 लाख टन, 293 लाख टन, 311 लाख टन और 313 लाख टन रहा है। अतएव हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पर्याप्त योगदान दे रहे हैं उसमें कई समस्याएं हैं जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है देश भर में 36% का रिसाव हो रहा है। किसी राज्य में ज्यादा और किसी में कम परंतु देश भर का औसत 36% है। परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी है। हम खाद्यान्न और राजसहायता के नियंत्रण में हैं। दुकानदारों की नियुक्ति या नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उनकी निगरानी भी सरकार ही करती है। अतएव राज्य सरकारों को इनकी स्थिति में

सुधार लाना होगा ताकि राशन कार्ड की दुकानों तक अधिकाधिक लोगों की पहुंच बन सकें। अवसाद का यही कारण है और हम इस मुद्दे और उन परिस्थितियों जिनमें 4 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं; को सुलझाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैंड रूम में उपलब्ध सर्वाधिक श्रेष्ठ तरीके से इस अवसाद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वर्ष 1998-99 के आंकड़े भी पढ़ सकता हूं। ऐसा नहीं है कि ये आत्महत्याएं आज ही की जा रही है। यदि एक किसान भी आत्महत्या करता है तो हमें अपने सिर शर्म से झुका लेने चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो केवल इसलिए आत्महत्या कर रहा हो कि वह अपने ऋण नहीं चुका पा रहा है। इसीलिए हमने एक करणीय योजना तैयार की है। जब भी मैं कुछ करणीय योजना लेकर आता हूं तभी आप कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यह बड़ा ही बेतुका तर्क है जो करणीय और अकारणीय के बीच अवरोध पैदा करता है। श्रेष्ठ कभी भी अच्छे शत्रु नहीं हो सकता। यहां हम बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अबसे पहले कभी करने का प्रयास भी नहीं किया गया। मेरा विश्वास है कि यह करणीय है। यदि हम सब इस बात से सहमत हैं कि हम और अधिक कर सकते हैं तो हम और अधिक करेंगे। मैंने 29 फरवरी को इसकी घोषणा की थी कि हम करणीय पैकेज पर कार्य कर रहे हैं हम और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और अब मैं एक वक्तव्य दूंगा यदि हम ज्यादा कर सकते हैं तो हम ज्यादा करेंगे परंतु जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो करणीय है तो यह कहने का क्या मतलब है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप वैसा क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे वह करने दीजिए जो किया जा सकता है तथा उसके बाद हम साथ मिलकर विचार करेंगे कि और क्या किया जा सकता है।

महोदय, मैं ऋण माफी पैकेज के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं तथा इस वक्तव्य के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। महोदय, सभा के समक्ष अपने बजट भाषण में मैंने किसानों के लिए ऋण छूट और ऋण राहत के पैकेज की घोषणा की है। यह मेरे बजट भाषण के पैरा 37 में था तथा आज इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कीमती एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं ताकि सदइच्छा वाले ऋण माफी तथा ऋण राहत पैकेज में सभी योग्य किसान, विशेषकर लघु तथा सीमान्त किसानों को शामिल किया जा सके। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं ऐसे हर सुझाव को ध्यान में रखूंगा जो इस चर्चा के दौरान दिया गया है तथा अंतिम योजना में जितना संभव होगा उन्हें शासित करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, जब भी कोई रेखा खींचता है तथापि कोई रेखा खींची जाती है तो जो लोग किनारे पर होंगे वे उन्हें शामिल करने का अनुरोध करेंगें। ऋण माफी पैकेज के संबंध में मेरा इरादा इसके अंतर्गत उन सभी किसानों को शामिल करना है जिनका ऋण माफ किया जाना चाहिए और मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में राहत देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अंतिम पैकेज वहनीय, भेदभाव रहित, स्वचालित, आसान होना चाहिए तथा शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक के लिए लागू करना आसान होना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि किसानों को जो नीचे से ऊपर तक भाग दौड़ करनी पड़े। यह योजना समूचे देश में सभी ऋण देने वाली संस्थाओं में शाखा प्रबंधक द्वारा शाखा स्तर पर लागू की जाएगी।

अब मैं इस पैकेज के वित्त पोषण की प्रमुख परिरेखाओं को पेश करूंगा। मैंने आपको 29 फरवरी को आश्चर्यचकित किया था तथा कुछ और आश्चर्य अभी आने हैं। सरकार के अनुरोध पर, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थानों से 14 मार्च 2008 अर्थात् आज तक बकाया ऋण खातों के बारे में शाखा –वार सूचनाएं देने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड–द्वारा आंकड़ों की जांच के बाद उन्होंने 20 मार्च, 2008 तक ये आंकड़े सरकार को भेजे जाने का अनुरोध किया है। अनंतिम प्राक्कलन से पता चलता है कि लगभग 60,314 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी जिसमें 50,524 करोड़ रुपये छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण राहत के रूप में होंगे और 9,790 करोड़ रुपये की राहत अन्य किसानों को अपने बकाया ऋण की 25 प्रतिशत के एकमुश्त समापन के रूप में होगी। अनंतिम प्राक्कलनों से भी पता चलता है कि लगभग तीन करोड़ लघु तथा सीमान्त किसानों तथा एक करोड़ अन्य किसानों को लाभ होगा यदि 31 दिसम्बर, 2007 को उनका ऋण बकाया है।

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि कुल पैकेज का लगभग 64 प्रतिशत की राहत छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए होगी तथा शेष 16 प्रतिशत राहत अन्य किसानों को दी जाएगी। संस्थाओं के संबंध में ऋणी किसानों के लिए पैकेज का लगभग 55 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं से दिया जाएगा–वास्तव में लाभ राज्य सरकारों को होगा और 35 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिया जाएगा। उपर्युक्त आंकड़े अनंतिम प्राक्कलन हैं। हम सही अनुमान पूरे आंकड़े उपलब्ध होने पर ही लगा पाएंगे। आंकड़े प्राप्त होने के तुरन्त बाद हम दिए गए आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए शाखाओं की यादृच्छिक रुप से लेखा परीक्षा कराएंगे।

जैसा कि मैंने बजट में इंगित किया था कि हमारा लक्ष्य यह है कि हम भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और अन्य ऋणदाता संस्थाओं से परामर्श करके पैकेज को अंतिम रूप दे देना है ताकि ऋण माफी और

[श्री पी. चिदम्बरम]

राहत की प्रक्रिया 30 जून 2008 तक पूरी की जा सके। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो किसान ऋण माफी तथा ऋण राहत से लाभान्वित होंगे वे किसान उसके बाद तुरन्त तथा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे।

जहां तक ऋण देने वाली संस्थाओं का संबंध है, 31 दिसम्बर 2007 तक ऋण राशि की वसूली उनके द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत की जानी थी। कुछ भाग की अभी तक वसूली उनके द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत की जानी थी। कुछ भाग की अभी तक वसूली नहीं हो पायी है। लेकिन अब मैं इसकी इजाजत नही दूंगा। इसकी वसूली हो जानी चाहिए थी यही हमारा पूर्व का अनुभव रहा है। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऋणदाता संस्थाओं को धनराशि का संवितरण 3 वर्ष या 36 माह की अवधि के अंतर्गत किया जाएगा।...*(व्यवधान)* श्री मल्होत्रा कृपया आप बैठ जाइए। कृपया शेष भाषण सुनिए। आपने ऐसे तब भी किया था जब मैं बजट भाषण पढ़ रहा था। क्या बात बोली जाने वाली है उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए आप बहुत अधिक उत्सुक हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के ऋण खातों को 30 जून, 2008 तक बंद कर दिया जाएगा।

सायं 6.00 बजे

ऋणदाता संस्थाओं को धनराशि का संवितरण जुलाई 2008 से 36 माह की अवधि के अंतर्गत किया जाएगा। माननीय सदस्यों को पता लगेगा कि 36 माह की यह अवधि तीन कृषि वर्षों तक होगी लेकिन साथ ही साथ यह अवधि सरकार के खातों के प्रयोजनार्थ चार वित्तीय वर्षों तक होगी। तीन कृषि वर्ष निम्न प्रकार हैं:–

प्रथम वर्ष – 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009

द्वितीय वर्ष – 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2010

तृतीय वर्ष – 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011

माननीय सदस्यों को प्रसन्नता होगी तथा प्रो. मल्होत्रा जैसे शंकालुओं को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने पहले ही इस वर्ष की तीसरे अनुपूरक जिसे मैं वर्ष – 0 कहूंगा, में 10,000 करोड़ रुपये प्रदान कर दिए हैं। यह वर्ष – 0 है तथा न कि वर्ष प्रथम। जो धनराशि वर्ष 0 में पदान की गई हैं उसे ध्यान में रखते हुए मैं ऋण देने वाली संस्थाओं को मुआवजे के रूप में नकद धनराशि निम्न प्रकार प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

30 जून, 2008 के तत्काल पश्चात ज्यों ही संसद द्वारा 2008–09 के लिए प्रथम अनुपूरक का अनुमोदन किया जाता है, संस्थानों को 25000 करोड रुपये जारी कर दिए जाएंगे। वर्ष 2009–10 के बजट में 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2010–11 के बजट में 12,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2011–12 के बजट में 8,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर 60,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे। सभी संस्थाओं के लिए पैकेज पूरा करने में हमने इसका ध्यान रखा है एवं आगे भी ध्यान रखेंगे कि यह सुनिश्चित किया जा सके सभी संस्थाओं के पास नए ऋण देने के लिए एर्याप्त तरलता बनी रहे। विशेषकर हम सहकारी संस्थानों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिनके पास वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में तरलता की अधिक कमी रहती है, के लिए पहले पैकेज देंगे। अतः किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सहकारी संस्थाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मुश्किलें होंगी। हम अधिकांश धनराशि उन्हें प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप 2010–11 का बजट कैसे बना सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया बैठ जाइए ...*(व्यवधान)* याद कीजिए कि प्रो. मधु दंडवते ने छह वर्षों में 5200 करोड़ रुपए का क्या किया था?

मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि मैंने इस वर्ष के लिए ही तीसरी अनुपूरक राशि के माध्यम से किसानों के ऋण राहत कोष की तुरंत शुरूआत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कर राजस्व संग्रहण में भारी बढ़ोतरी के कारण ही हम वर्ष 0 में कोष की स्थापना कर पाए हैं और वह भी 10000 करोड़ रुपए के भारी योगदान से, जिससे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पक्के इरादे का पता चलता है जिसमें ऋण माफी और ऋण राहत पैकेज का पूरी तरह से वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाए तथा ऋणदाता संस्थाओं को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

महोदय, चूंकि यह पैकेज तीन कृषि वर्षों तक जारी रहेगा; माननीय सदस्य कृपया यह बात नोट करें कि मात्र 12 महीनों के दौरान अर्थात 1 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009 के बीच ऋणदाता संस्थाओं को 25,000 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हम अगस्त, 2009 तक 15 हजार करोड़ रुपए की और राशि का संवितरण कर लेंगे जिसके माध्यम से हम 14 महीनों में ही राहत पैकेज का दो–तिहाई हिस्सा पूरा कर लेंगे। इन 14 महीनों में ऋणदाता संस्थाओं को 40,000 करोड़ रुपए दे दिए जाते। महोदय, राजस्व संग्रहण अधिक होने तथा व्यय पुनर्गठन संबंधी प्रयासों को देखते हुए इस पैकेज का वित्तपोषण अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। चूंकि मैंने वर्ष 0 में राहत कोष की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इससे

आगामी वर्षों का भार कम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि दर की संभावना को देखते हुए, किसी भी एक वर्ष में यह भार यदि आप इसका हिसाब – किताब लगाएं। सकल घरेलू उत्पादन का 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। वास्तव में यह वर्ष 2008 – 09 में ही सकल घरेलू उत्पादन का 0.25 प्रतिशत रहेगा और तदुपरान्त प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में इसमें कमी आएगी तथा वर्ष 2011–12 में यह सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 0.1 प्रतिशत ही रह जाएगा। हम निश्चित आंकड़ों के संदर्भ में भी इस पर विचार कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2008–09 हेतु अनुमानित व्यय 7,50,1884 करोड़ रुपए का है। 15000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक ऋण राहत भार कुल व्यय का मात्र दो प्रतिशत है। आगामी वर्षों में यह अनुपात कम हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम नियमित बजट अभ्यास के एक हिस्से के तौर पर इसका वित्तीय भार आसानी से वहन कर सकते हैं। सरकार के धनप्राप्ति के स्रोत इस प्रकार हैं। पहला कर, राजस्व दूसरा कर रहित राजस्व, अर्थात, लाभांश, ब्याज, रायल्टी, शुल्क, तीसरा, गैर–ऋण पूंजी प्राप्तियां अर्थात, ऋण वसूली और अग्रिम ऋण; जब्त की गई परिसम्पतियों की बिक्री पर प्रीमियम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आरंभिक सूचीयन, और चौथा अतिरिक्त ऋण प्राप्ति, यदि आवश्यक हो। उपर्युक्त क्रम से ऋण माफी और ऋण राहत पैकेज के वित्त उपायों के सोपान का पता लग जाता है। हम प्रत्येक वर्ष के केवल कर राजस्व संग्रहण के माध्यम से ही पैकेज के वित्त पोषण की व्यवस्था में सक्षम होना चाहिए। यदि उपर्युक्त राशि पर्याप्त नहीं हो पाती तो हम इसके लिए कर रहित राजस्व और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों की व्यवस्था कर सकते हैं।

आखिर में यदि उक्त राशि भी पर्याप्त नहीं हो पाती तो सरकार के लिए ऋण लेने की काफी गुंजाइश बनी रहेगी। हालांकि यह अंतिम उपाय के रुप में ही किया जाएगा।

महोदय, मैं इस बात से काफी निराश हुआ कि अनेक जाने–माने वक्ता राजकोषीय घाटे को 2.5 प्रतिशत जोकि 3 प्रतिशत के एफ आर बी एम लक्ष्य से काफी नीचे बनाए रखने के महत्व को नहीं समझ पाए। इस गुंजाइश से काफी संभावनाएं हैं। यदि हम भविष्य में भी राजकोषीय घाटे को 2.5 प्रतिशत या इससे कम बनाए रखने में सफल रहते हैं तो इससे हम अपने लिए जिस वित्तीय गुंजाइश का सृजन करेंगे उससे हम काफी आसानी से आवश्यक पूंजी व्यय कर सकते हैं। इसलिए मैं आगामी तीन कृषि वर्षों तक इस पैकेज का वित्त पोषण करने के बारे में सरकार की क्षमता के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूं जिसमें से दो तिहाई वित्तपोषण 14 महीनों में किया जाएगा।

निष्कर्ष के तौर पर मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि ऋण माफी पैकेज की अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी लेकिन यह भारतीय रिज़र्व बैंक नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों के आधार पर तैयार किए आंकड़ों के अध्यधीन है। इससे लगभग तीन करोड़ छोटे और मझोले किसानों के साथ–साथ एक करोड़ अन्य किसान लाभान्वित होंगे। दूसरे, जुलाई, 2008 और जून, 2011 के बीच 36 महीनों की अवधि के दौरान नकद भुगतान के माध्यम से इस पैकेज का संपूर्ण वित्तपोषण किया जाएगा। तीसरे, इस वित्त पोषण पैकेज का भार इसके आरंभिक चरण मे सबसे अधिक होगा क्योंकि जुलाई–अगस्त, 2008 में ऋणदाता संस्थाओं को कम से कम 25000 करोड़ रुपए से वितरित किए जाएंगे और जून–जुलाई, 2009 में और 15000 करोड़ रुपए संवितरित किए जाएंगे। चौथे, यह सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.25 प्रतिशत से कम है और हर वर्ष इसमें कमी आएगी तथा पूरा भार प्रबंधनीय सीमाओं में है। सरकार को विश्वास है कि यह नियमित बजट प्रक्रिया के रूप में इस पैकेज का वित्तपोषण कर लेगी। और पांचवें इस प्रयोजन के लिए ऋण प्राप्त न होने की स्थिति में अतिरिक्त ऋण प्राप्त करना अंतिम उपाय होगा। यह सब कार्य एफ आर बी एम की सीमा के अंतर्गत किया जाएगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट की सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा के समय को सायं 6.30 बजे तक बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपने महंगाई के बारे में जिक्र कर दिया लेकिन महंगाई कैसे रोकेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने सुबह ही इसका उत्तर दे दिया है। आप उस समय उपस्थित नहीं थे। सुबह इस बारे में प्रश्न किया गया था। मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 2008–2009 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:–

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77, 79 से 105 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, भारत के राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगें (सामान्य)

संख्या और मांग का शीर्षक		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की "लेखानुदान" राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2117,89,00,000	14,24,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	446,67,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	320,98,00,000	2,67,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
4.	परमाणु ऊर्जा	482,83,00,000	333,84,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	247,31,00,000	254,48,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
6.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	30,22,00,000	8,37,00,000
7.	उर्वरक विभाग	6868,64,00,000	7,67,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
8.	नागर विमानन मंत्रालय	79,34,00,000	28,66,00,000
कोयला मंत्रालय			
9.	कोयला मंत्रालय	57,58,00,000	5,00,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
10.	वाणिज्य विभाग	470,62,00,000	118,50,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	103,91,00,000	8,33,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
12.	डाक विभाग	1260,35,00,000	71,10,00,000
13.	दूरसंचार विभाग	989,88,00,000	33,46,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	252,75,00,000	16,58,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
15.	उपभोक्ता मामले विभाग	36,67,00,000	5,34,00,000
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	5622,58,00,000	62,57,00,000
कारपोरेट कार्य मंत्रालय			
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	26,33,00,000	7,50,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
संस्कृति मंत्रालय			
18.	संस्कृति मंत्रालय	163,11,00,000	7,72,00,000
रक्षा मंत्रालय			
19.	रक्षा मंत्रालय	1292,83,00,000	167,78,00,000
20.	रक्षा पेंशन	2593,96,00,000	
21.	रक्षा सेवा–थल सेना	6276,96,00,000	
22.	रक्षा सेवा–नौ सेना	1250,28,00,000	
23.	रक्षा सेवा–वायु सेना	1881,14,00,000	
24.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	1108,99,00,000	
25.	रक्षा सेवाएं–अनुसंधान	568,83,00,000	
26.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		7996,02,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	221,08,00,000	23,92,00,000
28.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	91,34,00,000	70,81,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	279,45,00,000	5,06,00,000
विदेश मंत्रालय			
30.	विदेश मंत्रालय	799,63,00,000	140,99,00,000
वित्त मंत्रालय			
31.	आर्थिक कार्य विभाग	687,47,00,000	99,85,00,000
32.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	1210,60,00,000	468,20,00,000
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	10,00,00,000	
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	8680,56,000	
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		60,00,00,000
38.	व्यय विभाग	6,98,00,000	1,00,00,000
39.	पेंशन	1321,79,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	207,28,00,000	49,00,000
41.	राजस्व विभाग	1551,65,00,000	14,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	315,00,00,000	70,33,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
43.	अप्रत्यक्ष कर	300,77,00,000	148,36,00,000
44.	विनिवेश विभाग	3,50,00,000	388,33,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	42,43,00,000	7,40,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2992,51,00,000	155,28,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	103,50,00,000	33,00,000
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	88,63,00,000	98,71,00,000
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
49.	भारी उद्योग विभाग	35,83,00,000	
50.	सरकारी उद्यम विभाग	2,42,00,000	
गृह मंत्रालय			
51.	गृह मंत्रालय	148,20,00,000	11,71,00,000
52.	मंत्रिमंडल	50,45,00,000	13,33,00,000
53.	पुलिस	2753,30,00,000	890,75,00,000
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	166,51,00,000	4,37,00,000
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	294,73,00,000	12,00,00,000
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
56.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	117,50,00,000	25,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
57.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	6637,00,00,000	
58.	उच्च शिक्षा विभाग	1593,98,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	249,62,00,000	68,72,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय			
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	352,89,00,000	21,61,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	विधि और न्याय मंत्रालय		
61.	निर्वाचन आयोग	2,58,00,000	
62.	विधि और न्याय	114,31,00,000	1,00,000
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	182,67,00,000	1,39,00,000
	खान मंत्रालय		
65.	खान मंत्रालय	64,51,00,000	8,63,00,000
	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		
66.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	156,47,00,000	12,50,00,000
	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	98,98,00,000	5,03,00,000
	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		
68.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	9,17,00,000	1,67,00,000
	पंचायती राज मंत्रालय		
69.	पंचायती राज मंत्रालय	796,75,00,000	
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
70.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,00,00,000	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	59,20,00,000	7,50,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	485,50,00,000	
	योजना मंत्रालय		
73.	योजना मंत्रालय	15,96,00,000	1,67,00,000
	विद्युत मंत्रालय		
74.	विद्युत मंत्रालय	1014,87,00,000	51,09,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
76.	लोकसभा	52,37,00,000	
77.	राज्यसभा	19,00,00,000	
79.	उप–राष्ट्रपति का सचिवालय	28,00,000	

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
80.	ग्रामीण विकास विभाग	12594,96,00,00	25,00,000
81.	भूमि संसाधन विभाग	400,65,00,000	
82.	पेय जलापूर्ति विभाग	1416,98,00,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	287,25,00,000	11,15,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	345,23,00,000	1,10,00,000
85.	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	153,17,00,000	...
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
86.	नौवहन विभाग	175,42,00,000	62,46,00,000
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	2159,46,00,000	2224,38,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	383,33,00,000	23,17,00,000
अंतरिक्ष विभाग			
89.	अंतरिक्ष विभाग	382,35,00,000	296,53,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	312,45,00,000	4,05,00,000
इस्पात मंत्रालय			
91.	इस्पात मंत्रालय	17,34,00,000	2,58,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
92.	कपड़ा मंत्रालय	510,76,00,000	43,16,00,000
पर्यटन मंत्रालय			
93.	पर्यटन मंत्रालय	81,00,00,000	93,50,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय			
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	43,84,00,000	8,34,00,000
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
95.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	205,67,00,000	125,14,00,000
96.	चंडीगढ़	212,89,00,000	38,28,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
97.	दादरा और नगर हवेली	199,94,00,000	5,23,00,000
98.	दमन और दीव	82,26,00,000	7,88,00,000
99.	लक्षद्वीप	64,28,00,000	30,01,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
100.	शहरी विकास विभाग	191,04,00,000	817,98,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	132,35,00,000	59,20,00,000
102.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	36,85,00,000	2,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
103.	जल संसाधन मंत्रालय	132,26,00,000	18,29,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय			
104.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1209,50,00,000	
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	162,88,00,000	22,42,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	90836,98,00,000	15896,38,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगें लेते हैं। अब मैं वर्ष 2007-08 के लिए अनुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 2, 4, 5, 7 से 15, 18 से 26, 28 से 33, 35 39 से 48, 50 से 61, 65, 69, 70, 72, 78, से 87, 89 से 99, 103 और 104 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदा करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की सिंचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 2007-2008 की अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग की संख्या और शीर्षक		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि	
1		2	3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	321,25,00,000	2,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2,00,000	–
4.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम-एग्रो एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय)	1,00,000	–
5.	परमाणु ऊर्जा	64,96,00,000	1,00,000

1		2	3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
7.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	1,00,000	25,17,00,000
8.	उर्वरक विभाग	4000,00,00,000	–
9.	नागर विमानन मंत्रालय	132,40,00,000	–
10.	कोयला मंत्रालय	6,81,00,000	–
11.	वाणिज्य विभाग	3,00,000	–
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	435,12,00,000	–
13.	डाक विभाग	54,22,00,000	–
14.	दूरसंचार विभाग	1,00,000	–
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	–
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	5836,87,00,000	2,92,00,000
19.	संस्कृति मंत्रालय	10,02,00,000	–
20.	रक्षा मंत्रालय	229,79,00,000	–
21.	रक्षा पेंशन	595,00,00,000	–
22.	रक्षा सेवा–थल सेना	232,22,00,000	–
23.	रक्षा सेवा–नौ सेना	60,11,00,000	–
24.	रक्षा सेवा–नौ सेना	298,21,00,000	–
25.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	193,93,00,000	–
26.	रक्षा सेवाएं–अनुसंधान एवं विकास	23,09,00,000	–
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	37,16,00,000	1,75,00,000
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3,00,000	1,00,000
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	100,28,00,000	–
31.	विदेश मंत्रालय	316,28,00,000	–
32.	आर्थिक कार्य विभाग	455,63,00,000	6259,39 00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	11536,76,00,000	10100,01,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	8296,60,00,000	–
39.	पेंशन	1287,00,00,000	–
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	12,98,00,000	–
41.	राजस्व विभाग	539,48,00,000	–
42.	प्रत्यक्ष कर	220,70,00,000	29,72,00,000

1		2	3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
43.	अप्रत्यक्ष कर	59,70,00,000	1,00,000
44.	विनिवेश विभाग	4,00,00,000	1,00,000
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2,00,000	11,95,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	2,00,000	–
48.	भारी उद्यम विभाग	7,26,00,000	165,76,00,000
50.	गृह मंत्रालय	10,27,00,000	1,00,000
51.	मंत्रिमंडल	2,96,00,000	26,00,000
52.	पुलिस	324,89,00,000	–
53.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	319,40,00,000	–
54.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	55,64,00,000	–
55.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1,00,000	–
56.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	49,12,00,000	–
57.	उच्च शिक्षा विभाग	6,00,000	–
58.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	2,00,000	1,00,000
59.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	88,63,00,000	1,00,000
60.	निर्वाचन आयोग	1,00,00,000	–
61.	विधि और न्याय	2,00,000	–
65.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,00,000	–
69.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	6,46,,00,000	–
70.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	9326,09,00,000	–
72.	विद्युत मंत्रालय	2,27,00,000	1,00,000
78.	ग्रामीण विकास विभाग	980,66,00,000	–
79	भूमि संसाधन विभाग	1,00,000	–
80.	पेय जलापूर्ति विभाग	1,00,000	–
81.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	1,95,00,000
82.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,00,000	20,00,000

	1	2	3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
83.	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	8,30,00,000	–
84.	नौवहन विभाग	2,00,000	20,00,000
85.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	161,88,00,000	–
86.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वानुमान–लघु उद्योग मंत्रालय)	1,00,000	–
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	83,00,000	–
89.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	–
90.	इस्पात मंत्रालय	–	5,00,00,000
91.	कपड़ा मंत्रालय	509,68,00,000	1,00,000
92.	पर्यटन मंत्रालय	1,00,000	1,50,00,000
93.	जनजाति कार्य	1,00,000	–
94.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	99,00,00,000	1,00,00,000
95.	चंडीगढ़	93,57,00,000	41,08,00,000
96.	दादरा और नागर हवेली	16,32,00,000	9,90,00,000
97.	दमन और दीव	129,50,00,000	11,50,00,000
98.	लक्षद्वीप	32,77,00,000	–
99.	शहरी विकास विभाग	2,00,000	589,06,00,000
103.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2,00,000	–
104.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	4,00,000	–
	जोड़	47587,56,00,000	17258,25,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.10 बजे

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 20 – विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे वित्तीय वर्ष 2008–2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत को संचित निधि में और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड 2 दिनांक 14/03/08 में प्रकाशित।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.12 बजे

विनियोग विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे वित्तीय वर्ष 2007–2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विमियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2007–2008 की सेवाओं के लिए भारत की सिंचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2007–2008 की सेवाओं के लिए भारत की सिंचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 200?–2008 की सेवाओं के लिए भारत की सिंचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन अनुसूची विधेयक जोड़ दी गयी। सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड 2 दिनांक 14/03/08 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सायं 6.14 बजे

कर्नाटक विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 24 – कर्नाटक विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 पर विचार करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य की संचित से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य की सिंचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने की उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.16 बजे

कर्नाटक विनियोग विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2007–2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :**

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड–2, दिनांक 14/03/08 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड–2, दिनांक 14/03/08 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

"कि वित्तीय वर्ष 2007–2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2007–2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए कर्नाटक राज्य को संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियम 1, सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.18 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए।)

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, जब सुनामी आई थी, तब उसके बाद इसी सदन में प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए और उससे बचाव के लिए एक बिल पास हुआ था और उसमें एक आयोग का गठन किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटाने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, उस राष्ट्रीय आयोग ने अब काम करना तो शुरु कर दिया है लेकिन पिछले दिनों जब बिहार, असम जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ से बचने के प्रबंधन में या बाढ़ आने पर जो आपदा प्रबंधन होना चाहिए था, वह पूरी तरह नहीं हो सका। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो आपदा प्रबंधन से संबंधित, नैचुरल कैलेमिटीज से बचने के लिए जो आयोग बनाया गया, क्या उसका विकेन्द्रीकरण राज्यों और जिलों तक करने का सरकार का कोई विचार है क्योंकि बिहार के 17 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहते हैं और हर बार यह बाढ़ आने के बाद ये बातें उठती हैं और जब तक प्रबंधन की बातें चलती हैं, तब तब बाढ़ चली जाती है। इस बार 3–3 महीने, 2–2 महीने तक बाढ़ का पानी खड़ा रहा लेकिन बचाव कार्य में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या उससे बचाव के लिए प्रीवेंटिव एक्शन के लिए यानी प्राकृतिक आपदा आने से पहले ...*(व्यवधान)*, सर यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बाढ़ से बचने के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिए। आपदा आने के बाद प्रबंधन का बहुत ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए।

लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि क्या जिला स्तर की आयोग का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा? पिछले दिनों दो आयोगों की बहाली की जा चुकी है। लेकिन बिहार हमेशा बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहता है लेकिन वहां आयोग की बहाली नहीं हो गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि बिहार में भी विकेन्द्रीकरण किया जाये और लोगों को बचाया जाये।

[अनुवाद]

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : महोदय, मैं कुटीर और ग्रामोद्योग चला रहे लोगों को प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज को माफ करने से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। महोदय, कुटीर एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वे मुख्यतः कृषि पर आश्रित रहते हैं। किंतु आजकल ये उद्योग अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है। इसमें ऋणों पर ब्याज की माफी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कर्नाटक स्टेट खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज स्माल इंडस्ट्रीज बोरोअर्स फेडरेशन को भारत सरकार

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

से कम से कम 25% राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। ताकि जिन्होंने ऋण लिया है वे राहत महसूस कर सकें। चूंकि कर्नाटक पिछले 7–8 वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। इसलिए, कुटीर उद्योगों को चलाना कठिन हो गया है। इससे इन उद्योगों की उत्पादन बिक्री प्रभावित हुई हैं। कॉफी उत्पादकों के ब्याज को माफ करने की तर्ज पर ही, कुटीर उद्योगों के ऋणों पर ब्याज को माफ कर दिया जाना चाहिए। इन कुटीर उद्योगों ने कर्नाटक स्टेट खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज स्माल इंडस्ट्रीज बोरोअर्स फेडेरेशन से ऋण ले रखे हैं। चूंकि कुटीर उद्योग भारी घाटा उठा रहा है, इसलिए वे के एण्ड वी इंडस्ट्रीज फेडरेशन के ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं कर सकते है। अतः, इन उद्योगों के बचाव के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।

श्री एस. के. खादरवेन्धन (पलानी) : सभापति महोदय, केन्द्रीय विधि मंत्रालय उच्च न्यायपालिका में न्यायधीशों के पदों के चयन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए मुख्य न्यायधीशों को समय–समय पर परिपत्र जारी कर रहा है। किंतु अभी तक इसी पर विचार नहीं किया गया है। श्री करिया मुण्डा की अध्यक्षता वाली अ.जा./अजजा संबंधी संसदीय समिति ने भी 2000 के दौरान एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें इन दावों की पूर्ण अनदेखी तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के उल्लंघनों पर प्रकाश डाला गया।

तत्पश्चात्, न्यायमूर्ति एम. एल. वैंकटचेलैया की अध्यक्षता वाले संविधान के कार्यकरण की समीक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने पुनः इस मुद्दे पर विचार किया। इसमें दूरगामी सिफारिशें की गई थीं। अब, श्री सुदर्शन नाचियप्पन समिति ने भी इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया है और इसमें स्पष्ट रूप से उच्च न्यायपालिका में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि. वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की है। पिछले 60 वर्षों से उच्च न्यायपालिका में उपरोक्त वर्गों के लिए समुचित अवसर नहीं रहे हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से श्री सुदर्शन नाचियप्पन समिति की सिफारिशों को लागू करने और उच्च न्यायपालिका में अ.जा., अजजा और अ.पि. वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली) : सभापति महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मुद्दों को उठाना चाहती हूं।

शमसाबाद स्थित नया अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन 16 मार्च, 2008 से आरंभ हो जायेगा और हैदराबाद को दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण हवाई केन्द्र बना देगा। हैदराबाद भारत और विदेशों के महत्वपूर्ण स्थलों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए, आंध्र प्रदेश में फीडर चैनलों को विकसित करने की आवश्यकता है। राज्य के प्रमुख विकास केन्द्रों के साथ कनैक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से केन्द्र पर क्षेत्रीय विमानपत्तनों के विकास और निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से स्पोक मॉडल की परिकल्पना की गई है।

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में आठ क्षेत्रीय विमानपत्तनों पर अनुकूल स्थानों अर्थात् नेल्लोर, ओंगुल, रामागुंडम, कोथागुडम, कुरनूल, ताडेपल्ली गुडम, निजामाबाद और बोब्बिली में विमानपत्तनों के विकास के लिए कृटिबद्ध है। संबंधित जिला प्रशासन ने ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों की स्थापना के लिए लगभग 500 से 2000 एकड़ सरकारी भूमि की पहचान की है।

इसलिए, मैं सभा के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय से आंध्र प्रदेश राज्य में शीघ्रातिशीघ्र ए ए आई की एक तकनीकी टीम तैनात करने का अनुरोध करता हूं जो प्रस्तावित आठ क्षेत्रीय ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों के स्थलों और संरेखन के ब्यौरे को अंतिम रूप दे सकें।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में गांवों का जो विद्युतीकरण किया जा रहा है, उसमें जो बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं, ये इतनी घटिया किस्म के लगाए गए हैं कि ज़रा सी तेज़ हवा आती है तो वे खम्भे टूटे जाते हैं। साथ ही साथ उसमें जो तार लगाए गए हैं उनकी मोटाई भी कम है और वे कम क्षमता के लगाए गए हैं। माननीय सभापति जी, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को 5 मई, 2007 को एक पत्र लिखा था। वह पत्र 21 मई को ऊर्जा मंत्री को प्राप्त हो चुका है लेकिन आज तक उसकी कोई जांच नहीं की गई। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जो घटिया किस्म का काम वहां किया गया है, उसकी जांच की जानी चाहिए और जिन अधिकारियों ने इस तरीके से मिलीभगत करके घोटाला किया है, उन अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए, यह हमारी केन्द्र सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर) : महोदय, मैं निर्माण सामग्री की अत्यधिक कीमतों के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। सबकी इच्छा होती है कि उसका एक घर हो। किंतु आजकल, जहां तक समाज में निम्न आय वर्ग का संबंध है, मकान का निर्माण अब सपना बन कर रह गया है। इस्पात, सीमेंट, बालू, आदि जैसी निर्माण सामग्री

की अत्यधिक मूल्यों की वजह से यह हुआ है। एक महीने की अवधि में ही इस्पात की कीमत 10 रु. प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। चार माह की अवधि में सीमेंट कीमत 10 रु. से 15 रु. तक बढ़ गई है। इन सामग्रियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि उत्पादन लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार द्वारा कीमतों को कम करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। सीमेंट की एक बोरी पर उत्पादन लागत 60रु. आती है फिर भी उपभोक्ताओं को 265 रु. प्रति बोरी का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देश के प्रमुख सीमेंट विनिर्माताओं ने गत वर्ष के लिए शेयरधारकों को 175 प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया है। इस प्रकार, कम्पनियों का लाभ 250 प्रतिशत बनता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्माण सामग्रियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए, मैं समाधान के रुप में यही सुझाव देना चाहता हूं कि देश में सीमेंट लेवी की प्रणाली को पुनः लागू किया जाए ताकि देश का निम्न आय वर्ग सब्सिडाइज्ड कीमतों पर सीमेंट प्राप्त कर सके। केन्द्र सरकार इस सुझाव पर कृपया गंभीरता पूर्वक विचार करे और देश के आम आदमी के लिए सहायक के रूप में सामने आए ताकि उन्हें उचित कीमतों पर निर्माण सामग्री प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री छेवांग चुपस्तन (लद्दाख) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत आवश्यक योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे देश का जो सबसे सैन्सिटव बॉर्डर लद्दाख है, उसको देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने की जो योजना है – गेमो, पादुम और दाचा रोड के संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, यह जो सड़क बनाने का काम है, वह प्रधानमंत्री द्वारा राज्य जम्मू–कश्मीर के लिए रीकंन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत हाथ में लिया गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले दो–तीन सालों के दौरान इस पर बहुत सुस्त रफ्तार से काम हो रहा है। इस रोड को बनाने का टार्गेट 2012 तक का है। यदि इसी रफ्तार से काम होता रहा तो शायद इसको बनने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि बॉर्डर रोड्ज़ आर्गनाइज़ेशन को जल्दी से बनाने के लिए हर साल ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए।

वहां मैनपावर की कमी की वजह से रोड बनाने की रफ्तार में कमी एवं सुस्ती आई है, इसलिए मैनपावर और लेबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाने के लिए वहां मशीनरी वगैरह का भी प्रावधान किया जाए। सन् 2012 तक इस रोड़ के बनाने का टारगेट है, क्योंकि इसके जरिए लद्दाख को देश के अन्य क्षेत्रों से 12 महीने खुला रखने के लिए यह प्रावधान किया है। यह न सिर्फ लद्दाख की आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है, बल्कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के इंटरस्ट में है, क्योंकि डिफेंस पर लद्दाख में इतना खर्चा करना पड़ रहा है। इसलिए इस रोड के बन जाने से न सिर्फ वहां के लोगों को इससे फायदा होगा, बल्कि डिफेंस फोर्सेस को भी फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस रोड के लिए ज्यादा राशि दी जाए और इसे जल्दी बनाने में बढ़ावा दिया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, वर्तमान में देश के लाखों–करोड़ों व्यापारी छोटे फुटकर व्यापार में लगे हुए हैं। फुटकर व्यापार इनको आजीविका का सहारा प्रदान करता है, परन्तु उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के नाम पर सरकार द्वारा फुटकर व्यापार के क्षेत्र में विदेशी पूंजी के निवेश को न्यौता देना और मल्टीनेशनल कम्पनियों को आज्ञा देना इन करोड़ों फुटकर व्यापारियों के लिए अपने अस्तित्व को बचाने का संकट पैदा कर रहा है। विदेशी पूंजी के निवेश और बड़ी–बड़ी कम्पनियों द्वारा फुटकर व्यापार में आने से छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति के द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार देश में हर दिन, हर घंटे एक फुटकर दुकान बंद हो रही है। यदि समय रहते विदेशी पूंजी निवेश पर पाबन्दी नहीं लगाई गई तो लाखों फुटकर व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे।

सभापति महोदय, विगत दिनों 26 राज्यों के सैंकड़ों फुटकर व्यापारियों के प्रतिनिधियों का राजधानी में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें फुटकर व्यापार के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश और मल्टीनेशनल एवं बड़े घरानों के आने पर घोर चिन्ता व्यक्त की गई थी।

सभापति महोदय, देश के करोड़ों फुटकर व्यापारियों को बेरोजगार होने से बचाने और उनकी आजीविका को जिन्दा रखने के लिए फुटकर व्यापार के निर्बाध संचालन हेतु इस क्षेत्र में आने वाली विदेशी पूंजी एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों के घुसपैठ को अविलंब प्रतिबंधित किया जाए, यह मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य के उदयपुर संभाग में राशन की उचित मूल्यों की दुकानों पर घटिया किस्म का गेहूं और लाल मक्का वितरण किया जा रहा है, जिससे उसके उपभोग से वहां का आम आदमी बीमार हो रहा है। यह इस तरह का खराब गेहूं है कि उससे आटा भी नहीं बनता है और जो भी उसका आटा उपभोग में ले रहे है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। उससे नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। गरीबों के पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं है।

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया इस तरह की घटिया सामग्री के वितरण को रोका जाए और अच्छे किस्म की राशन सामग्री के वितरण की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहूंगी। वर्ष 2001 में उड़ीसा में केन्द्रपाड़ा जिले के मार्शाघई ब्लाक के तहत दुमुका राजस्व मंडल के लगभग 250 किसानों को रेल मंत्रालय द्वारा हरदासपुर–पाराद्वीप रेल लाईन बिछाने के लिए भूमि अर्जन के तहत कृषि भूमि से वंचित कर दिया गया है। इन किसानों को दिया गया मुआवजा अर्जित भूमि के वास्तविक मूल्य से कही कम था। तथापि, उन्हें रेलवे प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान समय के लिए मुआवजा मूल्य स्वीकार करने को बाध्य किया गया। तथा मुआवजे की अपर्याप्तता के संबंध में उनकी वैद्य शिकायतों को सामने प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। बृहद राष्ट्रीय हित के मद्देनजर इन छोटे किसानों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि दे दी। दुर्भाग्यवंश उचित दर पर पर्याप्त मुआवजे की उनकी वैध शिकायत का आज तक समाधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण रेल लाईन के निर्माण कार्य में इन वंचित किसानों ने बाधा डाल दी है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि किसानों को उनकी बकाये का भुगतान किया जा सके तथा हरिदासपुर–पाराद्वीप रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जा सकें।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : सभापति महोदय, धन्यवाद। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि लगभग 400 भारतीय कामगारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में दुर्व्यवहार तथा भेदभाव किया गया है। ये कामगार संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू ओरलिएंस के पास्कागौला शिपयार्ड में कार्य कर रहे हैं। उन्हें मुंबई स्थित दिवान कंसलटेंट नामक भर्ती एजेन्सी ने यू एस ए में सिगनल कंपनी के लिए भर्ती किया था। उन्हें कन्सलटेंट को बड़ी राशि का भुगतान करना था, तथा उन्हें यूएसए में ग्रीन कार्ड दिया जाना था। पर उन्हें ग्रीन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उनके साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव किया गया। उन्हें एक बहुत ही छोटे कमरे में रखा गया था जिसमें 25 कामगार एक साथ रहते थे। साथ ही, उन्हें उचित रूप से भुगतान भी नहीं किया गया; परन्तु उन्हें उपचार की सुविधा भी नहीं दी गयी; यहां तक कि उन्हें रोजाना खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कम्पनी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है तथा कन्सलटेंट भी उन पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं।

यह मामला भारतीय दूतावास के ध्यान में आया, परंतु उन्हें भारतीय दूतावास से भी पर्याप्त सेवा प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए, मैं विदेश मंत्रालय एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे मामले पर कार्यवाही करें तथा उन्हें उचित देखभाल व सेवा प्रदान करें।

हमारे देश में अनेक कन्सलटेंटों की भांति यह विशिष्ट कन्सलटेंट बिना किसी लाइसेंस के काम कर रहा है तथा विभिन्न देशों के लिए लोगों की भर्ती कर रहा है। इसलिए, इस विशिष्ट कम्पनी के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। कृपया मुख्य मुद्दे पर आएं। इस संबंध में सरकार क्या कर सकती है? केवल वही आवश्यक है न कि यह सभी विवरण।

डा. के. एस. मनोज : इसके अलावा, मैं अनुरोध करता हूं कि यूएसए में फंसे कामगारों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री पी. सी. थामस, आपके नाम पर दो मुद्दे दिए गए हैं परंतु केवल एक मुद्दा ही कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा। यह या तो गुड फ्राइडे का मामला हो सकता है। अथवा विद्यालय छोड़ने के प्रमाण–पत्र का मामला हो सकता है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जब आपका नाम पुकारा गया था आप उपस्थित नहीं थे। इसलिए मैं, पुनः आपका नाम पुकार रहा हूं कि आप अपने मुद्दे का उल्लेख करें।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं आपका अति आभारी हूं। मैं दलित इसाईयों द्वारा दिल्ली में दिए जा रहे धरने पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दलित मूल के इसाई राष्ट्रपति के 1950 के आदेश के अनुसार उन्हें अनुसूची में शामिल किए जाने के मुद्दे पर धरना दे रहे हैं। वे सभी दलित के समान परिस्थितियों में रह रहे हैं। इसलिए, मैं विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत ही इस विषय पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें भी अनुसूची में शामिल करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। मुस्लिम भी परिवर्तित मुस्लिम है। उन्हें केवल इस कारण इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे मुस्लिम या इसाई धर्म में विश्वास रखते हैं। इस देश के दलित, जो पहले से ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं भी इससे प्रभावित नहीं होने चाहिए।

इसलिए, हमें एक ऐसी राजनीति तैयार करनी चाहिए जिससे कि सभी लोगों को प्रभावित किये बिना उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तथा उन पर भी विचार करके एक ऐसी राजनीति तैयार की जानी चाहिए। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले पर तत्काल विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री आठवले, आप अंतिम वक्ता है। इसलिए, मैंने निर्धारित समय के बाद भी आपके मुद्दे पर विचार रखने के लिए अपना नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश में महिला आयोग है। दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं, बलात्कार और विनय भंग होता है। इसके अलावा उनकी इकॉनामिक डेवलपमेंट की भी बहुत सी प्राब्लम्स हैं। भारत सरकार से मेरा इतना ही निवेदन है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए एक दलित महिला कमीशन का निर्माण करने की आवश्यकता है। हमारी भारत सरकार से इतनी ही मांग है कि महिला कमीशन तो है ही, उनका काम तो पूरी महिलाओं के लिए चल ही रहा है, मगर दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए एक दलित महिला आयोग का निर्माण करे। दलित महिलाओं को न्याय देने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, विदर्भ के किसानों को ऋणमुक्ति का फायदा नहीं हुआ है, यह मैंने बार-बार बताया है। केवल 30 परसेंट किसानों को ही इसका फायदा मिला है और 70 परसेंट किसान आज भी उससे वंचित हैं। मैं अभी-अभी माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, मुझे लगा कि इसके बारे में वे कुछ कहेंगे, लेकिन जो क्लैरीफिकेशन मिला है, उसमें मैंने जो क्वैरी की थी कि यहां जो 30 परसेंट और 70 परसेंट का मामला है, वह क्लैरीफाई नहीं हुआ है। आपकी मंशा अच्छी है, फिर भी वित्त मंत्री जी, आप स्कीम बनाने में फेल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक तो 50 हजार रुपया सब को दे दो या एक लाख रुपया हर किसान को दे दो, लेकिन जो स्कीम बनाई गई है, वह स्कीम गलत बनाई गई है। लोग बोलते हैं कि यह इलैक्शन का एजेण्डा है और इलैक्शन के लिए आपने कर दिया होगा। तो वह भी तो आप ठीक करें। अगर यह इलैक्शन के लिए है तो 70 परसेंट किसान अगर आपसे नाराज रहेंगे तो आप इलैक्शन कैसे जीतेंगे, लेकिन वह भी नहीं है। यह टोटली गलत हो रहा है, इसलिए इसे आप थोड़ा और रिवाइज़ कर सकते हो। ...*(व्यवधान)* आप इसे अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अभी-अभी जो क्लैरीफिकेशन मिला है, वह ओवरड्यू के बारे में, ड्यू के बारे में कब करेंगे, इतना ही मिला है, लेकिन जो फायदा गरीब किसानों को होना है, वह नहीं हो रहा है।

मेरी सरकार से इतनी ही रिक्वैस्ट है कि अभी भी आप इसे रिवाइज़ कर सकते हो। अगर फायदा लेना है तो सोचिये, नहीं तो हमें रास्ते पर आकर आपसे झगड़ा करना पड़ेगा।

श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मैं असम का हमारा जो बोडोलैंड अंचल है, उसमें जो गंभीर लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके बारे में आपके जरिए मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विगत 16 फरवरी से शुरू करके कल तक बोडोलैंड अंचल के कोकराझार और शिरांग जिले के विभिन्न अंचलों में एन.डी.एफ.बी. के कुछ अनरूली कैडर्स ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के यूथ विंग के आफिस वगैरह को आग लगाकर यह तमाम परिस्थिति पैदा की है। जाते-जाते कल 13 मार्च को शिरांग जिले के बेंगटोल नाम की एक जगह पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सानघुमा खुंगुर बसीमुथियारी, आज केवल अपनी बात कहिए। विशेष मामले के रूप में मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : जहां कम से कम चार आदमी मरे और बाकी कुछ लोग घायल हो गये, इसलिए मैं आपके जरिये भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार अतिशीघ्र बोडोलैंड एरिया तक एडीक्वेट नम्बर ऑफ पुलिस पर्सोनेल और सैण्ट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स और आर्मी पर्सोनेल वहां भेजे। इन्हें भेजने की वहां बहुत जरूरत है। वहां की टोटल इण्टरनल सिक्योरिटी बहुत गड़बड़ हो गई है। वहां के लोगों की जान और सम्पत्ति को बचाने के लिए भारत सरकार को कुछ न कुछ करना है। यह बहुत सीरियस मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सभापटल पर रख सकते हैं। आप इस तरह से नहीं बोल सकते। हमारे पास समय नहीं है। विशेष मामले के रूप में मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे माननीय मित्र, यह राज्य का मामला है। इस मामले पर राज्य को निर्णय लेना है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : वहां सिचुएशन बहुत गंभीर है, इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभा को स्थगित करने जा रहा हूं। कृपया बैठ जाये। यह राज्य का विषय है। आप अपनी बात एक वाक्य में ही समाप्त कीजिये।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, आपके माध्यम से, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, समग्र कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तथा बोडोलैण्ड क्षेत्र के लोगों की जान – माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कतिपय सकारात्मक नीतिगत उपाय करे।

सभापति महोदय : यह पर्याप्त है।

सभा अब सोमवार, 17 मार्च, 2008 को पुन समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 17 मार्च 2008/27 फाल्गुन 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	221
	श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार	
2.	श्री अधीर चौधरी	222
	डा. टोकचाम मैन्या	
3.	श्री काशीराम राणा	223
	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	
4.	श्री जे. एम. आरून रशीद	224
	श्री दुष्यंत सिंह	
5.	श्री रशीद मसूद	225
	श्रीमती मनोरमा माधवराज	
6.	श्री हरिसिंह चावड़ा	226
7.	श्री मोहन सिंह	227
8.	डा. शफीकुर्रहमान बर्क	228
	श्री रमेश दूबे	
9.	श्री अमिताभ नंन्दी	229
10.	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	230
	श्री एन. एन. कृष्णदास	
11.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	231
12.	श्री उदय सिंह	232
13.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	233
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	
14.	श्री रामजीलाल सुमन	234
	श्री सूरज सिंह	
15.	श्री किशन भाई वी. पटेल	235
	श्री सुग्रीव सिंह	
16.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	236
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	
17.	श्री अबु अयीश मंडल	237
18.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	238
	श्री हंसराज गं. अहीर	
19.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	239
	डा. एम. जगन्नाथ	
20.	श्री एस. के. खरवेनथन	240
	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे. एम.	2251
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2206, 2289, 2330
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2208, 2258, 2279, 2334, 2342
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2227, 2286, 2303, 2341
5.	अजय कुमार, श्री एस.	2204, 2264
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2161, 2247
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	2177, 2273
8.	आठवले, श्री रामदास	2170, 2276, 2223, 2349
9.	आजमी, श्री इलियास	2179, 2275
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2152, 2246, 2271, 2321
11.	बर्मन, श्री हितेन	2157, 2212, 2240, 2362
12.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2255
13.	भगोरा, श्री महावीर	2224, 2297, 2337
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	2165, 2253, 2266, 2317, 2346
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2159, 2182, 2251, 2280, 2358
16.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2223, 2298, 2188
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2306, 2317
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2146
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2181, 2278
20.	चन्द्र कुमार, प्रो.	2342
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2153, 2309
22.	चिन्ता मोहन, डा.	2191
23.	चित्तन, श्री एन. एस. वी.	2172, 2267, 2318, 2342
24.	चौधरी, श्री पंकज	2350

1	2	3
25.	चौधरी, श्री अधीर	2250, 2264, 2342
26.	देव श्री विक्रम केशरी	2215
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	2158, 2242, 2304
28.	दूबे, श्री रमेश	2238, 2329
29.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	2217
30.	गढ़वी, श्री पी. एस.	2174, 2269
31.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2249, 2264, 2306, 2342
32.	गमांग, श्री गिरिधर	2178, 2274, 2286, 2336, 2365
33.	गंगवार, श्री संतोष	2331, 2342
34.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2264, 2306
35.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2256, 2311
36.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2145
37.	जगन्नाथ, डा. एम.	2246
38.	जैन, श्री पुष्प	2190
39.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2197
40.	जयाप्रदा, श्रीमती	2162, 2306, 2344
41.	जेना, श्री मोहन	2219, 2306
42.	झा, श्री रघुनाथ	2199, 2306
43.	जिन्दल, श्री नवीन	2150
44.	जोगी, श्री अजीत	2196, 2295
45.	जोशी, श्री प्रहलाद	2207
46.	कनोडीया, श्री महेश	2174, 2269
47.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2174, 2269, 2286
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2260, 2313, 2348
49.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2142, 2232, 2279, 2318
50.	खारवेनथन, श्री एस. के.	2143, 2233, 2265, 2345
51.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2147, 2235, 2301, 2340
52.	कोया, डा. पी. पी.	2212
53.	कृष्ण, श्री विजय	2226, 2299
54.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	2342
55.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	2342
56.	कुरुप, एडवोकेट सुरेश	2200, 2285, 2306
57.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2191
58.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2171, 2214, 2294, 2335
59.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2263
60.	महरिया, श्री सुभाष	2194, 2198
61.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2182, 2280
62.	महताब, श्री भर्तृहरि	2342
63.	महतो, श्री टेक लाल	2342
64.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2336
65.	माने, श्रीमती निवेदिता	2249, 2264, 2306, 2342
66.	मनोज, डा. के. एस.	2160, 2244, 2319, 2334, 2188
67.	मसूद, श्री रशीद	2252
68.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2180, 2277
69.	मिडियम, डा. बाबू राव	2166, 2312
70.	मेघवाल, श्री कैलाश	2139, 2287, 2327
71.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2272, 2364
72.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2193, 2292, 2342
73.	मिश्रा, डा. राजेश	2218
74.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2182
75.	मोहन, श्री पी.	2191, 2222, 2264, 2296
76.	मंडल, श्री अबु अयीश	2168
77.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2277
78.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2279
79.	नन्दी, श्री अमिताभ	2229, 2279, 2310, 2355

1	2	3
80.	निखिल कुमार, श्री	2188, 2306
81.	ओराम, श्री जुएल	2184, 2282, 2325
82.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2148, 2191, 2236, 2326, 2353
83.	पल्लानी शामी, श्री के. सी.	2140, 2228, 2300, 2339
84.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2163, 2265
85.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2192, 2264
86.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2237
87.	पासवान, श्री रामचन्द्र	2172, 2225, 2306
88.	पटेल, श्री दलपत सिंह	2237
89.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2201, 2308
90.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2230
91.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2144, 2307
92.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2342
93.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2183, 2248, 2261, 2309, 2314
94.	प्रसाद, श्री लालमणि	2210
95.	राजगोपाल, श्री एल.	2183, 2322
96.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2352
97.	रामदास, प्रो. एम.	2267, 2284
98.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2257, 2312, 2350
99.	राणा, श्री गुरजीत सिंह	2195
100.	राणा, श्री काशीराम	2248, 2308, 2343
101.	राव, श्री के. एस.	2205, 2264, 2265
102.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2164, 2191, 2228, 2328
103.	रावले, श्री मोहन	2208
104.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2149, 2286
105.	रेड्डी श्री जी. करूणाकर	2154, 2239, 2318, 2332, 2342
106.	रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी.	2169, 2262
107.	रेड्डी श्री एम. श्रीनिवासुलु	2168, 2263
108.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2230, 2253, 2320 2336
109.	रिजीजू, श्री कीरेन	2264
110.	साय, श्री नन्द कुमार	2173, 2221, 2278, 2319, 2342
111.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2151, 2302, 2351, 2354
112.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2185
113.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2186, 2220
114.	सत्पथी, श्री तथागत	2145, 2264, 2316, 2342
115.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2295
116.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	2220
117.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2277
118.	शिवाजीराव, श्री अधल राव पाटील	2258, 2279, 2342
119.	शिवन्ना, श्री एम.	2263
120.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2267, 2284
121.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	2155, 2315, 2351
122.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2211, 2291, 2322
123.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2234, 2361
124.	सिंह, चौधरी विजेन्द्र	2306, 2342
125.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	2203, 2212
126.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2189
127.	सिंह, श्री दुष्यंत	2189, 2283, 2333, 2354
128.	सिंह, गणेश	2183, 2198, 2317, 2331
129.	सिंह, श्री मोहन	2254
130.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2156, 2241, 2295, 2331, 2352, 2153
131.	सिंह, श्री राकेश	2153
132.	सिंह, डा. राम लखन	2172
133.	सिंह, श्री रेवती रमन	2175, 2264, 2270
134.	सिंह, श्री सुग्रीव	2259, 2342
135.	सिंह, श्री उदय	2245, 2305, 2344
136.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2243, 2331, 2359

1	2	3
137.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2174, 2269, 2360
138.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2141, 2231
139.	सुब्बारायण, श्री के.	2167
140.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	2185, 2187
141.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2337
142.	थामस, श्री पी. सी.	2306, 2342, 2345
143.	तुम्मर, श्री वी. के.	2201, 2320
144.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2192, 2264
145.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2173, 2221, 2268, 2319, 2347
146.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2189, 2357
147.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2261, 2314, 2343
148.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	2293, 2238
149.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2258, 2279, 2234
150.	विरुपाक्षप्पा, श्री के.	2213
151.	वाघमारे, श्री सुरेश	2208
152.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2249, 2264, 2306, 2342
153.	यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	2216
154.	यादव, श्री पारसनाथ	2202, 2306
155.	यादव, श्री राम कृपाल	2176, 2772, 2323, 2364
156.	यास्खी, श्री मधु गौड़	2209, 2264, 2290, 2342, 2363
157.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2171, 2271, 2281, 2324, 2350

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	
वित्त	221, 223, 226, 227, 229, 231, 237
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	
विधि और न्याय	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	224
विद्युत	228, 232, 234, 236, 240
ग्रामीण विकास	222, 230
जनजातीय कार्य	239
शहरी विकास	233, 235
महिला और बाल विकास	225, 238

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	2205, 2226, 2238, 2260, 2265, 2282, 2313, 2329, 2348
वित्त	2140, 2142, 2143, 2144, 2146, 2147, 2148, 2153, 2154, 2155, 2157, 2159, 2160, 2163, 2166, 2174, 2175, 2178, 2181, 2186, 2187, 2190, 2193, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2204, 2206, 2209, 2210, 2214, 2215, 2216, 2218, 2222, 2232, 2235, 2236, 2237, 2240, 2244, 2247, 2250, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2259, 2262, 2264, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2277, 2278, 2280, 2281, 2283, 2284, 2286, 2288, 2289, 2290, 2292, 2295, 2296, 2298, 2299, 2308, 2310, 2311, 2314, 2319, 2323, 2324, 2325, 2328, 2330, 2333, 2335, 2340, 2347, 2349, 2350, 2355, 2358, 2363, 2367
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	2194, 2228, 2261, 2294, 2301, 2315, 2326, 2332, 2343, 2353, 2365

विधि और न्याय		2185, 2191, 2327
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	2161, 2189, 2251, 2266, 2399
विद्युत	:	2141, 2169, 2173, 2176, 2177, 2184, 2192, 2195, 2208, 2221, 2231, 2258, 2275, 2293, 2306, 2316, 2336, 2338, 2341, 2342, 2345, 2359, 2366
ग्रामीण विकास	:	2145, 2150, 2152, 2172, 2179, 2182, 2183, 2188, 2196, 2225, 2230, 2234, 2243, 2257, 2279, 2302, 2312, 2317, 2318, 2322, 2331, 2344, 2352, 2354, 2360, 2368
जनजातीय कार्य	:	2149, 2167, 2170, 2213, 2219, 2270, 2224, 2227, 2246, 2297, 2301, 2303, 2337
शहरी विकास		2151, 2156, 2158, 2162, 2164, 2165, 2168, 2171, 2180, 2199, 2203, 2207, 2217, 2237, 2229, 2233, 2239, 2241, 2242, 2245, 2249, 2274, 2276, 2285, 2287, 2304, 2305, 2320, 2346, 2351, 2357, 2364
महिला और बाल विकास मंत्रालय		2139, 2211, 2212, 2248, 2263, 2291, 2307, 2309, 2334, 2356, 2361, 2362

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।